

भा र ती य

सा हि त्य शा स्त्र

लेखक

गणेश त्र्यंबक देशपांडे

अेम. अे., अेल्लअेल्ल. बी., डी. लिट्.

री ड र इन् सं स्कु त



पॉप्युलर बुक डेपो, वं ब ई ७

© ग. त्र्य. देशपाडे


प्रथम सस्करण :
दिसबर १९६०
पौष १८८२

मुद्रक · मा ह पटवर्धन
सगम प्रेस (प्रा.) लि.
३८३ नारायण पेठ
पुराँ २

प्रकाशक : ग. रा भटकल
पाँप्युलर बुक डेपो
लैमिंगटन रोड
बंबई ७

आचार्याणां स्वरूपेण शास्त्रविद्याप्रवर्तनम् ।
करोति काऽपि या तस्याः पादयोरिदमर्पितम् ॥

परिचय



मेरे लिये यह बड़े ही हर्ष
की बात है कि प्राध्यापक

गणेश त्र्यंबक देशपांडे का—जो कि मेरे विद्यार्थी और मित्र रहे हैं—एक उत्कृष्ट ग्रंथ—‘ भारतीय साहित्यशास्त्र ’ विद्वानों के सम्मुख उपस्थित किया जा रहा है । अध्ययनकाल में ही आप बुद्धि कुशाग्रता, ज्ञानग्रहण की उत्सुकता तथा विचक्षणता आदि गुणों के समुच्चय से ख्यातिप्राप्त थे । आगे चल कर, जब आपने प्राध्यापक-वृत्ति स्वीकार की, तो सचित ज्ञान से ही सतोष न मानकर, आपने पूर्वमीमांसा, धर्मशास्त्र, साहित्यशास्त्र, साख्यादि दर्शन आदि का गभीर अध्ययन करते हुए अपने ज्ञान का स्तर ऊँचा उठाया और तभी अपनी परिणत प्रज्ञा का फल लेखों तथा भाषणों के द्वारा विद्वानमंडली के सम्मुख उपस्थित करना आरम्भ किया । आपकी विवेचनाशैली प्रमाणपरिपुष्ट एवं प्रसादगुणयुक्त होने से, अल्प समय में ही आपका यश सर्वत्र प्रसारित हुआ तथा अनेकानेक सस्थाएँ भाषणमालाओं के ग्रंथन के लिये आपको निमन्त्रित करती रही । बबई मराठी साहित्य सघ की, ‘ वामन मल्हार जोशी व्याख्यानमाला ’ के उपलक्ष्य में आपके दिये भाषण अब ग्रन्थ रूप में प्रकाशित हो रहे हैं ।

विगत तीस चालीस वर्षों में, भारत में साहित्यशास्त्र से संबन्धित बहुत कुछ अनुसंधान हुआ है । महामहोपाध्याय डॉ. पां. वा. कारे, डॉ. सुशीलकुमार दे, डॉ. राघवन्, डॉ. शकरन् आदि विद्वानों ने, साहित्यशास्त्र के अन्तर्गत विविध समस्याओं की गभीर चर्चा की है । डॉ. कारे ने एव डॉ. दे ने संस्कृत साहित्यशास्त्र का सम्पूर्ण इतिहास भी लिखा है । किन्तु ये सभी ग्रन्थ अंग्रेजी में लिखे गये हैं । मराठी में प्रा. द. के. केळकर का ‘ काव्यालोचन ’ डॉ. के. ना. वाटवे का ‘ रसविमर्श ’ आदि ग्रन्थों का निर्माण तो हुआ है, किन्तु फिर भी सम्पूर्ण संस्कृत साहित्य का आलोचन करते हुए, ऐतिहासिक पद्धति से, तद्गत विविध समस्याओं का विस्तरशः

पाँच


विवेचन करनेवाले ग्रन्थ की आवश्यकता थी ही। स्वाधीनता प्राप्ति के अनन्तर उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में देश्य भाषाओं का अधिकाधिक मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। ऐसे समय में इन भाषाओं में स्वतन्त्र एवं विचक्षण पद्धति से लिखे ग्रन्थों की आवश्यकता और भी अधिक प्रतीत हो रही है। मराठी में साहित्यशास्त्रविषयक ग्रन्थों के इस अभाव की पूर्ति, प्रा. देशपांडे कृत इस ग्रन्थद्वारा अच्छी तरह से होगी।

प्रा. देशपांडे के ग्रन्थ के दो विभाग हैं। पूर्वार्द्ध में भरताचार्य के नाट्यशास्त्र से लेकर तो पंडित जगन्नाथ कृत रसगगाधर तक के, अर्थात् ख्रि. पू. २०० से लेकर तो ख्रिस्तोत्तर १७०० तक के लगभग दो सहस्र वर्षों की अवधि में साहित्यशास्त्र विकास किस प्रकार होता रहा यह, भिन्न भिन्न कालखंडों में हुए ग्रन्थकारों के ग्रन्थान्तर्गत विषयों का सूक्ष्म पर्यालोचन करते हुए दर्शाया गया है। इस ग्रन्थ में, अनेक स्थानों में प्रा. देशपांडे की स्वतन्त्र प्रज्ञा का आभास मिलता है। उदाहरण के लिये, भरत द्वारा निर्दिष्ट लक्षणों का उत्तरकालीन अलंकारों से आपने प्रस्थापित किया हुआ सबन्ध देखिये। इसी तरह, भरत, भामह, वामन, आनन्दवर्धन, कुन्तक, आदि ग्रन्थकार भिन्न भिन्न संप्रदायों (Schools) के प्रवर्तक न होकर, उन्होंने 'सिद्धपर-मतानुवाद' के आधार पर निज ग्रन्थों में विषयों की विवेचना की है, यह भी प्राध्यापक देशपांडे ने सिद्ध किया है।

उत्तरार्द्ध में शब्दार्थों का स्वरूप, अभिधा, लक्षणा तथा व्यजना की शक्तियों, व्यंग्यार्थ अर्थात् ध्वनि, रसप्रक्रिया आदि साहित्यशास्त्र के अन्तर्गत विषयों का विवेचन आकर ग्रन्थों का अनुसरण करते हुए विस्तारपूर्वक किया गया है। इनमें, 'रसप्रक्रिया' का अध्याय इस विभाग का मर्म है। अभिनवगुप्त कृत अभिनव-भारती तथा ध्वन्यालोकलोचन इन टीकाओं का सूक्ष्म अध्ययन करते हुए, उनके सिद्धान्त तथा उनके द्वारा की गयी पूर्वाचार्यों के मतों की आलोचना प्रा. देशपांडे ने अति विशद रूप में विवेचित की है। साहित्यशास्त्रान्तर्गत विविध विषयों के विवरण में व्याकरण, पूर्वमीमांसा, न्याय आदि शास्त्रों की पारिभाषिक संज्ञाओं का एवं सिद्धान्तों का उपयोग किया जाता है। ग्रन्थकार ने स्थानस्थान पर उन संज्ञाओं को एवं सिद्धान्तों को स्पष्ट किया है। इससे, जिनका उन शास्त्रों से परिचय नहीं है उनके लिये ग्रन्थकारकृत विषयप्रतिपादन सरल हो गया है। प्रस्तुत ग्रन्थ में अनेक स्थानों पर, उदाहरण के लिये संस्कृत पद्य लिये गये हैं। इन पद्यों में व्यंग्यार्थ तथा सौंदर्य स्पष्ट करने में ग्रन्थकार ने उच्च कोटी की रसिकता दर्शायी है।

आजकल मराठी में रस के विषय में चर्चा चलती है। और कई बार, विवेचक का संस्कृत ग्रन्थों से साक्षात् परिचय न होने के कारण, संस्कृत साहित्य-

ऋणनिर्देश



मन्दो (बुध) यश प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम् ।
प्रांशुलभ्ये फले लोभादुद्वाहूरिव वामन ॥
अथवा कृतवाग्द्वारे (शास्त्रे)ऽस्मिन् पूर्वसूरिभि ।
मरणौ वज्रसमुत्कीर्णौ सूत्रस्येवास्ति मे गति ॥

“मङ्गलादीनि शास्त्राणि
प्रथन्ते” भगवान्.

भाष्यकार का वचन है, “पूर्वभ्यो भरतादिभ्यः सादरं विहितोऽञ्जलिः ।” आदि मंगल से शास्त्र आरंभ करने की शिष्टो की मान्य रीति है। और शास्त्रसमत शिष्टाचार का पालन सर्वदा श्रयं प्रद होता है।

ऐसा समझना ठीक नहीं कि मुनि भरत से प्रचलित पूर्वसूरियों की परम्परा जगन्नाथ के अनन्तर खण्डित हुई। भाषा तथा विवेचना की पद्धति में परिवर्तन यद्यपि स्पष्ट है, तथापि साहित्यशास्त्र के आधुनिक विवेचक भी मुनि के ही गोत्रज हैं। मुनि के इन आधुनिक गोत्रजो मे, सर्वप्रथम निर्देश महामहोपाध्याय डॉ पा वा. काणेजी का ही करना आवश्यक है। साहित्यदर्पण की डॉक्टर साहब द्वारा लिखित प्रस्तावना ही है कि मुझे मीमासा से साहित्यशास्त्र की ओर आकर्षित किया। एक ग्रन्थ की प्रस्तावना के रूप में लिखा आपका यह निबन्ध, साहित्यशास्त्र के इतिहास के रूप में मौलिक सिद्ध हुआ। इस ग्रन्थ का यह महत्त्व है कि साहित्य-ग्रन्थों के कालानुक्रम के विषय में इस ग्रन्थ का कोई भी आधार लें। डॉ सुशील-कुमार दे का Sanskrit Poetics ग्रन्थ भी इसी स्तर का है। साहित्यमीमासा के विविध अंगों की कल्पना इस ग्रन्थ से पूर्णरूपेण आती है। इस ग्रन्थ से स्पष्ट है कि शास्त्रीय विवेचन भी साहित्य के समान आकर्षक होता है। इसके अतिरिक्त, कई लोगों को इस ग्रन्थ से अध्ययन की प्रेरणा भी प्राप्त हुई है। डॉ. शंकरन् के निबन्ध,

नौ

अनुक्रमणिका



पूर्वाङ्क

अध्याय पहला—विषयप्रवेश - पृष्ठ १ - २५

साहित्यशास्त्र, काव्यालंकार, काव्यालक्षणा, क्रियाकल्प - सौंदर्यम्
अलंकारः - सौंदर्यप्रतीति ही काव्यात्मा है - कवि, नागरक, सहृदय-
साहित्य-ग्रन्थो के अध्ययन की चतु सूत्री - आजकल के अध्ययन करनेवालो
की कुछ कठिनाइयाँ - आजकल के अध्ययन करनेवालो का उत्तरदायित्व -
प्रस्तुत ग्रंथ का स्वरूप ।

अध्याय दूसरा - नाट्यशास्त्र मे काव्यचर्चा - पृष्ठ २६ - ५१

नाट्यशास्त्र की रूपरेखा - आरम्भ में दी गई किम्बदन्ती - किम्बदन्ती से
निष्कर्ष - लोकधर्मी व नाट्यधर्मी - नाट्यधर्मी अर्थात् अभिनयप्रकारो का
औचित्य - नाट्यस्थित नाट्यधर्मी काव्यस्थित वक्रोक्ति - नाट्य के
विविध अलंकार - भरतकृत काव्यालंकार तथा काव्यालक्षणा - नाट्यशास्त्र
में काव्यालक्षणो का काव्यालंकारो में परिवर्तन - कई काव्यालक्षणा निरुक्त
तथा मीमांसा में पाये जाते हैं ।


अध्याय तीसरा - काव्यचर्चा का स्वतंत्र संसार - पृष्ठ ५२ - ७८

लक्षणा और अलंकार : कुछ उदाहरण - गुण, अलंकार और लक्षणा-इस
विभाग की आवश्यकता - लक्षणो के अलंकार कैसे हुए - काव्यचर्चा
स्वतन्त्र होने का प्रयोजन - इस विकास का ग्रन्थगत प्रमाण - भरत और
भामह - भामह का पृथक् सम्प्रदाय नहीं - प्राचीन बातों का नये
उपक्रमो मे परिवर्तन

अध्याय चौथा - काव्यचर्चा का नया संसार व नई अड़चने - पृष्ठ ७९ - ९८

नई काव्यचर्चा का क्षेत्र - अन्वयव्यतिरेक की शैली - अप्रामाण्यता, माधुर्य,
वक्रोक्ति - वक्रोक्ति के विरुद्ध ग्राम्यता है, स्वभावोक्ति नहीं - विदग्धगोष्ठी ।

पंद्रह



अध्याय चौदहवाँ - रसादि ध्वनि - पृष्ठ २३७-२४४

रस के समान भाव की भी काव्यात्मता है - विभावध्वनि और अनुभाव-ध्वनि नहीं है - रससामग्री ।

अध्याय पन्द्रहवाँ - रसप्रक्रिया - पृष्ठ २४५-३१५

भरतकृत रसविवेचन - नाट्य = रस - सप्रहकारिका - अभिनय की इति-कर्तव्यता - नाट्यभव - भावा. इति कस्मात् - नाट्यरस - रस के सबध में विविध मत - भामह और दण्डी के रसविषयक मत - उद्भट के रसविषयक मत - लोल्लट का रसविषयक मत - लोल्लट का श्रीशकुककृत परीक्षण - कुछ अपूर्ण मत - श्रीशकुक का मत - श्रीशकुक के मत का तौतकृत परीक्षण - भट्टतौत का मत : नाट्य अनुकरण नहीं है, अनुव्यवसाय है - ध्वनिकार का मत - साख्यों का सुखदुःखवाद - भट्ट नायक का मत - भट्ट नायक के मत का परीक्षण - अभिनवगुप्तकृत रसविवेचन ।

अध्याय सोलहवाँ - रसविषयक कुछ प्रश्न - पृष्ठ ३१३-३५२

लौकिक तथा अलौकिक - कारण अनुमितिलिग-विभाव - रसप्रक्रिया का विकास - 'स्थायिविलक्षणो रस - रसः इति क पदार्थ ? - आस्वाद्यत्वात् - नाट्ये एव रस न तु लोके - आनन्दरूपता सर्वरसानाम् - आनन्दवादी तथा सुखदुःखवादियों की भिन्न परस्पराएँ - रस का सामान्य लक्षण तथा विशेष लक्षण - रसो का स्थायीसंचारीभाव - रस और पुरुषार्थनिष्ठा - रस तथा भाव में परस्पर सबन्ध - कविरसिक सवाद - रसविश्व ।

अध्याय सत्रहवाँ - ध्वनि के विरोधक - पृष्ठ ३५३-३९३

ध्वनि के विरोधक - अभाववादी - दीर्घ अभिधावादी - तात्पर्यवाद - वादी और ध्वनिविरोधको में भूमिकाभेद - कवित्वबीजम् प्रतिभानम् ।

अध्याय अठारहवाँ - गुणालंकार - पृष्ठ ३९४-३७५

गुण रसधर्म है - अलंकारो की रसव्यजकता - अनौचित्य ही काव्यदोष है - काव्य का नूतन वर्गीकरण - ध्वनिकाव्य - गुणीभूतव्यग्य - चित्रकाव्य - काव्यास्वाद एक अखण्डप्रतीति है - प्रीति और व्युत्पत्ति - उपसहार ।

परिशिष्ट - कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ - पृष्ठ ३७६ - ३८२

भारतीय साहित्यशास्त्र



पूर्वार्द्ध

पूर्वाद्ध

अध्याय पहला	: विषयप्रवेश
अध्याय दूसरा	: नाट्यशास्त्र मे काव्यचर्चा
अध्याय तीसरा	: काव्यचर्चा का स्वतंत्र संसार
अध्याय चौथा	: काव्यचर्चा का नया संसार व नई अङ्कने
अध्याय पाँचवाँ	: अलंकारशास्त्र का मार्गक्रमण
अध्याय छठा	: शब्दार्थों का साहित्य
अध्याय सातवाँ	: मम्मट के परवर्ती ग्रन्थकार
अध्याय आठवाँ	: साहित्यशास्त्र का विकास

उत्तराद्ध

अध्याय नौवाँ	: काव्यशरीर : शब्दार्थविचार
अध्याय दसवाँ	: वाच्यार्थ, वाचकशब्द और अभिधा
अध्याय ग्यारहवाँ	: शाब्दबोध : लक्ष्यार्थ, लाक्षणिक शब्द और लक्षणा
अध्याय बारहवाँ	: शाब्दबोध : व्यंजनाव्यापार
अध्याय तेरहवाँ	: व्यंग्यार्थ (ध्वनि)
अध्याय चौदहवाँ	: रसादिध्वनि
अध्याय पन्द्रहवाँ	: रसप्रक्रिया
अध्याय सोलहवाँ	: रसविषयक कुछ प्रश्न
अध्याय सत्रहवाँ	: ध्वनि के विरोधक
अध्याय अठारहवाँ	: गुणालंकार
परिशिष्ट	: कुछ महत्त्वपूर्ण टिप्पणियाँ

विषय प्रवेश

सरितामिव प्रवाहा. तुच्छा. प्रथम यथोत्तरं विपुला ।
ये शास्त्रसमारभा भवन्ति लोकस्य ते बन्धा. ॥

नदी के प्रवाह के समान
शास्त्र का भी प्रवाह

प्रारंभ में छोटा-सा होता है। बढ़ते बढ़ते वह विशाल बनता जाता है। ऐसे ही शास्त्र लोकादर के भाजन होते हैं। साहित्यशास्त्र के लिये भी यह नियम लागू होता है। आरंभ की प्रायोगिक अवस्था के उपक्रमों से साहित्य का शास्त्र किस प्रकार विकसित हुआ हम इस भाग में देखेंगे।

साहित्यशास्त्र—काव्यालंकार—काव्यलक्षण—क्रियाकल्प

जिस शास्त्र के लिए आज हम साहित्यशास्त्र शब्द का प्रयोग करते हैं, उसका प्राचीन नाम अलंकारशास्त्र है। 'अलंकार' शब्द का आधुनिक अर्थ अनुप्रास—उपमा आदि के लिए ही सीमित हुआ है, किन्तु प्राचीन काल में उसकी व्याप्ति कहीं अधिक थी। रस, रीति, गुण, वक्रोक्ति आदि सभी का अन्तर्भाव 'अलंकार' शब्द के अर्थ में होता था। प्राचीन परम्परा के पण्डित आज भी साहित्यशास्त्र के ग्रन्थों को 'अलंकारग्रन्थ' तथा उसके अध्येता को 'अलंकारिक' कहते हैं। कालांतर में 'अलंकार' शब्द की यह व्याप्ति संकुचित होती गई और उसके स्थानपर 'साहित्य' शब्द रूढ़ होता गया। काव्यविवेचना के प्राचीन ग्रन्थों के नामोंपर केवल दृष्टिक्षेप करने से यह स्पष्ट होता है। कुछ ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हैं—

भामह (सन् ६००-७०० ईसवी)—काव्यालंकार;

दण्डी (सन् ६००-७०० ईसवी)—काव्यादर्श;

उद्भट (सन् ८०० ईसवी)—काव्यालंकारसारसंग्रह,
 वामन (सन् ८०० ईसवी)—काव्यालंकारसूत्रवृत्ति,
 रुद्रट (सन् ८५० ईसवी)—काव्यालंकार.

उपर्युक्त ग्रन्थों में केवल अलंकारों की ही विवेचना नहीं, अपितु उस समय के सभी साहित्यविषयक प्रश्नों का ऊहापोह किया गया है। उदाहरणस्वरूप, भामह के ग्रन्थ में काव्यन्याय, शब्दशुद्धि आदि विषयों पर अध्याय है। वामन के ग्रन्थ में रीति पर विवेचना की गई है। रुद्रट के ग्रन्थ में तो रस पर भी विवेचना है। पर केवल दण्डी का अपवाद छोड़ दिया तो सभी ने अपने ग्रन्थों को 'काव्यालंकार' यही एक नाम दिया है।

लेकिन रुद्रट के बाद ग्रन्थों के नाम कुछ भिन्न प्रकार के दिखाई देते हैं। काव्य के विविध अंगों की चर्चा जिनमें की गई है उन ग्रन्थों को 'काव्यमीमांसा', 'काव्य-प्रकाश', 'काव्यानुशासन' आदि नाम दिये गये हैं। काव्यविवेचना के किसी विशिष्ट अंग की विवेचना जिनमें हो वे ग्रन्थ उन्हीं विषयों के अनुसार नामांकित किये गए हैं। इस प्रकार ध्वनि की विवेचना जिसमें है वह ग्रन्थ 'ध्वन्यालोक'। व्यञ्जना का परिक्षण जिसमें है वह 'व्यक्तिविवेक'। रसास्वाद की प्रक्रिया जिसमें बताई गई है वह—'हृदयदर्पण'। औचित्य की विवेचना जिसमें है वह—'औचित्यविचार-चर्चा'। इस प्रकार ग्रन्थों के नाम ग्रन्थगत विषय को लक्ष्य करके बनाये मिलते हैं। इस काल के 'अलंकार' ग्रन्थों में सामान्यतया अलंकारों की ही विवेचना पाई जाती है। स्य्यक ने दो ग्रन्थ लिखे हैं—'अलंकारसर्वस्व' तथा 'साहित्यमीमांसा'। इनमें से प्रथम ग्रन्थ में केवल अलंकारों की विवेचना है। दूसरे ग्रन्थ में काव्य के अन्य अंगों की विवेचना है।

प्रतीत होता है, 'साहित्य' शब्द काव्यविवेचना में रुद्रट के बाद धीरे धीरे रूढ़ होता गया। 'शब्दार्थों सहितौ काव्यम्' यह तो भामह ने पहले ही कह रक्खा था। किन्तु शब्दार्थों के 'साहित्य' की कल्पना ने रुद्रट के बाद ही स्वतंत्र रूप से जड़ पकड़ ली प्रतीत होता है। रुद्रट भी 'ननु शब्दार्थौ काव्यम्' कहकर भामह का केवल अनुवादमात्र करता है। परन्तु राजशेखर के समय में (सन् ९०० ईसवी के लगभग) 'साहित्य' शब्द काव्यमीमांसा का शास्त्र अथवा विद्या के अर्थ में रूढ़ हुआ प्रतीत होता है। साहित्यविद्या अर्थात् साहित्य शास्त्र का 'पंचमी साहित्य-विद्या' इस प्रकार स्वतंत्रतया निर्देश करते हुए, राजशेखर उसे आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता तथा दण्डनीति इन विद्याओं की श्रेणी में स्थान देता है। इस काल में अनेकों ग्रन्थकारों ने काव्यशास्त्र के अर्थ में 'साहित्य' शब्द का प्रयोग किया हुआ मिलता है। श्रीकण्ठचरित काव्य के कर्ता मङ्गलकवि, लगभग राजशेखर के ही समय के

‘काव्यलक्षण’ शब्द से ‘काव्यलक्षणकारी’, ‘काव्यलक्षणविधायी’ एवम् ‘काव्यलक्ष्मविधायी’ आदि शब्द भी बने हैं। (६)

इन तीन सज्ञाओं से भिन्न एक चौथी संज्ञा भी इस शास्त्र के लिए थी। वह है ‘क्रियाकल्प’। क्रियाकल्प का अर्थ है काव्यकरण के नियम। हमारी सम्मति में यह संज्ञा ‘काव्यालकार’ तथा ‘काव्यलक्षण’ संज्ञाओं से पूर्वकालिक है। एवम् साहित्यशास्त्र के विकास के आरम्भकालीन प्रायोगिक अवस्था की वह द्योतक है। क्रियाकल्प का संक्षेप में इतिहास इस प्रकार है।

वात्स्यायन के (सन् २५० ईसवी के लगभग) (७) ‘कामसूत्र’ में चौसठ कलाओं की सूची दी गई है। उसमें ‘सपाठय, मानसी काव्यक्रिया, अभिधानकोष, छन्दोज्ञान, क्रियाकल्प’ इस क्रम से कलाओं के नाम दिये गये हैं। सपाठय का अर्थ है दो या अधिक व्यक्तियों ने स्पर्धा के लिए या मनोरंजन के हेतु काव्य कण्ठस्थ करना; मानसी काव्यक्रिया का अर्थ है संस्कृत, प्राकृत या अपभ्रंश भाषा में की हुई नूतन काव्य-रचना, अभिधानकोष का अर्थ है शब्दसंग्रह; छन्दोज्ञान का अर्थ है वृत्तों का ज्ञान; एव क्रियाकल्प का अर्थ है काव्यकरण के नियम अर्थात् काव्यालकार। उपर्युक्त कलाओं के इस प्रकार अर्थ देते हुए कामसूत्र का टीकाकार यशोधर लिखता है— “अभिधानकोष, छन्दोज्ञान तथा क्रियाकल्प तीनों कलाएँ काव्यक्रिया की अग्रभूत हैं एवम् इन तीनों का ज्ञान काव्यनिर्माण तथा काव्य के परिशीलन के लिए आवश्यक है।” (८) यशोधर ने काव्यक्रिया = काव्यनिर्माण, तथा क्रियाकल्प = ‘काव्य-करणविधि’ अर्थात् ‘काव्यालकार’ इस प्रकार पर्याय दिये हैं।

छन्द, अभिधान एव क्रियाकल्प अर्थात् अलकार का काव्यक्रिया अर्थात् काव्य-रचना से अतिनिकट का सबन्ध है। भामह के ग्रन्थ का विषय ‘अलकार’ है। अलकारविवेचना के इस ग्रन्थ में भामह लिखता है—

शब्दच्छन्दोऽभिधानार्था इतिहासाश्रयाः कथाः।

लोको युक्ति. कलाश्चेति मन्तव्या काव्यवैखरी॥

६. ‘काव्यलक्ष्मविधायिभिः “चिरंतनकाव्यलक्षणकारिणां बुद्धिभिरनुन्मीलितपूर्वम्” काव्य-लक्षणकारिभिः प्रसिद्धे आदर्शिते प्रकारल्लेशे’ इस प्रकार अनेक उल्लेख ‘ध्यान्यालोक’ में हैं।

७. वात्स्यायन का समय ‘कामसूत्र’ में दर्शित राजकीय स्थिति के उल्लेखों से ईसा की तीसरी शताब्दी का मध्य (ई. स. २५०) निर्धारित किया गया है। H. C. Chakladar : *Social Life in Ancient India*, p 33.

८. काव्यक्रिया इति संस्कृतप्राकृतपभ्रंशकाव्यस्य करणम्, प्रतीतप्रयोजनम्। अभिधानकोष इति उत्पलमालादि। छन्दोज्ञानमिति पिंगलादिप्रणीतस्य छन्दसो ज्ञानम्। क्रियाकल्प इति काव्य-करणविधिः, काव्यालकार इत्यर्थः। त्रितयमपि काव्यक्रियाइगम् परकाव्यावबोधनार्थं च।

सकता है? इसलिए यहाँ भी 'क्रियाकल्पविद्' का अर्थ 'काव्यरचनाशास्त्रज्ञ' ही करना पड़ता है। *

क्रियाकल्प का 'काव्यालकार' अर्थ स्वीकार करने से क्रिया = काव्य यह अर्थ भी क्रमप्राप्त होता है। संभव है कि काव्यक्रिया से 'काव्यक्रियाकल्प' शब्द बना हो और इसकी क्लिष्टता के कारण 'क्रियाकल्प' शब्द प्रयुक्त हुआ हो। यह भी संभव है कि इसी प्रकार साहित्यिक समाज में 'काव्यक्रिया' के लिए 'क्रिया' शब्द भी रूढ़ हुआ हो। अगर इसमें कुछ तथ्य है तो कालिदास का अपने नाट्य कृति के लिए 'क्रिया' शब्द का उपयोग करना कुछ विशेष अर्थ रखता है। (११)

सारास्य, साहित्यशास्त्र के इतिहास का अवलोकन करने से विदित होता है कि इस शास्त्र के लिए चार सज्ञाओं का प्रयोग होता था — क्रियाकल्प, काव्यालकार, काव्यालकार तथा साहित्य (डॉ. राघवन् · *Names of Sanskrit Poetics*)

“सौदर्यम् अलंकारः”

'अलंकार' शब्द का आधुनिक अर्थ उपमा, अनुप्रास आदि के लिए ही सीमित है। रुद्रट के समय तक इस शब्द का अर्थ अधिक व्यापक था। 'अलंकार' शब्द की यह पूर्वकालिक व्याप्ति कहाँ तक थी इसका परीक्षण करना आवश्यक है। जिन्हे आज हम परम्परा के अनुसार 'अलंकारवादी' कहते हैं उन भामह आदि ग्रन्थकारों के ग्रन्थों का सम्यक् ज्ञान बिना इस व्यापक अर्थ को समझ लिए ठीक प्रकार से नहीं हो सकता। भामह, उद्भट, वामन तथा रुद्रट इन सभी ने अपने ग्रन्थों को 'काव्यालकार' का ही नाम दिया है। भामह ने 'अलंकार' शब्द का अर्थ कही भी दिया नहीं। 'दण्डी की सम्मति में 'अलंकार' शब्द का अर्थ 'काव्य शोभाकर धर्म' होता है। (काव्यशोभाकरान् धर्मानलंकारान् प्रचक्षते।) अलंकार शब्द के व्यापक तथा सीमित दोनों अर्थ वामन ने दिये हैं। इस लिए वामन से आरम्भ करके हम पीछे जायेंगे।

अपने ग्रन्थ का आरम्भ ही वामन 'काव्यग्राह्यमलंकारात्' सूत्र से करता है। वास्तव में, गुरुषालंकारसंस्कृत शब्दों के लिए ही काव्य शब्द उपयुक्त होता है इसे वामन भलीभाँति जानता है। परन्तु केवल विवेचना के लिए शब्दार्थ = काव्य यह वामन का गहीत कृत्य है। वामन की सम्मति में काव्य की अर्थात् शब्दार्थों की

११. भाससौमिल्लकविपुत्रादीना प्रबन्धानतिक्रम्य वर्तमानकवेः कालिदासस्य क्रियायां कथं बहुमानः।—मालविकाग्निमित्रं.

प्रणयिषु वा दाक्षिण्यात् अथवा स्तुतुबहुमानात् ।

गृणुत जना अवधानात् क्रियामिमां कालिदासस्य ॥— विक्रमोर्वशीय

यह अर्थ साहित्यक्षेत्र में ज्ञात तथा रूढ है इस बात को भामह जानता हो और इस लिए इस सज्ञा का अर्थ करने की कोई आवश्यकता उसने समझी न हो। भामह से पूर्व 'अलंकार' शब्दसौंदर्य अर्थात् शोभा के अर्थ में प्रयुक्त होता था।

काव्यचर्चा का उद्गम नाट्यचर्चा से हुआ, इसे हम आगे विस्तार से दर्शायेंगे। केवल रस के सबन्ध में ही नहीं, अपितु गुणालंकारों के सबन्ध में भी काव्यचर्चा के लिए नाट्यशास्त्र का आश्रय लिया गया है। इस प्रकार आश्रय लेने में काव्यलक्षणकारों ने नाट्य में रूढ अनेकों सज्ञाओं को सही सही उठा लिया है। इन सज्ञाओं में से एक 'काव्यालंकार' है।

नाट्यशास्त्र में अलंकार शब्द का, काव्य के समान अन्य विभागों के लिए भी उपयोग किया गया है। काव्यालंकार, पाठ्यालंकार, नेपथ्यालंकार, नाट्यालंकार, वर्णालंकार तथा प्रयोगालंकार इस प्रकार अलंकारों के छह भेद नाट्यशास्त्र में बताये गये हैं। इन सभी सज्ञाओं में अलंकार शब्द का अर्थ सौंदर्य अथवा शोभाकर धर्म ही किया गया है। इन छह अलंकारों में से 'काव्यालंकार' को आलंकारिकों ने नाट्यशास्त्र से पृथक् किया, एवम् उसकी स्वतन्त्र रूप में विवेचना की। तथा इस स्वतन्त्र विवेचना के निर्देश के लिये नाट्यशास्त्र में दी गई उसकी मूल सज्ञा को ही निर्धारित किया। आलंकारिकों में से कई ग्रन्थकारों ने 'काव्यालंकार' सज्ञा के स्थान पर नाट्यशास्त्र की ही दी हुई दूसरी सज्ञा—'काव्यलक्षण' का प्रयोग किया है। यही विवेचना आगे चल कर अलंकार शास्त्र में परिणत हुई। इस प्रकार काव्यरचना तथा काव्यस्वरूप के सबन्ध में नाट्यचर्चा में पूर्वकाल से ही ज्ञात तथा रूढ सज्ञाओं को काव्य की स्वतन्त्र चर्चा में प्रयुक्त करना आलंकारिकों ने आरम्भ किया।

काव्यालंकार की इस प्रकार स्वतन्त्र विवेचना हो रही थी और इसी समय नाट्यशास्त्र के अन्य अनेक विषय इस विवेचना में परिवर्तित रूप में आने लगे थे। उदाहरणस्वरूप, नाट्य के सध्यंग, वृत्त्यंग तथा लक्षणों को नाट्यशास्त्र में 'अलंकार' की संज्ञा नहीं है। किन्तु यही विषय जब काव्यचर्चा में आने लगे, तब उनमें शोभाकारित्व होने से उन्हें 'अलंकार' माना गया। दण्डी कहता है—

यच्च सध्यगवृत्त्यंगलक्षणान्यागमान्तरैः।

व्यावर्णितमिदं चेष्टमलंकारतयैव नः ॥ (२।३६७)

"अन्य शास्त्र में अर्थात् नाट्यशास्त्र में सध्यंग, वृत्त्यंग तथा लक्षणों का जो वर्णन किया गया है वह हमें अलंकार के रूप में मान्य है। सार यह है कि काव्यविवेचना के आरम्भकाल में अलंकार शब्द का अर्थ "सौंदर्य" अथवा 'काव्यशोभाकर धर्म' होता था। जिस किसीसे काव्य में शोभा आती थी उसे साहित्यिक 'अलंकार' की

तल्लक्षणो सर्व एवैते सुलक्षिता भवन्ति ।' आनन्दवर्धन के इस वाक्य के व्याख्यान के अवसरपर अभिनवगुप्त कहते हैं—

“तथाजातीयानामिति चास्तुतिशयवताम्—इत्यर्थं. 'सुलक्षिता इति यत्किलेषां तद्विनिर्मुक्तं रूपं न तत्काव्येऽभ्यर्थनीयम् । उपमा हि 'यथा गौस्तथा गवयः।' इति । रूपक 'गौर्वाहीक ।' इति । श्लेष 'द्विर्वचनेऽचि' तन्त्रात्मक. —एवमन्यत् । न चैवमादि काव्योपयोगीति ।” साराश, काव्य में अर्थ चास्तुतिशय से युक्त चाहिये, अर्थ का सौंदर्यहीनरूप काव्य में अभ्यर्थनीय नहीं होता । 'यथा गौस्तथा गवयः ।' इस वाक्य में उपमासदृश रचना है । 'गौर्वाहीक.।' में रूपक है और 'द्विर्वचनेऽचि' इस पाणिनीय सूत्र में श्लेष है । किन्तु इनका तथा इनसे सदृश अन्य वाक्यों का काव्य के लिए उपयोग नहीं हो सकता । क्यों कि उनमें सौंदर्य प्रतीत नहीं होता ।

इतना ही नहीं बल्कि अन्य सभी मतों के विरोध में ध्वनि का समर्थन करनेवाले अभिनवगुप्त ने सूचित किया है कि ध्वनि भी सुंदर होनी चाहिये । भट्टनायक ध्वनितत्त्व के एक विरोधक थे । उनका कहना था कि ध्वन्यर्थ की कोई सीमा न होने से, सभी स्थानों में, यहाँ तक कि 'सिंहो बटुः' इस वाक्य में भी, काव्यत्व का स्वीकार करना पड़ेगा । इसपर अभिनवगुप्त कहते हैं—“यह ठीक नहीं । अभिव्यजनीय रस के लिए उचित वाच्य, वाचक तथा रचना के प्रपञ्च से सुंदर हुए अर्थात् गुणालकार-संस्कृत शब्दार्थों के द्वारा व्यक्त हुई ध्वनि के लिए ही 'काव्य' की सज्ञा है । केवल ध्वनि है इसलिए वह काव्य भी है यह कहना ठीक नहीं ।” (१२) मीमांसको के 'श्रुतार्थापत्ति' में भी ध्वनित्व स्वीकार करना होगा' इस आक्षेप के उत्तर में वे कहते हैं, “ध्वनि काव्यविशेष है । गुणालकारसंस्कृत शब्दार्थों के द्वारा व्यक्त ध्वनि ही काव्य की आत्मा है । किसी भी अन्य प्रकार की ध्वनि काव्यात्मा कतई नहीं हो सकती ।” (१३)

काव्य में तो सौंदर्य रहता ही है एवम् बिना सौंदर्य के, शब्दार्थों में काव्यत्व-व्यवहार नहीं होता इस प्रकार काव्य और सौंदर्य में अव्यभिचारी भाव अभिनवगुप्त ने अन्वयव्यतिरेक से सिद्ध किया । इसपर आक्षेपक प्रश्न करता है—“तो चास्तुत्वप्रतीति ही काव्य की आत्मा है यह आपको स्वीकार करना होगा ।”

१२. तेन सर्वत्रापि ध्वननसद्भावेऽपि न तथा व्यवहारः । ..तेन, एतन्निरवकाशं यदुक्तं हृदयदर्पणे—'सर्वत्र तर्हि काव्यव्यवहारः स्यादिति ।'

१३. काव्यग्रहणात् गुणालंकारोपस्कृतशब्दार्थपृष्ठपाती ध्वनिलक्षण आत्मा इत्युक्तम् । तेन एतन्निरवकाशं श्रुतार्थापत्तावपि ध्वनिव्यवहारः स्यादिति ।

सौंदर्यवाचक 'काव्यालंकार' शब्द ही रूढ हुआ इस बात पर ध्यान देने से 'अलंकार-शास्त्र' सज्ञा मूलतः व्यापक है, यह स्पष्ट होता है।

यहाँ एक बात का अवधान रखना आवश्यक है कि अलंकार का 'सौंदर्य' अर्थ करने में अलंकारशास्त्र = सौंदर्यशास्त्र ऐसा समीकरण सिद्ध होता है। 'अलंकार' शब्द का अर्थ सीमित होने पर, 'अलंकारशास्त्र' सज्ञा का अर्थ करने में, प्राचीन पंडितों ने लक्षणा का आश्रय किया। किन्तु चिरन्तन आचार्यों का निर्देशित व्यापक अर्थ आज फिर से प्रकाशित करने पर आधुनिक पंडितों से उसके अतिव्याप्त किये जाने का डर है। संभव है कि अलंकार = सौंदर्य, इस लिए अलंकारशास्त्र = सौंदर्य-शास्त्र अर्थात् आधुनिक Aesthetics है ऐसी धारणा कोई मोहवश कर लें तो भी इस प्रकार मोह नहीं होना चाहिये। अलंकारशास्त्र में काव्यसौंदर्य की विवेचना है किन्तु इसी आधार पर उसे Aesthetics कहना ठीक न होगा। Aesthetics में सभी ललितकलाओं के सौंदर्य की विवेचना आती है। सभी—इन्द्रियग्राह्य एवम् केवल मनोग्राह्य—कलाओं का सौंदर्य उस शास्त्र का विषय है। काव्यशास्त्र उसका एक अंशमात्र हो सकता है। किन्तु एक अंश सम्पूर्ण शास्त्र नहीं हो सकता।

कवि, नागरक, सहृदय

काव्य निर्माण के साथ रसिक वृत्ति भी उदित होती है। कवि तथा रसिक के मिलन में काव्यचर्चा प्रारम्भ होती है। इस दृष्टि से काव्य के अनुपद काव्यचर्चा आनी चाहिये और वह आई भी।

'काव्यक्रिया' एक कला है। इस लिए काव्यशास्त्र एक कला का शास्त्र है। कला का शास्त्र प्रयोगप्रधान होता है। तदनुसार काव्यशास्त्र भी आरम्भ में प्रयोगप्रधान था। भरतमुनि के नाट्यशास्त्र से यह विस्पष्ट होता है। नाट्यशास्त्र में नाट्य की केवल तत्त्वतः विवेचना नहीं है; अपितु नाट्य सफल कैसे किया जाता है यह उसमें बताया गया है। नेपथ्य, पाठ, रग आदि की विविध विधियाँ अथवा कल्प इसमें बताये गये हैं। इस दृष्टि से नाट्यशास्त्र का क्रियाकल्प के ग्रन्थ के रूप में निर्देश हो सकता है। काव्यविवेचना के अनेक ग्रन्थों में कविशिक्षा तथा काव्यपठन की दृष्टि से विचार किया हुआ मिलता है। उससे कला के इस प्रायोगिक अंश का ही अभिप्राय है। संस्कृत के अनेक शिक्षा ग्रन्थ तथा राजशेखर के काव्यमीमांसा का 'पाठ्यगुणा !' यह अध्याय इसी प्रयोगशरणा का द्योतक है। काव्य के पठन तथा नाट्य के प्रयोग के उपक्रमों से ही नाट्यचर्चा उदय हुई है। श्रोता अथवा दर्शकों पर काव्य अथवा नाट्य का अपेक्षित परिणाम दृष्टिगोचर होने पर ही काव्य-सिद्धि या नाट्यसिद्धि हुई ऐसा समझा जाता था। भरत मुनी ने लिखा हुआ नाट्य-

ऐसा व्यक्ति नगर का मूल निवासी हो या किसी उद्योगवश नगर में रहने के लिए आया हुआ हो, वह नगर के सम्य लोको की बस्ती में रहा करता था। उसके घर के सामने छोटा-सा उद्यान हुआ करता था। घर के कक्ष सुविधा के अनुकूल हुआ करते थे। साधारणतः उसका घर द्विवासगृह हुआ करता था। अर्थात् घर में एक शय्यागृह और उससे सट कर बाहर की ओर आराम करने के लिए एक बैठक हुआ करती थी। ऊँचे तख्तपोश पर गद्देतकिये रख कर बैठक बनाई जाती थी। इस तख्तपोश के शिरोभाग की ओर एक छोटी-सी वेदी पर चन्दन का चूर्ण, सुगन्धित द्रव्य और पसीना थामने के लिए लेप करने के सुगन्धित चूर्ण, ताम्बूल इत्यादि वस्तुएँ रखी जाती थीं। तख्तपोश के नीचे पतद्ग्रह (हाथ धोने का बर्तन), पीकदान इत्यादि वस्तुएँ रखी जाती थी। कमरे में एक ओर खूँटी पर वीणा रहती थी। दूसरी ओर एक चित्रफलक होकर उसके समीप चित्रकला की आवश्यक सामग्री रखी रहती थी। तख्तपोश के पास ही कुछ पुस्तके ऐसी रखी रहती जो हाथ बढ़ाकर ली जा सके। पुस्तके साधारणतया स्वकृत या परकृत काव्य की हुआ करती थी। इनके अतिरिक्त सजावट के लिए कमरे में जगह जगह कुरटमाला अर्थात् कुरट वृक्ष से बनायी हुई नकली फूलों की मालाएँ लटकाई रहती थी। कमरे में दूसरी ओर एक बड़ी बिछायात बिछाई रहती थी और उसपर चौसर आदि खेलने का सामान रखा रहता। वासगृह के बाहर की ओर शुकसारिकाओं के पिजड़े टंगे दिखाई देते। आँगन के बाग में एक ओर एक झूला रहता और उसके पास ही शाम की बैठक के लिए एक चबूतरा हुआ करता। शाम के समय उस पर बैठे हुए दोस्तमित्रों के साथ शरबत इत्यादि पीने का कार्यक्रम हुआ करता। नागरक के घर की हर चीज अपनी अपनी जगह इस तरह रखी रहती कि जिससे उसकी विदग्धता का परिचय मिलता। इसी संबंध में यशोधर ने कहा है -“अनुरूपस्थाननिवेशनमपि वैदग्ध्यजननम्।”

इस प्रकार के घर में निवास करनेवाला नागरक प्रातः काल शुचिर्भूत हो सुदूर वेष परिधान कर तथा दर्पण में वेष निरीक्षण कर, अपने काम के लिए निकलता। दोपहर काम से वापस आ कर फिर स्नान के पश्चात् भोजन करता। भोजन के बाद शुकसारिकाप्रलाप, ताबूलभक्षण इत्यादि में कुछ समय बिताता। थोड़ा आराम करने के बाद तीसरे पहर उचित वेषभूषा पहने गोष्ठीविहार के लिये जाता। इस गोष्ठीविहार में उसकी काव्यसमस्याएँ तथा कलासमस्याएँ चलतीं।

साधारणतया नागरक का दैनिक क्रम इस प्रकार का रहता था। किन्तु उसकी विदग्धता नैमित्तिक गोष्ठियों में विशेष रूप से प्रकाशित हुआ करती थी। घटानिबन्धन, गोष्ठीसमवाय, समापानक, उद्यानगमन, समस्याक्रीडा आदि विविध प्रकार की गोष्ठियाँ होती थी।

काव्यसमस्या, धारणा, मातृकाभ्यास तथा चित्रायोग आदि कलाओं को प्रवर्तित करना चाहिये। ये सब कामशास्त्र की चौसठ कलाओं के अन्तर्गत हैं। समय समय पर एकान्त में अथवा परिमित परिषद् में (चुने हुए रसिकों की मण्डली में) अपने काव्य की शोधनपूर्वक परीक्षा करनी चाहिये। अनेकश. रसावेश में विवेक छूटता है। राजशेखर का विचार है कि इस प्रकार शोधन करने से विवेक आता है। (का. मी. ५२)। काव्यगोष्ठी में भाग लेने के लिये नागरक की कुछ अपनी योग्यता आवश्यक होती थी। काव्यशास्त्र का प्रठन इस प्रकार की योग्यता पाने के लिये अत्यन्त साधक होता था। दण्डी का कथन है—

तदस्तत्तन्द्रैरनिश सरस्वती श्रमादुपास्या खलु कीर्तिमीप्सुभिः ।
कृशो कवित्वेऽपि जनाः कृतश्रमा विदग्धगोष्ठीषु विहर्तुमीशते ॥

“ जिन्हें कीर्ति की अभिलाषा हो उन्हें अहोरात्र श्रमपूर्वक काव्यविद्या की उपासना करनी चाहिये। जो इस प्रकार परिश्रम करेंगे वे कवित्वशक्ति कृश रहने पर भी, विदग्धगोष्ठी में विहार करने में समर्थ रहेंगे। ”

कामसूत्र तथा काव्यमीमांसा में क्रमशः नागरक तथा कवि का जो दिनक्रम लिखा हुआ है, उस पर विद्वानों को विश्वास नहीं होता। उसमें वे अतिशयोक्ति की कल्पना करते हैं। उसे स्वीकार करने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि इन ग्रन्थों में दी गई सूचना पूर्ण रूप से कल्पित है। राजशेखर ने कवि के सबन्ध में जो कुछ बताया है, दण्डी तथा वामन के ग्रन्थों में भी वह पाया जाता है। राजशेखर ने निर्देशित किये हुए ‘ प्रश्नोत्तरभेदन ’ से समान ‘ प्रहेलिका ’ नामक भेद दण्डी ने ‘ काव्यादर्श ’ में दिया हुआ है। और कहा है कि प्रहेलिका क्रीडागोष्ठी में विशेष उपयुक्त होती हैं (२०)। चित्रायोग के अनेक प्रकार दण्डी ने काव्यादर्श के तीसरे परिच्छेद में तथा रुद्रट ने काव्यालंकार के पाँचवें अध्याय में दिये हुए हैं। इन सब का उपयोग काव्यगोष्ठी में होता था। काव्यगोष्ठी का अर्थ ही विदग्धगोष्ठी या नागरक गोष्ठी है। इस प्रकार नागरकगोष्ठी काव्यविवेचना के लिए एव काव्य के प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण केन्द्र था।

काव्यगोष्ठी में कवि की रचना प्रस्तुत होने पर उसकी केवल प्रशंसा ही होती थी सो बात नहीं। अनेकशः उसकी कड़ी आलोचना भी होती थी। इस सबन्ध में कवियों के लिए राजशेखर ने कहा है—अपनी कृति के लिए जनता की मान्यता क्या है यह जानना चाहिये। सतर्क रहना चाहिये कि जनता को वह असम्मत न हो।

२०. क्रीडागोष्ठीविनोदेषु तज्जैराकीर्णमन्त्रणे ।

परव्यामोहने चापि सोपयोगा प्रहेलिका ॥ (३।९७)

किन्तु जनता निरकुश होती है, इसलिये केवल जनापवाद से डरकर रहना भी ठीक नहीं। स्वयम् अपनी शक्ति को जानना चाहिये। कवि की अनुपस्थिति में उसके काव्य की प्रशंसा होती है। एवम् उसके देशांतर जाने के पश्चात् समाज उसकी महत्ता को समझता है। महाकवि की भी निकटवर्ती परिचितजन अवज्ञा ही करते हैं। प्रत्यक्ष कवि का काव्य, कुलस्त्री का रूप और घर के ही वैद्य की विद्या आज तक किसे अच्छी पसंद आई है? किन्तु, इस स्थिति में भी कवि के कीर्ति के प्रसार का वही एक मार्ग है। विदग्धगोष्ठी के कारण कवि की रचना समाज के सम्मुख प्रस्तुत होती है। सज्जन उसकी प्रशंसा करते हैं एवम् बाल, स्त्रियाँ आदि की मुखपरम्परा से उसका प्रचार होता है। (२१)

पूर्व 'घटानिबन्धन' नामक नैमित्तिक कवि गोष्ठी का वर्णन किया है। राज-शेखर विशेष रूप से कहता है कि स्वयम् राजा अगर कवि हो तो उसे इस प्रकार के कविसमाज (समेलन) का आयोजन करना चाहिये। केवल इतना ही नहीं, उसका कथन है कि काव्यपरीक्षा के लिए बड़े बड़े नगरों में 'ब्रह्मसभा' आयोजित करनी चाहिये और उनमें जो कवि प्रवीण या प्रमाणात् हो उसका ब्रह्मरथयान तथा पट्टबन्ध आदि से सम्मान करना चाहिये। काव्यगोष्ठी, कविसमाज तथा ब्रह्मसभा के द्वारा कवि के कवित्व की परीक्षा तथा उसके यश का प्रसार होता था तथा योग्यता के अनुसार उसे राजाश्रय प्राप्त होता था।

संस्कृत के साहित्यग्रन्थों में अनेक शिक्षाग्रन्थ क्यो लिखे गये होंगे, यह समझना अब सरल है। आधुनिक काल में हमें शिक्षाग्रन्थों का कोई महत्त्व तो रहा ही नहीं बल्कि शिक्षाग्रन्थों की ओर कुछ तिरस्कार से ही देखने की आधुनिक पण्डितों की प्रवृत्ति दिखाई देती है। किन्तु प्राचीन काल में काव्य का प्रसार काव्यगोष्ठी से ही होता था, काव्य भी, एक कला होने के नाते रसिक सभा में प्रदर्शित करना आवश्यक होता था, एवम् इसी कारण से यत्नपूर्वक काव्य की शिक्षा ग्रहण करना पड़ता था, इस पर ध्यान देने से पूर्व काल में शिक्षाग्रन्थों का महत्त्व क्यों था यह स्पष्ट हो जाता है। विदित होता है कि इस प्रकार की काव्यगोष्ठियों में ही साहित्यविवेचना के आरम्भ-कालीन ग्रन्थों की विचारसामग्री तैयार हुई है।

काव्यगोष्ठी में सरलता से काव्य के आस्वादन का आनन्द विदग्ध नागरक लिया करता था। आगे चल कर राजा कवि को आश्रय प्रदान करता था। ये दोनों रसिक रहते थे। इन दोनों से भिन्न तथा दोनों से कुछ विशेष योग्यता रखनेवाला काव्य का एक तीसरा भी रसिक होता था। वह था 'सहृदय'। काव्यगोष्ठी,

कविसमाज एवम् ब्रह्मसभा इन सभी में 'सहृदय' की उपस्थिति रहती थी। काव्यप्रेमी राजा तथा अन्य सदस्यों के साथ 'सहृदय' भी काव्य के आस्वादन का आनन्द लिया करता था। किन्तु इसीमें उसे इतिकर्तव्यता नहीं। काव्य के आस्वादन की उपपत्ति खोजने का भी वह प्रयास करता था; उसने जो काव्य पढ़े हो अथवा सुने हुए हो उनके गुण तथा दोषों का वह विवेक करता; समय समय पर काव्य के सम्बन्ध में अपना विचार भी वह प्रस्तुत किया करता था। एक दृष्टि से 'सहृदय' स्वयम् कवि के काव्य का आलोचक भी रहता था तो दूसरी दृष्टि से काव्यचर्चा के सिद्धान्तों का वह प्रस्थापक भी होता था। कविसमाज का सदस्य होने के नाते, प्रस्तुत किये गये काव्य पर वह अपनी समति भी देता था और समति देने में काव्य के सिद्धान्तों की विवेचना भी किया करता था। इस प्रकार की विवेचना ही शनैः शनैः शास्त्र में परिणत हुई। विदग्ध-गोष्ठी में सभी नागरक रसिक रहा करते थे, किन्तु सभी के पास विवेचना की प्रज्ञा होना सम्भव नहीं है। इस लिए, सारस्वत के 'किमपि रहस्य' के अन्वेषण का प्रयास वे सब करते ही थे, यह असम्भव है। इस रहस्य के अन्वेषण का कार्य विमलप्रतिभावान् 'सहृदय' ने किया और इसी अपूर्व प्रयास के कारण वह काव्य के लिए एक निकष बना।

'सहृदय' ही काव्य के आस्वादन का मूल अधिकारी है। अभिनवगुप्त कहते हैं— "अधिकारी चात्र विमलप्रतिभानशाली सहृदय।" एक और है काव्य का निर्माता कवि, दूसरी ओर है तन्मयभाव से काव्य का आस्वाद ग्रहण करनेवाला 'सहृदय'। कवि तथा 'सहृदय' के हृदयसवाद के लिए अत्यन्त उपकारक साधन है—शब्दार्थमय काव्य, तथा रसिक जिनसे आनन्दमयी अवस्था को प्राप्त होता है उन शब्दार्थों के स्वरूप की विशेष रूप से विवेचना जिस शास्त्र में होती है वह शास्त्र है—काव्यशास्त्र या साहित्यशास्त्र। साहित्यशास्त्र के नियमों की रचना में 'सहृदय' ने अन्य अनेकों शास्त्रों से लाभ उठाया है। किन्तु ऐसा करने में उसने जीवन को—लौकिक अनुभव को अपनी दृष्टि से क्षणभर के लिये भी ओझल नहीं होने दिया। जीवनानुभव के ठोस भित्ति पर साहित्य भवन की सृष्टि करने में जहाँ कहीं किसी शास्त्र से लाभ हो सकता था वहाँ उसने अवश्य लाभ उठाया है। और तो क्या, सभी शास्त्रों का सार निचोड़ कर, उनके यथावत् मेल से जीवन की जिस रमणीय मूर्ति को उसने अंकित किया वही है साहित्यविद्या। इसी हेतु, साहित्यविद्या में सभी विद्याओं का सार मिलता है। राजशेखर का कथन है—पञ्चमी साहित्यविद्या, सा तु सर्वासा विद्यानाम् निष्यद।"

साहित्यग्रन्थों के अध्ययन की चतुःसूत्री

संस्कृत ग्रन्थों से अलंकारशास्त्र का अध्ययन करने में कुछ एक बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। काव्यप्रकाश अथवा साहित्यदर्पण के अध्ययन से काव्य के भिन्न

विट, चेट, नायिका की अनेकानेक सखियों अथवा कामतन्त्र में सचिवत्व करनेवाली स्त्रियों इन सबका प्राचीन साहित्य ग्रन्थों में वर्णित स्वरूप, ४०।५० वर्ष पूर्व के ग्रामीण जीवन में कुछ अंश में पाया जाता था इस बात पर ध्यान देने से साहित्य ग्रन्थों में किये गये इस वर्णन का महत्त्व स्वीकृत होता है। जिस प्रकार व्याकरण प्रयोगशरणा होता है ठीक उसी प्रकार साहित्यशास्त्र भी साहित्यशरण होता है, और अगर साहित्यशास्त्र में किये गये वर्णनो का साक्षात् जीवन के स्तर से स्पष्टीकरण हो सका तो उन वर्णनो का महत्त्व और भी विशद रूप में प्रतीत होता है।

२. प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति—यह नियम सभी शास्त्रो के लिये सत्य है। शास्त्रीय ग्रन्थो की रचना किस प्रकार होती है यह इस नियम से विदित होता है। शास्त्र में अनेक विषयो की प्रक्रिया बताई जाती है। जिसके सम्बन्ध में सम्पूर्ण प्रक्रिया बताई गई हो वह है प्रधानवस्तु। पीछे वही प्रक्रिया कुछ अंश में बदल कर अन्य वस्तुओ को लागू की जाती है। जिन वस्तुओ को वह लागू होती है उन्हें प्रधान-वस्तु के ही वर्ग में रखा जाता है तथा उस वर्ग को प्रधान वस्तु का ही नाम दिया जाता है। यही शास्त्रो में बताया गया प्रधान वस्तु व्यपदेश है। शास्त्रीय ग्रन्थो की रचना की यह एक रीति है। इस रीति से शास्त्रीय विवेचन-विशद होती है। साहित्यशास्त्रो के ग्रन्थ लिखने में इस पद्धति का अनुसरण किया गया है इस बात पर ध्यान न देने से अनेक विद्वानो को भ्रान्ति हुई है। उदाहरण के रूप में साहित्यग्रन्थो में दी गई रसप्रक्रिया ही लीजिये। रस के सम्बन्ध में बताई गई प्रक्रिया रस के समान ही भाव, रसाभास, भावाभास, भावोदय, भावशान्ति, भावाशबलता इत्यादि को भी लागू होती है। रस के समान भाव आदि का काव्यात्मत्व भी शास्त्रकारों ने स्वीकार किया है। “काव्य में रस प्रधान होता है” यह शास्त्रकार, वचन, भाव, आदि के प्राधान्य के सम्बन्ध में भी सत्य है। “प्रतीयमानस्य अन्यभेददर्शनेऽपि रसभावमुखेनैव उपलक्षणं प्राधान्यात्” कहते हुए आनन्दवर्धन ने रस के साथ भाव का भी प्राधान्य माना है। अभिनवगुप्त ने “व्यभिचारिणोऽपि प्राणत्वम्” बताया है। केवल इतना ही नहीं, तो “रसभावशब्देन च तदाभासतत्प्रशमावपि सगृहीतौ एव, अवान्तरवैचित्र्येऽपि तदेकरूपत्वात्” इन शब्दो में रस, भाव तथा उनकी भिन्न भिन्न छटाओ (Shades) की एकजातीयता बताई है। “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्” इस प्रकार काव्य का लक्षण करनेपर, “रसात्मकम्” शब्द की व्याप्ति बताते हुए विश्वनाथ कहता है—“रस्यते इति रसः इति व्युत्पत्तियोगात् भावतदाभासादयोऽपि गृह्यन्ते।” यहाँ उसने “रस” शब्द का “रस्यमानता” के अर्थ में प्रयोग किया है, तथा भाव आदि में भी रस्यमानता होने से, उनमें भी काव्यात्मत्व स्पष्टरूप से स्वीकार किया है। इसी को वह “रसधर्मयोगित्वात् भावादिष्वपि

सिद्धपरमतानुवाद है। साहित्यशास्त्र के ग्रन्थों में इस प्रकार का अनुवाद अनेक स्थानों पर किया गया है (२५)। अनुवाद करने में, अनूदित सिद्धान्त की विवेचना या व्याख्यान के लिये शास्त्रकार समय देता नहीं। वह व्याख्यान हमें अपने आप ही स्वतंत्र रूप से समझ लेना चाहिये। अन्य शास्त्रों के सिद्धान्तों के समान, साहित्यशास्त्र के सम्बन्ध में अन्य ग्रन्थकारों के जो मान्य विचार हों उनका भी शास्त्रकार अनुवाद मात्र करते हैं, और आगे बढ़ते हैं। इससे ग्रन्थ की रचना संक्षेप में हो सकती है। इस प्रकार के अनूदित विचार हमें मूल ग्रन्थों से समझ लेने पड़ते हैं; एवम् प्रकृत ग्रन्थ में उनका सम्बन्ध भी जोड़ लेना पड़ता है। किसी बात का किसी ग्रन्थकार ने केवल निर्देश ही किया है, उसकी विवेचना के लिए अपेक्षाकृत अधिक पृष्ठ नहीं दिये इसलिये, उसे वह मानता नहीं था या वह बात उसे स्वीकार नहीं थी इस प्रकार शीघ्र ही हम परिणाम पर पहुँचते हैं, यह हमारी भूल है। भामह के सम्बन्ध में अनेक विद्वानों की यह भूल हुई है (२५)।

इन चार नियमों को साहित्यशास्त्र के ग्रन्थों के अध्ययन की चतुःसूत्री कहा जा सकता है। इन नियमों के अनुसार ग्रन्थ का अर्थ करना नितान्त आवश्यक है। इन नियमों की ओर ध्यान न देने से अनुचित परिणाम निकल सकते हैं।

२४. सिद्धपरमतानुवाद का एक अच्छा उदाहरण वामन के काव्यालंकारसूत्रवृत्ति में है। पाँचवें अधिकरण के प्रथम अध्याय में 'स्तनादीनां द्वित्वाविष्टा जातिः प्रायेण' सूत्र है। इस सूत्र की वृत्ति में वामन ने लिखा है—

“अथ कथं द्वित्वाविष्टत्वं जाते । तद्धि द्रव्ये न जातौ । अतद्रूपत्वात् जातेः । न दोषः । तदतद्रूपत्वात् जाते । कथं तदतद्रूपत्वं जातेः । तद्धि जैमिनीया जानन्ति । वयं तु लक्ष्यसिद्धौ सिद्धपरमतानुवादिनः । न चैवमतिप्रसंगाः । लक्ष्यानुसारित्वान्यायस्य ॥”

यहाँ वामन ने लक्ष्यसिद्धि के लिये मीमांसकों के सिद्ध मत का अनुवाद किया है : मीमांसकों का यह मत ऐसा ही क्यों ? इस प्रश्न पर “यह मीमांसक जानते हैं, वही देखें।” यह उसका उत्तर है। काव्यगत वस्तुस्थिति का जिससे स्पष्टीकरण हो ऐसा न्याय खोजने का ही साहित्य के मीमांसकों का कार्य है। वह न्याय वैसा ही क्यों यह समझाने का कार्य उस शास्त्र का है जिससे वह लिया गया हो। काव्यशास्त्र में जिन न्यायों का उपयोग किया गया वे वस्तु विवेचना के लिये उपयुक्त थे इस कारण लिये गये। न्याय के होने से वस्तुस्थिति में फर्क नहीं होता। काव्यशास्त्र काव्यानुसारी है यही वामन यहाँ सूचित करता है।

२५. डॉ. शंकरन्, श्री. रामस्वामी, डॉ. De आदि के भामह के सम्बन्ध में विचार देखें। इन विचारों की आलोचना आगे की है।

आजकल के अध्ययन करनेवालों की कुछ कठिनाइयाँ—

इसके अतिरिक्त और भी कई कठिनाइयाँ हमने ही निर्माण कर रखी हैं। आजकल विश्वविद्यालयों में साहित्यशास्त्र का सम्पूर्ण ग्रन्थ अध्ययन के लिये नियुक्त नहीं होता। केवल एक या दो अध्याय ही नियुक्त किये जाते हैं। उस पर से इस शास्त्र के सम्बन्ध में सामान्य ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया जाता। इस स्थिति में रस, रीति, गुरा, वक्रोक्ति, अलंकार इत्यादि के सम्बन्ध में हम कुछ गलत धारणाएँ बना लेते हैं एवम् प्राचीन ग्रन्थों के विषय में मन चाहे परिणाम निकालते रहते हैं।

आजकल अनेक विद्वानों ने रस सिद्धान्त की पुनर्व्यवस्था करने का प्रयास आरम्भ किया है। इस प्रयास में भी उन्होंने शास्त्रीय दृष्टिकोण का आवश्यक निश्चय नहीं रखा है। उदाहरणस्वरूप, 'रसविमर्श' ग्रन्थ में वीररस की विवेचना में वीररस के उत्साह स्थायी भाव के स्थान पर 'अमर्ष' स्थायी रखने का प्रस्ताव किया गया है। 'अमर्ष' वीररस का स्थायी हो सकता है या नहीं इस प्रश्न को क्षण-भर के लिये छोड़ भी दिया और इस प्रकार स्थायी बदला जा सकता है यह स्वीकार भी कर लिया, तो भी कहना पड़ता है कि इस प्रकार स्थायी बदलने से समूचे शास्त्र पर क्या परिणाम हो सकते हैं इस बात पर ग्रन्थकार ने जरा भी ध्यान नहीं दिया। प्राचीन शास्त्रकारों ने उत्साह स्थायी मान कर युद्धवीर, दानवीर, दयावीर, इत्यादि व्यवस्था की। वीर का 'उत्साह' स्थायी हटा कर उसके स्थान पर 'अमर्ष' प्रतिष्ठित करने से इस व्यवस्था में फर्क होगा। इस प्रकार जब फर्क होगा तब, पहले जहाँ जहाँ उत्साह का सम्बन्ध था वहाँ अब अमर्ष का सम्बन्ध रहेगा। इस स्थिति में, अमर्ष के स्थायी होने के कारण पूर्व शास्त्र की पुनर्व्यवस्था करना आवश्यक होगा, एवम् यह व्यवस्था सम्पूर्ण शास्त्र के लिये किस प्रकार उपकारक सिद्ध होती है यह भी दर्शाना होगा। अन्यथा वह पुनर्व्यवस्था नहीं कहलायेगी। पूर्व शास्त्रव्यवस्था में परिवर्तन करते हुए नये प्रस्ताव रखने का कार्य, सुप्रतिष्ठित विधि में Amendment का प्रस्ताव रखने के समान ही महत्वपूर्ण है। केवल एक स्थान में परिवर्तन करने का प्रस्ताव रखने से काम नहीं चलता। उस परिवर्तन का समूचे शास्त्रव्यवस्था पर होनेवाला परिणाम तथा उसके लिये आवश्यक पुनर्व्यवस्था स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। रसविवेचना के सबन्ध में भी रसविमर्श तथा तत्सदृश 'अभिनवकाव्यप्रकाश' आदि अन्य ग्रन्थों में इसी प्रकार भ्रान्ति हुई है। रसप्रक्रिया के सम्बन्ध में ये विद्वान् अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिसिद्धान्त ग्राह्य समझते हैं किन्तु आनन्दमीमांसा में परिपुष्टिवाद के आश्रय से रस के सुखदुःखात्मक होने का परिणाम निकालते हैं। यह अर्धजर्तीय न्याय है। प्राचीन ग्रन्थों में 'आनन्दवाद' तथा 'सुखदुःखवाद' की परम्पराएँ हैं किन्तु उनमें इस प्रकार विचारों की भ्रान्ति नहीं

है। अभिनवगुप्त की उपपत्ति से हम 'आनन्दवाद' पर पहुँचते हैं और दण्डी, वामन, लोल्लट, शकुन आदि के परिपुष्टिविचार से 'सुखदुःखवाद' पर्यवसित होता है इस बात को प्राचीन ग्रन्थकारों ने भलीभाँति ध्यान में रखा है। इस हेतु उनकी रसमीमासा में भ्रान्ति नहीं है। इसके अतिरिक्त, ध्वनि एक पद्धति है, क्षमेन्द्र का स्वतन्त्र औचित्यविचारसम्प्रदाय है, रस जितना आस्वाद्य है उतना रसाभास नहीं आदि मत भी इसी प्रकार बनाये गये हैं।

आजकल के अध्ययन करनेवालों का उत्तरदायित्व

इस स्थिति में, ऐसे ग्रन्थ आज विश्वविद्यालयों में प्रविष्ट हुए हैं। और सभ्य है कि मूल संस्कृत ग्रन्थों का स्थान उन्हें प्राप्त होगा। संस्कृत ग्रन्थों का मूल से अध्ययन करने की विद्यार्थियों की प्रवृत्ति दिनप्रतिदिन कम होती जा रही है। इस दशा में, बिना मूल ग्रन्थों से तुलना किये ही इन ग्रन्थों को मूल ग्रन्थों की प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। इन ग्रन्थों में साहित्यविचार का जो दर्शन कराया गया है, वैसाही वह मूल ग्रन्थों में है ऐसी भ्रान्ति भविष्यत् काल में विद्यार्थियों को होने की संभावना है।

इस अवस्था में संस्कृत के विद्वानों पर एक उत्तरदायित्व आता है। संस्कृत ग्रन्थों के विचारों का उन्हें सत्यदर्शन कराना चाहिये। संस्कृत ग्रन्थों में जिस प्रकार विचार हुआ है उसी प्रकार उसे प्रस्तुत करना चाहिये। उस पर से प्राचीन शास्त्रकारों का कहना स्पष्टरूप में विदित हो जायगा, मूल विचार पूर्ण रूप में अभ्यासको के समक्ष प्रस्तुत होने से उसकी श्रेष्ठकनिष्ठता निर्धारित हो जायगी। इन विचारों को प्रस्तुत करने में आग्रह रखने का कोई कारण नहीं। "अब रसव्यवस्था का अडगा निकाल लेना चाहिये।" ऐसा अग्रर किसीने कहा तो हम चिढ़ जाते हैं; और फिर "हमारे संस्कृत ग्रन्थों में सभी कुछ है" इस आग्रह से प्रेरित होते हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। संस्कृत ग्रन्थों के विचार पाठकों के समक्ष यथार्थ रूप में प्रस्तुत करना ही हमारा प्रधान कार्य है। वे विचार एकबार अभ्यासको के समक्ष प्रस्तुत होने पर, विचारों की आज की धारणा में वे कहीं तक ग्राह्य अथवा अग्राह्य हैं यह आपही निर्धारित हो जायगा। "हेमन्त संलक्षयते ह्यनौ विशुद्धिः श्यामिकाऽपि वा।"

इसलिए यथार्थतः मूल संस्कृत ग्रन्थों के भाषानुवाद होने चाहिये। इससे भरत, भामह, आनन्दवर्धन, अभिनवगुप्त अथवा मम्मट क्या कहते हैं यह अभ्यासको को प्रत्यक्षरूप में विदित होगा। दूसरों के मुख से सुनने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। यथार्थतः ऐसा काम कोई संस्थाही कर सकती है। अकेला व्यक्ति यह बोझ नहीं उठा सकता। किन्तु तबतक बैठे रहने का भी कोई कारण नहीं। संक्षेप में क्यों न हो वह स्वरूप पाठकों के समक्ष प्रस्तुत होना चाहिये। ऐसा करने से, कम से कम इस शास्त्र की रूपरेखा तो ज्ञात होगी। ऐसा ही प्रयास इस ग्रन्थ में किया गया है।



नाट्यशास्त्र में काव्यचर्चा

साहित्यशास्त्र के उपलब्ध
ग्रन्थों में भरतमुनि

विरचित नाट्यशास्त्र प्राचीनतम है। परम्परा के अनुसार अग्निपुराण ही प्रथम ग्रन्थ माना जाता है। सभी पुराणग्रन्थ व्यासविरचित है इस श्रद्धा से अगर उसे प्रथम ग्रन्थ मान लिया जाय तो कोई आपत्ति नहीं। किन्तु इतिहास के प्रमाणों के अनुसार अग्निपुराण ईसा की सातवीं शताब्दि से नवीं शताब्दि के काल में लिखा गया सिद्ध हुआ है। स्वयम् नाट्यशास्त्र में भी प्राचीन लेखकों के निर्देश है एवम् पारिणि की अष्टाध्यायी में नटसूत्रों का निर्देश है। परन्तु वे ग्रन्थ अब उपलब्ध नहीं है। इस कारण भरतमुनि के नाट्यशास्त्र से ही विवेचना आरम्भ करना ठीक होगा।

नाट्यशास्त्र की रूपरेखा

माना जाता है कि नाट्यशास्त्र की रचना ईसवी पूर्व २०० से सन् २०० ईसवी तक के काल में हुई। इस ग्रन्थ की श्लोकसंख्या सात सहस्र है। और नाट्य के सभी अंग तथा उपागों की सूचना इसमें संग्रहीत है। विस्तार के भय से इस ग्रन्थ का सार भी यहाँ दिया नहीं जा सकता। केवल उसकी रूपरेखा मात्र दी जा सकती है। निम्न रूपरेखा नाट्यशास्त्र के निर्णयसागर संस्करण से दी जाती है।

नाट्यवेद अर्थात् नाट्यशास्त्र का निर्माण कैसे हुआ यह प्रथम अध्याय में बताया गया है। ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ्य, यजुर्वेद से अभिनय, सामवेद से गीत तथा अथर्ववेद से रस लेकर नाट्यवेद निर्माण किया और वह भरतमुनि को प्रदान किया। दूसरे अध्याय में नाट्य मंडप की रचना का वर्णन है। तीसरे अध्याय में रगदेवता का पूजाविधान है। चौथे अध्याय में तांडवनृत्य तथा पाँचवे अध्याय में पूर्वरग, प्रस्तावना तथा नादी वर्णित है। छठे अष्टाध्याय में तथा सातवें भावाध्याय

प्रारम्भ में दी गई किम्बदन्ती

प्रारम्भ में दी गई किम्बदन्ती ही देखिये। ललित साहित्य की ओर हम किस दृष्टि से देखें यह इसमें बताया गया है। पूर्वकाल की बात है। त्रेतायुग में इन्द्र आदि देवता ब्रह्माजी के निकट गये और उन्होंने ब्रह्माजी से प्रार्थना की, “क्रीडनीयक-मिच्छामो दृश्य श्रव्य च यद् भवेत्” — जो श्रवण के लिए मधुर एवम् देखने के लिए सुंदर हो ऐसी क्रीडा हम चाहते हैं। ब्रह्माजी ने कहा “ठीक है” और ऋग्वेद आदि चार वेदों से आवश्यक अंश सगृहीत कर सब के ग्रहणयोग्य नाट्यवेद का निर्माण किया। फिर इन्द्र को बुला कर ब्रह्माजी ने कहा, “तुम लोगों में जो कुशल, विदग्ध, प्रगल्भ और जितश्रम हो उन्हें यह नाट्यवेद दो।” किन्तु देवताओं में इन गुणों से युक्त कोई था नहीं। इस लिए इन्द्र ने कहा, “पितामह, इस वेद के ग्रहण, धारण, ज्ञान अथवा प्रयोग में देवतागण समर्थ नहीं हैं, क्योंकि आपने जिन गुणों की अपेक्षा की है वे उनमें नहीं हैं।” तब ब्रह्माजी ने वह नाट्यवेद भरतमुनि को प्रदान किया। भरतमुनि ने अपने लडको को नाट्यवेद पढाया और जिसके लिए जो काम योग्य था उसे वह देकर, भारती, आरभटी और सात्वती वृत्तियों से युक्त नाट्यप्रयोग सिद्ध किया। भरतमुनि की सिद्धता देखकर ब्रह्माजी ने कहा, “इस प्रयोग में कैशिकी वृत्ति का भी उपयोग करो।” इस पर भरत ने प्रार्थना की, “भगवन्, सिवा स्त्रीजनो के कैशिकी वृत्ति का प्रयोग असंभव है।” तब ब्रह्माजी ने नाट्यालंकार में चतुर अप्सराएँ भरत को दी।

तत्पश्चात्, थोड़े ही दिनों में इन्द्रध्वज नाम का उत्सव हुआ। उस अवसर पर भरत ने अपने नाट्य का प्रयोग प्रस्तुत किया। उसकी कथावस्तु का आशय था देवताओं ने दानवों पर पाई हुई विजय। प्रयोग चल ही रहा था कि दानवों ने उसके मध्य में विघ्न उपस्थित किये। तब ब्रह्माजी ने दानवों से पूछा, “दैत्यों, तुम प्रयोग में बाधा क्यों पहुँचा रहे हो?” इसपर विरूपाक्ष नामक दैत्य ने कहा, “पितामह, आपने देवताओं की इच्छा के अनुकूल यह नाट्यवेद निर्माण किया है। इसमें आपने हमारा प्रत्यादेश अर्थात् तिरस्कार दर्शाया है। यह आपके लिए उचित नहीं। देव और दानव दोनों आपसे ही निर्माण हुए हैं। अत एव आपको दोनों पर समान दृष्टि रखनी चाहिये।” इसपर ब्रह्माजी ने उत्तर दिया, “दैत्यों, तुम्हें क्रोध भी नहीं करना चाहिये और विषाद भी नहीं करना चाहिये। नाट्यवेद मैंने किस प्रकार निर्माण किया इसपर ध्यान दो—

भवतां देवताना च शुभाशुभ-विकल्पकै ।

कर्मभावान्वयापेक्षी नाट्यवेदो मया कृतः ॥

१ साहित्यकार के आवश्यक गुण—नाट्यवेद अर्थात् काव्यशास्त्र के ग्रहण, धारण, ज्ञान एवम् प्रयोगके लिए साहित्यकार की कुछ विशेष योग्यता आवश्यक है। अन्य प्रकार से देवतागण श्रेष्ठ तो जरूर थे किन्तु नाट्य एवम् काव्य धारण करने के लिए आवश्यक गुण उनमें नहीं थे। कुशलता अर्थात् विवेचकशक्ति, वैदग्ध्य, प्रगल्भता तथा जितश्रमता अर्थात् आलस का अभाव ये गुण कवि अथवा नाट्यकार के लिए आवश्यक हैं। ये गुण न हो तो काव्य का निर्माण नहीं हो सकता। केवल इतना ही नहीं, रसिकता भी प्राप्त नहीं हो सकती।

२ कैशिकी अर्थात् सौंदर्यव्यापार— बिना कैशिकी के नाट्य अथवा काव्य हो नहीं सकता। “कैशिकी” ललित वृत्ति है। नाट्य अथवा काव्य का विषय कुछ भी हो, उसमें वैचित्र्य अर्थात् लालित्य न हो तो वह नाट्य अथवा काव्य नहीं हो सकता। भरत के नाट्य प्रयोग में देवता और असुरों के युद्ध की कथावस्तु थी। अर्थात् वह नाट्य का डिम या समवकार नामक भेद था एवम् उसमें प्रधान रस वीर या रौद्र था। किन्तु उसमें कैशिकी आवश्यक थी। उसमें वैचित्र्य या लालित्य होना जरूरी था। कैशिकी का अर्थ है सौंदर्यव्यापार। अभिनवगुप्त कहते हैं। “सौंदर्योपयोगी व्यापार कैशिकीवृत्ति।” उनका कथन है कि काव्य में जो भी कुछ लालित्य है वह सब कैशिकी के ही कारण है। (एव यत्किञ्चित् लालित्य तत्सर्वं कैशिकीविजृम्भितम्।)। अनेक विद्वानों की यह धारणा है कि कैशिकी का शृंगार से ही संबन्ध है। यह ठीक नहीं। अन्य रसों से भी उसका सम्बन्ध है। वीर अथवा रौद्र रस को ‘आरभटी’ वृत्ति अभिव्यक्त करती है किन्तु काव्य एव नाटक में इन रसों की अभिव्यक्ति में जो सौंदर्य या वैचित्र्य प्रतीत होता है वह कैशिकी है। कोई भी रस क्यो न हो उसकी अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक अभिनय में वैचित्र्य एवम् सौंदर्य का होना आवश्यक है। वह अगर उसमें न हो तो रस की अभिव्यक्ति ही नहीं हो सकती (१)। अतएव अभिनवगुप्त ने कहा है, “इति सर्वत्र कैशिकी प्राणा।” मुनि भरत ने भी कैशिकी को “नृत्याङ्गहार-सपन्ना रसभावक्रियात्मिका” कहा है एवम् उसकी प्रतीकस्वरूप अप्सराएँ ‘नाट्यालकारचतुर’ थीं ऐसा कहा है। नाट्यालकार का अर्थ है नाट्यवैचित्र्यहेतु। नाट्यालकार की विवेचना अनुपद की जायगी।

३. साहित्य को हम किस दृष्टि से देखें— काव्य नाटक आदि को हम किस दृष्टि से देखें यह भी उपर्युक्त किम्बदन्ती से स्पष्ट होता है। देवताओं ने दैत्यों को

१६. रौद्रादिरसाभिव्यक्तौ अपि कर्तव्यतायां योऽभिनयः उपादीयते सोऽपि सुंदरवैचित्र्य-व्याप्तिं णुया दुःश्लिष्टः अश्लिष्टो वा न रसाभिव्यक्तिहेतुर्भवति।

उसमें ब्राह्मण तथा ऋषियों का मजाक उड़ाने के उद्देश्य से उनके ग्राम्यधर्म दिखाएँ। यह शिल्पक ऋषिमुनियों के समक्ष ही खेले। अपना इस तरह व्यक्तिगत मजाक किया हुआ देख कर मुनि क्रुद्ध हुए और क्रोध से उन्होंने भरतपुत्रो को शाप दिया—

यस्मात् ज्ञानमदोन्मत्ता न विद्याविनयान्विता ।

तस्मादेतद्धि भवता कुज्ञान नाशमेष्यति ॥

“तुम लोग ज्ञान से उन्मत्त हुए हो। विद्या से जो विनय आता है उसका तुम लोगों में पूर्ण रूप से अभाव है। इसलिये तुम्हारा यह कुज्ञान नष्ट हो।” यह शाप सुनकर भरतपुत्रो को अनुताप हुआ और उन्होंने ऋषियों की शरण ली। तब ऋषियों ने कहा, “तुम्हारी विद्या ससार में चलती रहेगी किन्तु तुम्हें फिर से प्रतिष्ठा प्राप्त न होगी।” तत्पश्चात् वे भरतपुत्र भरतजी के पास पहुँचे और उन्हें सब सम्वाद कह सुनाया। इसपर भरतजी ने कहा, “तुम्हें यह प्रायश्चित्त तो करना ही पड़ेगा। अब अपना ज्ञान दूसरो को दो जिससे वह बना रहेगा। सिवा इसके दूसरा कोई चारा नहीं।” लब्धप्रतिष्ठ कलाकारो ने भी अग्रर कला की सीमा को तोड़ दिया तो उनकी प्रतिष्ठा नष्ट होती है यही इस जनश्रुति का अभिप्राय है।

अब स्पष्ट होगा कि कुशलता, विदग्धता, प्रगल्भता एवम् जितश्रमता इन गुणो की काव्यशास्त्र के ग्रहण के लिए आवश्यकता क्यों है? नाट्य के अनकूल अवस्था को जानने के लिए कुशलता चाहिये। विदग्धता न होने से दर्शक व्यक्ति-निरपेक्षता से नाटक देख ही नहीं पाएंगे। प्रगल्भता न हो तो कवि अपने स्तर को छोड़ देगा और भरतपुत्रो के समान कला को नकल के लिए प्रयुक्त करेगा। और बिना जितश्रमता के इसमें से कुछ भी नहीं बन सकता। कवि तथा रसिक में अग्रर जितश्रमता नहीं है तो वे दोनों भी अभ्यासहीन होकर विकारो के वश में हो जायेंगे।

५. “लोकस्वभाव का अभिनय के द्वारा दर्शन ही नाट्य है— नाट्य है भावों की तथा अवस्थाओं की अनुकृति। इस अनुकृति में सौंदर्यव्यापार अभिप्रेत है ही। मतलब यह कि नाट्य के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है। एक यह कि लोकवृत्त में देखे जानेवाले भाव तथा अवस्थाएँ। इसे लोकस्वभाव कहते हैं। दूसरी बात है सौंदर्यव्यापार। लोकस्वभाव जब सौंदर्यव्यापार के द्वारा अभिव्यक्त होता है तब वह नाट्य होता है। मुनि भरत ने यह निम्न रूप में बताया है—

योऽयं स्वभावो लोकस्य सुखदुःखसमन्वितः ।

अगाद्धभिनयोपेत. नाट्यमित्यभिधीयते ॥ (१।१।१६)

इनमें से लोकस्वभाव में भाव-एवम् अवस्था का अन्तर्भाव होता है। तथा सौंदर्यव्यापार अभिनय से संपन्न होता है। इस श्लोक के व्याख्यान में अभिनव-

गुप्त कहते हैं—साधारणता को प्राप्त हो कर, रसिको को (दर्शको को) स्वस्वरूप से आस्वाद्य होनेवाला भावरूप अर्थ, अंग आदि अभिनय के द्वारा उनके सविदर्पण में सक्रान्त होना ही नाट्य है (२)। इस का अर्थ यह है कि नाट्य का फल लोकस्वभाव का दर्शन तो है ही। किन्तु उसका एकमात्र साधन अभिनय ही है। नाट्य है अभिनय रूप साधन के द्वारा लोकस्वभाव का दर्शन अन्य किसी प्रकार से वह दर्शन होने पर भी वह नाट्य नहीं होता। इसी कारण से भरत मुनि ने लिखा है—‘अनेकभेदबहुलं नाट्यमस्मिन् (अभिनये) प्रतिष्ठितम्। (८।८)

लोकधर्मी व नाट्यधर्मी

किन्तु अभिनय रूप साधन के द्वारा भावो का तथा अवस्थाओ का प्रकटन कैसा होता है? भरतमुनि का कथन है कि यह प्रकटन लोकधर्मी तथा नाट्यधर्मी इन दो प्रकार के नाट्यधर्मों से होता है। एक दृष्टि से कह सकते हैं कि ये दोनों नाट्यधर्म ही अभिनय की इतिकर्तव्यता है (३)। इस इतिकर्तव्यता की विशेष विवेचना रस के अध्याय में होगी। यहाँ इतना ही ध्यान रहे कि ‘लोकधर्मी’ अनुभावाभिनय से सबद्ध है तो नाट्यधर्मी नाट्यस्थित सौदर्यव्यापार से सम्बद्ध है।

लोकधर्मी तथा नाट्यधर्मी के स्वरूप तथा सम्बद्ध के विषय में चर्चा करते हुए अभिनवगुप्त कहते हैं—“दोनों भी धर्मी लोकस्वभाव का अनुवर्तन करते हैं। लोक का अर्थ है जनपदनिवासी जनसमुदाय। उनका स्वभाव उनके वृत्तिप्रवृत्तियों से प्रकट होता है। भरतमुनि ने इन वृत्तिप्रवृत्तियों की पहले सूचना दी, और कहा कि तत्तत् देशों के नाट्यप्रयोगों में तत्तत् वृत्तिप्रवृत्तिविशेषों के द्वारा भावो का एवम् अवस्थाओ का दर्शन कराना चाहिये जिससे दर्शको की प्रतीति का विधात न होगा (४) इन प्रवृत्तियों से ही द्विविध धर्मी सम्बद्ध है। नाट्यस्थित अभिनय तत्तत् लोकप्रवृत्तिविशेषों से सबद्ध होना चाहिये। साथ ही वह सौदर्य से ओतप्रोत

२ लोकस्व सर्वस्य साधारणतया स्वत्वेन भाव्यमान चर्वमाण अर्थ. नाट्यम्।.. स कथं गोचरीभवति इत्याह अंगघमिनयैरुपेतः उपसमीपमितः सविदर्पणमभिसक्रान्तः, एवं भूतो योऽर्थः, तन्नाट्यम् ॥ (अ. भा. भाग १, पृ ४४)

३ अभिनयस्य द्विविधा इतिकर्तव्यता - लोकधर्मी, नाट्यधर्मी च। (अ. भा. भाग २, पृ २५)

४. येषु देशेषु या पूर्वं प्रवृत्तिः परिकीर्तिता।

तद्वृत्तिकाणि रूपाणि तेषु तज्ज्ञः प्रयोजयेत् ॥ (ना. शा. १३।५६)

इसपर अभिनवगुप्त कहते हैं ‘देशाद्यौचित्ये तच्चेष्टितव्यावर्तनेन प्रतीतिविधाताद्रसमयत्वाभावः। रसाश्च नाट्यस्य प्राणाः। व्युत्पातरपि वा परेव भवेत्। असत्यताश्च न समूल्घातं विहन्यादेव प्रयोगम्, इत्यनेनाभिप्रायेण—तद्वृत्तिकाणि इति। (अ. भा. भाग २, पृ. २११)

भी होना आवश्यक है। इसमें, लोकप्रवृत्तियो से सम्बन्धी अभिनयाश 'लोकधर्मी' है एव अभिनय का ही सौदर्याधायक अश "नाट्यधर्मी" है (५)।

वैसे तो नाट्य ने लौकिक धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म ही नहीं होता। फिर भी कवि और नट अपने नाट्यको और प्रयोगो में आकर्षण निर्माण करने के हेतु लोकागत प्रक्रिया पर अपनी कल्पना का सस्कार करते हैं और इस प्रकार उसे सौदर्य-शाली बनाते हैं। ऐसे नाट्याश में 'नाट्यधर्मी' होती है। लोकधर्मी ही नाट्यधर्मी का आधार है। भित्ति तथा उसमें सौदर्य का आधायक चित्र या रंग इन दोनों में जिस प्रकार आधार और आधेय का सम्बन्ध होता है उसी प्रकार लोकधर्मी एव नाट्यधर्मी में सम्बन्ध होता है (६)। ठीक है कि चित्र या रंग भित्ति के आधार के बिना नहीं रह सकता, किन्तु भित्ति में भी चित्र या रंग के बिना सौदर्य नहीं आ सकता। उसी प्रकार, लोकधर्मी के आधार से ही नाट्यधर्मी रहती है किन्तु लोकधर्मी का सौदर्यमय आविर्भाव भी बिना नाट्यधर्मी के हो ही नहीं सकता। दोनों धर्मियो के इस सम्बन्ध पर ध्यान देने से नाट्यशास्त्र में बताये गये धर्मलक्षणो का मर्म विस्पष्ट होता है। नाट्यशास्त्र में धर्मी लक्षण इस प्रकार किये गये हैं—

स्वभावभावोपगतम्, शुद्ध त्वविकृत तथा।

लोकवार्ताक्रियोपेतम्, अङ्गलीलाविवर्जितम् ॥

स्वभावाभिनयोपेतम्, नानास्त्रीपुरुषाश्रयम्।

यदीदृश भवेन्नाट्यम्, लोकधर्मी तु सा स्मृता ॥ (ना. शा. १३।७१-७२)

अतिवाक्यक्रियोपेतम्, अतिसत्त्वातिभावकम्।

लीलाङ्गहाराभिनयम्, नाट्यलक्षणलक्षितम् ॥

स्वरालकारसयुक्तम्, अस्वस्थपुरुषाश्रयम्।

यदीदृश भवेन्नाट्यम्, नाट्यधर्मी तु सा स्मृता ॥ (ना. शा १३।७३-७४)

इन लक्षणों के अनुसार नाट्यगत लोकधर्मी एवम् नाट्यधर्मी दोनों का भेद इस प्रकार दर्शाया जा सकता है—

५. लोकस्वभावमेवानुवर्तमानं धर्मिद्वयम्। लोको जनपदवासी जनः। स च प्रवृत्तिक्रमेण प्रपंचितः। तत्प्रसंगेनैव धर्मी आयाता। सा च द्वेषा— (अ. भा. भाग २, पृ. २१३)

६. यद्यपि लौकिकधर्मव्यतिरेकेण नाट्ये न कश्चिद्धर्मोऽस्ति, तथापि स यत्र लोकागतप्रक्रिया-क्रमो रंजनाधिक्यप्राधान्यमधिरोहयितुं कविनटव्यापारे वैचित्र्यं स्वीकुर्वन् नाट्यधर्मी इत्युच्यते।... लौकिकस्य धर्मस्य मूलभूतत्वात् नाट्यधर्मः (प्रति) वैचित्र्योद्देश्यमिति स्थानत्वात् इति लोकधर्मीमेवादौ लक्ष्यति। (अ. भा. भाग २, पृ. २१४)

हो तो, कई बार वह पात्रों की मूल चित्तवृत्ति में भी परिवर्तन करता है। लोक-प्रवृत्ति के अनुसार कई लोगों के स्वभाव का एक निश्चित ढाँचा-सा बना रहता है। पात्र अगर ऐतिहासिक हो तो उनकी चित्तवृत्ति पहले से ही लोगों को ज्ञात रहती है। कवि ने इन चित्तवृत्तियों को अगर मूल के अनुसार या लोकप्रवृत्ति के अनुसार दर्शाया हो तो वह चित्तवृत्ति अथवा भाव 'स्वभावभाषोपगत', 'अविकृत' और 'शुद्ध' होता है। इस लिए यह अश 'लोकधर्मी' है। किन्तु इसमें भी कवि नाट्यधर्म के अनुसार, सौंदर्य लाने के लिए अनेकश परिवर्तन करता है एव अपनी कल्पना से पात्र के मूल स्वभाव को भी कुछ बदल देता है। यह नाट्याश नाट्यधर्मी है। इस का उदाहरण अभिनवगुप्त ने 'तापसवत्सराज' नाटक में विदूषक का दिया है। सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार विदूषक उतावला होता है, कोई भी कार्य वह ठीक तरह से नहीं कर पाता, कोई बात उसके मन में नहीं रह सकती। किन्तु 'तापसवत्सराज' में विदूषक समयपर मन्त्री के समान गम्भीर एव मन्त्रगुप्ति रखने वाला दिखाया है। यह नाट्यधर्म के अनुसार किया हुआ परिवर्तन है। ऐतिहासिक उदाहरण भास के दो नाटक 'दूतवाक्य' तथा 'ऊरुभग' के लिए जा सकते हैं। दोनों नाटकों में दुर्योधन का पात्र है। 'दूतवाक्य' में दुर्योधन महाभारत के दुर्योधन के सदृश ही है। उसकी स्वभावरेखा 'स्वभावभाषोपगत', 'शुद्ध' एव 'अविकृत' है। यह नाट्याश लोकधर्मी है। किन्तु ऊरुभग में भास ने दुर्योधन में इतना परिवर्तन किया है कि प्रतीत होता है वह उद्धत स्वभाव छोड़कर धीरोदात्त बन गया हो। यहाँ दुर्योधन का पात्र 'अतिसत्त्व' तथा 'अतिभावक' होने से नाट्यधर्मी है।

कवि के व्यापार में लोकधर्मी और नाट्यधर्मी का स्वरूप हमने देखा। नट के व्यापार में भी यह धर्म होते हैं। उनका स्वरूप अब हम देखेंगे।

अभिनय के द्वारा भावों की अभिव्यक्ति करना नटव्यापार है। इस व्यापार में भावों की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक अनुभावादि के अभिनय लौकिक वृत्तिप्रवृत्तियों से सवादी रहना आवश्यक है। इस प्रकार नटव्यापार का लोक की वृत्तिप्रवृत्तियों से सवादी अश नटगत लोकधर्मी है। इससे अतिरिक्त केवल शोभाकारक अभिनयांश नटगत नाट्यधर्मी है। भरतमुनि का कथन है कि नटगत लोकधर्मी अगलीलाविवर्जित, स्वभावाभिनयसे युक्त एव नानास्त्रीपुरुषाश्रय होती है। और नटगत नाट्यधर्मी लीलागहारों से युक्त नाट्यलक्षणों से लक्षित तथा अस्वस्थ पुरुषाश्रित होती है। यहाँ, नानास्त्रीपुरुषाश्रित अर्थात् विविध स्त्री-पुरुषों की स्वभावतः (बिना अभ्यास के) होनेवाली चेष्टाएँ या हरकतें तथा अस्वस्थ-पुरुषाश्रित अर्थात् पुरुष ने अभ्यास के द्वारा प्राप्त किये हुए नारी के व्यापार या नारी

नाट्यधर्मी ही है।” इसपर अभिनवगुप्त कहते हैं — “कविगत हो या नटगत हो, वाग्गालकाररूप नाट्यधर्मी कलाकृति का प्राण ही होती है। यह नाट्यधर्मी रूप अभिनय किसी अर्थ की अपेक्षा से होता है, तथा वह अर्थ उस अभिनय से अभिव्यक्त होता है। यह अभिव्यक्त होनेवाला अर्थ भावरूप होता है एव सब में सहजरूप में रहता है। इस लिए यह सहज भावरूप अर्थ लोकधर्मी है। यह लोकधर्मी नाट्यधर्मी का आधार होती है एव उन दोनों में सवादित्व होता है। (७) ”

नाट्यधर्मी अर्थात् अभिनयप्रकारों का औचित्य

लोकधर्मी तथा नाट्यधर्मी के सबन्धपर ध्यान देने के बाद अब हम जरा पीछे मुड़कर देखें। भरत ने नाट्य का लक्षण इस प्रकार किया है—

योज्यं स्वभावो लोकस्य सुखदुःखसमिन्वितः।

अङ्गाद्यभिनयोपेतो नाट्यमित्याभिधीयते ॥ (१।११६)

और नाट्यधर्मी का लक्षण इस प्रकार किया है—

योज्य स्वभावो लोकस्य सुखदुःखक्रियात्मकः।

सोऽङ्गाभिनयसयुक्तो नाट्यधर्मी प्रकीर्तिता ॥ (१३।८१)

इन दोनों लक्षणों का एकत्र विचार करने से नाट्य और नाट्यधर्मी में आन्तरिक सम्बन्ध विस्पष्ट हो जाता है। सुखदुःखात्मक लोकस्वभाव लोकधर्म है। यह लोकधर्म अभिनय से उपेत होना अर्थात् रसिकहृदय में सक्रान्त होना ही नाट्य है। यह अभिनय लोकस्वभाव से सयुक्त अर्थात् औचित्य से युक्त होना नाट्यधर्म है। नाट्यधर्म में कल्पना का प्रपञ्च होने पर भी नाट्यधर्म केवल नटसकेल नहीं है। वह “सभाव्यमान होकर रंजन तथा वस्तु के लिए उपयोगी” होना चाहिये ऐसा अभिनवगुप्त का कथन है (भा २ पृ २१६)। इस प्रकार का नाट्यधर्म ही सौंदर्यशाली व्यापार है। “नाट्यधर्मीप्रवृत्ति हि सदा नाट्यं प्रयोजयेत्।” ऐसा मुनि भरत ने क्यों कहा है यह अब विस्पष्ट हो जायगा। अभिनव गुप्त ने तो नाट्यधर्मी को ‘सर्वाभिनयप्रकारसारा’ ही कहा है तथा नाट्यधर्मित्व लोकस्वभाव का नाट्यगत विधान है ऐसा भी स्पष्टरूप में कहा है (८)।

७. यस्मात् कविगता नटगता वाग्गालंकारनिष्ठा नाट्यधर्मीरूपा सर्वप्राणवती अर्थात् इति अर्थमपेक्ष्य प्रवर्तते, तस्मात् सर्वस्य संबन्धी सहजो भावो लोकधर्मलक्षण उक्तो भित्तिस्थानीयत्वेन नाट्यधर्म्याः सहजसंवादिकर्मणः। अंगं वर्तनारूपं गुणलक्षणानि च, अलंकारचेष्टा अलंकाराः उपमादयश्च ॥ (अ. भा. भाग २, पृ. २१८)

८. लोकस्वभावस्य अनुभावविल्लासोपेतत्वविधायकस्य नाट्यधर्मित्वं विधानम्। (अ. भा. भाग २, पृ. २१५)

ही लिखा है। किन्तु उसमें भी लक्षणो पर विवेचना नहीं। धनजय तथा उसका टीकाकार धनिक दोनो का कथन है कि ये लक्षण उपमा आदि अलंकारो में तथा भावो में अन्तर्भूत हुए हैं (१३)। अभिनवगुप्त के अपने समय में भी काव्यविवेचना की जो भिन्न भिन्न पद्धतियाँ थी उनमें लक्षणपद्धति थी नहीं। वे कहते हैं—

“भरत ने ठीक कहा था कि काव्यबन्ध ३६ लक्षणो से युक्त रहना चाहिये। किन्तु गुणा, अलंकार, रीति, वृत्ति आदि काव्यपद्धतियाँ जिस प्रकार प्रसिद्ध हैं उस प्रकार लक्षण नहीं है।” (१४) तब भरत के समय में जिनका महत्त्व माना गया था उन लक्षणो का आगे चलकर लोप कैसे हुआ? धनिक के कथन के अनुसार उनका भाव तथा अलंकारो में परिगणन हुआ यह स्वीकार करनेपर भी यह प्रश्न शेष रहता है कि उनका परिगणन अलंकारो में तथा भावो में कैसे हुआ इसका कुछ पता लगता हो तो देखें।

भरत ने लक्षण तथा अलंकारो को परस्परभिन्न माना है। पर काव्यशोभाकरत्व का धर्म दोनो के लिए सामान्य है। उन्होने उपमा आदि को अलंकार कहा है और लक्षणो को काव्यविभूषण कहा है (१५)। किन्तु दोनो से भी सौंदर्यधर्म का ही अभिप्राय है यह बात स्पष्ट है।

नाट्यशास्त्र में छत्तीस लक्षण और चार अलंकार हैं, एव काव्य के अलंकारों की चर्चा में लगभग चालीस अलंकार दिये हैं, लेकिन लक्षण एक भी दिया नहीं। इसकी एक उपपत्ति यह हो सकती है कि भामह के समय तक लक्षणों का अलंकारो में पर्यवसान हो गया हो। लगभग भामह के काल में दण्डी हुआ। ‘काव्यादर्श’ में उसने स्पष्टरूप में लिखा है—

यच्च सध्यगवृत्त्यंगलक्षणान्यागमान्तरे।

व्यावर्णितमिदं चेष्टमलंकारतयैव नः ॥ (काव्यादर्श, २।३६६)

“अन्य शास्त्र में (नाट्यशास्त्र में) जो सध्यंग, वृत्त्यंग, लक्षण आदि वर्णित हैं वे भी हमें अलंकार के रूप में स्वीकार हैं।” दण्डी के समय में अलंकारो का विकल्पन चल ही रहा था। दण्डी कहता है—“अलंकार का अर्थ है काव्यशोभाकर धर्म। अलंकारो का विकल्पन अभी चल ही रहा है। उनकी गणना कौन कर सकता है?

१३. दशरूप ४।८४ तथा उसपर वृत्ति देखिए।

१४. काव्यबन्धाः षट्त्रिंशलक्षणान्विताः कर्तव्याः इत्युक्तम्। तत्र गुणालंकारादिरौतिवृत्तयश्च काव्येषु प्रसिद्धो मार्गः। लक्षणानि तु न प्रसिद्धानि।

१५. एतानि वा काव्यभूषणानि।

प्रोक्तानि वै भूषणसंमितानि ॥ (१६।४१)

कारिकाओं में कहा गया है (२२) । मीमांसको ने दिये हुए मन्त्र ब्राह्मणों के अर्थात् वेदों के इन लक्षणों की नाट्यशास्त्र के काव्यलक्षणा से तुलना करने पर उनमें बहुत कुछ साम्य दिखाई देता है । कतिपय लक्षणा तो सही सही एक ही हैं ।

निरुक्तकार यास्क का कथन है कि मन्त्र-द्रष्टा ऋषियों ने मन्त्रों में अपने उच्चावच अभिप्राय व्यक्त किये हुए हैं । जिन वैदिक वाक्यों में ऋषियों के यह अभिप्राय व्यक्त हुए उन वाक्यों के लक्षण मीमांसको ने वर्गीकृत किये हैं । वैदिक वाङ्मय हमारा प्राचीनतम प्रधान वाङ्मय है । उस वाङ्मय का अर्थ करने के लिए एव उसका स्वरूप निर्धारित करने के लिए निरुक्त तथा मीमांसा इन शास्त्रों की प्रवृत्ति हुई । इस यत्न में उन्हें स्तुति, निन्दा, आशी, हेतु, आख्यायन, आक्रन्द, परिदेवन, सशय, व्यवधारण आदि लक्षण प्राप्त हुए ।

लौकिक वाङ्मय जैसा बनता गया, उसके भी स्वरूप का विचार होने लगा । ऋषि जिस प्रकार अपने उच्चावच अभिप्राय मन्त्रों में व्यक्त करते थे उसी प्रकार कवियों ने भी अपने विविध अभिप्राय काव्य में व्यक्त किये थे । कवियों के काव्य का अर्थ करने में एवम् उसके स्वरूप का निरीक्षण करने में जो अभ्यासक प्रवृत्त हुए थे वे भी विद्वान् थे । मीमांसा आदि शास्त्रों से उनका भी परिचय था ही । वे जब लौकिक काव्य का स्वरूप निर्धारित करने के लिए प्रवृत्त हुए और कवियों ने अपने अभिप्राय किस प्रकार व्यक्त किये हैं यह देखने लगे तब वैदिक ऋषियों के तथा इन कवियों के अभिप्राय व्यक्त करने की शैली में अनेक स्थानों में उन्होंने समानता पाई । काव्य की शैली का स्वरूप विशद करने में पूर्णरूप से नई परिभाषा का उन्होंने उपयोग किया नहीं, बल्कि पूर्व से ही रूढ परिभाषा का उन्होंने उपयोग किया । ठीक ही है । “ अर्कं चेन्मधु विन्देत किमर्थं पर्वत व्रजेत् ? ” वैदिक लक्षणा बने बनाये थे ही । उन्हींका लौकिक काव्य के विश्लेषण में उन्होंने उपयोग किया । इस प्रकार निरुक्त तथा मीमांसा में निर्देशित वैदिक काव्यलक्षणों का काव्यचर्चा में अन्तर्भाव होकर उनसे काव्यलक्षणा सिद्ध हुए ।

२२. ऋषयोऽपि पदार्थानां नान्तं यान्ति पृथक्त्वशः ।

लक्षणैः तु सिद्धानामन्तं यान्ति विपाश्चितः ॥

वृत्तौ लक्षणमेतेषामस्यन्तत्वन्तरूपता ।

आशिषः स्तुतिसख्ये च प्रलभं परिदेवितम् ॥

प्रैषान्वेषणपृष्टाख्यानानुषंगप्रयोगिताः ।

सामर्थ्यं चेति मंत्राणां विस्तरः प्रायिको मतः ॥ (तंत्रवार्तिकः मंत्रलक्षणाधिकरण)

हेतुनिर्वचनं निन्दा प्रशंसा सशय विधिः ।

परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारणकल्पना ।

उपमानं दशैवेते विधयो ब्राह्मणस्य तु ।

एतत् स्यात् सर्वे वेदेषु नियत विधिलक्षणम् । (तंत्रवार्तिकः ब्राह्मणलक्षणाधिकरण)

सकते हैं कि यह मत निरुक्त के अभ्यासक साहित्यरसिक का होगा और फिर इसमें केवल काल्पनिकता का कोई अंश नहीं रहता ।

काव्य का रसिक अगर अन्य शास्त्रों से परिचित रहा तो उसके शास्त्रपरिचय का परिणाम उसकी काव्यचर्चा पर होता है । संस्कृत ग्रन्थों में की गई काव्यचर्चा में इसका पग पग पर प्रमाण मिलता है । लक्षणों के सबन्ध में उद्धृत किये हुए अनेक मतों में अभिनवगुप्त ने एक मत यह दिया है—“ इतरेषा तु मत यथा तन्त्र-प्रसंगबाधातिदेशादि मीमासाप्रसिद्ध वाक्यविशेषव्यवच्छेदलक्षणम्, तथा काव्य-विशेषव्यवच्छेदक भूषणादिलक्षणजातम् । ” मीमासा से दृष्टान्त देकर काव्यलक्षणों का स्वरूप कथन करनेवाला यह अज्ञात शास्त्रज्ञ मीमासा से परिचित होगा यह समझने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती । इसी तरह, साहित्य के जिस रसिक ने निरुक्त में निर्देशित वैदिक लक्षणों से वैदिक ऋषियों के उच्चावच अभिप्रायों की कल्पना की उसने काव्य के लक्षणों की उत्पत्ति कवि के अभिप्रायविशेष से मान ली तो आश्चर्य की बात नहीं है । निरुक्त में कहा है कि वैदिक मन्त्रों में कवियों के उच्चावच अभिप्राय हैं और मीमासा में निन्दा, स्तुति, आशी., प्रशंसा आदि अभिप्रायों को ‘ लक्षण ’ की संज्ञा है । इसका अर्थ यह होता है कि वैदिक मन्त्रों में कवियों के उच्चावच अभिप्राय व्यक्त होते हैं यह शास्त्रकारों का मत विस्पष्ट है । तब यही लक्षण अगर काव्यचर्चा में लिए गए तो उनसे कवि के अभिप्रायविशेष व्यक्त होने में क्या आपत्ति हो सकती है ?

निरुक्त तथा मीमासा इन शास्त्रों से काव्यचर्चा में लक्षण लिए गए । वैदिक वाङ्मय और लौकिक वाङ्मय जिस प्रकार सर्वथा भिन्न है ठीक वैसे ही उनकी विवेचना के शास्त्र भी भिन्न हैं इस भूमिका से यह विवेचन हुआ । किन्तु वेदही—विशेष रूप में ऋग्वेद तथा आथर्वणवेद—एक काव्यसंग्रह है इस बात को अगर मान लिया गया (२४), तो कहा जा सकता है कि उसके अर्थों की विवेचना के शास्त्र में, स्थूल रूप में क्यों न हो, काव्यचर्चा हुई है । और इस प्रकार की चर्चा निरुक्त तथा मीमासा में उपलब्ध है भी । निरुक्त के उपमाविषयक परिच्छेद तथा मीमासा के लक्षण-विषयक विचार, दोनों काव्यचर्चा के अंग हो सकते हैं । मीमासा का अर्थवादप्रकरण तो स्पष्टरूप में काव्यचर्चा ही का एक अंग है । वेद के परोक्षकृत मन्त्रों के नाम से जिन मन्त्रों का निरुक्तकार निर्देश करते हैं वही मन्त्र मीमासक अर्थवादप्रकरण में लेते हैं । यास्क के निर्दिष्ट परोक्षकृत मन्त्र और काव्य की वक्रोक्ति इन दोनों में तत्त्वतः कोई भेद नहीं है । और “ नासत्यमस्ति किञ्चन काव्ये स्तुत्यर्थमर्थवादोऽयम् । ” इस

२४. ऋग्वेद एक काव्यसंग्रह है यह अन्यत्र दर्शाया है । देखें—‘ युगवाणी ’, (मराठी) जनवरी, १९५१

भट्टनायक की समति में भी 'व्यापारप्राधान्य' ही काव्य की विशेषता है। वे कहते हैं, "शास्त्र भिन्न वाङ्मय है, जिसमें शब्दप्राधान्य का ही आश्रय किया जाता है। जिसमें अर्थ का ही प्राधान्य होता है वह वाङ्मय आख्यान (इतिहास-पुराण) है। इसके विपरीत, वाङ्मय के उस भेद को जिसमें शब्द तथा अर्थ दोनों का गुणीभाव रहता है और व्यापार का ही प्राधान्य रहता है—काव्य की सज्ञा दी जाती है।" सारांश, कवि का अभिधाव्यापार ही काव्यलक्षण है।

यह अभिधाव्यापार कवि की उक्ति में रहता है। कवि का उक्तिविशेष ही काव्य की विशेषता है। शास्त्र एवं काव्य दोनों में शब्द तथा अर्थ तो समान ही रहते हैं। किन्तु उन्हीं शब्दार्थों को कवि अपने काव्य में ऐसे औचित्यपूर्ण रीति से प्रयुक्त करता है कि वे ही शब्दार्थ रसवृत्ति में पर्यवसित होते हैं। यही कविव्यापार है। वक्रोक्ति भी इसीका एक पर्याय है। अभिनवगुप्त ने कहा है—“बन्धो, गुम्फ, भ्रणिति वक्रोक्ति, कविव्यापार., इति हि पर्यायात् लक्षण तु अलकारशून्यमपि न निरर्थकम्।”

“वक्रोक्ति” शब्द से भामह का भी कविव्यापार से ही अभिप्राय है। अभिनवगुप्त ने कहा है—“भामहेनापि—‘सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयाऽर्थो विभाव्यते’ इत्यादि। तेन च परमार्थे कविव्यापार एव लक्षणम्।” भामह का कथन है कि वक्रोक्ति से अर्थ का विभावन होता है। कविव्यापार ही अर्थ के विभावन का एकमात्र मार्ग है। अर्थ यह कि, वक्रोक्ति सज्ञा से भामह को कविव्यापार ही अपेक्षित है।

रसोचित अथवा रसानुगुण शब्दार्थरचना ही इस कविव्यापार का स्वरूप है। इसी तथ्य को आनन्दवर्धन 'ध्वन्यालोक' में इन शब्दों में कहते हैं—

वाच्याना वाचकानां च यदौचित्येन योजनम्।

रसादिविषयेणैतत् कर्म मुख्य महाकवेः ॥ (३।३२)

रसो को तथा भावो को ही काव्यार्थ के नाते मुख्यत्व देकर उनके लिए उचित शब्दार्थों का उपनिबन्धन ही कविव्यापार है। इसीको मम्मट ने—“शब्दार्थयोर्गुण-भावेन रसागभूतव्यापारप्रवणतया विलक्षणं यत् काव्यम्—लोकोत्तरवर्णानानिपुरा-कविकर्म—” कहा है। यही काव्यलक्षण का सामान्य लक्षण है। अभिनवगुप्त कहते हैं—“चित्तवृत्त्यात्मक रस लक्षणं तद्रसोचितविभावादिसपादक. त्रिविधोऽभिधा-व्यापारो लक्षणशब्देन उच्यते।” (अ. भा. भाग २, पृ. २६७)।

इस प्रकार भरतमुनि का लक्षण एव भामह की वक्रोक्ति, दोनों भी कवि के अभिधाव्यापार के ही द्योतक हैं। नाट्यशास्त्र के लक्षणों के स्थान पर काव्यचर्चा के स्वतन्त्र युग में 'वक्रोक्ति' किस प्रकार आ चुकी यह अब विदित होगा। किन्तु

काव्यचर्चा का स्वतंत्र संसार

लक्षण और अलंकार : कुछ उदाहरण

नाट्यशास्त्र में की गई
काव्यचर्चा नाट्य की

आनुषंगिक है, परन्तु भामह आदि की की हुई काव्यचर्चा स्वतंत्र है। काव्यचर्चा के स्वतन्त्र होने में, उसके अन्तर्गत जो बहुविध घटनाएँ घटी उनमें लक्षणों का अलंकारों में परिवर्तित होना सबसे बड़ी एव महत्वपूर्ण घटना है। इस घटना का पूरा इतिहास आज ज्ञात नहीं है। किन्तु ऐसे प्रमाण निश्चय ही दिये जा सकते हैं जिनसे इस बात की स्थूल रूप में कल्पना हो सके। नाट्यशास्त्र में लक्षणों के सग्रह की दो तालिकाएँ हैं, एक उपजाति वृत्त में ग्रथित है और दूसरी अनुष्टुप् छन्द में। अभिनवगुप्त को दोनो तालिकाएँ ज्ञात थी। उनमें से, गुरुपरपरा से प्राप्त उपजाति (छन्द) वृत्त में ग्रथित तालिका को उन्होंने मूल माना है तथा उसपर लिखी टीका में अनुष्टुप् तालिका का स्थान स्थान पर निर्देश किया है। दोनो तालिकाओं में से हर एक में छत्तीस छत्तीस ही लक्षण हैं। किन्तु सभी लक्षण दोनों में समान नहीं। केवल १७ लक्षण दोनों तालिकाओं में समान है, और १९ लक्षण भिन्न भिन्न हैं। इस प्रकार दोनो तालिकाओं में कुल मिलाकर कुल लक्षणों का योग (१७+१९+१९) —कुल ५५ होता है। इन में से कुछ लक्षण उदाहरण रूप लेकर उनके अलंकार किस प्रकार हुए यह देखें—

१. शोभा नामक लक्षण का स्वरूप यह है—

सिद्धैरर्थैः समं कृत्वा ह्यसिद्धोऽर्थः प्रयुज्यते ।

यत्र श्लक्ष्णविचित्रार्था सा शोभेत्यभिधीयते ॥

शोभा लक्षण का यह स्वरूप 'तुल्ययोगिता' अलंकार से मिलता है।

इस दृष्टि से लक्षणा की ओर देखें तो लक्षणा औचित्य के निकट आ जाता है। कवि के काव्य में शब्द, अर्थ, गुण तथा अलंकार इन सब की जो संघटना होती है उससे काव्यलक्षणा निर्धारित होता है। इस प्रकार काव्य में औचित्य का निर्माण ही लक्षणा का प्रयोजन सिद्ध होता है। अभिनवगुप्त भी लक्षणा के विषय में, “परमौचित्यस्थापने प्रयोजनम्।” कहते हैं। इस दृष्टि से लक्षणा अलंकारों का अनु-ग्राहक है इसमें तनिक भी सदेह नहीं रहता।

इस प्रकार कवि-व्यापार के बल से लौकिक वस्तु भी अलौकिक स्वभाव से काव्य में प्रकट होना यही लक्षणा है (५)। यह लक्षणा ही शब्दार्थमय काव्यशरीर है। इस शरीर के सौंदर्य में वृद्धि जिनसे होती है वह है अलंकार। जिस प्रकार पृथग्भूत हार से रमणी विभूषित होती है ठीक उसी प्रकार पृथक् सिद्ध चन्द्र आदि उपमानों से वनितावदन आदि का सौंदर्य बढ़ कर प्रतीत होता है। किन्तु वर्णनीय वनितावदन आदि में इस प्रकार सौंदर्य की वृद्धि होने का काव्य में एकमात्र कारण कवि की प्रतिभा ही है। रमणी का मुख और चन्द्र, दोनों लौकिक वस्तुएँ हैं तथा वे पृथक् सिद्ध हैं। यह लौकिक सृष्टि हुई। किन्तु कवि की प्रतिभा उनमें सादृश्य देखती है। इससे वे दोनों वस्तुएँ परिवर्तित होती हैं और प्रतिभा के द्वारा प्रकाशित होने के हेतु एक अनोखे सबन्ध से (उपमानोपमेयसबन्ध) उपस्थित होती है तथा विशेष रूप में सुंदर प्रतीत होती है (६)। यही कवि की अलौकिक सृष्टि है।

इसी लिए, बिना लक्षणों का आश्रय किये हुए, अलंकारों को काव्य में स्थान नहीं है। लक्षणा का अर्थ है कवि-व्यापार तथा कवि-व्यापार है कवि-प्रतिभा का शब्दार्थमय आविर्भाव। अलंकारों की ओर केवल सरसरी दृष्टि से देखने पर उनमें सादृश्य, अभेद, अग्र्यवसाय, विरोध आदि लौकिक व्यवहार के ही संबन्ध दिखाई देते हैं। परन्तु यह अलंकारों का केवल बाह्य कवच या ढाँचा है। यह ढाँचा अलंकार नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता तो ‘गौरिव गवयः।’ यह उपमा हो जाती और ‘स्थाणुर्वा पुरुषो वा’ यह ससदेह हो जाता। किन्तु यह काव्यालंकार नहीं हो सकते। यह तो केवल लौकिक सबन्ध है। और इन लौकिक सबन्धों के रूप में जब अधिष्ठानभूत कवि-व्यापार या लक्षणा प्रतीत होता है तभी उसे अल-

५. ध्यान रहें कि काव्यस्थित विभावादिक अलौकिक होते हैं।

६. एवं कवि-व्यापारबलात् यदर्थजातं लौकिकात् स्वभावात् विद्यमानं तदेव लक्षणामित्युक्तम्। तस्य शरीरकल्पस्य अलंकारा अधुना वक्तव्याः।. काव्ये तावच्छृणुं शरीरम्।.. यथाहि पृथग्-भूतेन हारेण रमणी विभूष्यते, तथा उपमानेन शशिना, तत्सदृशेन वा कविबुद्धिसामर्थ्येन परिवर्तमानत्वात् पृथक् सिद्धेनैव प्रकृतवर्णनीयवनितावदनादि सुंदरीक्रियते इति तदेव अलंकारः।

भरत से उत्तरवर्ती काल में किया गया अलंकारप्रपंच लक्षणकृत तो है ही, किन्तु उसका बीज भी नाट्यशास्त्र में है यह स्पष्ट है।

अलंकारवैचित्र्य का बीज इस प्रकार नाट्यशास्त्र में ही मिलता है। उधर भामह-दण्डी के ग्रन्थों में देखा जाता है कि लक्षणों के ही अलंकार बने। इसका अर्थ यह है कि भरत से लेकर भामह-दण्डी तक जो काल बीता उसमें अलंकारों की रचना चलती रही हो। संभव है कि, काव्यचर्चा प्रधानतः लक्षणमुख से होती थी इस हेतु काव्यचर्चा के लिए 'काव्यलक्षण' सज्ञा का प्रयोग हुआ हो। नाट्यशास्त्र में काव्यचर्चा नाट्य की आनुषंगिक है। उसमें स्वतन्त्र काव्यचर्चा के बीज हैं, फिर भी कुल चर्चा नाट्यागभूत है इसमें कुछ सदेह नहीं। संभव है कि, स्वतन्त्र काव्यचर्चा का प्रारम्भ जिस समय हुआ होगा उस समय में नाट्यशास्त्र के काव्यलक्षण, दोष, गुण, अलंकार आदि प्रकरण पृथक् रूप में लेकर उसका उपयोग स्वतन्त्र रूप में काव्यविवेचन करने के लिए किया गया हो। जो रसिक यह चर्चा करते थे वेही 'काव्यलक्षणकारी' अथवा 'काव्यलक्षणविधायी' पंडित हैं। संभव है कि इनके द्वारा की गई विवेचना में लक्षणकृत अलंकारवैचित्र्य का स्वरूप और भी विशद होने लगा हो। भरत की निन्दोपमा एव प्रशसोपमा के समान नये शास्त्रकारों ने आचिख्यासोपमा, सशयोपमा, गुणोपमा आदि भेदों के स्वरूप विवेचित किये हो। इस प्रकार धीरे धीरे अलंकारचक्र प्रवर्तित हुए। संभव है कि इन अलंकारचक्रों से ही आगे चल कर अनेक स्वतन्त्र अलंकार उदित हुए हो।

हमें स्वीकार है कि, हमने ऊपर जो परम्परा सूचित की है उसकी पुष्टि में आज जितने चाहिए उतने प्रमाण हम उपस्थित नहीं कर सकते। किन्तु इतने प्रमाण निश्चय ही दिये जा सकते हैं जिनसे कि यह स्वीकार हो सके कि ऐसी परम्परा का होना संभवनीय है। दण्डी अपने 'काव्यादर्श' में अलंकारचक्रों का विवेचन कर रहे हैं। इन अलंकारचक्रों में अनेक लक्षण समाविष्ट हुए हैं। कुछ लक्षणों को दण्डी स्वतन्त्ररूप में अलंकार भी मानते हैं। उपलब्ध ग्रन्थकारों में अलंकारचक्रों का विवेचन एक दण्डी मात्र करते हैं, परन्तु इस प्रकार के विवेचकों की उनके पूर्व एक परम्परा है। दण्डी कहते हैं, "अलंकारों का विकल्पन अभी चल ही रहा है, तो उनकी गणना कौन कर सकता है? किन्तु इस विकल्पन का बीज पूर्व आचार्यों-ने पहले ही दर्शित किया है। हम केवल उसका परिसंस्कार मात्र करते हैं (१५)।

१५. काव्यशोभाकरान् धर्मान् अलंकारान् प्रचक्षते।

ते चाद्यापि विकल्प्यन्ते कस्तान् काल्स्न्येन वक्ष्यति ॥

किन्तु बीज विकल्पानां पूर्वोच्यते प्रदर्शितम्।

तदेव परिसंस्कर्तुमयमस्मत्परिश्रमः। (काव्यादर्श २।१,२)

यहाँ दण्डी ने परम्परा का निर्देश किया है। अलकारचक्रों की कल्पना दण्डी की अपनी नहीं है। वह तो एक प्राचीन कल्पना है और उसका, परिसंस्कार करके दण्डी उसे और भी अच्छे रूप में उपस्थित कर रहे हैं।

भामह के ग्रन्थ में भी ऐसा ही आधार मिलता है। भामह के पहले कई आलकारिकों ने निन्दोपमा, प्रशसोपमा और आचिख्यासोपमा इस प्रकार उपमा के तीन भेद किये थे। इस प्रकार विभाग करना भामह को स्वीकार नहीं है (१६)। यह उपमा भेद अलकारचक्रों के भेदों के समान ही प्रतीत होते हैं वे लक्षणवैचित्र्य पर ही आधारित हैं। इसका अर्थ यह होता है कि लक्षणवैचित्र्य पर आधारित अलकारचक्र भामह को भी ज्ञात थे। लक्षणवैचित्र्य से अलकारचक्र और अलकारचक्र से स्वतन्त्र अलकार इस क्रम से कई लक्षणों के अलकार हुए और कतिपय लक्षण तो स्वतन्त्रतया 'अलकार' ही माने गये। हेतु, मनोरथ, लेश और आशी यह चार ऐसे लक्षण हैं। इनके अलकारत्व के विषय में आलकारिकों में मतभिन्नता हुई। भट्टिका कहना है कि 'आशी' को अलकार माना जाय। किन्तु भामह उसे अलकार के रूप में स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है। भामह-दण्डी के समय के पूर्व ही हेतु, मनोरथ (सूक्ष्म) और लेश इन लक्षणों को अलकारत्व प्राप्त हुआ था। परन्तु भामह उनका अलकारत्व स्वीकार नहीं करते और इधर दण्डी इन्हे उत्तम प्रकार के अलकार बताते हैं (१७)। इससे प्रतीत होता है कि लक्षणों से भिन्न भिन्न प्रकारों से अलकार बन रहे थे और इस तरह अलकारों के बनने में कई बार मतभिन्नता भी होती थी।

लक्षणों से अलकार बनने के इस काल में शास्त्रलेखन की भी एक विशिष्ट पद्धति थी। भरत, भामह, दण्डी, उद्भट, तथा रुद्रट इन ग्रन्थकारों की लेखन की पद्धति एक ही है। पहले सग्रहकारिका देकर बाद में लक्षणकारिका देना यह सब की पद्धति है। इनमें से भामह की सग्रहकारिकाओं से कुछ महत्वपूर्ण परिणाम निकलते हैं। भामह ने कुल चालीस अलकारों का विचार किया है। किन्तु उन सब का सग्रह एक स्थान पर दिया नहीं। उनके छोटे विभाग किये हैं। वे इस प्रकार हैं.—

१६. यदुक्तं त्रिप्रकारत्वं तस्याः कैश्चिन्महात्मभिः ।
निंदाप्रशसाचिख्यासाभेदादत्राभिधीयते ।
सामान्यगुणनिर्देशात् त्रयमप्युदितं ननु ॥ (भामह २।३७,३८)
१७. हेतुः सूक्ष्मोऽथ लेशश्च नालंकारतया मतः । (भामह २।८६)
हेतुः सूक्ष्मोऽथ लेशश्च वान्वासुत्तमभूषणम् । (दण्डी २।२३५)

१. कई ग्रन्थकारो ने स्वीकार किये हुए पाँच ही अलकार—अनुप्रास, यमक, रूपक, दीपक और उपमा ।
२. इनके अतिरिक्त माने हुए और छह अलकार—आक्षेप, अर्थान्तर-न्यास, व्यतिरेक, विभावना, समासोक्ति और अतिशयोक्ति ।
३. हेतु, सूक्ष्म और लेश की अनलकारता ।
४. यथासख्य और उत्प्रेक्षा ।
५. कई ग्रन्थकारो की समति में स्वीकृत स्वभावोक्ति ।
६. प्रेयस् आदि तेईस अलकार ।

इन छोटे छोटे सग्रहो से प्रतीत होता है कि भामह से पूर्व ही आलंकारिको ने भिन्न भिन्न अलंकारसमूह बनाये थे । भामह ने वे समूह लिए, उनके लक्षण और उदाहरण दिये और जहाँ मतभिन्नता थी वहाँ स्पष्ट शब्दों में उसका विवरण किया । इन अलंकारसमूहों के बनाने में वर्गीकरण का कोई भी-सिद्धान्त नहीं है । इस लिए भामह ने स्वयं इन छह अलंकार वर्गों की कल्पना की ऐसा नहीं कहा जा सकता । प्रत्युत, 'इति वाचामलकाराः पञ्चान्यैरुदाहृताः', 'केषांचिन्मते', 'अन्ये जगदुः' इस प्रकार दूसरो के सग्रहो का आधार भामह ने ही दिया है । इस पर से इतना ही तर्क होता है कि भामह के पूर्व से ही अन्यान्य आलंकारिक अलंकारो की रचना कर रहे थे, भामह ने उनका सग्रह किया, विवेचन किया, कतिपय अलंकारो को अस्वीकार किया, और कतिपय अलंकार अधिक रचे । भामह के ग्रन्थ के दूसरे परिच्छेद में दिये हुए अलंकार अन्य ग्रन्थकारो ने पहले ही स्वीकार किये थे । भामह ने उनके लक्षण बनाए और स्वयंकृत उदाहरण दिये (१८); और तीसरे परिच्छेद में दिये हुए अलंकारों में से कई अलंकारो का उन्होंने स्वयम् निश्चय किया (१९)। दण्डी के समय में भी अलंकारों का विकल्पन जारी था । इतना ही नहीं, नाट्य के सन्ध्यङ्ग, वृत्त्यङ्ग आदि का अलंकारत्व स्वीकार करने के लिए भी दण्डी सिद्ध थे ।

काव्यचर्चा स्वतन्त्र होने का प्रयोजन

उपलब्ध ग्रन्थों से प्रतीत होता है कि भामह दण्डी के काल में (सन् ६००—७५० ईसवी) काव्यचर्चा नाट्य से पृथक् होकर अपने बल पर खड़ी हो गई थी । भामह और दण्डीने स्पष्ट ही कहा है, "हम काव्य पर विचार करते हैं, काव्य का ही एक भेद नाट्य है हम उसपर विचार नहीं करते, अन्य ग्रन्थकर्ताओ ने वह कार्य

१८. स्वयंकृतैरेव निदर्शनैरियं

मया पक्त्वसा खलु वागलंकृतिः । (२॥१६)

१९. गिरामलंकारविधिः सविस्तरः

स्वयं विनिश्चित्य मया धियोदितः । (३॥५८)

सहज ही होता था। इस लिए स्वर्गबन्ध को प्रधान मान कर उन्होंने काव्यरूप का विवेचन किया। किसी हाज़त में, सर्गबन्ध तो कथाकाव्य ही रहेगा। इस कारण वह नाट्य के अधिक निकट था। उसकी रचना, कथावस्तु, विषय, रस आदि सब ही नाट्य के समान ही रहते थे। इस लिए सर्गबन्ध का विवेचन करने में उन्होंने नाट्य की पूर्व से सिद्ध परिभाषा का ही उपयोग किया। और जहाँ आवश्यक हुआ केवल वही नया विवेचन किया। इस तरह नाट्यशास्त्र में किए हुए काव्य-विवेचन का ही स्वतन्त्र काव्यचर्चा में उपयोग किया गया।

इस दृष्टि से भामह द्वारा किया गया सर्गबन्ध का वर्णन देखनेलायक है। सर्गबन्ध अर्थात् महाकाव्य का विषय गभीर होता है। उसका नायक धीरोदात्त रहता है। उसकी भाषा में वैदग्ध्य रहता है। उसकी कथा में निरर्थक बाते रहती नहीं। वह सालंकार रहता है और सदाश्रय भी होता है। मन्त्र, दूत, प्रयाण, युद्ध और अन्त में नायक का अभ्युदय आदि वर्णनों से वह युक्त होता है तथा उसमें समृद्धि अर्थात् ऋतु, चन्द्रोदय, उद्यान, पर्वत आदि का भी रमणिक वर्णन रहता है। यह सब होते हुए भी महाकाव्य व्याख्यागम्य या दुर्बोध नहीं होता। उसमें चतुर्वर्ग का प्रतिपादन होता है और वह नायक तथा प्रतिनायक के सघर्ष के द्वारा किया जाता है, एव उसमें किया गया उपदेश नित्य अर्थोपदेश होता है, अनर्थोपदेश कभी नहीं। महाकाव्य की रचना पञ्चसन्धि से युक्त होती है। और प्रधानतः ऐसे काव्य में लोकस्वभाव और सभी रस स्फुट रूप से प्रतीत होते हैं (२२)।

महाकाव्य के इस वर्णन की नाटक के वर्णन से तुलना करने पर उनका आत्यंतिक परस्पर साम्य स्पष्ट रूप से प्रतीत होगा। भव्य और गभीर विषय, उदात्त नायक, चतुर्वर्ग का प्रतिपादन, नायक का अभ्युदय, सदाश्रितत्व, पचसन्धि, लोकस्वभाव और विविध रसों की प्रतीति, ये सब महाकाव्य के लिए जिस मात्रा में आवश्यक हैं उसी मात्रा में नाटक के लिए भी। नाट्य की समृद्धि महाकाव्य में चन्द्रोदय, ऋतु आदि के वर्णन में है। नाटक में सीनसीनरी और अभिनय से जो काम लिया जाता है वही महाकाव्य में वर्णनों से। इन वर्णनों का औचित्य भी नाट्य के समान ही सँभालना पड़ता है। सारांश, नाट्य दृश्य होता है और महाकाव्य श्रव्य होता है। इस एक भेद को छोड़ दिया जाय तो नाट्य और महाकाव्य में अन्य कोई भेद नहीं। काव्य के सब प्रकार नाट्य से ही कल्पित हैं (ततोऽन्यभेदप्रकल्पितः)। ऐसा वामन ने स्पष्ट ही लिखा है। और इसी कारण से स्वतन्त्र रूप में काव्य की चर्चा करते समय साहित्य के पंडित नाट्य की परिभाषा सही सही उठा ले सके।

है। उद्भट तो नाट्यशास्त्र के ही टीकाकार है तथा अपनी काव्यचर्चा में उन्होने नौरसो को प्रस्तुत किया है। वामन ने भी 'दीप्तरसत्व कान्ति'। सूत्र के विवरण में शृंगारादि रसो का निर्देश किया है।

काव्यगत गुणदोषो का विवेचन करने में आलंकारिक नाट्यशास्त्र की परिभाषाओं (definitions) का पूरा उपयोग करते थे। मगल नामक एक आलंकारिक इसी आरम्भ के काल में हुआ। ओजोगुण की विवेचना में भरत का किया हुआ लक्षण देकर वह उससे अपनी मतभिन्नता स्पष्ट करता है (२४)। इससे प्रकट है कि नाट्यशास्त्र के मत लेकर आलंकारिक उनपर ऊहापोह करते थे।

केवल रस, अलंकार, गुण, दोष आदि का ही नहीं, तो सध्यग, वृत्त्यग, लक्षण आदि का भी उपयोग काव्यचर्चा में आलंकारिक करते थे। (काव्यादर्श २।३६७)। इन्हे भी काव्यचर्चा में दण्डी अलंकारो का स्थान देते हैं। नाट्यशास्त्र से किये हुए विचारो के आदान का इससे और निःसंदेह प्रमाण क्या हो सकता है? तो इस हेतु, आरम्भ में नाट्यशास्त्र में अग के रूप में स्थित काव्यचर्चा ही आलंकारिको की पृथक् चर्चा का विषय हुई और उसीका अलंकारशास्त्र बना ऐसा कहने में कोई आपत्ति नहीं।

भरत और भामह : भामह का पृथक् सम्प्रदाय नहीं

दण्डी, उद्भट और वामन के विवेचन का नाट्यशास्त्र से संबन्ध कैसे आता है यह हमने उनके ग्रन्थो से देखा। आरम्भकालीन काव्यशास्त्रकारो ने नाट्यशास्त्र में किये गये काव्यविवेचन का आधार किस प्रकार लिया यह इससे स्पष्ट होगा। भामह भी एक आरम्भकालीन शास्त्रकार थे। इस लिए उन्हें भी यह नियम लागू करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। सामान्यतया ऐसा कर भी सकते थे। किन्तु इस प्रसंग में एक नई आपत्ति निर्माण हुई है। डॉ. शंकरन् आदि विद्वानो ने भामह को एक तरह से भरत के विरोधी सम्प्रदाय का निर्माता माना है।

आरम्भ में काव्यचर्चा नाट्य की आनुषंगिक थी तथा आगे चल कर वह पृथक्

२४ 'तत्रावगीतस्य हीनस्य वा वस्तुनः शब्दार्थसंपदा यदुदात्तत्वं निषिचन्ति कवयः तदोजः इति भरतः ॥ अवगीतस्य हीनस्य वा वस्तुनः शब्दार्थयोः संपदा परमुदात्तत्वं निषिचन्ति कवयः तर्हि तदनोजः स्यात् इति मंगलः । (— काव्यप्रकाश की सोमेश्वर कृत टीका) भरत का ओजोगुण का लक्षण यह है — ' अवगीताविहीनोऽपि स्यादुदात्तावभावकः ॥ यत्र शब्दार्थसंपत्त्या तदोजः परिकीर्तितम् ॥ (चौखंबा ना. शा. पृ २१२) । मगल के प्रतिभा व्युत्पत्ति आदि विषयों के संबन्ध में मत उत्तरवती आलंकारिकों ने दिये हैं इससे स्पष्ट है कि भामह आदि के समान वह भी एक आलंकारिक था ।

१ भामह ने अपने ग्रन्थ में रसविचार को थोड़े ही में निपटा लिया ।

२ भामह के मन्तव्य में अलंकार ही काव्य का विशेष है; इस लिए रस को भी वह रसवत् अलंकार बनाता है ।

इन प्रमाणों की हम जाँच करें—

भामह ने अपने ग्रन्थ में पृथक् रसविवेचन किया नहीं । 'शृंगारादिरस' इतना निर्देश भर उसने किया और काम चलाया । परन्तु इससे भामह को रसों का भान नहीं था या भान हो कर भी वे उन्हें कम मानते थे ऐसा समझने की कोई आवश्यकता नहीं है । वामन ने भी अपने ग्रन्थ में रसों के सम्बन्ध में केवल 'शृंगारादयो रसाः ।' इतना ही कहा है । किन्तु एक ही शब्द में रसविवेचन निपटाने पर भी वामन का ठोस कथन है—“सम्पूर्ण काव्यभेद दशरूपक के ही विकल्प है । “सदभेषु दशरूपक श्रेय ” इस वाक्य से वामन ने नाट्य को वाङ्मय के भेदों में मूर्धन्यस्थान दिया है । वे नाट्य में रसों का महत्त्व नहीं समझ पाये यह हम कदापि नहीं कह सकते । किन्तु वामन ने भी रसमीमांसा केवल एक ही शब्द में समाप्त की । इस लिए, रसनिर्देश के पद्यों की या पृष्ठों की संख्या से, ग्रन्थकार की रस के विषय में अनुकूल या प्रतिकूल प्रवृत्ति का नाप नहीं लिया जा सकता । भामह ने रस का रसवत् अलंकार में सन्निवेश किया यह भी भामह रस को कुछ कम समझता था इस बात का द्योतक नहीं हो सकता । दण्डी ने आठों रसों के स्थायीभाव दे कर उनके रसत्व का विवेचन किया और उदाहरण भी दिये । इनके अतिरिक्त अन्य नाट्यशास्त्रों का भी उन्होंने उल्लेख किया । इससे प्रकट है कि उनके मत का झुकाव भरत की ओर है । म. म. पां. वा. काणे महोदय भी कहते हैं कि, “भामह को अलंकारवादियों से विशेष समवेदना थी एवं दण्डी भरत के सम्प्रदाय के प्रति अधिक श्रद्धा रखते थे ।” किन्तु भरत के सम्प्रदाय के प्रति श्रद्धा होने पर भी दण्डी रसों का अन्तर्भाव रसवत् अलंकार में ही करते हैं । उद्भट तो नाट्यशास्त्र के ही एक टीकाकार थे । और भरत के आठ रसों में शान्त रस की भरती करने की धीरता उन्होंने दर्शाई है । किन्तु वह भी काव्यगत रसों का निर्देश रसवत् अलंकार के नाम से ही करते हैं । तो क्या यह समझना ठीक होगा कि भरत के अनुयायी यह सब ही ग्रन्थकार रस के महत्त्व को नहीं समझ पाये थे ? तो, दीप्तरस काव्य को रसवत् अलंकार कहने से भी भामह रस के विरोध की भूमिका पर खड़े हैं, यह नहीं कहा जा सकता । रसवत् अलंकार और रस का भी कुछ इतिहास है । वह इतिहास रसवत्-कान्तिगुण-रस इस क्रम से देखना चाहिये । उस इतिहास पर ध्यान देने से इन चिरन्तन ग्रन्थकारों को भी रस की पूर्ण रूप से कल्पना थी और महत्त्व भी ज्ञात था यह स्पष्ट होगा

भामह ने रसो का स्पष्टरूप में निदर्श सर्गबन्ध के लक्षण में किया है इस बात को ध्यान में रखना नितान्तर आवश्यक है। डॉ शंकरन् भामह की उपर्युक्त पक्ति का सबन्ध नाटक से जोड़ते हैं। “ But he betrays (!) his knowledge of all the Rasas when he says युक्त लोकस्वभावेन etc; meaning thereby that in the drama all the Rasas should be delineated. ” ऐसा डॉ. शंकरन् कहते हैं, किन्तु इस प्रकार अर्थ करने में डॉ. शंकरन् की बड़ी भूल हुई है। प्रकृत उल्लेख सर्गबन्ध के लक्षण में है, न कि नाटक के लक्षण में। भामह ने सर्गबन्ध का वर्णन पहले परिच्छेद के १६ से २३ तक के श्लोको में किया है। नाट्य का निर्देश श्लोक २४ में है। प्रकृत पक्ति २१ वे श्लोक में है। यह पक्ति और नाटक का निर्देश दोनो के बीच पूरे दो श्लोक हैं। इस लिए डॉ शंकरन् की ओर से यहाँ अनवधान हुआ है यह भी कहा नहीं जा सकता। डॉ शंकरन् यहाँ केवल पूर्वग्रह में बह गये हैं और इस लिए उनकी ऐसी गलती हुई है यह प्रकट है। उनका पूर्वग्रह यह है कि, “ भामह अलंकारवादी है, वह रस का सनिवेश अलंकारों में करते हैं; उन्हें रस के विरोध में सम्प्रदाय प्रस्थापित करना है। ”

तो फिर प्रश्न उठता है कि भामह वक्रोक्ति को इतना महत्त्व क्यों देते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर न दिया गया तो भामह के सबन्ध में यह जो भ्रान्ति है उसकी निष्कृति न होगी। नाट्य का अर्थ है रस। वह अभिनय से युक्त होता है इस लिए भामह ने नाट्य को “ अभिनेयार्थ काव्य ” कहा है। किन्तु सर्गबंध आदि काव्य में रस अभिनेय नहीं होता। वह शब्दार्थों के द्वारा प्रतीत होता है। किन्तु वह मनचाहे शब्दार्थों के द्वारा भी प्रतीत नहीं होता। काव्य में शब्दार्थ रस की अभिव्यक्ति के लिए समर्थ होने चाहिए। शब्दार्थों में रसाभिव्यक्ति का सामर्थ्य निर्माण करने के लिए उनपर वक्रोक्ति का सस्कार होना आवश्यक है। इसी कारण से भामह को काव्य में रस के साथ शब्दार्थवैचित्र्य की भी अपेक्षा है। काव्य तो रसयुक्त होना ही चाहिये, किन्तु जिनके द्वारा यह रस प्रतीत होता है उन शब्दार्थों का भी उतना ही महत्त्व है ऐसा भामह का कहना है—

अहृद्यमसुनिर्भेद रसवत्त्वेऽप्यपेशलम् ।

काव्य कपित्थमाम यत्केषांचित्सदृश यथा ॥ (५।६२)

कितने ही कवियों का काव्य पाठक के हृदय पर असर नहीं कर पाता (अहृद्य); उसका अर्थ भी सरलता से नहीं लगाया जा सकता (असुनिर्भेदम्); ऐसा काव्य रसयुक्त होने पर भी कठोर ही (अपेशल) होता है। ऐसे काव्य को भामह कठबेल के कच्चे फल की उपमा देते हैं। (कपित्थवत्)। यह तो प्रसिद्ध है कि काव्य में द्राक्षापाक चाहिए, कपित्थपाक नहीं। काव्य में रस के साथ ही शब्दार्थों के वैचित्र्य का भी महत्त्व किस प्रकार है यह इससे स्पष्ट होगा।

रसनिष्पत्ति की क्रिया है उसमें वक्रोक्ति नाट्यधर्मीस्थानीय है। अर्थ के विभावन का इस तरह से भामह ने क्रिया हुआ स्पष्ट निर्देश तथा वक्रोक्ति और विभावन के उन्हे अभिप्रेत अन्योन्यसंबन्ध पर ध्यान देने के उपरान्त, “भामह को रस के विरोध में सम्प्रदाय स्थापित करना था” इस कथन में क्या सत्य हो सकता है इसका निर्णय स्वयं पाठक ही करें।

शृंगार आदि रसों का निर्देश भामह इस तरह करते हैं—

रसवत् दशितस्पष्टशृंगारादिरस यथा ।

देवी समागमत् (छद्ममस्करिष्यतिरोहिते) ॥ (३।६)

काव्य में जहाँ शृंगार आदि रसों का स्पष्ट दर्शन होता है वहाँ अलंकार रसवत् है। भामह ने यहाँ बड़ा ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। स्पष्ट है कि भामह का अभिप्राय ‘कुमारसभव’ के पाँचवे सर्ग में वर्णित प्रसंग से है। पार्वतीजी की परीक्षा करने के लिए शिवजी बटुवेष धारण कर के आए और उनके समक्ष शिव की अर्थात् अपनी ही मनचाही निन्दा की। पार्वतीजी को उस ब्रह्मचारी का भाषण भाया नहीं और उन्होंने उसे तीखे शब्दों में उत्तर दिया। किन्तु वह ब्रह्मचारी भी कुछ कम न था। वह फिर से कुछ बोलनेवाला ही था कि पार्वतीजी चिढ़कर वहाँ से जाने लगी। कालिदास इस प्रसंग का वर्णन करते हैं—

इतो गमिष्याम्यथवेति वादिनी

चचाल बाला स्तनभिन्नवल्कला ।

स्वरूपमास्थाय च तां कृतस्मितः

समाललम्बे वृषराजकेतन ॥

त वीक्ष्य वेपथुमती सरसागयष्टि-

निक्षेपणाय पदमुद्धृतमुद्वहन्ती ।

मार्गचलव्यतिकराकुलितेव सिन्धुः

शैलाधिराजतनया न ययौ न तस्थौ ॥

“या तो मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ।’ यों कह कर वे उठ कर चलने लगी। उनके स्तन पर पड़ा हुआ वल्कल निःसृत हो गया, किन्तु आवेग के कारण उनका उस तरफ ध्यान भी नहीं गया। उसी क्षण, शिवजी ने अपना सच्चा रूप धारण किया और मुस्कराते हुए उनका हाथ थाम लिया। शिवजी को देखते ही पार्वतीजी के शरीर पर रोमाञ्च भर आए। उनकी देह पर घर्मेबिन्दु शोभायमान होने लगे, आगे चलने को उठायी हुआ पैर जहाँ के तहाँ रह गया। जैसे नदी की धारा के मार्ग में पहाड़ आ जाने से वह आकुलित होती है, वही स्थिति इस पर्वतकन्या की भी हुई। वह न तो आगेही बढ़ पाई और न खड़ी ही रह पाई ! ”

पूर्व काल में काव्यचर्चा काव्य का एक अंग थी। अब नाट्य ही काव्य का एक अंग हुआ। अब आलंकारिक कहने लगे कि नाटक या रूपक मिश्रकाव्य का एक भेद है। 'अभिनय' का स्थान शब्दार्थों ने लिया एवं 'नाटक' का स्थान 'महाकाव्य' को प्राप्त हुआ। नाट्यशास्त्र में विवेचन नाट्य के आश्रय से होता था, वहीं अब महाकाव्य के आश्रय से होने लगा। काव्यालंकार के काल में महाकाव्य नाटक का प्रतिनिधि कैसे बना यह नाटक और महाकाव्य में तुलना करने से प्रतीत होगा। भामह और दण्डी दोनों ने महाकाव्य के लक्षण दिये हैं। दोनों के किए हुए लक्षणों पर ध्यान देकर महाकाव्य और नाटक में तुलना करने से, नाट्य के विविध विशेष अलंकारशास्त्र में किस प्रकार आये यह सरलता से समझ में आएगा। नाटक और महाकाव्य दोनों में कथावस्तु प्रख्यात होती है—अर्थात् वह इतिहास आदि से ली हुई रहती है। दोनों में नायक धीरोदात्त होते हैं। दोनों पंचसंधि से युक्त और रसभावनिरन्तर होते हैं। दोनों लोकस्वभावयुक्त और चतुर्वर्गफलोपेत होते हैं। और दोनों 'समृद्धियुक्त' होते हैं। महाकाव्य में समृद्धि का अर्थ है भिन्न भिन्न वैचित्र्ययुक्त वर्णन। भरत का भी नाट्यसमृद्धि में वैचित्र्ययुक्त रचना के अर्थ से ही अभिप्राय है (२७)। सारांश, नाटक और महाकाव्य के विषय, अर्थ, रस और रचना एक ही होती है। भेद इतना ही है कि नाटक में ये सारी बातें अभिनय के द्वारा दर्शाई जाती हैं और महाकाव्य में उनका वर्णन शब्दों से करना पड़ता है।

इसका अर्थ यह होता है कि नाटकीय आहार्य, आंगिक और सात्त्विक अभिनय महाकाव्य में शब्दों से ही व्यक्त करना पड़ता है। नाट्य में जो लोकस्वभाव और अवस्था अभिनय के द्वारा दर्शाई जाती है वह काव्य में शब्दों से ही व्यक्त होती है। नाट्य में अर्थ और अभिनय का जोड़ रहता है तथा काव्य में अर्थ और उक्ति का। अतएव नाट्यशास्त्र में काव्य का लक्षण 'अर्थक्रियोपेतम् काव्यम्' इस प्रकार होता है तो काव्यालंकार में भामह 'शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्' इस प्रकार लक्षण करते हैं। भरत मुनि कहते हैं, "अनेकभेदबहुलं नाट्यमस्मिन् (अभिनये) प्रतिष्ठितम्" तो दण्डी का कथन है कि "इष्टार्थव्यवच्छिन्नपदावलि" काव्य का स्वरूप है। महाकाव्य और नाटक इनमें इतना निकट संबन्ध होने से ही महाकाव्य को आदर्श रखकर

२७. 'समृद्धिम्' शब्द भामह ने महाकाव्य के लक्षण में प्रयुक्त किया है। उसमें भरत के 'समृद्धि' लक्षण का अभिप्राय गृहीत है। भामह ने भरत का विरोध नहीं किया प्रत्युत उनका अनुसरण किया इसका यह एक और प्रमाण है।

की गई काव्यचर्चा में, नाट्यशास्त्र के सभी विशेषों का उपयोग आलंकारिक केवल अनुवादमात्र से कर सके (२८)।

भरत का बताया हुआ काव्यस्वरूप दृश्य काव्य के आश्रय से है और भामह आदि का बताया हुआ काव्यस्वरूप श्रव्य काव्य के आश्रय से है। भरत नाट्यकाव्य के लिए 'काव्यबन्ध' शब्द का प्रयोग करते हैं तो भामह आदि महाकाव्य को 'सर्ग बन्ध' कहते हैं। नाटक और महाकाव्य में दर्शाये हुए उपर्युक्त साम्य पर ध्यान देने से इन दोनों सजाओ का स्वारस्य और अधिक स्पष्ट रूप में प्रतीत होता है। नाट्यसिद्धि होने के लिए अनेक प्रकार के अलंकार ठीक तरह से सिद्ध होने चाहिए। नाट्य में नेपथ्यालंकार, नाट्यालंकार, पाठ्यालंकार, वर्णालंकार, एव काव्यालंकार ये सब 'एकीभूत होकर समुदित' होने पर ही 'प्रयोगालंकार' होता है तो काव्य में वर्णान, पात्रों के व्यापार, वृत्त, नाद, पाठ्य, शब्दार्थालंकार एव गुण इन सब का औचित्ययुक्त मेल होने से काव्यालंकार होता है। इस काव्यालंकार को ही प्राचीन शास्त्रकारों ने 'प्रबन्धगुण' और भोज ने 'प्रबन्धालंकार' कहा है।

इस दृष्टि से अलंकारशास्त्र की ओर देखने से नाट्यशास्त्र के किन विशेषों का अलंकारशास्त्र में किस रूप में परिवर्तन हुआ यह अविलम्ब ध्यान में आता है। नाट्य में नेपथ्यालंकार ही काव्य में वर्णानों के द्वारा सिद्ध किया हुआ विभावौचित्य है, नाट्य में नाट्यालंकार ही काव्य में पात्रव्यापार के वर्णानों से सिद्ध किया हुआ अनुभावो का औचित्य है; पाठ्यालंकार ही काव्य में पाठ्यगुण है; वर्णालंकार ही छन्दो तथा वृत्तो का एवं परुष, नागरक, ग्राम्य वृत्तियों का औचित्य है, नाट्य के लक्षण और अलंकार ही काव्य में शब्दार्थालंकार है, नाट्य के गुणदोष ही काव्य के भी गुणदोष हैं, नाट्य का 'प्रयोगालंकार' ही काव्य का 'प्रबन्धालंकार', 'प्रबन्धगुण' अथवा 'काव्यालंकार' है। नाट्यागो का 'एकीभूय समुदय' ही काव्य में सब काव्यागो का "औचित्य" है। नाट्य के विघ्न काव्य में रसदोष है एव नाट्यसिद्धि ही काव्य में रस की अभिव्यक्ति है। नाट्यसिद्धि के लिए ही मुनि भरत 'रसप्रयोग' शब्द का उपयोग करते हैं। काव्य में भी कवि 'रसप्रयोग' ही करता है। अभिनवगुप्त का कथन है कि "काव्येऽपि सर्वो नाट्याय-

२८. महाकाव्य के लक्षण में आलंकारिकों ने केवल बाह्य अंगों का ही वर्णन किया ऐसा दूषण आधुनिक आलोचक प्राचीन शास्त्रकारों पर लगाते हैं। भामह या दण्डी की दस पंच पंक्तियों को ही देखने से यह धारणा होना संभव है। किन्तु जहाँ 'अनूदित' अंश हो वहाँ अनुवादस्थल में अनूदित शास्त्र के सम्पूर्ण विवेचन का ग्रहण अपेक्षित होता है। शास्त्रविवेचन का यह महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त स्मरण रहना आवश्यक है। अनूदित अंश के साथ लक्षणों का विचार करने से उपर्युक्त दूषण के लिए अवकाश रहता नहीं।

मान एवार्थ ” भामह कहते हैं— “ अनयाऽर्थो विभाव्यते । ” और भट्टतौत ने तो स्पष्ट ही कहा है कि “ काव्य में जबतक प्रयोगत्व नहीं आता तबतक रसास्वाद सभव ही नहीं, इस आस्वाद के लिए काव्य के वे वे भाव (पदार्थ) प्रत्यक्षवत् स्फुटता से प्रतीत होना आवश्यक है और इस हेतु कवि को वे पदार्थ प्रौढोक्ति द्वारा औचित्य-युक्त रीति से उपस्थित करने पड़ते हैं । (२६) यहाँ की प्रौढोक्ति ही भामह की ‘ वक्रोक्ति ’ है और “ प्रत्यक्षवत् स्फुटता ” ही “ विभावन ” है । “ अनयाऽर्थो विभाव्यते ” इस भामहवचन का अर्थ अब स्पष्ट होगा । साराश, भरत का “ रस-प्रयोग ” ही काव्य में “ आस्वादसंभव ” या “ रसाभिव्यक्ति ” है ।

नाट्य की लोकधर्मी और नाट्यधर्मी ही काव्य में स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति है । नाट्य में चार वृत्तियाँ होती हैं—भारती, सात्त्वती, आरभटी और कैशिकी । काव्य शब्दमय होने के कारण उसमें केवल भारती वृत्ति ही होती है । किन्तु काव्य में भारती वृत्ति अन्य वृत्तियों से समिश्र होती है । कैशिकीयुक्त भारती ही काव्य में “ वैदर्भी रीति ” या “ सुकुमार मार्ग ” है और आरभटीयुक्त भारती ही “ गौडी रीति ” या विचित्र मार्ग है । ‘ सात्त्वती ’ मनोवृत्ति कवि तथा रसिकों के मनो-व्यापार से प्रतीत होती है ।

नाट्य का दर्शक ही काव्य का पाठक है तथा नाट्य का पताका देनेवाला प्राश्निक ही काव्य का आस्वादक सहृदय है । विमलप्रतिभा से युक्त सहृदय ही रसास्वाद का सच्चा अधिकारी है (अधिकारी चात्र विमल प्रतिभानशाली सहृदयः । —अभिनवगुप्त) और वही काव्यशास्त्र का भी निर्माता है ।

२९. प्रयोगत्वमनापन्ने काव्ये नास्वादसंभवः ।

वर्णनोत्कलिकाभोगप्रौढोक्त्या सम्यगर्पिताः ॥

उद्यानकान्ताचन्द्राभाः भावाः प्रत्यक्षवत् स्फुटाः ॥

—काव्यकौतुक

काव्यचर्चा का नया संसार व नई अड़चनें

नई काव्यचर्चा का क्षेत्र

नाट्य से काव्यचर्चा पृथक्
होते ही उसका क्षेत्र

विस्तृत हुआ। इस विस्तार की कल्पना भामह और दण्डी दोनों ने अपने ग्रन्थों में दी है। जिस काव्य का यह शास्त्र है वह काव्य सस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं का काव्य है। उसमें सर्गबन्ध व मुक्तक आदि पद्यभेद, कथा-आख्यायिका आदि गद्यवाङ्मय एव चम्पू, नाटक आदि गद्यपद्ययुक्त वाङ्मय इन सभी का अन्तर्भाव होता है। साराश, इस काव्यचर्चा में उस काल की सभी भाषाओं के वाङ्मय की आलोचना करने का यत्न किया गया है। काव्यचर्चा के ग्रन्थ सस्कृत में लिखे जाने पर भी वह शास्त्र केवल सस्कृत के लिए सीमित नहीं रहा (१)।

भामह और दण्डी ने इन सारी भाषाओं का वर्गीकरण आरम्भ में किया है। ये सारे वाङ्मयभेद अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार भिन्न थे। किन्तु फिर भी उन सभी का एक सामान्य लक्षण उनके ध्यान में आया। यह लक्षण सभी काव्यभेदों के लिए समान तो था ही, किन्तु और एक बात यह भी थी कि वह वाङ्मय के अन्य भेदों से अर्थात् शास्त्रों से काव्य की भिन्नता भी दर्शाता था। यह विशेष स्वरूप निर्धारित करने का उन्होंने प्रयास किया।

अन्वयव्यतिरेक की शैली

इसके लिए उन्होंने अन्वयव्यतिरेक की शैली का अवलंब किया। काव्य से होनेवाला परिणाम और काव्य में कथित अर्थ ही अन्य प्रकार से कथन करने पर

१. साहित्यशास्त्र के व्यापक क्षेत्र की कल्पना मैंने अन्यत्र दी है — देखिए — 'मातृभूमि' (मराठी) दीपावलि अंक, १९५४

होनेवाला परिणाम इन दोनों में उन्होंने तुलना की और दोनों में जो भेद प्रतीत होता है उस भेद का सबन्ध उन्होंने उस अर्थ के कथन की शैली से जोड़ दिया। दण्डीने काव्यादर्श में कहा है—

कन्ये कामयमान त्वा न त्व कामयसे कथम् ।

इति ग्राम्योऽयमर्थात्मा वैरस्याय प्रकल्पते ॥

काम कदर्पचाण्डालो मयि वामाक्षि निर्दयः ।

त्वयि निर्मत्सरो दिष्टचेत्यग्राम्योऽर्थो रसावहः ॥ (१।६३, ६४)

किसी युवक ने किसी युवति से पूछा, “हे युवति, मैं तुम्हारे लिए इतनी अभिलाषा रखता हूँ फिर भी तुम मुझे चाहती नहीं हो, ऐसा क्यों?” उसी समय, अन्यत्र कोई दूसरा प्रेमी अपनी प्रेमिका से कह रहा था, “हे वामाक्षि, यह दुर्जन मदन मुझ से निर्दयता का व्यवहार भले ही करे। परन्तु भाग्य की बात है कि वह अभीतक तुम्हारा मत्सर नहीं कर रहा है।” दोनों के कहने का मतलब एक ही है। परन्तु परिणाम कितना भिन्न है! परिणाम में यह भेद होने का कारण क्या है? दण्डी कहते हैं—”पहले अर्थ का स्वरूप ग्राम्य है (इति ग्राम्योऽयमर्थात्मा ।), दूसरा अर्थ अग्राम्य है (अग्राम्योऽर्थः), पहले अर्थ से वैरस्य आता है, दूसरा अर्थ रसावह है। काव्य में अन्य विशेष कितने ही अच्छे क्यों न हों, यदि उसमें ग्राम्यता है तो निश्चय ही रसहानि होती है। इसके विपरीत काव्य में अन्य कुछ भी न हो और केवल अर्थ अग्राम्य हो तो भी काव्य रसवत् होता है। दण्डी ने अन्वयव्यतिरेक से देखा कि काव्य की विशेषता अग्राम्यता है, अतएव उन्होंने कहा है कि, “सभी प्रकार के अलंकार अर्थ को रसयुक्त बनाते तो हैं ही, किन्तु सरसता का अधिकांश भार अग्राम्यता पर ही होता है (२)।”

अग्राम्यता, माधुर्य, वक्रोक्ति

अग्राम्यता शब्द नकारात्मक है। इस शब्द से किसी खास बात का बोध तो होता नहीं, परन्तु माधुर्य का लक्षण करते हुए दण्डी ने इस शब्द का प्रयोग किया है। काव्य के लिए माधुर्य गुण आवश्यक है। माधुर्य का अर्थ है काव्यगत रसवत्ता। इस माधुर्य के कारण ही रसिक जन काव्य पर भ्रमर के समान लुब्ध होते हैं (३)। काव्य की रसवत्ता के लिए सब से अधिक बाधक वस्तु है ग्राम्यता। दण्डी का कथन है कि, “ग्राम्यता वैरस्य लाती है, अग्राम्यता रसावह होती है।” माधुर्य का अर्थ रसवत्ता ही है। अतएव माधुर्य अग्राम्यता में प्रतिष्ठित है।

२. कामं सर्वोऽप्यलंकारो रसमर्थे निषिञ्चति ।

तथाप्यग्राम्यतैवैनं भारं वहति भूयसा ॥ (१।६२)

३. मधुरं रसवद्वाचि वस्तुन्यापि रसस्थितिः ।

येन माबन्ति धीमन्तो मधुनेव मधुव्रताः ॥ (१।५१)

का व्य च र्चा का न या सं सा र व न ई अ ड च नें ****

अग्राम्यता ग्राम्यता के विरुद्ध है। ग्राम्यता के विरुद्ध अर्थ का दर्शक विधायक पद है—‘विदग्धता’। विदग्धता का अर्थ है विदग्धजन की व्यवहारपद्धति। दण्डी ने दिये हुए उदाहरणों में पहला युवक ग्राम्य (अनाडी) है, और दूसरा युवक विदग्ध है। दूसरे युवक के भाषण में विदग्धता अर्थात् अग्राम्यता है। इसी कारण वह रसावह होता है ऐसा दण्डी का अभिप्राय है।

विदग्ध जन की भाषण की शैली ही काव्य की शैली है ऐसा कुल अर्थ यहाँ निष्पन्न हुआ। इस शैली के भाषण को काव्यशास्त्र में ‘वैदग्ध्यभङ्गिभरिणिति’ कहते हैं यही वक्रोक्ति का लक्षण है। वैदग्ध्यभङ्गिभरिणिति का ही दूसरा पर्याय है ‘उक्ति-वैचित्र्य’ और वामन का कथन है कि उक्तिवैचित्र्य का अर्थ माधुर्य है (उक्तिवैचित्र्यं माधुर्यम्)।

दण्डी का कथन है कि माधुर्य अग्राम्यता में प्रतिष्ठित है। अग्राम्यता का अर्थ है वैदग्ध्य। वैदग्ध्यभङ्गिभरिणिति वैदग्ध्य की द्योतक है। ऐसी भरिणिति ही वक्रोक्ति है। भामह कहते हैं कि वक्रोक्ति ही काव्यसौन्दर्य का घटक (अलकार) है। वक्रोक्ति का अर्थ है उक्तिवैचित्र्य। उक्तिवैचित्र्य का अर्थ माधुर्य है ऐसा वामन का कथन है। और इन सब का अर्थ है भाषण की जनसाधारण से भिन्न शैली। इसी को ‘उक्ति-विशेष’ की संज्ञा है। काव्य और शास्त्र में शब्द और अर्थ तो समान रहते हैं। किन्तु उन्हीं शब्दार्थों को उक्तिविशेष के कारण काव्यत्व प्राप्त होता है ऐसा राजशेखर का कथन है (४)।

वक्रोक्ति के विरुद्ध ग्राम्यता है, स्वभावोक्ति नहीं

भाषण की जनसाधारण से भिन्न शैली को ही भामह ने वक्रोक्ति कहा है। विदग्धता और वक्रोक्ति में अव्यभिचारी संबन्ध है। प्राय वक्रोक्ति के विरुद्ध स्वभावोक्ति समझी जाती है। किन्तु यह ठीक नहीं। क्यों कि स्वभावोक्ति के लिए भी विदग्धता आवश्यक होती है।

चलापागा दृष्टि स्पृशसि बहुशो वेपथुमती
रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदु करार्णितिकचरः।
कर व्याधुन्वन्त्या पिबसि रतिसर्वस्वमधर
वय तत्त्वान्वेषान्मधुकर हतास्त्व खलु कृती ॥

कालिदास के इस प्रसिद्ध श्लोक में भ्रमरस्वभावोक्ति है। किन्तु भ्रमर का यह कविकृत वर्णन कुछ जीवशास्त्रज्ञ ने वर्णित भ्रमरव्यापार नहीं है। विदग्धजन का वह स्वाभिप्रायप्रकाशन है। अथवा—

४. अत्थविसेसा ते चिभ सदा ते चैव परिणमन्ता ।व।

. उत्तिविसेसो क्वचं भासा जा होइ ता होडु ॥

८१ ****

बध्नन्नङ्गेषु रोमाञ्च कुर्वन् मनसि निर्वृतिम् ।

नेत्रे निमीलयन्नेषु प्रियस्पर्शः प्रवर्तते ॥

प्रियास्पर्श सुखकारी होता है इस बात की प्रतीति यह गुणस्वभावोक्ति करा देती है; इसमें भी एक माधुरी है, एक विदग्धता है। हमें तत्काल प्रतीत होता है कि इस प्रकार बोलनेवाला व्यक्ति बड़ा चतुर होना चाहिये। स्वभावोक्ति में भी बिना विदग्धता के काव्य नहीं हो सकता। यदि ऐसा न हो, तो मानना पड़ेगा कि—

गोरपत्यं बलीवर्दं, घांसमत्ति मुखेन सः ।

मूत्र मुचति शिस्नेन, अपानेन च गोमयम् ॥

इस पद्य में भी काव्य है। इस पद्य में भी बैल के व्यापार का वर्णन यथासत्य है। किन्तु वह ग्राम्य है अतएव उसमें काव्य नहीं है। वक्रोक्ति से वैदग्ध्य प्रतीत होता है, एवं स्वभावोक्ति के लिए भी वैदग्ध्य आवश्यक होता है। अतएव साहित्यशास्त्र में, वक्रोक्ति के विरुद्ध अर्थ का दर्शक शब्द स्वभावोक्ति न होकर 'ग्राम्यता' है। यदि वक्रोक्ति काव्य का प्राण है तो ग्राम्यता काव्य का प्राणघाती दोष है।

विदग्धगोष्ठी में चलती हुई चर्चा से ही आरम्भकालीन ग्रन्थ निर्माण हुए

वक्रोक्ति ही वैदग्ध्यभङ्गिभङ्गिप्रति है जो कहते ही विदग्धता से सबन्धित अनेक कल्पनाएँ एकत्रित होती हैं। वात्स्यायन का नागरक विदग्धजन है इस बात का स्मरण होता है। नागरक का नाम लेते ही उसका गोष्ठीसमवाय याद आता है। नागरक विदग्ध है अतएव यह गोष्ठीसमवाय भी विदग्धजनो का ही होना चाहिये। यह कल्पना मनमें आते ही दण्डी की 'विदग्ध गोष्ठी' सम्मुख उपस्थित होती है। "काव्यशास्त्र के अध्ययन से व्यक्ति विदग्धगोष्ठी में विहार करने में समर्थ होता है।" दण्डी का यह वचन स्मरण होते ही राजशेखर की बताई हुई काव्यगोष्ठी याद आती है। और वात्स्यायन के ये विदग्ध नागरक प्रतिमास या प्रतिपक्ष नियत दिन छोटा-सा सम्मेलन करते थे। इस सम्मेलन को 'समाज' कहा जाता था तथा उसमें भाग लेनेवाले 'सामाजिक' कहलाते थे (५)। सामाजिक का नाम लेते ही काव्य का रसिक सम्मुख उपस्थित होता है, क्योंकि साहित्यशास्त्र में ये दोनों पर्याय शब्द हैं।

५. कामसूत्र १।४।२७ पर जयमंगला देखने लायक है। "पक्षस्य मासस्य वा प्रज्ञातेऽहनि सरस्वत्या भवने नियुक्तानां नित्य समाजः।" इस पर जयमंगलाकार यशोधर कहते हैं, "सरस्वती च नागरकारणां विद्याकलासु अधिदेवता, तस्या आयतने नियुक्तानां-नायकेन पूजोपचारकत्वे प्रतिपक्षं प्रतिमास च ये नियुक्ताः नागरकनटाद्यो नतितुम्, तेषा समाजः स्वव्यापारानुष्ठानेन मिलनं, यस्मिन् प्रवृत्ते नागरकाः सामाजिका भवन्ति ॥"

७५० तक के काल में हुए। इन दोनों में से पहले कौन हुआ इस विषय में विद्वानों में एकमत नहीं है। प्रकृत विवेचना की दृष्टि से हम ख्रि. ६०० से ७५० तक के डेढ़ सौ वर्ष के काल के एक कालखण्ड की कल्पना करेंगे और इन दोनों ग्रन्थकारों के ग्रन्थों से यह समझने का यत्न करेंगे कि इस कालखण्ड में काव्यचर्चा का स्वरूप क्या होगा।

दोनों के दृष्टिकोण में अंतर

भामह और दण्डी दोनों के ग्रन्थों की सामग्री काव्यगोष्ठियों की चर्चा से प्राप्त हुई है। फिर भी दोनों की विवेचना में काफी भेद है। दण्डी के ग्रन्थ में काव्यमार्ग और अलंकार का ऊहापोह है। भामह के ग्रन्थ में इसके साथ ही अन्य शास्त्रकारों से — विशेषरूप में वैयाकरण और नैयायिकों से — वाद किये हुए हैं। दण्डी ने इस प्रकार वाद नहीं किये। काव्यमार्ग और अलंकारों का ठीक स्वरूप समझा देना यही दण्डी का प्रयोजन प्रतीत होता है, तो अन्य शास्त्रों से समान प्रतिष्ठा काव्य को भी प्राप्त करा देना इस प्रकार का दोहरा उद्देश्य भामह का प्रतीत होता है। उद्दिष्ट की इस भिन्नता के कारण दण्डी और भामह दोनों का विषय एक होने पर भी विवेचना के स्वरूप में आरंभ से ही भेद है।

आरंभिक सरस्वतीवदना के उपरान्त, वारणीका ठीक प्रकार से उपयोग एवं काव्य की निर्दोषता के विषय में दण्डी कहते हैं — “सुप्रयुक्त वारणी तो इष्ट वस्तु प्रदान करनेवाली कामधेनु ही है। किन्तु यदि वारणी का दुष्प्रयोग किया गया तो वही वारणी सूचित करती है कि वक्ता ठेठ बैल है। इस लिए, कवि को काव्य में अल्प दोष की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। शरीर कितना भी सुंदर क्यों न हो, कोढ़ के एक ही दाग से भी विरूप दीखता है। किन्तु ये गुणदोष शास्त्रज्ञान के बिना समझना संभव नहीं। रग रग में भेद का निर्णय करने का अधिकार अर्ध को कैसे प्राप्त हो सकता है ? ” (७)। सारांश, दण्डी के काव्य का उद्देश्य है कवि और रसिक दोनों को काव्यशास्त्र का ज्ञान करा देना एवं उसकी सहाय्यता से उन्हें कवित्व तथा रसिकत्व का अधिकार प्राप्त कराना।

७. गौर्गौः कामदुषा सम्यक् प्रयुक्ता स्मर्यते बुधैः ।
 दुष्प्रयुक्ता पुनर्गौर्त्वं प्रयोजुः सैव शसति ॥
 तदल्पमपि नोपेक्ष्यं काव्ये दुष्ट कदाचन । •
 स्याद्गुणः सुंदरमपि श्वित्रेणैकेन दुर्गमम् ॥
 गुणदोषानशास्त्रज्ञः कथं विभजते जनः ।
 नखंधस्याधिकारोऽस्ति रूपभेदोपलब्धिषु ॥ (१।६-८)

इसी कारण से प्रत्यक्ष विषय का आरम्भ करने में भी भामह की विजिगीषु प्रवृत्ति ही दिखाई देती है। दण्डी की तुलना में तो वह और भी अधिक प्रतीत होती है। दण्डी विषय का उपन्यास इस प्रकार करते हैं— “अतएव, लोकव्युत्पन्न हो इस उद्देश्य से पूर्वसूरियो ने वैचित्र्यपूर्ण मार्गों से प्रकट होनेवाली वाणी का (काव्य का) क्रियाविधि बताया। उसमें उन्होंने काव्य का शरीर क्या है और अलंकार कौनसे है यह बताया। इष्ट अर्थ से व्यवच्छिन्न पदों का समूह ही काव्य का शरीर है (११)।” — जनता को व्युत्पन्न करना (प्रजाना व्युत्पत्तिमभिसंधाय), उसे काव्यगत गुण और दोष समझने में समर्थ करना यही दण्डी की दृष्टि में शास्त्र का प्रयोजन है। इसके विपरीत भामह का विषयोपन्यास देखिए—

रूपकादिरलकारस्तस्यान्यैर्बहुधोदित ।

न कान्तमपि निभूष विभाति वनिताननम् ॥

रूपकादिमलकार बाह्यमाचक्षते परे ।

सुपा तिङा च व्युत्पत्ति वाचा वाच्छन्त्यलकृतिम् ॥

तदेतदाहुः सौशब्द नार्थव्युत्पत्तिरीदृशी ।

शब्दाभिधेयालकारभेदादिष्ट द्वय तु न ॥

शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्—

भामह के समय में साहित्यपंडितों में दो वाद प्रचलित थे। कतिपय पंडितों की संमति थी कि रूपक आदि अलंकारों को काव्य के अन्तरग में स्थान है। “वनितामुख स्वभावतः सुंदर होने पर भी बिना अलंकारों के शोभायमान होता नहीं।” ऐसा उनका मन्तव्य था। किन्तु साहित्यिकों का दूसरा भी एक वर्ग था। रूपक आदि अलंकारों को वह बाह्य अर्थात् अनावश्यक मानता था। काव्य में सुप्तिङ्बुत्पत्ति अर्थात् व्याकरणशुद्धता होना ही काफी है। व्याकरण की शुद्धि ही काव्य का एकमात्र अलंकार है ऐसा इस दूसरे वर्ग का कहना था। भामह को यह दूसरा मत स्वीकार नहीं था। सुप्तिङ्बुत्पत्ति तो केवल सौशब्द अर्थात् शब्दव्युत्पत्ति है; शब्दव्युत्पत्ति तो कोई अर्थव्युत्पत्ति नहीं होती। दोनों भिन्न हैं। शब्दार्थालंकारों में भी भेद है। काव्य के लिए इन दोनों की भी (सुप्तिङ्बुत्पत्ति तथा अर्थालंकार) समान आवश्यकता है। क्योंकि, शब्द और अर्थ दोनों के योग से काव्य होता है, ऐसी भामह की समति थी।

इस प्रकार, विषय का आरम्भ ही भामह वाद से करते हैं। वाद के द्वारा

११. अतः प्रजानां व्युत्पत्तिमभिसंधाय सूरयः ।

वाचां विचित्रमार्गाणां निबबन्धुः क्रियाविधिम् ॥

तैः शरीरं च काव्यानामलकाराश्च दर्शिताः ।

शरीरं तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावलिः ॥ (११९, १०)

काव्यशब्दसाधुत्व (Grammar of Poetry)

शब्दव्युत्पत्तिवादियों का कहना यह है, काव्य में शब्दशास्त्र की दृष्टि से निर्दोषता होना इतना भर काफी है। वही वास्तव में अलंकार है। रूपक आदि अलंकारों की काव्य के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, वे तो बाह्य हैं। इसपर भामह का प्रत्युत्तर है कि शब्दव्युत्पत्ति तो केवल सुशब्दता है। वह केवल शब्द-संस्कार है। किन्तु केवल शब्दसंस्कार से काव्य नहीं होता। उसे अर्थसंस्कार भी आवश्यक है। शब्द और अर्थ दोनों मिलकर काव्य होता है। शब्दसंस्कार व्याकरण से होता है; अर्थसंस्कार वक्रोक्ति से होता है। अतएव, केवल व्याकरण की दृष्टि से रचना ठीक है इस लिए वह काव्य है ऐसी बात नहीं। वह तो वातामात्र होगी। अतएव अभिप्रेत अर्थ के लिए कवि को शब्द चुनना पड़ता है।

अर्थात् व्याकरणस्थित शब्दसाधुत्व और काव्यस्थित शब्दसाधुत्व दोनों में भेद होता है। व्याकरण में शब्दसाधुत्व सुप्तिङव्युत्पत्ति से होता है, किन्तु अर्थ-व्युत्पत्ति के लिए वक्रोक्ति की आवश्यकता होती है। भामह को व्याकरण अस्वीकार नहीं है; उन्हे भी व्याकरण उतना ही प्रमाण है जितना कि वह वैयाकरण को ही। किन्तु व्याकरण की शुद्धि होने से ही कोई भी शब्द उनके लिए स्वीकार्य नहीं है। कवि के चुने हुए शब्दों से उसका वैदग्ध्य प्रतीत होना चाहिये। “पश्यति स्त्री” और “विलोकयति कान्ता” दोनों वचन व्याकरण की दृष्टि में समान हैं, काव्य की दृष्टि में नहीं। “मार्जन्त्यधरराग ते पतन्तो बाष्पबिन्दवः” (६।३१)। यही अर्थ ‘मृजन्त्यधरराग ते’ इस प्रकार भी कहा जा सकता है। शब्दव्युत्पत्ति के अनुसार उसमें कोई भेद नहीं होगा किन्तु कवि की दृष्टि में उसमें निश्चय ही भेद होगा। ‘मार्जन्ति’ और ‘मृजन्ति’ दोनों ‘मृज्’ धातु के ही रूप हैं। किन्तु ‘मार्जन्ति’ के उच्चारण में जो कोमलता, सफाई और मृदुता है वह ‘मृजन्ति’ के उच्चारण में नहीं। और जिस अवसर पर कवि यह प्रयोग कर रहा है वह अवसर भी उतना ही कोमल है। रूठ कर अश्रुपात करती हुई प्रिया को मनाने हुए कवि कहता है, ‘अब तो मान जाओ, यह टपकते हुए अश्रु तुम्हारे होंठों का रंग भी धुला रहे हैं।’ ऐसे प्रसंग में ‘मृजन्ति’ की अपेक्षा ‘मार्जन्ति’ पद काव्य की दृष्टि में उचित है। शब्दों का उच्चारण ही केवल नहीं, तो अनुपद आये हुए दो वर्णों की संधि भी अपनी उक्ति के लिए पोषक है या नहीं यह देखना भी कवि के लिए आवश्यक हो जाता है। ‘एतत् + श्याम’ इन पदों की सन्धि ‘एतच्छ्याम’ होती है। व्याकरण की दृष्टि से इसमें कोई दोष नहीं है। किन्तु “यथैतच्छ्याममाभाति वनं वनजलोचने” इस पंक्ति में इसी सन्धि के कारण श्रुतिकटुत्व आया हुआ है। अतएव व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होने पर भी काव्य की दृष्टि से यह सन्धि द्रुष्ट है। और इसी लिए भामह को

और व्याख्यागम्य काव्य लिखने वाले अनेक कवि भामह के समय में थे। व्याख्यागम्य काव्य के उदाहरणस्वरूप भामह ने रामशर्म कवि के 'अच्युतोत्तर' नामक काव्य का उल्लेख किया है। सभवतः, आधुनिक काल में प्रसिद्ध भट्टिकाव्य भी भामह के सम्मुख था (१६)। ऐसे काव्यों का समर्थन करनेवाला साहित्यमीमांसकों का एक वर्ग भामह के समय में था। भामह का इस वर्ग से बिलकुल ही नहीं बनता था। ऐसे किसी काव्यमीमांसक का भामह ने नाम से तो निर्देश नहीं किया, किन्तु ग्रन्थान्तर से प्रतीत होता है कि भामह के इन विरोधियों में 'मगल' नामक साहित्यपंडित था (१७)। मगल के मतों के यत्रतत्र जो उल्लेख मिलते हैं उन्हें एकत्रित करने से इस वर्ग के मतों की कुछ कल्पना की जा सकती है। इन लोगों की समिति में 'काव्यपाक' तो केवल 'सुपा तिडा श्रव।' अर्थात् शब्दव्युत्पत्ति है (१८)। इन के विचार में प्रतिभा से भी व्युत्पत्ति श्रेयस्कर है। काव्य के लिए प्रतिभा आवश्यक नहीं। प्रतिभा के अभाव की पूर्ति व्युत्पत्ति से हो सकती है। इस लिए केवल वैचित्र्य और वैदग्ध्य पर बल देनेवाली काव्यरचना इनकी भी संमति में त्याज्य है (१९)। यह सब भामह को पूर्णरूपेण अस्वीकार था। सुप्तिङ्गव्युत्पत्ति तो केवल सौशब्द है, काव्य नहीं, काव्य तो किसी प्रतिभावान् को ही स्फुरित होता है ऐसा भामह का कथन था। मगल के वचन और भामह की सबन्धित कारिकाओं में परस्पर तुलना करने से, ग्रंथ के आरम्भ में ही भामह किसका प्रतिवाद कर रहे हैं यह शीघ्र समझ में आ जाता है।

१६. "व्याख्यागम्यमिदं काव्यमुत्सवः सुधियामयम्। हता दुर्मधसाश्चास्मिन् विदुषां प्रीतये मया ॥" ऐसा भट्टि ने अपने काव्य के विषय में लिखा है। प्रतीत होता है कि भामह ने भी "काव्यान्यपि यदीमानि व्याख्यागम्यानि शास्त्रवत्। उत्सवः सुधियामेव हन्त दुर्मधसो हताः ॥" वाली कारिका लिखकर, भट्टि के शब्दों में ही उनका प्रत्याख्यान किया है।

१७. राजशेखर : काव्यमीमांसा।

१८. "क' पुनरय पाक ?" इत्याचार्याः। 'परिणाम' इति मङ्गलः। कः पुनरयं परिणामः' इत्याचार्याः। 'सुपां तिडां च श्रवः, यैषा व्युत्पत्तिः' इति मङ्गलः। "सौशब्दमेतत्, पदनिवेशनिष्कषता पाकः" इत्याचार्याः। का. मी. पृ. २०.

१९. 'व्युत्पत्तिः श्रेयसी' इति मङ्गलः।

'कवेः सन्वियतेऽशक्तिः व्युत्पत्त्या काव्यवर्त्मनि।

वैदग्धीन्वित्तानां हेया शब्दार्थयुफना ॥' (का मी. १।११६)

इसपर भामह ने उत्तर तो दिया है ही किन्तु ध्वन्यालोक से प्रतीत होता है कि प्रतिभावादियों ने भी 'अव्युत्पत्तिकृतो दोषः शक्त्या सन्वियते कवेः।' इस प्रकार व्युत्पत्तिवादियों के शब्दों में ही उत्तर दिया है।

का व्य चर्चा का नया सार नई व अडचने

भामह का काव्यन्यायनिर्णय (Logic of Poetry)

काव्य के लिए शब्दव्युत्पत्ति के साथ ही अर्थव्युत्पत्ति अर्थात् वक्रोक्ति की आवश्यकता है यह सिद्ध करने में भामह को शब्दपडितों से वाद करना पडा और वक्रोक्ति की सत्यता प्रस्थापित करने के लिए उन्हें तार्किकों से भगड़ना पडा । ' काव्य-न्यायनिर्णय ' नामक पाँचवे परिच्छेद में उन्होंने इस विषय की चर्चा की है ।

भामह का विवेचन समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लें—कोई प्रियतम अपनी प्रेमिका से कहता है—

शिखरिणि क्व नु नाम कियच्चिर
किमभिधानमसावकरोत्तप ।
सुमुखि, येन तवाधरपाटल
दशति बिम्बफल शुक्शावक . ॥

“ हे सुमुखि, इस तोते ने कौनसे पर्वत पर तप किया हो ? कितने समय तक किया हो ? और वह तप भी क्या हो कि तुम्हारे अधर के समान रक्तवर्णा इस बिम्बफल का वह आस्वाद ले रहा है ? ” इस पद्य में अभिव्यक्त हुआ वक्ता का अभिप्राय और इस वाक्य का केवल वाच्यार्थ इन दोनों में सबन्ध न्यायशास्त्र के सिद्धान्तों से नहीं सिद्ध हो सकता । अथवा—

भ्रमर, भ्रमता दिगन्तराणि
क्वचिदासादितमीक्षित श्रुत वा ।
वद सत्यमपास्य पक्षपात
यदि जातीकुसुमानुकारि पुष्पम् ॥

“ हे भ्रमर, तुम दसो दिशाओं में भ्रमण कर आये हो । अब, बिना पक्षपात किये मुझे बताओ कि जातीपुष्प के समान पुष्प तुमने पाया है, देखा है या सुना भी है ? ” नायिका की सखी ने नायक से पूछे इस प्रश्न का व्यङ्ग्य नायक की ओर कैसे होता है यह न्यायशास्त्र के सिद्धान्तों से नहीं समझा जाता । उपर्युक्त उदाहरणों में बोलने की जो रीति है वही यदि वक्रोक्ति है तो वह तर्कविद्या को स्वीकार होना कतई संभव नहीं । इसी लिए काव्य में असत्य होता है ऐसा तार्किक कहेगे । नैयायिकों के इस आक्षेप पर प्रतिवचन देते हुए वक्रोक्ति की सत्यता सिद्ध करने के लिए भामह काव्यन्याय का निर्णय कर रहे हैं ।

भामह का आशय यह है—विश्व के पदार्थों की सत्यता प्रमाणों से निर्धारित करनी पड़ती है । प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाण हैं । उनमें व्यक्ति या विशेष का

है। शब्द भी दूर से सुनाई नहीं देता, वह तो कर्ण शष्कुली में ही होता है। नदियों का पानी प्रतिक्रमा बदलता रहता है, और आकाश में ग्रहणोल तो क्षणभर के लिए भी स्थिर नहीं होते, ऐसा शास्त्र का कथन है। अतएव उपर्युक्त वर्णन शास्त्र की दृष्टि में (यथार्थत.) असत्य है। किन्तु लोकव्यवहार और लोकानुभव से उपर्युक्त वर्णनो की सत्यता हमारे लिए प्रमाणित होती है। शास्त्रत जो 'आभास' निर्धारित है वह कई बार लोकव्यवहार तथा लोकानुभव की दृष्टि से सत्य सिद्ध होता है। काव्य का आधार लोकानुभव है। काव्य लोकानुभव का अनुवाद करता है। इसलिए काव्यगत वर्णन भी लोकानुभव की दृष्टि में सत्य होते हैं। यही काव्यन्याय में प्रत्यक्ष है। काव्यस्थित इस प्रत्यक्ष को शास्त्रनियमो से नहीं अपितु लोकानुभव से पडतालना है (२३)।

काव्यगत अनुमान — अर्थसिद्धि का दूसरा प्रमाण है अनुमान। अनुमान के तीन अंग — प्रतिज्ञा, हेतु तथा दृष्टान्त — काव्यगत अनुमान में भी होते हैं। किन्तु उनकी काव्यगत सत्यता लोकाश्रित ही होती है। इन सभी का उदाहरणो के साथ उत्कृष्ट विवेचन भामह ने पाँचवे परिच्छेद में ३५ से ६० तक की कारिकाओं में किया है। जिज्ञासु वह मूल में ही देखें। केवल एक उदाहरण यहाँ हम प्रस्तुत करते हैं—

व्याभितो वनोभोगमेतदस्ति महत्सरः ।

कूजनात् कुररीणां च कमलाना च सौरभात् ॥ (५।४६)

कुररी का कूजन सुनाई दे रहा है और कमलो की सुगन्ध महक रही है, अतएव अनुमान होता है कि इस वन में पास ही कही सरोवर होना चाहिये। यहाँ 'सरोवर का अस्तित्व' साध्य है और उसका साधक हेतु 'कूजन' और 'सौरभ' है। न्यायशास्त्र के सिद्धान्तो के अनुसार देखें तो यहाँ हेतु ठीक नहीं है। क्योंकि 'कूजन' और 'सौरभ' उस प्रदेश के धर्म न होने के कारण 'पक्षे सत्त्व' या 'पक्षधर्मता' यह धर्म यहाँ नहीं है। किन्तु ऐसा होनेपर भी यह अनुमान लोकानुगामी है और 'अन्यधर्मोऽपि तत्सिद्धि सम्बन्धेन करोत्ययम्।' इस भामह के वचन के अनुसार सत्य है। इसके विपरीत शास्त्रत. शुद्ध अनुमान भी लोकानुभव से सवादी न हो तो काव्य की दृष्टि से वह दोष होगा। उदाहरणार्थ— 'काश हरन्ति हृदयममी कुसुमसौरभात् ।' — पुष्पो की सुगन्ध से यह काश मन को आकृष्ट करते हैं, यह अनुमान तन्त्र की दृष्टि से (Technically) निर्दोष है, किन्तु लोकानुभव से सवादी नहीं है। काश के फूल ही नहीं होते इस बात का कवि को विस्मरण हुआ और इसी लिए काव्य की दृष्टि से यह हेत्वाभास मात्र है।

२३. काव्यप्रत्यक्ष का अधिक विवेचन अनुपद किया जावेगा।

इस प्रकार काव्यगत प्रत्यक्ष और काव्यगत अनुमान का स्वरूप भामह ने लोका-
नुभव के आश्रय से विशद करते हुए, शास्त्रीय न्याय से वह कैसे भिन्न है यह दर्शाया है
और उससे वक्रोक्ति की सत्यता सिद्ध की है। इस सम्पूर्ण विवेचन को उन्होने
'काव्यन्यायनिर्णय' की सज्ञा दी है। उनका यह न्यायनिर्णय Logic of Poetry ही
है यह कहने में कोई आपत्ति नहीं।

इस प्रकार भामह ने अर्थसंस्कार की अर्थात् वक्रोक्ति की सत्यता का प्रतिपादन
किया है और वह काव्य का अन्तरंग (अबाह्य) किस प्रकार है यह भी दर्शाया
है। न्याय तथा व्याकरण दोनो शास्त्रो के क्षेत्रों में प्रवेश करते हुए उन्होने
शास्त्रकारो को काव्य का महत्त्व प्रमाणित कर दिखाया। इस सम्पूर्ण विवेचना में
उनका प्रकाण्डपाण्डित्य प्रतीत होता है। किन्तु भामह केवल पंडित ही न थे। उनके
शास्त्रज्ञान का रसिकता से मिलाप हुआ था। पाण्डित्य और वैदग्ध्य दोनो उनमें
अविरोध से थे। अतएव तर्ककर्कश नैयायिक एवम् शब्दपंडित वैयाकरण दोनो के
सम्मुख काव्य की ओर से प्रतिवाद करने में वे अत्यन्त सफल रहे। भामह ने काव्यशास्त्र
को अन्य शास्त्रो से समान प्रतिष्ठा प्राप्त करा दी यह भामह का साहित्य के रसिकों पर
बड़ा भारी उपकार है। उत्तरवर्ती साहित्यमीमांसको ने उनके इस उपकार का समय
समयपर कृतज्ञतापूर्वक स्मरण किया है।

भामह के ग्रन्थ में जो विवेचन है इस प्रकार का विवेचन दण्डी के ग्रन्थ में नहीं
पाया जाता। दण्डी को इस विवेचन की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। 'विचार-
कर्कशः प्रायस्तेनालीढेन किं फलम्' इतना कह कर वे विराम लेते हैं। दण्डी का
उद्देश्य कविशिष्यो को और विदग्धगोष्ठी में नागरको को कवित्व के तथा रसिकत्व के
पाठ देने का था, अन्य शास्त्रकारो से वाद करने का नहीं, इस बात पर ध्यान देने से
कह सकते हैं कि उनका कहना उनके उद्देश्य के अनुकूल ही था। भामह तथा दण्डी में
यह भेद देखने पर लगता है कि भामह कविता का वकील है तो दण्डी कविता का
अध्यापक है।

काव्य का निर्भीक आलोचक

भामह जिस काव्य की ओर से वकालत कर रहे हैं उस काव्य की कुछ विशेष
इयत्ता उन्हें अपेक्षित है। भामह सत्काव्य और सत्कवि के रसिक हैं। साथ ही
कुकाव्य और कविब्रुव दोनो का तिरस्कार करते हैं। सत्काव्य और सत्कवि का
महत्त्व अन्य शास्त्रकारों को प्रमाणित कर दिखाने में भामह ने काव्यन्याय और काव्य
का व्याकरण बनाया। किन्तु उसी विषय में उन्होंने कवियो से जो कहा है उससे
उनकी वक्रोक्ति का रूप स्पष्ट हो गया। भामह कवियो से कहते हैं—सत्कवि काव्यरूप
शरीर से चिरकाल जीवित रहते हैं। किन्तु कवित्व का अर्थ केवल पदरचना मात्र

इन कवियों ने युक्तता का ध्यान नहीं रखा। इस लिए उनकी वक्रोक्ति का टेढ़ेपन में रूपांतर हुआ। भामह ने ऐसे कवियों की कड़ी आलोचना की है (१।४२-४४)।

भामहकालीन साहित्यपंडितों में और भी एक वाद का प्रश्न था। काव्य के वैदर्भ काव्य और गौड काव्य इस प्रकार भेद करते हुए वैदर्भ काव्य को श्रेष्ठ मानने-वाला रसिकों का एक वर्ग था। काव्य में इस प्रकार के भेद भामह को स्वीकार न थे। इन रसिकों की वे कड़ी आलोचना करते हैं। वे कहते हैं—‘वैदर्भ काव्य और गौड काव्य ऐसे भेद भी किस सिद्धान्त के आधार पर कर सकते हैं? केवल गतानु-गतिक न्याय से एक की भलाई और दूसरे की बुराई करने में क्या धरा है? काव्य तो अलकारवत्, अग्राम्य, अर्थवत्, न्याय्य और अनाकुल होना चाहिये। इन गुणों से यदि काव्य युक्त है तो गौडीय होने पर भी ग्राह्य है, और यदि ये गुण न हों तो वैदर्भ काव्य भी हेय है। केवल देश के नाम से काव्य अच्छा या बुरा नहीं हो सकता।’

दण्डी ने काव्यादर्श में वैदर्भ मार्ग और गौड मार्ग की विवेचना की है। इस पर से कतिपय विद्वानों ने तर्क किया है कि भामह की आलोचना का लक्ष्य दण्डी होगा किन्तु यह तर्क ठीक नहीं है। दण्डी ने इन दो मार्गों का कथन करने में न एक की भलाई की है न दूसरे की बुराई। “वाणी के अनेक मार्ग हैं। प्रत्येक में एक अपनी मधुरता है। उनमें से वैदर्भ और गौड ये दो ‘प्रस्फुटातर’ होने से उनका भेदपूर्वक वर्णन किया जा सकता है; वह मैं करूँगा।” इतना ही दण्डी ने कहा है।

वक्रोक्ति और अभिनय


‘वक्राभिधेयशब्दोक्तिरिष्टा वाचामलकृतिः।’ अथवा ‘वाचा शब्दार्थ-वक्रोक्तिरलकाराय कल्पते।’ ऐसा भामह ने स्पष्टरूप से कहा है। इसमें जो अभिप्राय है वह देखने का हम प्रयास करें। उपर्युक्त दोनों वचनों में से प्रथम वचन का अर्थ अभिनवगुप्त ने ऐसा किया है—‘शब्दस्य हि वक्रता, अभिधेयस्य च वक्रता लोको-त्तीर्णं रूपेण अवस्थानम्।’—शब्द तथा अर्थ की लोकोत्तर रूप में काव्य में स्थिति ही वक्रोक्ति का स्वरूप है। शब्द तथा अर्थ के इस लोकोत्तर अवस्थान से ही काव्यार्थ का विभाजन होता है (अनयाऽर्थो विभाव्यते)। अर्थों का विभावन करना ही अलकारों का कार्य है। अतएव काव्य के लिए वक्रोक्ति आवश्यक है। भामह के समक्ष महाकाव्य का आदर्श है। नाट्य से जो सौंदर्य प्रतीत होता है वही महाकाव्य से भी होता है। किन्तु सौंदर्य के आविर्भाव के द्वीनों के साधन भिन्न भिन्न हैं। नाट्य में सौंदर्य के आविर्भाव के लिए वेष, दृश्य संगीत आदि अनेकों साधनों की सहायता मिलती है। काव्य में इन सब का कार्य शब्दों से ही कराना पड़ता है। ‘कुमार-सभव’ की कथावस्तु लेकर यदि कालिदास ने नाटक रचा होता तो उसमें वसंत ऋतु

प्रकार आप ने शत्रुओ को मार भगाया ।” यहाँ कवि ने अपनी वक्रोक्ति से विक्रम-शाली रणवीर के स्थानपर कुछ दूसरा ही चित्र उपस्थित किया है। यही काव्य की दुरभिनीतता है। उत्तरवर्ती अलकारिकों ने इसे ही अलकारदोष कहा है।

साराश, नाट्यार्थ आहार्यादि अभिनयो से अभिनीत होता है, तो काव्य में वही अर्थ वक्रोक्ति से अभिनीत होता है। नाट्यार्थ अभिनय से विभावित होता है तो काव्यार्थ वक्रोक्ति से विभावित होता है। नाट्य अभिनय में प्रतिष्ठित है तो काव्य अलंकारो में प्रतिष्ठित है। अभिनय नाट्यधर्मी है तो अलकार वक्रोक्ति है। नाट्यधर्मी के द्वारा लोकधर्मी प्रतीत होना नाट्य है तो वक्रोक्ति के द्वारा लोकानुभव प्रतीत होना काव्य है। नाट्यधर्मी का आधार लोकधर्मी है तो वक्रोक्ति भी लोकाश्रित ही है। नाट्यधर्मी ही नाट्यालकार है; इधर वक्रोक्ति ही काव्यालकार है। इसी लिए भामह कहते हैं—

सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते ।

यत्नोऽस्या कविभिः कार्यः कोऽलकारोऽनया विना ॥ (२।८५)



अलंकारशास्त्र का मार्गक्रमण

शब्दसंस्कार के समान ही
अर्थसंस्कार भी होता है।

शब्द के ग्राम्य अथवा संस्कृत रूप के समान अर्थ के भी ग्राम्य अथवा संस्कृत रूप होते हैं। शब्दसंस्कार को शब्दव्युत्पत्ति या सौशब्द कहते हैं, अर्थसंस्कार को अर्थ-व्युत्पत्ति या वक्रोक्ति कहा जाता है। भामह ने वक्रोक्ति के पर्याय के रूप में 'अर्थव्युत्पत्ति' शब्द का प्रयोग किया है। शब्दव्युत्पत्ति का शास्त्र 'व्याकरण' है, अर्थव्युत्पत्ति का शास्त्र 'अलंकार' है। व्याकरण शिष्टप्रयोगशरणा होता है; अलंकारशास्त्र भी कविप्रयोगशरणा होता है। 'शिष्टा. शब्देषु प्रमाणम्।' ऐसा महाभाष्यकार ने कहा है तो भामह का कहना है— 'किं च काव्यानि नेयानि लक्षणैः महात्मनाम्।' (२।४५), और एक महाकवि ही कहता है कि महाकवियों के काव्य का स्वरूप लोकातिक्रान्त होता है (१)। जब पाणिनि कहते हैं—

उपोढरागेण विलोलतारक तथा गृहीत शशिना निशामुखम् ।
यथा समस्त तिमिराशुक तथा पुरोऽपि रागात् गलित न लक्षितम् ॥

या कालिदास लिखते हैं—

अगुलीभिरिव केशसंचय सनियम्य तिमिर मरीचिभिः ।
कुड्मलीकृतसरोजलोचनं चुम्बतीव रजनीमुख शशी ॥

१. अतह द्विष वि तहसण्ठिष व्व द्विअम्मि जा णिवेसेइ ।

अत्यविसेसे सा जअइ विकड कइगोअरा वाणी ॥

अचेतन भावों को भी मानों सचेतन करते हुए उन्हें रसिक हृदय में संक्रान्त करनेवाली असीम सामर्थ्यशाली कविवाणी की जय हो।

तब वद्यप्रतिपदा की, चन्द्रमा के उदय की पार्थिव घटना प्रणयी युगुल के अपार्थिव प्रेमव्यवहार में परिणत होते हुए रसिकहृदय में सक्रान्त होती है और इस प्रकार के अपार्थिव आकार के तथ्य के विषय में हम क्षणभर के लिए भी सदेह नहीं करते, बल्कि प्रकट रूप में उसका स्वीकार करते हुए रसास्वाद के आनन्द का अनुभव करते हैं। यह चमत्कार वक्रोक्ति की जादुगरी से होता है।

काव्य का सौंदर्य इस प्रकार वक्रोक्ति में प्रतिष्ठित है। वैयाकरणों की शब्द-व्युत्पत्ति मात्र से या तार्किकों के अनुमान मात्र से इस सौंदर्य का आकलन नहीं होता। उसके लिए वक्रोक्ति का ही आश्रय लेना पड़ता है ऐसा भामह का कथन है। भामह का यह एक कथन मात्र है। किन्तु केवल इस कथनमात्र से वक्रोक्ति की शास्त्रीय उपपत्ति स्पष्ट रूप में समझ में नहीं आती। यह उपपत्ति सिद्ध करने का कार्य उत्तरवर्ती आलकारिकों ने किया।

वक्रोक्ति, समाधिगुण और लक्षण

वक्रोक्ति का बीज कहाँ है इस प्रश्न का उत्तर, विवेचन के क्रम में दण्डी ने ही दिया था, भले ही उसकी उपपत्ति न दी हो। दण्डी का कथन है कि काव्य में गौण-वृत्ति का आश्रय किया हुआ रहता है (२)। दण्डी ने वैदर्भी रीति के प्राणभूत गुणों में 'समाधि' नामक गुण दिया है। दण्डी का कहना है कि समाधिगुण कवि के काव्य का सर्वस्व है (३)। गौणवृत्ति का उपयोग ही यह समाधिगुण है। समाधिगुण का लक्षण दण्डी ने इस प्रकार किया है—

अन्यधर्मास्ततोऽन्यत्र लोकसीमानुरोधिता ।

सम्यगाधीयते यत्र समाधि स स्मृतो यथा ॥

कुमुदानि निमीलन्ति कमलान्युन्मिषन्ति च ।

इति नेत्रक्रियाध्यासात् लब्धा तद्वाचिनी श्रुतिः ॥ (१।६३,६४)

लोकमर्यादा का अतिक्रम न करते हुए, एक वस्तु के धर्म का जहाँ अन्य वस्तु पर आरोप किया होता है वहाँ समाधिगुण रहता है। उदा० कुमुदों का निमीलन हो रहा है और कमलों का उन्मीलन हो रहा है। यहाँ कुमुद एव कमलों पर नेत्र-क्रिया का अध्यास हुआ है। इस अध्यास को आधार है कुमुद एव कमल तथा नेत्र-इन्में अभेदप्रतीति का। अध्यास का अर्थ है अन्यत्र अन्यधर्मारोप (शांकरभाष्य) इसी अर्थ में दण्डी ने यहाँ इस शब्द का प्रयोग किया है। उत्तरकालमें राजशेखर

२. तेऽपी प्रयोगमार्गेषु गौणवृत्तिव्यपाश्रया. । अलंकारसुन्दराः—(१।९५)

३ तदेतत् काव्यसर्वस्वं समाधिर्नाम यो गुणः ।

कविसार्थः समग्रोऽपि तमेनमुपजावति ॥ (१।१००)

ने इसीके लिए 'प्रतिभास' शब्द का प्रयोग करते हुए, "न प्रतिभास वस्तुनि तादात्म्येनावतिष्ठते।" इस प्रकार भिन्न शब्दों में उसका स्वरूप बताया है।

यह अव्यास अर्थात् "अन्यत्र अन्यधर्मारोप" भाषिक व्यवहार में लक्षणा-द्वारा प्रवृत्त होता है। यही शब्दों की गौरवृत्ति है और यही वक्रोक्ति का बीज है। अब हम कह सकते हैं कि काव्य में वक्रोक्ति होती है इसका अर्थ है काव्य में "अन्यत्र अन्यधर्मारोप" अर्थात् गौरवृत्ति अर्थात् लक्षणा होती है।

भामह के उत्तरवर्ती काल में वक्रोक्ति का अमुख्यवृत्तिद्वारा विवेचन

संभव है कि काव्य में लक्षणा का कैसा विलास है इसका विवेचन उद्भट के भामहविवरण में आया हुआ हो। 'भामहविवरण' भामह के ग्रन्थ का उद्भट ने किया हुआ व्याख्यान है। यह ग्रन्थ अभी उपलब्ध नहीं है। किन्तु इससे अनेक ग्रन्थकारों ने उद्धरण लिये हुए हैं, उनसे यह अनुमान लगाया जा सकता है। उद्भट की समिति में शब्द से अभिमान भिन्न है। उस अभिधान के अर्थात् अभिधा-व्यापार के दो भेद हैं—मुख्य तथा गुण वृत्ति। काव्य में अमुख्य अर्थात् गुणवृत्ति का ही उपयोग किया हुआ होता है (४)। उद्भट के उपलब्ध 'काव्यालंकार-सारसंग्रह' से भी यह अनुमान स्थिर होता है। उक्त ग्रन्थ में दिये हुए रूपक तथा पर्यायोक्त के लक्षण देखने से उद्भट के विचार में काव्यस्थित व्यापार वाच्यवाचक या श्रुतिसंबन्ध से किस प्रकार भिन्न है एव वह गुणवृत्तिप्रधान ही कैसे होता है यह ध्यान में आ जाता है। वामन ने तो वक्रोक्ति को "सादृश्याल्लक्षणा" ही कहा है एवम् "उन्मिल कमल सरसीनां कैरव च निमिलील मुहतात्" इस प्रकार दण्डी के समाधिगुण के उदाहरण के समान उदाहरण दिया है, तथा "अत्र नेत्रधर्मो उन्मीलननिमीलने सादृश्यात् विकाससकोचौ लक्षयत।" इस प्रकार वह विशद किया है। माधुर्यगुण को तो उन्होंने 'उक्तिवैचित्र्य' ही कहा है। साराश, दण्डी तथा भामह के उत्तरवर्ती उद्भट और वामन इन दोनों ग्रन्थकारों ने काव्यस्थित वक्रोक्ति का विवेचन अमुख्यवृत्ति अर्थात् लक्षणा के रूप में किया है।

अलंकारशास्त्र की मधुपवृत्ति

नैयायिक एव वैयाकरण दोनों को काव्यस्थित वक्रोक्ति का महत्त्व स्वीकार न था, क्योंकि दोनों को लक्षणा स्वीकार नहीं थी। नैयायिक लक्षणा का अन्तर्भाव

४. भामहेनोक्तं—'छन्दः शब्दोऽभिधानार्थाः' इति। अभिधानस्य शब्दात् भेदं व्याख्यातुं भट्टोद्भटो बभाषे—शब्दानामभिधानमभिधाव्यापारः मुख्यो गुणवृत्तिश्च—अभिनवगुप्त.लोचनटीका। इसी स्थान पर अभिनवगुप्त ने और भी कहा है कि काव्य में आमुख्यवृत्ति का ही व्यवहार होता है ऐसा उद्भट, वामन आदि का विचार है।

अनुमान में करते थे और प्राचीन वैयाकरण लक्ष्यार्थ को वाच्यार्थ के अन्तर्गत मानते थे (५)। इस कारण से, काव्यस्थित अमुख्य वृत्ति की विवेचना के लिए काव्यशास्त्र ने मीमांसा का आश्रय लिया। काव्यचर्चा के इतिहास में, साहित्य के पंडितो ने मधुप वृत्ति का अगीकार किया हुआ दिखाई देता है। साहित्यशास्त्र का मूल आधार व्याकरण है। साहित्य के पंडितो ने 'पूर्वे विद्वांसः' कह कर वैयाकरणो का आदर किया है। भामह ने अपने ग्रन्थ में व्याकरण की महत्ता का गान किया है। इतना होने पर भी काव्यशास्त्र व्याकरण का दास नहीं बना। उनके विचार में काव्यचर्चा की दृष्टि से व्याकरण में जो कुछ उपयुक्त था वह उन्होने प्रसन्नतापूर्वक ले लिया। व्याकरण का 'चतुष्टयी शब्दाना प्रवृत्तिः' यह सिद्धान्त उन्होने स्वीकार किया। किन्तु लक्षणावृत्ति के सम्बन्ध में उनकी व्याकरण से न बनी। लक्षणा की सिद्धि के लिए उन्होने मीमांसा का आश्रय लिया। किन्तु मीमांसक व्यञ्जना मानते नहीं यह देखते ही उन्होने मीमांसा को भी छोड़ दिया और स्वतन्त्र मार्ग अपनाया। रसविवेचन में भी उन्होने न्याय, मीमांसा, सांख्य, वेदान्त आदिका जहाँ जिस प्रकार उपयोग हो सकता था कर लिया, किन्तु अपनी स्वतन्त्रता खोई नहीं। जैसे भ्रमर फूल फूल में से मधुकरा लेता है उसी प्रकार की साहित्यशास्त्र की प्रवृत्ति रही। इसी लिए साहित्यविद्या, 'सर्वविद्याना निष्यन्दः' के गौरव की पात्र रही।

काव्यचर्चा लक्षणा के आश्रय से होने लगी तब उसपर मीमांसा का बड़ा प्रभाव हुआ। वह बहुत कालतक—आनन्दवर्धन के कालतक—रहा। व्यञ्जना के प्रस्थापन में आनन्दवर्धन के सब से बड़े विरोधी मीमांसक ही थे। 'भाक्तमाहुस्तमन्ये।' इस प्रकार ध्वनिकार ने जिनका निर्देश किया है वे मीमांसक ही हैं। तात्पर्यवादी, दीर्घ—अभिधावादी तथा अन्विताभिधानवादी आदि सब ही ध्वनि के विरोधक मीमांसक ही थे। इनके विरोध में आनन्दवर्धन को व्यञ्जना की प्रस्थापना करनी पड़ी। भामह के समय में न्याय तथा व्याकरण की प्रणाली से साहित्यचर्चा होती थी। और भामह के बाद आनन्दवर्धन के समयतक वह मीमांसा की प्रणाली से होती रही इस प्रकार (६) काव्यचर्चा में हुआ स्थित्यतर सक्षेप में बताया जा

५. प्राचीन वैयाकरणों को लक्षणा स्वीकार न होने का कारण शानेन्द्रसरस्वती ने तत्त्वबोधिनी में 'द्रोणो ब्रीहिः' पर किये हुए विवेचन में दिया है। जिज्ञासु देखें।

६. व्याकरण, न्याय तथा मीमांसा का काव्यचर्चा पर हुआ प्रभाव देखने से मुकुलमठ के निम्न वचन का रहस्य स्पष्ट हो जाता है—

पद-वाक्य-प्रमाणेषु यदेतत्प्रतिबिम्बितम्।

यो योजयति साहित्ये तस्य वाणी प्रसीदति ॥

दीखनेपर भी अगर उनके अर्थ में भेद है तो वे शब्द भी भिन्न हैं (८)। साधारण रूप में जैसा हम समझते हैं कि श्लेष में एक शब्द के दो अर्थ होते हैं, ऐसी बात नहीं है, अपितु दो शब्द समरूप होने से उनके एक होने का आभास होता है। श्लेष का अलंकारत्व इसी मत से उपपन्न होता है। उद्भट का यह मत उत्तरवर्ती आलंकारिकों को स्वीकार हुआ। किन्तु उन्होंने श्लेष का शब्दश्लेष और अर्थश्लेष इस प्रकार विभाग करते हुए भी, दोनों का भी अर्थालंकारों में ही अन्तर्भाव किया इस बात की उत्तरकाल में आलोचना की गई।

(२) उद्भट को गुण और अलंकार यह भेद स्वीकार न था। उनके विचार में दोनों शब्दार्थों में समवाय वृत्ति से रहते हैं तथा दोनों काव्यसौंदर्य निर्माण करने वाले धर्म हैं। दोनों में भेद केवल इतना ही है कि गुण सघटनाश्रित होते हैं और अलंकार शब्दार्थाश्रित होते हैं।

(३) प्रेयस्, रसवत् आदि अलंकारों के सबंध में भी उनकी एक अपनी विशिष्ट दृष्टि है। आगे चलकर 'ध्वन्यालोक' में उपलब्ध रस, भाव, रसाभास, भावाभास आदि का बीज उद्भट की विवेचना में मिलता है। इस विषय में उद्भट की की हुई विवेचना भामह तथा दण्डी से बहुत आगे बढ़ी हुई पाई जावेगी। उद्भट के मन्तव्य में भाव चार प्रकारों से एव रस पाँच प्रकारों से काव्य में आविर्भूत होते हैं (९)। उसमें जो रस का स्वशब्दनिवेदितत्व बताया गया था वह आनन्दवर्धन की आलोचना का विषय हुआ। उद्भट नाट्य में भी नौ रस मानते हैं। उद्भट का रस के सबन्ध में विवेचन उत्तरार्ध में आवेगा।

(४) काव्यस्थित शब्दव्यापार के विषय में भी उनका अपना एक विशेष मत है। उनका विचार है कि काव्य में वैभक्त, शाक्त तथा शक्तिविभक्तिमय इस प्रकार त्रिविध व्यापार होता है। तथा उनके द्वारा शब्दों की अमुख्य वृत्ति अर्थात् गुणवृत्ति प्रवर्तित होती है। काव्य में व्यापार अमुख्यवृत्ति का होता है यह कहने में उद्भट शब्दव्यापार के क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ गये हैं। आनन्दवर्धन कहते हैं—अमुख्य वृत्ति का स्वीकार करते हुए, अनजाने क्यों न हो, उद्भट ने ध्वनितत्त्व को ही स्पर्श किया है (१०)।

(५) काव्यन्याय के विवेचन में उद्भट ने विचारितसुस्थ तथा अविचारित-रमणीय इस प्रकार दो भेदों में अर्थ का विभाग करते हुए कहा है कि शास्त्र का अर्थ

८. अर्थभेदेन तावत् शब्दाः भिद्यन्ते इति भट्टोद्भटस्य सिद्धान्तः। प्रतिहारेन्दुराज.

९. चतुरूपा भावाः। पञ्चरूपा रसाः।

१०. १।१ पर वृत्ति, काव्यमीमांसा पृ. २२। ध्वन्यालोक प्रथम उद्योत।

है ऐसा कह कर आधुनिक अभ्यासको ने जिस प्रकार भामह से अन्याय किया है, उसी प्रकार वामन की 'रीति' शब्दार्थों की साफ रचना मात्र है ऐसा कह कर उन्होने वामन से भी अन्याय किया है। वास्तव में काव्यचर्चा के विकास में वामन का स्थान बहुत ऊँचा है। सौंदर्यप्रतीति ही काव्य का रहस्य है ऐसा वामन ने कहा है (११)। गुण तथा अलकारों का स्पष्ट विवेक करते हुए उन्होने काव्यचर्चा को बहुत ही आगे बढ़ाया। वामन का विवेचन काव्यशास्त्र में अन्तिम निर्णाय नहीं यह तो सत्य है। किन्तु वे उसके बहुत ही समीपवर्ती हैं इसमें कोई सदेह नहीं। काव्य का सवाल हल करने में वामन केवल आखिरी पद (Stage) में कुठित हुए।

वामन का गुणालंकारविवेक

वामन के मत में सौंदर्य ही काव्य का प्राणभूत अलंकार है। दोषों का त्याग एव गुण तथा अलंकारों का उपादन इन साधनों द्वारा यह शोभा काव्य को प्राप्त होती है। गुण काव्यशोभा के कारक हेतु हैं एव अलंकार काव्यशोभा के वर्धक हैं, अतएव गुण नित्य होते हैं, अलंकार नित्य नहीं होते (१२)। गुणों का शब्द गुण एव अर्थगुण इस प्रकार विभाजित किया जाता है किन्तु वास्तव में गुण काव्यबन्ध के अर्थात् रीति के धर्म हैं। केवल लक्षणा से उन्हें शब्दार्थों के धर्म कहा जाता है (१३)। गुणालंकारों का भेद एव उनकी नित्यानित्यता दर्शाने के लिए वामन युवती का दृष्टान्त लेते हैं और कहते हैं, "युवती का रूप मूलतः शुद्ध गुणों से युक्त हो तो अलंकार-विहीन अवस्था में भी वह सुंदर दीखता है। उसी प्रकार शुद्ध गुणों से युक्त काव्य भी रसिकों को आनन्द देता है। इसी बीच, यदि उन दोनों को अलंकार प्राप्त हुए तो उनका सौंदर्य और भी अधिक अच्छे प्रकार से प्रतीत होगा इसमें कोई सदेह नहीं। लेकिन युवती के लावण्यहीन शरीर के समान यदि काव्य भी गुणहीन हो तो उस पर कितने ही लोकप्रिय अलंकारों की रचना क्यों न की जायँ, वे अलंकार रोते ही हैं (१४)।" अतएव गुण जिस प्रकार काव्य के नित्य धर्म होते हैं उस प्रकार अलंकार नहीं होते। भरत से प्राप्त हुए और दण्डी ने विवेचित किये हुए गुणों को वामन ने और भी व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया है। अभिनवगुप्त ने भी नाट्यशास्त्र में गुणों का विवेचन

११. काव्यं आह्वमलङ्कारात् । सौन्दर्यमलङ्कारः । का. सू. वृ. १।१।११२.

१२. काव्यशोभायाः कर्तारो गुणाः । तदतिशयहेतवः अलंकाराः ॥

१३. गुणा वस्तुतो रीतिनिष्ठा अपि उपचारात् शब्दधर्मा इत्युक्तम्—कामधेनु.

१४. युवतेरिव रूपमङ्गकाव्यं स्वदते शुद्धगुणं तदप्यतीव ।

विहितप्रणयं निरतरामि' सदलंकारविकल्पकल्पनाभिः ॥

यदि भवति वचश्च्युतं गुणेभ्यो वपुरिव यौवनवन्ध्यमंगनायाः ।

अपि जनदयितानि दुर्भगत्वं नियतमलंकरणानि संश्रयन्ते ॥

करने में वामनीय विवेचना का भलीभाँति उपयोग कर लिया है, इसीमे वामन के कार्य का महत्त्व स्पष्ट है। उत्तरवर्ती साहित्यचर्चा में वामन के कथित दश गुराओं में से केवल तीन ही शेष रहे, इससे वामन की विवेचना का महत्त्व कम समझने की आवश्यकता नहीं। उत्तरकालीन विवेचना में वामनीय गुराओं का निरास नहीं हुआ; हुआ इतनाही कि उनकी पुनर्व्यवस्था हुई (१५)।

वामन का अलंकारविवेचन

वामन की अलंकारविवेचना में भी विशेषता है। वामन ने एक अध्याय में उपमा का विवेचन किया और दूसरे अध्याय में अन्य अलंकारों का विवेचन करते हुए वे सभी अलंकार उपमा का ही प्रपञ्च है यह दर्शाया (१६)। उपमा की सीमाएँ भी उन्होंने ठीक पहचानी थी। उनका कथन है उपमान को भी लोक में प्रसिद्धता होनी चाहिये। कुमुद और कमल दोनों सुंदर तो हैं किन्तु 'मुखकमल' वाली उपमा जिस प्रकार अच्छी लगती है उस प्रकार 'मुखकुमुद' नहीं लगती। इसका अर्थ यह नहीं कि काव्य में नए उपमान आने ही नहीं चाहिये। वामन ने उपमा के लौकिक और कल्पित इस प्रकार विभाग किये हैं। 'मुखकमल', 'नरव्याघ्र', 'पुरुषसिंह' आदि लौकिक उपमाएँ हैं। परंतु किसी नए उपमान का प्रयोग करते हुए कवि जब रसिक को विस्मित करता है तब कल्पित उपमा होती है। लौकिक उपमाएँ भी आरंभ में कल्पित ही थी; किन्तु वे अब इतनी घुल गई हैं कि उन्हें लौकिक रूप प्राप्त हुआ है। कल्पित उपमाएँ ऐसी नहीं होती। वामन ने कल्पित उपमा का बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है - 'सद्योमुण्डितमत्तहूणचिबुकप्रस्पृधिनारगकम्।' यह नारगी का वर्णन है। नारगी का लाल रंग मदिरा से मत्त हुए के 'सद्योमुण्डित' डाढ़ी से स्पर्धा कर रहा था। ऐसा वर्णन यहाँ कवि ने किया है। पहले तो हूण का चेहरा ही लाल रंग का तिस पर उसने मद्यपान किया हुआ और फिर अभी अभी डाढ़ी बनाई हुई। फिर नारगी उस रंग की क्यों न दीखें?

काव्य का वामनकृत वर्गीकरण

काव्य का वर्गीकरण करने में भी वामन की अपनी विशेषता है। पूर्वसूरियो के अनुसार वे भी काव्य का गद्य और पद्य में विभाग करते हैं। किन्तु भरत के अनुसार गद्य के 'वृत्तिगन्धि', 'चूर्ण' और 'उत्कलिका' ये भेद दर्शानेवाला वामन ही पहला उपलब्ध ग्रन्थकार है। पद्य के 'अनिबद्ध' और 'निबद्ध' ये दोनों भेद भी

१५. 'केचिदन्तर्भवन्त्येव दोषत्यागात् परे श्रिता :।-मम्मट.

१६. शब्दवैचित्र्यगर्भेऽयमुपमैव प्रपञ्चिता ।

उन्होंने दण्डी से ही लिये हैं। किन्तु इन भेदों की विवेचना में उन्होंने अपनी विशेषता दर्शाई है। अनिबद्ध पद्य का अर्थ है मुक्त पद्य। इन पद्यों के विषय में वे कहते हैं,—“असंकलित अर्थात् मुक्त कविता में काव्यचारुत्व पूर्णरूपेण प्रतीत नहीं होता। परमाणु तेजोयुक्त होने पर भी विलग्न अवस्था में प्रकाश नहीं देते (१७)।” उनका कथन है कि निबद्ध अर्थात् सदर्थ काव्य में भी दशरूप अर्थात् नाट्य ही सब से उत्कृष्ट भेद है। सर्गबध आदि अथवा कथा-आख्यायिका आदि नाट्य के ही विलास है। अतएव, उनका कथन है कि इनके भिन्न भेद मानने की आवश्यकता नहीं है (१८)।

दशरूप को श्रेष्ठ बतानेवाले वामन के ग्रन्थ में रसविवेचन नहीं है इस बातपर आश्चर्य करने का कोई कारण नहीं। कान्तिगुण के विवेचन में उन्होंने रस का अनुवाद किया है और कान्तिगुणहीन काव्य ‘पुराणचित्रच्छाया’ (पुरानी तस्वीर) के अनुसार निस्तेजस्क होता है ऐसा कहा है। इसके अतिरिक्त, समाधिगुण की विवेचना में उन्होंने काव्यार्थ की ‘भाव्यता’ तथा ‘वासनीयता’ भी वर्णन की है।

वामन के समय में कवि कहलानेवालों के झुंड; वामन ने सत्काव्य की प्रतिष्ठा का रक्षण किया

वामन का कहना है कि कवित्व के लिए अधिकार आवश्यक है। वामन के समक्ष कवियों के दो वर्ग थे। एक वर्ग के कवि विवेक रखते थे। काव्य के सदोष होने पर भी गुण एव दोष ध्यान में आनेपर वे दोषों का निरास करने में दक्ष रहते थे। किन्तु दूसरा वर्ग ऐसा था कि उनको गुणदोषों का कोई विवेक था ही नहीं। विवेकशील कवियों को वामन ‘अरोचकी’—अर्थात् ऐसे लोग जिन्हें रुचि है किन्तु किसी कारण से वह नष्ट हो गई है—सज्ञा देते हैं। परन्तु विवेकहीन कवियों को वे ‘सतृणाभ्यवहारी’—अर्थात् ‘तुसी के साथ अनाज खानेवाले’ कहते थे। अरोचकी अर्थात् विवेकशील कविशिष्यों का काव्य आरम्भ में सदोष होने पर भी, शास्त्रज्ञान

१७. असंकलितरूपाणां काव्यानां नास्ति चारुता।

न प्रलेकं प्रकाशन्ते तैजसा परमाणवः॥

१८. महाकाव्य, कथा आदि को दशरूप का विलसित बताने में वामन ने इन भेदों की अन्तर्गत रचना का ही प्रत्यक्ष निर्देश किया है और इसके लिए नाट्यशास्त्र की ओर ही अंगुलिनर्देश किया है। इसीमें महाकाव्य के विषय, पात्र, स्वभावपरिपोष, रचना आदि सभी का विवेचन गृहीत है। इतना होने पर भी डॉ. वाटवे महोदय का कथन है कि संस्कृत ग्रन्थकारों ने महाकाव्य के वर्णन में उसके अन्तरंग का स्वरूप बताया नहीं, केवल बाह्य वर्णन किया। (देखिये—संस्कृत काव्याचे पंचप्राण—मराठी)। प्रकट है कि शास्त्रलेखन में सिद्धानुवाद के नियम का ध्यान न रहने से डॉ. वाटवे महोदय की यह धारणा हुई है।

रक्षा की है। महाकवियों के काव्यों में यत्र तत्र बिखरे हुए, रस की दृष्टि से उचित किन्तु व्याकरण के नियमों के अन्तर्गत ठीक ठीक न आनेवाले कतिपय शब्दप्रयोग लेकर वामन ने उनका जो समर्थन किया है वह नितान्त अध्ययनयोग्य है। “सित सितिम्ना सुतरा मुनेर्वपु। विसारिभि सौधमिवाथ लम्भयन्।”, (माघ) ‘लज्जालोल वलन्ती,’ ‘विम्बाधरः पीयते,’ ‘मन्द मन्द नुदति पवन’ (कालिदास) आदि प्रयोगों का उन्होंने व्याकरण की दृष्टि से किया हुआ समर्थन, वैसे ही “लावण्य प्रसरतिरस्कृतागलेखाम्” और “राज्ञा तिरस्कृत.” इनमें किया हुआ अर्थभेद भी देखनेयोग्य है। आज हम इन प्रयोगों के विषय में वामन का ही आधार लेकर काम चलते हैं। परन्तु वामन के समय में इन समर्थनों में जो नवीनता प्रतीत होती थी-वह ध्यान में आने के लिये उस समय के व्याकरणों के वादों को समझना आवश्यक होता है। संस्कृत काव्य के उत्कर्ष की अन्तिम अवस्था एवं अपकर्ष की प्रथम अवस्था की सधिपर वामन स्थित है, इस बात को ध्यान में रखते हुए वामन के ग्रन्थ का अवलोकन करने से उनकी रीतिविवेचना की पृष्ठभूमि ध्यान में आती है।

वामन के पूर्ववर्ती भामह तथा दण्डी और वामन के उत्तरवर्ती रूद्रट इन सभी ने लक्षणों के साथ उदाहरण भी (अधिकांश) अपने बनाये हुए दिये हैं। किन्तु वामन ने अधिकांश उदाहरण प्रसिद्ध काव्यों से दिये हैं इस बात का मर्म अब स्पष्ट होगा। वामन हर समय उदाहरण महाकवियों के देते हैं ‘एव प्रत्युदाहरण तथा दोष प्रकरण के उदाहरण अज्ञात कवियों के देते हैं इसका अर्थ यही है कि उन्हें होनहार कवियों के समक्ष महाकवियों का आदर्श प्रस्तुत करना है। मनुष्य को अपने कवित्व का भान होने पर उसने अग्र विवेक और समय न रखा तो वह मनचली काव्यरचना करता है या कल्पनाओं की मनचाही खीचातानी करता है। ऐसे कवियों को उन्होंने गुणालंकारविवेक कर दिखाया है।

वामन का विरोध

ऐसा समझना ठीक नहीं कि वामन का यह विवेचन कवियों ने या शास्त्रकारों ने सरलतापूर्वक मान लिया। कई ऐसे थे जो वामनीय गुणों को पाठधर्म कहते थे और कई ऐसे भी थे जो कहते थे कि वामन का यह पागलपन है। इन आक्षेपकों को वामन ने यह उत्तर दिया है—“कोई ऐसा कहेगा कि वामन ने अपनी कल्पना से इन गुणों का सर्जन किया है, वास्तव में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। किन्तु यह आक्षेप ठीक नहीं है। इन गुणों का अस्तित्व है। क्योंकि ये सहृदयसंबन्ध हैं और सहृदयों की संवेदना आंति नहीं है। वह प्रत्यय है। कारण यह है कि यह संवेदना निष्कंप है; वह बाधित नहीं होती। यह केवल पाठधर्म भी नहीं है। क्योंकि यदि वे पाठधर्म होते तो वे सर्वत्र उपलब्ध हुए होते। किन्तु ऐसा नहीं है। काव्य के वे विशेष

रुद्रटकृत काव्यविवेचन (लगभग सन् ८५० ईसवी)

वामन के पश्चात् प्रसिद्ध ग्रन्थकार रुद्रट हैं। रुद्रट का समय सन् ८०० से ८५० ई तक का है। इनका 'काव्यालकार' नामक ग्रन्थ है जिसमें काव्य के रससहित सभी अंगों की चर्चा की है। इस ग्रन्थ के कुल सोलह अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में काव्यप्रयोजनो का वर्णन है। कीर्ति, प्रीति तथा व्युत्पत्ति के साथ रुद्रट ने अर्थ तथा अनर्थोपशम भी काव्य के प्रयोजन बताये हैं। यह देखते ही हमें मम्मट की प्रसिद्ध 'काव्ययशसेऽर्थकृते—' आदि कारिका का स्मरण हो आता है। काव्य का लक्षण उन्होंने 'शब्दार्थो काव्यम्' ऐसा ही किया है। वैदर्भी, पांचाली, लाटी तथा गौडी इस प्रकार चार रीतियों का उन्होंने निर्देश किया है। किन्तु वे वामनीय गुणों का निर्देश या विचार भी नहीं करते। प्रत्युत रीतियों को 'सनिवेशचारुत्व' बतलाकर वे उनका सबन्ध रसों के साथ जोड़ देते हैं। अनुप्रासविवेचना में वे ललिता, प्रौढा, परुषा आदि पञ्चवृत्तियाँ बताते हैं, एव रस की दृष्टि से वृत्तिरीतियों का वर्गीकरण करते हैं। रसानुकूल भाषाविशेष की दृष्टि से रुद्रट का यह विवेचन महत्त्वपूर्ण है। काव्य दीप्तरस होना चाहिये यह तो वामन ने कहा था, किन्तु रसोचित सनिवेश के भेद रुद्रट ने ही सर्वप्रथम बताये हैं। तत्पश्चात् वे शब्दालकारों का विस्तरशः विवेचन करने हैं, और अन्ततः कवियों को चेतावनी देते हैं कि शब्दालकारों के अधीन न होते हुए औचित्य से ही उनका प्रयोग करना चाहिये। अर्थविवेचना में भी उन्होंने कतिपय महत्त्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किये हैं। "केवल रसपरतन्त्र हो कर कवि को व्यवहार में, देश काल आदि से नियमित जाति, द्रव्य, आदि पदार्थों के स्वरूप में मनचाही उथलपुथल नहीं करनी चाहिये। सत्कविपरपरा से जितना अन्यथा वर्णन निर्दोष माना गया हो उतना ही करना चाहिये (२६)।" रुद्रट यहाँ यही सूचित करते हैं कि वक्रोक्ति लोकमर्यादा से बद्ध हुई होती है। वामन ने भी यही चेतावनी 'अलकारों में असभवदोष' के रूप में दी है।

अलंकारों में विवक्षा

रुद्रट ने अलंकारों के 'वास्तवमौपम्यमतिशय. श्लेष.' इस प्रकार चार वर्ग किये हैं। अलंकारों के व्यवस्थित रूप में वर्गीकरण करने का उपलब्ध ग्रन्थों में यही पहला प्रयास है। अलंकारों की पृष्ठभूमि में कवि की विवक्षा होती है यह महत्त्वपूर्ण

२६. सर्वं स्व स्व रूपं धत्तेऽर्थो देशकालनियमं च ।

तं च न खलु बध्नीयात् निष्कारणमन्यथाति रसात् ॥

सुकाविपरपरयाच्चिरमविगीततया यथा निबद्धं यत् ।

वस्तु तदन्यादृशमपि बध्नीयात् तत्प्रसिद्धयैव ॥ (७।७,८)

सीमित नहीं रखते। उनका विचार है कि आस्वाद्यता की अवस्था को प्राप्त होनेवाली कोई भी वृत्ति रस हो सकती है (२६)। रसविवेचन के साथ ही उन्होंने और भी दो महत्त्वपूर्ण तथ्य बताये हैं। रस के निर्माण में, ससार की ओर से आँखें मूँद लेने से कवि का काम नहीं चल सकता। “ अभियुक्त महाकवियों ने अपनी विवेक दृष्टि से जीवन के सिद्धान्त खोज निकाले हैं तथा त्रिभुवन की जनता का चित्र काव्य में निबद्ध किया है। उनका भलीभाँति अध्ययन करना चाहिये एवं उन्हींके मार्ग का अनुसरण हमें करना चाहिये (३०)।” इस प्रकार उनका समकालीन कवियों से अनुरोध है। चतुर्वर्ग का ज्ञान करा देनेवाले काव्य में भी कवि कभी ऐसी बात निबद्ध करता है जो आपाततः आक्षेपाह्न लगती है। इस संबन्ध में रुद्रट का कथन है—“ ऐसी बातें काव्य में निबद्ध करने में कवि का उद्देश्य उस बात का उपदेश करने का नहीं होता या उसके कहने का अर्थ यह भी नहीं होता कि काव्य में दर्शित उपाय हमने भी अपनाते चाहिये। केवल काव्य के अग्र के नाते रसिकों के मनोविनोद के लिए ऐसी कोई बात काव्य में आती है एव वह लोकवृत्ति के अनुकूल ही होती है। इसीके कारण कवि का दोष बताने की कोई आवश्यकता नहीं है (३१)।”

शब्दार्थ और रस परस्परसंमुख हुए

रुद्रट के रसविवेचन से शब्दार्थ और रस परस्परसंमुख हुए। ‘काव्य है शब्दार्थ,’ ये शब्दार्थ रसयुक्त होने चाहिये ऐसा उसने स्पष्ट रूप में कहा है। भामह एव दण्डी का ‘रसैश्च सकलैः पृथक्’ अथवा ‘रसभावनिरन्तरम्’ यह कथन और रुद्रट का ‘तस्मात् तत्कर्तव्यम् यत्नेन महीयसा रसैर्युक्तम्’ यह वचन, इन दोनों में आशय में भेद है। वह भेद यह है कि भामह तथा दण्डी रसवत् काव्य को भी अलकृत काव्य—

२९. रसनाद्रसत्वमेषा मधुरादीनामिवोक्तमाचार्यैः ।

निर्वेदादिष्वपि तन्निकाममस्ताति तेऽपि रसाः ॥ (१२।४)

३०. सुकविभिरभियुक्तैः सम्यगालोक्य तत्त्वं

त्रिजगति जनताया यत्स्वरूपं निबद्धम् ॥

तदिहमिति समस्तं वीक्ष्य काव्येषु कुर्यात्


कविरविरलकीर्तिप्राप्तये तद्भवे ॥ (१४।१७)

३१. न हि कविना परदारा पृष्टव्या नैव चोपदेष्टव्याः ।

कर्तव्यतथान्येषां न च तदुपायोऽभिधातव्याः ॥

किन्तु तदीयं वृत्तं काव्यागतया स केवलं वक्ति ।

आराधयितुं विदुषः तेन न दोषः कवेरत्र ॥ (१४।१२, १३)



शब्दार्थों का साहित्य

रुद्रट जिस काल में अपना

ग्रन्थ 'काव्यालकार' लिख

रहे थे उसी काल में या तत्पश्चात् कुछ समय से ध्वनिकारिकाएँ बन रही थी (१) । ध्वनितत्त्व का प्रतिपादन आनन्दवर्धन ने 'ध्वन्यालोक' में किया है । इस ग्रन्थ की महत्ता के विषय में महामहोपाध्याय पा. वा. काणे महोदय लिखते हैं—“अलकार-शास्त्र के इतिहास में 'ध्वन्यालोक' एक अत्यन्त महत्त्वपूर्णा ग्रन्थ है । व्याकरणशास्त्र में 'पाणिनि की 'अष्टाध्यायी' का जो महत्त्व है, अथवा वेदान्तशास्त्र में 'वेदान्त-सूत्रों का जो महत्त्व है, कह सकते हैं कि वही महत्त्व अलकारशास्त्र में 'ध्वन्यालोक' का है । इस ग्रन्थ में ग्रन्थकर्ता ने अपनी गभीर विद्वत्ता एवं सूक्ष्म आलोचनबुद्धि का परिचय दिया है । उनकी भाषा स्पष्टार्थक एवं समर्थ है तथा उसमें पदे पदे स्वतन्त्र बुद्धि की मुद्रा दिखाई देती है । ध्वनिकार आलकारिकों के मार्ग के प्रस्थापक है (ध्वनिकृतामालकारिकसरणिव्यवस्थापकत्वात्) ऐसा रसगगाधरकार पंडितराज जगन्नाथ ने कहा है वह पूर्णरूप से सत्य है । 'ध्वन्यालोक' पर 'लोचन' नामक टीका अभिनव-गुप्त ने लिखी है । व्याकरण शास्त्र में पतञ्जलि के 'महाभाष्य' का या वेदान्त में 'शाङ्करभाष्य' का जो स्थान वही स्थान साहित्यशास्त्र में 'लोचन' को दिया जाना चाहिये । ” 'ध्वन्यालोक' तथा उसकी टीका 'लोचन' दोनों में ध्वनितत्त्व का

१. ध्वनिकारिकाएँ किस की लिखी हों इस विषय में मतभेद है । म. म. काणे, डॉ. डे आदि विद्वानों के मत में कारिकाकार आनन्दवर्धन से भिन्न है । इधर, कारिका एवं वृत्ति दोनों आनन्दवर्धन की है ऐसा डॉ. शंकरन्, डॉ. शर्मा आदि का मत है । ध्वनिकारिकाएँ आनन्दवर्धन की नहीं हैं, किन्तु कारिकाकार भी कोई नहीं हुआ । ये कारिकाएँ पूर्व काल से साहित्यकारों में अव्यवस्थित रूप में प्रचलित थीं । आनन्दवर्धन ने उन्हें एकत्रित करते हुए वृत्ति में उनका ग्रथन किया ऐसा मत अभी अभी प्राध्यापक आष्टीकर महोदय ने प्रस्तुत किया है । [युगवाणी (मराठी), १९५२] ।

(२) अतएव काव्यगत शब्द के वाच्य, लक्ष्य और व्यङ्ग्य इस प्रकार तीन अर्थ होते हैं। इन अर्थों की अपेक्षा के हेतु शब्द को वाचक, लाक्षणिक और व्यञ्जक कहा जाता है। शब्द की इस अर्थबोधन की शक्ति को ही क्रम से अभिधा, लक्षणा और व्यञ्जना की सज्ञाएँ हैं।

(३) अपना प्रयोजन अर्थात् व्यङ्ग्य परिणामकारी रूप में अभिव्यक्त करने के लिए ही कवि वक्रोक्ति का आश्रय करता है। इस दृष्टि से ही अलंकारो का काव्य में स्थान है। लौकिक शब्दार्थों को व्यञ्जक बनाना—व्यंग्यव्यजनक्षम बनाना—यही अलंकारो का कार्य है। व्यंग्यरूप प्रयोजन के विरहित वक्रोक्ति का उपयोग केवल वाग्विकल्प मात्र है।

(४) व्यंग्य अर्थ का अत्यन्त सुंदर रूप 'रस' है। 'रस' चर्वणारूप चित्तवृत्ति है और वह स्वसवेद्य है। मन की दृति, दीप्ति एव विस्तार इन अवस्थाओं पर रस का आस्वाद अवलंबित होता है। मन की इन्हीं अवस्थाओं को साहित्यशास्त्र में क्रमशः माधुर्य, ओजस् एव प्रसाद कहा है। ये गुण हैं।

(५) अर्थात् ये गुण रस में समवाय वृत्ति से रहते हैं। काव्यगत शब्दार्थों के सयोग से मन की ये अवस्थाएँ उदित होती हैं, अतएव गुण शब्दार्थों के हैं यह केवल उपचार से कहा जाता है। गुण तथा विशेष रूप की पदसघटना इनमें अव्यभिचारी संबन्ध नहीं होता।

(६) काव्यगत शब्दार्थों के सयोग से रसिक के मन की विशेष अवस्था उदित होती है। एव वह उस अवस्था का आस्वाद लेता है यह अनुभव है। आस्वाद की अवस्था ही रस की अभिव्यक्ति है। रस की अभिव्यक्ति करनेवाली शब्दार्थों की इस शक्ति को 'व्यजनाव्यापार' की सज्ञा है।

(७) महाकवियों के काव्य में शब्दों का व्यजनाव्यापार ही प्रधान होता है। काव्य में पाये जानेवाले व्यापार का विशेष 'व्यजना' ही है। काव्य में शब्दार्थों का संबन्ध वाच्यवाचकरूप अथवा लक्ष्यलक्षकरूप न होकर व्यंग्यव्यञ्जकरूप होता है।

(८) अतएव व्यंग्यव्यञ्जकरूप शब्दार्थसंबन्ध ही काव्यगत शब्दार्थों का साहित्य है, इस संबन्ध को ही 'ध्वनि' सज्ञा है। इसी कारण से ध्वनि काव्य की आत्मा है। ध्वनि शब्द से व्यंग्य, व्यञ्जक और व्यजना तीनों का बोध होता है।

(९) काव्यगत शब्दार्थों का पर्यवसान रस के आस्वाद में होता है। काव्य में रस ध्वनित होता है। वक्रोक्ति अथवा अलंकारो के कारण ही शब्दार्थों में रस ध्वनित करने का सामर्थ्य आता है।

(१०) रस के आस्वाद के लिए रसिक की योग्यता भी अपेक्षित है। यह योग्यता केवल व्याकरण के ज्ञान से अथवा तर्क के ज्ञान से नहीं आती। उसके लिए

नायक भोगीकरण का सिद्धान्त उपस्थित करते थे। कुन्तक ध्वनि को वक्रोक्ति का ही भेद मानते थे तो धनजय एव धनिक उसे तात्पर्यार्थ समझते थे। भोज तात्पर्यार्थ और ध्वनि में मेल करने की विष्टा करते थे। परन्तु इन सभी के समक्ष एक ही प्रश्न था। वह था—“किमेतत् (शब्दार्थयो) साहित्यम् ?”। “कोऽसौ अलकार.?” का प्रश्न अब पिछुड़ गया था। इसीमें से “काव्यालकार” का “साहित्य” मे रूपांतर हुआ। उसका स्वरूप अब हम देखेंगे।

आनन्दवर्धन से मम्मट तक हुए कुछ महत्त्वपूर्ण ग्रन्थकार और उनके ग्रन्थ इस प्रकार हैं—

- (१) राजशेखर—काव्यमीमांसा (सन् ६२० ईसवी)
- (२) मुकुलभट्ट—अभिधावृत्तिमातृका (सन् ६२० ईसवी)
- (३) भट्टतौत—काव्यकौतुक (सन् ६५०-६६० ईसवी)
- (४) भट्टनायक—हृदयदर्पण (सन् ६५०-१००० ईसवी)
- (५) अभिनवगुप्त—लोचन, अभिनवभारती (सन् ६६०-१०२५ ईसवी)
- (६) कुन्तक—वक्रोक्तिजीवित (सन् ६२५-१०२५ ईसवी)
- (७) धनजय, धनिक—दशरूप व अवलोक (सन् ६७५ ईसवी)
- (८) महिमभट्ट—व्यक्तिविवेक (सन् १०२०-१०६० ईसवी)
- (९) भोज—सरस्वतीकठाभरण, शृंगारप्रकाश (सन् १०१५-१०५५ ईसवी) ;
- (१०) क्षेमेन्द्र—औचित्यविचारचर्चा (सन् १०५० ईसवी)
- (११) मम्मट—काव्यप्रकाश (सन् ११०० ईसवी) ।

इनके अतिरिक्त सम्व है कि भट्ट लोल्लट और श्रीशुकुक ये नाट्यशास्त्र के दो टीकाकार भी इसी काल में हो गये। इनमें भट्टतौत, अभिनवगुप्त, क्षेमेन्द्र और मम्मट ध्वनिकार के अनुयायी हैं। मुकुलभट्ट लक्षणावादी हैं, धनजय और धनिक तात्पर्यवादी (अभिहितान्वयवादी) तथा भट्टलोल्लट अन्विताभिधानवादी मीमांसक हैं। इन्हे व्यंजनावृत्ति स्वीकार नहीं है। भोज भी तात्पर्यवादी ही है किन्तु वे तात्पर्यवाद और ध्वनि में सामंजस्य लाना चाहते हैं। उनका विचार है कि, “तात्पर्यमेव वचसि ध्वनिरेव काव्ये।” श्रीशुकुक और महिमभट्ट अनुमानवादी हैं। इनके मन्तव्य के अनुसार रस अनुमित होता है। इन्हे लक्षणा एव व्यजना दोनो वृत्तियों स्वीकार नहीं है एव दोनो को अनुमान के अन्तर्गत स्वीकार करते हैं। कुन्तक वक्रोक्तिवादी हैं। वे ध्वनि को अर्थवक्रता का ही एक भेद मानते हैं। राजशेखर का ग्रन्थ पूर्ण रूप में उपलब्ध नहीं है; इस लिए ध्वनि के विषय में उनका क्या विचार था यह समझने के लिए कोई साधन नहीं। भट्टनायक भोगीकृतिवादी हैं। उन्हें भी व्यजना स्वीकार नहीं है।

कारण है। उसका कथन है कि इस शक्ति से ही प्रतिभा और व्युत्पत्ति का आविर्भाव होता है। उपरान्त वह काव्यपाक अर्थात् कवित्व की परिणत दशा का अर्थ बताकर, “गुणवदलकृत च वाक्यमेव काव्यम्।” ऐसा काव्यलक्षण देता है। प्रतीत होता है कि उसका काव्यलक्षण एव काव्यपाकविवेचन वामन के अनुसार ही हुआ है।

काव्यविवेचन एव उसकी सत्यता के विषय में उसका विवेचन महत्त्वपूर्ण है। काव्यपर आरोप लगाया जाता था कि काव्य में विषय एव वर्णन असत्य होते हैं। उसका निर्देश करते हुए राजशेखर ने उसका खण्डन किया है। इस प्रसंग में उसने काव्यप्रत्यक्ष का स्वरूप विशद किया है। भामह के काल में भामह ने इस प्रश्न का किस प्रकार समाधान किया है यह हम पूर्व देख चुके हैं। शास्त्रीय न्याय भिन्न होता है एव लोकाश्रित न्याय भिन्न होता है इस प्रकार विवेक करते हुए भामह ने काव्यप्रत्यक्ष का स्वरूप दर्शाया। भामह के पश्चात् उद्भट ने इस विषय पर विवेचन किया। उद्भट के विचार के अनुसार अर्थ के दो भेद होते हैं। एक अर्थ ‘विचारितसुस्थ’ अर्थात् विचार के व्यवस्थित रूप से सिद्ध होता है एव दूसरा अर्थ ‘अविचारित रमणीय’ होता है, जिसमें कार्यकारणादि विवेक के लिए विशेष स्थान नहीं होता, केवल रमणीकता ही देखी जाती है। इनमें से प्रथम अर्थात् ‘विचारितसुस्थ’ अर्थ शास्त्र का विषय है, और अविचारितसुस्थ अर्थ काव्य का विषय है (३)। उद्भट के इस विचार का निर्देश महिममट्ट ने भी अपने ‘व्यक्ति-विवेक’ में किया है।

उद्भट का यह मन्तव्य राजशेखर को स्वीकार नहीं है। यह अर्थविभाग स्वीकार करने से काव्य के असत्य निर्धारित होने की आपत्ति होती है। अर्थ के विचारित एव अविचारित इस प्रकार विभाग किये तथा विचारित की सत्यता स्वीकार की (और वह तो स्वीकार करनी पड़ती ही है) तो अविचारित अर्थ आप ही असत्य हो जाता है। राजशेखर का मत है कि उद्भट का यह विभाग ही उपपन्न नहीं होता। शास्त्र का अर्थ एव काव्य का अर्थ, दोनों की कक्षाएँ मूलतः भिन्न हैं। अतएव एक को सत्य और दूसरे को असत्य बताना असंभव है। विश्व में विषय जैसे होते हैं उसी प्रकार उनका विवरण करने का शास्त्र का प्रयास होता है। किन्तु इस प्रकार स्वरूपवर्णन करना काव्य का प्रयोजन नहीं होता। विश्व में विषय जैसे दीखते हैं अथवा प्रतीत होते हैं उसी प्रकार काव्य में कवि उनका वर्णन करता है। शास्त्रीय वर्णन ‘स्वरूपनिबन्धन’ होता है, तो काव्य में वर्णन ‘प्रतिभासनिबन्धन’ होता है।

३. अस्तु निःसीमा अर्थसार्थः किन्तु द्विरूप एवासौ, विचारितसुस्थोऽविचारितरमणीयश्च इति। तयोः पूर्वमाश्रितानि शास्त्राणि तदुत्तरं काव्यानि इति औद्भटाः। (का. मी. पृ. ४४)

प्रतिभास एक प्रतीति है तथा एक प्रतीति की दृष्टि से उसे उसके क्षेत्र में सत्यता है। शब्द की वाच्यार्थबोधक शक्ति की—अभिधा की वास्तव सत्यता है, परन्तु लक्षणा की भी—वह अभिधा से भिन्न होने पर भी—सत्यता है, क्यो कि वह भी एक प्रतीति ही है (अभिधेयाऽविनाभूतप्रतीतिर्लक्षणोच्यते—कुमारिल)। प्रतिभासरूप काव्यप्रत्यक्ष एव लक्षणा, दोनो की प्रतीतिनिष्ठ सत्यता की सीमाएँ भी समान है। काव्यप्रत्यक्ष लोकाश्रित अर्थात् लोकानुभव से सवादी होना चाहिये, लक्षणा भी लोकाश्रित ही होनी चाहिये (लक्षणाऽपि लौकिकी एव—शबरस्वामी)। यह प्रतिभासनिबन्धनत्व ही अलकारो का मूल है, एव शब्दो में उसका विलास लक्षणाशक्ति के द्वारा हुआ दिखाई देता है। इस लिए प्रतिभास एव लक्षणा दोनो की सीमाएँ अलकारो को भी लागू होती है। वामन ने उपमा के लिए एक ओर लोकप्रसिद्धत्व का एव दूसरी ओर असभवदोष टालने का बन्धन दिया है, इसका मूल लोकाश्रितता की कल्पना है। लोकाश्रितता एव सभवनीयता की दो सीमाओ के मध्य प्रतिभास स्फुरित होता है। इस प्रतिभास की विविधता अलकारभेदो का मूल है। अलकारभेद प्रतिभासप्रतीति की विविधता से उपपन्न होते हैं। अनेक अलकार सादृश्यमूल तो हैं, किन्तु सादृश्यप्रतीति की विविधता के कारण वे भिन्न होते हैं। आलकारिको ने यह समयसमय पर स्पष्ट रूप में बताया है। दो भिन्न पदार्थों में केवल सादृश्यप्रतीति हो तो वह उपमा होगी, सादृश्य के कारण सदैहप्रतीति हो तो वह ससदेह होगा, सदेह की उत्कटकोटिक प्रतीति हो तो वह उत्प्रेक्षा होगी, अभेदप्रतीति हो तो वह रूपक होगा, तादात्म्यप्रतीति हो तो अतिगयोक्ति होगी; अन्यथाप्रतीति हो तो वह अपह्लाति होगी; एव अन्यथाप्रतीति के कारण निष्पन्न क्रिया से कर्ता के मिथ्या अर्थावसाय की प्रतीति हो तो वह भ्रान्तिमान् होगा। ये सब प्रतीतियाँ प्रतिभासरूप ही हैं। कवि इस प्रतीतिभेद के कारण ही वैचित्र्य निर्माण करता है। यही उसकी अलौकिक सृष्टि है। इस प्रतीतिवैचित्र्य के कारण ही, विषय के घिसे होने पर भी, कवि की वाणी 'प्रतिक्षण नई रचि' पैदा करती है। आनन्दवर्धन 'विषमबाणलीला' में कहते हैं— "प्रिया के विभ्रम की एव सुकवि की वाणी के अर्थ की कोई सीमाएँ तो है ही नहीं; और उनकी कभी पुनरुक्ति हुई नजर नहीं आती (५)।"

काव्यार्थ की सत्यता का स्वरूप कथन करने के पश्चात् वह उनकी रसवत्ता के विषय में लिखता है। इसमें उसने भट्ट लोल्लट के मत का परीक्षण किया है। भट्ट लोल्लट का मन्तव्य इस प्रकार है— "विश्व में असख्यात अर्थ है। किन्तु उनमें

५. न अ ताण षड्ई ओही, ण ह ते दीसंति कहइ पुनरुत्ता
जे विभ्रमा पिआण, अत्था या सुकइवाणीणम् ॥

कुन्तककृत साहित्यविवेचन (सन १२५-१०२५ ईसवी)

राजशेखर साहित्य कों शब्दार्थों का यथावत् सहभाव कहता है तो कुन्तक उसीको शब्दार्थों का अन्यूनातिरिक्तत्व से अवस्थान कहता है। कुन्तक का 'वक्रो-क्तिजीवित' नामक ग्रन्थ उपलब्ध है, उसका लेखनकाल ख्रि. १२५ से १०२५ के मध्य आता है। कुन्तक और अभिनवगुप्त समसामयिक थे, संभवत वे सहाध्यायी भी थे ऐसा डॉ. लाहिरी का विचार है।

“साहित्य क्या है?” इस प्रश्न से ही कुन्तक ने विवेचन का आरंभ किया है। “शब्दार्थों का सहभाव नित्य व्यवहार में भी पाया जाता है। फिर साहित्य में शब्दार्थों का सहभाव चाहिये यह कहने में क्या विशेषता है? (७)” इस प्रकार प्रश्न उपस्थित करते हुए कुन्तक कहता है— “यह तो ठीक है कि शब्दार्थों का वाच्यवाचक सहभाव सर्वत्र होता है, किन्तु यह भी सत्य है कि इस सहभाव का परमार्थ काव्यमार्ग में ही पाया जाता है (८)।” काव्य में शब्दार्थों की रमणीयता की दृष्टि से अन्यून एव अनतिरिक्त अवस्थिति होती है (९)। शब्द और अर्थ का, शब्द और शब्द का, एव अर्थ और अर्थ का पारस्परिक शोभा बढ़ाने-वाला सौंदर्यशाली अवस्थान ही काव्य में अभिप्रेत साहित्य है। काव्य में शब्दार्थों की परस्पर रमणिकता बढ़ाने में मानो स्पर्धा चलती है। इस प्रकार की स्पर्धा जिनमें परिस्फुरित होती है ऐसे वाक्यविन्यासों के द्वारा प्रतीत होनेवाला सौंदर्य ही काव्यगत शब्दार्थसाहित्य है। साहित्य के विषय में अपनी कल्पना कुन्तक ने परिकर श्लोक में संक्षेपतः एकत्र प्रस्तुत की है—

मार्गानुगुण्यसुभग माधुर्यादिगुरादयः ।
अलकरणविन्यासः वक्रतातिशयान्वितः ॥
वृत्त्यौचित्यमनोहारि रसाना परिपोषणम् ।
स्पर्धया विद्यते यत्र यथास्वमुभयोरपि ॥
सा काऽप्यवस्थितिस्तद्विदानन्दस्पन्दसुदरा ।
पदादिवाक्परिस्पन्दसार साहित्यमुच्यते ॥

७. शब्दार्थों सहितावेव प्रतीतौ स्फुरतः सदा ।
सहिताविति तावेव किमपूर्वं विधीयते ॥ (१।१६)
८. वाच्योऽर्थो वाचकः शब्दः प्रसिद्धमपि यद्यपि ।
तथापि काव्यमार्गोऽस्मिन् परमार्थोऽयमेतयोः ॥ (१।८)
९. साहित्यमनयोः शोभाशालितां प्रति काव्यसौ ।
अन्यूनानातिरिक्तत्वमनोहारिण्यवस्थितिः ॥ (१।१७)



मम्मट के परवर्ती ग्रन्थकार

साहित्यमीमांसा की जिस पद्धति को मम्मट ने

प्रवर्तित किया उसीको उत्तरवर्ती ग्रन्थकारों ने अपनाया। मम्मट से जगन्नाथ तक लगभग साठे पाँचसौ वर्षों के कालखण्ड में (ख्रि ११०० से १६५०) साहित्यचर्चा की पद्धति में कोई मूलग्राही परिवर्तन नहीं हुआ। इस काल के लगभग सभी साहित्यपंडित ध्वनिकार के ही अनुगामी हुए। इसका अर्थ यह नहीं कि नवीन विचार इस काल में उदय ही नहीं हुए। नवीन विचार हुए अवश्य, किन्तु या तो वे हिम्मत से प्रस्तुत नहीं किये गये या उनके अनुगामियों की सख्या अत्यल्प थी। इन विचारों में से कुछ महत्त्वपूर्ण विचार इस प्रकार हैं—

- (१) नारायण का केवलाद्भुतवाद,
- (२) रामचंद्र-गुणचंद्र का सुख-दुःखवाद,
- (३) नव्यन्याय के अनुगामियों की रसप्रक्रिया,
- (४) मधुसूदनसरस्वती का भक्तिरसविवेचन,
- (५) प्रभाकर का चमत्कारवाद,
- (६) जगन्नाथपंडित का पुनर्विवेचन करने का प्रयास।

इनमें से जगन्नाथ पंडित ही ऐसे थे जिन्होंने कि मम्मट के पश्चात् साहित्य के पंडितों के मन पर कुछ प्रभाव डाला। इस अध्याय में काल के अनुक्रम से सभी के इतिहास हम देखेंगे।

बारहवीं शताब्दी

मम्मट के पश्चात् एक ही शताब्दी में (बारहवीं शताब्दी में) रुय्यक, वाग्भट और हेमचंद्र ये लब्धप्रतिष्ठ ग्रंथकार हुए। रुय्यक का लेखनकाल ख्रि. ११३५ से

११५५, वाग्भट का लेखनकाल ख्रि. ११२२ से ११५६ एव हेमचद्र के 'काव्यानुशासन' का काल ख्रि ११५० स्थिर हुआ है।

रुय्यक.—रुय्यक ने 'अलकारसर्वस्व' नामक ग्रन्थ लिखा। इस ग्रन्थ में उसने अलकारो का वर्गीकरण करते हुए लगभग ७५ अलकारो का विवेचन किया। वह ध्वनिमत का एकनिष्ठ अनुयायी था। उसका कथन है कि गुणदोष एवं अलकारों का विभाग अन्वयव्यतिरेक की पद्धति से नहीं बल्कि आश्रयाश्रयिभाव से करना चाहिये। अलकारो का वर्गीकरण करने में उसकी सूक्ष्म बुद्धि प्रकट हुई है। इसके अलकारविवेचन का प्रभाव पीछे हुए आलकारिकोंपर हुआ प्रतीत होता है। उन्होंने अलकारो की विवेचना में मम्मट से भी रुय्यक का ही आधार विशेषरूप में लिया है। विश्वनाथ के अलकारविवेचन पर तो रुय्यककृत विवेचन का प्रभाव प्रत्यक्ष है। 'अलकारसर्वस्व' के अतिरिक्त रुय्यक ने 'अलकारानुसारिणी', 'काव्यप्रकाश-सकेत', 'नाटकमीमासा', 'व्यक्तिविवेकविचार', 'साहित्यमीमासा' एवं 'सहृदय-लीला' इ. ग्रन्थ लिखे हैं। 'सहृदयलीला' ग्रन्थ है तो छोटा-सा ग्रन्थ किन्तु है बड़ा मजेदार। इसमें स्त्रियो के नैसर्गिक एव कृत्रिम अलकारो का वर्णन है।

हेमचंद्र.—हेमचंद्र इसी शताब्दी का एक अन्य श्रेष्ठ ग्रन्थकार है। वाग्भट और हेमचंद्र दोनो ने 'काव्यानुशासन' नाम के ही ग्रन्थ लिखे। दोनो ग्रन्थ सग्राहात्मक ही है। किन्तु हेमचंद्र के सबन्ध में कुछ लिखना आवश्यक है। हेमचन्द्र की ग्रन्थसख्या विस्तृत है। 'सिद्ध हेमचंद्र' अथवा 'शब्दानुशासन' नामक व्याकरणग्रन्थ, 'देशी-नाममाला' नामक प्राकृत कोष, एव 'काव्यानुशासन' नामक साहित्यग्रन्थ की रचना उसने की है। 'काव्यानुशासन' ग्रन्थ संग्रहात्मक होने पर भी उसकी कुछ अपनी विशेषताएँ हैं। सर्वप्रथम, छात्रो की दृष्टि से हेमचंद्र ने इस ग्रन्थ की रचना की है। यह ग्रन्थ 'ध्वन्यालोक', 'लोचन', 'अभिनवभारती', 'काव्यप्रकाश' एव राजशेखर की 'काव्यमीमांसा' पर आधारित है। पूर्व आचार्यों के मतों को इसमें विशद रूप में प्रस्तुत किया गया है एव रसविवेचन सक्षेप में हो कर भी गभीर एव सोपपत्तिक है। 'काव्यानुशासन' पर हेमचन्द्र ने ही 'विवेक' नाम्नी टीका लिखी है। हेमचंद्रकृत ध्वनि का वर्गीकरण एव अलकारविवेचन देखनेलायक है। मम्मट के किये हुए अनेक ध्वनिभेद, भिन्न प्रकार से वर्गीकरण करते हुए हेमचन्द्र ने सक्षिप्त किये हैं और अलकार भी साठ से छत्तीस तक कम किये हैं। 'काव्यानुशासन' के अध्ययन में, पाठक आरम्भ में ही पूर्वपक्ष, उत्तरपक्ष के जाल में फँसता नहीं। इससे विषय का मानचित्र तत्क्षण ध्यान में आ जाता है। इस कारण, आधुनिक दृष्टि से पाठ्यग्रन्थ (Text Book)के नाते 'काव्यानुशासन' ग्रन्थ का महत्त्व है। इस ग्रन्थ के अध्ययन से 'काव्यप्रकाश' में सुलभ प्रवेश होता है तथा 'काव्यप्रकाश' की दुर्बोधता कुछ अंश में कम होती है।

रामचन्द्र और गुणचन्द्र — ये दोनों ग्रन्थकार हेमचन्द्र के शिष्य थे। इन दोनों ने 'नाट्यदर्पण' नामक ग्रन्थ लिखा। रामचन्द्र प्रबन्धशतकर्ता के नाम से प्रसिद्ध था। इन दोनों ने "सुखदुःखात्मको रस" के मत का उपन्यास किया। इनका कथन है कि शृंगार, हास्य, वीर, अद्भूत एव शान्त ये पाँच रस सुखात्मक हैं तथा करुण, रौद्र, बीभत्स एव भयानक ये चार रस दुःखात्मक हैं। इनके पूर्व शारदातनय नामक ग्रन्थकार हुआ था। शातरस नाट्यरस नहीं है ऐसा मत उसने अपने 'भावप्रकाश' नामक ग्रन्थ में प्रतिपादन किया था। 'नाट्यदर्पण'कार इस मत को स्वीकार नहीं करते। उनकी समिति में शात भी नाट्यरस है।

तेरहवीं शताब्दी

तेरहवीं शताब्दी में साहित्यविचार में कोई विशेष परिष्कार हुआ दिखाई नहीं देता। इस शताब्दी में जयदेव, भानुदत्त और विद्याधर प्रसिद्ध ग्रन्थकार हुए। जयदेव (पीयूषवर्ष) का 'चन्द्रालोक' नामक ग्रन्थ प्रसिद्ध है। इस ग्रन्थ में सौ अलंकारों का विवेचन किया हुआ है। भानुदत्त के दो ग्रन्थ 'रसमजरी' और 'रसतरंगिणी' केवल रसविचार के हैं। विद्याधर का 'एकावलि' नामक ग्रन्थ है। इसके उदाहरण लेखक के ही रचे हुए हैं और उसमें उड़ीसानरेश नृसिंहदेव की स्तुति है।

चौदहवीं शताब्दी

इस शताब्दी में दो प्रसिद्ध ग्रन्थकार विद्यानाथ और विश्वनाथ हुए। सभव है द्वितीय वाग्भट भी इसी समय हुआ हो।

विद्यानाथ — विद्यानाथ का 'प्रतापरुद्रयशोभूषण' नामक ग्रन्थ है। उदाहरणों में ग्रन्थकार ने काकतीय वंश के राजा प्रतापरुद्र का वर्णन किया है। इस ग्रन्थ में नाट्य का भी विवेचन है एव नाट्य के नियम विशद करने के लिए ग्रन्थकार ने 'प्रतापरुद्रकल्याण' नामक नाटक भी इस ग्रन्थ में सम्मिलित किया है। सम्पूर्ण ग्रन्थ पर मम्मट का एव अलंकारविवेचन पर रुच्यक का प्रभाव स्पष्टरूप में दिखाई देता है।

विश्वनाथ — विश्वनाथ का 'साहित्यदर्पण' इस शताब्दी का प्रसिद्ध ग्रन्थ है। पाठ्य ग्रन्थ के नाते 'काव्यप्रकाश' के बाद 'साहित्यदर्पण' का ही महत्त्व है। इस ग्रन्थ का अधिकतर प्रसार बंगाल में रहा। इसमें काव्य के नाट्यसहित सभी अंगों का विवेचन है। नाट्यविवेचन में 'नाट्यशास्त्र' एव 'दशरूप' के बाद 'साहित्यदर्पण' का ही प्रामाण्य है। काव्य की 'वाक्य रसात्मकं काव्यम्' की सर्वदूर प्रचारित परिभाषा विश्वनाथ की ही है। विश्वनाथ ने नऊ रसों में दसवाँ वत्सलरस भी माना है। केवलानन्दवाद का इसने प्रबल समर्थन किया। 'साहित्य-

समय सोलहवीं शती का उत्तरार्ध हो सकता है। मधुसूदनसरस्वती गभीर वेदान्ती, रससिद्ध कवि एवं महान् भगवद्भक्त थे। “अद्वैतसिद्धि” नामक वेदान्तग्रन्थ, ‘भक्तिरसायन’ नामक साहित्यग्रन्थ एवं ‘आनन्दमन्दाकिनी’ नामक रसपरिप्लुत स्तोत्रकाव्य ये तीन अमर उपहार उन्होंने हमें दिये हैं।

साहित्य में चमत्कारवाद—‘काव्य का विशेष चमत्कार अथवा चमत्कृति है’ इस प्रकार के विचार को सोलहवीं शती में प्रभाकर नामक ग्रन्थकार ने प्रवर्तित किया। वैसे तो अद्भुत रस के विवेचन के रूप में इस प्रकार की विचारधारा चौदहवीं शताब्दी में ही प्रसृत हुई थी। काव्य में अनुभव होनेवाली आस्वाद्यता के लिए ‘चमत्कार’ अथवा ‘चमत्कृति’ शब्द का प्रयोग आनन्दवर्धन व अभिनवगुप्त ने भी स्थान स्थान पर किया हुआ पाया जाता है। क्षमेन्द्र ने तो कविकण्ठाभरण में चमत्कार के दश भेद उदाहरणसहित दिये हैं। किन्तु चमत्कार की दृष्टि से काव्य-विवेचन करने की चेष्टा मम्मट के पश्चात् ही हुई है। विश्वनाथ के परदादा नारायण के मन्तव्य के अनुसार तो चमत्कार ही काव्य का प्राण होने के कारण विस्मयमूल अद्भुत ही एकमात्र रस होता था (२)। विश्वेश्वर चमत्कारवाद का एक अन्य पुरस्कर्ता ग्रन्थकार था। यह चौदहवीं शताब्दी में हुआ। इसने ‘चमत्कार-चन्द्रिका’ नामक ग्रन्थ लिखा है। काव्य के पठन से सहृदय को होनेवाला आनन्द ही चमत्कार है एवं गुण, रीति, रस, वृत्ति, पाक, शय्या एवं अलंकार उसके सात आलबन हैं ऐसा उसने इस ग्रन्थ में कहा है (३)। सोलहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रभाकर ने ‘रसप्रदीप’ नामक ग्रन्थ लिखा। उस ग्रन्थ में उसने काव्य की परिभाषा ‘चमत्कारविशेषकारित्व, सुखविशेषकारित्व वा।’ इस प्रकार की है। उसका विचार है कि रस चमत्कार का विशेष घटक है। नारायण के अद्भुतवाद का इसने खण्डन किया है। ‘रसप्रदीप’ एक छोटा-सा ग्रन्थ है और प्रभाकर ने उन्नीस वर्ष की अवस्था में इसकी रचना की। इस ग्रन्थ का प्रभाव उस काल में बहुत रहा। डॉ. वाटवे महोदय का कथन है कि जगन्नाथ जैसे पंडित पर भी इसका प्रभाव दिखाई देता है।

२. रसे सारश्चमत्कारः सर्वत्राप्यनुभूयते।

• तच्चमत्कारसारत्वे सर्वत्राप्यद्भुतो रसः ॥

तस्मादद्भुतमेवाह कृती नारायणो रसम् ॥

इस प्रकार नारायण के विषय में धर्मदत्त का वचन विश्वनाथ ने ‘साहित्यदर्पण’ में दिया है।

३. चमत्कारस्तु विदुषामानन्दपरिवाहकृत् ।

गुणं रीतिं रसं वृत्तिं पाकं शय्यामलकृतिम्

ससैतानि चमत्कारकारणं ब्रुवते बुधाः ॥

‘रमणीयार्थप्रतिपादक शब्द. काव्यम्’ इस प्रकार पूर्व आचार्यों से भिन्न रूप में काव्य की परिभाषा जगन्नाथ ने की, केवल इतनाही नहीं, तो काव्य के भेदों से लेकर सभीका पुनर्लेखन उन्होंने किया। उनका कथन है कि काव्य का एकमात्र कारण प्रतिभा है (तस्य च कारणं केवल कविगता प्रतिभा।) उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम एव अधम इस प्रकार काव्य के चार भेद उन्होंने किये। जहाँ व्यंग्यार्थ प्रधान होता है वह उत्तमोत्तम काव्य, जहाँ व्यंग्यार्थ प्रधान न होने पर भी चमत्कारकारण है वह उत्तम काव्य, जहाँ व्यंग्यचमत्कार से भी वाच्यचमत्कार विस्पष्ट एव उत्कृष्ट है वह मध्यम काव्य, एव जहाँ अर्थचमत्कृति शब्दचमत्कृति में लीन होती है वह अधम काव्य है, इस प्रकार काव्य के विविध भेदों का स्वरूप उन्होंने बताया है। एकाक्षर पद्य, अर्धावृत्ति यमक, पद्मबन्ध आदि पद्यों में अर्थचमत्कृतिहीन शब्दचमत्कृति पाई जाती है, किन्तु इनमें शब्दों में रमणीयार्थ प्रतिपादकता न होने के कारण ऐसे पद्य काव्यसज्ञा के पात्र नहीं है ऐसा जगन्नाथ का कथन है। महाकवियों के काव्यों में ऐसे पद्य पाये जाते हैं इसी आधार से ऐसे पद्यों का काव्यत्व समझना ठीक नहीं है। उन महाकवियों ने केवल परम्परा के अनुकूल ही ऐसी रचना की है। कौन कहेगा कि जगन्नाथ ने की हुई शब्दचित्र की यह आलोचना यथार्थ नहीं है ?

जगन्नाथकृत विवेचन अभिनवगुप्त के अनुकूल होने पर भी अभिनवगुप्तकृत विवेचन से बहुत आगे बढ़ा हुआ है। ‘काव्यप्रकाश’ में रस के सबध में चार मत हैं और ‘रसगगाधर’ में ग्यारह हैं इतना ही इसका अर्थ नहीं। ‘रत्याद्यवच्छिन्ना भग्नावरणा चिदेव रसः’ यह रसविवेचन को उनकी अति अमूल्य देन है। उनका गुणविचार एव भावध्वनिपर विवेचन भी मर्मग्राही, नवीन एव सूक्ष्म है। तत्तद्गुणों की अभिव्यजक रचना भी उन्होंने पूर्णतया नवीन शैली में विवेचित की है। मम्मट आदि के इस सबन्ध में विहित किये हुए नियम अब लागू नहीं होते थे यह जगन्नाथ ने पहचान रक्खा था। अतएव गुणव्यजकता की दृष्टि से उन्होंने नवीन नियमों की रचना की। उन की भावध्वनि की विवेचना भी सूक्ष्म है। और विशेष यह है कि रस, भाव आदि को पूर्व आचार्य केवल असलक्ष्यक्रम ही मानते थे, किन्तु रस, भाव आदि सलक्ष्यक्रम भी हो सकते हैं यह जगन्नाथ ने बड़ी मार्मिक शैली से दर्शाया है।

पदरचना एव पदव्यंजकता के सबन्ध में भी, किसी ऊँचे दर्जे के सगीत के जानकार के समान जगन्नाथ का ‘कान तैयार’ था। इसी लिए, अन्य कवियों की रचनाओं का परीक्षण करने में वे अपना मत विशद रूप में समझा सकते हैं। इसी गभीर अध्ययन के कारण, उनके समय के पंडितों को शिरोधार्य श्रीहर्षकृत ‘नैषधीय चरित’ की रचना को भी वे ‘क्रमेलकवत् विसंष्टुल’ कह सकते हैं। जगन्नाथ का और

अर्थव्यक्ति की एक वैचित्र्यपूर्ण शैली है। हिन्दी भाषा में इस शैली की जो नवीनता प्रतीत हो रही थी उसे जगन्नाथ ने सस्कृत में लाया। उनकी अलंकार विवेचना में केवल पिष्टपेषण नहीं है, या भँदो का केवल सूक्ष्म दर्शन भी नहीं है; उसमें वक्रोक्ति का एक नवीन विलास है।

श्याम सित च सुदृशो न दृशो स्वरूप
किन्तु स्फुट गरलमेतदथामृत च ।
नो चेत् कथं निपतनादनयोस्तदैव
मोह मुद च नितरां दधते युवान ॥

इस पद्य पर उनका किया हुआ विवेचन वक्रोक्ति के नवीन विलास की दृष्टि से द्रष्टव्य है। इस सस्कृत पद्य का मूल—

अमी हलाहल मद भरे स्वेत स्याम रत नार ।
जियत मयत भुक्ति भुक्ति परत जिहि चितवत इक बार ॥

इस भाषापद्य में है, यह ध्यान में लेने से वक्रोक्ति का यह नवीन विलास उन्होंने हिन्दी से या तत्कालीन भाषासाहित्य से सस्कृत में लाया यह विस्पष्ट हो जाता है।


रसगगाधर में तत्कालीन नवीन सकेत भी कई प्रकार के दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए निम्न पद्य देखिए—

निरुद्ध्य यान्ती तरसा कपोती
कूजत्कपोतस्य पुरो दधाने ।
मयि स्मितार्द्र वदनारविन्द
सा मन्दमन्द नमयाबभूव ॥

यहाँ लज्जाभाव का विभाव कपोतक्रीडा के रूप में है। कपोतो की क्रीडा का वर्णन करने की यह पद्धति जगन्नाथकालीन है, पूर्वकालीन नहीं यह विज्ञो को समझाने की आवश्यकता नहीं।

साराश, पूर्वकालीन ग्रन्थकारों के किये हुए विवेचन को लेकर तथा स्वकालीन साहित्य में वक्रोक्ति के नवीन विलास एवं सकेतों का विचार करते हुए 'रसगगाधर' में साहित्यशास्त्र का पुनर्लेखन करने का जगन्नाथ का प्रयास स्पष्टरूप से प्रतीत होता है। रसगगाधर ग्रन्थ अपूर्ण है। यदि पूर्ण रूप में ग्रन्थ उपलब्ध रहता तो सभी विषयों में जगन्नाथ ने साहित्यशास्त्र को किस प्रकार विकसित किया था यह स्पष्ट हो जाता।

अपनी ग्रन्थरचना से साहित्यशास्त्र को कुछ नया विचार प्रदान करनेवाला जगन्नाथ ही अन्तिम ग्रन्थकार है। जगन्नाथ के पश्चात् निर्माण हुए ग्रन्थ केवल सग्रहरूप हैं। अतएव साहित्यशास्त्र के विकास का इतिहास जगन्नाथ तक ही समाप्त होता है यह कहने में कोई आपत्ति नहीं।



साहित्यशास्त्र का विकास

यहाँ तक हम ने भरत से जगन्नाथ तक साहित्यचर्चा का सक्षिप्त वर्णन किया है। साहित्यचर्चा के विकास का यह काल ख्रि. पू २०० से ख्रि. पू १७०० तक अर्थात् लगभग दो सहस्र वर्षों का है। 'नाट्यशास्त्र' का काल ख्रि २०० मानने पर भी १७०० वर्ष होते हैं। इस काल में साहित्यशास्त्र परिणत हुआ। साहित्यशास्त्र के इस विकास की अवस्थाएँ निम्न रूप में दर्शाई जा सकती है—

१ क्रियाकल्प :— उपलब्ध साहित्यग्रन्थों में भरत का 'नाट्यशास्त्र' ही प्राचीनतम ग्रन्थ है। नाट्यप्रयोग सफलता से किस प्रकार करना चाहिये यह दर्शाना ही इस ग्रन्थ का प्रयोजन है। अतः नाट्यमंडप की रचना से लेकर नाट्यसिद्धि तक नाट्य के सभी अंगों पर इसमें विवेचना की गई है। इस ग्रन्थ का स्वरूप प्रयोगप्रधान है एवं सिद्धान्तों की चर्चा तथा क्रियाविधान इसमें मिश्र रूप में है। नाट्यकाव्य की चर्चा इस ग्रन्थ में वाचिक अभिनय की आनुपगिक है एवं उसमें काव्यलक्षण, अलंकार तथा गुण और दोषों का स्वरूप बताया गया है। संभव है कि भरत के दिये हुए काव्यलक्षण, निरुक्त, मीमासा आदि में दिये गये वैदिक लक्षणों से ही आये हुए हों। भरत का नाट्यशास्त्र काव्यचर्चा में क्रियाकल्प की अवस्था दर्शाता है।

२. काव्यलक्षण :— भरत से लेकर भामह-दण्डी तक का काल काव्यचर्चा की दूसरी अवस्था है। इस काल में काव्यचर्चा नाट्य के अंग के रूप में न रहकर स्वतन्त्र होने लगी थी। कह सकते हैं कि काव्यलक्षणों का अलंकारों में रूपांतर होना इस काल की चर्चा का सामान्य रूप था। सम्भवतः इस काल

में काव्यचर्चा को 'काव्यलक्षण' कहते थे। काव्यलक्षण का काल लगभग ख्रि. ६०० तक का हो सकता है।

३. काव्यालकार :— भामह-दण्डी से लेकर रुद्रट तक का काल विकास की तीसरी अवस्था है। इस काल में काव्य के अलकार, गुण, रस आदि अगो का स्वरूप क्रमशः विशद होता गया। काव्यगत सौन्दर्यधर्म के लिए इस काल में 'अलकार' का नाम रूढ हुआ था। एव सौन्दर्य निर्माण के साधन के नाते काव्य के अगो की चर्चा इस काल में होती थी। काव्यचर्चा को इस काल में 'काव्यालकार' सज्ञा थी। लगभग ख्रि. ६०० से ख्रि. ८०० तक का यह काल है।

४ साहित्य :— इस के पश्चात्, आनन्दवर्धन से लेकर मम्मट तक के काल की अवस्था है। शब्दार्थों का साहित्य क्या है? काव्यगत शब्दार्थों के विशेष क्या है? आदि प्रश्नों का विवेचन ही इस काल में चर्चा का सामान्य स्वरूप था। काव्यचर्चा के विकास में यह उत्कर्ष का काल था। इस काल में ही काव्यालकार का साहित्यशास्त्र में रूपांतर हुआ। ख्रि. ८०० से ११०० तक का यह काल है।

५. साहित्यपद्धति :— मम्मट के पश्चात् उसके बताये मार्ग से ही उत्तर-वर्ती ग्रन्थकार चले हैं। मम्मट के पश्चात् नई रीती से तत्त्वविचार हुआ प्रतीत नहीं होता। इस काल के अन्तिम ग्रन्थकार जगन्नाथ ने पुनर्विचार का प्रयास किया, किन्तु शैली मम्मट की ही थी। ख्रि. ११०० से १६५० तक का यह काल है। साहित्यचर्चा की इस अवस्था को 'साहित्यपद्धति का काल' यह सज्ञा देना उचित होगा।

इस क्रम से काव्यचर्चा का विकास हुआ प्रतीत होता है। किसी वस्तु के अन्तरग का अनुसंधान करने में एक एक बाहरी छिलका निकलता जावे और सूक्ष्म आन्तर धर्मों का बोध होता जावे ऐसा ही यह हुआ है। रसिकों का अनुभव था कि त्रिविध नाट्याग एकत्र होने पर रस का जो आविर्भाव होता है, ठीक वही आविर्भाव केवल शब्दार्थों के द्वारा भी होता है। यह अनुभव कैसे होता है? शास्त्र में एव काव्य में शब्दार्थ समान होने पर भी शास्त्र का पर्यवसान आनन्द में होता नहीं। इसके विपरीत काव्य का पर्यवसान आनन्द में होता है। ऐसा क्यों? इन दोनों प्रश्नों का समाधान करने के लिए काव्यमीमासा की प्रवृत्ति हुई। केवल न्याय अथवा व्याकरण की सहायता से इन प्रश्नों का समाधान असंभव था। व्याकरण शब्दसंस्कार का शास्त्र है। अर्थसंस्कार के विषय में उससे कुछ नहीं बनता था। शब्द एव उनके रूढ संकेतों से ही काव्यसौन्दर्य सीमित नहीं यह

स्पष्ट हुआ। रूढ सकेतो को लाँघकर गयी हुई शब्दार्थों की यह उडान कैसी है यह देखने के प्रयास से ही भामह की वक्रोक्ति, दण्डी 'का समाधिगुण एव उद्भट की अमुख्य वृत्ति निर्माण हुई है। इनका स्वरूप स्पष्ट करने के लिए उन्होंने मीमांसा की लक्षणा का आश्रय किया एव लक्षणा के आश्रय से वक्रोक्ति प्रतिष्ठित की। किन्तु कवियों का एक वर्ग ऐसा भी था जो वक्रोक्ति को टेढ़ेपन में बदल दे सकते थे। अतएव वामन ने काव्यसौन्दर्य का पुनर्विवेचन किया और दर्शाया कि काव्य-सौन्दर्य अलंकारों पर अधिष्ठित न हो कर गुणों पर अधिष्ठित है, और वामन के पश्चात् रुद्रट ने काव्य का विशेष गुण-रस स्वतंत्ररूप में विवेचन किया।

दण्डी-भामह से लेकर रुद्रट तक की विवेचना में इस प्रकार भेद होने पर भी उन सभी की एक विषय में समानता थी। वह यह है कि सभी को स्वीकार था कि शब्दार्थों में गुणालंकारों का विशिष्ट धर्म होता है तथा उसीके कारण रस निष्पन्न होता है। साराश, इन सभी का विवेचन धर्ममुख से चल रहा था। किन्तु आनन्दवर्धन ने इस विचारधारा को तोड़ दिया, फलतः काव्यविवेचन का रुख ही बदल गया। काव्यविवेचन अब व्यापारमुख से तथा फलमुख से होने लगा। फलमुख से विवेचन केवल आनन्दवर्धन ने ही किया। उनका कथन है कि रस यह निर्मित या अनुमित न होकर अभिव्यक्त ही होता है, अतएव काव्यगत शब्दार्थों का पर्यवसान व्यङ्ग्य में (रस में) होना चाहिये एव इसी दृष्टि से काव्य के अंगों की शास्त्र में व्यवस्था करनी चाहिये। व्यापारमुख से विवेचन करनेवालों में कुन्तक और भट्टनायक प्रमुख थे। कुन्तक ने कविव्यापारमुख से एव भट्ट नायक ने रसिक व्यापारमुख से साहित्यविवेचन किया। विवेचन के इन सभी प्रकारों की पूर्णता अभिनवगुप्त के विवेचन में एव तत्पश्चात् मम्मट के 'काव्यप्रकाश' में हुई दिखायी देती है। साहित्यशास्त्र के विकास की पाँच अवस्थाओं में से 'काव्यालंकार' तथा 'साहित्य' की अवस्थाओं में जो विचारधाराएँ थी उनकी संगति इस प्रकार है।

किसी भी शास्त्र का जब विकास होता है तो उस विकास में एक विशेष यह प्रतीत होता है कि विकास के क्रम में, अवस्था में परिवर्तन होते ही शास्त्र की कक्षा के अन्तर्गत विषयों का वर्गीकरण भिन्न प्रकार से होना आरम्भ होता है। वर्गीकरण करने का ऐसा ही एक भिन्न प्रयत्न ध्वन्यालोक में दिखायी देता है। भामह से रुद्रट तक काव्य का वर्गीकरण गद्य-पद्य, निबद्ध-मुक्त, सर्गबन्ध-अभिनेयार्थ इस प्रकार का है। इस प्रकार का वर्गीकरण 'ध्वन्यालोक' में नहीं है। काव्यवस्तु वही है; किन्तु उसका वर्गीकरण अब व्यङ्ग्य, गुणीभूत व्यङ्ग्य तथा चित्र इस प्रकार से होना आरम्भ हुआ है। यह वर्गीकरण पहले वर्गीकरण की

अपेक्षा शास्त्रीय एवं व्यापक होने के कारण उससे अच्छा एव ग्राह्य हुआ। इस वर्गीकरण में पहले वर्गीकरण प्रकारों की व्यवस्था हुई, इतना ही नहीं, तो उसे शास्त्रीय अधिष्ठान भी प्राप्त हुआ। किसी शास्त्र के विकास का यह एक निश्चित ज्ञापक होता है और यह ज्ञापक साहित्यशास्त्र के विकास में भी पाया जाता है।

काव्य के आगे का इस प्रकार भिन्न वर्गीकरण होने से चर्चा की पद्धति में भी परिवर्तन हुआ। यह परिवर्तन मम्मट के 'काव्यप्रकाश' में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। 'ध्वन्यालोक' से आरम्भ हुई काव्यचर्चा की फलश्रुति हमें 'काव्यप्रकाश' में उपलब्ध होती है। किन्तु मम्मट के पश्चात् चर्चा की इस पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ नहीं। अतएव मम्मट के पश्चात् ऐसा कोई परिवर्तन दिखायी नहीं देता। किन्तु चर्चा की पद्धति में परिवर्तन न होने पर भी यह स्पष्ट है कि चर्चा सूक्ष्मतर होती गयी। आनन्दवर्धन ने ध्वनि का त्रिप्रकारत्व विशद किया। इसी त्रिप्रकारत्व को लेकर, "रस एव वस्तुत आत्मा, वस्त्वलकारध्वनी तु सर्वथा रस प्रति पर्यवस्येते" इस प्रकार अभिनवगुप्त ने उनकी आन्तरिक व्यवस्था सिद्ध की; मम्मट ने विवेचन में रस का 'अग्नी' के नाते निर्देश किया; तथा विश्वनाथ ने "वाक्य रसात्मक काव्यम्" वचन से रस का काव्यात्मत्व स्पष्ट रूप में कथन किया। विश्वनाथ ने इसमें कोई नवीनता नहीं दर्शाई, किन्तु निश्चय ही सूक्ष्मता दर्शाई है। जगन्नाथ का वर्गीकरण भी मम्मटानुसारी ही है; किन्तु चित्रकाव्य के अर्थचित्र एव शब्द-चित्र इस प्रकार स्वतन्त्र भेद करते हुए काव्य के कुल चार भेद स्वीकार करने में उसने भी सूक्ष्मता का परिचय दिया हुआ है, और चित्रबन्ध, एकाक्षरबन्ध आदि भेद काव्य ही नहीं है ऐसा कहने से तो वह निश्चयही पुरोगामी सिद्ध हुआ है।

भामह से जगन्नाथ तक चर्चा के उदाहरणों में भी कुछ विशेषताएँ दिखायी देती हैं। वामन का अपवाद वर्ज्य करके, भामह से रुद्रट तक सभी के दिये हुए उदाहरण संस्कृत एव स्वरचित हैं। इस के विपरीत, आनन्दवर्धन से आगे, उदाहरण प्रसिद्ध कवियों के ग्रन्थों से उद्धृत हैं। इससे प्रतीत होता है कि, आनन्दवर्धन के पूर्व शास्त्रविरचना (formation) का काल है एव आनन्दवर्धन से आगे, शास्त्र की पुनर्व्यवस्था एव तत्त्वपरीक्षा (Systematization & application) का काल है। पूर्वाचार्यों ने खोज निकाले हुए तत्त्वों की पर्याप्तता जाँचने के प्रयत्न से ध्वनितत्त्व उदय हुआ है; और इसमें एक विशेष यह है कि इस जाँच पड़ताल में आनन्दवर्धन ने इस चर्चा को संस्कृत के साथ प्राकृत काव्य के लिए भी उपयोग में लाया है। 'ध्वन्यालोक' में प्राकृत उदाहरण प्रचुर मात्रा में हैं, केवल इतना ही नहीं, ध्वनि की सूक्ष्म छटाएँ दशानि में उन्होंने प्राकृत काव्य

का भी प्रचुर उपयोग किया है। इस बात की हम उपेक्षा नहीं कर सकते ' ध्वन्यालोक ' से ' काव्यप्रकाश ' तक प्राकृत पद्यों की संख्या विपुल तो है ही; किन्तु तत्पश्चात् भी चौदहवीं शताब्दीतक यह पद्धति दिखायी है। हेमचन्द्र ने ग्राम्य अपभ्रंश के उदाहरण दिये हैं और विश्वनाथ ने भी प्राकृत उदाहरण दिये हैं। किन्तु रूपगोस्वामी, मधुसूदन सरस्वति, अप्पय दीक्षित तथा जगन्नाथ पंडित के ग्रन्थों में प्राकृत उदाहरण नहीं मिलते। रूपगोस्वामी तथा मधुसूदन सरस्वती के सम्बन्ध में एक समाधान यह दिया जा सकता है कि उन्हें भक्तिरस को प्रतिष्ठित करना था, इस लिए उन्होंने श्रीमद्भागवत के आधार से अपने ग्रन्थों की रचना की, अतएव उनमें प्राकृत पद्य नहीं है। किन्तु अप्पय दीक्षित या जगन्नाथ पंडित के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता। यह भी नहीं कह सकते कि जगन्नाथ उस समय की प्राकृत कविता को नहीं समझ सकते थे; क्यो कि प्रतीत होता है कि उन्होंने प्राकृत पद्यों के रूपान्तर किए हुए हैं। तो फिर यह पद्धति खण्डित क्यो हुआ ?

इसका एक समाधान हो सकता है। जगन्नाथ का समय पांडित्य का समय है। जगन्नाथ को पांडित्य के क्षेत्र में अनेक स्पर्धक थे। साहित्य के क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी अप्पय दीक्षित था। इन पंडितों को कुण्ठित करने के लिए जगन्नाथ ने अर्थ की अभिव्यक्ति की, नयी नयी छटाएँ उनके सामने कैसी प्रस्तुत की है यह रसगगाधर में देखना बड़ा मनोरञ्जक है। सस्कृत में ये नवीन छटाएँ मूलतः हिंदी या फारसी से लायी गयी हैं यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है। जगन्नाथ शाहजहाँ के आश्रय में थे। शाहजहाँ का लडका दारा शिकोह उपनिषदों का अभ्यासक था। शाहजहाँ की पंडितसभा में हिंदी, फारसी तथा सस्कृत पंडितों की गोष्ठियाँ होना असंभव नहीं है। ऐसी सभाओं में जगन्नाथ जैसा प्रतिभावान् कवि एवं सूक्ष्मदर्शी पंडित अगर दिलचस्पी लेता है तो वह बिल्कुल स्वाभाविक है। उन्होंने इन नयी अर्थच्छटाओं को आत्मसात् किया। उन्हें सस्कृत में रूपांतरित किया एवं अपने कवित्व से तथा पांडित्य से तत्कालीन सस्कृत पंडितों को निष्प्रभ किया।

जगन्नाथ ने इस प्रकार प्राकृत का सस्कृतीकरण कर के सस्कृत कविता को निःसदेह समृद्ध किया। किन्तु एक विचार आप ही मन में आता है कि यदि जगन्नाथ ने प्रतिपक्षी विद्वानों को निष्प्रभ करने की ईर्ष्या न रखते हुए, अर्थ की विविध छटाएँ दर्शाने के लिए मूल पद्य ही दिये होते तो—शायद साहित्य चर्चा एक नयी दिशा में चलती—तथा उसकी धारा खण्डित—सी न लगती। यह नयी दिशा कैसे और किस प्रकार की हो सकती थी यह कहने का अधिकार प्रकृत लेखक का नहीं है।

संप्रदाय नहीं; विकास का क्रम

साहित्यशास्त्र के विकास का यह क्रम देखने से एक प्रश्न आप ही उपस्थित होता है। आजकल हम, साहित्यशास्त्र में सम्प्रदाय थे इस मन्तव्य को स्वीकार करते हैं। भरत का रससंप्रदाय, भामह का अलंकारसंप्रदाय, वामन का रीतिसंप्रदाय, आनन्दवर्धन का ध्वनिसंप्रदाय, कुन्तक का वक्रोक्तिसंप्रदाय तथा क्षेमेन्द्र का औचित्यसंप्रदाय इस प्रकार हम व्यवहार करते हैं। हमें सोचना चाहिये कि, यह कहाँ तक उचित है। सम्प्रदाय की कल्पना में एक महत्त्वपूर्ण विशेष यह है, कि हम जिस बात का पुरस्कार करते हैं उसका प्रतिपादन करने में अन्य सारी बातों का अभाव सिद्ध करना पड़ता है। किन्तु इन अलंकारिकों में से ऐसा किसी ने नहीं कहा। भामह का रस या गुणों से विरोध नहीं है। वामन का रस या अलंकारों से विरोध नहीं है; आनन्दवर्धन का भी गुण या अलंकारों से विरोध नहीं है। तीनों को ये तीनों बातें स्वीकार हैं। ध्वनि के विरोधक भी केवल इतना ही कहते हैं कि व्यजनाव्यापार को स्वतंत्र सत्ता मानने का कोई प्रयोजन नहीं, व्यजना का अन्तर्भाव अभिधा, लक्षणा, तात्पर्य या अनुमान में ही होता है। मम्मट के पश्चात् ध्वनि का कोई विरोधक ही नहीं रहा। सभी ने व्यजना को स्वीकार किया।

साहित्यशास्त्र का इतिहास देखने से पता चलता है उसमें विचार उत्तरोत्तर सूक्ष्म होता गया। पूर्वकालीन आचार्यों के मतों का यथावत् ज्ञान कर लेने के पश्चात् उत्तरकालीन आचार्यों ने वे अधिक सूक्ष्मरूप में विवेचित किये हैं। काव्यगत पदार्थों का विशिष्ट धर्म कौनसा है इस प्रश्न पर विचार करने में, स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ने का शास्त्रकारों का एक अखण्ड प्रयत्न प्रतीत होता है। काव्य-विवेचन में स्वीकृत जीवशरीर व्यवहार का रूपक अथवा अगाधिभाव की कल्पना भी इसी ओर संकेत करती है। शास्त्र के इस प्रकार के विकास में संप्रदाय की कल्पना ठीक जँचती नहीं।

सत्य यह है कि, साहित्यचर्चा का इतिहासमुख से अध्ययन करने का प्रयत्न हमारे देश में आरंभ हुआ तब पाश्चात्य ग्रन्थकारों ने Schools शब्द का प्रयोग किया और हम लोगों ने भी उन्हींका अनुसरण करते हुए Schools के सम्प्रदाय बनाये। इस सम्प्रदाय कल्पना की दृष्टि से साहित्यशास्त्र को देखने से अनेक ग्रन्थकारों के विवेचन दोषयुक्त हुए हैं। साहित्यशास्त्र का विचार करने में हमें इस सम्प्रदाय की कल्पना का त्याग करना चाहिये। तभी इस शास्त्र का सम्पूर्ण मानचित्र हमारी दृष्टि के समक्ष उपस्थित हो सकता है।

यहाँतक साहित्यशास्त्र का विकास इतिहासमुख से दर्शाया। डेढ़ से दो सहस्राब्दी के विचारमंथन से जो साहित्यविषयक सिद्धान्त उपलब्ध हुए उनका परिचय करा लेना आवश्यक है। यह कार्य हम उत्तरार्द्ध में करेंगे। ● ● ●

भारतीय साहित्यशास्त्र

उत्तरार्द्ध

काव्यशरीर - शब्दार्थ विचार

साहित्यशास्त्र काव्य के
स्वरूप का विश्लेषण

करने के हेतु ही प्रवृत्त हुआ है। साहित्य के अन्य प्रकारों के समान काव्य भी शब्दार्थमय होता है। काव्य में शब्दार्थ प्रत्यक्ष सिद्ध होते हैं, वे हमारे समक्ष ही होते हैं। काव्य का पर्यवसान रसास्वादन में होता है, रसास्वादन अनुभवसिद्ध है। काव्य के ये दो घटक इस प्रकार स्वतंत्र रूप में सिद्ध हैं। इन दोनों के साथ काव्य के विवेचको को तीसरी भी एक बात प्रतीत हुई, वह यह कि शब्दार्थों का रसास्वादन में पर्यवसान होने के लिये काव्यगत शब्दार्थों में कुछ विशेषताएँ होनी चाहिए। ये विशेषताएँ हैं, गुण और अलंकार। अतएव वामन का कथन है कि गुणालंकारो से सस्कृत शब्दार्थों को ही काव्य की सज्ञा है। गुणालंकारों का स्वरूप आलंकारिकों ने अन्वयव्यतिरेक पद्धति से निश्चित किया है। इस प्रकार काव्य में शास्त्रतः विवेच्य किनु व्यवहारत अविभाज्य (Logically distinguishable but actually inseparable) तीन घटक होते हैं - शब्दार्थ, रस और अलंकार। काव्यशास्त्र इनका स्वरूप एव परस्पर सबन्ध बताता है। काव्यशास्त्र के सभी सिद्धान्त इन तीनों घटकों के अन्तर्गत आते हैं। अतः हम भी क्रम से इन घटकों की विवेचना करेंगे।

‘व्याकरणस्य पुच्छम्’

शब्दार्थों की विवेचना करने में व्याकरण, न्याय, और मीमांसा शास्त्र सम्मुख आते हैं। अपने मंदिर की सजाने में काव्यशास्त्र ने इन तीनों में से आवश्यक वस्तुएँ अपनायी हैं। किन्तु उनमें भी व्याकरणशास्त्र से काव्यशास्त्र का जितना सबन्ध रहा है उतना न्याय और मीमांसा से नहीं रहा। सभी महत्वपूर्ण बातों में काव्यशास्त्र ने व्याकरण का आश्रय किया है। सभी आलंकारिकों ने व्याकरणों का ‘बुध’ कहकर

आदर किया है। भामह से नागेशभट्ट तक के किसी भी आलंकारिक का ग्रन्थ देखने से व्याकरण का ऋण हर पृष्ठ पर प्रत्यक्ष होगा।

अतएव कहा जाता है कि अलंकारशास्त्र व्याकरण का पुच्छ है। एक अर्थ में यह ठीक भी है। 'व्याकरणस्य पुच्छम्' का अर्थ है व्याकरण का परिशिष्ट। व्याकरण शब्दों का साधुत्व और असाधुत्व निर्धारित करता है, परन्तु अलंकारशास्त्र उसके भी आगे बढ़कर शब्दों की 'सम्यक् प्रयोगयोग्यता' निर्धारित करता है। व्याकरणशास्त्र ने शुद्ध निर्धारित किये शब्दों में से, विशिष्ट सदर्थ में कौनसा शब्द प्रयोगयोग्य है तथा कौनसा शब्द प्रयोगयोग्य नहीं है इस में बन्ध में नियम और निर्बंध अलंकारशास्त्र बताता है। श्रुतिकटु शब्द रौद्र में ठीक होगा किन्तु शृगार में नहीं। 'ख' और 'नाद' दोनों शब्द समानार्थक हैं इस आधार पर 'सिहरख' और 'मडूकनाद' नहीं कहा जा सकता। रणित, कूजित, भणित, गजित आदि शब्द 'आवाज' के एक ही अर्थ में हैं किन्तु उनका प्रयोग करने में रुद्र की निम्न कारिका का—

‘मजीरादिपु रणितप्रायान् पक्षिषु च कूजितप्रभृतीन् ।
भणितप्रायान् मुरते मेघादिषु गजितप्रायान् ।’

ध्यान रखना आवश्यक है। साराण, सम्यक् प्रयोग की दृष्टि से शब्दों की योग्यता एव अयोग्यता निर्धारित करने का कार्य अलंकारशास्त्र करता है, अतएव वह व्याकरण का परिशिष्ट है।

इतना होने पर भी काव्यशास्त्र सर्वथा व्याकरण के अधीन नहीं रहा। जहाँ तक बन सका उसका व्याकरण से मेल रहा। जहाँ नहीं बना वहाँ उसने व्याकरण का साथ छोड़ दिया एवम् अन्य शास्त्र की सहाय्यता से या स्वतंत्र रूप से अपना मार्ग निर्धारित किया। अन्ततः वह राह इतनी सही निकली कि व्याकरण को भी काव्यशास्त्रान्तर्गत सिद्धान्तों को स्वीकार करना पड़ा। काव्यशास्त्र ने अभिधा के लिये व्याकरणशास्त्र का आश्रय लिया किन्तु व्याकरण को लक्षणा स्वीकार न होने से लक्षणा विचार में उसने मीमांसा से सहाय्यता ली। मीमांसा और न्याय को व्यजना स्वीकार नहीं है, प्रत्युत काव्यशास्त्र व्यजना वृत्ति मानता है। अतः व्यजना की सिद्धि के लिये उसने अपने स्वतंत्र मार्ग का अवलंब किया। व्याकरण की आरम्भकालीन स्थिति में व्यंजना का दर्शन नहीं होता। किन्तु काव्यशास्त्र ने व्यजना की सिद्धि करने पर व्याकरण को भी उसे मानना पड़ा। नागेशभट्ट की 'परमलघुमजूषा' से यह स्पष्ट हो जाता है। "शक्तिद्विविधा—प्रसिद्धा, अप्रसिद्धा च। आमन्दबुद्धिवेद्यात्वं प्रसिद्धात्वं, सहृदयमात्रवेद्यात्वम् अप्रसिद्धात्वम्" स्पष्ट है कि इस वचन में कही गयी

में इस प्रकार की विशेषताएँ पग पग पर पायी जाती हैं। इतना ही नहीं और तो और उनकी इस प्रकार की विशिष्ट रचना के कारण हि भाषा के सौंदर्य में निरन्तर वृद्धि होती रहती है। (२)

वह पदसदभ (पदरचना)—जिसमें वक्ता का आशय ग्रथित रहता है—वाक्य है। (पदानामभिधित्साथं ग्रथनाकर सदभं वाक्यम्)। वाक्य में क्रियापदों की संख्या एव उनके स्थानों को लेकर राजशेखर ने वाक्यों के दस भेद दिये हैं। उन भेदों की विवेचना का यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है, किन्तु उदाहरण के लिए निम्न एक भेद देखिए: “समुद्रमथन समाप्त होने पर देवों ने तथा असुरों ने ब्रह्माजी का जयजयकार किया, उनकी पूजा की, सम्मान किया, उन्हें अग्नेसर के रूप में स्वीकार करते हुए उनकी वदना की (३)।” यहाँ पाँच क्रियापद मिलकर एक वाक्य हुआ है। ‘जितने क्रियापद उतने ही वाक्य’ वाला व्याकरणशास्त्र का नियम यहाँ लागू नहीं होता। क्रियापद कितने ही क्यों न हों, कारकसमूह यदि एकाकार है और सब कारक मिलकर वक्ता का एक ही आशय पूर्ण रूपसे ग्रथित होता है तो वह एक ही वाक्य है (४)। उपर्युक्त उदाहरण में देवासुरों की पाँच भिन्न भिन्न क्रियाएँ पाँच क्रियापदों से दर्शायी गयी हैं। किन्तु इन सब के द्वारा श्रम की सार्थकता का आनन्द—यह एक ही अर्थ प्रतीत हो रहा है। अत एव यहाँ क्रियापद पाँच होने पर भी वाक्य एक ही रहा है।

वाक्य के स्वरूप के सबन्ध में ये दो मत भोज ने ‘शुभारप्रकाश’ में विस्तार से विवेचित किये हैं, और उसमें से ‘एकतिङ्’ वाक्य की अपेक्षा एकार्थपर वाक्य वाला मत ही उपादेय क्यों है इसकी विवेचना की है। वाक्य के सबन्ध में स्वयम् वैयाकरणों में ही एकाख्यात (एकतिङ्) वाक्य और अनेकाख्यात वाक्य इस प्रकार दो भेद पाये जाते हैं। अधिकांश वैयाकरण तथा वार्तिककार ‘एकतिङ् वाक्यम्’ अर्थात् जितने क्रियापद उतने वाक्य होते हैं इस मत के थे, किन्तु स्पष्ट है कि स्वयम्

२. विशेषलक्षणविदां प्रयोगाः प्रतिभान्ति ये ।

आख्यातराशिस्तैरेव प्रत्यहं ह्युपचीयते ॥—का. मी. पृ. २२

३. देवासुरास्तमथ मन्थगिरां विरामे पद्मासनं जयजयेति बभाधिरे च ।

द्राग् भेजिरे च परितो बहुमेनिरे च स्वाग्नेसरं विदधिरे च ववन्दिरे च ॥ का मी पृ. २३

४. “आख्यातपरतंत्रा वाक्यवृत्तिः अतो यावदारव्यातमिह वाक्यानि” इत्याचार्याः, एका कातरया कारकग्रामस्य, एकार्थतया च वाचोवृत्तेः, एकमेवेदं वाक्यम् इति यायावरीयः।—

का. मी. पृ. २३

प्राचीन आचार्यों का विचार था कि जितने क्रियापद होते हैं उतने ही वाक्य भी होते हैं, और राजशेखर की राय है कि एक अभिप्राय से एक वाक्य बनता है।

पाणिनि का अनेकाख्यात वाक्य से भी अभिप्राय था (५)। भोज ने पाणिनि और वार्तिककार के मतों का ऊहापोह करके निर्णय किया कि वार्तिककार का 'एकतिङ्, वाक्यम्' यह वाक्यलक्षण स्वरूपतः केवल पारिभाषिक है। इस लक्षण से लौकिक व्यवहार सिद्ध नहीं होता। अतः व्यवहार दृष्टि से उसकी उपेक्षा करनी चाहिए (६)। व्यवहार में अनेकाख्यात वाक्य भी देखा जाता है, अतः काव्यशास्त्र में भी उसीसे अभिप्राय है। अतएव भोज का कथन है कि काव्य की दृष्टि से वाक्य का लक्षण "एकार्थपर. पदसमूहः वाक्यम्।" अर्थात् जिससे एक आशय प्रकट होता है वह एक वाक्य (फिर उसमें कितने ही तिङन्त क्यो न हो) इस प्रकार ही करना चाहिए।

पद और वाक्य के संबन्ध में इस काव्यशास्त्रीय विवेचन पर ध्यान देने से एक तथ्य स्पष्टतया विदित होता है। काव्यशास्त्र में किया गया यह लक्षण व्याकरण-शास्त्रीय न होकर न्यायशास्त्रीय (Logical) है। काव्यस्थित वाक्य पारिभाषिक अर्थ में वाक्य (Sentence) नहीं होता, प्रत्युत वह अभिधान (Predication, Statement) होता है। उसमें पद सुबन्त या तिङन्त न होकर वाक्यावयव है। जितनी कल्पना या जितना आशय कवि एक साथ प्रकट करना चाहता हो उतने आशय को व्यक्त करने वाला पदसदभं या पदरचना ही वाक्य है। काव्यस्थित वाक्यार्थ होता है—एक संपूर्ण विचार या संपूर्ण कल्पना। एक संपूर्ण विचार का अथवा कल्पना का वाचक एक वाक्य होता है, परिभाषा की दृष्टि से उसमें आख्यात कितने ही क्यो न हो। न्यायशास्त्र में कहा जाता है 'Judgement is a unit of thought.' काव्यशास्त्र में भी कहा जा सकता है कि 'An idea is a unit of thought' तर्कशास्त्र में वाक्य Judgement का वाचक होता है, तो काव्य में वाक्य का अभिधेय Idea होती है। काव्य में प्रयुक्त इस प्रकार के वाक्य के लिए ही वचन शब्द है। (वाक्य वचनं व्याहरन्ति)। वचन का अर्थ है उक्ति। काव्यशास्त्र में वाक्य, वचन, उक्ति समानार्थक हैं। इस उक्ति में यदि कोई विशेष हो तो वह काव्य होता है। (उक्ति विशेष. काव्यम्)।

५. 'तिङ्तिङ्ः' (८।१।२८) इस पाणिनीय सूत्र पर भाष्य देखिये। 'शृंगारप्रकाश' के तृतीय प्रकाश में भी इस पर विवेचन है।

६. 'तदेवं' सूत्रकारस्य भाष्यकारस्य च दर्शनेऽस्ति क्रियाया क्रियान्तरेण संबन्धः। वार्तिककारस्तु युष्मदस्मादादेशनिघाताद्यर्थम्, आख्यातं साव्ययकारकविशेषणं वाक्यम्,' 'एकतिङ् वाक्यम्' इत्यन्येदेव लौकिकात् पारिभाषिकं वाक्यलक्षणमारभते। न च तेन लौकिको व्यवहारः सिद्ध्यति, इत्युपेक्ष्यते।
—'शृंगारप्रकाश'

वाक्यगत पदों के वैशिष्ट्य

वक्ता, का आशय ग्रथित करनेवाला अथवा एक संपूर्ण अर्थ कथन करनेवाला पदों का मदर्थ अथवा समूह, इसीको काव्य की दृष्टि से वाक्य की संज्ञा है। इस पद-सदर्थ में या पदसमूह में कतिपय विशेष होना आवश्यक है। जिन पदों का वाक्य बना है उनमें योग्यता, आकाक्षा तथा सन्निधि के धर्म अपेक्षित हैं। वाक्य में जो पद प्रयुक्त होने हैं उनके अर्थ एक दूसरे के लिए योग्य होने चाहिए। उन वस्तुओं को एकत्रित करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अन्यथा वह वाक्य नहीं होगा। उदाहरणार्थ 'अग्निना सिञ्चति' यह वाक्य नहीं है, क्योंकि 'अग्नि' यह वस्तु और सेचन क्रिया इन दोनों में सामंजस्य नहीं है। किन्तु 'पयसा सिञ्चति' यह वाक्य है, क्योंकि उसमें निर्दिष्ट वस्तुएँ एक दूसरे के लिए योग्य सिद्ध होती हैं, बाधक नहीं। योग्यता को पदों में परस्परसंबन्ध कहा जा सकता है। शास्त्रकारों ने योग्यता का लक्षण "पदानां परस्परसंबन्धे बाधाभावः" अथवा 'अर्थाबाधः' किया है। (वाक्यार्थ की पूर्ति के लिए) पदों में जो परस्पर आवश्यकता होती है वह है आकाक्षा। वक्ता के मन में जो अर्थ है उसे समझने के लिए जितने पद आवश्यक हैं वही साकाक्ष होते हैं। श्रोता की जिज्ञासा (प्रतिपत्तुजिज्ञासा) को आकाक्षा कहते हैं। वाक्य में जिस पद का अभाव होने पर श्रोता की जिज्ञासा बनी रहेगी (प्रतीतिपर्यवसानविरह) तथा उस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए जिस पद की आवश्यकता होगी वह पद साकाक्ष होता है। इस दृष्टि से मीमांसकों का वाक्यलक्षण देखना ठीक होगा। जैमिनि कहते हैं—“अर्थैकत्वादेक वाक्य साकाक्ष चेद्विभागे स्यात्”। जिस पदसमूह के द्वारा अर्थ की एकता की प्रतीति होगी उसी पदसमूह का वाक्य बनता है, फिर उसमें कितने ही पद आवश्यक क्यों न हों। (अर्थैकत्वादेक वाक्यम्) किन्तु अमुक सख्या में ही पद वाक्य के लिए आवश्यक है यह निश्चय कैसे किया जाय? इस पर जैमिनी का कथन है कि उस पदसमूह का विभाग करने पर यदि उसका एक एक अंश अर्थतः अधूरा रहा तथा पूरा होने के लिए उसे अलग किये हुए अंश की आवश्यकता प्रतीत हुई (साकाक्ष चेत् विभागे स्यात्) तो समझना चाहिए कि वे सभी पद उस वाक्य के लिए आवश्यक हैं। साकाक्ष पद वाक्य का अंश है, इसके विपरीत निराकाक्ष पद वाक्य की दृष्टि से अनावश्यक है। वाक्य के लिए आवश्यक तीसरी बात है 'सन्निध्य'। वाक्यगत पदों का योग्य और साकाक्ष होना तो आवश्यक है ही किन्तु उनका अविलंब उच्चारण भी आवश्यक है (पदानामविलंबोच्चारण सन्निधिः); अन्यथा वाक्यार्थ की प्रतीति में खण्ड होगा एव वाक्य के लिए आवश्यक प्रतीति की एकता न रहेगी। अतएव शास्त्रकारों ने आसत्ति का लक्षण 'आसत्ति. बुद्ध्यविच्छेद' किया है।

उपर्युक्त तीन धर्मों में से 'सान्निध्य' पदों का साक्षात् धर्म है। योग्यता और आकाक्षा साक्षात् पदधर्म नहीं है। योग्यता पदार्थों का धर्म है, पदों का नहीं। आकाक्षा श्रोता का आत्मधर्म है। वह पदों का या पदार्थों का धर्म नहीं है। किन्तु उपचार से योग्यता एवं आकाक्षा भी पदों के धर्म माने जाते हैं (७) ।

वाक्य और महावाक्य

पूर्व जिस वाक्य का स्वरूप हमने देखा वह पदोच्चयरूप या पदसमूहरूप वाक्य है। किन्तु वाक्य का इससे भिन्न और भी एक प्रकार है। उसे 'महावाक्य' कहते हैं। जिस प्रकार आकाक्षा, योग्यता तथा सान्निध्य के धर्मों से पद युक्त होते हैं उसी प्रकार वाक्य भी परस्पर युक्त हो सकते हैं। उपर्युक्त तीन धर्मों से युक्त पद-समूह का जिस प्रकार वाक्य बनता है एवं उसमें अर्थैकत्व होता है उसी प्रकार इन धर्मों से युक्त वाक्य समुच्चय में भी अर्थैकत्व होता है। अतएव ऐसे वाक्यसमुच्चय के लिए 'महावाक्य' की संज्ञा है। विश्वनाथ कहते हैं —

वाक्य स्याद् योग्यताकाक्षासत्तियुक्त पदोच्चयः ।

वाक्योच्चयो महावाक्यमित्य वाक्य द्विधा मतम् ॥ (२।१)

महावाक्य के उदाहरण के रूप में विश्वनाथ ने रामायण, रघुवंश आदि काव्यों का निर्देश किया है। इसका अर्थ यह होता है कि सम्पूर्णा काव्य एक महावाक्य ही है।

राजशेखर ने कहा है कि वक्ता के मन के अर्थ को ग्रथित करने वाला पदों का सदर्थ वाक्य है, इसके अनुसार कह सकते हैं कि कवि के मन के अर्थ को ग्रथित करने-वाला वाक्यसदर्थ महावाक्य है। वामन ने तो काव्य, नाट्य आदि के लिए 'सदर्थ' शब्द का ही प्रयोग किया है। (सदर्थेषु दशरूपक श्रेयः) । सम्पूर्णा काव्य में कवि किसी एक ही अर्थ को कथन करता है। उस एक अर्थ की दृष्टि से जब हम उस काव्य में स्थित अन्यान्य तत्त्वों की जाँच करते हैं तब हम उनमें पारस्परिक योग्यता एवं आकाक्षा की ही अपेक्षा करते हैं। पदों की योग्यता एवं आकाक्षा के कारण हमें वाक्यार्थ का बोध होता है। इसी प्रकार वाक्यों की परस्पर योग्यता एवं आकाक्षा के कारण महा-वाक्यार्थ का बोध होता है। वाक्य में प्राप्त पद पृथक् रूपमें भिन्न अर्थ के होते हैं, किन्तु वाक्य में जब उनका समुच्चय होता है तब उस समुच्चय के द्वारा उन सभी पदार्थों के अतिरिक्त एक विशिष्ट वाक्यार्थ हमें ज्ञात होता है। इसी प्रकार भिन्न

७. आकाक्षयोग्यतयोरालम्बनत्वेऽपि पदोच्चयधर्मत्वमुपचारात् । साहित्यदर्पण २।१ वृत्ति

भिन्न वाक्यों के समुच्चय के द्वारा उन वाक्यों के अर्थों से सर्वथा भिन्न एक महावाक्यार्थ प्रतीत होता है। काव्यशास्त्रस्थित महाकाव्य की यह कल्पना साहित्य पंडितों की मनगढन्त बात नहीं है। उन्होंने यह मीमांसकों से ली है (८)। एव काव्यशास्त्र में उसका उपयोग किया है। इस कल्पना का काव्यशास्त्र की रचना में बहुत बड़े प्रमाणपर उपयोग हुआ। महावाक्यस्थित तत्त्वों की 'योग्यता' वही है जो काव्यस्थित तत्त्वों की 'सम्भवनीयता' है। एव आकांक्षा उन तत्त्वों की अपरिहार्यता है। काव्य के तत्त्वों की सम्भवनीयता एव अपरिहार्यता का विवेचन ही उचितानुचित विवेक है, तथा इस प्रकार का विवेक करना ही काव्यशास्त्रान्तर्गत गुणदोष प्रकरणों का प्रयोजन है।

नैयायिकों की पद की व्याख्या—'शक्त पदम्' आलंकारिकों ने भी अपनायी। शक्त का अर्थ है बोधक शक्ति से युक्त। वर्णसमुदायरूप शब्द में अर्थ का बोध कराने वाली जिस शक्ति का अनुभव होता है उसीको शक्ति, वृत्ति या व्यापार कहते हैं। साहित्यशास्त्र के संस्कृत ग्रन्थों में इस वृत्ति पर विचार हुआ है। (९)

काव्यशास्त्र में शब्द की अर्थबोधक शक्ति—अभिधा, लक्षणा तथा व्यजना इस प्रकार त्रिरूप मानी गयी है। इनकी विवेचना आगे प्रकरणश. की जावेगी। इनके अतिरिक्त तात्पर्य नामक एक चौथी वृत्ति भी कतिपय मीमांसक और साहित्यिक मानते हैं। अभिधा आदि तीन वृत्तियों से शब्दों का अर्थ ज्ञात होता है, तो तात्पर्य वृत्ति से वाक्यों का अर्थ ज्ञात होता है। शब्दों का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। शब्दों से जब वाक्य बनता है तो वाक्य का भी एक स्वतंत्र अर्थ होता है। यह वाक्यार्थ वाक्यगत शब्दों के द्वारा ही संपन्न होता है किन्तु फिर भी वह उन शब्दार्थों से भिन्न तथा स्वतंत्र होता है। अर्थात् यह वाक्यार्थ केवल शब्द सबद्ध अभिधा आदि व्यापारों के द्वारा ज्ञात नहीं होता है। उसके लिए एक पृथक् शक्ति ही माननी होगी। वाक्य के अर्थ की बोधक यह शक्ति 'तात्पर्यवृत्ति' है। हम पूर्व देख चुके हैं कि वाक्यबोध के लिए आकांक्षा, योग्यता एव सान्निध्य के धर्म आवश्यक हैं। इन तीन धर्मों के योग से तात्पर्यवृत्ति होती है। आकांक्षा, योग्यता तथा सन्निधि के कारण पदार्थों का

८. प्रसिद्ध मीमांसक कुमारिलभट्ट ने महावाक्य के संबन्ध में कहा है—

स्वार्थबोधे समाप्तानामङ्गागित्वव्यपेक्षया ।

वाक्यानामेकवाक्यत्वं पुनः सहत्य जायते ॥

हम व्यवहार में 'एकवाक्यता' शब्द का प्रयोग करते हैं, इस में भी यही अभिप्राय है।

९. 'काव्यप्रकाश', 'साहित्यदर्पण' एवं 'रसगगाधर'— इन ग्रंथों में वृत्तियों पर विचार है। इनके अतिरिक्त स्वतंत्र रूप में इस विषय पर दो ग्रन्थ और हैं, मुकुलभट्टकृत 'अभिधावृत्तिमालुका' तथा मम्मटकृत 'शब्दव्यापारीवचार'।

समन्वय होने पर वाक्यार्थ प्रकट होता है, जो उन पदार्थों से पृथक् होता है एव जिसका एक विशेष स्वरूप होता है (१०)। साराश, तात्पर्यवृत्ति का कार्य है—अभिधा आदि शब्दवृत्तियों के द्वारा जिनका बोध हुआ है ऐसे पद—अर्थों में पारस्परिक सबन्ध दर्शा कर तद्द्वारा वाक्यार्थ का बोध कराना अर्थात्-वाक्यार्थ ही तात्पर्यार्थ है एव वाक्य तात्पर्यार्थ का वाचक है (११)।

वाक्यार्थबोध : अभिहितान्वयवाद

भाट्टमीमांसक, नैयायिक तथा वैशेषिक तात्पर्यवृत्ति स्वीकार करते हैं। उनका विचार इस प्रकार है। शब्दों से हमें शब्दशक्ति के द्वारा पद-अर्थों का ज्ञान होता है। शब्दों से ज्ञात हुए (अभिहित) पद-अर्थों का अन्वय होता है और इस अन्वय के द्वारा हमें वाक्यार्थ ज्ञात होता है (१२)। इनका कहना ठीक तरह से समझने के लिए एक उदाहरण ले। 'घट करोति' यह एक वाक्य है। मीमांसकों के मत के अनुसार हर वाक्य का पर्यवसान क्रियाबोध में होता है, अर्थात् हर वाक्य किसी क्रिया के विषय में कुछ बताता है। अत उपर्युक्त वाक्य का अर्थ हुआ घट रूप कर्म से सबद्ध क्रिया (घटाश्रयकर्मत्वाश्रिता क्रिया)। इस वाक्य में भी दो अंश हैं। 'घटम्' तथा 'करोति'। 'करोति' पद क्रिया का वाचक है। 'घटम्' पद के भी दो अंश हैं। 'घट' यह प्रकृति और 'अम्' प्रत्यय। इनमें से घट शब्द से 'घड़ा' नामक वस्तु का ज्ञान होता है। 'अम्' प्रत्यय कर्मत्व का या कर्म का वाचक है। अत. 'घटम्' पद का अर्थ हुआ 'घटाश्रित कर्मत्व' अथवा घट रूप कर्म। इस प्रकार 'घटम्' अर्थात् 'घटाश्रित-कर्मत्व' एवम् 'करोति' अर्थात् क्रिया ये दो अर्थ ज्ञात होने पर, इन दोनों पदार्थों में ('घटाश्रितकर्मत्व' तथा 'क्रिया' इन दोनों में) संबन्ध दर्शाने के लिए इस वाक्य में कोई शब्द नहीं है। उन उन पदों के उन उन अर्थों का ज्ञान हमें अभिधावृत्ति के द्वारा हुआ। यहाँ अभिधा का काम समाप्त हुआ। फिर यह सबन्ध कैसे ज्ञात होगा? अभिहितान्वयवादियों का कहना है कि यह संबन्ध 'तात्पर्य' नामक स्वतंत्र वृत्ति से ज्ञात होता है। यह तात्पर्यवृत्ति योग्यता, आकाक्षा एवं सनिधि के द्वारा प्रवृत्त होती है तथा पदों के द्वारा बोधित पदार्थों में जो सबन्ध है उसका बोध कराती है। तात्पर्य-

१०. आकाक्षा-योग्यता-सनिधिवशात् पदार्थानां समन्वये तात्पर्यार्थो विशेषवयुः आपदार्थोऽपि वाक्यार्थं समुल्लसति ।- काव्यप्रकाश

११. तात्पर्यार्थख्या वृत्तिमाहुः पदार्थान्वयबोधने ।

तात्पर्यार्थं तदर्थं च वाक्यं तद्बोधकम् ॥ —साहित्यदर्पण, (२।२०)

१२. "अभिहितानां स्वस्ववृत्त्या प्रतिपादितानामर्थानाम् अन्वयः इति वदन्ति ये ते अभिहितान्वयवादिनः" । इस प्रकार इनका अन्वर्थक नामाभिधान है ।

वृत्ति से बोधित होनेवाला यह अर्थ 'तात्पर्यार्थ' है एवं वाक्य इस 'तात्पर्यार्थ' का बोधक होता है (१३)।

अभिहितान्वयवाद के दो विशेष ध्यान में रखने चाहिए। इनके मत में पदों के द्वारा केवल जाति का बोध होता है। 'घट करोति' इस वाक्य में 'घटम्' पद के द्वारा यह घट या वह घट ऐसा बोध नहीं होता प्रत्युत घटत्व जाति का बोध होता है। 'करोति' पद के द्वारा भी सामान्य क्रिया का ही बोध होता है। तात्पर्यवृत्ति के द्वारा इन सामान्य अर्थों में सबन्ध बतलाया जाता है। दूसरी एक बात यह भी है कि तात्पर्यवृत्ति पदार्थों में सबन्ध दर्शाती है, पदों में पारस्परिक सबन्ध नहीं दर्शाती। 'घट' प्रकृति और 'अम्' प्रत्यय इन दोनों में आश्रयाश्रयिभावसबन्ध है। यह सबन्ध तात्पर्यवृत्ति से ज्ञात नहीं होता अपितु प्रकृति और प्रत्यय की समीपता से ही ध्यान में आता है (१४)।

वाक्यार्थबोध : अन्विताभिधानवाद

उपर्युक्त मत के ठीक विपरीत अर्थ प्राभाकर मीमांसकों का है। वे तात्पर्यवृत्ति को स्वीकार नहीं करते। उनका कथन इस प्रकार है—हमारे ध्यान में शब्दों का अर्थ आता है तो स्वतंत्र रूप से नहीं आता, अतएव पहले पदार्थों का स्वतंत्र रूप में बोध तथा उसके अनन्तर उन पदार्थों में परस्पर अन्वय समझने के लिए तात्पर्यवृत्ति ऐसी प्रक्रिया मानना ठीक नहीं। हम पदार्थों का जो अर्थ समझते हैं वह अन्वित दशा में ही समझते हैं। अपने कथन की पुष्टि के लिए वे वृद्धव्यवहार के अनुभव का उदाहरण उपस्थित करते हैं! कोई वृद्ध किसी युवक से कहता है कि 'बैल को ले आओ'। वृद्ध का यह कहना बालक भी सुनता है। साथ ही वह बालक देखता है कि वह युवक किसी विशिष्ट रूप वाले प्राणी को ला रहा है। इस बात को देख कर बालक मन में यह समझता है कि वृद्ध के कहने का अर्थ वह बैल को लाने की क्रिया है। कुछ समय के बाद वृद्ध कहता है, 'बैल को ले जाओ, घोड़े को ले आओ।' इन वाक्यों को भी वह बालक सुनता है एव इन वाक्यों के अनुसार होनेवाली क्रियाएँ भी उस बालक के

१३. अभिधाया एकैकपदार्थबोधनविरमात् वाक्यार्थरूपस्य पदार्थान्वयस्य बोधिका तात्पर्यं नाम वृत्तिः। तदर्थश्च तात्पर्यार्थः। तद्बोधकं च वाक्यम्। इति अभिहितान्वयवादिना मतम्।— साहित्यदर्पण, २।२० वृत्ति

१४. कुमारिल भट्ट और उनके अनुयायी तात्पर्यवादी हैं। उन्होंने अपने मत के लिए 'तद्भूतानां क्रियार्थेन समान्नायः अर्थस्य तन्निमित्तत्वात्' (१-१-२५) इस मीमांससूत्र के शाबरभाष्यपर आधारित है।

समक्ष होती रहती है। वाक्य वाक्य का एक एक क्रिया रूप सबन्ध उसे इस प्रकार ज्ञात होता रहता है और उसीसे उसे वैल, घोडा आदि पदार्थों का भी ज्ञान होता रहता है। किन्तु यह ज्ञान अथवा पदार्थबोध उसे केवल सामान्य रूप में होता है यह बात नहीं तो वह किसी क्रिया से सबन्धित या अन्वित दशा में ही होता है। अब बात यह है कि किसीको भी किसी क्रिया में प्रवृत्त करना हो या उससे निवृत्त करना हो तो वाक्य का ही प्रयोग करना पड़ता है। केवल शब्दों से या पदो से वह प्रवृत्ति या निवृत्ति नहीं होती। अतएव शब्दो का अर्थ जो हम समझते है वह स्वतंत्र रूप में शब्दो के द्वारा न समझ कर, वाक्य में उनका जो प्रयोग एव सबन्ध है उसीके द्वारा समझते है। इसी लिये प्रभाकर का कथन है कि पदार्थबोध अन्वित अवस्था में ही होता है। पहले पदार्थ समझ कर बाद में उसका अन्वय ज्ञात होता है, ऐसी बात नहीं। अतएव अन्वयबोध के लिए तात्पर्यवृत्ति मानने का भी कोई कारण नहीं है (१५)। इन मीमांसकों को अन्विताभिधानवादी कहते है क्योंकि इनका मत है वाक्य में अन्वित पदार्थों का ही शब्दों के द्वारा अभिधान होता है (१६)।

इन दोनों मतों का समुच्चय

‘अभिधावृत्तिमातृका’ में मुकुल भट्ट ने एव ‘शब्दव्यापारविचार’ में मम्मट ने इन दोनों मतों का समन्वय किया है और उसे ‘तत्समुच्चय’ कहा है। इस समुच्चय का स्वरूप इस प्रकार है—‘पदों का अपना अपना सामान्यभूत वाच्य अर्थ होता है। किन्तु वाक्यों में पदार्थ परस्परान्वित ही होते है। इस प्रकार केवल पदों की अपेक्षा से अभिहितान्वयवाद उपपन्न होता है, तो वाक्य की अपेक्षा से अन्विताभिधानवाद उपपन्न होता है (१७)।

वाक्यार्थबोध : अखण्डार्थवाद

वाक्यबोध के विषय में वेदान्तियों की अपनी अलग उपपत्ति है। वेदान्त में महावाक्य परब्रह्म का बोध कराते है। ‘सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म’, ‘एकमेवाद्वितीय

१५. काव्यप्रकाश, पंचमोच्छास

१६. अन्वितस्य अर्थान्तरसंबद्धस्य अर्थस्य अभिधानं प्रतिपादनं शब्देन क्रियते इति ये वदन्ति ते अन्विताभिधानवादिनः।

१७. अन्येषा मते तु पदाना तत्तत्सामान्यभूतो वाच्योऽर्थः। वाक्यस्य तु परस्परान्विताः पदार्थाः। इति पदापेक्षया अभिहितान्वयः, वाक्यापेक्षया तु अन्विताभिधानम्। एवं च तयोः अभिहितान्वयान्विताभिधानयोः समुच्चयः इति।—अभिधावृत्तिमातृका

ब्रह्म, 'नेह नानास्ति किञ्चन' इत्यादि श्रुति वाक्यो से उत्पन्न अखण्ड बुद्धि के द्वारा इन वाक्यो का परब्रह्मात्मक अर्थ ज्ञात होता है (१८)। अखण्ड बुद्धि का अर्थ है अखण्ड ज्ञान। वह अखण्ड ज्ञान अखण्ड वाक्य से ही निर्माण होता है। वास्तव में वाक्य ही अर्थ का बोधक है। वाक्य के पद, वर्ण, आदि विभाग कल्पना मात्र है (१९)।

अखडार्थ बोध का स्वरूप सक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है। 'गाम् आनय'। इस वाक्य में 'गाम्' तथा 'आनय' इन पदो के अर्थ स्वतंत्र रूप में उपस्थित होने पर आकाक्षा, योग्यता एव सनिधि के कारण जो वाक्यार्थ ध्यान में आता है उसीको वेदान्त में 'ससर्ग' कहा है। 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्यो का अर्थ करने में इस संसर्ग का कोई उपयोग नहीं। 'नीलं महत् सुगन्धि उत्पलम्'। इस वाक्य का अर्थ है नीलत्वादि विशिष्ट उत्पल का बोध। इस प्रकार के वाक्य से विशिष्ट पदार्थ का बोध होता है। किन्तु श्रुतिगत महावाक्यो के सबन्ध में यह प्रकार नहीं होता। श्रुतिगत महावाक्यो का अर्थ अखण्डैकरस अर्थात् स्वगतादिभेदशून्य लेना पड़ता है। इस सबन्ध में आचार्य वाक्यवृत्ति में कहते हैं

ससर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र समतः ।

अखण्डैकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषा मत ॥

इस अखण्डैकरसवृत्ति में स्वतंत्र पदों के या उनके अन्वय के (अभिहितान्वय-वाद) अथवा विशिष्ट पदार्थों के (अन्विताभिधानवाद) अस्तित्व का या स्वतंत्र सत्ता का वास्तव में भान ही नहीं होता है। अखण्डैकरसत्व ही ब्रह्मानुभाव का स्वरूप होने से, संसर्ग अथवा विशिष्ट वृत्ति के लिए जिन स्वगतादि भेदों को स्वीकार करना पड़ता है वे कल्पित ही होते हैं अतएव तद्बोधक पद भी कल्पित ही होते हैं। जिस प्रकार पदो की दृष्टि से वर्णों की अनित्यता होती है उसी प्रकार वाक्यों की दृष्टि से पदो की अनित्यता होती है।

वेदान्तियो के इस अखण्डार्थबोध को स्फोटवादी वैयाकरणों ने स्वीकार किया है। उनकी दृष्टि से अखण्डबुद्धिनिर्ग्राह्य स्फोट ही वास्तव में वाक्यार्थ है और वही

१८. अवशिष्टमपर्यायानेकशब्दप्रकाशितम् ।

एकं वेदान्तनिष्णाताः तमखण्डं प्रपदिरे ॥

१९. " अनवयवमेव वाक्यं अनाद्यविद्योपदेशितालौकिकपदवर्णाविभागम् अस्याः निमित्तम् । "

इस प्रकार श्री व्यासजी ने कहा है ।

सत्य भी है। ऐसे वाक्य का व्याकरण में जो पदपदार्थविभाग या प्रकृतिप्रत्यय विभाग किया जाता है वह व्युत्पत्तिदशातक ही सीमित है और कल्पना मात्र है। भर्तृहरि 'वाक्यपदीय' में कहते हैं

ब्राह्मणार्थो यथा नास्ति कश्चिद् ब्राह्मणकम्बले ।
देवदत्तादयो वाक्ये तथैव स्युर्निरर्थका ॥

ब्राह्मणकबल का अर्थ है ब्राह्मण के लिए लाया हुआ कम्बल। इस शब्द का उच्चारण करते ही हमारे समक्ष कबल उपस्थित होता है। किन्तु कम्बल के साथ साथ ब्राह्मण उपस्थित नहीं होता। इस समय ब्राह्मण सबन्ध विशिष्ट कम्बल इस प्रकार का हमारा अखण्ड प्रत्यय होता है। इसी प्रकार 'देवदत्त गच्छति' इस वाक्य से देवदत्त सबन्धी गमन की अखण्ड प्रतीति हमें होती है। यह देवदत्त, यह उसका गमन और यह इन दोनों का सबन्ध ऐसी हमारी प्रतीति नहीं होती। इस अखण्ड प्रतीति का जब हम विश्लेषण करते हैं तब हम पद-प्रकृति-प्रत्यय आदि की-जिनकी वास्तव में स्वतंत्र सत्ता नहीं है-कल्पना करने हैं, और शिष्यो को उस अखण्ड प्रत्यय का स्वरूप समझाते हैं। भर्तृहरि कहते हैं

उपाया. शिक्ष्यमाणाना बालानामुपलालना. ।
असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा तत. सत्य समीहते ॥

जिस प्रकार स्वयं को भासमान द्वैत में से मार्गक्रमण करता हुआ साधक अन्तिम एकता का बोध कर लेता है, उसी प्रकार पद-प्रकृति-प्रत्यय के काल्पनिक मार्ग से जाते हुए ही विद्यार्थी को अन्ततोगत्वा वाग्ब्रह्म का आकलन होता है। अखण्ड स्फोट ही शब्द ब्रह्म है एव व्याकरण में वर्णित विविध प्रक्रिया ही अविद्या का विश्लेषण है। (शास्त्रेषु प्रक्रियाभेदैरविद्यैवोपवर्ण्यते ।)

यहाँ अखण्डबुद्धि क्या है यह बताना आवश्यक है। वाक्य का अर्थ करने में क्रियाकारक भाव पर ध्यान दे कर जो हमें भान होता है वह खण्डबुद्धि है। किन्तु क्रियाकारकों का दर्शक विभाग न करते हुए भी जो एकात्मक वाक्यार्थ बोध होता है वह है अखण्डबुद्धि। क्रियाकारक भाव के लिए धर्मधर्मिभाव की अपेक्षा होती है। यह धर्मधर्मि भाव ब्रह्म में उत्पन्न नहीं होता। अतएव अर्थबोध विना अखण्ड-बुद्धि के नहीं होता। किन्तु इस पर भी अविद्यादशा (व्यवहार दशा) में वेदान्ती एव स्फोटवादियों को पदपदार्थभेद मानना पड़ता ही है।

वाक्यार्थबोध के सबन्ध में जो भिन्न भिन्न मत ऊपर दिये गये हैं उनका साहित्य-चर्चा में अनेकशः सबन्ध आया है। इन मतों के अनुसार हमारे ज्ञान के क्षेत्र में लक्षणा का स्थान क्या और कैसा है, इन मतों के अनुसार व्यञ्जनावृत्ति का स्वीकार किया जा सकता है या नहीं एवं व्यञ्जनावृत्ति का स्वीकार करने पर इन मतों को काव्य-चर्चा में कहाँ तक स्थान रहता है आदि प्रश्न साहित्यशास्त्र में उपस्थित हुए हैं। इनकी विवेचना यथा स्थान की जाएगी। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि रसानुभव अखण्ड प्रतीति रूप होने पर भी इस अनुभव विश्लेषण करने में साहित्यशास्त्र ने अनेकशः अभिहितान्वयवाद का उपयोग किया है।

तात्पर्यवृत्ति और उसके प्रसंग से वाक्यार्थबोध के विषय में भिन्न भिन्न मतों का निदर्शन किया। अब शब्दों की अन्य वृत्तियों के सबन्ध में अगले अध्याय में विवेचना करेंगे।

• • •

(१) **मुख्यार्थबाध** : यहाँ 'बाध' शब्द का अर्थ 'अनुपपत्ति' या 'प्रमाण पराहतत्व' है। वाक्य का अर्थ करते हुए, जब कोई शब्द मुख्यार्थ में लेने से अनुपपन्न हो जाता है तभी लक्षणा का आश्रय करना आवश्यक हो जाता है। अनुपपत्ति है तात्पर्य की अनुपपत्ति। दीपिका में कहा है—'तात्पर्यानुपपत्तिर्लक्षणाबीजम्।' 'गगाया घोष.' या 'काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्' इन वाक्यों में जो अर्थ का बाध है वह है दो शब्दों के मुख्यार्थ का बाध। इस बाध को हटाने के लिए हम 'गगा=गंगातीर' एवम् 'काक=काक आदि' इस प्रकार अर्थ करते हैं। मुख्यार्थ की अनुपपत्ति यदि न हुई होती तो लक्षणा का आश्रय करने की आवश्यकता ही न होती। इस प्रकार की अनुपपत्ति कभी कभी वक्ता का तात्पर्य एवम् उसके प्रयुक्त शब्दों का मुख्यार्थ इन दोनों में भी हो सकती है। उदा अपने विश्वासघाती मित्र से कवि कहता है— "मित्र, क्या बताऊँ। तुम्हारे उपकार तो बड़े भारी हुए। तुम्हारी सुजनता भी सर्व प्रसिद्ध हो गयी। ऐसे ही काम करते हुए तुम शतायु होकर सुख से रहो!" (१) यहाँ कवि का उद्देश्य यदि ध्यान में न रखा तो मुख्यार्थ का बाध नहीं होता, क्योंकि यहाँ वाक्य का अर्थ करने में कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु, कवि के उद्देश्य की ओर ध्यान दिया जाय तो इस उद्देश्य का मुख्यार्थ से विरोध आता है। इस प्रकार वक्ता का उद्देश्य एवम् मुख्यार्थ दोनों में 'योग्यताविरह' होने से उपकार=अपकार, सुजनता=दुर्जनता ऐसे विपरीत अर्थ लेना आवश्यक हो जाता है। इसीको विपरीत लक्षणा कहा जाता है। साराश, मुख्यार्थबाध जिस प्रकार दो शब्दार्थों की अनुपपत्ति के कारण हो सकता है उसी प्रकार वह शब्दार्थ तथा वक्ता का उद्देश्य (वक्तृतात्पर्य) इन दोनों में विरोध आ जाने से भी हो सकता है।

(२) **मुख्यार्थयोग** : मुख्यार्थ की अनुपपत्ति होने पर हम भिन्न अर्थ लेते हैं। किन्तु इसमें हम मन चाहा अर्थ नहीं ले सकते। वह अर्थ मुख्यार्थ से भिन्न होने पर भी उससे सबन्धित ही होना चाहिये। इसीको तद्योग = मुख्यार्थयोग कहते हैं। मुख्यार्थयोग के पाँच भेद मुकुलभट्ट ने बताए हैं।

अभिधेयेन संबन्धात् सादृश्यात् समवायतः।

वैपरीत्यात् क्रियायोगात् लक्षणा पञ्चधा मता ॥ (२)

इनके उदाहरण इस प्रकार हो सकते हैं।

(१) गगाया घोष.—यहाँ मुख्यार्थ से (गंगाप्रवाह से) लक्ष्यार्थ का (गगातीर का) सामीप्यसबन्ध है,

१. उपकृतं बहु नाम किसुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम्।

विदधदीदृशमेव सदा सखे सुखितमास्व तत शरदां शतम् ॥

२. कहा जाता है कि यह कारिका मूलतः भट्टमित्र की है। मुकुल ने 'अभिधावृत्तिमावृका' में, सम्मत ने 'शब्दव्यापारविचार' में तथा माणिक्यचंद्र ने 'संकेतटीका' में इसे उद्धृत किया है।

- (२) 'सिंहो बटु' में सादृश्य संबन्ध है,
 (३) समवाय=साहचर्य, 'कुन्ता प्रविशन्ति'। इस वाक्य में समवाय संबन्ध है।
 (४) पूर्व दिये हुए उपकृत-बहु नाम आदि में विपरीत संबन्ध है।
 (५) क्रियायोग अर्थात् क्रिया के कारण आया हुआ संबन्ध। 'महति समरे शत्रुघ्न त्वम्'—'युद्ध में आप शत्रुघ्न हैं।' यहाँ शत्रुघ्न की सज्ञा मुख्यार्थ से जो शत्रुघ्न नहीं है ऐसे राजा को दी गयी है, शत्रुघ्नन क्रिया इस का कारण है।

(३) **रूढ़ि और प्रयोजन**. मुख्यार्थ से लक्ष्यार्थ भिन्न है। यह लक्ष्यार्थ या तो रूढ़ि से अर्थात् लोकप्रसिद्धि से प्राप्त होना चाहिये या उसकी पृष्ठभूमि में वक्ता का कुछ विशेष उद्देश्य (प्रयोजन) होना चाहिये। लक्षणा की यह शर्त बड़ा महत्त्व रखती है। 'मुख्यार्थ' शब्द का स्वाभाविक एवम् सरलता से प्रतीत होनेवाला अर्थ होता है। लक्षणा इस स्वाभाविक अर्थ को त्याग देती है। एक दृष्टि से 'लक्ष्यार्थ' शब्द का अस्वाभाविक अर्थ होता है। अतएव, शास्त्रीय वाङ्मय में जहाँतक हो सके, लक्षणा का प्रयोग टाला जाता है। कुमारिल कहते हैं कि अन्य कोई मार्ग ही न हो तभी लक्षणा का आश्रय (अगत्या लक्षणावृत्ति) करना चाहिये। अर्थ यह है कि इस प्रकार अस्वाभाविक अर्थ करने के लिए कुछ न कुछ आधार तो होना चाहिये या तो इस प्रकार अर्थ करने की रूढ़ि चाहिये या वह प्रयोजन श्रोता के ध्यान में सरलता से आना चाहिये। इस दृष्टि से लक्षणा के 'रूढ़ लक्षणा' और 'प्रयोजनवती लक्षणा' इस प्रकार दो भेद होते हैं।

रूढ़ लक्षणा की पृष्ठभूमि में आरंभ में प्रयोजन था ही

मम्मट ने रूढ़ लक्षणा का उदाहरण 'कर्मणि कुशल.' दिया है। 'कुशल' शब्द का अर्थ हम 'चतुर' करते हैं। किन्तु यह इस शब्द का मुख्यार्थ नहीं है। 'कुशल' का अर्थ है 'कुश काटनेवाला'। संभव है कि कुश काटने के लिए बड़ी चतुरता की आवश्यकता होती थी और इस लिए मूलतः इस शब्द का 'चतुर' के अर्थ में लक्षणा से प्रयोग होना आरंभ हुआ हो। और 'दर्भ काटनेवाला जिस प्रकार चतुर होता है उस प्रकार जो चतुर है' ऐसा बोध इस शब्द से होने लगा हो। किन्तु आगे चलकर वही शब्द चतुर के अर्थ में रूढ़ हो गया।

वास्तविक यही दीखता है कि आज जो लक्षणाएँ रूढ़ कही जाती हैं वे किसी समय प्रयोजनवती थीं। (मराठी में) 'ताराबळ' शब्द इस का अच्छा उदाहरण है। 'ताराबळम्' शब्द का त्वरासे उच्चारण करते हुए किसी ने 'ताराबळम्' उच्चारण किया होगा। प्रारंभ में चिढ़ाने के लिए 'ताराबळ' शब्द का 'बोलने में त्वरा करने' के अर्थ में लोक में प्रयोग होने लगा हो। जबतक यह प्रयोजन नया

लक्षणा सान्तरार्थनिष्ठ व्यापार है

लक्षणा आरोपित क्रिया है। इस विषय में मम्मट कहते हैं—“मुख्येन अमुख्य अर्थं लक्ष्यते यत् स आरोपित. शब्दव्यापार सान्तरार्थनिष्ठो लक्षणा।” अमुख्य अर्थ (लक्ष्यार्थ) मुख्यार्थ के द्वारा लक्षित होता है। इस अर्थ को लक्षित करने वाला व्यापार लक्षणा है। अर्थ यह है कि ‘लक्षणावृत्ति’ वास्तव में मुख्यार्थ की वृत्ति है, गौरात्व से वह शब्द की मानी गयी है। ‘अभिधा’ शब्द की साक्षात् वृत्ति है। ‘लक्षणा’ मुख्यार्थ की साक्षात् वृत्ति है और मुख्यार्थ के प्रसंग से वह शब्द की वृत्ति है। इस प्रकार वाच्यार्थ की यह वृत्ति शब्द पर आरोपित हुई है। (आरोपिता क्रिया)। इस पर प्रदीपकार कहते हैं—“गगायां घोष” इस वाक्य में गगा शब्द से गगाप्रवाह का अर्थ उपस्थित होता है; और जब देखा जाता है कि यह अर्थ बाधित होता है तब उस प्रवाह से सबद्ध होने के कारण ‘तीर’ का अर्थ उपस्थित होता है। शब्द→मुख्यार्थ→लक्ष्यार्थ इस प्रकार शब्द का लक्ष्यार्थ से मुख्यार्थ के द्वारा सबन्ध होता है। मुख्यार्थ इस प्रकार मध्यगत है इसलिए लक्षणाव्यापार शब्दपर आरोपित होता है। वास्तव में लक्षणाव्यापार अर्थनिष्ठ ही है (५)।” ‘साहित्य कौमुदी’ में भी कहा है—“सा लक्षणा नाम क्रिया वृत्ति अर्थनिष्ठाऽपि अर्पिता शब्दे।”

अतएव मम्मट ‘आरोपित’ का अर्थ ‘सान्तरार्थनिष्ठ’ करते हैं। शब्द और लक्षणाव्यापार में साक्षात् सबन्ध नहीं है। वह वाच्यार्थ से व्यवहित है। अतएव नागेश ने सान्तरार्थनिष्ठ का अर्थ ‘साक्षात् अर्थनिष्ठ परम्परया शब्दनिष्ठ।’ इस प्रकार किया है। विश्वनाथ ने ‘आरोपिता’ शब्द के स्थान में ‘अर्पिता’ शब्द का प्रयोग करते हुए ‘स्वाभाविकेतरा ईश्वरानुद्भाविता वा” इस प्रकार उसका अर्थ किया है। इससे अभिधा और लक्षणा में भेद विस्पष्ट हो जाता है। अभिधा शब्द की स्वाभाविक शक्ति है; लक्षणा स्वाभाविक शक्ति नहीं है। यदि यह माना कि अभिधा ईश्वरनिर्मित है तो लक्षणा अपनी इच्छा से निर्मित है। अभिधा निरन्तरार्थनिष्ठ क्रिया है तो लक्षणा सान्तरार्थनिष्ठ क्रिया है। शब्द का अभिधा से साक्षात् संबन्ध है। तो लक्षणा का शब्द से परपरा के द्वारा सबन्ध बताया गया है। अभिधा की पृष्ठभूमि में प्रयोजन नहीं है, प्रत्युत प्रयोजन के बिना लक्षणा का प्रयोग नहीं हो सकता (रूढ लक्षणा में भी आरम्भ में प्रयोजन था ही)। इन सब बातों की ओर ध्यान देने से विस्पष्ट होता है कि लक्षणा मूलतः प्रयोजनवती है।

५. गंगादिशब्दानां नीरादिकमुपस्थाय विरामे, नीराद्यर्थेनैव संबन्धेन तीराद्यर्थप्रतिपादनात् श्ल्याह—आरोपिता क्रिया इति। शक्यव्यवहितलक्ष्यार्थविषयत्वात् शब्दे आरोपित एव स व्यापारः। वस्तुतः अर्थनिष्ठ एव इत्यर्थः।

प्रयोग करता है और इससे पाठक विरसता का अनुभव करता है। उदाहरण के लिए माघ कवि का निम्न पद्य देखिये—


मध्वेसमुद्रं ककुभः पिशागीर्या कुर्वती काञ्चनवप्रभासा ।

तुरगकान्तामुखहव्यवाहज्वालेव भित्वा जलमुल्ललासा ॥ (माघ ३।३३)

“सुवर्ण के परकोटे की आभा चारो दिशाओ में स्फुरित होने से द्वारका नगरी ऐसी लगती थी कि जैसे समुद्र के जल से ऊपर लिपटी हुआ बडवानल की ज्वाला हो।” इसमें कोई सदेह नहीं कि माघ की यह उत्प्रेक्षा बहुत ही सुंदर है। किन्तु ‘बडवानल की ज्वाला’ का अर्थ कवि ‘तुरगकान्तामुखहव्यवाहज्वाला’ इस शब्द से बता रहा है (८)। लक्षणा का इस प्रकार का प्रयोग लोकव्यवहार के विरुद्ध है। इससे कल्पना अच्छी होने पर भी विरसता का अनुभव होता है। लक्षणा का इस प्रकार प्रयोग करना एक महान् दोष है।

लक्षणा के भेद

आलंकारिको ने लक्षणा के भेद बता कर उनमें से प्रत्येक का प्रयोजन बताया है। मुकुल, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि पंडितों ने अपने अपने विचार के अनुसार लक्षणा के भेद बताए हैं। यहाँ उनका विवेचन तो नहीं किया जा सकता। किन्तु उनके प्रयोजन का सबन्ध व्यजनाविचार में आता है इस लिए उनका स्वरूप देखना आवश्यक है। ‘काव्यप्रकाश’ से स्पष्ट होने वाले लक्षणा भेद इस प्रकार बताये जा सकते हैं—



८. तुरंग = बडव - की कांता - बडवा; हव्यवाह = आग्नि अतएव अर्थ - बडवाग्नि।

शाब्दबोधः लक्ष्यार्थ, लाक्षणिकशब्द और लक्षणा ++++++

अभिधेयसंबन्ध, सादृश्य, समवाय, वैपरीत्य तथा क्रियायोग इस प्रकार तद्योग के पाँच भेद पूर्व बताये गये हैं उनके हम दो भाग करे (१) सादृश्यसंबन्ध पर आधारित लक्षणा—यह गौणी लक्षणा है; (२) अन्य चार संबन्धों पर आधारित लक्षणा—यह शुद्ध लक्षणा है। मम्मट का कहना है कि गौणी लक्षणा उपचारमिश्र होती है। उपचारशब्द से यहाँ दो भिन्न पदार्थों में अभिन्नता अपेक्षित है जो सादृश्यसंबन्धपर आधारित है (९)। उपचारशब्द का यह सीमित अर्थ है। व्यापक अर्थ में उपचारशब्द लक्षणा का ही वाचक है (१०)। सादृश्योपचार के दो भेद देखे जाते हैं—आरोप और अध्यवसान। इन भेदों के अनुसार लक्षणा के दो भेद होते हैं—‘सारोपा गौणी लक्षणा’ और ‘साध्यवसाना गौणी लक्षणा’। रूपक में मूलतः गौणी सारोपा लक्षणा होती है और अतिशयोक्ति का मूल गौणी साध्यवसाना लक्षणा है। सादृश्य के अतिरिक्त, उपचार के अन्य भेदों में भी आरोप और अध्यवसान देखे जाते हैं। उदाहरणस्वरूप—

अविरलकमलविकासः सकलालिमददच कोकिलानन्द ।

रम्योऽयमेति मप्रति लोकोत्कण्ठाकरः काल ।

“यह रमणीय समय (वसन्त) जो कि कमल का मानो विकास है, भ्रमरो का मद है तथा कोकिल का आनन्द है सारे जगत् को उत्कण्ठित करता हुआ आ रहा है।” वसन्त कमल-विकास का हेतु है, कमल-विकास वसन्त का कार्य है, किन्तु यहाँ हेतुपर ही कार्य का उपचार किया गया है एव वसन्त को ही कमलविकास कहा है। यह शुद्ध साध्यवसानमूला लक्षणा है। यह लक्षणा ‘हेतु’ अलंकार का मूल है। ‘आयुर्धृतम्’ आदि में, या भगवान् श्रीकृष्ण के वर्णन के संबन्ध में ‘मल्लानामशनिर्नृणा नृपवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान्’ आदि भागवतवचन में भी सादृश्येतर संबन्ध पर आधारित उपचार ही है। यह शुद्ध सारोपा लक्षणा है। यह लक्षणा कार्यकारणमूला अतिशयोक्ति का मूल है। उपादान लक्षणा में शब्द का लक्ष्यार्थ मुख्यार्थ से अपेक्षाकृत अधिक समावेशक होता है। “कुन्ता (कुन्त—भाला) प्रविशन्ति” कुन्त का भाला यह मुख्यार्थ व्यापक हुआ है और उससे कुन्तधारी पुरुष का बोध होता है। इसीको मम्मट ‘स्वसिद्धये पराक्षेपः’ कहने है। लक्षणालक्षणा में मुख्यार्थ का त्याग होता है एव अन्य अर्थ उससे मिल जाता है। उदाहरण के लिए—

रविसक्रान्तसौभाग्यः तुषारावृतमण्डलः ।

निश्वासान्ध इवादशं चन्द्रमा न प्रकाशते ॥

९. उपचारो नाम अत्यन्त विशकलितयोः सादृश्यातिशयमहिम्ना भेदप्रतीतिस्थगनमात्रम् ।

—विश्वनाथ

१०. उपचारो गुणवृत्तिलक्षणा—अभिनवगुप्त, अतच्छब्दस्य तच्छब्देनाभिधानसुपचारः ।

—न्यायवार्तिक

रामायण के इस पद्य में आदर्श = दर्पण को ' निश्वासान्ध-निश्वास से अन्ध हुआ ' कहा है। अन्ध शब्द का मुख्यार्थ ' नष्टदृष्टि ' है। परन्तु इस अर्थ का त्याग करके यहाँ ' पदार्थों को स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित न करने वाला ' इस प्रकार अर्थ लेना पड़ता है। इसीको मम्मट ' परार्थे 'स्वसमर्पणम्' कहते हैं। उपादानलक्षणा तथा लक्षण-लक्षणा, ध्वनि के क्रमशः ' अर्थान्तरसक्रमित ' तथा ' अत्यन्ततिरस्कृत ' भेदों के मूल है। पूर्व कथित पाँच भेदों से युक्त तद्योगसबन्ध के मुख्यार्थ पर क्या प्रभाव होते हैं यह मुकुलभट्ट ने समुच्चय से इस प्रकार बताया है—

सादृश्ये वैपरीत्ये च वाच्यस्यातिरिस्किया ।

विवक्षा चाविवक्षा च सबधसमवाययो ॥

उपादाने विविक्षाथ लक्षणो त्वविवक्षणम् ।

तिरस्किया क्रियायोगे क्वचित् तद्विपरीतता ॥

सादृश्य तथा वैपरीत्यपर आधारित लक्षणा में वाच्यार्थ तिरस्कृत होता है। सबन्ध तथा समवाय में वाच्यार्थ की विवक्षा या अविवक्षा भी हो सकती है। उपादान लक्षणा में उसकी विवक्षा और लक्षणलक्षणा में उसकी अविवक्षा होती है। क्रियायोग में वाच्यार्थ तिरस्कृत तो होता ही है, और कभी कभी विपरीतार्थ भी लेना आवश्यक हो जाता है।

वाक्यार्थवाद और लक्षणा

नवे" अध्याय में वाक्यार्थवादो का कुछ परिचय दिया गया है। वाक्यार्थवादो की दृष्टि से लक्षणा का स्थान कहाँ और किस प्रकार है यह अब देखें। अभिहितान्वय-वाद के अनुसार लक्षणा का क्षेत्र वाच्यार्थ के बाद आरम्भ होता है। पदों का अर्थ ज्ञात होने के बाद जब देखा जाता है कि आकांक्षा योग्यता आदि के द्वारा उन पदों में ठीक अन्वय सिद्ध नहीं होता तब हम लक्षणा का आश्रय करते हैं। परन्तु अन्वित्ताभिधान-वादियों के मन्तव्य के अनुसार वाक्यार्थ के पहले ही लक्षणा आती है। उनकी दृष्टि से अन्वित शब्दों में ही वाच्यत्व होने के कारण वाक्य में शब्दों का प्रयोग लक्ष्यार्थ के सहित ही किया जाता है। समुच्चय पक्ष के अनुसार पदों की अपेक्षा से वाक्योत्तर एव वाक्य की अपेक्षा से वाच्यपूर्व लक्षणा प्रवृत्त होती है। अखण्डार्थवादियों के मत के अनुसार वास्तव में लक्षणा नाम की कोई चीज ही नहीं है। किन्तु जब वे पदपदार्थ विभाग की कल्पना करते हैं तब उनको लक्षणा की भी कल्पना करना आवश्यक हो जाता है (११)। प्रयोजनवती लक्षणा का क्षेत्र अभिहितान्वयवादियों के कथन

११. अन्वयेऽभिहितानां सा वाच्यत्वादूर्ध्वमिष्यते ।

अन्विताना तु वाच्यत्वे वाच्यत्वस्य पुरः स्थिता ॥

द्वये द्वयमखण्डे तु वाक्यार्थपरमार्थतः ।

नास्तसौ कल्पितेऽर्थे तु पूर्ववत् प्रविभज्यते ॥— अभिधावृत्तिमावृका

से कुछ मिलता है। अन्विताभिधानवादियों के अनुसार केवल निरूढ लक्षणा की सत्ता हो सकती है, प्रयोजनवती लक्षणा का होना असंभव है। विवेचक तथा समन्वय-मूलक इस प्रकार दोनों दृष्टियों से, उभयवादी लक्षणा का विचार करते हैं। अखण्डार्थ-वादी लक्षणा को अपोद्धारबुद्धि के समय ही मानते हैं। वाक्यार्थवादियों के इन भिन्न मतों को देखने से तात्पर्य माननेवाले अन्विताभिधानवादियों के कितने निकट आलंकारिक आ पहुँचते हैं यह स्पष्ट होगा। तात्पर्यवादियों की लक्षणा प्रयोजनवती है, प्रत्युत अन्विताभिधानवादियों की लक्षणा निरूढ है। आलंकारिकों का लक्षणा विवेचन प्रयोजनवती लक्षणा का विवेचन है, निरूढ लक्षणा का नहीं। इस बात पर ध्यान देने से आलंकारिक अभिहितान्वयवादियों के सम्बन्ध में आदर रखते हैं यह स्पष्ट होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि अभिहितान्वयवादियों का सभी कथन उन्हें स्वीकार है। किन्तु मीमांसकों में से अभिहितान्वयवादी उन्हें अवश्यही निकटवर्ती हैं। साहित्यशास्त्र के इतिहास में ध्वनिवादियों के विरोध में तात्पर्यवाद पर बल देने वाले आलंकारिकों का भी एक वर्ग था इसका भी यहाँ अनुसन्धान रखना आवश्यक है।

वेदान्ती तथा स्फोटवादी वैयाकरण दोनों अखण्डार्थवादी हैं। लक्षणा को न मानते हुए भी वे काव्यगत शब्दव्यापार की उपपत्ति बताते हैं। नागेशभट्ट ने यह उपपत्ति इस प्रकार बतायी है—“महाभाष्य में वचन है—‘सति तात्पर्ये सर्वे सर्वार्थवाचकाः।’ इस वचन की दृष्टि से देखा जायँ तो लक्षणा मानने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसके अतिरिक्त लक्षणा का स्वीकार करने में और भी कई दोष उत्पन्न होते हैं। यदि दो वृत्तियों को मान लिया तो उनमें भेद दर्शाने वाले दो अवच्छेदक भी मानना पड़ता ही है। इसमें गौरव दोष आ जाता है। और, दोनों वृत्तियों से जब इष्टार्थबोध हो रहा है तब एक वृत्ति को प्रधान मान कर दूसरी वृत्ति गौण बताना न्यायसंगत नहीं है। अतएव लक्षणा का स्वीकार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। इस पर प्रश्न उठता है कि फिर ‘गगाया घोषः’ आदि वाक्य में ‘गगा’ पद से ‘तीर’ का अर्थ कैसे प्रतीत होता है? इस प्रश्न पर भाष्य का उत्तर है—“सति तात्पर्ये सर्वे सर्वार्थ-वाचकाः।” वास्तव में शब्द की अर्थबोधक शक्ति के दो भेद दिखायी देते हैं। एक है प्रसिद्ध शक्ति और दूसरी है अप्रसिद्ध शक्ति। जिसके द्वारा शब्द से बाल और मूढ को लेकर सभी को अर्थबोध होता है, वह है शब्द की प्रसिद्ध शक्ति, और जिसके द्वारा शब्द से केवल सहृदय को ही अर्थ का बोध होता है वह है शब्द की अप्रसिद्ध शक्ति। गगा शब्द से प्रवाह का बोध तो सभी को होता है। यहाँ गगा शब्द की प्रसिद्ध शक्ति कार्य करती है और गंगा शब्द से, विशिष्ट प्रसंग में सहृदयों को ‘तीर’ का बोध

होता है तब गंगा शब्द की अप्रसिद्ध शक्ति प्रवृत्त होती है, ऐसा मानने से किसी प्रकार की अनुपपत्ति नहीं होती (१२)।”

नागेशभट्ट की इस विवेचना से एक बात स्पष्ट हो जाती है। उनकी प्रसिद्ध शक्ति है अभिधा और अप्रसिद्धशक्ति है व्यजना। लक्षणाभेदों में से निरूद्ध लक्षणा में प्रसिद्ध शक्ति ही है, इस लिए वह तो अभिधा के ही अन्तर्गत हो जाती है। प्रयोजनवती लक्षणा में प्रयोजन व्यग्य होता है और वह केवल सहृदयहृदयग्राह्य होता है। अत एव प्रयोजनवती लक्षणा व्यजना में अन्तर्भूत होती है। इससे लक्षणा का स्वतन्त्र एव निरपेक्ष स्थान ही नहीं रहता।

किन्तु इससे यह मानना उचित नहीं होगा कि लक्षणा विवेचन को शब्दबोध में या साहित्यशास्त्र में कोई महत्त्व ही नहीं रहता। साहित्यचर्चा के विकास में लक्षणा का स्थान बड़ा महत्त्वपूर्ण है। लक्षणा वक्रोक्ति का मूल है इस बात को सर्वप्रथम उद्भट ने जाना और बताया कि काव्य में अमुख्य वृत्ति का ही प्रयोग होता है। समूचा अलंकार वर्ग लक्षणा या विलास है। ध्वनिकार का मत प्रसृत होने से पहले सम्पूर्ण काव्यतत्त्व का विवेचन लक्षणा कोटि में ही होता था। इतना ही केवल नहीं, साहित्य के पंडितों का एक वर्ग ऐसा भी था जो कि ध्वनि का अन्तर्भाव लक्षणा में करता था। यह तो ठीक है कि काव्य का पर्यवसान व्यग्य ही है, किन्तु व्यग्यरूप प्रयोजन स्पष्ट रूप से आकलन होने के लिए लक्षणास्वरूप का ज्ञान आवश्यक है। इसके बिना काव्यगत अलंकारों का रसोपकारित्व समझना असंभव है। ‘व्यग्य’ लक्षणा का फल है, लक्षणा कतिपय व्यग्य भेदों का साधन है। काव्यगत शब्दबोध की तुलना यदि सूक्ष्मदर्शक यत्र में की गयी तो यह कहना उचित होगा कि, उस यत्र में देखना ही व्यग्यार्थ को देखना है, और उस यत्र की रचना को देखना ही लक्ष्यार्थ का विवेचन है।

लक्षणा का आधारभूत प्रयोजन व्यग्य होता है

साहित्यशास्त्र में जो लक्षणाविवेचन पाया जाता है वह प्रयोजनवती लक्षणा का है, निरूद्ध लक्षणा का नहीं। लक्षणा का प्रयोजन किस प्रकार का होता है? मम्मट का कथन है कि लक्षणा का प्रयोजन व्यग्य अर्थात् ध्वनि है। लक्षणा की पृष्ठभूमि

१२. ‘सति तात्पर्ये सर्वे सर्वार्थवाचका.’—इति भाष्यात् लक्षणाया अभावात्। वृत्तिद्वयावच्छेदकद्वयकल्पने गौरवात्। जघन्यवृत्तिकल्पनाया अन्याय्यत्वाच्च। कथं तर्हि गंगादिपदात् तीर-प्रलयः। भ्रान्तोऽसि। “सति तात्पर्ये सर्वे सर्वार्थवाचकाः” इति भाष्यमेव गृहाणो तथाहि—शक्तिद्विविधा प्रसिद्धा, अप्रसिद्धा च। आमदबुद्धिवेद्यात्वं प्रसिद्धात्वम्, सहृदयहृदयमात्रवेद्यात्वम-प्रसिद्धात्वम्। तत्र गंगादिपदानां प्रवाहादौ प्रसिद्धा शक्तिः तीरादौ च अप्रसिद्धा इति किमनुपपन्नम्?—परमल्लभमंजूषा पृ. १९

मुखी के शरीर में यौवन की तो आनन्दक्रीडा ही चल रही है।" इस पद्य में विकसित, वशित, समुच्छलित, अपास्त, मुकुलित, उद्धुर, उद्गम तथा मोदते यह शब्द लक्ष्यार्थ में प्रयुक्त हैं एवम् उनका आधारभूत प्रयोजन व्यंग्य है और केवल सहृदयहृदयग्राह्य है अतएव वह गूढ व्यंग्य है (१३)। यदि सहृदय की बुद्धि काव्यवासना से परिपक्व

१३. इस पद्य में लक्षक शब्दों का आधारभूत प्रयोजन (व्यंग्य) इस प्रकार बताया जा सकता है :

लक्षणांक शब्द	मुख्यार्थ बाध	लक्ष्यार्थ	मुख्यार्थ योग	व्यंग्य प्रयोजन
१. विकसित	यह पुष्यधर्म होने से स्मित के विषय में बाध	प्रसृत	कार्यकारणभाव, विकास प्रसरण का कारण है।	सौरभ, सुगन्ध। हास्य के कारण सुगन्ध फैलती है।
२. वशित	वशीकरण चेतनधर्म है इस लिए दृष्टि के संबन्ध में बाध	स्वाधीन	कार्यकारणभाव, वशीकरण स्वाधीनता का कारण है।	युक्तानुराग;
३. समुच्छलित	'ऊर्ध्वगमन' मूर्तधर्म है, अत एव अमूर्त विभ्रम में बाध	प्रादुर्भूत	कार्यकारणभाव। समुच्चलन प्रादुर्भाव का कारण है।	बाहुल्य तथा सहजता विभ्रम अगभूत हैं।
४. अपास्त	अपासन = त्याग, इस चेतन धर्म का मति के संबन्ध में बाध	दूरीभवन	हेतुहेतुमद्भाव। अपासन दूरीभवन का हेतु है।	अधीरता; अनुराग-मूलक उत्सुकता।
५. मुकुलित	पुष्पधर्म है अत एव स्तनों के संबन्ध में बाध	उन्नत, कठिन	साधर्म्यसंबन्ध. कली और स्तन में उन्नतता तथा कठिन्य का साम्य	आलिंगनयोग्यता।
६. उद्धुर	धुरा उठाने के चेतनधर्म का जघन के सम्बन्ध में बाध	सिद्ध	साधर्म्यसंबन्ध। दोनों में भारवाहकता की समानता	रतियोग्यता।
७. उद्गम	यह मूर्तधर्म है, अत एव अमूर्त यौवन के संबन्ध में बाध	प्रादुर्भाव	कार्यकारणभाव। उद्गम प्रादुर्भाव का हेतु।	आकर्षकता, सहज सौंदर्य; कृत्रिम नहीं।
८. मोदते	'आनन्द' इस चेतनधर्म का यौवनोद्गम के संबन्ध में बाध	परमोत्कर्ष	जन्यजनकसंबन्ध। आनन्द और उत्कर्ष में जन्यजनक भाव है।	स्पृहणीयत्व वाक्य में अभिलाषा का सूचन।

(शेष अगले पृष्ठपर)

शाब्द बोध : लक्ष्यार्थ, लाक्षणिक शब्द और लक्षणा

हुम्मी है तो यह व्यंग्य प्रयोजन ध्यान में आ सकता है। पूर्वपद्यगत 'उपदिशति' के समान वह स्पष्ट नहीं है।

लक्षणा के प्रयोजन का उपर्युक्त गूढव्यंग्य तथा अगूढव्यंग्य में विभाम देखने से एक बात स्पष्ट हो जाती है। दोनों पद्यों में व्यंग्य है। किन्तु जिस पद्य में गूढव्यंग्य है वहाँ पद्य का सौंदर्य अर्थात् चमत्कार प्रधानतया व्यंग्य में है। इस पद्य में सौंदर्य की दृष्टि से वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्य का ही प्राधान्य होने के कारण यह ध्वनि काव्य का उदाहरण है। अगूढव्यंग्य के उदाहरण में व्यंग्य भी वाच्यार्थ के समान स्पष्ट होने के कारण काव्य का सौंदर्य प्रधान तथा व्यंग्यार्थ में नहीं है। अतएव यह गुणीभूत व्यंग्य काव्य का उदाहरण है। काव्य का उत्तम भेद गूढव्यंग्य है। क्योंकि उसमें चमत्कार व्यंग्यगत है। अगूढव्यंग्य मध्यम काव्य है। मम्मट 'काव्य प्रकाश' में कहते हैं—“कामिनीकुचकलशवत् गूढ चमत्करोति, अगूढ तु स्फुटतया वाच्यायमानम् इति गुणीभूतम् एव।” यहाँ एक बात ध्यान में रखना आवश्यक है। काव्य में गूढता तो चाहिये किन्तु अतिमात्र गूढता नहीं होनी चाहिये। गूढता से सहृदय का आकर्षण तो बना रहना चाहिये। आकर्षण ही यदि नष्ट हो गया तो चमत्कृति भी नष्ट हो जायगी। इस सबन्ध में निम्न पद्य प्रसिद्ध है—

नान्दरीपयोधर इवातितरा प्रकाशो

नो गुर्जरीस्तन इवातितरा निगूढः ॥

अर्थो गिरामपिहित पिहितश्च कश्चित्

सौभाग्यमेति मरहृद्वधूकुचाभः ॥

लक्ष्यार्थ एवं लक्षणा का स्वरूप इस प्रकार का है। लक्ष्यार्थ एवं लक्षणाव्यापार काव्य में जिस शब्द के आश्रय से रहते हैं वह है लाक्षणिक शब्द। काव्य में लक्षणा की पृष्ठभूमि में प्रयोजन रहता ही है। यह प्रयोजन जिस व्यापार के द्वारा ज्ञात होता है वह है व्यजनाव्यापार। प्रयोजनवती लक्षणा का आधारभूत यह व्यजनाव्यापार भी उस लाक्षणिक शब्द में ही स्थित रहता है (तद्भूलाक्षणिक, तत्र व्यापारो व्यजनात्मक। काव्यप्रकाश)। वह किस प्रकार स्थित होता है तथा उसका स्वरूप क्या है यह हम अगले अध्याय में देखेंगे।

(गत पृष्ठ से)

प्रदीपकार ने भी गूढ व्यंग्य का सुंदर उदाहरण दिया है—


चक्रीपाण्डित्यं मलिनयति दृग्भङ्गिमहिमा

हिमाशोरद्वैतं कवल्यति वनत्र मृगदृशः।

तमोवैदग्ध्यानि स्थगयति कच., किं च वदन

कुहूकण्ठीकण्ठध्वनिमधुरिमाणं तिरयति।

यहाँ मलिनयति, कवल्यति, स्थगयति तथा तिरयति शब्द लक्ष्यार्थ में प्रयुक्त हैं।



शाब्दबोध : व्यंजनाव्यापार

लक्षणामूल ध्वनि

पूर्व बताया जा चुका है कि
लक्षणा का आधारभूत

प्रयोजन व्यंजनाव्यापार से ज्ञात होता है। इसकी सिद्धि के लिए मम्मट कहते हैं—
यस्य प्रतीतिमाधातु लक्षणा समुपास्यते ।

फले शब्दैकगम्येऽत्र व्यंजनात्परा क्रिया ॥

लक्षणा के आधारभूत प्रयोजन की प्रतीति लाक्षणिक शब्द से ही होती है। अभिधा के द्वारा मुख्यार्थ की प्रतीति होती है; लक्षणा से लक्ष्यार्थ की प्रतीति होती है; फिर इस प्रयोजन की प्रतीति किस व्यापार के द्वारा होती है? मम्मट का कथन है कि यह प्रयोजनप्रतीति व्यंजनाव्यापार से होती है। व्यंजना के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यापार से यह प्रतीति नहीं होती। इस बात को स्पष्ट करने के लिए आल-कारिक नित्यपरिचित 'गगायां घोषः' यही उदाहरण लेते हैं। गगा शब्द का गगाप्रवाह मुख्य अर्थ है। प्रवाह में 'घोष' का होना असंभव है। इस लिए इस वाक्य में मुख्यार्थ बाधित हो जाता है। अतएव यहाँ गगा शब्द का, सामीप्यसंबन्ध से 'गगातट' अर्थ लेना पड़ता है। यह है गगा शब्द का लक्ष्यार्थ। अब प्रश्न यह उठता है कि 'गगातटे घोष' इस प्रकार सरलता से व्यवहार न करते हुए वक्ता 'गगायां घोष' ऐसा क्यों कहता है? इसमें उसका कुछ प्रयोजन अवश्य होगा; और है भी। यहाँ वक्ता का प्रयोजन यह है कि मेरे भाषण से वह घोष शीतल है, वहाँ का वायुमण्डल पवित्र है आदि प्रतीति श्रोता को हो। इस प्रयोजन को व्यक्त करने के लिए ही वक्ता गगा शब्द का तट के अर्थ में प्रयोग करता है। वक्ता की अपेक्षा के अनुकूल श्रोता को वह प्रतीति होती भी है। यह प्रतीति 'गगातटे घोष' कहने से नहीं होती। यह गगा = गगा प्रवाह का अर्थ

का पहला निमित्त—मुख्यार्थबाध—यहाँ नहीं है (नाप्यत्र बाध.) । गगातट यह (माना हुआ) मुख्यार्थ तथा पावनत्व इन दोनों में सबन्ध नहीं है । पावनत्व धर्म गगा से सबद्ध है, तट से सबद्ध नहीं है । अतएव लक्षणा का दूसरा निमित्त 'तद्योग' भी यहाँ नहीं है (योग फलेन नो) । इसके अतिरिक्त, पावनत्व धर्म को लक्ष्यार्थ मानने के लिए प्रयोजन भी नहीं है, क्योंकि पावनत्वादि प्रतीति स्वयं प्रयोजन रूप है (न प्रयोजनमेतस्मिन्) । यदि ऐसा कहना हो कि यह प्रयोजन भी लक्षित ही है, तो इसके लिए दूसरे प्रयोजन की कल्पना करनी होगी, और इस प्रकार यदि परम्परा निकली तो एक प्रयोजन के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, तीसरे के लिए चौथा इस प्रकार प्रयोजनो की कल्पना करते रहेंगे और अनवस्था होकर मूल उद्दिष्ट नष्ट हो जायगा । (एवमत्यनवस्था स्यात् या मूलक्षयकारिणी) । अतएव, लक्षणा के लिए आवश्यक तीसरा निमित्त—प्रयोजन—यहाँ न होने से पावनत्व धर्म लक्षणा से प्रतीत होता है ऐसा नहीं माना जा सकता ।

अच्छा, यह भी नहीं कि गगा शब्द से पावनत्वधर्म की प्रतीति नहीं होती (न च शब्द स्वलद्गति) । यह प्रतीति होती है और गगा शब्द से ही होती है । यदि यह प्रतीति है और यदि यह अभिधाव्यापार या लक्षणाव्यापार का विषय नहीं होती तो इस प्रतीति की उपपत्ति के लिए, विवश होकर एक भिन्न और स्वतन्त्र व्यापार मानना पड़ेगा । यह स्वतन्त्र व्यापार ही व्यजनाव्यापार है । अतएव, लक्षणा के आधारभूत प्रयोजन की प्रतीति व्यजनाव्यापार से होती है तथा यह प्रतीति 'गगा' इस लाक्षणिक शब्द से ही होती है इस लिए यह व्यजनाव्यापार लाक्षणिक शब्द में ही स्थित है यह तो मानना ही पड़ेगा; अन्य कोई गति ही नहीं है ।

जो लोग कहते हैं कि लक्षणा का प्रयोजन भी लक्षित ही होता है उन्हें दो लक्षणाओं का स्वीकार करना पड़ता है । गगा = गगातट का अर्थ बताने वाली पहली लक्षणा एव प्रयोजन का बोध करानेवाली दूसरी लक्षणा । इनमें से पहली लक्षणा उपपन्न होती है, किन्तु दूसरी लक्षणा उपपन्न नहीं होती । मम्मटकृत उपर्युक्त खडन द्वितीय-लक्षणावादियों का खडन है ।

विशिष्ट लक्षणा भी संभव नहीं है

परन्तु लक्षणावादियों का दूसरा भी एक पक्ष है । उन्हें विशिष्ट लक्षणावादी कहा जाता है । उनकी मान्यता है कि लक्षणा के आधारभूत प्रयोजन की प्रतीति विशिष्ट लक्षणा ही के द्वारा आ जाती है । इससे स्वतन्त्र व्यजनाव्यापार मानने की कोई आवश्यकता नहीं रहती । अर्थात् 'गगाया घोष' इस वाक्य में 'गगा' शब्द का अर्थ केवल 'गगातट' न करते हुए, 'पावनत्वादिविशिष्ट तट' इस प्रकार करने से

किन्तु हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान अथवा प्रत्यय 'अह नीलकमल जानामि' इस प्रकार का भी हो सकता है। स्पष्ट होगा कि यह प्रत्यय आत्मनिष्ठ है और ज्ञान का ही फल है। इस प्रकार के प्रत्यय को 'सवित्ति' या 'अनुव्यवसाय' कहते हैं। सवित्ति अथवा अनुव्यवसाय आत्मधर्म है। प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण ज्ञाता में वह उत्पन्न हुआ। इस लिए 'सवित्ति' अथवा 'अनुव्यवसाय' ज्ञान का फल है। यह मत प्राभाकर मीमांसक तथा नैयायिको का है।

इनमें से किसी भी मत को लीजिये, ज्ञान की प्रक्रिया में तीन बातें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। वे ये हैं—(१) नीलकमल—ज्ञान का विषय; (२) हमें होनेवाला प्रत्यय—ज्ञान, तथा (३) प्रकटता अथवा सवित्ति—उस ज्ञान का फल, इन तीनों के सबन्ध में मीमांसको के मत का मम्मट इस प्रकार अनुवाद करते हैं—

ज्ञानस्य विषयो ह्यन्य फलमन्यदुदाहृतम् ।

इसमें बताया गया है कि प्रत्यक्षादि ज्ञान का विषय तथा उस ज्ञान का फल इनमें भिन्नता होती है। ज्ञान का विषय नीलकमल आदि है, किन्तु उसका फल प्रकटता अथवा सवित्ति है (प्रत्यक्षादेर्नीलादिविषय, फल तु प्रकटता, सवित्तिर्वा—का प्र)। किसी भी ज्ञान के सबन्ध में (चाहे वह प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द आदि किसी भी प्रमाण से हुआ हो) इस नियम का भंग नहीं होना चाहिये।

मम्मट के कथन के अनुसार विशिष्ट लक्षणावादियों के मत में ज्ञान के उपर्युक्त नियम का भंग होता है। विशिष्ट लक्षणावादियों के मत के अनुसार 'गगा' शब्द का लक्षणावृत्ति से 'पावनत्वादिविशिष्ट तट' इस प्रकार अर्थ करना चाहिये। अर्थ यह है कि लक्षणा से होने वाले ज्ञान का विषय 'पावनत्वादिविशिष्ट तट' है। 'गगातटे घोष' इस वाक्य से होनेवाले प्रत्यय से कुछ अधिक प्रत्यय अर्थात् पावनत्वादि धर्म यही इस लक्षणा का प्रयोजन है। इस प्रकार यहाँ फल का विषय ही में अन्तर्भाव होने से, ज्ञानविषयक उपर्युक्त नियम का भंग हो रहा है। इस लिए प्रयोजनप्रतीति की उपपत्ति के लिए लक्षणा का आधार लेना असंभव होता है (विशिष्टे लक्षणा नैवम्)।

अब लक्षणा के द्वारा प्रयोजन की उपपत्ति भले ही न होती हो, लक्षित अर्थ में प्रयोजनरूप विशेषो का प्रत्यय तो होता ही है। (विशेषोः स्युस्तु लक्षिते)। इस प्रत्यय की उपपत्ति बताना तो आवश्यक है ही; और इस लिए स्वतन्त्र व्यापार भी मानना आवश्यक है। यह स्वतन्त्र व्यापार ही व्यंजन, ध्वनन, द्योतन आदि सज्ञाओं से पहचाना जाता है।

अभिधामूल व्यंजना

व्यजनाव्यापार जिस प्रकार लक्षणा को लेकर होता है उसी प्रकार वह अभिधा को लेकर भी हो सकता है। भाषा में कतिपय शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। ऐसे शब्दों का प्रत्येक अर्थ, अपनी अपनी सीमा तक वाच्यार्थ होता है। उदाहरण के लिए — 'कर' शब्द के हाथ, सूँड, सरकार को दिया जानेवाला धन (टैक्स) आदि अनेक अर्थ होते हैं, इनमें से प्रत्येक अर्थ अपनी सीमा में उस शब्द का वाच्यार्थ ही है। सैन्धव=नमक, घोड़ा, दान=धर्मार्थ त्याग, हाथी का मद आदि शब्द भी ऐसे ही हैं। किन्तु जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तब उनके किसी एक अर्थ से हमारा अभिप्राय होता है। किस समय किस अर्थ से अभिप्राय है यह समझदार श्रोता सनिधि, प्रकरण आदि से समझ लेता है। उदाहरण के लिए 'राम' शब्द 'दशरथ का पुत्र' तथा 'जमदग्नि का पुत्र' इन दोनों का वाचक है। 'अर्जुन' शब्द 'पार्थ' तथा 'सहस्रार्जुन' इन दोनों का वाचक है। यह होते हुए भी, 'रामलक्ष्मण' में दशरथ राम से अभिप्राय है एवं 'रामार्जुनौ' में परशुराम से अभिप्राय है यह हम समझ लेते हैं। इसी प्रकार, 'रामार्जुनौ' में अर्जुन का अर्थ है सहस्रार्जुन एवं 'कृष्णार्जुनौ' में अभिप्राय है पार्थ अर्जुन से, यह भी हम सरलता से समझ सकते हैं। इस प्रकार, हम देखते हैं कि 'राम' तथा 'अर्जुन' इन शब्दों की अभिधा, सनिधि अवस्थित शब्दों के योग से एक ही अर्थ के संबन्ध में सीमित हो गयी है। कभी कभी प्रकरण से भी अभिधा नियंत्रित होती है। सैन्धव के दो अर्थ हैं— नमक और घोड़ा। भोजन के समय किसी ने 'सैन्धवम् आनय' कहा तो वहाँ अर्थ होगा — 'नमक लाओ'। किन्तु रणवेष्ट पहन कर 'सैन्धवमानय' कहा तो वहाँ 'घोड़ा लाओ' इस प्रकार अर्थ करना होगा। इन दोनों स्थानों में सैन्धव शब्द की अभिधा, प्रकरण के कारण एक ही अर्थ में सीमित हो गयी है। अन्य भी अनेक निमित्त इसी प्रकार अभिधा का नियंत्रण करते हैं (१); और उनके द्वारा, अनेक अर्थों में से किसी एक अर्थ से अभिप्राय है इसका पाठक अथवा श्रोता निश्चय कर सकता है। जिस प्रसंग में जिस अर्थ से अभिप्राय है उस प्रसंग में वही अर्थ प्रकृत होता है, अतएव उस समय उस शब्द का वही वाच्यार्थ अथवा मुख्यार्थ होता है।

१. अभिधा के नियंत्रक निमित्तों का भर्तृहरी ने 'वाक्यपदीय' में समुच्चय से निर्देश किया है। वह इस प्रकार है—

संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता ।

अर्थः प्रकरणं खिन्नं शब्दस्यान्यस्य सनिधिः ॥

सामर्थ्यमौचित्यं देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः ।

शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्पृतिहेतवः ॥

पर कभी कभी यह भी होता है कि शब्द की अभिधा इस प्रकार किसी विशेष अर्थ में ही सीमित होती है तभी उस वाच्यार्थ के साथ ही उस शब्द का दूसरा एक अप्रकृत अर्थ भी पाठक को प्रतीत होता है। यह दूसरा अर्थ भी स्वतंत्र रूप में, उस शब्द का मुख्यार्थ होते हुए भी, उस प्रसंग में प्रकृत या अभिप्रेत न होने से मुख्यार्थ नहीं होता। अतएव उस प्रसंग में वह अभिधाशक्ति से ज्ञात हुआ ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि विशिष्ट सदर्भ में (context) शब्द की ' अभिधा ' प्रकृत अर्थ तक अर्थात् मुख्यार्थ तक ही सीमित रहती है। फिर यह दूसरा अर्थ जो हमें ज्ञात होता है उसे किस व्यापार से ज्ञात हुआ समझें? अभिधा वाच्यार्थ से सीमित हुई है इस लिए इस दूसरे अर्थ के सबन्ध में उसका स्वीकार नहीं हो सकता, मुख्यार्थबाध आदि निमित्त यहाँ नहीं है, अतएव यह दूसरा अप्रकृत अर्थ लक्षणा से ज्ञात हुआ ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। तब इन दोनों से पृथक् व्यापार की सत्ता यहाँ मानना आवश्यक हो जाता है। यह स्वतन्त्र व्यापार ही व्यजनाव्यापार है। यह व्यजना अभिधा पर आधारित होने से इसे अभिधामूलव्यजना कहते हैं। मम्मट का वचन है—

अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते ।

सयोगाद्यैरवाच्यार्थधीकृत् व्यापृतिरञ्जनम् ॥

अनेकार्थ शब्द का वाचकत्व जब सयोग आदि से नियन्त्रित हो जाता है, और (इस प्रसंग में) जब ऐसे अर्थ की प्रतीति होती है जो कि वाच्य नहीं है, तब वह प्रतीति देनेवाला व्यापार (व्यापृति) व्यजना (अजनम्) व्यापार ही होता है।

अभिधा के सभी भेदों में अभिधामूलव्यजना रूढ़ हो सकती है। एक ही शब्द के यदि दो रूढ़ अर्थ हैं और उनमें से एक अर्थ यदि प्रकरण से नियन्त्रित है तो ऐसे प्रसंग में जिस दूसरे रूढ़ अर्थ का आभास होता है वह व्यंग्यार्थ होता है। उदाहरण के लिए—

भद्रात्मनो दुरधिरोहतनोर्विशाल-

वशोन्नते कृतशिलीमुखसंग्रहस्य ।

यस्यानुपप्लुतगतेः परवारणस्य

दानाम्बुसेकसुभग. सतत करोऽभूत् ॥

शिवस्वामी के ' कविकरणाभ्युदय ' में से यह पद्य है। राजा का वरान करतें हुए कवि कहता है— उस राजा के (यस्य) चित्त में नित्य कल्याणकर विचार रहते थे (भद्रात्मन.), विशाल शरीर होने से वह अजिक्य हो गया था (दुरधिरोहतनु), अपने विशाल वश की उसने उन्नति की थी (वशोन्नते:); उसने धनुर्विद्या का गंभीर अध्ययन किया था (कृतशिलीमुखसंग्रह), उसके ज्ञान की गति अविच्छिन्न थी (अनुपप्लुतगते.); उसने शत्रुओं का निवारण किया था (परवारण) तथा उसका

हाथ (कर) दान के जल से नित्य शोभित होता था (दानाम्बुसेकसुभगः)। यहाँ भद्र = कल्याण, वश = कुल, शिलीमुख = बाराण, सग्रह = गंभीर अग्रध्यान, गति = ज्ञान, पर = शत्रु, वारण = निवारण करनेवाला, दान = द्रव्यत्याग, कर = हाथ ये अर्थ कवि को प्रकरण की दृष्टि से अभिप्रेत अर्थात् प्रकृत है। अतएव वे उन शब्दों के मुख्यार्थ हैं। यह अर्थ यहाँ हमें तत्तन् शब्द के अभिधाव्यापार से ज्ञात हुए हैं। किन्तु इस पद्य को पढ़ते समय उपर्युक्त मुख्यार्थ जब हमारे ध्यान में आता है तभी निम्न अर्थ का भी आभास हमारे मन में सहज ही होता है।

“जिस पर आरोहण करना कठिन है (दुरधिरोहतनो), जो लंबे बॉम के समान ऊँचा है (वंशोन्नतेः), जिसके आसपास भ्रमरो का समूह है (कृतशिलीमुखसग्रहस्य), जिसकी गति गंभीर है (अनुद्धतगतिः), ऐसे भद्रजातीय (भद्रात्मन) श्रेष्ठ हाथी का (परवारणस्य), शूडादण्ड (कर) निरन्तर मदस्त्रावसे (दानाम्बुसेकसुभगः) शोभित हो रहा है।” यहाँ भद्र = भद्रजाति (हाथियों की एक जाति), वग = बॉम, शिलीमुख = भ्रमर, सग्रह = समूह, गति = चाल, पर = श्रेष्ठ, वारण = हाथी, दान = मद, कर = शूडादण्ड आदि अर्थ स्वतंत्र रूप में प्रत्येक शब्द के मुख्यार्थ ही हैं। परन्तु प्रस्तुत राजवर्णन के प्रसंग में वे अभिप्रेत न होने से इस पद्य में मुख्यार्थ के रूप में उनका स्वीकार असंभव है। अतएव प्रस्तुत पद्य को पढ़ते समय गजविषयक यह द्वितीय अर्थ अभिधा का विषय नहीं होता। अभिधा के द्वारा इस पद्य से हमें राजा का वर्णन ही ज्ञात होता है। किन्तु तत्समकाल ही जो गजवर्णन भी हमें प्रतीत होता है, उसके लिए शब्दों का व्यजनाव्यापार ही कारण है।

इस प्रकार इस पद्य में राजवर्णन वाच्य है और गजवर्णन व्यग्य है। राजवर्णन प्रकृत है और गजवर्णन अप्रकृत। यह दोनों वर्णन हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं तो सहज ही प्रश्न उठता है कि इन दोनों अर्थों में परस्परसंबन्ध क्या हो सकता है? तत्क्षण हमारे ध्यान में आता है कि राजा और गज दोनों में यहाँ उपमानोपमेय भाव है। यह उपमानोपमेय भाव भी यहाँ सूचित ही हुआ है, वाच्य उपमा के समान यथा, इव आदि शब्दों से वह कथित नहीं है। इस लिए यहाँ ध्वनित होने वाली उपमा भी व्यजनाव्यापार का ही कार्य है। व्यजनाव्यापार का आश्रय दान, कर, भद्र आदि शब्दों का रूढार्थ ही है, इसलिए यह अभिधामूलव्यजना है।

रूढ शब्द के समान योगरूढ शब्द के आश्रय से भी व्यजना हो सकती है। उदारहण के लिए—

अबलानां श्रियं हृत्वा वारिवाहैः सहानिशम् ।

तिष्ठन्ति चपला यत्र स कालः समुपस्थितः ॥

यहाँ वर्षाकाल का वर्णन अभिप्रेत है। वर्षावर्णन के संबन्ध में इस पद्य का अर्थ इस

ही व्यञ्जना होगी ऐसा नियम नहीं है। अभिधामूलव्यञ्जना के लिए पहले तो शब्द के दो अर्थ होने चाहिये। किन्तु शब्द के दो अर्थ होते हैं इसीसे वहाँ व्यञ्जना है ही यह भी नहीं कहा जा सकता। अनेकार्थ शब्द की अभिधा सयोग आदि निमित्तों से एक ही अर्थ में नियत्रित होनी चाहिये। इस प्रकार शब्द अनेकार्थ है, उसकी अभिधा एक अर्थ में नियत्रित हुई है और उसी समय दूसरा अर्थ भी सूचित हुआ है, ऐसी स्थिति में ही वहाँ अभिधामूलव्यञ्जना होती है। यदि अभिधा इस प्रकार नियत्रित न हुई, और दोनो अर्थ प्रतीत हुए, तो वे दोनो अर्थ वाच्य होते हैं, और वहाँ श्लेषालंकार होता है, व्यञ्जना नहीं होती। दूसरी बात यह है कि अभिधामूलव्यञ्जना से प्राप्त होनेवाला व्यंग्यार्थ, स्वतन्त्ररूप से देखा जायँ तो, उस शब्द का वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ ही होता है। किन्तु विशिष्ट प्रसंग में वह अप्रकृत होता है इस लिए उसे वाच्यार्थ नहीं कहा जा सकता और इसी लिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह अभिधा से प्राप्त हुआ है।

✓ अभिधा, लक्षणा तथा व्यञ्जना में संबन्ध

अभिधा, लक्षणा तथा व्यञ्जना इन तीनों शब्दवृत्तियों में से अभिधा स्वतन्त्र तथा स्वयंपूर्ण है। दूसरी किसी वृत्ति का आश्रय करने की उसे आवश्यकता नहीं होती। प्रत्येक शब्द वाचक तो होता ही है। वाचक होने के लिए उसे लक्षक या व्यञ्जक होने की कोई आवश्यकता नहीं। किन्तु लक्षणा तथा व्यञ्जना की बात कुछ दूसरी है। लक्षणा के लिए मुख्यार्थबाध आदि निमित्तों का उपस्थित होना आवश्यक है। ये निमित्त न हों तो लक्षणा का होना असंभव होता है। इसके अतिरिक्त, अभिधा का कार्य हो जाने के बाद, तात्पर्य की दृष्टि से जबतक मुख्यार्थ अनुपपन्न सिद्ध नहीं होता तबतक लक्षणा को अवसर ही नहीं मिलता। जिस प्रकार केवल वाचक शब्द हो सकता है उस प्रकार केवल लाक्षणिक शब्द नहीं हो सकता। लाक्षणिक शब्द होने के लिए, पहले तो वह शब्द वाचक होना चाहिये तथा उसका वाच्यार्थ तात्पर्य की दृष्टि से बाधित होना चाहिये। वह उस प्रकार बाधित हुआ हो तभी शब्द लाक्षणिक हो सकता है, अन्यथा नहीं। अतएव कोई भी शब्द एकही समय वाचक और लाक्षणिक नहीं हो सकता। वाच्यार्थ तात्पर्य की दृष्टि से अनुपपन्न सिद्ध होते ही वाच्यार्थ को हटाकर लक्ष्यार्थ स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है। अतएव लक्षणा को 'अभिधा-पुच्छभूत' अर्थात् अभिधा का पुच्छ कहते हैं।

अभिधा और लक्षणा दोनों पर व्यञ्जना अवलंबित रहती है। व्यञ्जना तब-तक प्रवृत्त ही नहीं होती जबतक कि अपना अपना कार्य कर के अभिधा और लक्षणा निवृत्त नहीं होती। शब्द का केवल व्यञ्जक होना असंभव है। व्यञ्जक होने से पहले

सहसा बोल उठी — “पुरुषों का हृदय ही बड़ा कठोर होता है ! सुनते हैं कि कल प्रियतम यात्रा जा रहे हैं । भगवति निशे, ऐसी बड़ जाओ कि प्रातःकाल कभी होवे ही ना ।” यह है इस पद्य का वाच्यार्थ । किन्तु रसिक को इस पद्य में इस वाच्यार्थ से अधिक प्रतीति होती है । उम्मे नायिका की व्याकुलता प्रतीत होती है । पति से स्पष्ट रूप में विरोध करने का धीरज वह नहीं बाँध सकती, इससे उसकी असहायता रसिक को प्रतीत होती है । इस दशा में वह सोचती है कि निशा का तो सहाय ले । नारी के मन की दशा पुरुष तो समझ ही नहीं सकते, किन्तु निशा तो एक नारी है, वह तो समझ सकती है । और मेरे लिये उसके मन में अनुकम्पा भी हो सकती है, इस विचार से नायिका निशा से जो विनय करती है उसके द्वारा नायिका की आर्तता रसिक समझ लेता है । इस प्रकार अर्थ के अनेकानेक वलय इन्हीं शब्दों से रसिक को प्रतीत होते हैं । रसिक को आनेवाली यह अधिक अर्थ की प्रतीति अभिधा की कक्षा में नहीं रखी जा सकती । यह अधिकार्थ पद्यगत शब्दों का सकेतितार्थ नहीं है । वह तात्पर्यवृत्ति के द्वारा भी नहीं ज्ञात होता । क्योंकि पद्यगत शब्दों का एवम् अर्थों का अन्वय सिद्ध होने पर तात्पर्यवृत्ति का कार्य समाप्त हो जाता है । यहाँ वाच्यार्थ अनुपपन्न नहीं होता, अतएव लक्षणा की प्रवृत्ति ही नहीं होती । इस प्रकार अभिधा एव तात्पर्य ने अपना अपना (वाच्यार्थ तथा अन्वय का बोध कराने का) कार्य करने पर उपक्षीण हो जाने है । इसके पश्चात् भी रसिक को एक अर्थप्रतीति होती है जो अभिधा तथा नात्पर्य की कक्षा में नहीं रहती । यह प्रतीति व्यजनाव्यापार से होती है ।

व्यंजना अर्थवृत्ति भी है (आर्थी व्यंजना)

व्यंजना मात्र शब्द ही की वृत्ति नहीं है, वह अर्थवृत्ति भी है । पूर्ववर्णित अभिधा-मूलव्यंजना और लक्षणा-मूलव्यंजना शब्दव्यंजनाएँ हैं । किन्तु इतना ही व्यंजना का क्षेत्र नहीं है । अर्थ भी व्यंजक हो सकता है । निम्न उदाहरण देखिये—

किमिति कृशासि कृशोदरि, कि तव परकीयवृत्तान्त ।

कथय तथापि मुदे मम कथयिष्यति याहि पान्थ तव जाया ॥

कोई पथिक किसी गाँव में ठहरा । वहाँ उसने किसी युवती को देखा—जो सुदर थी किन्तु कृश थी । उन दोनों में इस प्रकार भाषण हुआ—

पथिक : हे कृशोदरि, आप इतनी कृश क्यों हुई है ?

युवती : आप को दुसरो की चर्चा से मतलब ?

पथिक : ऐसे ही पूछा, नहीं बताना है तो मत बताइये । बताया तो हमें आनंद होगा ।

युवती : तो पथिक, आप अपने घर जाइये । आपको अपनी पत्नी बताएगी कि मैं इतनी कृश क्यों हुई हूँ ।

‘मै पति के विरह से कृश हुई हूँ’ यह अर्थ इस भाषण से सूचित होता है। यह सूचित अर्थ इस पद्य का वाच्यार्थ नहीं है। इस पद्य के एक भी शब्द से वह सूचित नहीं हुआ है। इस पद्य के वाच्यार्थ से पृथक् यह अर्थ सूचित होता है। इस अर्थ को ध्वनित करनेवाला व्यजनाव्यापार वाच्यार्थाश्रित है, अतएव यहाँ की व्यजना अर्थी है।

तथा भूता दृष्ट्वा नृपसदसि पाचालतनया
वने व्याधै सार्ध सुचिरमुषित वल्कलधरैः ।
विराटस्यावासे स्थितमनुचितारभनिभृत
गुरु. खेद खिन्ने मयि भजति नाद्यापि कुरुषु ॥

वेणीसहार नाटक में भीम की यह उक्ति है। भीम कहते हैं — ‘भरी राजसभा में की गई द्रौपदी की विटम्बना, बल्कल धारण कर के व्याधो के साथ व्यतीत किया हुआ वह बारह वर्षों का दीर्घ काल, और विराट के घर में अपमानो को सहते हुए भी किया हुआ अज्ञातवास’ — इनके कारण मैं खिन्न होता हूँ तो हमारे पूज्य युधिष्ठिर मुझ पर क्रोध करते हैं, किन्तु कौरवो पर अब भी क्रोध नहीं करते।” इस पद्य के शब्दो का विशिष्ट स्वर (काकु) में उच्चारण करने से “युधिष्ठिर को चाहिये कि कौरवो पर क्रोध करें, मुझ पर क्रोध करना उचित नहीं है।” यह अर्थ निष्पन्न होता है। यह अर्थ उपर्युक्त पद्य का वाच्यार्थ नहीं है, विशिष्ट स्वर में किये गये उच्चारण (काकु) द्वारा वह प्रकाशित होता है। अतएव वह व्यजनाव्यापार का विषय है।

इस प्रकार अर्थ भी अभिव्यक्त हो सकता है। अर्थ को व्यक्तता अनेक प्रकारो से प्रतीत होती है। वक्ता या श्रोता का वैशिष्ट्य, विशिष्ट स्वर में किया गया वाक्य का उच्चारण, प्रकरण, देश, काल आदि का वैशिष्ट्य आदि अनेक कारणो से वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ प्रतिभायुक्त (प्रतिभाजुषु) रसिक को प्रतीत होता है। ऐसे प्रसंग में, एक अर्थ से होने वाली दूसरे अर्थ की प्रतीति व्यजनाव्यापार के द्वारा होती है (३) यही अर्थ की व्यक्तता है। इस व्यजना को अर्थमूलव्यजना कहते हैं।

३. अर्थ की व्यक्तता के निमित्त मम्मट ने इस प्रकार दिये हैं—


वक्तुबोद्धव्यकाकूना वाच्यवाक्यान्यसंनिधे ।

प्रस्तावदेशकालादेवैशिशिव्यात् प्रतिभाजुषाम् ।

योऽर्थस्थान्यार्थधीहेतुः व्यापारो व्यक्तिरेव सा ॥ (का प्र. तृतीयोऽहस)

व्यंजना के भेद

अतएव व्यंजना के कुल भेद इस प्रकार हैं—



व्यंजना के इन सारे भेदों का एकत्रित विचार करने पर क्या दिखायी देता है ? व्यंग्यार्थ कभी किसी एक शब्द से या शब्द-समुच्चय से ज्ञात होगा। कवि ने ऐसा शब्द वाच्यार्थ में या व्यंग्यार्थ में भी प्रयुक्त किया होगा। वाच्यार्थ में प्रयुक्त शब्द से यदि व्यंग्यार्थ सूचित हुआ हो तब वह व्यंग्यार्थ, मूलतः उस (अनेकार्थ) शब्द का वाच्यार्थ ही होता है। किन्तु उस शब्द की अभिधाशक्ति एक ही अर्थ में सीमित होने से, दूसरा अर्थ—जो सूचित होता है— व्यंजना का विषय होता है। यही है अभिधामूल व्यंजना। शब्द यदि लक्षणा से प्रयुक्त हो तब वह लक्षणा प्रयोजनवती होती है तथा उसका प्रयोजन व्यंग्य होता है। यह है लक्षणामूलव्यंजना। इनमें से कुछ भी न होते हुए वाच्यार्थ से पृथक् अर्थ यदि सूचित होता हो तब वह लक्षणा आर्थी अर्थात् अर्थमूल होती है। सारांश, शाब्दी व्यंजना का क्षेत्र वर्जित किया, तो अन्य सभी व्यंग्यार्थ आर्थी व्यंजना से सूचित होता है। आर्थी व्यंजना में अनेकार्थ शब्द या लाक्षणिक अर्थ की आवश्यकता नहीं होती। वाच्य अर्थ से, अन्य किसी कारणवश दूसरा अर्थ सूचित होता है। उदा०—

सकेतकालमनस विट ज्ञात्वा विदग्धया ।

हसन्नेत्रार्पिताकृत लीलापद्म निमीलितम् ॥

प्रियतम को देखते ही उस चतुर युवति ने जान लिया कि यह मिलने का समय जानना चाहता है, और उमने हँस कर, हाथ में जो कमलपुष्प था उसका सकोच किया।

उस युवति ने यहाँ सूचित किया है कि— 'सूर्य अस्त होने के पश्चात् हम

४. अर्थमूलव्यंजना वाच्यार्थमूल, लक्ष्यार्थमूल या व्यंग्यार्थमूल भी हो सकती है। जैसे ही प्रकृति, प्रत्यय आदि भी व्यंजक हो सकते हैं। इनके उदाहरण मूल में देखें।

मिले।' यह सूचित अर्थ यहाँ सीधे वाच्यार्थ ही से अभिव्यक्त हुआ है। कोई भी शब्द यहाँ अनेकार्थ नहीं है अथवा लाक्षणिक भी नहीं है।

व्यजनाविभाग पर आशंका तथा समाधान •

शाब्दी व्यजना तथा आर्थी व्यजना इस प्रकार किये हुए उपर्युक्त व्यजनाविभाग पर एक आशंका यह हो सकती है कि इस प्रकार का व्यजनाविभाग तो उपपन्न ही नहीं होता। शब्द और अर्थ काव्य में नित्य सहित होते हैं। काव्य का स्वरूप ही 'शब्दार्थी काव्यम्' है। तब यह शाब्दी व्यजना है और यह आर्थी व्यजना है इस प्रकार निश्चय किस आधार पर किया जायँ? आपका कथन है कि 'अबलाना श्रिय हत्वा' आदि उदाहरण में अभिधाभूल व्यजना है। किन्तु वहाँ भी 'वारिवाह', 'चपला' आदि शब्द केवल शब्द होने से व्यजक नहीं हैं, अपि तु अर्थ को लेकर ही व्यजक होते हैं। तब तो उनका अर्थ भी व्यजक होता है न? इसी प्रकार 'गगाया घोष' में लक्ष्यार्थ भी व्यजक है न? और ये अर्थ भी यदि व्यजक हैं तो फिर शाब्दी और आर्थी इस प्रकार व्यजनाविभाग करने से क्या लाभ?

इस आशंका का समाधान यह है—शब्द जब अर्थान्तर से युक्त होता है तभी व्यजक होता है। अभिधाभूल व्यजना का आधारभूत शब्द अनेकार्थ तो होता है ही, किन्तु लाक्षणिक शब्द भी वाच्यार्थ तथा आरोपित अर्थ इस प्रकार दो अर्थों से युक्त होता है। यह तो ठीक ही है कि इस अर्थ की सहाय्यता से ही प्रत्येक शब्द व्यजक सिद्ध होता है, किन्तु ऐसे प्रसंग में शब्द का ही प्राधान्य होने से, प्रधानव्यपदेशन्याय के आधार पर 'शाब्दी व्यजना' की सज्ञा दी जाती है। मम्मट कहते हैं—

तद्युक्तो व्यजक शब्द यत् सोऽर्थान्तरयुक् तथा ।

अर्थोऽपि व्यजकस्तत्र सहकारितया मतः ।।

व्यजनाव्यापार से युक्त शब्द व्यजक शब्द है। ऐसा शब्द जब अर्थान्तर से युक्त होता है तभी व्यजक होता है एव यदि उसका अर्थान्तर से युक्त होना आवश्यक है तब वहाँ अर्थ भी सहकारिता से अर्थात् गौण रूप में व्यजक होता है। सप्रदायप्रकाशनीकार उक्त कारिका की टीका में कहते हैं—“सहकारितया मत' इन शब्दों से मम्मट सूचित करते हैं कि शब्द अथवा अर्थ में से, जिससे प्रामुख्य से व्यजनाव्यापार की प्रतीति होती हो—ध्वनि को तन्मूलक समझना चाहिये। व्यपदेश नित्य प्रधानता के आधार से ही किये जाते हैं। किसी एक का इस प्रकार प्राधान्य होने पर अन्य उसका सहकारी हो जाता है। अतएव यह विभाग उपपन्न होता है” (५)। शब्दशक्तिमूल व्यजना

५. यतः शब्दात् अर्थात् वा प्रामुख्येन व्यजनाव्यापारप्रतीतिः, ध्वनिः तन्मूल इति व्यपदेश्यते। प्राधान्येन व्यपदेशा. भवन्ति। तदितरत् तु तत्र सहकारि इति उपपन्नैव व्यवस्था इति भावः।

में शब्द प्रधान एवम् अर्थ सहकारी होता है, और अर्थशक्तिमूल व्यजना में अर्थ प्रधान एव शब्द सहकारी होता है। मम्मट कहते हैं—

शब्दप्रमाणवेद्योऽर्थो व्यनक्त्यर्थान्तर यत् ।

अर्थस्य व्यजकत्वे तत् शब्दस्य सहकारिता ॥

शब्द से जो अर्थ ज्ञात हुआ है वही यदि अर्थान्तर की प्रतीति कराता है तो अवश्य ही अर्थ की व्यजकता में शब्द की सहकारिता है।

अभिधा और लक्षणा दोनों शब्दवृत्तियाँ हैं। अतएव उनपर आधारित व्यजना शाब्दी व्यजना कहलाती है। उसे शाब्दी व्यजना कहने का एक महत्त्वपूर्ण कारण नागेशभट्ट ने 'उद्योत' में दिया है। नागेश कहते हैं— 'शब्दस्य परिवृत्यसहत्वात् शब्दमूलकत्वेन व्यपदेशः।' व्यजना के अभिधामूल तथा लक्षणामूल भेदों में शब्दों की परिवृत्ति नहीं हो सकती। मूल में प्रयुक्त शब्दों को हटाकर उनके स्थान में पर्याय शब्दों का प्रयोग किया गया तो व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाता है। अभिधामूल व्यजना में शब्दों का अनेकार्थ होना आवश्यक होता है। उनके स्थान में पर्याय शब्दों का प्रयोग किया तो व्यंग्यार्थ नष्ट होगा। उदाहरण के लिए, उपर्युक्त पद्य में 'अबला', 'वारिवाह' तथा 'चपला' इन शब्दों के स्थान में 'स्त्री', 'मेघ', 'विद्युत्' आदि पर्याय शब्दों का प्रयोग करने पर, वहाँ का प्रकृत अर्थ तो बना रहेगा किन्तु व्यंग्यार्थ नष्ट होगा। लक्षणामूल व्यजना में भी शब्दों में परिवृत्ति नहीं हो सकती। 'गगायाम्' शब्द के स्थान 'गगातटे' का प्रयोग करने पर लक्षणा का प्रयोजन ही नष्ट होने से व्यंग्यार्थ भी शेष नहीं रहेगा। साराश, अभिधामूल तथा लक्षणामूल व्यजना में शब्दपरिवृत्ति की संभावना ही न होने से इन भेदों में व्यजना शब्दाश्रित ही होती है— अत एव वह शाब्दी व्यजना है। आर्थी व्यजना में शब्दपरिवृत्ति हो सकती है। मूल शब्द को हटाकर, पर्याय शब्दों का प्रयोग करने पर भी वहाँ व्यजना नष्ट नहीं होती। उदा 'सकेतकालमनसम्' आदि पद्य में मूल शब्द के स्थान पर पर्याय शब्द का प्रयोग करने पर भी व्यजना बनी रहती है। साराश, यहाँ व्यजना शब्दाश्रित न हो कर अर्थाश्रित होती है अत एव यह आर्थी व्यजना है। इस प्रकार यह व्यजनाविभाग उपपन्न होता है। नागेश का दिया हुआ यह कारण बड़ा महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ उन्होंने अन्वय-व्यतिरेक की कसौटी रखी है। दोष, गुण तथा अलकारों के सबन्ध में भी साहित्यशास्त्र का यही निकष होने से साहित्यशास्त्र के सभी क्षेत्रों में वह सुसंगत है।

व्यंग्यार्थ समझने के लिए प्रतिभा आवश्यक है

व्यजना के सबन्ध में और भी एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है। यह नहीं कि हर कोई व्यक्ति व्यंग्यार्थ समझ सकेगा। व्यंग्यार्थ समझने के लिए योग्यता

पक्षधर्मान्वयव्यतिरेकिसहगत विवक्षाया अनुमापकः, तथा प्रतिभाविदग्धपरिचय प्रकरणादिज्ञानसापेक्षो वाचको लक्षकश्च व्यग्यमर्थ ध्वनिशब्दो व्यनक्ति ।

सकेत की सहायता से शब्द वाचक होता है, मुख्यार्थबाध आदि निमित्तो से वह लक्षक होता है, पक्षधर्म-अन्वय-व्यतिरेक-आदि की सहायता से वह अनु-मापक होता है, इसी प्रकार प्रतिभा की विमलता, विदग्धता का परिचय, प्रकरण आदि का ज्ञान आदि की सापेक्षता से वाचक एव लक्षक शब्द व्यग्यार्थ -प्रतिपादक अर्थात् व्यजक होता है। यही व्यापार 'ध्वनि' शब्द से प्रसिद्ध है। सारांश, प्रज्ञा-वैमल्य अर्थात् प्रतिभा की विशदता, तथा वैदग्ध्य के बिना व्यग्यार्थसवेदन की योग्यता ही प्राप्त नहीं होती।

पूर्व लक्षणा के विवेचन में बताया गया है कि नागेश ने शक्ति का प्रसिद्ध तथा अप्रसिद्ध इस प्रकार विभाग किया है। अप्रसिद्ध अर्थ तो सहृदयो को ही ज्ञात होता है, तथा सहृदय विमलप्रतिभा से युक्त होते हैं। वक्ता, प्रकरण आदि की विशेषताएँ समझ लेने के पश्चात् प्रतिभावान् सहृदय की बुद्धि में शब्द से अथवा अर्थ से जो एक सस्कारविशेष प्रतिभा की सहायता से उदित होता है या उसे ज्ञात होता है वह सस्कार-विशेष ही व्यजना है (८)। और अनुभव है कि इस प्रकार की यह सस्काररूप व्यजना सहृदय को शब्द, अर्थ, पद, पदविभाग, वर्ण, रचना, चेष्टा आदि सब में प्रतीत होती है। हम जब कहते हैं—'अनया मृगाक्षया कटाक्षेण अभिप्रायो व्यजित ।' तब हम त्रेष्टा का व्यञ्जकत्व निर्देशित करते हैं। उस समय स्पष्ट होता है कि केवल शब्द ही नहीं, अपितु अर्थ भी व्यजक होता है। काव्य के अध्ययन से अथवा अभिनय के दर्शन से सहृदय की बुद्धि में प्रकाशित होने वाला सस्कार ही व्यजना का अथवा ध्वनि का स्वरूप है। इस सस्कारविशेष की पूर्णता रसप्रतीति में ज्ञात होती है।

यह व्यजनाव्यापार अर्थात् सस्कारविशेष ही काव्यगत शब्दार्थों की विशेषता है। व्यग्यार्थ अथवा ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। इस व्यग्यार्थ का स्वरूप हम अगले अध्याय में देखेंगे।

८. "ननु व्यजना क' पदार्थः उच्यते। मुख्यार्थबाधनिरपेक्ष बोधजनकः, मुख्यार्थसंबन्धा संबंधसाधारणः, प्रसिद्धाप्रसिद्धार्थविषयकः वक्त्रादिवैशिष्ट्यज्ञानप्रतिभाद्युद्बुद्धः संस्कारविशेषो व्यंजना।" -परमल्लभंजुषा।



व्यंग्यार्थ (ध्वनि)

व्यंग्यार्थ — प्रतीयमान — ध्वनि

प्रतिभावान् रसिक को
काव्य मे एक ऐसा अर्थ

प्रतीत होता है जो कि मुख्यार्थ अथवा लक्ष्यार्थ से पूर्णरूपेण भिन्न होता है । यह अर्थ है व्यंग्यार्थ । इस व्यंग्यार्थ ही को पूर्वाचार्यों ने ध्वनि की सजा दी है । यह अर्थ प्रतीतिगम्य होना है इम लिये इसे प्रतीयमान भी कहते हैं । उपमा आदि अलंकार वाच्यार्थ के विलास है । किन्तु इस अलंकार वाच्यार्थ से भिन्न एक रमणीय अर्थ रसिक को महाकवियों के काव्य में प्रतीत होता है । यह रमणीय प्रतीयमान अर्थ ही काव्य की आत्मा है । ध्वनिकार कहते हैं —

योऽर्थं सहृदयश्लाघ्य काव्यात्मेति व्यवस्थितः ।

वाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्मृतौ ॥

तत्र वाच्य प्रसिद्धो य प्रकारैरुपमादिभिः ।

बहुधा व्याकृत सोऽन्यैस्ततो नेह प्रतन्यते ॥

प्रतीयमान पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीपु महाकवीनाम् ।

यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्त विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु ॥

काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा ।

कौञ्चद्वन्द्ववियोगोत्थः शोक श्लोकत्वमागतः ॥

सहृदयो को आकृष्ट करता है इस लिए काव्य के जिस अर्थ को प्राचीन आचार्यों ने काव्य का सारभूत निर्धारित किया है उसके वाच्य और प्रतीयमान ये दो भेद कहे गये हैं । उन दोनों में वाच्यार्थ प्रसिद्ध है एव उपमा आदि प्रकारों से अनेक आचार्यों ने उसका व्याख्यान किया है (इस लिये उसका यहाँ हम विवेचन नहीं करेंगे) किन्तु

जिस प्रकार कामिनी के अवयवसंस्थान से अत्यंत भिन्न लावण्य होता है उसी प्रकार महाकवियों के काव्य में वाच्यार्थ से विलक्षण एक प्रतीयमान वस्तु (अर्थ) रसिकजन को प्रतीत होती है। यह प्रतीयमान अर्थ ही काव्य की आत्मा है। (काव्य में यद्यपि वाच्य और वाच्यार्थ का वैचित्र्यपूर्ण रचनाप्रपंच पाया जाता है तथापि यह प्रतीयमान अर्थ ही काव्य का सारभूत अर्थ है।) उदाहरण के लिए, आदिकवि वाल्मीकि के काव्य में, कौचनामक पक्षियों के जोड़े के वियोग से उत्थित शोक ही (यह मुनि का शोक नहीं है) श्लोक रूप में परिणत हो गया है। रामायण में जो कहरारस प्रतीत होता है उसका यह शोक ही स्थायीभाव है। यह तो ठीक है कि कहरा की यह प्रतीति वाच्यार्थ के द्वारा ही होती है, परन्तु वह वाच्यार्थ से सर्वथा भिन्न तथा स्वतन्त्र है।

महाकवियों के काव्य में प्रतीयमान अर्थ होता है तथा रसिकजनो को वह प्रतीत भी होता है। यह अर्थ स्वसंवित्सिद्ध अर्थात् अनुभवसिद्ध है। इस लिए उसका अस्तित्व कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि महाकवियों की वाणी में जब यह अर्थ स्पष्ट होता है तभी उन कवियों की अलोकसामान्य प्रतिभा भी उसमें प्रकट होती है। महाकवि के काव्य में प्रतीयमान अर्थ का तथा कविप्रतिभा का रसिक को समकाल ही प्रत्यय होता है। ध्वनिकार कहते हैं —

सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु निष्यन्दमाना महता कवीनाम् ।

अलोकसामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्त प्रतिभाविशेषम् ॥

इस प्रतिभाविशेष ही से महाकवि और क्षुद्रकवियों में रसिक भेद कर सकते हैं। वैसे तो ससार में कवि असंख्यात पाये जाते हैं किन्तु कालिदास के समान महाकवि दो तीन या अधिक से अधिक पाँच छः ही मिलेंगे।

इतना ही नहीं कि प्रतीयमान अर्थ वाच्यार्थ से विलक्षण तथा स्वतन्त्र होता है। उसकी प्रतीति होने के लिये रसिक में भी कुछ विशेष योग्यता होना आवश्यक है। अन्यथा केवल शब्दज्ञान ही से वह अर्थ ज्ञात हो जाता। किन्तु ऐसा नहीं होता। केवल वाच्यवाचक के ज्ञान से प्रतीयमान अर्थ प्रतीत नहीं होता; उसे समझने के लिए पाठक का वाच्यार्थतत्त्वज्ञ होना आवश्यक है।

यह प्रतीयमान अर्थ तथा उसके अभिव्यजक शब्द अथवा शब्दसमूह की विशिष्टता होना ही महाकवित्व का गमक है। कवि को महाकवित्व की पदप्राप्ति वाच्य और वाचक के वैचित्र्य से नहीं होती अपितु व्यंग्य और व्यजक के उचित प्रयोग ही से होती है। महाकवियों के काव्य में इस प्रकार व्यंग्यार्थ एव व्यंजक शब्द ही का प्राधान्य होने से, व्यंग्यव्यजकभाव अर्थात् व्यंजनाव्यापार को आप ही प्राधान्य प्राप्त हो जाता है।

हाँ, इतना अवश्य है कि इसके लिये वाच्य और वाचक का कवि को आश्रय

लेना पडता है। महाकवि के काव्य में व्यंग्य और व्यञ्जक का प्राधान्य रहता है अवश्य, किन्तु फिर भी उनका आश्रय वाच्यवाचकभाव ही होता है। इस बात को आनन्द-वर्धन दीपक के दृष्टान्त से विशद करते हैं। हम प्रकाश चाहते हैं। उसके साधन के रूप में हम दीपक का आश्रय करते हैं। दीपक के बिना यदि हमें प्रकाश मिल गया तो दीपक के लिए हम प्रयास नहीं करेंगे। इसी तरह प्रतीयमान अर्थात् व्यंग्य अर्थ के साधन के रूप में महाकवि वाच्य और वाचक का एवं तद्गत सौंदर्यसाधनो का (अलकारो का) आश्रय करता है। वाच्यवाचक के बिना व्यंग्य की प्रतीति नहीं हो सकती इसी लिये उसे वाच्य और वाचक का अवलम्बन करना आवश्यक हो जाता है। व्यंग्य और वाच्य में साध्यसाधनभाव है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वहाँ वाच्य और वाचक का प्राधान्य होता है। व्यंग्य और वाच्य का सबन्ध पदार्थ और वाक्यार्थ के सबन्ध के समान होता है। वाक्यार्थज्ञान पदार्थों के द्वारा ही होता है, किन्तु वाक्यार्थ की दृष्टि से पदार्थों का प्राधान्य नहीं होता। इसी तरह, वाच्यार्थ के द्वारा व्यंग्यार्थ प्रतीत होता है किन्तु व्यंग्यार्थ की दृष्टि से वाच्यार्थ का प्राधान्य नहीं होता। इतना ही नहीं तो आकांक्षा, योग्यता, तथा सन्निधि से अन्वित होकर पदार्थ जब वाक्यार्थ का प्रतिपादन करते हैं, तब वाक्यार्थ की प्रतीति होने के समय पदार्थों का स्वतन्त्र रूप में पृथक् ज्ञान नहीं होता, वैसे ही वाच्यार्थ के द्वारा जब व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है तब वाच्यार्थ का स्वतन्त्र एव पृथक् ज्ञान नहीं होता। पाठक यदि सहृदय हो तो, उसका चित्त व्यंग्यार्थ पर ही एकाग्र होने से वाच्यार्थ का उसे अलग रूप में भान ही नहीं होता एव उसकी प्रज्ञा (तत्त्वार्थदर्शिनी बुद्धि) में व्यंग्यार्थ सहसा अवभासित होता है (१)। महाकवियों के काव्य में वाच्य और वाचक का प्रयोग केवल व्यंग्यार्थ के साधन के रूप में किया जाता है। अतएव व्यंग्यार्थ की दृष्टि से वाच्यवाचक एव तद्गत अलकारो का गौरान्व होता है। इस प्रकार, जिस काव्य में वाचक शब्द एव वाच्य अर्थ गौरव रहते हुए साधन के रूप में, प्रतीयमान अर्थात् व्यंग्य अर्थ को प्रधानता से अभिव्यक्त करते

१. आलोकार्थी यथा दीपशिखायां यत्नवान् जनः ।
 तदुपायतया तद्वदर्थे वाच्ये स आदृतः ॥
 यथा पदार्थद्वारेण वाक्यार्थः संप्रतीयते ।
 वाच्यार्थपूर्विका तद्वत् प्रतिपत्तस्य वस्तुनः ॥
 स्वसामर्थ्यवशेनैव वाक्यार्थ प्रतिपादयन् ।
 यथा व्यापारनिष्पत्तौ पदार्थो न विभाव्यते ॥
 तद्वत् सन्नेतसा सोऽर्थो वाच्यार्थविमुखात्मनाम् ।
 बुद्धौ तत्त्वार्थदर्शिण्यां अटित्येवावभासते ।

है उस काव्यविशेष को 'ध्वनि' अथवा 'ध्वनिकाव्य' की सज्ञा दी जाती है। ध्वनिकार कहते हैं—

यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थो ।

व्यङ्ग्यत्, काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभि कथित ॥

ध्वनि का अर्थात् प्रतीयमान अर्थ का विस्तरश विवेचन आनन्दवर्धन के 'ध्वन्यालोक' नामक ग्रन्थ में किया गया है। इस ग्रन्थ पर अभिनवगुप्त की 'लोचन'-नामक टीका है। इस ग्रन्थ का तथा टीका का अध्ययन किये बिना साहित्यशास्त्र का अध्ययन पूरा नहीं होता। इस ग्रन्थ का सार भी यहाँ देना असंभव है। म म पा. वा काणे महोदय ने अपने साहित्यशास्त्र के इतिहास में इस ग्रन्थ का परिचय दिया है, उसे जिज्ञासु देखे। जो साहित्यशास्त्र में कुछ गति चाहते हैं उनके लिये मूल 'ध्वन्यालोक' तथा 'लोचन' टीका का अध्ययन नितान्त आवश्यक है।

लौकिक तथा अलौकिक ध्वनि

थोड़ा ध्यान देने से प्रतीयमान अर्थ की कुछ विशेषताएँ स्पष्ट हो जायँगी। पद्य के द्वारा सूचित होनेवाले व्यंग्य अर्थ का कभी कभी ऐसा रूप होता है कि यदि हम चाहे तो उसे वाच्य अर्थ के रूप में भी प्रकाशित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए—

जीविताशा बलवती धनाशा दुर्वला मम ।

गच्छ वा तिष्ठ वा कान्त स्वावस्था तु निवेदिता ॥

यहाँ नायिका पति से कहती है— 'आप यात्रा जाएँ या न जाएँ।' यह वाच्यार्थ विधिरूप भी नहीं है और प्रतिपेधरूप भी नहीं है। किन्तु इसमें अभिप्राय अर्थात् सूचित अर्थ है— "आप यात्रा न जाएँ।" और यह अर्थ निपेधरूप ही है। नायिका यदि चाहती तो इस अर्थ को शब्दों द्वारा स्पष्ट रूप में कह सकती थी। इसी प्रकार—

गुजन्ति मंजु परित्. गत्वा धावन्ति समुखम् ।

आवर्तन्ते निवर्तन्ते सरसीषु मधुव्रता. ॥

यहाँ वाच्यार्थ है— भ्रमर गुजारव करते हुए सरोवर की ओर जा रहे हैं और वहाँ से लौट रहे हैं। किन्तु इससे सूचित किया है कि कमलो कि उत्पत्ति का समय समीप आया है तथा इसके द्वारा सूचित किया है शरद् ऋतु का आगमन। इस अभिप्राय को कवि स्पष्ट रूप में शब्दों द्वारा भी बता सकता था।

इस प्रकार अनेकश व्यंग्य अर्थ का अभिधान वाच्य अर्थ के रूप में किया जा सकता है। इस प्रकार के व्यंग्य को 'लौकिक व्यंग्य' की सज्ञा है। यहाँ 'लौकिक' पद का अर्थ है 'शब्दों के द्वारा जो वाच्य हो सकता है'। किन्तु व्यंग्य अर्थ का और भी एक भेद है जो इससे विलक्षण है। वह व्यंग्यार्थ कभी शब्दों द्वारा वाच्य नहीं हो सकता। उदाहरण के लिये—

इस एक ही पद में कितना अर्थ भर दिया है। 'यह कैसा पागलपन ! कुछ तो समय का ध्यान रखना चाहिये।' इस रूप में कोप (अमर्ष) एवं उस कोप में भी नायिका की सुदरता निखर उठती है। इस लिए नायक को होनेवाला आनन्द एवं इन दोनों भावों के सयोग के द्वारा प्रतीत होनेवाली उन दपती की प्रीति रसिक के आस्वाद का विषय होती है। इस आस्वाद प्रत्यय का वर्णन, 'उसने क्रोध से मेरी ओर वक्र-दृष्टि से देखा।' आदि शब्दों से सर्वथा असंभव है। सारांश, उपर्युक्त दो पद्यों में जो व्यंग्यार्थ है वह स्वशब्द से वाच्य नहीं हो सकता, वह तो आस्वाद-प्रतीति का ही विषय है। इस प्रकार के व्यंग्यार्थ को 'अलौकिक व्यंग्य' कहते हैं।

व्यंग्यार्थ के लौकिक और अलौकिक इस प्रकार दो भेद ऊपर बताये जा चुके हैं। इन दोनों में भेद यह है कि लौकिक व्यंग्य स्वशब्दवाच्य होता है, और अलौकिक व्यंग्य के स्वशब्दवाच्य होने की स्वप्न में भी कल्पना नहीं की जा सकती। लौकिक अर्थात् स्वशब्दवाच्य व्यंग्य के भी दो भेद होते हैं। उपर्युक्त 'जीविताशा बलवती' या 'गुजन्ति मज्जु परितः।' आदि दोनों उदाहरणों में व्यंग्य केवल वस्तुस्वरूप है। इसके अतिरिक्त कई बार व्यंग्यार्थ वैचित्र्यपूर्ण भी हो सकता है। उदाहरण के लिए—

सहि विरड्ऊण मारुस्स मज्झु धीरत्तोरण आसासम् ।

पिअदसण विहलखलखणम्मि सहसति तेण ओसरिअम् ॥


"सखि, उस समय तुमने मेरा धीरज बधाया। उम धीरज के बल पर मैं प्रियतम से रूठ गयी। सोचा कि रूठन निभाने में तुम्हारी बात सहाय्यक होगी। किन्तु प्रियतम के दर्शन से मन में जब उतावली होने लगी तो तुम्हारा बन्धाया धीरज पता नहीं कहाँ भाग खडा हुआ।" 'प्रियतम के मनाने के पूर्व ही वह प्रसन्न हो गयी' इस प्रकार की विभावना यहाँ सूचित हो रही है। अथवा —

दयिते वदनत्विषां मिषात्, अयि तेऽमी विलसन्ति केसरा ।

अपि चालकवेषधारिणो मकरन्दस्पृह्यालवोऽजय. ॥

"प्रिये, तुम्हारी दन्तप्रभा के व्याज से यह केसर ही शोभायमान हो रहे हैं। और कृष्णवर्णा अलको का वेष धारण किये ये अमर ही मधुपान के लिये उत्कण्ठित हुए हैं।" इस पद्य के वाच्यार्थ में अपह्नुति अलंकार है। तथा इस पर से 'तुम युवती न हो कर कमलिनी हो' इस प्रकार का और एक अपह्नुति अलंकार सूचित हुआ है। इस प्रकार व्यंग्यार्थ वैचित्र्यपूर्ण भी हो सकता है। यह भी व्यंग्यार्थ का 'लौकिक' भेद है। क्योंकि, चाहे तो इसे वाच्यरूप में रख सकते हैं। उपर्युक्त संपूर्ण विवेचन पर ध्यान देने से प्रतीयमान अर्थात् व्यंग्यार्थ के कुल भेद निम्न रूप में दर्शाये जा सकते हैं —

प्रतीयमान अर्थात् व्यंग्यार्थ



प्रतीयमान के अविचित्र, विचित्र तथा अलौकिक इन भेदों को ही ध्वन्यालोक एवम् अन्य साहित्य ग्रंथों में क्रमशः वस्तुध्वनि, अलंकारध्वनि तथा रसादिध्वनि की सज्ञाओं से निर्देशित किया गया है। ध्वनि के ये तीनों भेद क्या हैं यह अभिनवगुप्त ने 'लोचन' में इस प्रकार विशद रूप में समझाया है —

“प्रतीयमान के दो भेद होते हैं। एक भेद है लौकिक और दूसरा भेद है मात्र काव्यव्यापारही के (व्यजनाव्यापार ही के) द्वारा गोचर होने वाला। प्रतीयमान का लौकिक भेद कई बार स्वशब्द से भी वाच्य हो सकता है। उसके विधि, निषेध आदि अनेक भेद होते हैं एव 'वस्तु' शब्द से वह बताया जाता है। एक भेद यह है कि यदि व्यंग्यार्थ को वाच्यार्थ का रूप दिया गया अर्थात् सूचित अर्थ को शब्दों से स्पष्ट रूप में कथन किया तो उसे अलंकार का रूप प्राप्त होता है। दूसरा भेद यह है कि उस व्यंग्यार्थ को वाच्यार्थ के रूप में लाया भी तो उसे अलंकार का रूप प्राप्त नहीं होता, वह केवल वस्तुरूप ही रहता है। इनमें से पहले को 'अलंकारध्वनि' कहते हैं एव दूसरे को 'वस्तुमात्र' अर्थात् 'वस्तुध्वनि' कहते हैं। प्रतीयमान का वह भेद जो कि काव्यव्यापारगोचर बताया गया है वह स्वप्न में भी स्वशब्दवाच्य नहीं होता। वह वाच्यार्थ की अवस्था में आ ही नहीं सकता। उसका स्वरूप लौकिक व्यवहार की मर्यादा में भी नहीं आता (लौकिक सुखदुःखों का वह विषय नहीं होता)। प्रत्युत, काव्यगत गुणालंकार संस्कृत शब्दों द्वारा रसिक में हृदयसंवाद उत्पन्न होता है, उसमें रसिक को विभाव, अनुभाव आदि का सौंदर्य प्रतीत होता है; उस प्रत्यय के साथ ही उन विभावानुभावों के लिए उचित तथा रसिक के मन में पूर्वनिविष्ट रति आदि वासनाओं का जो धीरे से उद्बोध होता है उस उद्बोध का सौंदर्य भी उसे प्रतीत होता है; एवं रसिक की सवित् सुकुमार अर्थात् चर्वणायोग्य होकर रसिक के आनन्दमय चर्वणाव्यापार ही के कारण वह अर्थ आस्वादीय अर्थात् रसनीय होता है। इस प्रकार यह काव्यार्थ, मात्र काव्यव्यापार ही से अर्थात् व्यंजनाव्यापार ही से गोचर होता है; शब्दों से वह गोचर नहीं होता। इस प्रकार

का, काव्यव्यापार ही से गोचर होने वाला यह अर्थ ही रसध्वनि (रसादिध्वनि) है। यह अर्थ ध्वनित ही होता है; वाच्य नहीं होता। अतएव यह व्यजनाव्यापार ही का — जोकि केवल काव्य ही में पाया जाता है — विषय होता है। अन्य किसी भी व्यापार का यह विषय नहीं होता। अतएव रसादिध्वनि ही मुख्यतया काव्यात्मा है।” (२)

संलक्ष्यक्रम तथा असलक्ष्यक्रम

एक ओर रसादिध्वनि (अलौकिक) और दूसरी ओर वस्तु तथा अलंकारध्वनि इन दोनों में एक और भेद है। वह यह कि रसादिध्वनि की सहसा प्रतीति होती है। अर्थात् जिन विभाव, अनुभाव आदि के द्वारा रसादि प्रतीति होती है उन विभाव, अनुभाव आदि का क्रम रसिक के ध्यान में नहीं आता। अतएव रसादिध्वनि को असंलक्ष्यक्रमध्वनि कहा जाता है। इसके विपरीत, जब वस्तु अथवा अलंकार ध्वनित होते हैं तब जिस क्रम से वे ध्वनित होते हैं वह क्रम हमारे ध्यान में आ जाता है। अतएव साहित्यशास्त्र में उन्हें संलक्ष्यक्रमध्वनि की संज्ञा दी गयी है। रसादिध्वनि में भी विभाव आदि का क्रम तो होता ही है, यह बात नहीं कि नहीं होता, केवल यही है कि रसिक को वह प्रतीत नहीं होता।

२. प्रतीयमानस्य तावद् द्वौ भेदौ — लौकिक, काव्यव्यापारैकगोचरश्चेति। लौकिक, य. स्वशब्दवाच्यतां कदाचिदधिदेशेते, स च विधिनिषेधाद्यनेकप्रकारो वस्तुशब्देनोच्यते। सोऽपि द्विविधः—य. पूर्वं कापि वाक्यार्थे अलंकारभावसुपमादिरूपतयान्वभूत्, इदानीं तु अनलंकाररूप एवान्यत्र गुणीभावाभावात्, स पूर्वं प्रत्यभिज्ञानबलात् अलंकारध्वनिरिति व्यपदिश्यते ब्राह्मणश्रमणन्यायेन। तद्रूपताभावेन तूपलक्षितं वस्तुमात्रमुच्यते। मात्रग्रहणेन हि रूपान्तरं निराकृतम्। यस्तु स्वप्नेऽपि न स्वशब्दवाच्यं, न लौकिकव्यवहारपतितं, किन्तु शब्दसमर्प्यमाणहृदयसवादसुन्दरविभानुभावसमुचितप्राग्विनिविष्टरत्यादिवासनानुरागसुकुमारस्वसविदानन्दचर्वणाव्यापाररसनीयरूपः रस, स काव्यव्यापारैकगोचर. रसध्वनि. इति। स च ध्वनिरेवेति, स एव मुख्यतया आत्मा इति।

ब्राह्मणश्रमणन्याय — कोई ब्राह्मण यदि बौद्धसंन्यासी (श्रमण) हो गया तब वह शिखा-सूत्र त्याग करता है। किन्तु यह शिखासूत्रत्याग विधिपूर्वक न होने से उसके श्रमणत्व को भी ब्राह्मणत्व लगा रहता है। एवं वह ब्राह्मणश्रमण के नाम से पहचाना जाता है। अलंकारध्वनि का भी ऐसा ही है। अलंकारत्व वास्तव में वाच्यार्थ का धर्म है, ध्वन्यर्थ का नहीं। जिसे हम अलंकारध्वनि कहते हैं वह ध्वन्यर्थ ध्वन्यर्थ स्वरूप में वस्तुमात्र ही होता है। किन्तु वाच्यार्थ-स्वरूप में उसे अलंकारत्व प्राप्त होने से, वह अलंकारत्व ध्वन्यर्थरूप में भी उसे पूर्वप्रत्यभिज्ञा के कारण प्राप्त होता है। यह ठीक उस बौद्धश्रमण के समान है जिसका कि पहला ब्राह्मणत्व अब भी माना जाता है। इस लिये, व्यंग्यार्थावस्था में जो अर्थ वस्तुस्वरूप होता है उसे, उसका वाच्यार्थावस्था में जो अलंकारत्व था वह प्राप्त होता है और उस व्यंग्यार्थ को ‘अलंकारध्वनि’ की संज्ञा दी जाती है।

की स्तुति है अत एव उपर्युक्त अर्थ इस पद्य का वाच्यार्थ है। किन्तु इस पद्य को पढ़ते पढ़ते, रसिक के मन में दूसरा भी एक अर्थ तरंगित होता है — " किसी प्रकार की (तूलिका, रंग आदि) उपकरण-सामग्री न लेते हुए, विना किसी आधार के ही (अभित्ति) जो जगत् का चित्र अंकित करते हैं उन-कलाकारों के लिये भी श्लाघ्य भगवान् शिवजी को नमस्कार है। " यह व्यंग्यार्थ है क्योंकि इस पद्य में शब्दों की अभिधाशक्ति पहले ही वाच्य अर्थ में सीमित होने से यह दूसरा अर्थ व्यंजनाव्यापार से ही प्रतीत होगा। यह व्यंग्यार्थ ध्यान में आते ही अन्य सामान्य चित्रकारों की अपेक्षा यह चित्रकार (शिवजी) श्रेष्ठ है इस प्रकार व्यतिरेक ध्वनित होता है। इस प्रकार इस पद्य में वाच्यार्थ अन्ततोगत्वा व्यतिरेक ध्वनि में विश्रान्त हुआ है। जिस क्रम से वह विश्रान्त हुआ है वह क्रम भी रसिक को प्रतीत होता है इस लिये यह 'संलक्ष्यक्रमध्वनि' है। संलक्ष्यक्रमध्वनि में वाच्यार्थ से जब व्यंग्यार्थ प्रतीत होता है तो एक के पीछे एक अर्थबलय — व्यंग्यार्थ के — उत्पन्न होते रहते हैं। घटानाद के समय पहले आघात के साथ एक ध्वनि होता है और तत्पश्चात् देर तक उसीके अनुनाद सुनायी देते हैं। ऐसा ही संलक्ष्यक्रम ध्वन्यर्थ का भी होता है। अतएव उसे 'अनुस्वान' अथवा 'अनुरणन' ध्वनि भी कहा गया है। यह अनुस्वानरूप व्यंग्यार्थ प्रतीति शब्दशक्ति तथा अर्थशक्ति के कारण अनेक प्रकारों की पायी जाती है, अत एव साहित्यशास्त्र में इस ध्वनिप्रकार के अनेक उपप्रकार बताये गये हैं।

रसादि ध्वनि क्वचित् संलक्ष्यक्रम भी हो सकता है

रसादिध्वनि की प्रतीति में इस प्रकार का क्रम ध्यान में नहीं आता। वहाँ भी क्रम तो होता ही है; यह बात नहीं कि नहीं होता किन्तु इतना ही है कि रस-प्रतीति के समय उस क्रम की प्रतीति नहीं होती। यहाँ एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिये, रसप्रतीति एक अलग बात है और रसप्रतीति किस प्रकार हुई इसकी विवेचना एक अलग बात है। हम किसी काव्य को पढ़ते हैं तो पठन के सम-काल ही जिसका अनुभव होता है वह आनन्दप्रतीति ही रसप्रतीति है। किन्तु यह रसप्रतीति किस प्रकार हुई इस बात का जब हम विचार करते हैं अथवा व्याख्यान करते हैं तब वह रसप्रतीति का विवेचन होता है। साक्षात् रसास्वाद के समय जिसकी ओर हमारा ध्यान नहीं था किन्तु जो वास्तव में वहाँ विद्यमान था उस क्रम को हम ऐसे विवेचन में विशद करते हैं। यह विवेचन ध्वनि नहीं है। अनुभूत ध्वनि का वह विवेचन है। रसादि ध्वनि असंलक्ष्यक्रम है, किन्तु कभी प्रसंगवश वह संलक्ष्यक्रम भी हो सकता है। उदाहरण के लिये पार्वतीजी की मँगनी के लिये शिवजी की ओर से सप्तर्षि हिमालय के निकट पहुँचे और यथाविधि उन्होंने विवाह

ही होता है !' किन्तु जगन्नाथ ने उपर्युक्त प्रकार से रसादि का सलक्ष्यक्रमत्व भी दर्शाया है। आनन्दवर्धन ने इस प्रकार के ध्वनि को अर्थशक्त्युद्भवध्वनि का प्रकार बताया है, और कहा है कि जहाँ विभावादि की साक्षात् शब्दप्रतीति द्वारा रसादि प्रतीति होती है वहाँ असलक्ष्यक्रम होता है। इसका अर्थ यह होता है कि रसभावादि अर्थ नित्य ध्वनित ही होते हैं, वे कभी वाच्य नहीं होते, किन्तु ऐसा भी नहीं है कि वे सब अलक्ष्यक्रम ही होते हैं। जहाँ विभावादि से ऋटिति प्रत्यय होता है वहाँ रसादि अलक्ष्यक्रम होता है; किन्तु जहाँ प्रकरण आदि के अनुस्मरण से रसादि प्रतीति होती है वहाँ तो क्रमव्यग्यता ही होती है। ऐसा अभिनवगुप्त ने इस पर कहा है। जिज्ञासु ' ध्वन्यालोक ' २।२२ पर मूल लोचन देखें।

ध्वनि के भेद

व्यंजनाव्यापार तथा ध्वनि का यहाँ तक भिन्नभिन्न दृष्टियों से किया हुआ विवेचन अब एकत्रित करे। सर्वप्रथम ध्वनि का विभाग हमने लक्षणामूल ध्वनि तथा व्यंजनामूल ध्वनि इस प्रकार किया। यह विचार वाच्यदृष्टि से किया गया है। लक्षणामूल मे वाच्यार्थ विवक्षित ही नहीं होता। इस लिये उसे ' **अविवक्षितवाच्य** ' भी कहते हैं। अभिधामूल ध्वनि मे वाच्य विवक्षित होता है। परन्तु उसका पर्यवसान व्यग्यप्रतीति मे होता है। अतएव उसे ' **विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि** ' भी कहा जाता है। ध्वनि का दूसरा विभाग अभिव्यक्ति के भेद से किया गया है। व्यग्यार्थ जब अभिव्यक्त होता है तब उस अभिव्यक्तिव्यापार में जो क्रम है वह या तो ध्यान में आयेगा या नहीं आयेगा। इस दृष्टि से ध्वनि के दो भेद होते हैं— ' **सलक्ष्यक्रमध्वनि** ' तथा ' **असलक्ष्यक्रमध्वनि** '। ध्वनि का तीसरा विभाग व्यजक मुख से होता है। ध्वनि या तो ' **शब्दशक्तिमूल** ' होगा (उदा भद्रात्मनो इ) या ' **अर्थशक्तिमूल** ' होगा (उदा सकेतकालमनसम् इ) या ' **उभयशक्तिमूल** (शब्दार्थ-शक्तिमूल) ' होगा (५) ध्वनि का अन्तिम विभाग व्यग्यमुख से होता है। इस दृष्टि

५. उभयशक्तिमूल या शब्दार्थशक्तिमूल ध्वनिका उदाहरण—

अतन्द्रचन्द्राभरणा समुद्दीपितमन्मथा।


तारकातरला श्यामा सानन्दं न करोति कम् ॥

यहाँ रात्रिवर्णन से अभिप्राय है। इस लिये इस पद्य का वाच्यार्थ है—“स्वच्छ चन्द्रमा जिसका आभूषण है, जो कामवृत्ति को उदीपित करता है एवं जो विरल तारिकाओं से युक्त है ऐसी यह चाँदनी की रात्रि (श्यामा) किसे हर्षित नहीं कर देगी ?” इस वाच्यार्थ के साथ ही निम्न व्यंग्यार्थ भी रसिक के मन में तरंगित होता है—“विलास के लिये तत्पर चन्द्रभूषण से (चन्द्रहार से) अलंकृत, आनन्द से युक्त (समुद्), कामवृत्ति को जगा देने वाली (दीपितमन्मथा), एवं चंचल दृष्टि से युक्त (तारकातरला) युवती (श्यामा) किसे हर्षित नहीं कर देगी ?”

(शेष अगले पृष्ठ पर)

से ध्वनि के तीन भेद होते हैं — 'वस्तुध्वनि', 'अलंकारध्वनि' और 'रसादिध्वनि'। इस प्रकार वाच्यमुख से, व्यजनाव्यापारमुख से, व्यजकमुख से तथा व्यग्यमुख से ध्वनि के विभाग कैसे किये जाते हैं यह हमने देखा। इन सब विभागों का एकत्र करने से ध्वनि के कुल प्रकार पृ. २२३ पर दी हुई सूचि के अनुसार होंगे।

गत अध्याय में व्यजना के प्रकारों की सूचि दी गई है। उस सूचि के अनुसार उपर्युक्त ध्वनिभेद निम्न रूप में दर्शाये जा सकते हैं।



ध्वनि के तीन भेद हैं — वस्तुध्वनि, अलंकारध्वनि तथा रसादिध्वनि। शब्द तथा अर्थ व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करते हैं अतएव वे व्यंजक हैं। शब्द तथा अर्थ में जो व्यंजनाव्यापार होता है उसके द्वारा ये ध्वन्यर्थ अभिव्यक्त होते हैं, अत एव

(पृष्ठ २२० से)

यहाँ चन्द्र, समुद्दीपित, तारका, तथा श्यामा इन शब्दों की परिवृत्ति नहीं हो सकती अत एव शाब्दी व्यंजना है; तथा अन्य शब्दों की परिवृत्ति हो सकती है अत एव आर्थी व्यंजना है। इस लिये यह उभयशक्तिमूलव्यंजना का उदाहरण है। यहाँ वस्तुवर्णन के द्वारा उपमालंकार ध्वनित हुआ है। हेमचन्द्र 'उभयशक्तिमूल' भेद स्वीकार नहीं करते। वे इस भेद का अन्तर्भाव 'शब्द-शक्तिमूल ध्वनि' में ही करते हैं।

व्यजक की दृष्टि से देखा जाय तो प्रतीत होता है कि शब्दशक्तिमूल ध्वनि तथा अर्थशक्तिमूल ध्वनि के दोनो भेद पद तथा वाक्य दोनों के द्वारा प्रकाशित हो सकते हैं। प्रत्युत उभयशक्तिमूल ध्वनि वाक्यगत ही हो सकता है, पदगत नहीं। कारण यह है कि उभयशक्तिमूल ध्वनि में पदों के 'परिवृत्तिसहत्व' तथा 'परिवृत्त्यसहत्व' के दोनो धर्म होते हैं, एव वे दोनो धर्म परस्पर विरोधी होते हैं, इस लिये वे एक ही पद में एक साथ नहीं रह सकते। अर्थशक्तिमूल ध्वनि पद और वाक्य के समान प्रवच के द्वारा भी अभिव्यक्त हो सकता है। प्रबन्ध का अर्थ है अनेक वाक्यों का प्रकरण रूप या ग्रन्थरूप समुदाय। अत एव सम्पूर्ण प्रकरण या ग्रन्थ भी अर्थशक्तिमूल ध्वनि का व्यजक हो सकता है। उदाहरण के लिये महाभारत से निम्न प्रसंग देखिये —

किसी ब्राह्मण के बहुत काल बीतने पर लडका उत्पन्न हुआ। माता-पिता का उस पुत्र से बहुत ही प्यार हो गया। किन्तु दुर्भाग्य वश उस बालक की अकस्मात् मृत्यु हो गयी। उस ब्राह्मण के बन्धुबान्धव आये और बालक की मृत देह स्मशान में ले गये। ब्राह्मण भी उनके साथ गया। स्मशान में शव के समीप बैठ कर शोक करते हुए उन लोगों को देख कर स्मशानवासी गीध उनके पास आया और बोला —

“अल स्थित्वा स्मशानेऽस्मिन् गृध्रगोमायुसकुले ।
ककालबहले घोरे सर्वप्राणिभयकरे ॥
न चेह जीवित कश्चित् कालधर्ममुपागतः ।
प्रियो वा यदि वा द्वेष्यो प्राणिनां गतिरीदृशी ॥

“सज्जनों, यहाँ गीध, सियार आदि जन्तु नित्य रहते हैं। जिधर देखो हड्डियाँ ही हड्डियाँ फैली हुई हैं। ऐसे इस भयानक स्थान में आप लोगों के ठहरने से क्या लाभ ? यह बालक कदाचित् जीवित होगा इस आशा से यदि आप लोग यहाँ ठहरे हैं तब यह व्यर्थ है। मृत जन्तु कभी जीवित भी हुआ है ? क्या प्रियजन, क्या द्वेष्य, सब प्राणियों की अन्त में यही गति होनेवाली है।”

गीध की बात को मानकर वे लोग लौट जाने की सोच ही रहे थे कि एक सियार उनके पास आया और कहने लगा —

“आदित्योऽयं स्थितो मूढाः स्नेहं कुरुत साप्रतम् ।
बहुविघ्नो मुहूर्तोऽयं जीवेदपि कदाचन ॥
अमु कनकवर्णां बालमप्राप्तयौवनम् ।
गृध्रवाक्यात् कथं मूढाः त्यजध्वमविशंकिताः ॥

न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरय , तत्राप्यसौ तापसः
 सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुल, जीवत्यहो रावणः ।
 धिक् धिक् शक्रजित, प्रबोधितवता कि कुम्भकर्णो वा
 स्वर्गप्रार्थिकाविलुण्ठनवृथोच्छूनैः किमेभिर्भुजैः ॥ (७)

इस पद्य में पदों की व्यञ्जकता की विविधता चरम सीमा पर है। 'पहले तो मेरे कोई शत्रु हो' यही अनुचित है। इस अनुचित सम्बन्ध से क्रोध का आविर्भाव व्यक्त होता है। तिसपर 'अरय.' इस बहुवचन से तो वह और अधिक व्यक्त होता है। रावण का वास्तव में तो कोई शत्रु ही नहीं होना चाहिये और यदि हो भी तो एक आध ही हो सकता है, किन्तु यहाँ तो अनेक शत्रु खड़े हो गये हैं। अच्छा, शत्रु हो तो कम से कम तुल्यबल तो हो, वह भी नहीं। यहाँ तो शत्रु केवल तापस है। 'तापस' शब्द से दर्शाया है कि उसके पास मात्र तप है, पराक्रम नहीं। 'इस पराक्रमहीन तापस ने राक्षसों का सहार करना यह भी अनुचित है। और इसमें भी अचभे की बात यह है कि मेरी अपनी नगरी में आकर सारे राक्षस कुल का नाश करना। और यह सब मैं रावण देखता रहूँ।' इस दूसरे चरण में तो क्रियापद और कारक शक्तियों की ही व्यञ्जकता है। 'अहो' इस एक ही अव्यय के द्वारा, असम्भवनीय घटनाएँ कैसी हो रही हैं इस पर रावण का खेदसहित आश्चर्य व्यक्त हो रहा है। 'रावण' इस पद में तो अर्थान्तरसंक्रमितध्वनि ही है। इसका यहाँ अर्थ है—'त्रिभुवन पर धाक जमाने वाला तानाशाह'। शक्रजित् का अर्थ है साक्षात् देवराज इन्द्र को जीतने वाला मेघनाद; किन्तु वह भी अब कुछ करने में समर्थ नहीं हो रहा; उसकी 'शक्रजित्' की उपाधि से क्या लाभ ?

इतना सारा अर्थ 'धिक्' इस एक शब्द में समाया है। और अन्तिम चरण से यह बात अभिव्यक्त हो रही है कि स्वर्ग पर विजय पाने से रावण को जो गर्व हुआ था वह भी व्यर्थ हो कर रावण की सारी बड़ाई अब मटियामेट हो गयी है। इस प्रकार इस छन्द को तिलशः खण्डित करने पर भी प्रत्येक खण्ड से सूक्ष्माति-सूक्ष्म अर्थ ध्वनित होता है, एव रावण का अमर्ष, अपने विषय में तिरस्कार, इन्द्र-जित के सम्बन्ध में निराशा आदि अनेक भाव द्योतित होते हैं तथा इन सब के द्वारा

७. रावण कहता है— लज्जा तो इस बात पर है कि मेरे भी शत्रु हों; तिस पर भी वह तापस हों; वह तापस यहाँ— इस लंका में— राक्षस कुल का संहार आरंभ करें, और यह सब देखता हुआ मैं रावण जीवित रहूँ। धिक्कार है इन्द्रजित् को। कुम्भकर्ण को जगाने से भी क्या लाभ है? और स्वर्ग को एक क्षुद्र ग्राम मात्र समझ कर लूट लिया इस पर मेरी इन बीस मुजाबों को भी व्यर्थ का गर्व क्यों हो ?

- रावरागत क्रोध का क्रमशः बढ़ती मात्रा में उद्दीपन होता दिखायी दे रहा है । आनन्दवर्धन का अभिप्राय है कि, “ इस पद्य में अलौकिक ‘ बन्धच्छाया ’ अर्थात् रचनासौंदर्य है तथा इस प्रकार की रचना केवल प्रतिभावान् कवि ही कर सकते हैं । ”

अतिक्रान्तमुखा. काला प्रत्युपस्थितदारुणाः ।

श्वः श्व. पापीयदिवसा पृथिवी गतयौवना ॥

महर्षि व्याम के इस छन्द मे भी एक एक पद में निर्वेद की अभिव्यक्ति की बहार है । कोई भी काल लें, उस काल में सुख तो नष्ट हुआ ही प्रतीत होगा (अतिक्रान्त), और दु ख तो नित्य ही उपस्थित पाया जायगा (प्रत्युपस्थित) भविष्य की कुछ आशा करें, तो ‘ कल ’ का अनुभव ‘ आज ’ से भी अधिक पापयुक्त प्रतीत होता है और लगता है कि गया दिन सो अच्छा गया, वह भी फिर नहीं आवेगा (गतयौवना) और फिर पुरुष का विरक्ति की ओर मन बढ़ता है । यह सम्पूर्ण अर्थ इस पद्य मे केवल भूतकालवाचक पदों द्वारा आया है । ‘ पापीयस् ’ पद से प्रतिदिन दु ख बढ़ता ही रहा है यह सूचित किया गया है एवं ‘ गतयौवना ’ पद से अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि के द्वारा ‘ समार मे किसी विषय में अभिलाषा नहीं रही ’ यह सूचित करते हुए शान्तरस की ओर रसिक को अभिमुख किया गया है । प्रतिभाशाली कवि के एक एक शब्द से भाव कैसे अभिव्यक्त होते हैं यह इसने स्पष्ट होगा ।

वाक्य की रसादिव्यञ्जकता

वाक्य की रसव्यञ्जकता तो हमारे नित्य परिचय की है । ‘ काव्यप्रकाश ’ आदि अलंकार ग्रन्थों मे रसादि के उदाहरण स्वरूप जो छन्द दिये जाते हैं वे वाक्य की रसव्यञ्जकता ही दर्शाते हैं । इन छन्दों के वाच्यार्थ से विभाव अनुभाव आदि का प्रत्यक्षवत् चित्र उपस्थित होता है, एव तद्द्वारा रसभावाभिव्यक्ति होती है । इस के उदाहरण अनेक हैं । दिङ्मात्र उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं—

(१) भावध्वनि का उदाहरण—

एकस्मिन् गयने पराङ्मुखतया वीतोत्तर ताम्यतो—
रन्योन्य हृदयस्थितेऽप्यनुनये सरक्षतोर्गौरवम् ।
दम्पत्यो. शनकैपाङ्गवलनान्मिश्रीभवच्चक्षुषो—
मंग्नो मानकलिः सहासरभसव्यावृत्तकण्ठग्रहम् ॥

पतिपत्नी दोनों एक शय्या पर पड़े हैं। आपस में कुछ हुआ, बात बढ गयी, एक दूसरे से मुँह मोड़ लिया है। मन मे तो चैन नही। एक दूसरे को मनाने का दोनो के मन में तो है, किन्तु 'मे ही पहले क्यो कर कुछ कहूँ' यह मान रोक रहा है। धीरे धीरे एक दूसरे को देखने लगे हैं। एक देखता है, दूसरा आराम से लेटा हुआ है, दृष्टि हटा लेता है। ऐसा ही क्रम चलता रहा। और अचानक दृष्टि का मिलन हुआ कि उनका मानकलि पूर्ण रूप से नष्ट हुआ और उसी क्षण हँसते हँसते दोनो ने एक दूसरे को गाढ आलिंगन में कस लिया। — यहाँ शृंगार तो है ही; किन्तु शृंगार में भी प्रणयकोप का प्रशम अधिक चमत्कारी है। अत एव यह भावध्वनि है। यह भाव यहाँ अनुभव द्वारा प्रकट हुआ है। जिनका परस्पर गाढ अनुराग होता है उनसे अल्प विरह भी नही सहा जाता। यहाँ कोप से उत्पन्न विरह तो कुछ क्षणो ही का था। किन्तु वह भी उनके लिये असहनीय हो गया (केवल शरीर के दूर होने ही से विरह नही होता, शरीर समीप हो कर यदि मन मे दूरीभाव हो तो वह भी विरह है।) विप्रलब तथा संभोग के दोनो प्रकार एकचित्र होने से काव्य की चारुता बढती है इसका यह छन्द एक अच्छा उदाहरण है। विप्रलब से संभोग की आसक्ति नही रहती है। अभिलषणीय वस्तु यदि सहजलभ्य हो तो उसके लिये कोई आसक्ति नही रहती। और यदि आसक्ति न रही, तो रस की क्या बात? ठीक ही कहा है कि 'कामो वामः' होता है।

(२) भावसधि का उदाहरण

यौवनोद्गमनितान्तशङ्किता

शीलशौर्यबलकान्तिलोभिताः ।

सकुचन्ति विकसन्ति राघवे

जानकीनयननीरजश्रिय ॥

रामचन्द्र का लोकोत्तर यौवन देख सीता की दृष्टि शक्ति होती थी और शील, शौर्य, बल, तथा कान्ति देख उनकी दृष्टि लुब्ध होती थी। जानकी के नयन-कमलों की शोभा इस प्रकार एक साथ ही सकुचित तथा विकसित होती थी। यहाँ रामचन्द्र का यौवन, शील, शौर्य आदि का दर्शन यह विभाव है। तथा सीता के नेत्रों का सकोच तथा विकास अनुभाव है। इन के द्वारा क्रीडा तथा औत्सुक्य इन दोनो भावो की सधि बड़े ही मनीहर रूप में अभिव्यक्त हो रही है।

देखते ही बनता है। इसी लिये तो नायिका उसको बड़े विश्वास (विस्त्रब्धम्) से चुम्बन कर सकी। किन्तु उसके होठों के स्पर्श के साथ ही इसके मुख पर रोमाञ्च उठे और फिर बहाना, बहाना ही रह गया। पति के रोमाञ्च जब उसने देखे तो उसका सँकोच फिर मुख पर प्रकट हुआ और पति ने भी 'कैसी मजाक उड़ायी' के भाव को हास्य द्वारा दर्शाते हुए उसको देरतक चुम्बन किया। मूल पद्य का एक एक शब्द इस प्रकार सजीव क्रिया का द्योतक है। कोई भी शब्द, शब्दों का क्रम, उनकी संघटना आदि में अल्प भी परिवर्तन हम नहीं कर सकते। पद्य के पठन के समकाल ही रसिक के हृदय में रस पूर्णरूप से अभिव्यक्त होता है। यह अमरकवि का छन्द है। अमरु के छन्दों को आनन्दवर्धन 'रसस्यन्दि मुक्तको' की सजा देते हैं, इसमें कुछ अभिप्राय है।

(४) करुण ध्वनि

अयि जीवितनाथ जीवसी-

त्यभिघायोत्थितया तया पुरः ।

ददूशे पुरुषाकृति क्षितौ

हरकोपानलभस्म केवलम् ॥

मदन अपने तप का भंग करने की चेष्टा कर रहा है यह देखते ही भगवान शिवजी को क्रोध भर आया। उनके कपालनेत्र से सहसा अग्नि की ज्वाला निकली और मदन की ओर लपटी। उस तेज को देखते ही रति वही मूर्च्छित हो गयी। थोड़ी देर के बाद उसने आँखें खोली और आस-पास देखा। "नाथ, आप जीवित तो हैं।" कहती हुई वह उठी, और बड़ी आशा से क्या देखती है — शिवजी के क्रोधाग्नि का भस्म पुरुष के आकार में पड़ा है। प्रतिभावान् कवि परिमित शब्दों में कितना अर्थ रसिक के समक्ष खड़ा कर देते हैं इसका यह उदाहरण है। शिवजी के नेत्राग्नि की लपट कितनी भयानक थी, रति ने देखा था। इस अग्नि में मदन का जीवित रहना अलभ्य था। मूर्च्छा से होश में आते ही उसकी आँखें मदन की ओर गयीं। उसने सोचा कि मुझ जैसे, काम देव भी मूर्च्छित हुए हैं। बड़ी आशा से वह उसकी ओर बढ़ी। 'अयि जीवितनाथ, जीवसि' रति के इस एक छोटे से वाक्य में प्रेम, आत्सुक्य, आशा, हर्ष आदि सब कुछ समाया है। इन सब भावों के आवेश में वह दौड़ी — और उसने क्या देखा? इन सभी भावों का एकमात्र आश्रय भस्मसात् हुआ है। यहाँ प्रतीत होनेवाला वियोग भी आत्यतिक्रमता एव निरपेक्षता ही शोक का आलंबन है एव कालिदास ने 'हरकोपानलभस्म' के केवल एक विभाव के द्वारा शोक को चर्चणा का विषय बनाया है।

मर्दन में क्या आनन्द है ! लार और कफ से व्याप्त मुख को चुबन करने की अभिलाषा किसे होगी ? मूत्रस्राव जैसे घृणित वस्तु का अपने शरीर से स्पर्श कौन होने देगा ? इस प्रकार कामिनी के अगो को — जो कि सुदर लगते हैं — इस रूप में प्रस्तुत किया है कि हमारे मन में जुगुप्सा हो । यहाँ विभाव के द्वारा जुगुप्सा अभिव्यक्त हो रही है ।

किवा —

एव स्वभरणाकल्प तत्कलत्रादयस्तथा ।
नाद्रियन्ते यथापूर्वं कीनाशा इव गोरजम् ॥
तत्राप्यजातनिर्वेदो भ्रियमाण स्वयभृतैः ।
चरयोपात्तवैरूप्यो मरणाभिमुखो गृहे ॥
आस्तेऽवमत्योपन्यस्त गृहपाल इवाहरन् ।
आमयाज्यप्रदीप्ताग्निरल्पाहारोऽल्पचेष्टित ॥
वायुनोत्क्रमतोत्तारः कफसरुद्धनाडिकः ।
कासश्वासकृतायास कण्ठे घुरघुरायते ॥

वृद्धावस्था के इस वर्णन में भी उक्त छन्द के अनुसार नरदेहविषयक जुगुप्सा प्रतीत हो रही है । लौकिक अथवा व्यावहारिक जीवन में यह जुगुप्सा कभी रमणीय प्रतीत नहीं होगी । किन्तु इन्ही घटनाओं को कवि जब काव्य द्वारा सूचित करता है एव उसमें जुगुप्सा अभिव्यक्त होती है तब वही आस्वाद्य होती है । उपर्युक्त दोनो उदाहरणों में सूचित 'जुगुप्सा' निर्वेद की ओर ले जा रही है । किन्तु अनेक बार बीभत्स वर्णन भय की ओर भी ले जाता है । उदाहरणार्थ, दुःशासन के हृदय को भिन्न करते हुए भीम ने उसके रक्त का पान किया । महाभारत में इस प्रसंग का जो वर्णन है वह बीभत्स है । उस बीभत्स दृश्य को देखकर कौरव और पाण्डवों की सेनाओं में कैसी भगदौड़ मच गयी इसका भी वहाँ वर्णन है । निर्वेद की या भय की इस भूमिका पर से इस बीभत्स वर्णन को देखने से उसकी आस्वाद्यता प्रतीत होती है ।

इस प्रकार वाक्य में रसादि असलक्ष्यक्रमध्वनि प्रतीत होते हैं । इसका अर्थ यह नहीं कि ऐसे छन्दों में विभाव, अनुभाव, सचारीभाव आदि सब का नित्य वर्णन रहता ही है । इन से कोई ऐसे रहते हैं जिनका कि अनुसन्धान करना पड़ता है । अतएव वाक्य द्वारा रसप्रतीति मार्मिक पाठक ही को होती है । विभावादि रस-सामग्री का सम्पूर्ण विकास प्रबन्ध में होता है । इसी लिये, महाकाव्य या नाटक में होनेवाली रसप्रतीति मुक्तक की अपेक्षा अधिक स्फुटरूप में होती है । मुक्तक में विभाव आदि की कल्पना करना आवश्यक होता है, अतएव मार्मिक पाठक ही को

जीवितत्वमौचित्यादुक्तम्) ऐसा भी उन्होंने कहा है। काव्य में रसादिध्वनि के इस महत्त्व को ध्यान में रखते हुए ही ध्वनिकार चतुर्थ उद्योत में कहते हैं —

व्यंग्यव्यञ्जकभावेऽस्मिन् विविधे सभवत्यपि ।

रसादिमय एकस्मिन् कविः स्यादवधानवान् ॥ (ध्व. ४।५.)

इस प्रकार व्यंग्यव्यञ्जकभाव के विविध रूप हो सकते हैं, किन्तु फिर भी कवि के लिये चाहिये कि वह निरन्तर रसादिरूप व्यंग्यव्यञ्जकभाव पर ही अवधान रखे (८) ।

यह रसादिमय व्यंग्यव्यञ्जकभाव ही विभाव आदि के द्वारा रस की अभिव्यक्ति का भाव है। पद आदि से लेकर प्रबन्ध तक सभी में रसव्यञ्जकता तो है किन्तु वह विभावादिमुख से ही हो सकती है; अन्य किसी रूप में नहीं। अतएव शब्दार्थों के द्वारा होनेवाली रसाभिव्यक्ति का निरूपण ही विभावादि के द्वारा किस प्रकार रसाभिव्यक्ति होती है इसका निरूपण है। यह हम अगले अध्याय में करेंगे।

८. अनेक विद्वानों का विचार है कि, 'काव्यस्यात्मा ध्वनि' कहते हुए ध्वनिकार को मात्र रसध्वनि का काव्यात्मत्व अभिप्रेत नहीं था, अपितु उनके मन्तव्य में तीनों प्रकार के ध्वनियों का काव्यात्मत्व था, अभिनवगुप्त ने 'रस एव वस्तुत आत्मा' कह कर केवल रसध्वनि को ही काव्यात्मत्व दिया एवं ऐसा करने में अभिनवगुप्त ने एक ऐसी कल्पना प्रस्तुत की जिसे मूल में आधार नहीं है। यह विचार कैसा निराधार है एवं ध्वनिकार को ही रसादिध्वनि का काव्यात्मत्व अभिप्रेत है यह 'ध्वन्यालोक' ४। ५ इस कारिका से स्पष्ट होगा। यह एक कारिका तो क्या, 'ध्वन्यालोक' में ऐसी अनेक कारिकाएँ हैं जिनसे कि स्पष्ट होता है कि ध्वनिकार को भी रस ही का आत्मत्व अभिप्रेत था।



रसादि ध्वनि

रस के समान भाव की भी काव्यात्मता है

रसादिध्वनि शब्दार्थों का पर्यवसान है। रसादि की

सज्ञा में रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावशान्ति, भावोदय, भावसधि, भाव-शबलता आदि सब का अन्तर्भाव होता है। जब 'रस एव वस्तुत आत्मा' कहा जाता है तब 'रस' शब्द से भाव आदि का भी आत्मत्व गृहीत होता है। काव्यस्यात्मा स एवार्थः — इस ध्वनिकारिका के विवेचन में आनन्दवर्धन कहते हैं — "प्रतियमान के वस्तु और अलंकार रूप भेद भी किये जाते हैं, किन्तु रस, भाव आदि के द्वारा ही उनका जीवितत्व अपेक्षित है।" यहाँ आनन्दवर्धन ने रस के साथ भाव को भी काव्यात्मत्व दिया है। आनन्दवर्धन के 'रसभावमुखेन' इस पद के व्याख्यान में अभिनवगुप्त कहते हैं — "इसमें तो कोई सदेह नहीं है कि रस ही काव्य की आत्मा है। किन्तु वृत्तिकार 'भावमुखेन' ऐसा भी कहते हैं। इसमें अभिप्राय क्या है?" इस पर उत्तर यह है कि व्यभिचारी भाव यदि स्वतन्त्ररूप में आस्वाद्य हो, और काव्यगत शब्दार्थों की विश्रान्ति उस भाव के आस्वाद में ही होती हो, तब उस काव्य में भाव को भी आत्मत्व प्राप्त होता है। ऐसे प्रसंग में वह भाव स्थायिचर्चणाम् विश्रान्त न होते हुए भी आस्वाद्य होता है (भावग्रहणेन व्यभिचारिणोऽपि चर्व्यमाणस्य तावन्मात्रविश्रान्तावपि, स्थायिचर्चणाम्पर्यवसानोचितरसप्रतिष्ठाभनवाप्यापि प्राणत्व भवतीत्युक्तम्)। स्वतन्त्र रूप में भाव के आस्वाद्य होने का अभिनवगुप्त ने इस प्रकार उदाहरण दिया है

नख नखाग्रेण विघट्टयन्ती
 विवर्तयन्ती बलय विलोलम् ।
 आमन्द्रमागिजितनूपुरेण
 पाद्मेन मन्द भुवमालिखन्ती ॥

जब उस (नायिका) के प्रियतम के विषय में बात चली तो, “ वह नखों को नखों से छेदने लगी, हाथ में पहने विलोल कगनो को घुमाने लगी, तथा पायलो की मन्द्र मधुर झंकार करती हुई पैर से भूमि कुरेदने लगी। ” यहाँ प्रियतम के सबन्ध में की गयी बात विभाव है तथा उपर्युक्त पद्य में अनुभाव वर्णित है। इन विभावों तथा अनुभावों के द्वारा लज्जा रूप भाव अभिव्यक्त हुआ है। यह भाव शृंगार की अवस्था तक तो नहीं पहुँचा है। किन्तु प्रस्तुत प्रसंग में स्वतन्त्ररूप में आस्वाद्य हुआ है। इस सदर्भ में शब्दार्थ इस भाव में ही विश्रान्त हुआ है अतः उसीको यहाँ प्राणत्व प्राप्त हुआ है। इस प्रकार जहाँ भाव भी स्वतन्त्र रूप में आस्वाद्य होता है वहाँ उसीका काव्यात्मत्व होता है।

साराण, भाव का काव्यात्मत्व उसके स्वतन्त्र रूप में आस्वाद्य होने पर अवलंबित रहता है। कवि का काव्य पढ़ते हुए, यदि हमें भाव का स्वतन्त्र प्रत्यय आया, एवम् उस काव्य का पर्यवसान उस भाव के अभिव्यक्ति में ही हुआ तब वहाँ भाव का आत्मत्व है। इसके विपरीत यदि कवि के काव्य में प्रतीत हुआ कि उसमें भाव को प्राधान्य न होकर वह भाव ही अन्ततोगत्वा रस में विश्रान्त हुआ है, तब वहाँ भाव का आत्मत्व न होकर रस का आत्मत्व है। उपर्युक्त उदाहरण में लज्जा स्वतन्त्र रूप में आस्वाद्य है, किन्तु पूर्व उद्धृत ‘ शून्य वासगृहम्— ’ आदि पद्य में लज्जा स्वतन्त्ररूप में आस्वाद्य नहीं है अपि तु रति की सहकारिणी है। अतः यहाँ लज्जा इस भाव का ही आत्मत्व है, प्रत्युत ‘ शून्य वासगृहम् ’ आदि पद्य में भाव का आत्मत्व न हो कर रस का आत्मत्व है। प्राचीन काव्य मीमांसकों ने रस को ही श्रेष्ठ निर्धारित किया है, और भाव को गौण ही माना है; भाव की स्वतन्त्र रूप में आस्वाद्यता उन्हें स्वीकार नहीं है ऐसी कई लोगों की धारणा है। इस धारणा की निर्मूलता उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट होगी। कवि ने अपने काव्य में भाव को किस प्रकार अभिव्यक्त किया है, इस पर ही भाव की प्रधानता अथवा गौणता अवलंबित है। कवि के शब्दार्थ यदि भाव ही में विश्रान्त होते हों तब वहाँ भाव प्रधान है एवम् उसीका आत्मत्व है। इसके विपरीत उसके शब्दार्थ यादें अन्ततः रस में विश्रान्त होते हो तब वहाँ भाव की स्वतन्त्र एवम् निरपेक्ष आस्वाद्यता न होने से गौणता है, आत्मत्व नहीं।

इस प्रकार, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भाव भी रस के समान ही स्वतंत्ररूप में आस्वाद्य हो सकते हैं। वैसे देखा जाय तो रस और भाव एकरूप ही हैं क्योंकि दोनों भी असलक्ष्यक्रम ही हैं और काव्य में जब असलक्ष्यक्रम ध्वनि प्रधानता से प्रतीत होती है तब उसे काव्य के आत्मत्व का महत्त्व प्राप्त होता है। ध्वनिकार ने तो स्पष्टरूप में कहा है—

रसभावतदाभासभावशान्त्यादिरक्रम ।

ध्वनेरात्माङ्गिभावेन भासमानो व्यवस्थितः ॥

किन्तु यहाँ प्रश्न उठता है कि रस, भाव आदि सब ही यदि असलक्ष्यक्रम ही हैं तो फिर रसध्वनि, भावध्वनि आदि विभाग कैसे हो सकते हैं? अभिनवगुप्त का इस पर समाधान है कि—वास्तव में भावध्वनि रसध्वनि के ही निष्पन्न है। किन्तु उनमें भी आस्वाद का प्रयोजक अंश भिन्न भिन्न हो सकता है। कहीं उदय ही आस्वाद्य होता है और कहीं स्थिति आस्वाद्य होती है। आस्वाद के प्रयोजक के रूप में जिस अंश का प्राधान्य हो, उस अंश को लेकर भावध्वनि, आभासध्वनि, भावोदयध्वनि आदि अवस्था की गयी है। (यद्यपि च रसेनैव सर्व जीवति काव्यम् । तथाऽपि तस्य रसस्य एकघनचमत्कारात्मनोऽपि कुतश्चिदशात् प्रयोजकीभूतात् अघिकोऽसौ चमत्कारो भवति । एव रसध्वनेरेवामी भावध्वनिप्रभृतयो निष्पन्दा आस्वादे प्रधान प्रयोजकाश विभज्य पृथग्व्यवस्थाप्यन्ते) । किन्तु रसध्वनि तभी होता है जब कि विभाव, अनुभाव तथा संचारीभाव की त्रयी से अभिव्यक्त स्थायी की प्रतीति हो कर स्थायी अंश के ही आस्वाद का प्रकर्ष होता है।

विभावध्वनि और अनुभावध्वनि नहीं हैं

यहाँ स्वभावतः एक प्रश्न यह उठता है कि चमत्कार के आधिक्य पर यदि रसध्वनि और भावध्वनि के भेद होते हैं तब जहाँ विभावो और अनुभावो द्वारा चमत्कार का आधिक्य प्रतीत होता है वहाँ विभावध्वनि और अनुभावध्वनि भी क्यों न माना जायें? विभाव और अनुभाव भी तो रस ही के अंश हैं और कई बार उनके प्राधान्य से ही तो रसभाव सूचित होते हैं। इस पर उत्तर यह है कि विभावध्वनि और अनुभावध्वनि की सत्ता स्वीकार नहीं की जा सकती। क्योंकि एक ओर तो वे स्वशब्दवाच्य होते हैं। स्थायी तथा संचारी भाव स्वशब्दवाच्य नहीं होते। विभाव और अनुभाव वाच्य हो सकते हैं, इसके विपरीत स्थायी और संचारी कभी वाच्य नहीं हो सकते। रति, उत्साह, भय, लज्जा, कोप आदि क उन उन शब्दों से काव्य में कथन करने से वे आस्वाद्य नहीं होते। आस्वाद्यता के लिये विभाव आदि के द्वारा उनकी प्रतीति होनी चाहिये। स्वशब्द से उनका मात्र

से गोपियो के हृदय में उदित क्रीडा, औत्सुक्य, म्लानता आदि भाव इस पद्य में अनुभाव द्वारा अभिव्यक्त हुए हैं, अतएव यहाँ चमत्कार अनुभावकृत है। किन्तु फिर भी उनका पर्यवसान चित्तवृत्ति के आस्वाद में ही होता है।

उपर्युक्त दो पद्यों में विभाव और अनुभाव वाच्य हैं; और उनके द्वारा यहाँ भावाभिव्यञ्जन हुआ है। अब निम्न पद्य देखिये —

आत्मात्तमधिकान्तमुक्षितुम्
कातरा शफरशकिनी जहौ ।
अञ्जलौ धृतमधीरलोचना
लोचनप्रतिशरीरलाञ्छितम् ॥

यह जलक्रीडा का वर्णन है। जलक्रीडा के समय प्रेमी पर फेकने के लिये नायिका अञ्जलि में पानी लेती है और अब नायक पर फेक ही रही है कि उसे लगता है कि इनमें मछलियाँ (आँखों का प्रतिबिम्ब) हैं और फिर वह पानी को वैसे ही छोड़-देती है। यहाँ सुकुमार, मुग्ध युवती को भूषित करनेवाले वितर्क, त्रास, शका आदि व्यभिचारी भावों का अभिव्यञ्जन प्राधान्य से हो रहा है। यहाँ ध्वनित व्यभिचारी भावों का स्वशब्द से कथन किया गया तो वे कभी आस्वाद्य न होंगे।

साराश, विभाव तथा अनुभाव स्वशब्दवाच्य हो सकते हैं एव उनकी चर्चणा का पर्यवसान अन्ततः भावाभिव्यक्ति में ही होता है, अत एव विभावध्वनि और अनुभावध्वनि ही नहीं सकते। जहाँ विभावानुभाव व्यग्य होते हैं, वहाँ वस्तु-ध्वनि ही होता है; असलक्ष्यक्रम नहीं रह सकता, और वस्तुध्वनि ध्वनि होने पर भी स्वशब्दवाच्य हो सकता है। इस लिये उसका स्वरूप लौकिक ही रहता है। इससे विभाव तथा अनुभाव ध्वनित होने पर भी रस तथा भावों के समान असलक्ष्य-क्रम ध्वनि में स्थान नहीं दिया जा सकता।

रससामग्री

रस और भावों की अभिव्यक्ति ही काव्य का परमार्थ है। इसकी अभिव्यक्ति के साधनों के रूप में विभाव तथा अनुभावों को काव्य में स्थान है। काव्य में कवि विभावों और अनुभावों का वर्णन करता है तथा इनका उचित संयोग हुआ हो तो तद् द्वारा रस तथा भाव अभिव्यक्त होते हैं। रसभाव चित्तवृत्तिविशेष है। इस चित्तवृत्ति के लिये कारण होनेवाली काव्यगत (न कि लौकिक) परिस्थिति ही विभाव है एवं उदित हुई चित्तवृत्ति के काव्यगत कार्यरूप बाह्य परिणाम ही अनुभाव है। हमारे लौकिक जीवन में भी अनेक चित्तवृत्तियाँ उदित होती रहती हैं। उनके

देखी। उनका एक दूसरे की ओर देखना, हँसना आदि व्यापार हमने देखे। इन से हमने तर्क किया कि ये दोनों प्रेमी हैं। यहाँ की कारणकार्यपरम्परा तथा उस से पहचाना गया प्रेम यह सब लौकिक है। यह घटना व्यक्तिसंबद्ध होने से आस्वाद्य नहीं है। हमने केवल तटस्थ की दृष्टि से इस घटना को देखा है। किन्तु इसी व्यवहार को जब हम नाट्य में देखते हैं या काव्य में पढ़ते हैं, तब वह व्यवहार व्यक्तिसंबद्ध नहीं रहता। इस लिये हमारा भी उसमें अनुप्रवेश होता है और हम अपने आपको उसमें खो जाते हैं। इस प्रकार यह घटना आस्वाद्य होती है। व्यवहार में कार्यकारण व्यक्तिसंबद्ध होते हैं, अतएव वे लौकिक होते हैं। काव्य में जब उन्हीं घटनाओं का वर्णन किया जाता है तब उनका स्वरूप व्यक्तिसंबद्ध नहीं रहता, अतएव वे अलौकिक होते हैं। काव्यगत इन अलौकिक बातों को ही विभाव और अनुभाव कहा गया है। कार्यकारणों के लौकिक स्वरूप का तथा विभाव अनुभावों के अलौकिक स्वरूप का स्पष्ट निर्देश मम्मटाचार्य ने किया है। उन्होंने कहा है, “लोके प्रमदादिभिः स्थाय्यनुमाने पाटववता, काव्ये नाट्ये च तैरेव कारणात्वादिपरिहारेण विभावनादिव्यापारवत्त्वात् विभावादिशब्दव्यवहार्यैः...अभिव्यक्तः।”

लौकिक में जिसे कारण कहते हैं उसका यदि काव्य में वर्णन किया गया अथवा नाट्य में अभिनय हुआ तो उसका कारणात्व नष्ट हो जाता है और उसमें विभावन का व्यापार आता है। अतएव उसीको काव्य के क्षेत्र में अलौकिक विभाव कहते हैं ऐसा मम्मट का कथन है। मम्मट का यह एक कथन मात्र है। लौकिक जीवन में अनुभूत कार्यकारणपरम्परा एवं काव्य में वर्णित कार्यकारणपरम्परा इन दोनों में सवादित्व होने पर भी, एक लौकिक और दूसरी अलौकिक क्यों? एवम् एक का कार्य निर्मित और अनुमित तथा दूसरी का कार्य विभावन ही क्यों? इसकी मीमांसा उन्होंने नहीं की है। इस मीमांसा को देखने के लिये हमें पूर्व इतिहास का अनुसंधान करना पड़ता है। यह इतिहास ही रसप्रक्रिया की विवेचना का ही इतिहास है। इस इतिहास का आरम्भ भरतमुनि से ही करना पड़ता है। उद्भट, लोल्लट श्रीशकुल, भट्टनायक तथा अभिनवगुप्त का इस विवेचना में बहुत बड़ा भाग है। इस सब इतिहास को सुस्पष्ट रूप में देखना पड़ता है। यह कार्य हम अगले अध्याय में करेंगे।

● ● ●

रसप्रक्रिया

नाट्यशास्त्र ही उपलब्ध
ग्रंथो में पहला ग्रंथ है,

जिसमें रसप्रक्रिया का स्वरूप कथन किया गया है। किन्तु रसप्रक्रिया के विमर्शक आचार्यों में भरतमुनि ही सर्व प्रथम नहीं हैं। भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में रसप्रक्रिया का जो स्वरूप पाया जाता है वह अत्यंत विकसित है, इससे तर्क होता है कि इस रसप्रक्रिया की पृष्ठभूमि में एक बहुत बड़ी परम्परा थी। इसी परम्परा को मुनि ने अपने ग्रंथ में ग्रथित किया।

रस के सम्बन्ध में दो परम्पराएँ पायी जाती हैं। एक है द्रुहिण अर्थात् ब्रह्मा की और दूसरी है वासुकि की। द्रुहिण आठ रस मानते थे एव वासुकि नवाँ शान्त रस भी मानते थे। 'अभिनवभारती' से पता चलता है कि आठ रसों के मानने-वाले तथा शान्तसहित नौ रसों को माननेवाले इस तरह दो प्रकार के विवेचक अभिनवगुप्त को भी ज्ञात थे। " 'शान्तवादियों का ऐसा कथन है', 'शान्तापलापी ऐसा कहते हैं' " इस प्रकार के निर्देश अभिनवगुप्त ने स्थान स्थान पर किये हैं। भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र में द्रुहिण की परम्परा का जितना स्पष्ट निर्देश किया है उतना वासुकि की परम्परा का नहीं किया। किन्तु उन्होंने अपने मत की पुष्टि में अनुवंश से प्राप्त श्लोकों के जो आधार दिये हैं उनमें सभवतः वासुकि की परम्परा के श्लोक भी हैं। उदाहरण के लिये, भावों से रससंभव होता है इस मत की पुष्टि में भरत ने श्लोक दिये हैं, उनमें एक श्लोक है —

नानाद्रव्यैर्बहुविधैर्व्यंजनं भाव्यते यथा ।

एवं भावा भावयन्ति रसानभिनयैः सह ॥ (ना. शा ६।३६)

शारदातनय का कथन है कि यह मत मूलतः वासुकि का है (१) दूसरी बात यह है कि नाट्यशास्त्र में रस, भाव तथा अन्य नाट्याश्रित अर्थों की सज्ञाएँ परम्परा ही से प्राप्त हैं। भरत का कथन है कि ये सज्ञाएँ आचारोत्पन्न तथा आप्तोपदेशसिद्ध हैं (२)।

भरतकृत रसविवेचन

भरतकृत रसविवेचन नाट्यरस का विवेचन है। इसमें तो कोई सदेह नहीं कि रस नाट्य का पर्यवसान है। किन्तु प्रयोगसिद्धि के लिये नाट्य में अन्य अनेक बातों की आवश्यकता होती है। ऐसी आवश्यक बातों का भरत ने एकत्र संग्रह किया है—

रसा भावा ह्यभिनया धर्मीवृत्तिप्रवृत्तयः ।

सिद्धिः स्वरास्तथातोद्य गान रगरश्च संग्रह ॥ (ना. शा. ६।१०)

इस कारिका में नाट्यशास्त्र के सब विषय आये हैं। आठ रस, उनचास भाव, चतुर्विध अभिनय, द्विविध धर्मी, चार वृत्तियाँ और चार प्रवृत्तियाँ, द्विविध सिद्धि, स्वर, आतोद्य तथा गान मिलकर नाट्य, सगीत तथा त्रिविध रग अर्थात् रगभूमि यह है नाट्यसंग्रह। इनका विस्तरश विचार ही नाट्य का विवेचन है और रगविचार दूसरे अध्याय में आया है इस एक बात को छोड़ दिया तो इस कारिका में बताये क्रम से नाट्यशास्त्र में उपर्युक्त अर्थों का विमर्श हुआ है।

नाट्य = रस

नाट्य में आवश्यक इन अर्थों में परस्पर सबन्ध क्या है? इस प्रश्न का उत्तर अश्विमेध गुप्त ने इस प्रकार दिया है—

नाट्य है सम्पूर्ण प्रयोग में द्योलित होनेवाला एक ही अर्थ—जो नट के अभिनय के द्वारा प्रकट होता है, एवं दर्शक द्वारा निश्चल मन से अखण्ड रूप में ग्रहण किया जाता है। नाट्य में पृथक् अनेकानेक बातें दिखायी देती हैं, किन्तु तब भी उन सब का पर्यवसान अन्ततः एक ही होता है, अतएव सम्पूर्ण नाट्य का एक ही अर्थ

१. नानाद्रव्यौषधैः पाकैः व्यंजनं भाव्यते यथा ।

एवं भावा भावयन्ति रसानभिनयैः सह ॥

इति वासुकिनाप्युक्तो भावेभ्यो रससंभवः ।—(शारदातनयः भावप्रकाशन)

२. यथा च गोत्रकुलचारोत्पन्नानि आप्तोपदेशसिद्धानि पुंसां नामानि भवन्ति, तथैवेषां रसानां भावानां च नाट्याश्रितानां चार्थानामाचारोत्पन्नानि आप्तोपदेशसिद्धानि नामानि भवन्ति ।

(ना. शा. अ. ६)

निर्विघ्नस्वसंवेदना ही — जिसका एकमात्र लक्षण मनोविभ्रान्ति है — रसनाव्यापार (अथवा आस्वाद) कहलाती है। नाट्य के प्रयोगकाल में दर्शक द्वारा इस रसनाव्यापार से ही इस साधारणीभूत चित्तवृत्ति का ग्रहण होता है। अतएव इसे भी रस कहा जाता है। अतएव रस ही नाट्य है इस नाट्य का फल है रसिक की प्रतिभा का विकास (३)।

यह रसनाव्यापार रूप अर्थात् आस्वादरूप रस एकही है। अभिनवगुप्त इसे 'महारस' की सज्ञा देते हैं। इस महारस को विभावादि वैचित्र्य से जो वैचित्र्य प्राप्त होता है, उस वैचित्र्य पर ही शृंगार आदि रसविभाग निर्भर है (४)

इस प्रकार रस ही नाट्य है। यह रस विभाव आदि से ही सपन्न होता है, इस लिये रसविवेचना में, भावों का स्वरूप बताना आवश्यक हो जाता है। नाट्य प्रयोग में कवि अथवा नट जिन विभाव, अनुभाव आदि को दर्शकों के समक्ष प्रकट करना चाहता है, उनमें औचित्य आवश्यक होता है। कवि अथवा नट यदि लौकिक चित्तवृत्ति को समझता नहीं है तब वह विभाव आदि का औचित्य नहीं रख सकता अतएव विभाव आदि का औचित्य सिद्ध करने के लिये लौकिक स्थायी भाव बताना आवश्यक हो जाता है। अभिनय तो नाट्य का जीवित ही है। वह तो नाट्यसंश्रित ही होता है, लौकिक व्यवहार में कभी नहीं होता। इस लिये सग्रहकारिका में रस और भावों के अनन्तर अभिनय का निर्देश है। अभिनय वास्तव में कृत्रिम होता है किन्तु वह लौकिक धर्म या लौकिक धर्मों पर आधारित सकेतो का अनुवर्तन करता है। अतएव अभिनय के बाद नाट्यधर्मों और लोकधर्मों आते हैं। किन्तु लोकधर्म के अनुरूप अभिनय किस बात का किया जायँ? अभिनय के लिये किसी अभिनय की तो आवश्यकता है ही। इस लिये वृत्तियाँ बतायी गयी हैं। वृत्ति का अर्थ है

३. तत एव निर्विघ्नस्वसंवेदनात्मकविभ्रान्तिर्लक्षणेन रसनापरपर्यायेण व्यापारेण गृह्यमाणत्वात् रसशब्देनाभिधीयते। तेन रस एव नाट्यम्।—(अ. भा.)

४. रसनाव्यापाररूप अर्थात् आस्वादरूप 'महारस' एव शृंगारादि विविध रसों में संबन्ध अभिनवगुप्त ने इस प्रकार बताया है — "ततश्च मुख्यभूतात् महारसात् स्फोटदृशीव असत्यानि वा, अन्विताभिधानदृशीव उपायात्मकानि सत्यानि वा, अभिहितान्वयदृशीव तत्समुदायरूपाणि वा, रसान्तराणि भागाभिनिवेशदृष्टानि रूप्यन्ते।" आस्वादरूप रस एक ही होने पर भी विभावादिभेद के कारण ही रसभेद पाया जाता है (विभावादिभेदः रसभेदे हेतुः)। इस प्रकार अभिव्यक्तिवादियों का (अभिनवगुप्त का) पक्ष है। इनकी बताई इस उपपत्ति की संगति स्फोटवादि, अन्विताभिधानवादि अथवा अभिहितान्वयवादियों की दृष्टि से किस प्रकार हो सकती है यह उपर्युक्त वाक्य में बताया गया है। यह समझ लेना बुद्धिप्रद होने पर भी इसकी विवेचना करना स्थानाभाव के कारण असंभव है।

रिवाजों के विशेष निर्देशित करती है (५) और वृत्ति है मनोवाक्याव्यव्यापार। पुरुष की वृत्ति में प्रतिक्षण परिवर्तन हो सकता है, किन्तु उसकी प्रवृत्ति स्थिर होती है। हाँ, यह स्थिर प्रवृत्ति अभिव्यक्त होती है इस नित्य परिवर्तनशील वृत्ति द्वारा ही नाट्य में प्रवृत्ति का दर्शन वृत्तियों द्वारा होता है। नाट्य का मूल ये वृत्तियाँ और प्रवृत्तियाँ ही होती हैं। इन वृत्तिप्रवृत्तियों द्वारा ही नाट्य में लोकस्वभाव चित्रित किया जाता है। वृत्तिप्रवृत्तियों द्वारा निर्देशित लोकस्वभाव ही लोकधर्म है नाट्य में इस लोकधर्म का ही दर्शन होता है (६)।

लोकधर्म इस प्रकार नाट्य का विषय है। किबहुना, यह कहना भी ठीक होगा कि नाट्य में लोकधर्म के अलावा अन्य विषय ही नहीं होता। यहाँ तक शास्त्र और नाट्य अथवा काव्य में कोई भेद नहीं है। किन्तु लोकस्वभाव का दर्शन कराने की नाट्य की एक अपनी विशेष और भिन्न शैली है। हम जब नाट्य देखते हैं तब हमें दर्शन तो लोकधर्म का ही होता है, किन्तु इसमें कवि तथा नट का एक ऐसा विशिष्ट व्यापार होता है जिससे कि नाट्य में दर्शित लोकधर्म की प्रक्रिया लौकिक प्रक्रिया से कहीं अधिक सुंदर, रमणीय और आकर्षक बनती है। इस प्रकार कवि और नट के व्यापार के कारण जहाँ लोकधर्म का प्रक्रियाक्रम सुंदर एवं रमणीय होता है वहाँ नाट्यधर्म होता है (७)। इस नाट्यधर्म के दो प्रकार कविगत और नटगत होते हैं। लोकप्रसिद्ध कथानक में औचित्य एवं रमणीयता की दृष्टि से कवि जो परिवर्तन करता है वह कविगत नाट्यधर्म है, और संपूर्ण अभिनय नटगत नाट्यधर्म है। लौकिक व्यवहार में पाया जानेवाला सुखदुःखरूप लोकस्वभाव जब अभिनय द्वारा दर्शाया जाता है तब वह नाट्य धर्म ही है। नाट्य में तो यह नाट्य धर्म अवश्य ही होना चाहिये, अन्यथा नाट्य ही न होगा। मुनि कहते हैं—

नाट्यधर्माप्रवृत्तं हि सदा नाट्य प्रयोजयेत् ।

न ह्यगाभिनयात् किञ्चित् ऋते राग प्रवर्तते ॥

नाट्य नित्य नाट्यधर्मी से ही प्रवृत्त होना चाहिये, क्योंकि अग आदि अभिनय के बिना राग अर्थात् सामाजिकों का आनन्द प्रवर्तित ही न होगा। नाट्यधर्मी तो इस प्रकार नाट्य का प्राण हुआ, किन्तु लोकधर्मी का क्या स्थान होगा? इस पर मुनि कहते हैं—


५. नानादेशवेषभाषाचारवार्ता स्थापयति इति प्रवृत्ति । प्रवृत्तिश्च निवेदनैः ॥

६. भरतमुनिद्वारा नाट्य के दश भेद (दशरूप) वृत्तिवैशिष्ट्य पर ही आधारित हैं ।

७. यद्यपि लौकिकधर्मव्यतिरेकेण नाट्ये न कश्चिद्धर्मोऽस्ति, तथापि सः लोकगतप्रक्रियाक्रमो रजनाधिक्यप्राधान्यमधिरोहयितु कविनटव्यापारे वैचित्र्यं स्वीकुर्वन् नाट्यधर्मा इत्युच्यते ।

(अ. भा.)

अभिनय की इतिकर्तव्यता



इन चार भेदों में से चित्तवृत्तिसमर्पक अनुभावो का अभिनय नाट्यशास्त्र में भावाध्याय का विषय है। भावो का अभिव्यजन अथवा अभिव्यक्ति किन अनुभावों के द्वारा किस प्रकार करनी चाहिये यह इस अध्याय का विषय है' मुनि ने इस सातवें अध्याय को 'भावव्यजन' ही की सजा दी है। यह भावाभिव्यजन किस प्रकार किया जाय? असूया, निद्रा, उग्रता आदि भावो का अभिनय किस प्रकार करे? उत्तर यह है कि इन भावो के उत्पादक कारण एवम् इन भावो के उदय से होनेवाले शारीरिक या वाचिक परिवर्तनों के रूप के कार्य, जैसे देखे जाते हैं वैसे वे नाट्य में दर्शाने चाहिये। यह लोकधर्मी अभिनय है। किन्तु यह अभिनय लोकधर्मी होने पर भी लौकिक व्यवहार या लौकिक व्यापार नहीं है। यह नाट्यधर्म ही है। क्योंकि यह अभिनय का ही एक भेद है। लौकिक व्यापार तथा नाट्यगत लोकधर्मी अभिनय एकाकार नहीं है, या सदृश भी नहीं है; वे सवादी हैं। लौकिक जीवन के व्यक्तिबद्ध व्यापार तथा नाट्य में देखा जानेवाला तत्संवादी अभिनयव्यापार इन दोनों के प्रयोजन सर्वथा भिन्न हैं। लौकिक जीवन का व्यक्तिबद्ध व्यापार व्यक्तिगत चित्तवृत्ति को उत्पन्न करता है अथवा एक व्यक्ति में उदित चित्तवृत्ति का अनुमितरूपज्ञान अन्य व्यक्ति को करा देता है। किन्तु अभिनय में जो तत्संवादी व्यापार देखा जाता है उसका प्रयोजन इस प्रकार उत्पादनरूप या अनुमितरूप नहीं है। अभिनय का प्रयोजन है नाट्यार्थ में दर्शक का अनुप्रवेश करा के हृदयसवादतन्मयी-भवनक्रम से, उसके चित्त में निष्पन्न रसनाव्यापार अर्थात् निर्विघ्नप्रतीति का, उस काव्यार्थ को विषय बनाना। अपने यहाँ ब्रह्माजी पधारे हैं यह देख कर वाल्मीकि ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया, उन्हें आसन दिया एवम् अर्घ्यपाद्य आदि से उनकी पूजा की। यह एक लौकिक घटना है। वाल्मीकि के मन में आदर का भाव

नाट्यभाव

‘सग्रहकारिका’ में दिये क्रम के विपरीत क्रम से हमने प्रवृत्ति-वृत्ति-धर्मी-अभिनय यहाँ तक विमर्श किया है। अब हम भाव और भाव के बाद रस के सबन्ध में विचार करेंगे। विभाव अनुभावो के लक्षण बताने के बाद मुनि कहते हैं, “एव ते विभावानुभावसयुक्ता भावा इति व्याख्याताः। अतो ह्येषा भावाना सिद्धिर्भवति।” नाट्य में प्रकट होनेवाले भाव विभावानुभावसंयुक्त ही होते हैं, उनकी सिद्धि विभावानुभावो से ही होती है, अतएव मुनि ने दिये हुए भावो के लक्षण ‘विभावानुभावसंयुक्तभावो’ के ही लक्षण हैं। स्थायी, व्यभिचारी, एव सात्त्विक मिला कर कुल-४६ भाव होते हैं। इन सब के लक्षण की शैली “अमुक भाव अमुक विभावो से उत्पन्न होता है। इसका अभिनय अमुक अनुभावों से करना चाहिये” इस प्रकार की एक ही है। इसका अर्थ यह है कि नाट्य में भावों का अभिनयन होता है। मुनि कहते हैं—

भावाभिनयनं कुर्याद्विभावाना निदर्शनै ।

तथैव चानुभावानां भावात् सिद्धिः प्रकीर्तिता ॥ (ना शा २५, ३८ काशी स)

साराश, नाट्यगत भावो की विभाव-अनुभावो के निरपेक्ष रूप में कल्पना करना असंभव है। इन भावो का आश्रय काव्यार्थ होता है, व्यक्ति नहीं; ये भाव विभाव-अनुभावो से व्यजित होते हैं, कारण आदि से उत्पन्न नहीं होते; एवं ऐसे काव्यार्थाश्रित विभावानुभावव्यजित भावो द्वारा ही सामान्यगुणयोग से रसनिष्पत्ति होती है। काव्यार्थसश्रितै विभावानुभावव्यजितैः एकोनपचाशद्भावैः सामान्यगुणयोगेन अभिनिष्पद्यन्ते रसा ।—ना. शा अ ७)। अतएव ये नाट्यभाव हैं न कि लौकिक भाव। इनको अभिव्यक्त करनेवाले विभावानुभाव लौकिक कार्यकारणो से सवादी होते हैं इस लिये ये भाव लौकिक हैं ऐसा क्षणभर के लिये भी नहीं माना जा सकता। लौकिक भाव कारणकार्य से उत्पाद्य-उत्पादकभाव द्वारा संबद्ध होते हैं, प्रत्युत नाट्यभाव विभावानुभावों से अभिव्यंग्य-अभिव्यजक भाव द्वारा संयुक्त रहते हैं, लौकिक भाव व्यक्ति के आश्रित होते हैं तथा नाट्यभाव काव्यार्थाश्रित होते हैं। लौकिक भावो की निष्पत्ति व्यक्तिगत होती है और परगत अनुमिति होती है, किन्तु नाट्य भाव का केवल अभिनयन होता है। लौकिक भावों का ‘भवन’ होता है, तो नाट्यभावो से काव्यार्थ का ‘भावन’ होता है। अत एव लौकिक के स्तर से नाट्यभावो का स्वरूप समझना असंभव होता है।

भावाः इति कस्मात्

नाट्यभावों का स्वरूप मुनि ने भावाध्याय के आरंभ में ही स्पष्ट किया है।

“ भावा इति कस्मात् । किं भवन्ति इति भावाः, किंवा भावयन्ति इति भावा । उच्यते । वागगसत्त्वोपेतान् काव्यार्थान् भावयन्ति इति भावा ।” इस वचन में मुनि ने लौकिकभाव एव नाट्यभाव में भेद स्पष्ट किया है । नाट्य में अभिनीत होने वाले रति, हास, निर्वेद आदि को भाव क्यों कहा जाता है ? आरंभ ही में यह प्रश्न उपस्थित करते हुए, भरत ने अपनी स्पष्ट रूप में मान्यता दी है कि काव्यार्थ का भावन करते हैं अतएव वे भाव हैं । ‘भवति इति भावः’ यह निर्मित पक्ष है जो लौकिक व्यक्तिगत व्यवहार में पाया जाता है । नाट्य को वह लागू नहीं होता । ‘भावयति इति भाव’ यही भरतसमत पक्ष है । नाट्यभाव काव्यार्थ का भावन करते हैं इसका अर्थ है वे उसे आस्वाद्य बनाते हैं । अभिनवगुप्त ने ‘भावयन् = आस्वादयोग्यीकुर्वन्’ इस प्रकार अर्थ दिया है । लौकिक व्यवहार में उत्पन्न होने वाले भाव आस्वाद्य होते ही हैं ऐसा नियम नहीं है, प्रत्युत विभावो द्वारा व्यजित होने वाला नाट्यभाव आस्वाद्य ही होता है । अपने इस कथन की पुष्टि में भरत ने परम्परा से प्राप्त श्लोक दिये हैं—

विभावैराहृतो योऽर्थं ह्यनुभावैस्तु गम्यते ।

वागगसत्त्वाभिनयैः स भाव इति सञ्जितः ॥

वागगमुखरागेण सत्त्वेनाभिनयेन च ।

कवेरन्तर्गतं भाव भावयन् भाव उच्यते ॥ (ना.शा. ७।१,२)

विभावो से जो अर्थ आहृत होता है तथा वागगसत्त्वाभिनयरूप अनुभावो से जो अभिव्यक्त होता है, वह अर्थ ही भाव है । यह अर्थ क्या है ? नट का दृश्यमान वागगसत्त्वाभिनय अनुभव में ही अन्तर्भूत होता है । ऋतु, उद्यान, चन्द्रोदय आदि विभाव हैं । राम, सीता आदि पात्र भी विभाव ही हैं । वे सब अर्थाभिव्यक्ति के उपायमात्र हैं । इन उपायो से कौनसा अर्थ भावित होता है ? इस प्रश्न का उत्तर दूसरी कारिका में है । वागगमुखराग से एव सात्त्विक अभिनय से कवि के अन्तर्गत भावो का भावन होता है । कवि का अन्तर्गत भाव ही काव्यार्थ है । नाट्यगत सब भावो का यही एकमात्र आश्रय होता है । राम, सीता आदि पात्रों के रूप में स्थित आलबन, विभाव, ऋतु, उद्यान आदि उद्दीपन विभाव तथा वागगसत्त्वाभिनयरूप अनुभाव इन सब के द्वारा कवि का यह अन्तर्गत भाव ही व्यजित होता है । नाट्यगत रति, हास, भय, निर्वेद आदि कवि के अन्तर्गत भाव ही का भावन करते हैं अर्थात् उसे आस्वाद्य बनाते हैं । अत एव उन्हें ‘भाव’ भी सज्ञा है ।

कवि का यह अन्तर्गत भाव चित्तवृत्ति रूप होता है । किन्तु यह चित्तवृत्ति कवि का व्यक्तिगत मनोविकार नहीं है । लौकिक कारणों से उत्पन्न होनेवाला कवि का

व्यक्तिगत मनोविकार आस्वाद्य हो ही नहीं सकता। कवि का यह अन्तर्गत भाव प्रतिभानमय अर्थात् प्रतिभा से प्रकाशमान काव्यार्थ है। वह लौकिक विषयो से उत्पन्न हुआ नहीं होता, तथा देश, काल आदि भेदों की सीमाएँ भी उसे नहीं रहती, अतएव साधारणीभाव से विभाव आदि के द्वारा जब वह अभिव्यक्त होता है तब आस्वादयोग्य होता है। यही काव्यार्थ का भावन है। अभिनवगुप्त स्पष्ट ही कहते हैं — “कवेः वर्णानानिपुणस्य यः अन्तर्गतः अनादिप्राक्तनसस्कारप्रतिभानमयः न तु लौकिकविषयज (अत एव) देशकालादिभेदाभावात् साधारणीभावेन आस्वादयोग्यः त भावयन् आस्वादयोग्यीकुर्वन्”। ध्वन्यालोकलोचन में भी ‘शोक श्लोकत्वमागतः’ इस वचन की व्याख्या में उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा है— ‘न तु मुनेः शोकः इति मन्तव्यम्’ अर्थात् श्लोकरूप से परिणत होनेवाला यह शोक मुनि वाल्मीकि का व्यक्तिगत मनोविकार नहीं है। कवि के इस प्रतिभानमय साधारणीभूत अतर्गत भाव को चतुर्विध अभिनय के द्वारा भावित अर्थात् आस्वादयोग्य करनेवाले नाट्यधर्म ही नाट्यगत भाव है।

नाट्यभाव क्या है यह ठीक समझने के लिये हम ‘मरण’ भाव ही का उदाहरण लें। भरत का इस भाव के सबन्ध में यह कथन है — मरण व्याधि या अभिघात से आता है। व्याधि के कारण आये मरण के अभिनय में गात्रों को धीरे-धीरे गलित करना चाहिये, आँखों को धीरे-धीरे मूंद लेना चाहिये, ऐसे रहना चाहिये जैसे कि हिचकियाँ आती हो या श्वास रुक गया हो, बोलने में बड़े कष्ट बताकर अस्पष्ट बोलना और अन्त में शरीर को निश्चेष्ट करना चाहिये इस प्रकार के अनुभावों से ‘मरण’ के भाव का अभिनय करना चाहिये। इसके उदाहरण के रूप में ‘एकच प्याला’ (मराठी) नाटक में तलिराम की मृत्यु का प्रसंग उद्धृत किया जा सकता है। हम रंगमंच पर तलिराम की मृत्यु देखते हैं। लगता है कि मानो हमारे सामने उसकी मृत्यु हो रही है। किन्तु वह तो अभिनीत किया एक भाव मात्र है। यह ‘मरण’ नाट्यभाव मात्र है। किसी एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं है। यह तो ठीक है कि यह नाट्यभाव लौकिक मृत्यु की अवस्था से संवादी है, किन्तु यह लौकिक मृत्यु नहीं है।

उदाहरण में नाटककर्ता (श्री गडकरी) ने आँखों से देखा हुआ तलिराम नाम का व्यक्ति ‘मरण’ के भाव का आश्रय नहीं है अपितु प्रतिभानमय काव्यार्थ ही इस भाव का आश्रय है। रंगमंच पर हम जो चेष्टाएँ देखते हैं वे उस व्याधि या अभिघात के कार्य नहीं हैं; क्योंकि यहाँ व्याधि या अभिघात ‘पारमार्थिक’ है ही नहीं। वे अनुभाव मात्र हैं, एवम् इन अनुभावों द्वारा ‘मरण’ का नाट्यभाव व्यजित हुआ है।

अभिनवगुप्त ने तो 'भय' के स्थायी भाव का ही उदाहरण दिया है। 'शाकुन्तल' का प्रसंग है। दुष्यन्त के बाणों से डर कर हरिण भाग रहा है। जब यह दुश्य अभिनीत होता है तब हमें जो साक्षात्कारात्मक प्रतीति आती है उसमें प्रतीन होने वाला भय किसीका मनोविकार नहीं है। नट का या प्रेक्षक का भी यह विकार नहीं है। वह मृग का भी मनोविकार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस मृग का कोई विशेष स्वरूप नहीं है। डर का कारण भी पारमार्थिक नहीं है। वह तो भयभीत का भय है और एक नाट्यभाव मात्र है। इसी प्रकार 'कुमार-सम्भव' में तीसरे सर्ग में शिवपार्वती के दर्शन का प्रसंग है। यहाँ कालिदास द्वारा वर्णित प्रणय शिवपार्वती का वास्तविक प्रणय नहीं है, यह प्रणय कालिदास का नहीं है या पाठक का भी नहीं है। यह लौकिक अवस्था में होनेवाला रति नामक मनोविकार भी नहीं है, यह तो केवल प्रेम का साधारणीकृत भाव कालिदास के शब्दार्थों में से भावित हुआ है।

इन भावों का इनके विभाव अनुभावों द्वारा व्यजन कैसे करना चाहिये यही भर्तृहरि ने भावाध्याय में कथन किया है। विभावानुभावों से युक्त ये भाव साधारणीभूत होते हैं, इस लिये जब ये अभिनीत होते हैं या कवि के द्वारा इनका वर्णन किया जाता है तब रसिक को भी भावित अर्थात् व्याप्त करते हैं [९]। 'भावित' का व्याप्त अर्थ भी भरत का ही दिया हुआ है। एक ओर से ये भाव कवि के अन्तर्गत भाव को भावित करने हैं और दूसरी ओर से दर्शक या रसिक को भी व्याप्त करते हैं। इस प्रकार भरत के नाट्य विश्व में कवि, नट तथा दर्शक सभी का अन्तर्भाव होता है।

नागण, भरत द्वारा वर्णित भाव नाट्याश्रित भाव हैं, वे विभावानुभावों से ही मयुक्त हैं, तथा विभावानुभावों द्वारा ही इनकी सिद्धि होती है। विभावानुभाव दोनों सिद्ध तथा 'नगामी होने पर भी लौकिक नहीं होते। वे नाट्यधर्म हैं और अलौकिक ही हैं। एव अलौकिक विभावानुभावों द्वारा अभिव्यक्त होने वाले नाट्याश्रित भाव भी अलौकिक ही होते हैं। वे लौकिक मनोविकार नहीं होते। अतएव लौकिक मनोविकारों के स्तर से उनकी परीक्षा भी नहीं की जा सकती। भर्तृहरि की दी हुई भावों की सूचि लौकिक मनोविकारों की सूचि नहीं है। हमें इस

९. त एव वाचिकाद्या अभिनया प्रसुखदशाया देशकालगतत्वेन यद्यपि भान्ति, तथापि नटस्य निर्गुणात् (निर्गुणत्वात्) न तत्त्वात् रामादि-परमार्थासत्त्वात् भ्रान्तिज्ञानाभावाच्च नियततां विजहन्तः साधारणीभावमनुप्राप्ताः सामाजिकजनमपि मृगमदामोददिशा व्याप्नुवन्ति। (अ. भा. अ. ७)

बात का ध्यान रखना चाहिये कि वह अभिनेय नाट्यभावों की सूचि है। इस सूचि में कई भाव लौकिक मनोविकारों से सवादी दिखायी देते हैं, और कई शारीरिक अवस्थाओं से समादी दीखते हैं, इस लिये यह सूचि दोषपूर्ण है ऐसी आपत्ति 'रस-विमर्शकार' ने उठायी है [१०]। किन्तु ऐसी आपत्ति उपस्थित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनोविकारो का विश्लेषण करके इनका भावत्व सिद्ध करने का भरत मुनि का उद्देश्य नहीं है। उनके समक्ष प्रश्न बिलकुल सरल है और वह यह है कि इन भावों का अभिनय कैसे किया जायँ ? और इसी दृष्टि से उन्होंने भावो का विवेचन किया है। 'रति' रूप मनोविकार का क्या स्वरूप है, यह मूल विकार है या सयुक्त भावना है इस बात से भरत का कुछ मतलब नहीं है। केवल इतना ही बताना है कि अभिनयद्वारा रति की अभिव्यक्ति किस प्रकार करनी चाहिये। भरत मुनि के समक्ष 'उत्साह' एक मनोविकार है या एक शारीर और मानस प्रेरक शक्ति है यह समस्या नहीं है, प्रत्युत उनका प्रयोजन है उदात्त पुरुष के उत्साह का अभिनय के द्वारा दर्शन किस प्रकार कराना चाहिये। भिन्नभिन्न ४९ भावो का अभिनयद्वारा प्रत्यक्षवत् दर्शन कराना यह एक ही प्रश्न भरतमुनि के सम्मुख है, इस लिये वे हर्ष, लज्जा, आदि मनोविकारो के साथ ही मरण, निद्रा, आलस्य आदि अवस्थाओं के भी विभावानुभाव कथन करते हैं। 'वागगसत्त्वोपेतान् काव्यार्थान् भावयन्ति इति भावा.' इस प्रकार भरत ने भावलक्षण किया है और इसी दृष्टि से काव्यार्थ का भावन करनेवाली बातें उन्होने एकत्रित रखी है। इन नाट्यभावो मे से कई भाव लौकिक मनोविकारो से सवादी हो सकते हैं और कई शारीरिक अवस्थाओं से सवादी हो सकते हैं, किन्तु काव्यार्थ को भावित करने का एक ही सामान्य धर्म इन सब में है और इसी दृष्टि से भरत ने उन्हे एक ही सूत्र मे ग्रथित किया है। केवल इसी प्रमाण पर कि इस सूचि में ग्रथित कतिपय भाव मनोविकारो से सवादी है — भरत मनोविकारो की सूचि देना चाहते हैं ऐसी धारणा बना कर, भाव = मनोविकार का लौकिक अर्थ, ^{कथित} ^क अभिप्रेत न होकर भी उन पर लाद देना और इस दृष्टि से उनकी बनाई सूचि की जाँच करना व्यर्थ है। भरत के भावलक्षणों की जाँच करते समय " तस्मादेतेषां विभावानुभाव सयुक्ताना लक्षणानिदर्शनानि अभिव्याख्यास्यामः। " इस वचन का स्मरण अवश्य ही रखना होगा। एवं इस वचन का स्मरण रखते हुए इन भावो को देखने से, व्यंग्यव्यजकभाव छोड़कर, लौकिक कार्यकारण भाव के आधारपर मनोविज्ञान की दृष्टि से इन भावों की परीक्षा करने का कोई कारण नहीं रहता। सप्तम अध्याय

१०. देखिए— डॉ. के. ना. वाटवे— 'रसविमर्श' (मराठी)

(५) कोई ऐसे है कि जिनके मत में शुद्ध विभाव, कोई ऐसे है जिनके मत में केवल अनुभाव, किसीके मत में केवल स्थायी, किसीके मत में केवल व्यभिचारी, किसीके मत में इनका संयोग, और अन्य किसीके मत में इनका समुदाय ही रस है।

(६) एक मत यह भी था कि रस स्वशब्दवाच्य भी हो सकता है। इसकी आनन्दवर्धन ने आलोचना की है। संभव है कि क्रमांक ५ और ६ के मत उद्भट के हो।

(७) भट्टनायक के मत में रस प्रतीत नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता, या अनुमित भी नहीं होता। भोज्य-भोजक भाव से रसिक रस का आस्वाद करता है।

(८) 'अभिनवभारती' में अभिनवगुप्त ने सांख्य दार्शनिकों के रससम्बन्धी मत का निर्देश किया है कि—विभाव बाह्य सामग्री है एवम् इन विभावों पर अनुभाव तथा व्यभिचारीभावों का संस्कार होता है और इस सामग्री से सुखदुःख रूप स्थायी उत्पन्न होता है।

इन विविध मतों में से लोल्लट, श्रीशकुल तथा भट्टनायक के मतों का प्रामाणिक स्वरूप हमें अभिनवभारती से ज्ञात होता है। अन्य मतों के आचार्य कौन थे इसका कोई पता नहीं। नाट्यशास्त्र पर उद्भट की टीका थी। उद्भट के मतों का निर्देश 'अभिनवभारती' में अनेक स्थानों पर आया है, किन्तु उद्भट के रसविषयक मत का कोई निर्देश नहीं है। इस लिये उद्भट का रस के सम्बन्ध में क्या मत था इसका निर्णय नहीं किया जा सकता। दण्डी के मत का संक्षिप्त उल्लेख अभिनवगुप्त ने किया है। इस लिये, जो कुछ सूचना उपलब्ध है उसी के आधार पर कुछ अनुमान—जो संभवनीय लगते हैं—आगे दिये जाते हैं।

भामह और दण्डी के रसविषयक मत

भामह तथा दण्डी ने 'रसवत्' की संज्ञा देकर रस के सम्बन्ध में कुछ कहा है। उनका कथन है कि, काव्य रसवत् होता है, काव्य प्रियस्वत् होता है अथवा काव्य ऊर्जस्वी होता है। उन्होंने रस की प्रक्रिया नहीं बतायी। उनके ग्रन्थों में रसप्रक्रिया का पूर्वभाव गृहीत है। उन्होंने जो कुछ लिखा है उस पर से लगता है कि उनके मतों में रस काव्यगत पात्रों के माने जाते थे। भामह और दण्डी के वचन इस प्रकार हैं—

प्रेयो गृहागतं कृष्णमवादीद्विदुरो यथा ।

अद्य या मम गोविन्द जाता त्वयि गृहागते

कालेनैषा भवेत्प्रीतिस्तवैवागमनात् पुनः ॥

पात्र का व्यक्तिगत लौकिक स्थायीभाव ही विभावादि से परिपुष्ट होता है। इस स्थायी की परिपुष्टावस्था ही रस है इस प्रकार का भट्ट लोल्लट का मत आगे निदिष्ट किया जायेगा। प्राचीन आचार्यों का भी ऐसा ही मत है (चिरन्तनाना च अयमेव पक्षः) ऐसा अभिनवगुप्त ने कहा है, एवम् अपने कथन की पुष्टि के लिये 'काव्यादर्श' के वचनो का आधार दिया है। भामह-दण्डी के उपर्युक्त वचनो को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि उनकी रसविषयक धारणा व्यक्तिगत स्थायी की परिपुष्टि पर ही आधारित थी। इन चिरन्तन आचार्यों की रसमीमासा के सबन्ध में इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता।

उद्भट के रस विषयक मत

अभिनवगुप्त उद्भट को भी प्राचीन आचार्य मानते हैं। उद्भट की नाट्यशास्त्र पर लिखी टीका उपलब्ध नहीं है। किन्तु उनका 'काव्यालकार-सारसंग्रह' नामक अलकारग्रन्थ तथा अन्य ग्रन्थकारो ने उनके उद्धृत किये हुए वचनो से उनके रसविषयक मतों के सबन्ध में कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। उद्भट ने प्रेयस्वत् काव्य, रसवत् काव्य तथा ऊर्जस्वी काव्य इस प्रकार भेद किये हैं और 'काव्यालकारसारसंग्रह' में इनके लक्षण इस प्रकार दिये हैं —

रत्यादिकाना भावानामनुभावादिसूचनै ।

यत्काव्य बध्यते सद्भिस्तत्प्रेयस्वदुदाहृतम् ॥

रसवद्दृशितस्पष्टशृगारादिरसोदयम् ।

स्वशब्दस्थायिसचारिविभावाभिनयास्पदम् ॥

अनौचित्यप्रवृत्ताना कामक्रोधादिकारणात् ।

भावाना च रसाना च बन्ध ऊर्जस्वि कथ्यते ॥

रसभावतदाभासवृत्ते प्रशमबन्धनम् !

अन्यानुभावनि.शून्यरूप तत्स्यात् समाहितम् ॥

रत्यादि भावों का अनुभावों द्वारा सूचन मात्र करते हुए जो काव्य ग्रथित किया जाता है वह काव्य प्रेयस्वत् है। जिसमें स्वशब्द, स्थायी, संचारी, विभाव तथा अनुभाव (अभिनय) के आश्रय से शृगारादि रसो का उदय स्पष्ट रूप में दिखायी देता है वह काव्य रसवत् है। काव्यगत व्यक्ति काम क्रोध आदि के अधीन होने से उसमें अनुचित रूप में प्रवृत्त रसभाव जिसमें ग्रथित किये होते हैं वह काव्यबन्ध ऊर्जस्वी है, तथा रसभाव अथवा उनके आभासों के प्रशम का जिसमें वर्णन होता है एवम् अन्य किसी भी रस भावों के अनुभावो का वर्णन नहीं होता वह काव्यबन्ध समाहित काव्यबन्ध है।

उद्भट का यह विवेचन दण्डी तथा भामह के विवेचन से आगे बढ़ा हुआ है। भामह दण्डी का प्रेयस् प्रियतराख्यान मात्र तक ही सीमित था, उसका यहाँ इस प्रकार विस्तार किया है कि वह सम्पूर्ण भावों को लागू हो सकता है। पूर्वाचार्यों के ऊर्जस्वी को यहाँ अधिक विशद तथा स्पष्ट रूप में बताया है। यह ऊर्जस्वी ही आगे चल कर रसाभास तथा भावाभास के रूप में परिणत हुआ है। समाहित को भी उद्भट ने इसी प्रकार विशद किया है। भामह ने समाहित का तो लक्षभरण ही नहीं दिया। केवल राजमित्र काव्य के प्रसंग का उदाहरण दे कर समाहितबन्ध बताया है। दण्डी ने सामाहित का लक्षण दिया है किन्तु वह उपलक्षणात्मक वर्णन मात्र है। दण्डी का कथन है—“ किसी कार्य का आरम्भ करने पर दैवयोग में उसके साधन की पूर्णता हुई एव वह कार्य सिद्ध हुआ इस प्रकार का वर्णन ही समाहित है ” किन्तु समाहित की यह बाह्यांग कल्पना मात्र है। उद्भट ने उसके अंतरंग स्वरूप का कथन किया है अतएव उद्भट कृत लक्षण अधिक मूलगामी है। इसके अतिरिक्त, रसविषयक अन्य बातों के विवेचन में भी उद्भट अधिक स्पष्टता लाये हैं।

काव्यविवेचन में उद्भट ने रस और भाव में भेद स्पष्ट करते हुए उनका विभावो के साथ सबन्ध दर्शाया है। अनुभाव मात्र से रत्यादि का सूचन हुआ तो वह भाव है, एवम् विभावादि के आश्रय से शृंगारादि का स्पष्ट उदय हुआ तो वह रस है, ऐसा उद्भट का मत प्रतीत होता है। संभव है कि ये रसभाव काव्यगत व्यक्ति के ही हो ऐसा भी उनका मत था। उनका कथन है कि काव्यगत व्यक्ति काम, क्रोध आदि के अधीन होने से उसमें होने वाला रस, भाव आदि का अनुचित उदय ही ऊर्जस्वी है। इसका अर्थ यह होता है कि रसवत् तथा ऊर्जस्वी में बताया गया भेद काव्यगत व्यक्ति की मनोदशा से संबद्ध है। इन सब बातों की ओर ध्यान देने से प्रतीत होता है कि उद्भट भी परिपुष्टिवादी ही था। उद्भट ने रसवत् काव्य का लक्षण भी भामह के ही शब्दों में दिया है। इस प्रकार उद्भट ने पूर्वाचार्यों के ही मत को अधिक विशद कर, अच्छा रूप दिया है।

इसके अतिरिक्त उद्भट ने अपने विचारों का भी बहुत बड़ा योग दिया हुआ प्रतीत होता है। दण्डी आठ ही रस मानते हैं किन्तु उद्भट ने शान्त सहित नौ रस माने हैं। उद्भट का कथन है कि भावों की अवगति चार प्रकारों से तथा रसों की अवगति पाँच प्रकारों से होती है। भावों के सूचक चार हैं—स्वशब्द, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव, और रस की अवगति के पाँच प्रकार हैं—स्वशब्द, स्थायी, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। प्रतीहारेन्दुराज ने उद्भट के वचन ‘ चतुरूपा भावा ।’ तथा ‘ पचरूपा रसाः ’ उद्धृत किये हैं तथा उसका कहना है कि ये उप-

युक्त अवगतिप्रकरो को ही लक्षित करते हैं। संभव है कि ये वचन 'भामह-
विवरण' में से हों।

उद्भट का मत है कि रस की अवगति कभी स्वशब्द से होती है, और कभी स्थायी के आश्रय से होती है। वैसे ही वह कभी विभाव, कभी अनुभाव और कभी सच्चारि-
भाव के आश्रय से भी होती है। पूर्व रसादिध्वनि के अध्याय में रससूचनान्तर्गत
दिये हुए विभावप्राधान्य (केलीकदलितस्य), अनुभावप्राधान्य (यद्विश्रम्य विलोकि-
तेषु) तथा व्यभिचारिप्राधान्य (आत्तमात्तम्) के उदाहरणों का यहाँ स्मरण रहे।
रस को काव्याश्रित मानने से, यह कहना संभव होगा कि उपर्युक्त उदाहरणों में रस
विभाव मात्र का आश्रित है, अनुभाव मात्र का आश्रित है अथवा सच्चारी मात्र का
आश्रित है। इसी में स्थाय्याश्रित तथा स्वशब्द की जोड़ देने से उद्भट की 'पचरूपा
रसा' तथा 'चतुरूपा भावा' की कल्पना स्पष्ट हो जाती है। उद्भट की यह
कल्पना तथा अभिनवगुप्त का 'ध्वन्यालोकलोचन' स्थित "अन्ये शुद्ध विभावम्,
अपरे शुद्धमनुभावम्, केचित्तु स्थायिमात्रम्, इतरे व्यभिचारिणम्. रसमाहु।"
यह वचन इन दोनों को एकत्रित करने पर लगता है कि संभवतः इन दोनों में कुछ
न कुछ संबन्ध है। "रस स्वशब्दवाच्य हो सकता है" इस रूप के एक प्राचीन
मत की आनन्दवर्धन ने 'ध्वन्यालोक' में आलोचना की है। उद्भट तो अपना मत
'स्वशब्द से रस की अवगति होती है' स्पष्ट रूप में कहते हैं। अतएव साफ दिखाई
देता है कि आनन्दवर्धन अपनी आलोचना में उद्भट ही के मत की खबर ले रहे
हैं। "तथा हि वाच्यत्व तस्य स्वशब्दनिवेदितत्वेन वा स्यात् विभावादिप्रतिपादन-
मुखेन वा" इससे आगे लिखी आनन्दवर्धन की वृत्ति तथा उद्भट की कारिका में
तुलना बड़ी रजक है। उद्भट का यह मत तथा अभिनवगुप्त द्वारा निर्दिष्ट उपर्युक्त
चार मतों को एकत्रित करने से, उद्भट के 'पचरूपा रसाः' इस वचन की सगति
लग जाती है। तथा पूर्व दिये हुए रसविषयक मतों में से पाँचवा तथा छठा मत
उद्भट तथा उनके अनुयायियों का होगा यह कहना संभव हो जाता है। आनन्द-
वर्धन के समान श्रीशकुन्तल भी कहते हैं कि रस स्वशब्दवाच्य नहीं है। स्वशब्द
से स्थायी का अभिधान मात्र होता है, स्थायी का अभिनय नहीं होता, अतएव इससे
रसप्रतीति नहीं हो सकती इस प्रकार की आलोचना अनुमानवादी शकुन्तल ने भी
की है।

रसविवेचन में उद्भट ने और एक बात भी जोड़ दी है। उन्होंने रसों का
स्वरूप तथा दशरूप में रसों का प्राधान्य आस्वाद्यात्व तथा पुमर्थत्व (पुरुषार्थत्व)
की दो कसौटियों पर निर्धारित किया है।

रसस्वरूप ही नहीं प्राप्त हो सकता। वहाँ तो सभी की सयुक्त अवस्था ही दिखायी देगी। इस प्रकार का रस स्वरूप श्रव्यकाव्य में ही हो सकता है। और, क्यों कि उद्भट ने रसो का इस प्रकार का स्वरूप बताया है, कहा जा सकता है कि उन्होंने श्रव्यकाव्य की दृष्टि से रसमीमासा की है।

इस बातपर ध्यान देने से साहित्यविवेचन के विकासान्तर्गत एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट हो जाती है। आजकल एक साधारण धारणा हो गयी है कि रसचर्चा आरम्भ में नाट्य की आनुषंगिक थी तथा आनन्दवर्धन ने काव्यचर्चा से उसका सम्बन्ध जोड़ दिया। इस कथन की भ्रान्ति अब स्पष्ट हो जायगी। 'रसस्वशब्दवाच्य है' आदि वाद आनन्दवर्धन के पूर्व ही उपस्थित हुए थे। और, क्योंकि यह प्रश्न श्रव्यकाव्य की अपेक्षा से ही उपस्थित हो सकते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि आनन्दवर्धन के पूर्व काल से ही रसचर्चा श्रव्यकाव्य के सम्बन्ध में की जा रही थी। इस दृष्टि से चर्चा करनेवाला आनन्दवर्धनपूर्व ग्रन्थकार उद्भट है।

लोल्लट का रसविषयक मत

भामह, दण्डी तथा उद्भट तीनों काव्यगतव्यक्ति को ही रस का आश्रय मानने थे। इनका विचार था कि इस व्यक्ति का रतिक्रोधादि स्थायिभाव पराकोटि तक पहुँचता है अथवा स्पष्टरूप में दर्शित होता है तब वही रसपदवी को प्राप्त होता है। इसी विचार को लेकर भट्ट लोल्लट रससूत्र की विवेचना करते हैं। लोल्लट तथा श्रीशंकु का समय ठीक ठीक नहीं बताया जा सकता। किन्तु, क्योंकि 'अभिनव-भारती' में किये गये निर्देश से दिखायी देता है कि लोल्लट ने उद्भट की तथा श्रीशंकु ने लोल्लट की आलोचना की है, कहा जा सकता है कि उद्भट के बाद लोल्लट के और लोल्लट के बाद श्रीशंकु का समय है। (डॉ. वाटवे ने लोल्लट का समय सन ७०० से ८०० ईसवी तथा श्रीशंकु का समय सन ८२५ ईसवी लिखा है।) [११]

अभिनवगुप्त ने लोल्लट का मत संक्षेप में निर्दिष्ट किया है। उस पर ध्यान देने से प्रतीत होता है कि रसप्रक्रिया के सम्बन्ध में उद्भट तथा लोल्लट का मत एकसा ही था और अभिनवगुप्त का ऐसा निर्देश भी है। संक्षेप में भट्ट लोल्लट का मत इस प्रकार है।

“रससूत्र का कथन है कि विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारिभाव के सयोग ने रसनिष्पत्ति होती है। विभावादि का यह सयोग किससे होता है? लोल्लट का कथन है कि इनका यह सयोग स्थायी से होता है। भट्ट लोल्लट के अनुसार

११. देखिये—डॉ. के. ना. वाटवे—'रसविमर्श' (मराठी).

भी उसे 'राम' ही मानते हैं। इस कारण, नट की क्रियाएँ हम राम ही की क्रियाएँ समझते हैं।

(३) इसीसे नट भी रसास्वाद लेता है ऐसा लोल्लट का कथन है। नट मे वासनावेश होनेसे रसभाव-उत्पन्न होते हैं। (रसभावानामपि वासनावेश-वशेन नटे सभवात्)।

(४) दर्शक नाट्य प्रयोग में बाह्य होता है। नाट्यभावों का ग्रहण वह बाहर ही से करता है (भावानां बाह्यग्रहणस्वभावत्वम्)। यह सब वह दूर रह कर देखता है। रससूत्र की विवेचना में लोल्लट ने यह कहा तो नहीं है। किन्तु दशरूपाध्याय में उद्भट की आलोचना करते हुए अभिनवगुप्त ने यह कहा रखा है।

लोल्लट का शंकुकृत परीक्षण

प्रारम्भिक होने की दृष्टि से लोल्लट की यह उपपत्ति ठीक लगती भी है किन्तु टिक नहीं सकती थी। लोल्लट ने अपना विचार रससूत्र के विवेचन के रूप में प्रस्तुत किया था। इस कारण इस पर दो प्रकार की आपत्तियाँ उठायी गयीं। एक तो यह कि क्या रससूत्र के अभिप्राय की दृष्टि से यही ठीक है और दूसरी आपत्ति यह की, यदि यह भी मान लिया कि यह उपपत्ति-स्वतन्त्र है तो क्या यह परीक्षण सह सकती है? श्रीशंकुक ने लोल्लट की उपपत्ति की दोनों दृष्टियों से परीक्षा की है। संक्षेप में वह इस प्रकार है—

(१) पर्वत पर अग्नि है इस बात का ज्ञान बिना धूम के नहीं हो सकता। इसी प्रकार जबतक स्थायी का विभावादि से योग नहीं होता तबतक स्थायी का भी बोध होना असंभव है। क्योंकि जबतक विभावादि से स्थायी संयुक्त नहीं होता तबतक उसका कोई ज्ञापक ही नहीं हो सकता। और आप तो स्थायी का ज्ञान पहले ही से अध्यहृत समझते हैं? विभावादि से जबतक संयुक्त नहीं होता तबतक स्थायी का ज्ञान नहीं होगा और संयुक्त अवस्था में ज्ञान होगा तो रस ही का होगा न कि अनुपचित स्थायी का।

(२) अच्छा, यह भी मान लिया कि स्थायी आप ही उत्पन्न होते हैं, विभाव द्वारा सूचित होते हैं, अनुभावों द्वारा पुष्ट होते हैं और व्यभिचारिभावों के संयोग से रसत्व प्राप्त करते हैं, तब नाट्यशास्त्र में स्थायीभावों के उद्देश और लक्षणों का विधान पहले होना चाहिये था। किन्तु मुनिने सर्वप्रथम रसों के ही उद्देशों और लक्षणों का विधान किया है।

(३) इतना ही नहीं, भरत ने रसों के सम्बन्ध में जो विभाव-अनुभाव बताये हैं वे ही विभाव-अनुभाव स्थायिभावों के सम्बन्ध में भी बताये हैं। उदा० 'अथ

ने भी इस सबध में सूचना दी है। उन्होंने भावो का रसपूर्वकत्व (रसेभ्यो भावा) तथा रसो का भावपूर्वकत्व (भावेभ्यो रस.) दोनों का कथन किया है एवं दर्शाया है कि नाट्यप्रयोग में नटगत रसो का आस्वाद लेते समय, उस पर से रसिक को रामादि के भाव का बोध होता है (रसेभ्यो भावा), किन्तु लौकिक व्यवहार में उस उस भाव से उस उस रस की निष्पत्ति होती है। श्रीशकुल के अनुसार लोल्लट ने इन दोनों को एक माना है अतएव उनकी उपपत्ति में दोष आ गया है।

(८) लोल्लट की उपपत्ति पर 'ध्वन्यालोकलोचन' में और भी एक आपत्ति उठाई गयी है। — लोल्लट का कथन है कि स्थायी का उपचय ही रस है तथा यह रसनिष्पत्ति उन्होंने मुख्य वृत्ति से रामगत तथा रूपाभिनवेश से नटगत मानी है। किन्तु ऐसा नहीं माना जा सकता। चित्तवृत्ति प्रवाहर्धर्मिणी होती है। किसी न किसी कारण से वह बार बार उत्पन्न होती है, और बारबार नष्ट होती रहती है। वैसे ही चित्तवृत्तियाँ एक के बाद एक आती जाती रहती हैं। इस अवस्था में एक चित्तवृत्ति से दूसरी चित्तवृत्ति का परिपोष कैसे हो सकता है? विस्मय, क्रोध, शोक आदि का तो क्रमशः अपचय ही होता है। तब लोल्लट का माना हुआ स्थाय्युपचय रूप रस रामादि में हो ही नहीं सकता। अच्छा, यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह रस नटगत है। नट की व्यक्तिगत चित्तवृत्ति का परिपोष हुआ, तो लय, ध्रुवा, ताल आदि की ओर जिनके कि सम्बन्ध में नाट्य में बहुत सतर्क होना आवश्यक होता है—नट का कोई ध्यान नहीं रहेगा। (अभिनवगुप्त ने 'अभिनवभारती' में लिखा है, कि उन्होंने ऐसे प्रसंग देखे हैं कि नट में वास्तविक भाव उत्पन्न होने से लयादिभंग तो क्या, उसे यहाँतक भ्रम हो जाता है, कि मूर्च्छा और मरण का आवेश तक उस पर छा जाता है)। साराशः लोल्लट का माना रस रामादि अनुकार्य व्यक्ति अथवा अनुकर्ता नट दोनों में असंभव है। अच्छा, वह रसिक में नहीं माना जा सकता। रसिक की चित्तवृत्ति यदि उपचित्त हुई, तो यह कहना असंभव है कि उसे आनन्द ही होगा। कष्ट आदि में तो दुःख ही होगा। अतएव यह भी नहीं कहा जा सकता कि रसिक की चित्तवृत्ति परिपुष्ट होना ही रस है। अतएव उत्पाद्य-उत्पादक भाव अथवा परिपोष्य-परिपोषक भाव पर आधारित लोल्लट की रसविषयक उपपत्ति स्वीकार्य नहीं है।

कुछ अपूर्ण मत

पूर्व जो रसविषयक मत सगृहीत दिये हैं उनमें एक मत है कि विभावादि से नटगत स्थायी अनुमित होता है तथा रामादि से नट अभिन्न है इस भावना से दर्शक इस अनुमिति का आस्वाद लेता है। वैसे ही एक मत और है कि दीवार

है, शोक का अभिनय नहीं है। किन्तु 'रत्नावली' से निम्नांकित प्रसंग लीजिये। सागरिका ने उदयन का चित्र अकित किया है। यह चित्र उदयन ने देख लिया है। इस चित्र पर एक दाग दिखायी दे रहा था, जैसे पानी की बूद गिरी हो। उसे देख कर उदयन कहते हैं—

भाति पतितो लिखन्त्या तस्याः बाष्पाम्बुशीकरकराँघ्रं ।
स्वेदोद्गम इव करतलसस्पशदिष मे वपुषि ॥

“मेरा चित्र अकित करते समय उसके नेत्र से यह बाष्पबिंदु गिर पड़ा। किन्तु मित्र यह ऐसी शोभा पा रहा है जैसे उसके करस्पर्श से मेरे गरीरपर स्वेदबिंदु हो।” इस वाक्य के अर्थ द्वारा उदयन का रतिभाव अभिनीत होता है; उसका केवल अभिधान नहीं होता। शब्दों की वाचक शक्ति भिन्न होती है और अवगमनशक्ति भिन्न होती है। अवगमनशक्ति अभिनय में होती है, न कि शब्द मात्र में। अतएव स्थायी-भाव का ज्ञान हमें काव्यगत शब्दसे नहीं होता, अपितु नट के अभिनय से हमें स्थायी-भाव अवगत होता है। कवि ने वर्णन किये हुए विभाव, नट ने अध्ययन किये हुए अनुभाव तथा अभिनय द्वारा दर्शाये गये व्यभिचारीभाव इनसे गम्य-गमकभावद्वारा अथवा लिगलिंगीभाव द्वारा स्थायीभाव की अवगति अथवा अनुमिति होती है। अतएव मुनि ने रससूत्र में स्थायी का निर्देश नहीं किया। यह अनुमित स्थायी ही रामगत स्थायी का अनुकार है, अतएव अनुकृत रति ही शृंगार है। रस अनुकरण रूप होता है एवम् अनुकरण से रस की निष्पत्ति होती है।

नट के अभिनय कृत्रिम होने से मिथ्या होते हैं। फिर उनपरसे राम के सत्य स्थायी का ज्ञान कैसे होता है? शकुन का इस पर उत्तर है कि 'संवादी भ्रम के कारण यह सत्य ज्ञात होता है?' व्यवहार में भी संवादी भ्रम के कारण सत्यज्ञान हुआ दिखायी देता है।

मरिणप्रदीपप्रभयोर्मरिणवुद्ध्याभिधावतोः ।

मिथ्याज्ञानाविशेषेऽपि विशेषोऽर्थक्रियां प्रति ॥

किसी ने दूर से मरिणप्रभा देखी और किसी दूसरे ने दीपक की प्रभा देखी। दोनों प्रभा ही को मरिण समझ कर उसे लेने के लिये भ्रष्टे। दोनों ने देखी तो प्रभा ही थी किन्तु प्रभा ही को वे मरिण समझ बैठे। दोनों का ज्ञान मिथ्या था किन्तु उनकी अर्थक्रिया में अर्थात् सफलता में भेद था। मरिणप्रभा को जो मरिण समझा उसे मरिण की प्राप्ति हुई, और दीपप्रभा को जो मरिण समझा उसका जाना आना व्यर्थ रहा। मरिणप्रभा को मरिण समझना संवादी भ्रम है।

(३) यह अनुमित स्थायी 'नट' का नहीं होता।

(४) अनुमित स्थायी रामादिगत स्थायी का अनुकरण मात्र होता है।

(५) अनुमित स्थायी अनुकरण रूप होने से ही इसे रस कहा जाता है। 'भावानुकरण रस' यह रस का स्वरूप है।

(६) दर्शक को 'नट' में रामत्वप्रतीति चित्रतुरगन्याय से होती है। यह प्रतीति मिथ्या तो है किन्तु सवादिभ्रमात्मक है अतएव इससे सत्य रामरति का हमें बोध होता है।

श्रीशकुल की यह उपपत्ति अन्ततः असिद्ध रही, किन्तु इस बात में सदेह नहीं है कि रसप्रक्रिया की विवेचना में यह लोल्लट से आगे बढ़ी हुई है। रगमच पर दिखायी देनेवाला दृश्य मूल घटना नहीं है। शकुल का कहना है कि यह अनुकरण है। हम भी कहते हैं कि 'अभिज्ञानशाकुतल' नाटक में हम देखते हैं दुष्यतशकुतला के शृंगार का अनुकरण, न कि वह शृंगार। शकुल की अनुकरणकल्पना के दोष अभिनवगुप्त के गुरु 'काव्यकौतुक' कार भट्टतौत ने दशौये हैं और रसविवेचना में वे इससे आगे बढ़े हैं। इसी को अब हम देखें।

श्रीशकुल के मत का तौतकृत परीक्षण

श्रीशकुल की इस उपपत्ति के सबन्ध में भट्ट तौत का कहना है कि—आप रस को अनुकरण रूप बताते हैं। किन्तु प्रश्न उठता है कि यह अनुकरण किसकी दृष्टि से है? दर्शक की दृष्टि से, नट की दृष्टि से या विवेचक की दृष्टि से?

एक वस्तु दूसरी किसी वस्तु का अनुकरण है यह कहने के लिये प्रमाण आवश्यक होता है। उदाहरण के लिये, 'अमुक अमुक इस प्रकार मद्यपान करता है' यो कह कर जब कोई पानी पीता है तब हम इसे अनुकरण समझते हैं। यहाँ पानी पीने की क्रिया मद्यपान की क्रिया का अनुकरण है। अब, नट में हम ऐसी कौनसी बात देखते हैं, जिसे कि हम रति का अनुकरण कह सकते हैं? नट का शरीर, उसका धारण किया वेष, उसका भाषण एव क्रियाएँ हम देखते हैं। इन बातों को हम चित्तवृत्ति का अनुकरण नहीं कह सकते। नट में देखे जानेवाले ये अर्थ स्वभावतः जड, चक्षुर्ग्राह्य तथा नटाश्रित हीते हैं; और चित्तवृत्तियाँ चेतन, मनोग्राह्य तथा रामाश्रित हैं। जब दोनों में इतना बड़ा भेद है तो एक को दूसरी का अनुकरण कैसे कहा जा सकता है? इसके अतिरिक्त, हम जो देखते हैं वह अनुकरण है ऐसा मानने से पहले मूल वस्तु का पूर्वज्ञान हमें आवश्यक है। किन्तु रामादि का रति भाव किसीने देखा नहीं है। तब राम की चित्तवृत्ति का नट अनुकरण करता है यह कहना व्यर्थ है।

आदि का सादृश्य है। किन्तु इसी पर से इसे अनुकरण कहना ठीक न होगा। गो और गवय का मुख समान है इस लिये क्या यह कहना उचित होगा कि एक ने दूसरे का अनुकरण किया है? उसके अतिरिक्त, दर्शक भी नहीं समझता कि नट अपने समक्ष किसीका अनुकरण कर रहा है। वस्तुतः, दर्शक की नट के सबन्ध में प्रतीति कभी भावरहित नहीं होती। इस लिये, यह कहना कि दर्शक जो देख रहा है वह अनुकार है—ठीक नहीं।

आप का विचार है कि 'रामच पर जिस नट को हम देखते हैं वह राम है' इस आकार की हमारी जो प्रतीति है वह सम्यक् (सत्य) भी नहीं है और मिथ्या भी नहीं है। किन्तु जब तक नट हमारे सामने खड़ा है तब तक अर्थात् सम्पूर्ण नाटक में यदि हमें उसकी निश्चित प्रतीति होती है, एवम् नाटक देखने के समय उत्तरकालीन बाध (अर्थात् नाटक समाप्त हो जाने पर होने वाले 'यह राम नहीं है इस आकार के बाधक ज्ञान) की कल्पना भी यदि हमें छू तक नहीं जाती तब हम प्रतीति को सत्यप्रतीति मानने में आपत्ति ही क्या हो सकती है? अच्छा, नट का रामत्व उत्तरकाल में बाधित होनेवाला है इस ज्ञान से ही यदि आप नाटक देखते हैं तो इस ज्ञान ही को मिथ्या ज्ञान क्यों कर न माना जाय? वास्तव में, यह तो मिथ्या प्रतीति ही होती है। बाधक ज्ञान का उस क्षण उदय न भी हुआ हो तो भी प्रतीति का मिथ्यात्व तो नष्ट नहीं होता। इस पर यदि आप कहते हैं कि किसी नट ने काम किया तो भी 'यह राम है' यही हमारी प्रतीति रहती है, तब नाटक में प्रतीत होने वाला रामत्व विशेष रूप से व्यक्तिबद्ध न रह कर सामान्य रूप में परिणत हो गया है, यह बात स्वीकार आपको अवश्य ही करनी पड़ेगी।

और विभावो का अनुसंधान नट काव्य से करता है इस आप के कथन का भी क्या अर्थ है? नट तो यह नहीं समझता कि काव्यगत सीता से मेरा कुछ सबन्ध है। सीता के सबन्ध में नट की आत्मीयता तो नहीं होती। इस लिये इस दृष्टि में, विभावो का अनुसंधान नट काव्य से नहीं करता। काव्यार्थ को दर्शको की प्रतीति का विषय बनाना यह यदि अनुसंधान का अर्थ है तब नट को प्रधानतः स्थायी का ही अनुसंधान करना चाहिये, क्यों कि मुख्यतया स्थायी को ही रसिक की प्रतीति का विषय बनाना है (और इधर आप ही बल देकर कहते हैं कि स्थायी का अनुसंधान काव्य से नहीं होता)। एतावता, रस अनुकरण रूप है यह कथन दर्शक की दृष्टि से उपपन्न नहीं होता।

नट की दृष्टि से भी अनुकरण की उपपत्ति का स्वीकार नहीं किया जा सकता। नट यह नहीं समझता कि मैं राम का अथवा उसकी चित्तवृत्ति का अनु-

करण कर रहा हूँ। अनुकरण के दो अर्थ होते हैं — एक है सदृशकरण तथा दूसरा है पश्चात्करण। जब तक मूल व्यक्ति की कृति ज्ञात नहीं है तब तक नट तत्सदृश कृति कर ही नहीं सकता। अतएव प्रथम अर्थ में अनुकरण नट कर ही नहीं सकता [१२] और यदि यह मान लिया कि नट दूसरे अर्थ में अनुकरण करता है, तब नाट्य के क्षेत्र का उल्लघन कर के अनुकरण व्यवहार में भी आ जायगा, एवं किसी की कृति के बाद की हुई कृति को केवल पश्चात्करण होने से ही अनुकरण मानना पड़ेगा।

यह अनुकरण किसी भी विशिष्ट व्यक्ति का नहीं है। उदाहरण के लिये, राम का अनुकरण करने वाला नट विशिष्ट व्यक्ति का अनुकरण नहीं करता है, अपितु उत्तम स्वभाव के पुरुष का अनुकरण करता है। सीता के लिये विलाप करने समय नट उत्तम स्वभाव के पुरुष के समान शोक करता है, ऐसा यदि आप कहना चाहते हैं, तब उत्तम स्वभाव के पुरुष का अनुकरण नट किस प्रकार करता है इस बात की जाँच करनी होगी। यह नहीं कहा जा सकता कि नट शोक का अनुकरण शोक से करता है। क्योंकि नट में तो शोकवृत्ति ही नहीं है। नट के अश्रु-पातादि से शोक का अनुकरण संभव नहीं है, क्योंकि पूर्व बताया जा चुका है कि शोक एक चेतनवृत्ति है तथा अश्रुपात जड है। हाँ, यह संभव है कि उत्तम स्वभाव के पुरुष के जो शोकानुभाव होते हैं उनका नट अनुकरण करे। किन्तु इसमें भी प्रश्न उठता है कि उत्तम स्वभाव के किस पुरुष के शोकानुभावों का वह अनुकरण करता है? यह भी नहीं कहा जा सकता कि 'किसी भी उत्तम स्वभाव पुरुष का अनुकरण नट करेगा।' क्योंकि बिना विशिष्टता के, उसका बुद्धिद्वारा आकलन ही नहीं हो सकेगा। यदि ऐसा कहना है कि 'जो कोई इस प्रकार शोक करता है उसीके ये अनुभाव हैं' तब स्वयम् नट ही का इसमें अनुप्रवेश होता है। फिर अनुकार्य और अनुकर्ता यह संबन्ध हो कहां।

वस्तुस्थिति यह है कि नट अभिनय की शिक्षा पाता है, अपने विभावों का स्मरण रखता है, एवम् चित्तवृत्ति के साधारणी भाव से उसका हृदयसवाद हो कर उस अवस्था में वह अनुभाव प्रकट करता है तथा अपना भाषण विशिष्ट प्रकार से कहते हुए वह रगमच पर क्रियाएँ करता रहता है। नाट्य के संबन्ध में उसका

१२. पौराणिक अथवा ऐतिहासिक नाटकों की मूल व्यक्तियों पूर्वकालिक होने से इनमें अनुकरण की कल्पना संभव हो भी सकती है। किन्तु प्रकरणादिगत पात्र तो कल्पित ही होते हैं। इनके संबन्ध में अनुकरण की संभावना कैसे हो सकती है? इस प्रकार बड़ा ही मार्मिक प्रश्न 'रसप्रदीप' में प्रभाकर ने उपस्थित किया है।

भान इतना ही होता है। इस बात को अनुकरण नहीं कहा जा सकता। अतएव नट की दृष्टि से भी अनुकरण की उपपत्ति सिद्ध नहीं होती।

विवेचक की दृष्टि से भी अनुकरण उपपन्न नहीं होता। भरत ने कही भी कहा नहीं कि, 'स्थायी का अनुकरण ही रस है।' वह अनुकरण हो सकता है ऐसा समझने के लिये नाट्यशास्त्र में कोई गमक भी नहीं है। प्रत्युत नट के नाटकीय क्रियाओं को ध्रुवा, लय, ताल आदि की प्रत्येक समय सगत दी जाती है। इस से तो और भी स्पष्ट होता है कि नाट्य में अनुकरण कतई नहीं होता। इसे यदि अनुकरण माना गया तो लौकिक व्यवहार की क्रियाएँ भी हम ताल और लय के साथ करते हैं ऐसा मानना पड़ेगा।

श्रीशकुल का चित्रतुरग का दृष्टान्त भी नाट्य को लागू नहीं होता। दीवार पर किये गये रंगों के मिश्रण से लौकिक अश्व की अभिव्यक्ती नहीं होती। अश्व के अवयव सनिवेश के समान दीवार पर रंगों का विशिष्ट रूप में अवयव सनिवेश किया रहता है इस लिये दीवार पर अश्व के समान प्रतिभास होता है। विभावादि से इस प्रकार प्रतिभास नहीं होता। विभावादि का समूह तो रति का प्रतिभास नहीं है। इसलिये चित्रतुरग का दृष्टान्त भी यहाँ उपपन्न नहीं होता। अतएव श्रीशकुल द्वारा बतायी गयी 'भावानुकरण रस.' वाली उपपत्ति स्वीकार्य नहीं है।

भट्टतौत का मत : नाट्य अनुकरण नहीं है, अनुव्यवसाय है

रस स्थायी की उत्पत्ति नहीं है अथवा परिपुष्टि भी नहीं है, रस स्थायी की अनुमिति नहीं है अथवा अनुकृति भी नहीं है। फिर नाट्य में है क्या? इसके अतिरिक्त भरत के 'सप्तद्वीपानुकरण नाट्यमेतन्मया कृतम्' इस वचन की सगति कैसे हो सकती है। भट्टतौत का इस पर कथन है कि नाट्य में अनुकृति नहीं होती है, अनुव्यवसाय होता है। अनुकृति और अनुव्यवसाय एक ही नहीं है। भट्टतौत ने अपना यह मत 'काव्यकौतुक' नामक ग्रन्थ में प्रस्तुत किया है। यह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है किन्तु अभिनवगुप्त ने भरत के

नैकान्ततोऽस्ति देवानामसुराणां च भावनम् ।

त्रैलोक्यस्यास्य सर्वस्य नाट्य भावानुकीर्तनम् ॥

इस श्लोक की टीका में भट्टतौत का मत सक्षेप में दिया है। इस पर से भट्टतौत के मत की कुछ कल्पना की जा सकती है [१३]।

१३. असलुपाध्यायकृते काव्यकौतुकेऽयमेव अभिप्रायो मन्तव्यो, न तु अनिश्चयानुकारोऽपि, तेन अनुव्यवसायविशेषविषयीकार्यं नाट्यम्। (अ. भा.)

नाट्यकाल में रसिक का मन दर्पण के समान निर्मल हो जाता है एवम् अभिनय के अवलोकन से वह हर्ष, शोक आदि भावो मे तन्मय हो सकता है। इस समय राम, रावण आदि पात्रो के सबन्ध मे उसे जो प्रतीति होती है वह देश, काल, व्यक्ति आदि से सीमित नहीं रहती। अतएव कवि द्वारा वर्णित अथवा नटद्वारा दर्शित राम, रावण आदि के सस्कार न रह कर उनमें कवि अथवा नट के आत्मगत सस्कारो की अनुवृत्ति की साधारण्य की भूमिका पर से होती है अतएव कवि तथा नट की उन पात्रो के साथ आत्मरूपता हो जाती है एवम् आत्मद्वारा ही वे सम्पूर्ण विश्व का अवलोकन करते है (सचमत्कारतदीयचरितमध्यप्रविष्टस्वात्मरूपमति स्वात्मद्वारेण विश्व तथा पश्यन्)। इस प्रकार नाट्य मे कवि के अन्तर्गत सस्कार ही साधारण्य की भूमिका से प्रकाशित होते है। नट इसी भूमिका पर से तज्जातीय सस्कार अभिनयद्वारा प्रकाशित करता है। एव दर्शक भी साधारण्य से ही इनका ग्रहण करके आत्मानुप्रवेगपूर्वक तज्जातीय भावो का आस्वाद लेता है। इस प्रकार नाट्य मे त्रैलोक्यगत भावो का अनुकीर्तन होता है।

वह अनुकीर्तन विशेष रूप का अनुव्यवसाय ही है। लौकिक जीवन में हमारे ऊपर सुखदुःखवृत्तिरूप अथवा बोधरूप सस्कार होते रहते है। वे ही सस्कार जब हमारे प्रत्यक्ष का विषय होते है तब उस प्रत्यक्ष के द्वारा होनेवाले ज्ञान को अनुव्यवसाय कहा जाता है। न्याय की दृष्टि से अनुव्यवसाय है प्रत्यक्ष ज्ञान का भान, और वेदान्त की दृष्टि से अनुव्यवसाय है सुखदुःखात्मक भावो का अथवा बोध का प्रत्यक्ष। किसी भी दृष्टि से देखिये, अनुव्यवसाय ज्ञान का ज्ञान ही है (तद्वेदन-वेद्यत्वम्)। कवि के वृत्तिरूप अथवा बोधरूप सस्कार ही शब्दार्थ के माध्यम द्वारा प्रत्यक्ष का विषय होते है। नट के अभिनय मे तज्जातीय सस्कार ही प्रत्यक्ष दर्शित होते है, एवम् दर्शक भी तज्जातीय सस्कारो का दर्शन करता है, तथा यह सब साधारण्य की भूमिका से होता है इस कारण इन सब में सवादित्व रहता है। अतएव नाट्य मे विशेष रूप का अनुव्यवसाय रहता है। इस अनुव्यवसाय की ही अनुमति समझना ठीक नहीं।

इस पर यदि अनुकृतिवादी पूर्वपक्षी यो कहे कि, 'यह तो ठीक है कि नाट्य मे कथावस्तु आदि सभी बातो मे साधारण्य होता है। यह भी स्वीकार है कि इनमें से कोई भी बात व्यक्तिबद्ध नहीं रहती, किन्तु इसी से नाट्य में अनुकरण नहीं रहता यह कैसे कहा जा सकता है? नाट्य में नियत अथवा विशेष व्यक्ति का अनुकरण भले ही न हो, किन्तु नाट्य में अनियत व्यक्ति का अनुकरण नहीं होता यह कैसे कहा जाय?' तब इस पर अभिनत गुप्त का उत्तर है कि 'हमे इसमे कोई आपत्ति नहीं है; किन्तु वास्तविक अङ्गचन यह है कि सामान्य का

‘लोकवृत्तानुकरण’ शब्द का भरत ने ‘लोकवृत्तानुसरण’ के अर्थ में प्रयोग किया है। उनका कथन है कि नाट्यक्रीडा लोकवृत्तानुसारी रहती है। किन्तु लोकवृत्त का दर्शन करना हो तो वह अनाश्रित अवस्था में केवल तत्त्वतः कल्पना असम्भव है। अतएव इसका दर्शन कराने के लिये कवि पात्ररूप आश्रय का निर्माण करता है। लोकवृत्त के जिस विशिष्ट अंग का दर्शन करना हो उसके लिये पहले से ही कोई ऐतिहासिक अथवा पौराणिक व्यक्ति लोक में प्रसिद्ध हो, तो इसी व्यक्ति का वह पात्र अथवा प्रणालिका के रूप में उपयोग करता है [१४] ऐसे नाट्य में उस व्यक्ति का अनुकरण नहीं किया जाता, अपितु इस पात्रके आश्रय से लोकवृत्त का अनुकरण किया जाता है। भट्टतौत कहते हैं कि नाट्य को जब अनुकरणकहा जाता है तब इस बात का स्मरण रखना आवश्यक है कि इस कथन की पृष्ठभूमि में लोकवृत्तानुसरण की कल्पना होती है, न कि सदृशकरण की।

ध्वनिकार का मत

श्रीशुक के मत का परीक्षण करते हुए हम भट्टतौतक आ पहुँचे तथा तौत का भी मत देखा। किन्तु इसीके मध्य की एक सीढी हमने छोड़ दी। भट्टतौत से पूर्व आनन्दवर्धन ने ‘रस ध्वनित होता है’ यह मत बड़े जोर से प्रवर्तित किया। काव्यनाट्यगत अन्य बातें वाच्य हो सकती हैं किन्तु रस स्वप्न में भी वाच्य नहीं रह सकता। वह उत्पन्न नहीं होता, वह अनुमित नहीं होता, वह वाक्यका तात्पर्यार्थ नहीं है, वह अभिधा अथवा लक्षणा का विषय नहीं है। काव्यगत शब्द के व्यजना नामक व्यापार द्वारा रस अभिव्यक्त होता है। ‘रस भाव आदि विभावादि द्वारा प्रतीत होता है। काव्य पढते समय अथवा नाट्य देखते समय, सहृदय की तत्त्वदर्शिनी बुद्धि में वह समकाल ही अवभासित होता है। इस रस-प्रतीति में क्रम तो है किन्तु भट्टिति प्रत्यय के कारण इस क्रम का हमें ज्ञान नहीं होता। अतएव रसभावादि असलक्ष्यक्रम ध्वनि है”

आगे चल कर अभिनवगुप्त ने आनन्दवर्धन के इस मत को विशद किया। रसप्रक्रिया के इतिहास में अन्तिम मत अभिनवगुप्त का ही माना जाता है। “रस अभिव्यक्त होता है” इस मत को अभिनवगुप्त ने प्रस्थापित तो किया है किन्तु इस मत की मूल विवेचना अभिनवगुप्त की नहीं है। इस मत को सर्वप्रथम ध्वनिकार तथा आनन्दवर्धन ने प्रस्तुत किया। काव्यगत शब्दार्थ तथा नाट्यगत अभिनय

१४. लोकवृत्तानुसारेण यत इयं नाट्यक्रीडा, लोके च धर्मादयोऽनाश्रया न संवेदनयोग्याः, तेन धर्मादिविषये यो यथा प्रसिद्धो रामादिः, स शब्दमात्रोपयोगित्वेन मुख्यया प्रणास्त्रिका गृहीतः।

द्वारा दर्शाये गये विभावादि रस के व्यञ्जक हैं। रसाभिव्यक्ति ही कवि का एकमात्र प्रयोजन है। इसको लक्ष्य कर के ही कवि शब्दार्थ का प्रयोग करता है। काव्य तथा नाट्य की कथावस्तु, तद्गत प्रसंग, पात्र वर्णन आदि सभी अर्थ रसाभिमुख ही होने चाहिये। इस विषय में कवि सतर्क रहता है^१। ध्वनिकार ने कहा है—

वाच्याना वाचकानां च यदौचित्येन योजनम् ।
रसादिविपयेरौतत् कर्म मुख्य महाकवे ॥

काव्य तथा नाट्य के रसाभिव्यञ्जकता का स्वरूप ध्वनिकार ने इस प्रकार बताया है—

विभावभावानुभावसचार्यौचित्यचारुणः ।
विधिः कथाशरीरस्य वृत्तस्योत्प्रेक्षितस्य वा ॥
इतिवृत्तवशायाता त्यक्त्वाननुगुणा स्थितिम् ।
उत्प्रेक्ष्याऽभ्यन्तराभीष्टरसोचितकथोन्नयम् ॥
सन्धिसन्ध्यगघटन रसाभिव्यक्त्यपेक्षया ।
न तु केवलया शास्त्रस्थितिसपादनेच्छया ॥
उद्दीपनप्रशमने यथावसरमन्तरा ।
रसस्यारब्धविश्रान्तेरनुसन्धानमङ्गिनम् ॥
अलङ्करीणां शक्तावप्यानु रूप्येण योजनम् ।
प्रबन्धस्य रसादीनां व्यञ्जकत्वे निबन्धनम् ॥ (ध्व. ३। १०-१४)

यह तो बात अनुभवसिद्ध है कि महाकवियों के काव्य, नाट्य आदि में रसास्वाद प्राप्त होता है। इस रस का प्रकाशन इस कृति के द्वारा कैसे होता है यही उपर्युक्त कारिकाओं में दर्शाया गया है। यह प्रकार उपन्यास करके आनन्दवर्धन कहते हैं— 'यह स्पष्ट होगा कि महाकवियों का समूचा काव्यव्यापार रसाभिव्यक्ति के लिये ही होता है। पहली बात यह है कि कवि जिस रस की अभिव्यक्ति करना चाहता है उस रस के लिये उचित विभावानुभाव, स्थायी तथा सचारी जिस कथावस्तु में उचित रूप से एकत्रित हो सकते हैं ऐसी ही कथावस्तु कवि चुन लेता है अथवा अपनी प्रतिभा के बल से रचता है। वह सतर्क रहता है कि इस कथावस्तु में रसोचित घटना, पात्रों के रसोचित व्यापार, तथा रसोचित अन्य विविध भाव सहजता से प्रकाशित होने चाहिये व कृत्रिम अथवा आगन्तुक नहीं देखने चाहिये। विभावानुभावों का औचित्य लोकव्यवहार से निर्धारित किया जा सकता है। किन्तु इस कथा में अनुस्यूत दिखायी देनेवाले स्थायी का प्रधान पात्र की प्रकृति से औचित्य होना आवश्यक होता है। पात्र की जो प्रकृति हो उस प्रकृति द्वारा वह विभाव

आवश्यक ही प्रकाशित होता है। इसमें असम्भवनीयता कुछ नहीं है (भावौचित्य तु प्रकृत्यौचित्यात्—आनन्दवर्धन)। कवि यदि इतिहास अथवा पुराण से कथावस्तु लेना चाहता है तो ऐसी ही कथावस्तु लेता है जो कि रसाभिव्यक्ति के लिये पोषक हो सकती है। इतना नहीं, मूल कथावस्तु में यदि रस का कुछ बाधक हो तो कवि उस कथा में परिवर्तन कर के अथवा अपनी ओर से उसमें कुछ जोड़ कर, उसे रसानुवृत्ति बनाता है। इस बात का स्मरण रहे कि कवि नित्य रसपरतन्त्र ही होता है। ऐतिहासिक काव्य में इतिहास कथन उसका प्रयोजन नहीं रहता। वह कार्य तो इतिहास ही कहता है। रसाभिव्यक्ति के एक साधन के रूप में कवि ऐतिहासिक घटना को उठा लेता है [१५]। ऐतिहासिक कथावस्तुओं में भी रसयुक्त कथाएँ अनेक हो सकती हैं। उनमें से किसी भी एक कथा को लेने से काम नहीं चलता। इनमें से भी महाकवि उसी कथा को चुन लेता है जिसमें कि रसोचित विभाव आ सकते हैं। कल्पित कथावस्तु के सम्बन्ध में तो कवि को बहुत ही सतर्क रहना आवश्यक हो जाता है। ऐसी कथा में अल्प अनवधान से भी कवि की अव्युत्पत्ति प्रकट हो जाती है। कथा की कल्पना भी ऐसी करनी चाहिये कि सम्पूर्ण कथावस्तु रसमय प्रतीत हो [१६]।

प्रबन्ध की रसाभिव्यक्ति का दूसरा गमक है कथा में ग्रथित प्रसंगों का सहज, सभाव्य तथा अपरिहार्य उपनिबन्धन। यह निबन्धन यदि औचित्यपूर्ण हो तो इसका पर्यवसान रसाभिव्यक्ति में होता है। यही है महाकाव्यगत घटकों की आकांक्षा तथा योग्यता। संधि, सन्ध्यग, वृत्त्यग आदि अर्थों की काव्य में स्थिति रसानुगुण होने से ही रहती है। शास्त्र में वर्णित ये अर्थ काव्य में रसानुगुण हो कर ही आने चाहिये, केवल शास्त्रदृष्ट अर्थ काव्य में ग्रथित करना है इसलिये नहीं। आनन्दवर्धन इस विषय में अनुकूल प्रतिकूल दोनों उदाहरण देते हैं।

प्रबन्ध के रसाभिव्यञ्जकता का और एक गमक यह है कि महाकवियों की कृति में रसों का उद्दीपन एवम् प्रथम प्रसंग के अनुसार तथा प्रकृतिसिद्ध क्रम से होता है। काव्यगत प्रधान रस का अनुसंधान निरन्तर बनाया रखा जाता है। अगभूत अनेक रसों का मुख्य रस के साथ अनुसंधान किस प्रकार होता है इसके उदाहरण के रूप में आनन्दवर्धन ने 'तापसवत्सराज' नाटक का उल्लेख किया है।

१५. कविना काव्यमुपनिबन्धनता सर्वात्मना रसपरतन्त्रेण भवितव्यम्। तत्र इतिवृत्ते यदि रसानुगुणां स्थितिं पश्येत् तदेमां भङ्क्त्वापि स्वतन्त्रतया रसानुगुण कथान्तरमुत्पादयेत्। न हि कवेः इतिमात्रनिर्वहणेन किञ्चित् प्रयोजनम्। इतिहासदिव तत्सिद्धेः।— आनन्दवर्धन

१६. कथा शरीरमुत्पाद्य वस्तु कार्यं तथा तथा।

यथा रसमयं सर्वमेव तत्प्रतिभासते ॥

इस सौंदर्यविशेष का ज्ञाता सहृदय है। तथा रसज्ञता ही सहृदय का लक्षण है। शब्दार्थों का सरलता से रसादि में पर्यवसान होना ही काव्यगत शब्दार्थों का विशेष है। शब्द में यह सामर्थ्य व्यजकत्व के कारण आता है। अतएव काव्यगत शब्दार्थों का चारुत्व व्यजकत्वाश्रित ही रहता है (रसज्ञता एव सहृदयत्वम्। तथा-विधै सहृदयै. सवेद्य रसादिसमर्पणसामर्थ्यमेव नैसर्गिकशब्दानां विशेषः इति व्यजकत्वाश्रय्येव तेषा मुख्य चारुत्वम्—आनन्दवर्धन)।

साराशः, महाकवियों का सपूर्ण काव्यव्यापार रसाश्रित ही होता है। विश्व में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो कि अभिमत रस के अग्र के रूप में काव्यविशिष्ट होने पर आस्वाद्य नहीं होती। तथा एक भी अचेतन पदार्थ ऐसा नहीं है जो कि काव्य में विभाव के रूप में अथवा चेतन व्यवहार द्वारा रसादि का अग्रभूत नहीं होता [१७]। अतएव काव्यगत शब्दार्थों का पर्यवसान रसास्वाद में होता है, रसास्वाद की अपेक्षा से ही इन शब्दार्थों का सौंदर्य प्रतीत होता है, एव यह सौंदर्य शब्दार्थों की व्यजकता में ही स्थित होता है।

इस प्रकार आनन्दवर्धन ने अपना मत प्रस्तुत किया। व्यजकता की सिद्धि के लिये उन्हें वैयाकरण, नैयायिक तथा मीमांसकों के साथ वाद करना पड़ा। इस वाद से हमें यहाँ कुछ प्रयोजन नहीं है। आनन्दवर्धन के इसी मत का विशद विचार अभिनवगुप्त ने 'ध्वन्यालीकलोचन' में स्वतन्त्ररूप में तथा 'अभिनवभारती' में रससूत्र के आधार पर किया है।

इस प्रकार नवी शती के पूर्वार्द्ध में ही साहित्य क्षेत्र में रसविषयक तीन वाद-लोल्लट का उत्पत्ति वाद अथवा परिपोषवाद, श्रीगणेश का अनुमितिवाद अथवा अनुकृतिवाद एवं ध्वनिकार का अभिव्यक्तिवाद उपलब्ध हुए। इनके अतिरिक्त और भी दो वाद अभिनवगुप्त के समक्ष थे। एक है सांख्यो का वाद कि रस तो सुख-दुःखो को उत्पन्न करनेवाला बाह्य भाव ही है, तथा दूसरा है भट्टनायक का भावकन्व वाद। इन दोनों का स्वरूप अब हम देखें।

सांख्यो का सुखदुःखवाद

'अभिनवभारती' में सांख्यदर्शन पर आधारित एक मत यो निर्दिष्ट किया गया है—नाट्य में जो बाह्य विषयसामग्री दर्शाई जाती है वही रस है। यह विषय-सामग्री त्रिगुणात्मक होने से इसका तो स्वभाव ही सुखदुःखरूपता है। सुखदुःख

१७. परिपाकवतां कवीना रसादितात्पर्यविरहे व्यापार एव न शोभते। रसादितात्पर्ये च नास्त्येव तद्वस्तु यदभिमतरसांगतां नीयमाना न प्रगुणीभवति। अचेतना अपि हि भावा यथा-यथमुचितरसविभावतया चेतनवृत्तान्तयोजनया वा न सन्त्येव ते ये यान्ति न रसांगताम्।

निर्माण की शक्ति इसमें सहजसिद्ध है। यह सुखदुःखस्वरूप विषयसामग्री ही रस है। इनके मन्तव्य के अनुसार रसप्रतीति का स्वरूप इस प्रकार है—विभाव दलस्थानीय है। रसनिष्पत्ति की घटना में विभावों की अक्रुर दशा है। अनुभाव तथा व्यभिचारी के कारण अक्रुर पर सस्कार होते हैं एवम् इन तीनों क्लेश सामग्री से सुखदुःखस्वरूप आंतर स्थायी उत्पन्न होते हैं। रस सुखदुःखरूप होने से सुखदुःखात्मक बाह्य विषय सामग्री में ही स्थित रहता है, क्योंकि बाह्य विषयों का स्वभाव ही सुखदुःखरूपता है। अतएव विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारीभावों की सामग्री ही रस है।

साख्यो की यह उपपत्ति स्वीकार्य नहीं है। इस उपपत्ति पर पहली आपत्ति यह है कि “स्थायिभावान् रसत्वमुपनेष्यामः” इस तथा तत्सदृश अन्य सूत्रों का अर्थ करने में लक्षणा का आश्रय करना पडता है। इस सूत्र का अर्थ है, ‘लौकिक दृष्टि से जो स्थायी भाव होते हैं उनको रसत्व कैसे प्राप्त कराया जाता है यह हम कथन करेंगे।’ किन्तु, इन विवेचकों का ही कथन है कि, उपर्युक्त मत का स्वीकार करने से इस सूत्र का वाच्य अर्थ लेना असंभव हो जाता है। यह तो एक दोष है कि सूत्रों का अर्थ करने में लक्षणा का आश्रय करना पड़ें। अतएव, अभिनवगुप्त का कथन है कि, यह मत विचार करने के भी योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, इस मत में प्रतीति वैषम्य का दोष आता है। सुखदुःखस्वभावरूप बाह्य विषय ही यदि रस है, तो एक ही बाह्य विषय एक को सुख तथा दूसरे को दुःख देगा। एवम् इस प्रकार एक ही रस की प्रतीति में वैषम्य निर्माण होगा। इस दोष के तथा अन्य अनेक दोषों के कारण यह मत स्वीकार्य नहीं होता।

भट्टनायक का मत

भट्टनायक अभिनवगुप्त के बृद्धसमसामयिक थे। इन्हें ध्वनितत्व स्वीकार न था। आनन्दवर्धन के “रस ध्वनित होता है” इस मत के खण्डन के लिये इन्होंने ‘हृदयदर्पण’ नामक ग्रन्थ लिखा। इनके मत के अनुसार, रस उत्पन्न नहीं होता, अनुमित नहीं होता, अथवा अभिव्यक्त भी नहीं होता; अपितु भावकत्व नामक व्यापार द्वारा रस भावित होकर भोजकत्व नामक व्यापार द्वारा रसिक उसका आस्वाद लेता है। भट्टनायक ने अपना मत इस प्रकार प्रस्तुत किया है।

रस अनुमित नहीं होता। यदि माना गया कि वह अनुमित होता है तब या तो वह परगत होने के कारण अनुमित होगा या स्वात्मगत है इसलिये प्रतीत होगा। परगत होने से यदि वह अनुमित हुआ तब रसिक की उसके संबन्ध में तटस्थता रहेगी। इससे उसका आस्वाद संभव न रहेगा। रामादि के काव्यनाट्य में तो वह स्वगतत्व से प्रतीत ही नहीं हो सकता। रस आत्मगतत्व से प्रतीत होता है ऐसा


यदि मानना हो तो हमारे मन में रसोत्पत्ति हुई है यह भी मानना ही पड़ेगा (क्यों कि केवल कल्पित वस्तु के अनुमान में कुछ अर्थ नहीं होता) और इस प्रकार की रसोत्पत्ति तो रसिक के मन में होना ही असंभव है। सीता रसिक के हृदयगत रसोत्पत्ति का विभाव हो ही नहीं सकती। यह तो ठीक है कि रसिक की वासना का विकास होने के लिये साधारणीभूत कान्तात्व कारण होगा; किन्तु सीता, पार्वती आदि देवियों के वर्णन में कान्ता का साधारणीभाव प्रतीत नहीं हो सकता। इनके विषय में हमारी जो पूज्यत्वबुद्धि है वह इस साधारणीकरण में बाधक होगी। अच्छा, इन प्रसंगों को देखने के समय रसिक को अपनी कान्ता का स्मरण होता है यह भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि ऐसा अनुभव नहीं है। यह रही शृंगार की बात। वीर रस के आस्वाद में भी यही अड़चन है। राम, कृष्ण, शिव तो असाधारण पुरुष थे। उनका सामान्यीकरण कैसे हो सकता है? सेतुबन्धनादि इनकी अलोकसामान्य कृति का रसिकों के लिये विभाव के रूप में साधारण्य कैसे हो सकता है? राम के उत्साह का ज्ञान इसे कारण होगा यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उत्साहगुरायुक्त राम की स्मृति होना असंभव है। इसका कारण यह है कि स्मृति के लिये अनुभव की पृष्ठभूमि आवश्यक होती है और राम के उत्साह का अनुभव तो रसिक ने कभी किया नहीं रहता। अच्छा, यदि ऐसा मान लिया कि हम राम के जीवन की घटनाएँ देख रहे हैं, अथवा पढ़ रहे हैं, इस लिये, अब इन घटनाओं से हमें राम के उत्साह की प्रतीति होगी, तब यह प्रतीति रसोत्पत्ति का कारण नहीं होगी; क्योंकि यदि मान लिया कि किसी का उत्साह देखने पर हमारे मन में रसोत्पत्ति होती है, तब तो यह भी मानना पड़ेगा कि व्यवहार में भी प्रेमिकों का व्यापार देखते ही हमारे मन में शृंगार का आविर्भाव होता है।

रसोत्पत्ति के पक्ष पर भी उपर्युक्त दोष आ जाते ही हैं। इसके अतिरिक्त करुणारसयुक्त काव्य में दुःखोत्पत्ति का प्रसंग आयेगा।

रस अभिव्यक्त होता है यह भी मानना असंभव है। क्योंकि वासनात्मक शक्ति के रूप में स्थित शृंगार अभिव्यक्त होने के लिये जो साधन आवश्यक होंगे उनके अल्पत्व अथवा अधिकता के अनुसार रसाभिव्यक्ति भी अल्प अथवा अधिक होगी। अपने मन में रसाभिव्यक्ति अधिक हो इस हेतु रसिक को अधिकाधिक बलवान् विभावों के पीछे मानों दौड़ना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त और एक प्रश्न रहेगा कि रस की स्वगत अभिव्यक्ति होती है अथवा परगत अभिव्यक्ति होती है? अतएव ये तीनों उपपत्तियाँ स्वीकार्य नहीं हो सकती।

अतएव भंडुनायक अपनी उपपत्ति इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। काव्य तथा शास्त्र दोनो शब्दरूप होते हैं, किन्तु तब भी काव्यगत शब्दों का कार्य एवम् शास्त्रगत शब्दों

वादि को काव्यगत व्यक्ति से सबद्ध समझते हैं तबतक रसनिष्पत्ति असंभव है। तब यह सिद्ध हुआ कि विभावादि साधारणीकरण से रसनिष्पत्ति होती है। किन्तु व्यक्तिनिष्ठ रूप में दिखायी देनेवाले विभावादि साधारणीकृत किस प्रकार होते हैं? भट्टनायक का कथन है कि विभावो का साधारणीकरण काव्यगत निर्दोषता, गुण तथा अलंकार एवम् नाट्यगत अभिनय के कारण होता है। मीमांसको की परिभाषा में कहा जा सकता है कि काव्यगत भावना में रस साध्य है, विभावादि का साधारणीकरण साधन है एवम् गुणालंकार तथा अभिनय इतिकर्तव्यता है। 'काव्यं रसान् भावयति' इस वाक्य का अर्थ यह हुआ — गुणालंकार अथवा अभिनय द्वारा संपन्न होनेवाले विभावादि के साधारणीकरण रूप साधन से काव्य रसो को निर्माण करता है। काव्यगत शब्दों में स्थित यह साधारणीकरण का व्यापार ही भावना है। भावना का अर्थ है भावकत्व। 'काव्य रसो का भावक है' अर्थात् काव्य में भावकत्व है। 'तच्चैतत् भावकत्व नाम रसान् प्रति यत् काव्यस्य तद् विभावादीनां साधारणत्वापादन नाम।' (लोचन)। मीमांसा की आर्थी भावना से रसभावना की तुलना इस प्रकार हो सकेगी —



रसभावना के व्यापार में विभावादि का साधारणीकरण साधनांश (करणांश) है। इसका अर्थ है कि रस तथा साधारणीकरण में अव्यभिचारी संबन्ध है। विभावादि के साधारणीकरण से रस भावित होता है अर्थात् रामादि की रत्यादि स्थायी चित्तवृत्ति साधारणीकृत होती है। इस प्रकार जब रस भावित होता है तब रसिक को उसका विशेष रूप में साक्षात्कार होता है। यही भोग है। रामादि की चित्तवृत्ति — जो कि भावना का विषय बन चुकी है — जब साधारण्य से प्रतीत होती है तब रसिक उसके संबन्ध में तटस्थ नहीं रहता, अपितु उसका भोग कर

भट्टनायक के मत का परीक्षण

भट्टनायक की इस उपपत्ति की अभिनवगुप्त ने आलोचना की है। भट्टनायक के पूर्व ही आनन्दवर्धन ने व्यञ्जनाव्यापार के आधार पर रस की उपपत्ति निर्धारित की थी। लोल्लट तथा श्रीशकुन की उपपत्तियों के दोष भट्टनायक को प्रतीत हुए थे। किन्तु वे व्यञ्जनाव्यापार स्वीकार नहीं करते थे अतएव आनन्दवर्धन की रसाभिव्यक्ति की उपपत्ति भी उन्हें स्वीकार नहीं थी अतएव उन्होंने शब्दों के दो व्यापारों की — भावना तथा भोगीकरण की — कल्पना की। अभिनवगुप्त का विचार है कि भट्टनायक का अभिप्रेत अर्थ यदि व्यञ्जनाव्यापार ही से सिद्ध हो सकता है तब इन दोनों अधिक व्यापारों की आवश्यकता ही क्या है ?

भट्टनायक ने प्रतीति का स्वगत तथा परगत विभाग करते हुए जो आपत्ति उठायी है वह भट्टलोल्लट के उत्पत्तिवाद के सबन्ध में सत्य है। किन्तु अभिव्यक्तिवाद के संबन्ध में नहीं। यह तो कहना ही असंभव है कि रस प्रतीत नहीं होता। चाहे जिस पक्ष का स्वीकार कीजिये, रस की प्रतीति का तो परिहार नहीं हो सकता। रस यदि प्रतीत न होगा तब पिशाच के सबन्ध में जैसे कुछ कहा नहीं जा सकता वैसे ही रस के सबन्ध में भी कुछ कहा नहीं जा सकेगा। अतएव यह तो मानना ही पड़ेगा कि रस प्रतीत होता है। हाँ, इस प्रतीति का स्वरूप अवश्य विशिष्ट है। व्यवहार में भी प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, योगिप्रत्यक्ष आदि उपायों द्वारा प्रतीति ही होती है। किन्तु 'प्रतीतित्व' रूप धर्म इन सब में समान होने पर भी उपायभेद के कारण इनमें भेद होता ही है। प्रत्यक्ष प्रमाण (उपाय) से होनेवाली प्रात्यक्षिक प्रतीति, अनुमान से होनेवाली आनुमानिक प्रतीति, आप्तवाक्य से होनेवाली शाब्दप्रतीति; इस प्रकार उपायभेद से इस प्रकार एक प्रतीति का अन्य प्रतीति से भेद माना जाता है। इसी प्रकार यह रसप्रतीति भी — जिसके कि चर्वणा, आस्वादन, भोग, समापत्ति, लय, विश्रान्ति आदि अनेक नाम हैं — भिन्न प्रकार की है इस बात को अवश्य ही स्वीकार करना होगा। इसका कारण यह है कि इस प्रतीति का उपाय लोकोत्तर रूप का है, केवल इसी से कि विभावादि सामग्री लौकिक कारणादि से संवादी है — रसप्रतीति को लौकिक अनुमानादि के समान ही नहीं माना जा सकता। विभावादि सामग्री से हृदयसवाद का योग होता है तभी रसप्रतीति होती है। यही विभावादि की अलौकिकता है कि इनमें हृदयसवाद निर्माण करने की क्षमता होती है। अतएव रसप्रतीति का विभावादि सामग्री रूप उपाय अलौकिक है, तथा उपायों की इस अलौकिकता के कारण ही, इस से होनेवाली रसप्रतीति का स्वरूप लौकिक प्रतीति से भिन्न होता है।


भट्टनायक की अभिव्यक्तिवाद पर आपत्ति है कि यदि माना गया कि रस अभिव्यक्त होते हैं तब यह भी मानना होगा कि वे मूलतः सिद्धरूप हैं। इस पर अभिनवगुप्त कहते हैं कि अभिव्यक्तिवादियों का 'रसाः प्रतीयन्ते' यह कथन 'श्रोदन पचति' इस कथन के समान है (रसाः प्रतीयन्ते इति श्रोदनं पचतिवत् व्यवहार ।— लोचन)। 'वह भात पकाता है' इस वाक्य में जैसे आगे आनेवाली परिपक्व अवस्था पर ध्यान देकर चावल पर भात का उपचार किया जाता है वैसे ही आगे आनेवाली प्रतीति का विषय होने से कहा जाता है कि 'रस प्रतीत होते हैं।' वस्तुतः रस प्रतीयमान ही होता है (प्रतीयमान एव हि स) अर्थात् वह प्रतीति का ही विषय होता है। यह प्रतीति विशिष्ट प्रकार की रसना अथवा आस्वादनक्रिया के रूप की होती है। अतएव लौकिक अनुमानप्रतीति अथवा शब्द-प्रतीति से यह भिन्न होती है। लौकिक अनुमानप्रतीति रसिक को व्युत्पन्नता पाने में सहाय्यक होगी। वैसे ही शब्दप्रतीति से भी रसिक व्युत्पन्न होगा। लौकिक अनुमान तथा शब्द के प्रमाणों की सहायता से व्युत्पन्न बने हुए रसिक को ही रसप्रतीति होगी किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि सहृदय की व्युत्पन्नता के लिये अनुमानादि लौकिक प्रमाण आनुषंगिक रूप में उपयोगी होते हैं इस लिये उसे होनेवाली रसप्रतीति भी लौकिक रूप ही की है।

भट्टनायक का यह कथन कि रामादि लोकोत्तर पुरुषों का काव्यगतचरित्र पढ़ते समय अथवा तत्संबद्ध नाट्य देखते समय हृदयसवाद नहीं होता—बड़ा ही धृष्टतापूर्ण है। पातजल योगदर्शन में कहा है कि "उस कर्म से जन्म, आयु तथा भोग के रूप का जो विपाक बनता है उससे जितनी वासनाएँ अनुगुण हो, उन्हींकी अभिव्यक्ति होती है (योगसूत्र ४।८)" अर्थात् विपाक से अनुबद्ध वासनाएँ प्रकाशित होती हैं तथा अन्य वासनाएँ सुप्त अवस्थाही में रहती हैं। अद्यतन के अनुगुण तथा इनके द्वारा व्यक्त होनेवाली वासनाएँ तथा इनके मूल सस्कार दोनों में जन्म, देश तथा काल का व्यवधान होते हुए भी ये वासनाएँ प्रकाशित होती हैं। इन वासानाओं के सस्कार स्मृतिरूप से उदित होते हैं (क्योंकि स्मृति तथा संस्कार एकरूप हैं)। ये वासनाएँ अनादि हैं (क्योंकि वे आशी रूप संकल्पविशेष पर अवलंबित हैं एवम् यह संकल्प अनादि है। योगसूत्र ४।८-१०) इस प्रकार वासना तथा सस्कार अनादि होने से, रामादि के चरित्र पढ़ते समय उसके अनुगुण रसिक की वासना तथा सस्कार उदित होना संभव है। अतएव तब भी रसिक का हृदयसवाद हो सकता है।

तब रस प्रतीत होता है ऐसा कहने में कोई अडचन नहीं पड़ती। रसप्रतीति अनुभवसिद्ध है। यह प्रतीति रसनारूप है तथा यह रसिक में उत्पन्न होती है;

और यह रसनारूप प्रतीति उत्पन्न होने के लिये काव्य का व्यञ्जकस्वरूप ध्वनन-व्यापार ही कारण होता है न कि अभिधाव्यापार।

रस की प्रतीयमानता इस प्रकार सिद्ध करने पर भट्टनायक के माने हुए भावना तथा भोगीकरण रूप व्यापारव्यजना में ही किस प्रकार अन्तर्भूत होते हैं यह दर्शाते हुए अभिनवगुप्त कहते हैं : भावकत्व तथा भोगीकरण दोनों व्यापार वास्तव में ध्वनि में ही अन्तर्भूत होते हैं। विभावादि के साधारणीकरण के लिये भट्टनायक ने भावकत्व व्यापार माना है और कहा है कि गुणालकारों से यह साधारणीकरण होता है। काव्य का रसोचित गुणालकारों से युक्त होना ध्वनि-वादियों को भी स्वीकार है। इसलिये भावकत्व में नया कुछ है ही नहीं। यह तो क्या, भावकत्व का ठीक विपरीत ही परिणाम हुआ है। भट्टनायक को उत्पत्तिवाद स्वीकार नहीं है किन्तु 'काव्य रसान् प्रति भावकम्' कहते हुए तथा भावनाव्यापार मानते हुए उन्होंने इसी उत्पत्तिवाद को पुनरुज्जीवित किया है, क्योंकि इस भावना का अर्थ ही यह होता है कि काव्य भावनोत्पादक है। अर्थात्, काव्य रस का भावक भी कैसे होता है? यह भावकत्व केवल शब्दों का नहीं है, क्योंकि जबतक अर्थज्ञान नहीं होता तबतक भावकत्व संभव ही नहीं होता। वह केवल अर्थ का भी नहीं हो सकता, क्योंकि वही अर्थ भिन्न शब्दों में कहने से रसोत्पत्ति नहीं होती। यदि कहना हो कि शब्द तथा अर्थ दोनों के सहितत्व में यह भावकत्व है, तब, 'यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थो व्यङ्ग्यः।' इस ध्वनिकारिका में ध्वनिकार ने यह पहले ही बताया है। सो भट्टनायक कथित भावकत्व में नवीनता है ही नहीं। उचित गुणालकारों से युक्त शब्दार्थमय काव्य सहृदय में रसचर्चणा उत्पन्न करता है। हम व्यजनावादी कहते हैं कि यह चर्चणोत्पत्ति शब्दार्थ के व्यजनाव्यापार का कार्य है। जैसे 'स्वर्गकामो यजेत' रूप विधि 'याग' रूप साधनद्वारा तथा प्रयाजादि इतिकर्तव्यता द्वारा स्वर्गकाम पुरुष के लिये स्वर्ग का भावन करता है वैसे ही काव्य भी व्यजनाव्यापार द्वारा तथा गुणालकारौचित्य रूप इति कर्तव्यताद्वारा सहृदय के लिये रस (चर्चणा) का भावन करता है।



इस प्रकार भट्टनायक के भावनाव्यापार का करणांश अन्ततोगत्वा व्यजना-

रूप प्रत्यय को काव्यार्थ गोचर होता है, तब तो हमें भी यह स्वीकार है। इतना ही नहीं,

ससर्गादिर्यथा शास्त्रे एकत्वात् फलयोगतः ।

वाक्यार्थन्तद्वदेवाऽत्र शृंगारादी रसो मत ॥

शास्त्रगत वाक्यार्थ के अर्थकत्व के कारण अथवा फलयोग के कारण ससर्गरूप विशिष्टरूप अथवा क्रियारूप आदि भेद होते हैं, वैसे ही काव्य में वाक्यार्थ शृंगारादि रसरूप ही होता है, यह आपका कथन भी हमे अभिमत है।

अभिनवगुप्त ने पूर्वाचार्यों के मतों का केवल खडन ही नहीं किया अपितु शोधन भी किया। पूर्वाचार्यों के मतों का इस प्रकार शोधन करते हुए, इस शुद्ध किये हुए नीव पर उन्होंने अपने विवेचन का भवन खडा किया। इसीलिये उनके विवेचन को मूलप्रतिष्ठा प्राप्त हो सकी। वे कहते हैं—

तस्मात् सतामत्र न दूषितानि मतानि तान्येव तु शोधितानि ।

पूर्वप्रतिष्ठापितयोजनासु मूलप्रतिष्ठाफलमामनन्ति ॥

परिशुद्ध किया हुआ रसतत्त्व अभिनवगुप्त ने किस प्रकार कथन किया यह देखने का अब हम प्रयास करें।

अभिनवगुप्तकृत रसविवेचन

‘ काव्यार्थान् भावयन्ति इति भावाः ’ इस भरतसूत्र से ही अभिनवगुप्त ने अपने विवेचन का आरंभ किया है। काव्यगत पदार्थ तथा वाक्यार्थ अन्ततः रस ही में पर्यवसित होते हैं। इस प्रकार रस काव्य का असाधारण एवं प्रधान धर्म है। अतएव रस ही काव्यार्थ है। ‘ काव्यार्थ ’ में ‘ अर्थ ’ शब्द अभिधेयवाचक नहीं है। इसका अर्थ ‘ प्राधान्य से अभिप्रेत ’ है। रस स्वशब्द से वाच्य नहीं होता, अतएव वह काव्य का अभिधेय नहीं हो सकता। काव्य में रस की प्रधानता से अपेक्षा होती है अतएव रस को काव्यार्थ कहते हैं। काव्यार्थ अर्थात् रस का जो भावन करते हैं अर्थात् इसकी निष्पत्ति करते हैं वे हैं भाव। स्थायी तथा व्यभिचारी इस प्रकार के रस-निष्पादक भाव हैं। स्थायी तथा व्यभिचारी भावों के कलाप ही से एक अलौकिक अर्थ संपन्न होता है, जो आस्वाद्य होता है। सहृदय के लौकिक व्यवहार में प्रथम उसे स्थायी तथा व्यभिचारी भावों का ज्ञान होता है, तथा इसके उपरान्त ही काव्य-पठन के अथवा नाट्य देखने के समय साधारण्य की भूमिका पर से वह इनका आस्वाद ले सकता है। इस प्रकार, लौकिक जीवन में होनेवाली स्थायी तथा व्यभिचारी भावों की पूर्वावगति उत्तर कालीन आस्वाद का कारण होती है, इसी

अधिकारी पाठक को, काव्य के केवल वाच्यार्थ से अधिक अर्थप्रतीति होती है। हाँ, यह प्रतीति काव्य के प्रत्येक पाठक को नहीं होती। इस प्रतीति के लिये पाठक की भी योग्यता चाहिये। ऐसी योग्यता, विमलप्रतिभाशक्ति से युक्त सहृदय की ही हो सकती है। (अधिकारी चात्र विमलप्रतिभानशाली सहृदयः)। मान लीजिये कि इस प्रकार का कोई अधिकारी सहृदय, शाकुन्तल का छन्द—

ग्रीवाभगाभिराम मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्धदृष्टिः
 पश्चाद्धैन प्रविष्ट शरपतनभयात् भूयसा पूर्वकायम् ।
 दभै रर्धावलीढै श्रमविवृतमुखभ्रशिभिः कीर्णवर्त्म
 पश्योदग्रप्लुतत्वात् वियति बहुतर स्तोकमुर्व्यां प्रयाति ॥

पढ़ रहा है। इस छन्द का वाच्यार्थ अवगत होते ही रसिक को साक्षात्कार रूप मानस प्रतीति होती है। देशकाल आदि सीमाओं से रहित होने के कारण यह प्रतीति सामान्यत्व से प्राप्त रहती है। इस प्रतीति में आविर्भूत मृगबालक वह विशिष्ट मृग बालक नहीं है जिसका दुष्यन्त पीछा कर रहे थे। वह कोई विशेष मृगबालक नहीं है। वह तो एक भयाकुल हरिण मात्र है। यह तो कोई भी हरिण हो सकता है। उसे डरानेवाला भी परमार्थतः कोई नहीं है। इस भीति-ग्रस्त अवस्था से भयमात्र प्रतीत होगा। यह प्रतीत होनेवाला भय भी देशकाल आदि से सीमित नहीं है। इतना ही नहीं, इस भयप्रतीति के सबध में स्वपरमध्यस्थ भाव न होने से स्वगत भय से होनेवाला दुःख, शत्रुगत भय से होनेवाला सुख, लौकिक भय के सबन्ध में, हमारी 'यह हो अथवा न हो' आदि वृत्ति, इन बातों का इसमें लेश भी नहीं होता। इस प्रकार इस प्रतीति में किसी भी लौकिक वृत्त्यन्तर से बाधा न होने के कारण, यह भय निर्विघ्न प्रतीति का विषय होता है। अतएव, रसिक इसे हृदय में प्रवेश करता हुआ देखेगा, आँखों में छलकता हुआ देखेगा, शरीर पर रोमांचित हुआ देखेगा। इस रूप का, रसिक की निर्विघ्न प्रतीति का विषय बना हुआ, काव्यपठन का समकालिक मानस प्रतीतिगत भय ही भयानक रस है।

इस प्रकार की भयप्रतीति में रसिक की आत्मा तिरस्कृत भी नहीं होती अथवा विशेष रूप में उल्लिखित भी नहीं होती। यह अनुभव जैसे एक रसिक को होता है वैसे ही अन्य किसी भी सहृदय पाठक को होता है। अतएव इस अवस्था में होनेवाला साधारणीभाव भी सीमित नहीं रहता; इसकी व्याप्ति धूमाग्निसंबन्ध अथवा भयकम्पसबन्ध के समान सार्वत्रिक होती है।

काव्य में मानससाक्षात्कार होता है, प्रत्युत नाट्य में इस साक्षात्कार का परिपोष नटादि के द्वारा होता है। काव्यगत प्रतीति को काव्यगत देशकालादि

ही सीमित करते हैं। किन्तु नाट्य में इन देशकालादि के साथ नटगत सीमा भी हो सकती है। उदाहरण के लिये, उत्तररामचरित पढते समय, हमारी प्रतीति को केवल रामत्व ही की सीमा हो सकती है। अतएव, इस प्रसंग में रामत्व का निरास होनेपर शोकवृत्ति का साधारण्य होता है। किन्तु 'उत्तररामचरित' के प्रयोग में राम का शोक नट के द्वारा प्रतीत होता है, अतएव वहाँ 'नटत्व' तथा 'रामत्व' दोनों का परिहार होना आवश्यक होता है, और परिहार होता भी है। इस प्रकार नाट्य में भी काव्य के समान साधारणीभाव का परिपोष होता है। अतएव, नाट्य में सभी दर्शकों की प्रतीति में एकधनता आ सकती है; लौकिक अवस्था में अनादि वासनाओं से रसिकों का हृदय सस्कारित हुआ रहता है, इससे नाट्य में उनका वासनासवाद हो सकता है। अतएव सामाजिकों को प्राप्त होनेवाली यह एकधन रसप्रतीति ही रसपरिपोष का कारण होती है।

इस प्रकार काव्य अथवा नाट्य में रसिकों को होनेवाली यह निर्विघ्न तथा एकधन सवित्प्रतीति ही काव्यगत चमत्कार है। और इसीसे रसिक को प्रतीत होनेवाले कप पुलक आदि विकार (सात्त्विक भाव) भी चमत्कार ही हैं।

अज्ज वि हरी चमक्कइ कहकह वि न मन्दरेण कलिआइ ।

चन्दकळाकन्दळसच्छहाइं लच्छीइ अगाइ ॥

लक्ष्मी के, चन्द्रकिरणों के कन्दों के समान स्वच्छ तथा सुकुमार गात्रों का समुद्रमन्थन के समय निर्मथन नहीं हुआ इस विचार से भगवान् विष्णु को अभी भी चमत्कार होता है तथा उनका शरीर पुलकित होता है। इस अवस्था में प्रतीत होनेवाला अद्भुत भोगावेश ही इस चमत्कार का रूप है; फिर यह भोगावेश चाहे साक्षात्कार रूप हो, चाहे मानसप्रतीतिरूप हो, सकलरूप हो अथवा स्मृतिरूप हो। किसी भी रूप में इसका स्फुरण हुआ है, इसका स्वरूप निश्चय ही लोक विलक्षण होता है।

रम्याणि वीक्ष्य मधुराश्च निशम्य शब्दान्

पर्युत्सुकीभवति यत् सुखितोऽपि जन्तु ।

तच्चेतसा स्मरति नूनमबोध पूर्व

भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि ॥

इस प्रसिद्ध छन्द में कालिदास ने इसी प्रकार अलौकिक स्मरण का निर्देश किया है। हम किसी रमणीय दृश्य को देखते हैं, अथवा सगीत के मधुर स्वर सुनते हैं, तब सब प्रकार से सुख की अवस्था में होते हुए भी, हमारे हृदय में घबडाहट पैदा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? कालिदास कहते हैं कि ऐसे समय में हमारे अन्य जन्म के वासनारूप में स्थिर हुए भावबन्ध में उनका ज्ञान नहोते हुए

भी, हमारे स्मरण में प्रकाशित होते हैं। यह स्मरण वस्तुतः अलौकिक है। यही है योगसूत्रो मे निर्दिष्ट स्मृति तथा सस्कार का एकरूपत्व (४।१०) कालिदास की तथा योगदर्शन की अभिप्रेत यह स्मृति, न्यायदर्शन में प्रसिद्ध लौकिक स्मृति नहीं है। न्यायदर्शन के अनुसार, बिना पूर्व अनुभव के स्मृति नहीं होती। इसके विपरीत प्रकृत स्मृति में लौकिक दृष्टि से पूर्व अनुभव ही नहीं है। अतएव यह स्मृति अलौकिक है। यह स्मृति साक्षात्कारमय है तथा प्रतिभान अथवा प्रतिभा ही इसका वास्तविक स्वरूप है। ऐसे प्रतिभानमय साक्षात्कार में होनेवाली इस रूप की निर्विघ्न प्रतीति ही काव्यगत सौंदर्य का अथवा चमत्कार का स्वरूप है। कालिदास के इस छन्द में आस्थाबन्धरूप रति (पर्युत्सुकी भवति इस पद से रति अपेक्षित है तथा आस्थाबन्ध ही रति का स्वरूप है) ही प्रतिभानमय साक्षात्कार का विषय हुई है। अत एव इस छन्द के पठन के समकाल ही रसिक को भी आस्थाबन्ध की आस्वादरूप प्रतीति होती है। उसे तो इस बातका ध्यान ही नहीं रहता कि यह आस्था बन्ध दुष्यन्त का है या और किसीका। इस आस्थाबन्ध के अनुगत, देशकालव्यक्ति-विशिष्ट प्रतीति के बन्ध गलित हो जाने से यह आस्थाबन्ध रसमय होता है। आस्वाद्य अवस्था में साधारण्य होने से रति का स्वरूप लौकिक रहता ही नहीं; इसका अनुभव किया जाता है इस लिये इसे मिथ्या भी नहीं कहा जा सकता; इसके स्वरूप का भावरूप में कथन हो सकता है, इस लिये इसे अनिर्वाच्य कहना भी ठीक नहीं; ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि इसके आस्वाद की योग्यता पहले के लौकिक अनुभवों से प्राप्त होती है, इस लिये लौकिक के समान है; तथा यह तज्जातीय होने से इसे आरोपरूप भी नहीं कहा जा सकता। देशकालादि से यह नियन्त्रित नहीं है, इस दृष्टि से यदि इसे उपचयावस्था कहना हो तो कहिये; यह लौकिकानुगामी है इस दृष्टि से इसे अनुकार भी कहे, अथवा विज्ञानवादियों की दृष्टि से इसे भले ही विषयसामग्री कहा जाय; एक बात तो सर्वथा सत्य है कि निर्विघ्न रसनात्मक प्रतीति से ग्रहण होनेवाला भाव ही रस है (सर्वथा रसनात्मक-वीतविघ्नप्रतीतिग्राह्यो भाव एव रसः) ।

साराश, रस केवल स्थायी भाव नहीं है, वह स्थायी का उपचय नहीं है, वह अनुमित स्थायी नहीं है, अथवा साधारणीभूत स्थायी का स्वगत उपभोग भी नहीं है। इस भाव का निर्विघ्न रसनात्मक प्रतीति का विषय होना ही रस का व्यवच्छेदक लक्षण है। निर्विघ्न रसनात्मक प्रतीति को ही 'चर्व्यमाणता' की शास्त्रीय सज्ञा है। अतएव 'चर्व्यमाणता' ही रस का प्राण है। (चर्व्यमाणतैकप्राणः) ।

रसास्वाद एक अनुभव अथवा भावप्रतीति है। प्रतीति होने से यह अन्य

प्रतीतियों के समान भले ही समझी जाय, रसनात्मकता ही इस प्रतीति की विशेषता है। अतएव यह लौकिक प्रत्यक्षानुमानादि प्रतीतियों से भिन्न है। निर्विघ्नता इसकी अवश्योपाधि है। अपनी अपनी पसंद के अनुकूल काव्य से मन बहलाना रस नहीं कहलाता। रसानुभाव के लिये रसिक को चाहिये कि किसी विशिष्ट स्तर से काव्य का आस्वाद लें। किसी भी कारण से क्यों न हो, यदि यह सीमा छूटी तब रस का सभव ही नहीं रहता। इस सीमा के छूटने के कारणों को अभिनवगुप्त 'रसविघ्न' कहते हैं। रसप्रतीति के बाधक अनेक विघ्न हो सकते हैं, और किसी भी विघ्न से रसभंग तो होता ही है। इसी लिये कहा जाता है कि 'निर्विघ्नता रसप्रतीति की अवश्योपाधि है।'

अभिनवगुप्त ने रसविघ्नों का विस्तरश. वर्णन किया है। निर्विघ्नता से होनेवाली प्रतीति के लिये ही लौकिकव्यवहार में भी चमत्कार, निर्वेश, भोग, समापत्ति, लय, विश्रान्ति आदि पर्यायों का प्रयोग किया जाता है। इन पर्यायों का रसमीमासा में भी प्रयोग किया गया है। रसप्रतीति कविरसिकहृदयसवादरूप व्यापार है। काव्य अथवा नाट्य इसका माध्यम है। निर्विघ्न रसनात्मक प्रतीति में बाधक, कविगत, काव्यगत, नटगत अथवा रसिकगत कोई भी अर्थ रसविघ्न है। अभिनवगुप्त ने सात रसविघ्नों का निर्देश किया है। वे हैं — (१) सभावनाविरह, (२) स्वपरगतदेशकालविशेषावेश, (३) निजसुखादिविवशीभाव, (४) प्रतीत्युपायवैकल्य, (५) स्फुटत्वाभाव, (६) अप्रधानता, तथा (७) सशययोग। इन विघ्नों का स्वरूप अब हम देखें।

१. सभावनाविरह — सभावनाविरह का अर्थ है कल्पना का अभाव। जो काव्यवस्तु अथवा नाट्यवस्तु की कल्पना ही नहीं कर सकता, उसे भला रसास्वाद क्या होगा? कवि अपनी कृति के द्वारा-चाहे वह छोटी हो या बड़ी-एक ही वस्तु निर्माण करता है। यह वस्तु सवेद्य होती है। इस सवेद्य वस्तु को पाठक यदि ठीक तरह से समझ ही नहीं पाता है तब तो उसे इसकी प्रतीति ही नहीं हो सकती, फिर प्रतीतिविश्रान्ति की तो बातही दूर। यह दोष कविगत तथा रसिकगत-दोनों प्रकारों से हो सकता है। कविगतदोष अशक्ति के कारण होता है। कवि को उचितानुचितविवेक न रहने से इस दोष का सभव होता है। आनन्दवर्धन ने इसका विवेचन तृतीय उद्योत में किया है। किन्तु कभी कभी कवि की कृति अच्छी होनेपर भी, रसिक ही कल्पना की दरिद्रता के कारण उसका आकलन नहीं कर पाता। तब उसका हृदयसवाद ही नहीं होता। इस विघ्न का अपसरण हो इसी लिये कवि लोकसामान्य कथावस्तु पसंद करता है, क्योंकि कथावस्तु यदि लोकसामान्य रही तो साधारण पाठक का भी हृदयसवाद होने में सहाय्यता

होती है तथा अततः उसे 'भावप्रतीति' होती है। किन्तु कवि जब अलोक-सामान्य वस्तु ग्रथित करना चाहता है तब वह लोकविदित पात्रों की योजना करता है। ऐतिहासिक तथा पौराणिक प्रसिद्ध व्यक्तियों के-जो कि अलोक-सामान्य चरित्र के लिये प्रसिद्ध होते हैं—द्वारा उदात्त भावों की अभिव्यक्ति करने से रसिक उसका आकलन सरलता से कर पाता है तथा उसे निर्विघ्न भावप्रतीति हो सकती है। इस दृष्टि से भरतकृत दशरूपविभाग अध्ययनयोग्य है।

२. स्वपरगतदेशकालविशेषावेश — यह रसिकगत विघ्न है। अनेक पाठक तथा दर्शक काव्य तथा नाट्य में अपने ही व्यक्तिगत सुखदुःखों का आस्वाद करते हैं। ऐसे पाठकों के विकारों को जबतक सुखकर प्रवर्तन प्राप्त होता है तबतक वे काव्य में निमग्न हो जाते हैं, किन्तु व्यक्तिगत दृष्टि से अप्रिय अथवा दुःखकर घटना वे देख या पढ़ नहीं सकते। हमें सुखकर प्रतीत होनेवाली घटना देरतक चलती रहें, शीघ्र समाप्त न हों, दुःखकर घटना शीघ्र ही समाप्त हो जाय, आदि वृत्त्यंतरों से उनकी रसमवित् मलिन हो गयी होती है। कोई सोचते हैं कि नाट्यगत अथवा काव्यगत घटना हम ही को लक्ष्य कर के लिखी गई है। ऐसे पाठक तथा दर्शक रसास्वाद कर ही नहीं सकते, क्योंकि रसास्वाद के लिये आवश्यक साधारणीभवन की गहराई, इनका व्यक्तित्व विगलित न होने से इनमें आती ही नहीं। इस विघ्न के साथ, अभिनवगुप्त ने 'गोपनेच्छ' रसिकों का निर्देश किया है— जो उनकी मर्मज्ञता का परिचायक है। कोई पाठक छिप छिप कर पढ़ते हैं। वे चाहते हैं कि व्यक्तिगत विकारों का उद्रेक करनेवाला साहित्य पढ़ते हुए, कोई हमें देखे ना। इन पाठकों का काव्यास्वाद की ओर उतना ध्यान नहीं रहता जितना कि वे 'ऐसे साहित्य को पढ़ते हुए कोई हमें देखता तो नहीं' इस सोच में रहते हैं। नाट्य में यह विघ्न न हो इसलिये भरतमुनि ने पूर्वरग का विधान किया है। पूर्वरग के प्रयोग से ऐसे दर्शक भी साधारणी भाव को प्राप्त कर सकते हैं एवम् उनकी अवस्था रसास्वाद के लिये योग्य हो सकती है।

३. निजसुखादि विवशीभाव — कभी कभी दर्शक अपने व्यक्तिगत सुखदुःख में ही निमग्न रहता है तथा इसी मनोदशा में नाट्य देखने के लिये अथवा काव्य सुनने के लिये आ पहुँचता है। पहले ही से व्यग्र होने के कारण उसकी काव्यार्थ में संविद्विश्रान्ति नहीं होती तथा उसे रसास्वाद का लाभ भी नहीं होता। काव्य पढ़ते पढ़ते अथवा नाटक देखते देखते उसके मन में बारबार पहले की सुखदुःखादि मनोवृत्तियाँ जाग्रत हो उठती हैं। इस विघ्न के उपशम के लिये नाट्य में विविध गान, मण्डपवैचित्र्य, विदग्ध गरिष्काद्यों का नृत्य आदि की योजना की जाती है। इन उपायों से अहृदय दर्शक में हृदयनैर्मल्य आता है और वह सहृदय बनता है।

देखा तो ये किस स्थायी के द्योतक है इस विषय में सदेह उत्पन्न होगा एवं रसास्वाद में विघ्न होगा। किन्तु ये तीनों यदि उचित रूप में एकत्रित किये गये तो निश्चय ही स्थायी का प्रत्यय होगा और वह रसास्वाद का विषय हो सकेगा। उदाहरण के लिये, बहुनाशा रूप विभाव, अश्रुपात रूप अनुभाव, एव चिन्ता तथा दैन्य रूप व्यभिचारीभाव यदि एकत्र हुए हैं तब इनकी सामग्री से निश्चय ही शोक ही की प्रतीति होगी। अतएव भरत ने विभावानुभावव्यभिचारी का संयोग बताया है।

रसप्रतीति .— उपर्युक्त सात विघ्नो का निरास होने पर ही अर्थात् इनके अभाव में ही रसास्वाद हो सकता है। अन्यथा उसमें खड हो जाता है। काव्यनाट्य में विभावादि उचित रूप में आये हो तभी वे रसिक के हृदय में विघ्नापसारणपूर्वक रसनाव्यापार की निष्पत्ति कर सकते हैं और तभी रसिक को निर्विघ्न रसप्रतीति होती है। यह प्रतीति कैसे होती है, अभिनवगुप्त के मूल वचन ही देखिये—

“ तत्र लोकव्यवहारे कार्यकारणसहचरात्मकालिगदर्शनजस्थाय्यात्मपरचित्तवृत्त्यनुमानाम्यासपाटवात् अधुना तैरेव उद्यानकटाक्षधृत्यादिभि लौकिकी कारणत्वादिभुवमतिक्रान्तैः विभावन-अनुभावन-समुपरजकत्वमात्रप्राणैः, अतएव अलौकिकविभावादिव्यपदेशभागिभ प्राच्यकारणादिरूपसकारोपजीवनास्थापनाय विभावादिनानामधेयव्यपदेश्यैः गुणप्रधानतात्पर्येण सामाजिकधिषि सम्यक् योग (सयोग) संबन्धम् एकाग्र्यं वा आसादितवद्भिः, अलौकिकनिर्विघ्नसवेदनात्मकचर्वणागोचरता नीतोऽर्थैः, चर्व्यमाणैकसार. न तु सिद्धस्वभावः, तात्कालिक एव न तु चर्वणातिरिक्तकालावलम्बी, स्थायिविलक्षण एव रस । ”

लोकव्यवहार में व्यक्ति कारण, कार्य तथा अन्य सहचर अर्थ देखता है। तब इन चिह्नों (लिंगों) पर से वह अपने तथा दूसरों के भी स्थायी चित्तवृत्तियों का अनुमान करता है। इस प्रकार नित्य अनुमान के अभ्यास के कारण उसे पटुत्व प्राप्त हो जाता है। यह है लोकव्यवहार।

काव्य पढ़ते हुए अथवा नाट्य देखते हुए, वे ही प्रमदा-उद्यान आदि कारण, वे ही कटाक्षादि कार्य, तथा वे ही धैर्यादि अर्थ रसिक प्रत्यक्षवत् देखता है। काव्यपठन के समय वे ही लौकिक अर्थ इस प्रकार हमारे समक्ष उपस्थित होते तो हैं किन्तु अब इनका कार्य लौकिक कारणादि से भिन्न रहता है। अतएव इनकी लौकिक कारणादित्व की भूमिका भी नहीं रहती। काव्य में इनका कार्य क्रमशः विभावन, अनुभावन तथा समुपरजन ही है अतएव इन कार्यों का बोध करा देनेवाले क्रमशः विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव की अलौकिक किन्तु अन्वर्थक सजाओं से

इनका निर्देश किया जाता है। यह तो ठीक है कि लौकिक व्यवहार में व्यक्ति को लौकिक कारणात्वादि की प्रतीति होती है और इस प्रतीति के जो सस्कार उसके मन में स्थिर हुए रहते हैं वे सस्कार ही वस्तुतः विभावादि का उपजीवन अर्थात् आश्रय होते हैं। किन्तु लौकिक जीवन में जब ये सस्कार उद्बुद्ध होते हैं तब इनका होनेवाला कार्य तथा काव्यपठन के समय इनके उद्बोध से होनेवाला कार्य—दोनों में भेद है। यह इनका भेदक धर्म जो कि काव्यपठन के समय अनुभव किया जाता है। हमें हृदयगम हो (आख्यापन) इसी लिये इन्हें काव्यमीमांसा में विभावादि, पृथक् अलौकिक सज्ञाओं से निर्दिष्ट किया जाता है; लौकिक कारणादि सज्ञाओं से कभी इनका निर्देश नहीं किया जाता (इसका विशेष विवेचन अगले अध्याय में किया जायगा)।

काव्य पढ़ते हुए अथवा नाट्य देखते हुए, इन अलौकिक विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों का, गुणप्रधान तारतम्य से, औचित्यपूर्ण योग (सम्यक् योग = सयोग) रसिक की बुद्धि में सहसा प्रकाशित होता है; उनका परस्पर औचित्यपूर्ण संबन्ध उसकी अनुमानपटुता के कारण उसे सहसा (उनके क्रम का कोई ध्यान न रहते हुए ही) प्रतीत होता है; इनकी रसिक की प्रतीति में एकाग्रता होती है। ये अलौकिक विभाव, अनुभाव तथा सचारी भाव—जो कि रसिक की प्रतीति में एकाग्र हो गये हैं—जिस एक अलौकिक अर्थ को रसिक की अलौकिक तथा निर्विघ्न सवेदना का विषय बनाते हैं वह अर्थ है रस। यह अर्थ जो कि रसिक की निर्विघ्न चर्चणा का विषय बनता है—चर्चणारूप ही रहता है। चर्च्यमागता अर्थात् आस्वाद्यता ही इसका सारभूत धर्म होता है। रसिक को प्रतीत होनेवाला यह काव्यार्थ पूर्वसिद्ध नहीं होता यह तात्कालिक ही होता है तथा चर्चण काल से अधिक काल-तक रहता भी नहीं। रसिकगत चर्चणाव्यापार के साथ ही यह उपस्थित होता है, चर्चणाकाल तक ही रहता है तथा चर्चणा के साथ ही समाप्त हो जाता है। रस इस प्रकार चर्चणारूप है, अतएव स्थायी से वह विलक्षण है अर्थात् भिन्न रूप का है जैसा कि अन्य विद्वान् इसे स्थायी मानते हैं, यह स्थायी नहीं है।

श्रीशंुक आदि का कथन है कि विभावादि पर से अनुमित स्थायी ही रसना व्यापार का विषय होता है, इसलिये यह अनुमित स्थायी ही रस है। किन्तु यह कथन ठीक नहीं है। स्थायी को ही यदि रसत्व प्राप्त होता हो तब लौकिक व्यवहार में भी स्थायी को रसत्व क्यों न प्राप्त हो? शंुक आदि के मत में यदि (नटगत) स्थायी को—जिसकी परमार्थतः कोई सत्ता नहीं है—रसत्व प्राप्त हो सकता है, तब लौकिक स्थायी—जिसकी वस्तुरूप में सत्ता है—रसनीय होने में क्या आपत्ति है? इसलिये विभावादि से स्थायी की प्रतीति होना अनुमान मात्र है, रस नहीं है।

अतएव भरत ने भी रससूत्र में स्थायी का निर्देश नहीं किया, किबहुना यदि उन्होंने इसका निर्देश किया होता तो वह शल्यरूपही हो जाता। “स्थायी रसीभूत” यह कथन तो उपचार मात्र है। और इस उपचार के लिये निमित्त यही है कि उस स्थायी के कारण तथा कार्य के रूप में जो अर्थ लौकिक व्यवहार में हमें ज्ञात रहते हैं, तत्सवादी अर्थों का—वे काव्य में विभावन-अनुभावनद्वारा चर्चणा के उपयोगी होते हैं इसलिये विभावादि रूप में आश्रय किया जाता है।

अभिनवगुप्त ने इसीका विवेचन ‘ध्वन्यालोकलोचन’ में भी किया है। वह संक्षेप में इस प्रकार है—काव्यपठन के समय परगत स्थायी से सबन्धित होने के नाते वर्णित विभावादि की साधारण्य से प्रतीति होते ही, इन विभावादि के लिये उचित, रसिक के हृदयगत वासनारूप सस्कारों का उद्बोध हो कर आनन्दमय चर्चणा का उदय होता है। रसचर्चणा के लिये रसिक का हृदयसंवाद होना आवश्यक है। परकीय चित्तवृत्ति का ज्ञान न हो तो यह हृदयसंवाद नहीं हो सकता; तथा परकीय चित्तवृत्ति के कारण और कार्य ज्ञात न हो तो परकीय चित्तवृत्ति का ज्ञान नहीं हो सकता। इसी कारण से केवल उपचार के “स्थायी रसीभूत” ऐसा कहा जाता है। अतः, स्मृति, अनुभव अथवा लौकिक संवेदना से अलौकिक रसास्वाद सर्वथा भिन्न है।

सहृदय जिसके कि हृदय पर लौकिक अनुमान के संस्कार हुए हैं—काव्य-पठन में जब निमग्न हो जाता है तब काव्यगत प्रमदा, उद्धान, कटाक्ष आदि अर्थ उसे प्रतीत होते हैं। किन्तु तब, पाठक की भूमिका लौकिक अनुमाता के समान तटस्थता की नहीं रहती। सहृदय की भूमिका पर आरूढ हो कर वह उनका ग्रहण करता है। हृदयसंवाद की शक्ति ही सहृदयत्व है। हृदयसंवाद के बलपर उसका तन्मयीभवन होता है और तदुचित चर्चणाव्यापारद्वारा वह उनका तत्समकाल तथा अखंडरूप में ग्रहण करता है। अनुमान, स्मृति आदि क्रम से वह जाता ही नहीं। तन्मयीभवन के लिये उचित विभावादि की चर्चणा ही पूर्ण रूप में अनुभाव होने-वाले रसास्वाद का अकुर है। यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि रसास्वाद में परिणत होनेवाली यह चर्चणा पूर्वसिद्ध होती है। इसकी पूर्वसिद्धि का-कोई प्रमाण नहीं है। पूर्वसिद्ध न होने से इसकी स्मृति भी असंभव है; क्योंकि पूर्वसिद्ध वस्तु की ही स्मृति हो सकती है। रसचर्चणा लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाणों का भी विषय नहीं हो सकती। यह चर्चणा केवल अलौकिक विभावादि के संयोग के बलपर ही निष्पन्न हो सकती है, अन्य किसीका यह विषय नहीं बनती। अतएव यह अलौकिक है।

प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान आदि प्रमाणों से भी व्यवहार में रति आदि

यही सिद्ध होता है इस लिये आपके इस कथन को हम भूषण ही समझते हैं, न कि दूषण। अभिनवगुप्त ने इस प्रसंग में पानकरस का सर्वप्रसिद्ध दृष्टान्त दिया है।

रस यदि किसी प्रमाण का विषय नहीं होता तब क्या वह अप्रमेय है? यदि कोई ऐसी आपत्ति उठाता है तब अभिनवगुप्त इसका समाधान करते हैं कि यह तो वस्तुस्थिति ही है। रम्यता सौन्दर्य अथवा आनन्द ही रस का प्राण है; लौकिक प्रमाणों का विषय होना यह तो इसका धर्म नहीं है।

फिर मुनि ने रससूत्र में 'निष्पत्ति' शब्द का प्रयोग क्यों कर किया है? अभिनवगुप्त का इस पर कथन है कि यह निष्पत्ति रस की नहीं है अपितु रस-विषयक रसना की निष्पत्ति है। विभावानुभावव्यभिचारियों के सयोग से रसिक के हृदय में रसना की अर्थात् चर्चणा की निष्पत्ति होती है। यह चर्चणा ही रस का प्राण है। विभावादि के सयोग से चर्चणा निष्पन्न होती है इस बात पर ध्यान देते हुए, यदि आप उपचार से कहना चाहते हैं कि रस की भी— जो कि चर्चणा का विषय बनता है तथा चर्चणा ही के अधीन रहता है— निष्पत्ति होती है— तब आप ऐसा कह सकते हैं। रसना अर्थात् चर्चणा प्रमाणव्यापार नहीं है अथवा कारक व्यापार भी नहीं है, किन्तु इसीसे इसे अप्रमाण समझना भी ठीक नहीं है, क्योंकि यह स्वसवेदनसिद्ध अर्थात् स्वानुभवसिद्ध है। यह रसना अर्थात् चर्चणा बोधरूप अर्थात् प्रतीतिरूप ही है, किन्तु यह लौकिक प्रतीति नहीं है, लौकिक प्रतीति से यह सर्वथा भिन्न है तथा इस भिन्नता का कारण यह है कि इस रसनारूप बोध अर्थात् प्रतीति के जो उपाय हैं— विभावादि— वे ही मूलतः लोकविलक्षण अथवा अलौकिक होते हैं। अतएव मुनि के रससूत्र की स्वरसता है—“ अलौकिक विभाव, अनुभाव तथा सचारी भावों के सम्यक् योग से रसना अर्थात् चर्चणारूप प्रतीति निष्पन्न होती है, इस प्रकार की अर्थात् विभावादिसयोगनिष्पन्न रसना को गोचर होनेवाला लोकोत्तर अर्थात् अलौकिक अर्थ ही रस है। ”

उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचन का सक्षेप इस प्रकार है— हम नाटक देखते हैं तब नट के उचित वेषादि के कारण हमारी नट के सबन्ध में नटत्वबुद्धि आच्छादित होती है। यद्यपि वह राम, सीता आदि नाम लेकर रगमच पर खड़ा है तथापि हमारी उसके संबन्ध में रामत्वबुद्धि भी स्थिर नहीं हो पाती। रामादि के सबन्ध हमारे जो पूर्व काल के गहरे संस्कार रूढमूल हुए रहते हैं वे सामने खड़े नट को राम समझने के लिये हमारे मन की प्रवृत्ति नहीं होने देते। अतएव पूर्व काल के राम तथा वर्तमान नट— दोनों से सबद्ध देशकाल का तत्क्षण निरास हो जाता है। रोमांचादि का आविर्भाव रत्यादि की प्रतीति करा देता है यह लौकिक व्यवहार का अनुभव तो हमारे नित्य परिचय का रहता ही है। इस लिये नाटक में जब हम

रोमांचादि का आविर्भाव देखते हैं तब उससे हमें नाटक में भी तत्काल रत्यादि का बोध होता है । किन्तु इस बोध का एक विशेष यह है कि यहाँ की रत्यादि के अलबन ही देशकालव्यक्ति आदि से सीमित न होने के कारण ये प्रतीत होनेवाले रत्यादि भी देशकालव्यक्ति आदि से सीमित नहीं रहते । वे साधारणीभूत अवस्था में ही प्रतीत होते हैं । हमारी आत्मा पर भी रत्यादि वासनाओं के सस्कार पहले ही से हुए रहते हैं । इस वासनावत्त्व के बलपर हमारी आत्मा का भी उन साधारणीभूत रत्यादि में अनुप्रवेश होता है । इस अनुप्रवेश ही के कारण, हमें तत्काल होनेवाली रति की प्रतीति तटस्थता से नहीं होती । उस समय हमारी यह भावना नहीं रहती कि हमें प्रतीत होनेवाली रति व्यक्तिगत विशेष कारणों का फल है, अतएव ममत्वपूर्वक होनेवाली अर्जनादि की कल्पना (अर्थात् ये कारण रहने चाहिये अथवा प्राप्त होने चाहिये आदि हमारी उनके विषय में आसक्ति) उस समय नहीं रहती, अथवा रत्यादि के ये उपाय दूसरो के अधीन है इस कल्पना से होनेवाला दुःख, द्वेष आदि का उदय भी हमारे हृदय में नहीं होता । इस प्रकार काव्यगत सभी अर्थों के संबन्ध में तथा हमारी प्रतीति के संबन्ध में भी, हमारे हृदय में जो स्वत्व—परत्व—मध्यस्थत्व आदि की सीमाएँ रहती हैं वे नष्ट हो जाती हैं एव हमारे लौकिक परिमित प्रमातृत्व अर्थात् व्यक्तिगत सीमित ज्ञातृत्व का परिहार हो कर तत्क्षण हमें अपरिमित प्रमातृत्व प्राप्त होता है तथा हमारी प्रतीति को भी साधारणीभूत रूप प्राप्त होता है । इस प्रकार हमारा सीमित व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है एवं हमारी प्रतीति भी व्यापक बन जाती है । हमारी इस साधारणीभूत अर्थात् व्यापक, सतानवाही अर्थात् अखंड एवं एकधन रसनात्मक संविद् को गोचर होनेवाली साधारणीभूत रति ही शृंगार है; इस प्रकार की साधारणीभूत संतानवाही एकधन संविद् को गोचर होनेवाला साधारणीभूत उत्साह अथवा शोक ही वीर अथवा करुण है ।


रसिकगत प्रतीति में अथवा इस प्रतीति को गोचर होनेवाली रति आदि में जब तक साधारणीभाव नहीं आता तबतक रसास्वाद सभव ही नहीं होता । और विभावादि ही एकमात्र उपाय है जिससे कि इन दोनों में यह साधारणीभाव आ सकता है । विभावादि ही सर्व प्रथम साधारण्य से प्रतीत होते हैं; तब रत्यादि भी साधारण्य से ही प्रतीत होते हैं । उपाय ही साधारणीभूत होने से पाठक की भी व्यक्तिगत सीमाएँ विगलित हो जाती हैं तथा उसकी प्रतीति में भी व्यापकता, अपरिमितता तथा साधारण्य आ जाता है । इस अवस्था में ही संतानवाही रसना-व्यापार अर्थात् चर्वाणात्मक संविद् निष्पन्न होती है एवम् यह रसनात्मक संविद् ही आस्वादवैचित्र्य के कारण शृंगारादि रसरूप में अनुभव की जाती है ।

यह है अभिनवगुप्त की रसविषयक उपपत्ति । प्राचीन साहित्य मीमांसको का निर्णय है कि रससूत्र के आधार पर जिन चार आचार्यों ने रस का विवेचन किया है उनमें अभिनवगुप्त का ही विवेचन भरत के अभिप्राय के अनुकूल है । 'काव्य-प्रकाश' के प्रसिद्ध टीकाकार माणिक्यचन्द्र 'सकेत' नामक टीका में लिखते हैं—

न वेत्ति यस्य गाभीर्यं गिरितुङ्गोऽपि लोल्लट ।
 तत् तस्य रसपाथोधे. कथं जानातु शङ्कुकः ॥
 भोगे रत्यादिभावाना भोग स्वस्योचित ब्रुवन् ।
 सर्वथा रससर्वस्वमभाङ्क्षीत् भट्टनायक ॥
 स्वादयन्तु रसं सर्वे यथाकाम कथचन ।
 सर्वस्व तु रसस्यात्र गुप्तपादा हि जानते ॥

इसी उपपत्ति को मम्मट, हेमचन्द्र, विश्वनाथ, प्रभाकर, मधुसूदन, जगन्नाथ आदि उत्तरवर्ती ख्यातिप्राप्त साहित्यमीमांसकों ने माना है तथा इसका अपने-अपने न्थों में स्वीकार किया है । सस्कृत ग्रन्थों के आधार पर रसमीमांसा करनेवाले आधुनिक अभ्यासक भी इसी उपपत्ति को स्वीकार्य समझते हैं । किन्तु अभिनवगुप्त की विवेचन की शैली से विशेष परिचय न रहने के कारण, आधुनिक अभ्यासक की धारणा होती है कि इसीसे सारी शकाग्रथियाँ खुली नहीं होती । जब तक इन शकाग्रों का निरास नहीं होता तब तक रस तथा ध्वनि में अन्योन्य सबन्ध आकलन न होगा, एव ध्वनि के विरोध में स्थित वाद भी ध्यान में नहीं आयेंगे । अत एव अगले अध्याय में हम रसविषयक कुछ प्रश्नों का विचार करेंगे ।

• • •



रसविषयक कुछ प्रश्न

रसप्रक्रिया के सबंध में भिन्न
भिन्न मत हमने गत अध्याय

में देखे हैं। उनका समुच्चय से विचार करते हुए उनके विकास के क्रम का अध्ययन करने से पूर्व रस के सबन्ध में और कई बातों का विचार करना आवश्यक है।

लौकिक तथा अलौकिक

लोकव्यवहार में जिन बातों का हम अनुभव करते हैं उन्हींका काव्य में वर्णन रहता है। किन्तु दोनों में बहुत बड़ा भेद है। लोकव्यवहारगत अर्थों का स्वरूप लौकिक रहता है। किन्तु उन्हीं अर्थों का जब काव्य में वर्णन किया जाता है तब उनका स्वरूप अलौकिक होता है। अर्थ तो समान ही है, किन्तु एक विश्व में वे लौकिक हैं तथा अन्य विश्व में अलौकिक बन जाते हैं इस कथन का तात्पर्य क्या है? इस बात को समझने के लिए हमें लौकिक तथा अलौकिक में क्या भेद है यह देखना चाहिये।

लौकिक का अर्थ है लोकप्रसिद्ध अर्थात् लोकविदित। लोकव्यवहार का स्वरूप तथा उसकी विशेषताएँ हमने अपने अनुभव के आधार पर निर्धारित की हैं। जब हम देखते हैं कि जिन बातों को हम अनुभव करते हैं वे इन विशेषों से युक्त हैं तब हम उन्हें लौकिक कहते हैं। लोकव्यवहार के मुख्य विशेष ये हैं—

(१) हमारा सम्पूर्ण जीवन एक व्यापार (activity) है। इस व्यापार के दो प्रकार हैं— प्रवृत्ति तथा निवृत्ति। इस प्रवृत्तिनिवृत्तिरूप व्यापार में व्यक्ति का समूचा जीवन प्रकट होता है। लौकिक जीवन की प्रवृत्तिनिवृत्तियाँ नित्य व्यक्तिसंबद्ध रहती हैं। शास्त्रकारों का कथन है कि “ व्यवहारगत ‘अर्थक्रियाकारिता’ व्यक्ति-

सबद्ध ही होती है।” व्यवहारगत ये व्यक्तिबन्ध तीन प्रकार के पाये जाते हैं। व्यावहारिक अर्थ हमसे सबद्ध हो सकते हैं अथवा अन्य से सबद्ध हो सकते हैं। ‘अन्य’में शत्रु, मित्र तथा तटस्थ का समावेश होगा। इन भिन्न भिन्न व्यक्तियों के सबन्ध के अनुसार, उस अर्थ के सबन्ध में हमारी भिन्न भिन्न प्रवृत्तियाँ रहेगी। हमसे सबद्ध अर्थों के विषय में हमारा ममत्व रहेगा; मित्रों से ममत्व होने के कारण तत्सबद्ध अर्थों के विषय में भी ममत्व ही रहेगा; शत्रुसंबद्ध अर्थों के विषय में हमारे द्वेषादि रहेगे, तथा तटस्थ सबद्ध अर्थों के विषय में हम उदासीन रहेगे। सारांश, व्यवहारगत सभी अर्थ मत्सबद्ध, शत्रुसबद्ध अथवा तटस्थसबद्ध होते हैं तथा उनके अनुसार उनके विषय में हमारी हर्षद्वेषात्मक वृत्ति उदित होती है। इस प्रकार, लौकिक व्यवहार का पहला विशेष है अर्थों की व्यक्तिबद्धता एवम् उनके अनुकूल वृत्त्युदय।

काव्य में भी व्यक्ति के प्रवृत्तिनिवृत्तिमय व्यापार ही का वर्णन रहता है। काव्य पढते समय हमें वह प्रतीत होता है। सभव है कि हमारे व्यवहार के अनुकूल इस काव्यगत व्यवहार को भी हम व्यक्तिबद्ध समझे। किन्तु इस प्रकार की कल्पना रसास्वाद में बाधक होती है। काव्य में वर्णित व्यवहार प्रवृत्तिनिवृत्तिरूप ही रहता है, किन्तु इसका विशेष है कि यह व्यक्तिबद्ध नहीं रहता। व्यक्तिबद्धता लौकिक व्यवहार का स्वरूप है, और व्यक्तिनिरपेक्षता काव्य में वर्णित व्यवहार का स्वरूप है। अतएव काव्यवर्णित व्यवहार लौकिकभिन्न अर्थात् अलौकिक है।

किन्तु यहाँ एक आशंका है। लौकिकगत सभी सबद्ध स्व-पर-तटस्थ रूप तीन प्रकारों के अन्तर्गत हैं। काव्यगत अर्थों की ओर इनमें से किसी भी सबन्ध की दृष्टि से न देखना हो अर्थात् यदि हम कल्पना करते हैं कि ये अर्थ किसीके नहीं हैं, तब इन पर अनस्तित्व की आपत्ति आयेगी। ‘असबन्धिनोऽसत्त्वम्’ एक नियम है। इस नियम के अनुसार काव्यगत अर्थ असत् निर्धारित हुए, तो आकाशपुष्प की जैसे सुगंध नहीं हो सकती, वैसे ही असत् अर्थों का आस्वाद भी असभव होगा। फिर रसास्वाद कहाँ? इस पर साहित्यशास्त्र का कथन है कि काव्यगत अर्थों को व्यक्तिबद्ध दृष्टि से न देखते हुए भी इनकी सत्ता सामान्यत्व से प्रतीत हो सकती है। काव्यगत अर्थों की सामान्य रूप में प्रतीति होना रसास्वाद के लिए नितान्त आवश्यक है। मम्मट का भी इसीसे अभिप्राय है जब वे कहते हैं—“ममैवैते, शत्रोरेवैते, तटस्थस्यैवैते, न ममैवैते, न शत्रोरेवैते, न तटस्थस्यैवैते इति सबन्ध विशेषस्वीकार-परिहारनियमानध्यवसायात् साधारण्येन प्रतीतेः—” ये मेरे ही हैं अथवा मेरे नहीं हैं, ये शत्रु ही के हैं अथवा शत्रु के नहीं हैं, ये तटस्थ ही के हैं अथवा तटस्थ के नहीं हैं, इस प्रकार काव्यगत अर्थों में सबन्ध विशेष के स्वीकार अथवा परिहार की कल्पना भी नहीं रहती। अतएव इनकी प्रतीति भी साधारण्य से होती है।

काव्य पढ़ते समय अथवा नाट्य देखते समय तद्गत अर्थों के दर्शन से पाठक के अथवा दर्शक के वासनारूप सस्कार उद्बुद्ध होते हैं । ये सस्कार उसके हृदय में पहले ही से स्थिर हुए रहते हैं । उसके लौकिक जीवन में ही ये सस्कार स्थिर हुए रहते हैं, इस लिए लौकिक दृष्टि से ये सस्कार 'स्वगत' तथा 'स्वसबद्ध' भी होते हैं । काव्यपठन से जब वे उद्बुद्ध होते हैं तब इस स्वसबद्ध अवस्था में ही उनके उद्बुद्ध होने की सभावना रहती है । और रसास्वाद के समय अपेक्षित यह रहता है कि वे उद्बुद्ध तो हो किन्तु स्वसबद्ध न रहे । यह अवस्था कैसे संभव है ? व्यवहार में तो इन सबन्धों की स्वगतता एक क्षण के लिये भी विगलित नहीं होती । साहित्यशास्त्र का इस पर कथन है जिन उपायों से (विभावादि से) ये सस्कार उद्बुद्ध होते हैं उन उपायों के नियतसबन्ध विगलित हो जाते हैं, तब इन सस्कारों का भी नियतसबद्धत्व विगलित हो जाता है । पाठक के वासनात्मक सस्कारों का उद्बोधन काव्यगत अर्थों से होता है । पाठक को जबतक ये अर्थ सामान्यरूप में प्रतीत होते हैं अर्थात् उद्बोधन के इन उपायों की प्रतीति पाठक को जब तक सामान्य रूप में होती रहती है तब तक इन उद्बुद्ध सस्कारों का व्यक्तिसंबद्धत्व भी विगलित हुआ रहता है ।

उद्बुद्ध संस्कार का विगलित होना ही पाठक की व्यक्तिगत सीमा का विगलित होना है । इस व्यक्तिगत सीमा के विगलित होने का अर्थ है उसे स्वत्व की विस्मृति होना । स्वत्व की विस्मृति होने का अर्थ है स्वत्व का विस्तार होना । मम्मट का कथन है कि रसास्वाद के समय पाठक का 'परिमित प्रमातृत्व' अर्थात् व्यक्तिसबद्ध ज्ञातृत्व विगलित होता है एवम् उसमें 'अपरिमितभाव' आ जाता है । उद्बुद्ध होनेवाला सस्कार मूलतः 'नियतप्रमातृगत' होता है, किन्तु तब भी विभावादि के साधारणत्व के कारण उस प्रमाता का परिमितत्व नष्ट होता है, तथा उसमें अपरिमित भाव का उन्मेष होता है (नियतप्रमातृगतत्वेन स्थितोऽपि साधारणोपाय-बलात् विगलितपरिमितभावोन्मिषितअपरिमितभावेन प्रमात्रा) । इस प्रकार रसास्वाद के समय रसिक का उद्बुद्ध सस्कार भी साधारणीभूत होता है एवम् उसका सीमित व्यक्तिभाव भी विगलित होता है । इस अवस्था का अनुभव लौकिक व्यवहार में नहीं किया जाता । सारांश, लौकिक अर्थों का ही काव्य में वर्णन रहने पर भी, काव्य में उनका लौकिक स्वरूप नहीं रहता, उन अर्थों के द्वारा उद्बुद्ध होने वाले सस्कारों का भी लौकिक स्वरूप नहीं रहता, तथा रसिक का सीमित व्यक्तिभाव भी नहीं रहता । काव्यगत अनुभव का यह स्वरूप लौकिक अनुभव से इस प्रकार भिन्न है, अतएव वह अलौकिक है ।

(२) काव्यगत उपायों का स्वरूप भी लौकिक उपायों से भिन्न है । लौकिक

उपायो के सबन्ध मे एक महत्त्वपूर्ण नियम यह है कि उनकी सहायता से कार्य सिद्ध होने पर कर्ता को उनकी कोई आवश्यकता नहीं रहती, अतएव वह उनका त्याग करता है। लौकिक उपायो के सबन्ध मे कहा जाता है—

उपादायापि ये हेयास्तानुपायान् प्रचक्षते ।

उपायाना हि नियमो नावश्यमवतिष्ठते ॥

यह नियम काव्यगत उपायो को लागू नहीं होता। रसास्वाद मे काव्यगत शब्दार्थ बाह्य नहीं होते। काव्यनाट्यगत विभावादि रसास्वाद के उपाय तो हैं, किन्तु रसोत्पत्ति होते ही, लौकिक उपायो के समान, इन उपायों का महत्त्व नहीं घटता। लौकिक उपायो के समान इनका त्याग नहीं किया जा सकता। विभावादि नष्ट हुए तो रसास्वाद भी नष्ट ही हुआ। किंबहुना, रसास्वाद विभावादि का ही आस्वाद है। “व्यक्त. स तैर्विभावाच्चैः स्थायी भावो रस स्मृत.” इस वचन का यह अर्थ नहीं है कि विभावादि के द्वारा स्थायी अभिव्यक्त होता है तथा तदुपरान्त उस स्थायी की चर्चणा होती है। विभावादि-अभिव्यक्ति-विशिष्ट स्थायी ही चर्चणा का विषय बनता है। स्थायी के सबन्ध मे अभिव्यक्ति की विशेषणता है इस बात को क्षणभर के लिये भी भुलाया नहीं जा सकता। रसास्वादकालीन प्रतीति समूहालबनात्मक रहती है। विभावानुभावो की चर्चणा ही के द्वारा, हृदयसवाद-तन्मयीभवनक्रम से स्थायी को आस्वाद्यता प्राप्त होती है (तथाभूतविभावानुभावचर्चणया हृदयसवाद-तन्मयीभवनक्रमात् आस्वाद्यता प्रतिपन्न स्थायी-लोचन)। अतएव रस ‘विभावादि-जीवितावधि’ है अर्थात् जबतक विभावादि हैं तबतक ही रहता है, तथा वह ‘चर्व्यमाणतैकप्राण’ है अर्थात् विभावादि की चर्चणा ही उसका स्वरूप है। पूर्व बताया गया है कि काव्यगत उपाय रस के कारक उपाय अथवा ज्ञापक उपाय नहीं है। इस प्रकार उपायों की दृष्टि से भी काव्यगत उपाय तथा लौकिक उपायों मे भेद है। अतएव काव्यगत उपाय अलौकिक है।

(३) रस की अलौकिकता का यह भी एक गमक है कि वह लौकिकप्रमाणों का विषय नहीं बनता। रस लौकिक प्रत्यक्ष का विषय नहीं है वह अनुमित नहीं होता, वह स्वशब्दवाच्य नहीं है, वह स्मृति के अन्तर्गत नहीं है। वह केवल अनुभवैक-गम्य है, उसकी सत्ता होने पर भी वह लौकिकप्रमाणगम्य नहीं है, अत एवरस अलौकिक है।

(४) लौकिक व्यवहार तथा काव्यगत व्यवहार मे स्वरूपगत, उपायगत तथा प्रमाणगत भेद किस प्रकार होता है यह ऊपर बताया गया है। किन्तु इनसे अन्य दृष्टियों से भी इनमे भेद है। पूर्व बताया गया है कि शब्द का सकेत जात्यादिरूप

इन उपायों से हमें काव्यार्थ प्रतीत होता है। हम देखते हैं विभावानुभाव, न किरस। हम जिन्हे देखते हैं वे राम, सीता आदि विभाव हैं, उद्यान चन्द्रोदय आदि भी विभाव ही हैं, कटाक्ष, आलिंगन आदि अनुभाव हैं। इस विभाव अनुभाव आदि को ही हम प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं। किन्तु इनसे हमें जो आस्वादमय प्रतीति होती है वह प्रत्यक्ष का विषय नहीं होती, वह तो अनुभवैकगम्य ही रहती है। इसके अतिरिक्त, ये विभावानुभाव यद्यपि व्यक्तिगतरूप में दिखायी देते हैं, एव विषयेन्द्रियसंयोग के कारण यद्यपि वे लौकिक प्रत्यक्ष का विषय बनते हैं तथापि इस लौकिक अवस्था में वे आस्वाद्य नहीं होते। इस लौकिक प्रत्यक्ष के समकाल ही 'जातिलक्षण-प्रत्यासत्ति' के द्वारा हमें उनकी सामान्यत्व से प्रतीति होती है। इसी अवस्था में वे आस्वाद्य होते हैं। 'जातिलक्षणप्रत्यासत्ति' द्वारा होने वाले इस प्रत्यक्ष ज्ञान ही को न्यायशास्त्र में 'अलौकिक प्रत्यक्ष' की संज्ञा है। तब विभावादि के साधारण्य से होनेवाला ग्रहण भी 'अलौकिक प्रत्यक्ष' ही है, इतनाही नहीं, कवि अपनी वक्रोक्ति द्वारा अथवा अलकृत वाणी द्वारा जिन अर्थों को प्रस्तुत करता है वे भी उसे 'ज्ञानलक्षणप्रत्यासत्ति' से ही प्राप्त करते हैं, अतएव कवि का अभिधान भी 'अलौकिक प्रत्यक्ष' ही का विधान रहता है [१], अतएव यद्यपि काव्यगत विभावानुभाव अलौकिक प्रत्यक्ष का विषय बनते हैं तथापि वे लौकिक प्रत्यक्ष का विषय नहीं बनते, अपितु परामार्थतः अलौकिक प्रत्यक्ष ही का विषय बनते हैं। अलौकिक प्रत्यक्ष का विषय न हुए तो उन्हें विभावत्व ही प्राप्त नहीं हो सकता।

१. न्यायशास्त्र के अनुसार प्रत्यक्ष के दो भेद हैं— लौकिक प्रत्यक्ष तथा अलौकिक प्रत्यक्ष। इन्द्रियार्थसंनिकर्ष से होनेवाला प्रत्यक्ष लौकिक प्रत्यक्ष है। इन्द्रियार्थसंनिकर्ष लौकिक संनिकर्ष है। 'यह घोड़ा है' यह व्यक्तिविषयक ज्ञान लौकिक प्रत्यक्ष से हुआ है। जाति का अथवा सामान्य का ज्ञान मानसप्रत्यक्ष है। यह भी लौकिक प्रत्यक्ष ही है किन्तु जब कोई अश्वव्यक्ति को लक्ष्य कर के बताता है कि 'यह घोड़ा है' तब हम वह कथन तज्जातीय सभी व्यक्तियों के संबन्ध में समझते हैं। यहाँ क्या होता है? हमारे समक्ष व्यक्ति है, साथ ही व्यक्ति के आश्रय से जाति भी रहती है। हम जब उस व्यक्ति को देखते हैं, तभी तदाश्रित जातिद्वारा अन्य सब तज्जातीय व्यक्तियों भी वहाँ संबद्ध होती हैं। इस प्रकार जब कि इन्द्रिय का साक्षात् सबन्ध व्यक्ति से रहता है, तभी जातिद्वारा वह सबन्ध सभी से होता है। इस संबन्ध को 'सामान्यलक्षणा-प्रत्यासत्ति' कहते हैं। इस प्रत्यासत्ति को ही 'अलौकिक संनिकर्ष' कहते हैं। अत एव इस प्रत्यासत्ति से होनेवाला ज्ञान अलौकिकप्रत्यक्ष है। वस्तुतः यहाँ दो प्रत्यक्ष हैं। नेत्र से संबद्ध साक्षात् संयोगद्वारा होनेवाला लौकिक प्रत्यक्ष तथा सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति से होनेवाला अलौकिक प्रत्यक्ष। जातिलक्षणप्रत्यासत्ति से होनेवाली विभावादि की अलौकिकप्रत्यक्षप्रतीति ही साधारण्य से होनेवाली प्रतीति है। अलौकिक प्रत्यक्ष का दूसरा भी एक भेद है। वह ज्ञान-

[अगले पृष्ठपर देखिये]

विभावानुभाव अलौकिक प्रत्यक्ष का विषय होकर ही नहीं रह जाते, प्रत्युत वे उमकाल ही रसिक के हृदय में भी व्याप्त हो जाते हैं, अर्थात् रसिक का भी काव्यगत व्यवहार में अनुप्रवेश हो जाता है। विभावादि के द्वारा व्यापन अथवा रसिक का अनुप्रवेश केवल काव्य ही में संभव है, वाङ्मय के अन्य किसी भेद में वह नहीं हो सकता। विभावानुभावों का यह अलौकिक प्रत्यक्ष तथा यह अनुप्रवेश दोनों का काव्यगत सबन्ध इतना जुड़ा हुआ और अव्यभिचारी होता है कि इनके व्यावर्तन की कल्पना नहीं की जा सकती। न्याय के अलौकिक प्रत्यक्ष को रसिकव्यापन की अथवा अनुप्रवेश की जोड़ यदि न दी गयी तो रसानुभाव की उपपत्ति ही नहीं बतायी जा सकती। अतएव कहना पड़ता है कि काव्यव्यवहार अलौकिक है।

रस को जो अनुमेय मानते हैं तथा रसप्रतीति को जो अनुमिति समझते हैं वे भी अनुप्रवेश की कल्पना को टाल नहीं सकते, और मानना पड़ता है कि रसप्रतीति एक अलौकिक अनुमान है। केवल अभिधावादी मीमांसकों को भी कहना पड़ता है कि काव्यगत अभिधा का स्वरूप शास्त्रगत अभिधा से भिन्न है। सारास चाहे जितना प्रयास किया जाय काव्यार्थप्रतीति किसी लौकिक प्रमाण के ढाँचे में नहीं रखी जा सकती, या तो उसे अलौकिक मानना ही पड़ता है या यदि उसे लौकिक प्रमाणों में खींच लाना ही हो तो, लौकिक प्रमाणों का ही अलौकिकत्व मानना पड़ता है। अतएव स्वरूप, उपाय, प्रमाण, विवक्षा, प्रत्यासत्ति इनमें किसी भी दृष्टि से काव्यार्थ को देखनेपर भी, यही दिखायी देता है कि काव्यार्थ अलौकिक है।

कारण—अनुमितिर्लिंग—विभाव

लौकिक जीवन में व्यक्ति जिन अर्थों का अनुभव करता है उन्हीं अर्थों का वर्णन काव्य में रहता है। किन्तु उनका प्रयोजन परस्पर भिन्न होता है। प्रयोजन की इस भिन्नता से ही काव्यगत अर्थों को विभावादि की पृथक् सजाएँ दी जाती हैं। अतएव विभावादि सजाएँ अन्वर्थ अर्थात् अर्थानुगामी होती हैं। शत्रु को देखते ही

[पीछले पृष्ठसे]

लक्षणप्रत्यासत्ति द्वारा होता है। दूर से आम का फल देखते ही हम कहते हैं, यह आम का फल मीठा दीखता है। यहाँ आम के फल का साक्षात् संबन्ध आँखों से है किन्तु इससे प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ है मिठास का। यह कैसे हुआ ? यहाँ आँख का आम से संयोग होते ही उसकी पूर्वानुभूत मिठास भी स्मरण में उपस्थित होती है। वस्तुतः यहाँ होता यह है—(१) यह आम है—(चाक्षुः प्रत्यक्ष), (२) मिठास का ज्ञान (स्मरण), (३) यह आम मीठा है (संयुक्त चाक्षुष प्रत्यक्ष)। यहाँ द्वितीय ज्ञान का विषय तृतीय ज्ञान में आ गया है, 'अतएव यहाँ' 'ज्ञानलक्षणप्रत्यासत्ति है। यह अलौकिक प्रत्यक्ष ही वक्रोक्ति का मूल है।

कोई व्यक्ति जब क्रोधित हो जाता है तब उसकी भौहे सिकुड़ जाती है, आँखें लाल हो जाती है, चेहरा फूल जाता है, और शरीर में कम्प होता है। क्रुद्ध व्यक्ति की दृष्टि से इन बातों का विचार किया जाय तो शत्रु का दर्शन उसके क्रोध का कारण प्रतीत होता है, एवम् भौहे, सिकुड़ना आदि उसके क्रोध का कार्य प्रतीत होता है। मान लीजिये, हम इस व्यक्ति को दूर से देख रहे हैं। हम देखेंगे कि उसकी भौहे सिकुड़ गयी है, नेत्र आरक्त हुए हैं, चेहरा फूल गया है एवं शरीर कपित हो रहा है। इस से हम तर्क करेंगे कि यह व्यक्ति क्रुद्ध हुआ है। यह किस पर और क्यों क्रोध कर रहा है इस विषय में हमारे मन में जिज्ञासा उदित होगी। इतने ही में, उस शत्रु को भी हम देखेंगे, और हमारा तर्क होगा कि यह व्यक्ति अपने शत्रुपर क्रोध कर रहा है, तथा उसके क्रोध के विषय में हमारी जिज्ञासा शान्त हो जायगी। यहाँ हमने किया हुआ उस व्यक्ति के शत्रु का दर्शन, हमें दिखायी देनेवाली उस व्यक्ति की सिकुड़ी हुई भौहे आदि हमारे तर्क के लिंग हैं। अर्थ तो वे ही हैं किन्तु क्रुद्ध व्यक्ति की दृष्टि से वे कार्यकारणरूप हैं; तटस्थ की दृष्टि में वे अनुमिति के लिंग हैं। इन दोनों में इनका स्वरूप लौकिक है।

काव्य में जब इन्ही अर्थों का वर्णन किया जाता है तब इनका प्रयोजन भिन्न होता है। पात्र की चित्तवृत्ति की निष्पत्ति यह इनका कार्य न होने से ये कार्यकारण रूप नहीं होते, अथवा पात्र की चित्तवृत्ति का रसिक को केवल ज्ञान करा देने का प्रयोजन न होने से, ये अनुमिति लिंगरूप भी नहीं होते। रसनिष्पत्ति ही इनका प्रयोजन है। रसिक में रसनाव्यापार निष्पन्न करना ही इनका काव्य में प्रयोजन होता है। ये अर्थ इस व्यापार को किस प्रकार निष्पन्न करते हैं? अभिनवगुप्त का इस पर कथन है कि चित्तवृत्ति की उत्पत्ति के लिये व्यवहार में जो अर्थ कारण होते हैं, वे ही अर्थ काव्य में स्थायी का विज्ञान अर्थात् निश्चित अर्थ करा देते हैं। व्यवहार में इनका प्रयोजन निष्पत्ति होता है, और काव्य में इनका प्रयोजन 'विभावन' होता है। अतएव इनके निष्पत्ति कार्य के अनुकूल, व्यवहार में इन्हे 'कारण' कहा जाता है; और इनके विभावन रूप कार्य के अनुकूल इन्हें काव्य में 'विभाव' कहा जाता है। (विभावो ज्ञानार्थ, विभाव्यते विशिष्टतया ज्ञायते वागगकृतोऽभिनयः अनेन इति विभाव)। व्यवहार में देखे जानेवाले आरक्त नेत्र तथा कप, पुलक आदि स्थायी के परिणाम अर्थात् कार्य हैं। किन्तु ये ही अर्थ जब काव्य में आते हैं तब इनका प्रयोजन रसिक को चित्तवृत्ति का अनुभव कराने का होता है; अर्थात् अनुभावन इनका काव्यगत कार्य है। अतएव लौकिक में हम इन्हे 'कार्य' कहते हैं, परन्तु काव्य में इनके अनुभावन कार्य के अनुकूल हम इन्हें अनुभाव कहते हैं (यदयमनुभावयति वागसत्त्वकृतोऽभिनयः, तस्मादनुभावः)। व्यवहार में देखी जानेवाली

लज्जा, अमर्ष आदि से हमे परकीय चित्तवृत्ति का ज्ञान मात्र होता है। व्यवहार में ये नित्य स्थायी चित्तवृत्ति के साथ पाये जाते हैं, अतएव इन्हे देखते ही परकीय स्थायी का हमें बोध होता है। किन्तु ये ही अर्थ जब काव्य में आते हैं तब स्थायी का समुपरजन करते हैं, अर्थात् स्थायी को आस्वाद्य बनाते हैं (विविधमाभिमुख्येन रसेषु चरन्ति इति व्यभिचारिणः)। अतएव लज्जादि भावो को व्यवहार में केवल 'सहकारी' ही कहा जाता है किन्तु काव्य में, इनके समुपरजन रूप कार्य के अनुकूल इन्हे 'व्यभिचारीभाव' कहा जाता है। इस प्रकार, यद्यपि लौकिकगत अर्थ ही काव्य में भी रहते हैं तथापि विभावन, अनुभावन तथा समुपरजन ही इनके प्रयोजन रहने से इन्हें क्रमशः विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव की सज़ाएँ दी जाती हैं। इनका यह कार्य लौकिक नहीं है, इनका साधारणीभूत स्वरूप भी लौकिक नहीं है, इनकी ये सज़ाएँ भी लौकिक नहीं हैं तथा इनका क्षेत्र भी लौकिक नहीं है, इनका क्षेत्र काव्यनाट्य मात्र है; अतएव विभावादि अलौकिक है।

विभावादि के कारण रसिक को जो अनुभावन होता है उसका प्रकार भी अलौकिक ही होता है। व्यवहार में जैसे हमें कार्यकारण आदि के द्वारा परकीय चित्तवृत्ति का तटस्थता से ज्ञान होता है, वैसे विभावादि द्वारा केवल तटस्थता से ज्ञान नहीं होता। विभावादि रसिक के समक्ष उपस्थित होते ही, उन उन विभावादि से संबद्ध चित्तवृत्ति में रसिक का तन्मयीभवन होता है। इस प्रकार का यह तन्मयीभवन ही अनुभावन है (तच्चित्तवृत्तितन्मयीभवनमेवेह अनुभावनम्-लोचन)। इस अनुभावन में विभावों के लिये उचित चित्तवृत्ति से सजातीय, रसिक की अपनी चित्तवृत्ति उद्बुद्ध होती है (तच्चित्तवृत्तिभावनया तत्सजातीयस्वीयचित्तवृत्ते रुद्बोधनेनानुभावनम्-बालप्रिया)। यह अनुभावन निर्विघ्न तथा निरपेक्ष होने से ही चर्वणारूप अर्थात् रसनारूप होता है। व्यवहार में हमें ऐसी प्रतीति कभी नहीं होती। अतएव काव्यगत अनुभावन एक अलौकिक अनुभव है।

विभावादि के साधारण्य से होनेवाला यह अनुभावन एक अन्य प्रतीति से पृथक् है इस बात ध्यान रखना आवश्यक है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई दुष्ट गरीब तथा निरपराध लोगो को पीडा दे रहे हैं; रास्ते से गुज़रनेवाली स्त्रियाँ आदि को सता रहे हैं। इस दृश्य को देखते ही हम सोचते हैं कि 'ऐसे समाज-द्रोही लोगो को शासन होना चाहिये।' और जब हम देखते हैं कि ऐसे लोगो को शासन हुआ है तभी हमारा मन विश्रान्त होता है। इस प्रतीति का यदि विश्लेषण किया गया तो हम क्या देखेंगे? हमारी देखी हुई घटना यद्यपि व्यक्तिबद्ध है तथापि हमने उसका ग्रहण सामान्यत्व से किया है, अतएव इस एक लौकिक घटना में हमें सभी दुष्टो के व्यवहार की प्रतीति हुई। हमारी यह प्रतीति, तथा 'साब ने सूर्य की

स्तुति की और वह रोगनिमुक्त हो गया' यह सुनकर, 'जो भी कोई इस प्रकार स्तुति करता है वह रोगनिमुक्त हो जाता है' यह सामान्य प्रतीति, दोनों सजातीय हैं। नाट्यगत विभावादि की प्रतीति भी इसी प्रकार सामान्यत्व से होती है। किन्तु नाट्यगत विभाव-प्रतीति जैसी अलौकिक होती है वैसी यह प्रतीति अलौकिक नहीं होती। इसका कारण यह है कि जब हमें यह प्रतीति हुई तब हमारा चित्त इस प्रतीति ही में विश्रान्त नहीं रहा, वह उसकी बाद की क्रिया की ओर दौड़ा। चित्त की इस दौड़ ने ही हमें लौकिक की ओर खींचा है। अतएव यह प्रतीति लौकिक है। उपर्युक्त उदाहरण के अनुसार, काव्य अथवा नाट्य में भी यदि दुष्टो ने दी हुई पीडा तथा उनका किया गया शासन वर्णित हो तथा उस नाट्य के आस्वाद में रसिक की प्रतीति उन विभावादि की चर्चणा में ही विश्रान्त न हो कर, उत्तरकालीन कर्तव्य की ओर उन्मुख होती है तब वह प्रतीति भी लौकिक प्रतीति ही है। इस प्रकार उत्तरकर्तव्योन्मुखता निर्माण करना शास्त्रपुराणादि का प्रयोजन है, काव्य का प्रयोजन नहीं है। विभावादि के उपस्थित होते ही रसिक चर्चणोन्मुख हो, इसीमें विभावादि का विभावत्व है। रसिक में चर्चणोन्मुखता के स्थानपर उत्तर-कर्तव्योन्मुखता यदि आ गयी तो विभावो का विभावत्व नष्ट हो कर उन्हें लौकिक स्वरूप प्राप्त होता है एवम् रसिक की प्रतीति भी लौकिक ही रह जाती है (इह तु विभावाद्येव प्रतिपाद्यमान चर्चणाविषयतोन्मुखम्.....न च नियुक्तोऽहं करवाणि, कृतार्थोऽहमिति शास्त्रीयप्रतीतिसदृशमद । तत्र उत्तरकर्तव्योन्मुख्येन लौकिकत्वात् । —लोचन)। काव्य तो वही है जो कि रसिक को चर्चणोन्मुख करे, और वह तो प्ररोचना अथवा अर्थवाद है जो उसे उत्तरकर्तव्योन्मुख करता है।

अतएव रसप्रतीति किसी अर्थ को सिद्ध करने का साधन नहीं है। यह तो अपेक्षा नहीं की जा सकती कि काव्यपठन से रसिक किसी चीज का स्वीकार या त्याग करने के लिये प्रवृत्त हो। किसी क्रिया के लिये पाठक को उन्मुख करना काव्य का प्रयोजन ही नहीं रहता। कवि का एकमात्र प्रयोजन रहता है, काव्य द्वारा होनेवाली प्रतीति में रसिक काव्यपठन के समय विश्रान्त हो। अतएव कवि ने विभावादि द्वारा अभिव्यक्त किये अभिप्राय में (भाव में-भावः कवेरभिप्रायः) रसिक-हृदय विश्रान्त होना यही काव्य का प्रयोजन है। रसास्वाद का पर्यवसान अभिप्रेत वस्तु की प्राप्ति में अथवा तद्विषयक कर्तव्य में नहीं रहता, अपितु केवल प्रतीति-विश्रान्ति में रहता है; और प्रतीतिविश्रान्ति केवल अभिप्रायनिष्ठा होती है। (काव्य-वाक्येभ्यो हि न नयनानयनाद्युपयोगिनीं प्रतीतिरभ्यर्थ्यते, अपितु प्रतीतिविश्रान्ति-कारिणी, सा च अभिप्रायनिष्ठा एव, ननु अभिप्रेतवस्तुपर्यवसाना — लोचन)।

इसीसे रसप्रतीति तात्कालिक अर्थात् जबतक विभावादि उपस्थित रहते हैं

मे नित्य प्रदीपघटन्याय उद्धृत किया जाता है। इस न्याय की सीमा का भी ध्यान रखना आवश्यक है। प्रदीप तथा घट दोनों की परस्पर निरपेक्ष सत्ता होती है वैसे ही विभावादि काव्यनाट्यगत होते हैं तथा स्थायी भाव रसिक के हृदय मे लौकिक अवस्था मे वासनासंस्काररूप मे स्थित रहता है, यह भी स्वीकार है। किन्तु जैसे कि बाहर से लाये दीपक के प्रकाश में मूल अवस्था में घट जो है वही प्रकट होता है वैसे रस की अभिव्यक्ति नहीं होती। विभावादि का उचित सयोग रसिक की प्रतीति मे प्रविष्ट होते ही रसिक के तदुचित वासनासंस्कार का उद्बोधन अथवा प्रकाशन होता है। किन्तु इस प्रकाशित स्थायी के मूल रूप मे पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाता है। वह लौकिक रूप का स्थायी रहता ही नहीं। विभावादि की अलौकिकता का एव प्रमाता अथवा रसिक के अपरिमित प्रमातृत्व का मूलस्थायी पर संस्कार होने से उस स्थायी के रूप में पूर्णतः परिवर्तन हो जाता है तथा वह साधारणीभूत होता है तथा इसी अवस्था में वह चर्चणा का विषय बनता है। 'विभावानुभावो से अभिव्यक्त स्थायी' ऐसा जब कहा जाता है तब जिस अभिव्यक्ति से अभिप्राय रहता है वह स्थायी का उपलक्षण नहीं रहती, वह स्थायी का विशेषण है इस बात को-क्षणभर के लिये भुलाया नहीं जा सकता। अतएव 'व्यक्तः स तैर्विभावाच्च' इस वचन का 'विभावाद्यभिव्यक्तिविशिष्ट' यह अर्थ करना पडता है; 'विभावाद्यभिव्यक्त्युपलक्षित-स्थायी' इस प्रकार अर्थ नहीं किया जा सकता। रस में समूहालबनता है इस बात को विवेचक भूल नहीं सकता।

रस मे समूहालबनता होने से ही रसिक दर्शक रसप्रयोग से बाहर नहीं रह सकता। इस संपूर्ण रसव्यापार में रसिक भी एक अपरिहार्य अंश है। अतएव उस की अवस्था का एक विशिष्ट स्तर हमें मानना ही पडता है। इस स्तर से यदि उस का अंश हो गया तो वह लौकिक मे ही आ जाता है। इतना ही नहीं, रसिक को रसप्रयोगबाह्य समझकर विवेचक भी रसविवेचन नहीं कर पाता। रसिक को बाह्य मान कर यदि विवेचक काव्यनाट्य का विवेचन करता है तब वह लौकिक घटना का विवेचन होता है न कि रस का। काव्यगत अर्थों को विभावत्व प्राप्त होता है रसिकानुभूति की दृष्टि से, रसिकनिरपेक्षता से नहीं। जैसे रसिक को रसप्रयोग से बाह्य समझ कर विवेचक रसप्रतीतिका विवेचन नहीं कर पाता वैसे ही हम देखते हैं नाट्य, न कि लौकिक व्यक्तिगत घटना, इस बात को रसिक भी भूल नहीं सकता। दर्शक यदि इस बात को भूल बैठता है तो लौकिक में ही आ जाता है। फिर उसका आस्वाद भी लौकिक विकारों की प्रतीति के समान सुखदुःखात्मक हो जाता है।

रसिक में तन्मयीभवन की योग्यता होना आवश्यक है। योग्यता के लिये

इन शब्दों में किया है। रसिक को होनेवाला यह भट्टिप्रत्यय उतनाही सजीव होता है जितना कि स्वयं रसिक, यह प्रत्यय इतना सजीव होता है कि इससे रसिक का शरीर रोमांचित हो जायेगा, उसकी आँखों से अश्रु बहने लगेंगे, एवम् उसका कंठ भी गद्गद् होगा। अग्निवगुप्त कहते हैं कि यह प्रत्यय ही चमत्कार है तथा रोमांचादि का उद्भव भी चमत्कार ही है। यह चमत्कार ही चैतन्य, आनन्द तथा समाधान है। चमत्कार, निर्वृति, आनन्द पर्याय शब्द है (आनन्दो निर्वृत्यात्मा चमत्कारापरपर्यायः।—लोचन)।

रसप्रक्रिया का विकास

साहित्य मीमांसकों के द्वारा की गयी रसप्रक्रिया का विकासक्रम ध्यान में आने की अब कुछ सुविधा होगी। उदाहरण के द्वारा इस विकास का क्रम देखने का हम प्रयास करें।

१. अच्छोद सरोवर के समीपस्थित वन में पुंडरीक ने महाश्वेता को देखा। पुंडरीक के कान में पारिजात की एक मंजरी थी। चारों ओर उसकी सुगंध महक रही थी। महाश्वेता उस मंजरी के सबन्ध में जानना चाहती थी। जब पुंडरीक ने देखा कि महाश्वेता मंजरी चाहती है तब पुंडरीक ने वह अपने कान पर से उतार कर महाश्वेता के कान पर रख दी। उस समय पुंडरीक के हाथ का स्पर्श महाश्वेता के गाल से हुआ। महाश्वेता का शरीर रोमांचित हुआ और मुख आरक्त हुआ। पुंडरीक का शरीर भी उस स्पर्श से पुलकित हुआ और उसकी उँगलियाँ तरल हो कर उनमें से अक्षमाला गिर पड़ी। यह एक लौकिक घटना है। महाश्वेता की उत्सुकता का कारण है पुंडरीक का महाश्वेता को देखना। पारिजात मंजरी की सुगंध उत्सुकता की वृद्धि का कारण है। महाश्वेता ने, पुंडरीक के पास जाकर, उसके तथा पारिजात मंजरी के सबन्ध में प्रश्न करना यह है इस उत्सुकताका कार्य। महाश्वेता के मन में लज्जा उत्पन्न हुई इसका कारण है पुंडरीक का करस्पर्श। इस लज्जा का कार्य है रोमांच तथा मुख की रक्तिमा। इस लौकिक व्यक्तिगत घटना के ये व्यापार इस प्रकार परस्पर कार्यकारण भावसे सबन्ध है।

२ पुंडरीक का मित्र कपिजल पास ही खड़ा है और इस घटना को देख रहा है। पुंडरीक तथा पारिजातमंजरी के सबन्ध में प्रश्न करती हुई महाश्वेता का हास्य उसकी भावपूर्ण दृष्टि, उसकी भाषण की शैली आदि बाते वह देख रहा है। पुंडरीक के चेहरे पर उस समय होनेवाले परिवर्तन, महाश्वेता के कान पर मंजरी रखते समय उसकी दृष्टि में जो भाव था कपिजल सब देख चुका है। पुंडरीक के करस्पर्श से महाश्वेता के गाल भर उभर आये रोमांच तथा मुख की रक्तिमा, तथा

पुडरीक के उँगलियों की तरलता एवम् गिरी हुई अक्षमाला, तथा इस बात का पुडरीक को तनिक भी ध्यान न रहना इन बातों को भी कपिजल देख चुका है। यह सब देख कर कपिजल का तर्क हुआ कि पुडरीक तथा महाश्वेता का परस्पर प्रेम हो गया है। कपिजल ने जो कुछ देखा उस से उसका यह अनुमान हुआ। अतएव उसके देखे हुए व्यापार, उसके अनुमान के लिये है। यह लौकिक अनुमान है। कपिजल की भूमिका यहाँ तटस्थ की है। प्रेम के इस प्रसंग से कपिजल का कोई सवन्ध नहीं है। अपने मित्र का किसीसे प्रेम हो गया है इससे कपिजल आनन्दित तो हुआ ही नहीं, प्रत्युत यह किस फँदे में फँस गया है इस विचार से कपिजल दुखी हुआ, और कुछ समय के बाद उसने पुडरीक को समझाया भी।

३ किन्तु जब हम यही प्रसंग बाणभट्टकृत कादंबरी में पढ़ते हैं अथवा 'शाप-सभ्रम' आदि किसी नाट्य में देखते हैं, तब उपर्युक्त दोनों प्रतीतियों से हमें एक भिन्न प्रतीति होती है। इस प्रतीति में हम तटस्थ नहीं रहते। इस काव्य से अथवा नाट्य से अर्थात् विभावादि से हम तन्मय हो जाते हैं तथा हमारा अनुप्रवेश होता है एवम् हृदयसंवादपूर्वक तन्मयीभवनसे हम सम्पूर्ण काव्य का अथवा नाट्य का आस्वाद लेते हैं।

उपर्युक्त उदाहरण में प्रतीतियों का जो क्रम दिया है तथा कारणादि का विभावो में परिवर्तन बताया है, इसी क्रम से साहित्य शास्त्र में रसप्रक्रिया पर विचार हुआ है। भट्ट लोल्लट की रस प्रक्रिया में नाट्यगत घटना का एक लौकिक घटना की, दृष्टि से विचार किया गया है। उनकी प्रक्रिया में काव्यगत अर्थों को कारणत्व है, न कि विभावत्व। "विभावैः=कार्यैः जनित स्थायिभावः अनुभावैः=कार्यैः प्रतीतियोग्यं कृत, व्यभिचारिभिः सहकारिभिः उपचित. मुख्यया वृत्त्या रामादौ" - इस प्रकार लोल्लट की प्रक्रिया है। रामादि में स्थायी चित्तवृत्ति उदित होकर, उसका किस प्रकार उपचय हुआ, यह बात इस उपपत्ति से स्पष्ट होती है। भट्ट लोल्लट जानते हैं कि यह प्रक्रिया लौकिक घटना की है, यह भी वे जानते हैं कि केवल लौकिक घटना से आनन्द नहीं होता। अतएव आनन्द के कारण का अनुसंधान वे अन्यत्र करते हैं तथा कथन करते हैं, कि राम की चित्तवृत्ति यद्यपि नट में नहीं है तथापि नट की अभिनयनिपुणता के कारण वह नटगत ही मानी जाती है और इसीसे हमें आनन्द प्राप्त होता है।

श्रीशकु कृत विवेचन में दर्शक की भूमिका कपिजल के समान तटस्थ की है। इनके मत के अनुसार, विभावादि स्थायी की अनुमिति के लिये है। उनका कथन है, "कारणकार्यसहकारिभिः कृत्रिमैरपि तथाऽनभिमन्यमानैः विभावादि-शब्दव्यपदेश्यैः गम्यगमकभावरूपात् सयोगात् अनुमीयमानः स्थायी रसः।" श्रीशकु

के मत के अनुसार, नाट्यगत कारणादि कृत्रिम होते हैं अतएव इन्हें विभावादि कहते हैं। एवम् इन से दर्शक स्थायी का अनुमान करता है। श्रीशकुल जानते हैं कि केवल अनुमान आनन्द का कारण नहीं हो सकता। किन्तु नाट्यगत अनुमान को अनुकरण की भी सहाय्यता है। श्रीशकुल का कथन है कि नट रामगत स्थायी का अनुकरण करता है, और यही रसिक के आनन्द का कारण है।

इससे आगे साख्यो की प्रक्रिया है। इनके मत के अनुसार काव्य में विभावसामग्री ही अन्ततः रस में परिणत होती है, अतएव नाट्य में वर्णित बाह्य विषय सामग्री ही रस है। इनका कथन है कि, कविद्वारा काव्य में जो कुछ सुखदुःखात्मक वायु-मण्डल अथवा परिस्थिति निर्माण कि जाती है उसके बीज काव्य ही में होते हैं। वे विभावो से अकुरित होते हैं तथा अन्ततः रस में परिणत होते हैं।

उपर्युक्त तीनों प्रक्रियाएँ रसिक को विवेचना से बाह्य रखती हैं। पहली दो प्रक्रियाओं में रसिक बाह्य तो है ही किन्तु स्थायी भी व्यक्तिनिष्ठ है। साख्यो की प्रक्रिया में रस का बीज काव्यगतविषयसामग्री में ही माना है, एवम् बताया गया है कि बाह्यविषयगत स्वभावभूत सुखदुःख ही रस में परिणत होते हैं। इस मत के अनुसार, अन्तर स्थायी बाह्य परिस्थितिका परिणाम है। इसी मत में सर्वप्रथम माना गया है कि विभावादि का तथा स्थायी का व्यक्तिगत सबन्ध विगलित हो कर वह काव्यगत हुआ है। किन्तु रसिक अभी बाह्य ही है।

इसके अनन्तर भट्टनायककृत विवेचन आता है। सर्वप्रथम भट्टनायक ने ही विभावादि का साधारणीकरण सिद्ध किया। उन्होंने माना है कि रसभावना विभावादि के साधारण्य से होती है। तथा उन्होंने ही रस का भोक्ता होने के नाते रसिक को भी विवेचन में स्थान दिया। किन्तु काव्यद्वारा भावित रस का भोग रसिक स्वहृदय में किस प्रकार करता है इसका ठीक विवेचन वे नहीं कर पाये। त्रैगुण्य-युक्त अन्तःकरण के दृति-विस्तार विकास के रूप में रसास्वाद का स्वरूप विषद करने का उन्होंने प्रयास किया। किन्तु इसीसे, उनके कथित भोग में आनन्द्यदोष आ गया। अभिनवगुप्त इस सबन्ध में कहते हैं— 'सत्त्वादीना च अगागिभाववैचि-त्र्यस्य आनन्त्यात् दृत्यादित्वेन आस्वादगणना न युक्ता।'

अभिनवगुप्तने इन सारे दोषों का निरास किया। उन्होंने विभावादि की अलौकिकता सिद्ध की, विभावन, अनुभावन तथा समुपरजन ही इनके कार्य क्यो हैं यह भी विशद किया तथा हृदयसवाद-तन्मयीभवन के क्रम से चर्चगानिष्पत्ति किस प्रकार होती है यह बताते हुए एवम् विभावादिनिष्पन्न चर्चणा को गोचर होनेवाला भाव ही रस है यह दर्शाते हुए चर्च्यभारता अथवा अस्वाद्यता के आधार पर अपनी

उपपत्ति विशद की। इस उपपत्ति से रसास्वाद का स्वरूप तो स्पष्ट हुआ ही, साथ ही यह भी निश्चित हुआ कि रसास्वाद की सत्ता काव्य नाट्य के क्षेत्र में ही क्यों है और लौकिक व्यक्तिगत व्यवहार में कैसे नहीं है। अभिनवगुप्त ने इस प्रकार काव्यनाट्य की विशिष्टता का प्रस्थापन किया। रसप्रक्रिया का विकासक्रम संक्षेप में इस प्रकार है।

‘स्थायिविलक्षणो रसः’

अभिनवगुप्त के, ‘रस स्थायी नहीं है, अपितु स्थायिविलक्षण’ इस कथन का अर्थ अब स्पष्ट होगा। अभिनवगुप्त के पूर्ववर्ती भाष्यकार, रसीभूत होनेवाले स्थायी को व्यक्तिसंबद्ध मानते थे। लोल्लट के मत के अनुसार उपचित होनेवाला स्थायी, मुख्य वृत्ति से रामगत तथा गौण वृत्ति से नटगत है। शकुन के मत के अनुसार नट रामही के स्थायी का अनुकार करता है। इस प्रकार का व्यक्ति-संबद्ध लौकिक स्थायी कितना ही उपचित क्यों न हो, रस में परिणत कैसे हो सकता है? और यदि इस लौकिक स्थायी की परिणति रस में होती हो तब तो यह भी मानना पड़ेगा कि व्यवहार में भी रस का अनुभव होता है। किन्तु ऐसा तो कोई मान ही नहीं सकता। वस्तुस्थिति यह है कि लौकिक स्थायी रस में परिणतही नहीं होता। भरतमुनि को भी रस का यह स्वरूप अभिप्रेत नहीं है। अतएव उन्होंने रससूत्र में स्थायी का निर्देश नहीं किया। यदि निर्देश किया होता तो वह शल्यरूप ही हो जाता। अतएव अभिनवगुप्त को लौकिक स्थायी रसत्व से अभिप्रेत नहीं है। व्यक्तिगत स्थायी की उत्पत्ति तथा परिपोष करनेवाले अर्थ जब काव्यनाट्य में प्रकट होते हैं तब उन्होंने कारणत्वादि की भूमिका का त्याग किया रहता है। उस समय वे विभाव के रूप में उपस्थित होते हैं तथा विभावनादि कार्य करते हैं। इससे विभावादि—उचित रसिकगत वासनासंस्कार उद्बुद्ध अथवा अभिव्यक्त होता है। हृदयसवादतन्मयीभवन से उद्बुद्ध होनेवाला यह वासनासंस्कार लौकिक स्थायी नहीं है। आपातत वह लौकिक स्थायी के समान दीखता है किन्तु वस्तुतः अलौकिक वासनासंस्कार होता है। मधुसूदन सरस्वती ने, स्पष्ट रूप में, दोनों में भेद दर्शाया है। वे कहते हैं—

काव्यार्थनिष्ठा रत्याद्या स्थायिनः सन्ति लौकिका ।

तद्बोद्धुनिष्ठास्त्वपरे तत्समा अप्यलौकिका ॥ (भ. र ३।४)

‘काव्यार्थ में पाये जानेवाले रत्यादि स्थायी शुद्ध लौकिक होते हैं (अर्थात् उनका इस रूप में वर्णन किया जाता है जैसा कि वे रामादि के अपने हैं), परन्तु काव्यार्थ के आस्वाद के समय प्रमाता में उद्बुद्ध होनेवाले अन्य स्थायी यद्यपि पात्रगत स्थायी के समान दिखाई देते हैं तथापि वे अलौकिक रहते हैं ।’

अभिनवगुप्त ने स्पष्ट ही कहा है कि स्थायी से अभिप्राय है—लौकिक की अपेक्षा से स्थायी (लोकापेक्षया ये स्थायिनो भावाः ।) उनका विचार है कि लोक की अपेक्षा से उपचित होनेवाला स्थायी रस नहीं है। उनके मत में रस ' स्थायिविलक्षण ' है। यह तो उपचार मात्र है जो कि ' स्थायी रसीभवति ' कहा जाता है। (इस उपचारका स्वरूप पूर्व बताया जा चुका है)। अभिनवगुप्त के इस विशिष्ट दृष्टिकोण पर ध्यान देने से उनके रसविवेचन का क्षेत्र भी स्पष्ट हो जाता है। काव्य का परिशीलन करने में अथवा नाटक देखने में, रसिक का जो अनुभव होता है, उस अनुभव का स्वरूप तथा प्रक्रिया बताना—यही है रसविवेचन का क्षेत्र। रसविवेचन का विषय रसिकास्वाद है, न कि व्यक्तिगत मनोविकार। हाँ इतना भर अवश्य है कि व्यक्तिगत मनोविकारों का ज्ञान कवि को काव्यरचना में, नट को अभिनय करने में, तथा रसिक को अनुमानपटुता प्राप्त करने में उपयोगी सिद्ध होगा। भरत ने भी स्थायी का विवेचन इसी प्रयोजन से किया है। अभिनवगुप्त का कथन है—“ न अज्ञातलौकिकरत्यादिचित्तवृत्तेः कवेः नटस्य वा तद्विषयविशिष्टविभावाद्याहरणं शक्यम् इति स्थायिन उद्दिष्टाः । — लौकिकरत्यादि चित्तवृत्तियों का ज्ञान यदि न हो तब कवि के लिये अथवा नट के लिये तदुचित विशिष्ट विभावादि का प्रकाशन असंभव होगा इसी लिये भरतमुनि ने स्थायी भावों का परिग्रहण किया है। ” और यह सत्य भी है। भरत ने स्थायी भावों के स्वरूप की विवेचना नहीं की। बस इतनाही बताया है कि कौन कौन से विभावानुभावों के द्वारा उनका अभिनय करना चाहिये, इससे स्पष्ट है कि रस-विवेचनका विषय लौकिक मनोविकार न होकर रसिकास्वाद ही है। पूर्व बताया जा चुकाही है कि वासनासंस्कार-जो कि रसिक के चित्त में उद्बुद्ध होकर उसकी चर्चणा का विषय बनता है—अलौकिक होता है। अतएव अभिनवगुप्त कहते हैं कि रस स्थायी नहीं है, प्रत्युत स्थायिविलक्षण है। पूर्ववर्ती भाष्यकारों के मत के अनुसार उपचित अथवा अनुमित स्थायी रस है, इसके विपरीत अभिनवगुप्त के मत के अनुसार विभावादि के द्वारा निष्पन्न चर्चणा को गोचर होनेवाला तदुचित अलौकिक वासनासंस्कार रूप अर्थ ही रस है। यही है दोनों मतों में भेद।

रसः इति कः पदार्थः?—आस्वाद्यत्वात्

रस एक निर्बिघ्न चर्चणात्मक संविद् है। अर्थात् इसका स्वरूप अन्ततः बोध अथवा प्रतीति का ही है। अभिनवगुप्त ने लोचन में कहा है—“ चर्चणा अपि बोधरूपा एव ”। यहाँ एक आशंका होती है कि काव्य के अनुशीलन के समय निष्पन्न आनन्दमय प्रतीति को ' रस ' की संज्ञा क्यों कर दी जाती है? इस आशंका

रसाः इति अभिव्याख्याताः । ” यहाँ भोग्य, भोक्ता, फल आदि के साम्य पर से काव्यार्थप्रतीतिरूप व्यापारपर अर्थात् क्रिया पर रसनाव्यापार का इस प्रकार उपचार किया गया है—

भोग्य	भोक्ता	फल	व्यापार
१ व्यजनसंस्कृत अन्न	सुमनस् अर्थात् समाहितचित्त पुरुष	हर्ष-तृप्ति	रसना (आस्वादन)
२ विभावादिव्यजित स्थायी	सुमनस् अर्थात् एकाग्र तथा निर्मल हृदय रसिक	हर्ष-तृप्ति	निर्विघ्न सविद् (आस्वादन)

वास्तव में आस्वादन रसनेन्द्रिय का व्यापार नहीं है, रसनेन्द्रिय का व्यापार तो केवल भोजन है। आस्वादन एक मानसव्यापार है तथा इसका फल है हर्ष और तृप्ति। भोजन तथा आस्वादन के व्यापारों में यह जो भिन्नता है इसीसे भरत का अभिप्राय है यह उनके शब्दप्रयोग 'भुजाना आस्वादयन्ति' से स्पष्ट है। यह मानस व्यापार ही काव्य में आविकल रूप में रहता है (न रसनाव्यापारः आस्वादनम्, अपि तु मनस एव, स च अत्र अविकलोऽस्ति)। आस्वादन व्यापार का फल है, आस्वादन तथा तर्पण (तृप्ति)। तर्पण का अर्थ है सब इन्द्रियों का समकाल सतोष। काव्यार्थप्रतीति के साथ ही रसिक को आस्वादन तथा तृप्ति की प्राप्ति होती है। अतएव इस प्रतीति पर ही आस्वादन का उपचार किया गया है। यदि चित्त समाहित न हो तो भोजन में भी यह आस्वादनव्यापार नहीं रह सकता तथा काव्यार्थप्रतीति भी चित्त यदि निर्मल और एकाग्र न हो तो नहीं हो सकती, यही भरत ने, दोनों के संबन्ध में 'सुमनसः' शब्द का प्रयोग करते हुए दर्शाया है। इस उपचार के लिये भरत ने परम्परा का आधार दिया है। तथा इसी आधार पर उन्होंने 'आस्वाद्यत्वात्' यह उत्तर भी दिया है। केवल इसी आधार पर कि लौकिक अनुभव में यह आस्वादनव्यापार विचारतः रसनाव्यापारोत्तर रहता है, इसे रसनाव्यापार तथा इसीसे काव्यार्थ को रस कहा जाता है।

इसका अर्थ यह होता है कि अभिनवगुप्त रसनाव्यापार को, आस्वाद्यता को अथवा चर्वणाव्यापार को (ये सब पर्याय शब्द हैं) रस का भेदक लक्षण इस लिये मानते हैं कि काव्यार्थ को रसत्व आस्वाद्यता के कारण प्राप्त होता है तथा आस्वाद्यता विभावादि के उचित योग के कारण प्राप्त होती है। काव्यार्थ को रसत्व कब प्राप्त होता है? जब वह आस्वाद्य होता है तब। वह आस्वाद्य कब होता है? जब वह अलौकिक विभावादि के द्वारा अभिव्यक्त होता है तब। काव्यार्थ यद्यपि लौकिक अर्थ के समान दिखाई देता है तथापि विभावादि

अलौकिक उपायो से वह अभिव्यक्त होता है इस लिये वह आस्वाद्य अर्थात् रसनीय होता है, और इसीलिये वह लौकिक अर्थ न हो कर लोकोत्तर अर्थ है। अतएव काव्यगत रसना यद्यपि अन्य प्रतीतियों के समान एक प्रतीति है तथापि उपायो की अलौकिकता के कारण एक अलौकिक प्रतीति है। अभिनवगुप्त कहते हैं— “ रसना च बोधरूपा एव किन्तु बोधान्तरेभ्यो^१ लौकिकेभ्यो विलक्षणा एव, उपायानां विभावादीना लौकिकवैलक्षण्यात् । तेन विभावादिसयोगात् रसना यतो निष्पद्यते, ततः तथाविधरसनागोचरः लोकोत्तरोऽर्थः रस इति तात्पर्यं सूत्रस्य । ”

‘ नाट्ये एव रसः न तु लोके ’

इस प्रकार का अलौकिक प्रतीतिरूप रस काव्य तथा नाट्य में ही रह सकता है, लौकिक व्यवहार में नहीं। भरत ने रस को ‘ नाट्यरस ’ कहा है। अभिनवगुप्त ने इसका व्याख्यान “ नाट्ये एव रसः, न तु लोके ” किया है। अभिनवगुप्त ने यहाँ एक महत्त्वपूर्ण बात सूचित की है। रसास्वाद के समय लौकिकप्रतीति तथा नाट्यप्रतीति दोनों में भ्रान्ति (Confusion) नहीं होनी चाहिये। जहाँ इस प्रकार भ्रान्ति हुई कि रसविघ्न निर्माण हो जाता है। अभिनवगुप्तद्वारा निर्दिष्ट रसविघ्न इस भ्रान्ति ही के रूप है। रसास्वाद के समय नाट्य तथा लोक के भिन्न स्तरों का विवेक जो दर्शक नहीं रख पाते उनमें देशकालविशेषावेश अथवा निज-सुखादिविवशीभाव दिखाई देता है। उनके परिमित प्रमातृत्व का परिहार नहीं हुआ रहता। ऐसे पाठक अथवा दर्शक शृंगार से सुख पायेंगे किन्तु करुण से इन्हें दुःख होगा; और बीभत्स तो वे पढ़ या देख भी नहीं सकेंगे। इन लोगों को सविद्विघ्न न होने से तब रसना, आस्वाद्यता अथवा चर्चणा निष्पन्न ही नहीं होगी; फिर काव्यार्थ का रसत्व कहाँ ?

“ आनन्दरूपता सर्वरसानाम् । ”

रस ‘ सुख ’ रूप है अथवा ‘ सुखदुःख ’ रूप है इस विषय को लेकर आज-कल बहुत कुछ लिखा जाता है। इस संबन्ध में साहित्यशास्त्र की क्या भूमिका है इसका यही विचार करना उचित होगा। अभिनवगुप्त रस को आनन्दरूप मानते हैं। “ सर्वे अमी सुखप्रधानाः स्वसंविच्चर्चणरूपस्य एकधनस्य प्रकाशस्य आनन्दसारत्वात् । अन्तरायशून्यविश्रान्तिशरीरत्वात् सुखस्य । अविश्रान्तिरूपतैव दुःखम् । तत एव कापिलैः दुःखस्य चाञ्चल्यमेव प्राणत्वेन उक्तम् रजोवृत्तिता वदद्भिः इति आनन्दरूपता सर्वरसानाम् । ” अभिनवगुप्त का कथन है कि सब रस सुखप्रधान ही हैं। क्यों कि स्वसविद्विघ्न की चर्चणा ही उनका स्वरूप है। यह चर्चणा एकधन तथा

प्रकाशमयी (बोधरूप) होती है अतएव आनन्द ही इसका सारभूत तत्त्व है। एकघन निर्विघ्न सवित्ति मे ही रसिक का हृदय विश्रान्त हो सकता है। हृदय की अन्त-रायशून्य अर्थात् निर्विघ्न विश्रान्त अवस्था ही सुख का स्वरूप है। दुःख विश्रान्ति रूप हो ही नहीं सकता। सांख्यदार्शनिकों का कथन है कि दुःख रजोवृत्ति का धर्म है। इसमें, उन्होंने चाञ्चल्य ही को दुःख का स्वरूप बतलाया है। रसास्वाद के समय रसिक का चित्त एकघनसवित्ति में विश्रान्त होता है। तब रसिक के हृदय में किसी भी प्रकार की चंचलता नहीं रहती। अतएव सब रस आनन्दरूप ही रहते हैं। रसास्वाद लौकिक हर्षशोकआदि का अनुभव नहीं है, प्रत्युत स्वसवेदना का आस्वाद है, एवम् यह अनुभव आनन्दरूप ही होता है।

करुण रस की समस्या को भी अभिनवगुप्त ने आँखों से ओझल नहीं होने दिया। यह तो उनके पूर्वकाल ही से समस्या चली आई थी कि 'करुण से आनन्द कैसे होता है'? अनुकरणवादियों का इसपर कथन था कि करुण से भी आनन्द होना तो नाट्यरस का एक अलौकिक विशेष है। अभिनवगुप्त का इस पर विचार था कि यह समस्या ही उपस्थित नहीं होती। क्यों कि लौकिक जीवन में भी यह तो नियम नहीं है कि शोक से दुःख ही होगा। हमारे अथवा हमारे मित्र के शोक से हमें दुःख अवश्य होगा; किन्तु शत्रु के शोक से हमें आनन्द भी होगा, तथा किसी अन्य व्यक्ति के शोक के विषय में तो हम उदासीन ही रहेंगे। साराश, शोक यदि स्वगतसंबन्ध से सीमित न हो, तब उसका दुःख से कोई संबन्ध नहीं बताया जा सकता। और रस तो व्यक्तिसंबन्ध के परे है। इस लिये, 'शोक सुखहेतु कैसे होता है' यह प्रश्न ही ठीक नहीं है। अनुकरणवादियों के उत्तर का भी कोई अर्थ नहीं है। यह भी कोई उत्तर है कि, 'नाट्यभावों से आनन्द होना तो इनका स्वभाव ही है'। अभिनवगुप्त की मान्यता है कि रसिक आस्वाद करता तो सवेदना का ही आस्वाद करता है, यह सविद् आनन्दरूप ही होती है (अस्मन्मते तु संवेदनमेव आनन्दघनम् आस्वाद्यते। तत्र का दुःखाशका ?)। सवेदना के आस्वाद में दुःख कहाँ? उचित विभावादि की चर्चणा से हृदयसंवादतन्मयी भवनक्रम द्वारा लोकोत्तर काव्यार्थ की निर्विघ्न प्रतीति ही रस का स्वरूप है, अतएव यहाँ दुःख के लिये अवसर ही नहीं। बस, इतना ही है कि रति, शोक आदि वासनासंस्कारों के तत्कालीन उद्बोध के कारण इस एकघनसवेदनास्वाद में वैचित्र्य निर्माण होता है। तथा यह वासनासंस्कारों का उद्बोधन लौकिक कारणों से नहीं होता, अपि तु अभिनयादि-व्यापार ही से होता है। (केवल तस्यैव चित्रताकरणे रतिशोकादिवासनाव्यापार-स्तदुद्बोधने च अभिनयादिव्यापारः)।

अतएव अभिनवगुप्त विवेचन की सुविधा के लिये रस के सामान्य लक्षण तथा विशेष लक्षण इस प्रकार दो भेद करते हैं। भरत को भी रस का सामान्य लक्षण तथा विशेष लक्षण रूप विभाग अभिप्रेत है। रससूत्र में उन्होंने रस का सामान्य लक्षण किया है तथा इसके उपरान्त उसका स्वरूप विशद किया है। सामान्य विवेचन के उपरान्त, 'अब हम विभावानुभावसयुक्त रसों के लक्षणों तथा निदर्शनों का व्याख्यान करते हैं।' कहते हुए विशेष लक्षणों को आरंभ किया है, तथा शृंगार आदि के विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारिभाव मात्र का निर्देश किया है। भरत के इस वचन की सगति अभिनवगुप्त ने इसी अभिप्राय से बताई है। वे कहते हैं,— 'मुनि अब विशेष लक्षण बताना चाहते हैं, विशेष लक्षण सजातीय व्यवच्छेदक होता है, एव सामान्यलक्षण विजातीय व्यवच्छेदक होता है। विशेष लक्षण सामान्य के विशेषरूप निदर्शन ही होते हैं। अतएव विशेष लक्षण के कथन में सामान्य लक्षण का निर्देश, योजना तथा उदाहरण आताही रहता है। भरतकृत विशेष लक्षण इसी स्वरूप के हैं। स्थायी भावों के जिनका कि लोक में चित्तवृत्ति के रूप में अनुभव किया जाता है— यद्यपि विविध रूप है, तथापि वे सभी नाट्य में रसिक की मनोविश्रान्ति का एकायतन होकर रस को प्राप्त करते हैं। कवि तथा नट द्वारा निर्मित उचित विभावादि के कारण इन्हे काव्य तथा नाट्य में रसत्व प्राप्त होता है। अतएव विभाव,दि के औचित्य से अर्थात् सम्यग् योजना से स्थायी को रसता अर्थात् आस्वाद्यता प्राप्त होती है; फिर वह स्थायी लौकिक दृष्टि से चाहे सुखरूप हो अथवा दुःखरूप हो।" विभावादि का सम्यग् योग रसिक में चर्चणा अर्थात् रसनाव्यापार निष्पन्न करता है एवम् यह व्यापार एकघन सविद्विश्रान्तिरूप ही रहता है; अतएव यह आनन्दरूप ही है।

परन्तु जिन का विचार है कि लौकिक स्थायी स्वरूप ही रसरूप बन जाता है, वे सभी रसों को आनन्दरूप नहीं मान सकते। इनके मत के अनुसार स्थायी या तो रामादि से सबद्ध रहता है या वह स्वगत अर्थात् स्वसंबद्ध रहता है। इन्हें प्रतीत होता है कि विभावादि के कारण या तो रामादि का स्थायी परिपुष्ट हुआ है या इनके व्यक्तिगत मनोविकार उत्कट हुए हैं। इससे, वे शृंगारादि रसों को सुखरूप समझते हैं, और करुणादि को दुःखरूप। रस सुखरूप है अथवा दुःखरूप इस प्रश्न का उत्तर, रस 'स्थायिविलक्षण' है अथवा 'स्थायी' है इस प्रश्न के उत्तर पर अवलंबित है। यदि आप 'स्थायिविलक्षणो रस' मानते हैं, तब इस उपपत्ति के अनुसार एकघन सविद्विश्रान्तिरूप होने से रस आनन्दमय ही है। यदि आप 'स्थायी रसः' मानते हैं, तब इस उपपत्ति के अनुसार लौकिक स्थायी स्वरूपतः ही उपचित होता है, अतएव रस दुःखदुःखात्मक ही है। साहित्यशास्त्र में

हम इसके भी पूर्व जा सकते हैं। वामन ने अपने ग्रन्थ में एक श्लोक उद्धृत किया है —

कश्चात्प्रक्षणीयेषु सप्लव. सुखदुःखयोः ।

यथानुभवतः सिद्धं तथैवोज प्रसादयोः ॥

इस श्लोक में वामन कहते हैं कि कश्चात् नाट्य में रसिक सुखदुःखों के सप्लव को अनुभव करते हैं। यहाँ उन्होंने सुखदुःखवादियों की एक परम्परा की ओर अगुलि-निर्देश किया है। अभिनवगुप्त ने भी कहा है कि लोल्लट के परिपोषवाद का यदि स्वीकार किया जायें तो 'कश्चादादौ प्रत्युत दुःखप्राप्ति.' होती है। साराश, 'परिपोषवाद' तथा 'रस का सुखदुःखरूपत्व' इन दोनों में अन्योन्यसंबन्ध दिखायी देता है। अनुकरणवादि भी इसी निर्णय पर आ पहुँचते हैं। साराश, रसविवेचन के विकास में दो स्वतन्त्र परम्पराएँ दिखायी देती हैं। एक परम्परा में 'स्थायी रसो भवति' माना गया है और दूसरी परम्परा में 'स्थायिविलक्षणो रस' माना गया है। पहली परम्परा में स्थायी व्यक्तिबद्ध है तथा इसका परिपोष ही रस है, इस प्रकार रसस्वरूप माना गया है। विभावादि इस स्थायी के परिपोष की कारणादि सामग्री है। इससे इनकी उपपत्ति में स्थायी के लौकिक स्तर का त्याग नहीं होता। इतनाही नहीं, इनकी मान्यता है कि लौकिक स्थायी का ही स्वरूपतः परिपोष रस है। इसलिये इनकी दृष्टि से रस भी लौकिक ही है। तब इस रस का स्वरूप तो सुखदुःखात्मक ही रहेगा। फिर कश्चात् में आनन्द का अर्थ कहाँ से आता है? इसपर इनका उत्तर है कि या तो यह नाट्यभावों का स्वभाव ही है; या नट का अभिनिवेश अथवा अनुकृतिकौशल ही आनन्द का कारण है; अथवा नाट्यदर्पणकार के मत के अनुसार कविगतशक्ति अथवा नटगतशक्ति का वह चमत्कार है। दूसरी परम्परा 'अभिव्यक्तिवादियों' की है। इनके मत के अनुसार रस स्वरूप चर्चणात्मक है तथा वह निर्विघ्नसविद्विश्रान्ति की अवस्था है। रसिक का हृदयसवाद इस आस्वाद का अर्थात् चर्चणा का बीज है। अभिनवगुप्त ने स्पष्ट रूप में 'हृदयसंवाद आस्वाद.' कहा है। रसिक का यह हृदयसवाद लौकिक भूमिका पर नहीं होता। प्रत्युत, रसिक की लौकिक भूमिका विगलित न होना एक रसविघ्न है। इस प्रतीति के उपाय भी अलौकिक है। इतना ही नहीं इन विभावादि उपायों के द्वारा अभिव्यक्ति होनेवाला काव्यार्थ भी लोकोत्तर होता है। कहा तो जाता है कि, 'स्थायी रसत्व को प्राप्त होता है,' किन्तु लौकिक रूप में वह रसपदवी को प्राप्त नहीं होता। केवल इतना ही है कि काव्यगत अलौकिक उपायों का (विभावादि का) लौकिक कारणादि से संवादित्व रहता है, इससे लौकिक कारणों से संबद्ध लौकिक स्थायी का अलौकिक काव्यार्थपर उपचार

किया जाता है। अन्यथा, रसाभिव्यक्ति एक अलौकिक व्यवहार है। 'लौकिक विश्व' तथा 'रसविश्व' का स्तर एक ही नहीं है। लौकिक विश्व प्रवृत्तिनिवृत्ति रूप है, अतएव व्यक्तिसंबद्ध है एवम् सुखदुःखात्मक है। 'रसविश्व' 'प्रतीतिविश्रान्ति' रूप है, अतएव साधारण्यसंबद्ध है एवम् विश्रान्तावस्था के कारण ही आनन्दरूप है। इनके मत के अनुसार, रसास्वाद 'आनन्दघनसवेदना का ही आस्वाद' है; विभावादि वैचित्र्यसे इसमें वैचित्र्य आ जाता है एवम् यही रसभेद का कारण है।

रसविचार की इन दो दृष्टियों के कारण इनके रसानुभव के विश्लेषण में भी भिन्नता आ गयी है। अभिनवगुप्त आदि अभिव्यक्तिवादियों के मत के अनुसार रसास्वाद एक भटितिप्रत्यय है। विवेचन की सुविधा के लिये इसमें कुछ क्रम बताया जा भी सकता है, किन्तु वह केवल अपोद्धारबुद्धि से बताया गया क्रम है। रसास्वाद वस्तुतः विभावोपस्थिति के समकाल ही अखंडरूप में किया जाता है। भटितिप्रत्यय न होना रसास्वाद के लिये विघातक है। विभाव का साक्षात्कार होते ही रसना-व्यापार निष्पन्न होता है। अनुभवन के कारण तटस्थपरिहार होता है एवम् अभिनयन के कारण स्वात्मैकगतविश्रान्ति होती है। व्यभिचारीभावो के द्वारा रसना को समुपरजनमूल वैचित्र्य प्राप्त होता है। ये सब व्यापार उपस्थितिसमकाल ही होते हैं एवम् रसिक को सहसा निर्विघ्नसविद्विश्रान्ति का लाभ होता है। यह सविद्विश्रान्ति ही आनन्द है। अभिनवगुप्त शृंगारविवेचन में कहते हैं, 'कविना उपनिबद्धं नटेन च साक्षात्कारकल्पतामानीतैः (विभावैः) सम्यक् अविघ्नभोगात्मकः सभोगो रस उत्पद्यते। भटित्येव, न हि गमनक्रियावत् पर्यन्ते, रसनाक्रिया निष्पद्यते, अपि तु प्रथमावसरे। स च विभावसाक्षात्कारात्मक एव। तस्य प्रथमकक्षायामेव गोचरत्वाभिमतस्य नयनचातुर्यादिभि रसै रसना आभिमुख्यं नीयते। अत एव ते अभिनया अनुभावाश्च। . . अनुभावकत्वेन ताटस्थपरिहार। आभिमुख्यनयनेन स्वात्मैकविश्रान्तिशकानिरास। एव विभावसमये एव रसनीयस्य व्यभिचारिण स्वामेव रसनीयता चित्रयन्त सातिशयं पुष्यन्ति।" रसप्रत्यय भटितिप्रत्यय है एव एकघनसविच्चवर्णारूप है, इसीलिये निर्विघ्नावस्था में आरंभ से अन्ततक आस्वाद्य होता है।

इसके विपरीत उपचयवादियों के मत के अनुसार स्थायी से लेकर रसत्वतक एक क्रम है। विभावो के द्वारा स्थायी उत्पन्न होता, अनुभावो के कारण प्रतीतियोग्य होता है। एव व्यभिचारी भावो के कारण उपचित होता है। इस उपचय के अन्तिम क्षण में इसे रसत्व प्राप्त होता है। स्थायी का उपचय ही न हुआ तो वह भाव ही रह जाता है, एवम् आवश्यक मात्रा में उपचय न हुआ तो इसमें मन्दतरता अथवा मन्दतमता आ जाती है (इन सब बातों की विवेचना पूर्व की जा चुकी है)।

उपचयवादियों की इस उपपत्ति के अनुसार, रसप्रतीति—जैसा कि अभिनवगुप्त ने दृष्टान्त दिया है—गमन क्रिया के समान पर्यंत में आनेवाली अवस्था है। यहाँ भट्टितिप्रत्यय के लिये कोई अवसर नहीं है। इससे यहाँ अखण्डसविद्विश्रान्ति संभव नहीं। अतएव, पात्रगत रस, नटगत रस, रसिकगत रस, इस प्रकार लौकिक भूमिका पर उन्हें आना पड़ता है एवम् रस की उभयविधता का स्वीकार करना पड़ता है।

इस प्रकार साहित्यशास्त्र में दो भिन्न परम्पराएँ हैं एवम् इन दोनों के अनुयायी भी अनेक हैं। केवलानन्दवादी परम्परा के अनुयायी तो बताये जा सकते हैं, किन्तु सुखदुःखवादी परम्परा के अनुयायियों के संबन्ध में कुछ अनुमान करना पड़ता है। एक एक ग्रन्थकार की उपपत्ति के अनुसार तर्क करने पर इनके संबन्ध में भिन्न रूप में कुछ अंदाज किया जा सकता है—

(१) परिपुष्टिवादियों की सुखदुःखवाद की परम्परा—

दण्डी, वामन, लोल्लट, श्रीशंकुक, साख्यवादी, भोज, रामचन्द्र-गुणचन्द्र।

(२) अभिव्यक्तिवादी अथवा चर्चणावादियों की केवलानन्दवाद की परम्परा—

ध्वनिकार-आनन्दवर्धन, भट्टतौत, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, मम्मट, हेमचन्द्र, विश्वनाथ, प्रभाकर, मधुसूदन सरस्वती, जगन्नाथ।

इन दोनों परम्पराओं को देखने से एक बात स्पष्ट हो जाती है। केवलानन्दवादी ध्वनिमत को मानते हैं एव सुखदुःखवादियों को ध्वनि-तत्त्व स्वीकार नहीं है। भट्टनायक आपाततः भोगवादी तो हैं, किन्तु उनके स्वीकृत भावना तथा भोगीकरण के व्यापारों का स्वरूप वस्तुतः व्यजनाव्यापारात्मक ही है यह अभिनवगुप्त ने दर्शाया है। अतएव वे ध्वनिवादियों के निकट हैं।

इन दोनों पक्षों में ग्राह्याग्राह्यविवेक करने का यहाँ अवसर नहीं है। क्यों कि दोनों की भूमिकाएँ परस्पर भिन्न हैं। हमारा अपना विचार है कि अनेक कारणों से अभिनवगुप्त का विवेचन स्वीकार्य है। इनकी उपपत्ति के कारण ही सभी काव्यांगों की व्यवस्था हो सकती है। अतएव इससे अपरिहार्य रूप में सबद्ध आनन्दवाद ही हम ग्राह्य समझते हैं। इन कारणों की मीमांसा का यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है, और हमारा यह हठ भी नहीं है कि दूसरों को भी इसी पक्ष का स्वीकार करना चाहिये। किन्तु, जो आधुनिक विमर्शक संस्कृत ग्रन्थों के आधार पर साहित्य-विवेचना करना चाहते हैं, उनसे हम मित्रभाव से एक विनय करते हैं। वह यह है कि उपर्युक्त दोनों दृष्टिकोन मूलतः पृथक् हैं इस बात को वे सदा दृष्टि में रखें। 'स्थायी रसः' यह परिपोषवाद का विचार रस की सुखदुःखात्मता में पर्यवसित होता है, तथा 'स्थायिविलक्षणो रसः' यह संविच्चर्चणावादियों का विचार रस की आनन्दरूपता में परिणत होता है। आधुनिक विमर्शक जब रसमीमांसा करते हैं तब


अभिनवगुप्त की सविचूर्वरूप प्रक्रिया को स्वीकार्य मानते हैं किन्तु इसीके साथ अपरिहार्यरूप में आनेवाली रसों की आनन्दरूपता का वे स्वीकार नहीं करते। रस-प्रक्रिया का अध्ययन समाप्त कर के जब वे 'काव्यानदमीमासा' का आरम्भ करते हैं तब परिपोषवाद की मान्यताओं को स्वीकार करके वे रस की सुखदुःखात्मकता निर्धारित करते हैं। इससे उनकी विवेचना में पूर्वापरसंगति नहीं रहती। उनकी अभिमत रसप्रक्रिया तथा उन्हें अभिप्रेत रसास्वाद का स्वरूप — इन दोनों में मेल नहीं रहता, इससे उनका पूरा रसविवेचन ही आकुल हो जाता है। कोई यह तो नहीं कहता कि रस की सुखदुःखात्मकता सिद्ध करना ठीक नहीं है, किन्तु यदि सिद्ध ही करना हो तब रसप्रक्रिया के लिये भी, बिना किसी हिचकिचाहट, उन्हें परिपोषवाद का आश्रय प्रकट रूप में करना चाहिये। अभिनवगुप्त की उपपत्ति के अनुसार, रस-स्वरूप 'स्थायीविलक्षण' है, तथा चर्चणा अर्थात् आस्वाद्यता ही रस का भेदक लक्षण है, तथा इसका स्वीकार करने से रस की आनन्दरूपता को भी विवश होकर स्वीकार करना पड़ता है। सुखदुःखावादी विवेचकों को रस की अलौकिकता का तो त्याग करना पड़ता ही है, किन्तु उसके साथ ही अभिव्यक्तिमत तथा व्यञ्जनाव्यापार का भी त्याग करना पड़ता है। संस्कृत ग्रंथों से मनचाहे अंश ला ला कर एकत्रित करना और शास्त्रीय विवेचना में व्याकुलता निर्माण करना ठीक नहीं है। प्राचीन ग्रन्थकारों में यह चलता नहीं पायी जाती। 'सुखदुःखात्मको रस' कहते हुए नाट्यदर्पणकार ने अपने विवेचन में प्रकटरूप में परिपोषवाद ही का स्वीकार किया है। यह तो क्या, जिस जिस ग्रन्थकार ने रस के सुखदुःखात्मक स्वरूप का प्रतिपादन किया उसने ध्वनिमत तथा चर्चणावाद का आश्रय ही नहीं किया। तो अपना विवेचन लौकिक प्रमाणों की सहायता से ही किया। अलौकिक व्यञ्जनाव्यापार उन्होंने माना ही नहीं। उन्होंने रसप्रक्रिया का लौकिक भूमिका पर ही विवेचन किया एवम् काव्यानन्द के कारण का अन्यत्र अनुसन्धान करने का प्रयास किया। किन्तु उन्होंने शास्त्र को व्याकुल नहीं किया।

रस का सामान्य लक्षण तथा विशेष लक्षण

“अलौकिक चर्चणाव्यापारगोचरो लोकोत्तरोऽर्थो रसः,” “सर्वथा रसना-त्मकवीतविघ्नप्रतीतिग्राह्यो भाव एव रसः,” “विभावादिभिः सामाजिकध्विषि सयोगमासादितवद्भिः अलौकिकनिर्विघ्न सवेदनात्मकचर्चणागोचरता नीतोऽर्थः, चर्च्यमाणतैकसारो न तु सिद्धस्वभावः तात्कालिक एव न तु चर्चणातिरिक्तकालावलम्बी, स्थायिविलक्षण एव रसः”, इस प्रकार तीन स्थानों में अभिनवगुप्त ने रस का सामान्य लक्षण निर्दिष्ट किया है। 'आस्वाद्यता' ही रस का भेदक लक्षण है।

रस भी प्रतीति रूप ही है, किन्तु 'आस्वाद्यता' रूप उपाय के कारण यह प्रतीति अन्य प्रतीतिविशेषों से भिन्न है। आस्वाद्यमानता अथवा चर्वणात्मकता की दृष्टि से सब रस तथा भाव एक ही हैं। अतएव अभिनवगुप्त ने इसे 'सामान्य रस' अथवा 'महारस' कहा है, और बतयाया है कि शृंगारादि रस इस एक महारस के विशेष निष्पन्द हैं। एक ही रस के ये विशेष भेद विभावानुभावों के संयोग विशेष के कारण होते हैं। किन्तु विभावादि का यह संयोजन केवल अर्थात् निरपेक्ष नहीं होता। लौकिक दृष्टि से यह किसी संचारी भाव का अथवा स्थायी का अभिव्यजक होता है। इसके अनुरूप ही भाव तथा विशेष रस इस प्रकार सामान्य रस के विभाग किये गये हैं। भावों में भी इनके उदय, सधि, शान्ति, शबलता आदि अवस्थाविशेष उस उस प्रसंग में आस्वाद्य होते हैं अतएव इनके अनुरूप भावोदय, भावशान्ति आदि भेद माने गये हैं। इसी प्रकार विशेष रसों में भी रति, हास, शोक आस्वाद्य होते हैं तब इनके अनुरूप शृंगार हास्य, करुण आदि भेद किये गये हैं। रति, हास, शोक आदि स्थायी भावों को आस्वाद्यता प्राप्त होने के लिये विभावानुभावों के साथ ही संचारी भावों का भी संयोग आवश्यक होता है। इसका अर्थ यह है कि, जहाँ स्थायी भाव आस्वाद्य होता है वहाँ व्यभिचारी भावों की निरपेक्ष आस्वाद्यता नहीं रहती। किन्तु कवि के काव्य में, विशेष कर मुक्तक में, केवल व्यभिचारी भाव भी निरपेक्ष रूप में आस्वाद्य हो सकता है। जहाँ स्थायी आस्वाद्य रहता है वहाँ रसध्वनि होता है, एवं जहाँ व्यभिचारी भाव स्वतन्त्ररूप में आस्वाद्य रहता है वहाँ भावध्वनि होता है। इन सब विभागों का आलेख इस प्रकार होगा -

सामान्यरस (चर्वणाव्यापारगोचरभाव एव रस.)



के आनुषंगिक एवम् उसके अनुसारी रहते हैं। वह चित्तवृत्ति ही स्थायी चित्तवृत्ति है जो नेता के व्यापार में अभिव्यक्त होती है एवम् संपूर्ण नाट्य में अनुस्यूत होकर प्रतीत होती है। इस चित्तवृत्ति का अनुबन्धी रस ही स्थायी रस है। अन्य पात्रों की चित्तवृत्तियाँ एवम् तदनुबन्धी रस संचारी होते हैं। भरत ने कहा है—

बहूना समवेताना रूप यस्य भवेद् बहु ।

स मन्तव्यो रस स्थायी शेषा. सचारिणो मता. ॥

उत्तररामचरित के प्रथम अंक के कुछ अंश में शृंगार है, चौथे अंक के कुछ अंश में रौद्र है। एवम् पाँचवें अंक में वीर रस है। किन्तु करुण संपूर्ण नाटक में अनुस्यूत है तथा प्रतीत होता है कि शृंगारादि अन्य रस अन्ततः करुणपर्यवसायी ही हैं। अतएव इस नाटक में करुण ही स्थायी रस है तथा शृंगारादि अन्य रस संचारी हैं। शृंगार, वीर आदि रसों की अपनी अपनी निरपेक्ष सत्ता होने पर भी कवि की कृति में इनमें से किसी एक रस का प्राधान्य तथा अन्य रसों का अगत्व रहता है। जब वे अगित्व से आस्वाद्य होते हैं तब उनमें स्थायित्व होता है। जब वे अगत्व से आस्वाद्य होते हैं तब उनमें सचारित्व रहता है। परन्तु लज्जा, अमर्ष आदि कभी स्थायी नहीं हो सकते। वे नित्य संचारी ही रहते हैं। इस लिये, मुक्तक आदि में जब वे स्वतंत्र रूप में आस्वाद्य होते हैं तब उन्हें भावध्वनि ही कहा जाता है।

भरत ने आठ स्थायी भाव तथा तैतीस संचारी भावों का निर्देश किया है। स्थायी भाव नाट्य में जब अगत्व से आते हैं तब संचारी ही बनते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि भरत द्वारा निर्दिष्ट भावों में से सभी अर्थात् एकतालीस संचारी हो सकते हैं किन्तु स्थायित्व केवल रति, उत्साह आदि आठ (अथवा शातवादियों के अनुसार नौ) भावों का ही होता है।

रस और पुरुषार्थनिष्ठा

यहाँ सहज ही प्रश्न उपस्थित होता है कि इन आठ अथवा नौ ही भावों का स्थायित्व क्यों कर हो? अन्य भावों का भी क्यों नहीं? अभिनवगुप्त का इस पर कथन है—“नाट्य में अथवा प्रबन्ध में कवि नायक का वाङ्मन कायरूप व्यापार वर्णन करता है। यह व्यापार अनन्त। किसी अभिप्रेत व्यापार में परिणत होता है। यह अर्थ है पुरुषार्थ। कविद्वारा वर्णित इस पुमर्थसाधक व्यापारही को ‘वृत्ति’ की भी सज्ञा दी जाती है। काव्य में वर्णनीय वृत्तिरूप ही रहता है; किंबहुना, काव्य में वृत्तिशून्य वर्णनीय ही नहीं रह सकता। अतएव भरत ने ‘सर्वेषाम्’

एव काव्याना मातृका वृत्तयः स्मृताः ।' कहा है। (व्यापारः पुमर्थसाधको वृत्तिः । स च सर्वत्रैव वर्ण्यते इत्यतो वृत्तयः काव्यस्य मातृका इति— [उच्यते] न हि किञ्चिद् व्यापारशून्यं वर्णनीयमस्ति) । इसका अर्थ यह है कि, प्रबन्धगत प्रधान नेता का सम्पूर्ण व्यापार पुमर्थ ही में पर्यवसित होता है, एवम् इसके अनुरूप नेता की चित्तवृत्ति भी पुरुषार्थनिष्ठा ही रहती है। सपूर्ण प्रबन्ध में व्याप्त नायकव्यापार द्वारा यह चित्तवृत्ति अभिव्यक्त होती है, इस लिये यह सपूर्ण प्रबन्ध में अनुस्यूत रहती है, और इसीसे यह स्थायी भी होती है। इस प्रकार के भाव केवल आठ (अथवा नौ) ही हैं अतएव स्थायित्व भी इन्हींका हो सकता है। अभिनवगुप्त ने " तत्र पुरुषार्थनिष्ठा काश्चित् सविद इति प्रधानम् " कहा है, एव रत्यादि आठ भावों की पुमर्थनिष्ठा दर्शाते हुए, अन्ततः " स्थायित्वं तु एतेषामेव " यह परिणाम निकाला है। नाट्य के अथवा प्रबन्धकाव्य के आस्वाद में रसिक की सविद्विश्रान्ति भी पुरुषार्थनिष्ठा भाव में ही होती है, अन्य भावों में निरपेक्षरूपमें सविद्विश्रान्ति नहीं होती।

नाट्य में अभिव्यक्त रत्यादि की पुमर्थनिष्ठा अभिनवगुप्त ने एक और रूप में भी विशद की है। रति, हास, शोक आदि चित्तवृत्तियाँ मानव में जन्मत ही होती हैं। मानव का सपूर्ण जीवन इन चित्तवृत्तियों की प्रतीतियों से ही व्याप्त रहता है। इन चित्तवृत्तियों से विरहित मानव ही नहीं होता। हाँ, यह हो सकता है कि, कोई चित्तवृत्ति किसी व्यक्ति में अल्प हो और किसी अन्य व्यक्ति में अधिक हो, किसी की चित्तवृत्ति उचित विषय से सबद्ध हो और किसी की अनुचित विषय से सबन्ध हो। इनसे किसी एक चित्तवृत्ति का कवि अपने काव्य में पुरुषार्थनिष्ठा होने के नाते वर्णन करता है एवम् अन्य चित्तवृत्तियों का इससे उचित रूप में मेल करता है। कवि नाट्य में अथवा प्रबन्ध में किसी भी वृत्ति का वर्णन करता हो, यदि वह पुरुषार्थनिष्ठा न हो तब वह अनुस्यूत नहीं हो सकती अथवा वह आस्वाद्य भी नहीं हो सकती।

रतिशोकादि आठ भाव तथा ग्लानिशोकादि तैतीस भावों में और भी एक भेद है। रतिशोकादि वृत्तियाँ मानव के हृदय में वासनासंस्काररूप में निरपेक्षतय स्थित रहती हैं। ग्लानि, शोकादि भाव कारण वश आते जाते रहते हैं। अतएव वासनात्मक होने के कारण रत्यादि का मानव हृदय में लौकिक दृष्टि से भी स्थायित्व है, तथा ग्लानि शोकादि की आपेक्षिक रूप में केवल नैमित्तिक सत्ता है। नाट्य में अथवा प्रबन्धगत काव्य में इन संचारी भावों की स्थायीमुख से ही आस्वाद्यता रहती है; स्थायीनिरपेक्ष आस्वाद्यता नहीं रहती और स्थायीवृत्ति भी जब नेता के पुरुषार्थनिष्ठा नाट्यव्यापी व्यापारद्वारा अभिव्यक्त होती है तभी

आस्वाद्य होती है। अतएव नाट्यमपुरुषार्थनिष्ठवृत्तिकेहीस्थायित्वतथाउसीकीआस्वाद्यतारहतीहै।

रसोकाभरतकृतउत्पाद्योत्पादकभावभीपुरुषार्थनिष्ठहीहै।शृंगारकेविरोधमेंबीभत्सतथावीरकेविरोधमेंरौद्रइसप्रकाररसोकेयुग्महै।इनमेंशृंगारतथावीरनायकगतऔररौद्रतथाबीभत्सप्रतिनायकगतभावोकाअभिव्यजनहै।शृंगारतथावीरचतुर्वर्गसेअनुकूलरूपमेंसंबधितरहतेहैं,औररौद्रतथाबीभत्सप्रतिकूलरूपमेंसंबधितरहतेहैं।नाट्यगतहास्यरसशृंगारकेआभाससेसंबद्धरहताहै;करुणारौद्रकाअवश्यभावीफलहोताहै,वीरकीपूर्णाताअद्भुतकोउत्पन्नकरतीहै;औरबीभत्सजनकविभावभयानककोभीनिर्माणकरतेहैंइसप्रकारनाट्यमेंशृंगारादिकाहास्यादिसेहेतुहेतुमद्भावरहताहै।येआठोंरसनाट्यमेंअथवाप्रबन्धमेंपुरुषार्थसेनिबद्धहोकरहीनिष्पन्नहोतेहैं।

इसबातकाध्यानरखनाआवश्यकहैकिस्थायीकीपुरुषार्थनिष्ठतातथारसोकाउत्पाद्य-उत्पादकभाव—दोनोकीविवेचनानाट्यअथवाप्रबन्धगतस्थायीरसकीदृष्टिसेहीकीगयीहै।अभिनवगुप्तनेस्थानस्थानपरकहाहैकिनाट्यगतस्थायीकोपुरुषार्थनिष्ठाकेकारणहीआस्वाद्यताप्राप्तहोतीहै,औरअठारहवेंअध्यायमेंदशरूपविभागकीभीपुरुषार्थनिष्ठतासिद्धकीहै।रसोकाउत्पाद्य-उत्पादकभावभीभरतनेरसकानाट्यगतसंबन्धदर्शनेकेलियेहीनिर्दिष्टकियाहै।भरतकाकथनहैकिनाट्यगतरसोकेइससंबन्धपरध्यानदेकरहीनाट्यअभिनीतकरनाचाहिये।अतएवनाट्यगतअथवाप्रबन्धगतस्थायीरसकानिष्ठाआस्वाद्यताकेसाथहीपुरुषार्थनिष्ठाभीहै।किंबहुना,नाट्यगतअथवाप्रबन्धगतनेताकाव्यापारपुरुषार्थनिष्ठांनहो,एवमइसव्यापारमेंस्थायीअभिव्यक्तनहोतोस्थायीकोआस्वाद्यताहीप्राप्तनहीहोती।

नाट्यगतरसोकीपुरुषार्थनिष्ठासेहीभरतकाअभिप्रायहै।उनकाकथनहैकिनाट्यमें“क्वचिद्धर्मं,क्वचित्क्रीडा,क्वचिदर्थं,क्वचिच्छम।”कादर्शनरहताहै।इनमेंसभीपुरुषार्थसम्मिलितहैं।पुरुषार्थहैपुरुषकास्वयंप्राथित्यार्थं।इसस्वयंप्राथित्यार्थकासाधनभूतार्थंभीपुरुषार्थकहलाताहै।पुरुषार्थलक्षणहै,—‘स्वयंप्राथित्यवृत्त्युद्देश्यतानिरूपितविधेयताशालित्वपुरुषार्थत्वम्।’तथाजैमिनिनेपुरुषार्थकास्वरूप,“यस्मिन्प्रीतिःपुरुषस्यतस्यलिप्साऽर्थलक्षणाऽविभक्तत्वात्”(मी.सू.४।१।२)इसप्रकारबतायाहै।यहपुरुषार्थजीवनमेंचतुर्विधरूपहीहैतथाकोईभीमानवव्यापारचतुर्वर्गसेकिसीएकसेअनुकूलअथवाप्रतिकूलरूप

एक मत है कि नटाश्रित रस के कारण रसिक में भावनिष्पत्ति होती है। उदाहरण के लिये, नटगत करुण से रसिकगत शोक जागृत होता है एवम् इस शोक का विभावादि से परिपोष होने पर रसिक में भी रस निष्पन्न होता है। इस प्रकार रस तथा भाव एक दूसरे को कालभेद से निष्पन्न करते हैं। अनेक विद्वान् यह भी कहते हैं कि—राम तथा नट में पहले ही से भाव रहता है। इसका उपचय होने पर रस होता है तथा रस का अपचय होने पर भाव होता है। ये दोनों मत उपचयवादी अथवा परिपोषवादियों के हैं। अभिनवगुप्त इस पक्ष को मानते नहीं क्योंकि उनके मत में रस का यह स्वरूप ही नहीं है।

श्रीशकुन्तिका का कथन है—नाट्यप्रयोग के समय हम नटगत रसपर से रामादि के भावों का अनुमान करते हैं (रसेभ्यो भावाः); किन्तु नाट्याचार्य की शिक्षा के अनुसार नट जब मूल प्रकृति का अनुकरण करता है तब नटगत भाव के रस होते हैं (भावेभ्यो रसाः); इस प्रकार भरत द्वारा उपस्थित किये गये दोनों पक्ष हो सकते हैं। अभिनवगुप्त का कथन है कि यह भी मत ठीक नहीं है; क्योंकि दर्शक की प्रतीति में, यह अनुकर्ता नट तथा यह अनुकार्य राम इस प्रकार विभागप्रतीति ही नहीं रहती।

अभिनवगुप्त के मत में भरत के इस प्रश्न का स्वरूप ही कुछ दूसरा है। वह इस प्रकार है—रस के कारण भाव (विभावादि) सपन्न होते हैं, अथवा भाव (विभावादि) के कारण रस सपन्न होते हैं? अथवा वे अन्योन्यजनक हैं? इन प्रश्नों के निर्माण होने का कारण यह है कि भरत न कथन किया है, विभावादि से रसनिष्पत्ति होती है। तब विभावादि का रस की दृष्टि से पूर्ववर्तित्व हुआ। किन्तु व्यवहार में विभावानुभावों की वास्तविक सत्ता ही नहीं रहती। जिन्हें हम विभावानुभाव कहते हैं वे तो प्रत्यक्ष व्यवहार में कार्यकारण होते हैं। जब इनका उपयोग रस के अर्थात् रसनाव्यापार के लिये किया जायगा तभी इनको विभावानुभावत्व प्राप्त होगा, इससे पूर्व नहीं। इस दृष्टि से विभावादि की अपेक्षा रस का पूर्ववर्तित्व है। अच्छा भावादि से रस और रसादि से भाव इस प्रकार कहने पर इतरेतराश्रयत्व का दोष होता है।

इस प्रश्न का समाधान इस प्रकार है—काव्यगत विभाव प्रतीत न हुए तो रस निर्माण ही नहीं होता। इससे यह स्पष्ट है कि रस से भावनिष्पत्ति नहीं होती। 'भाव' शब्द के अर्थ से भी यही प्रतीत होता है। भावलक्षण है कि भाव वे होते हैं जो विविध अभिनय से संबद्ध होने पर अर्थात् अभिनयद्वारा हृदयगत होने पर रस बनते हैं। जिस प्रकार नानाविध व्यंजनद्रव्य (मसाला) अन्न में रुचि उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार विभावादि के अभिनयद्वारा ही काव्यार्थ आस्वाद्य होता है।

तब भावरहित रस हो ही नहीं सकता (न भावहीनोऽस्ति रसः)। किन्तु यह भी सत्य है कि रस के अतिरिक्त अन्यत्र अर्थात् लौकिक व्यवहार में विभावादि की सत्ता नहीं रहती (न भावो रसवर्जित)। फिर यह कूट सुलभे कैसे? इस पर उत्तर है कि रस तथा भाव द्वारा परस्पर सिद्धि अभिनय के आश्रय से होती है। (परस्परकृता सिद्धिस्तयोरभिनये भवेत्)। रस तथा भाव दोनों का आश्रय अभिनय है। लौकिक कारण ही विभाव बनते हैं। कब? अभिनय की भूमिका पर, अन्यत्र नहीं, और अभिनय रसाभिमुख ही रहता है। सारांश, अभिनय रूप एक ही क्रियाद्वारा रस तथा भाव दोनों की परस्पर सिद्धि होती है। इसमें इतरेतराश्रय का दोष नहीं हो सकता। जैसे व्यजनद्रव्य का संयोग अन्न में स्वादुत्व लाता है तथा व्यजनद्रव्य को भी आस्वाद्य बनाता है, वैसे ही एक ही अभिनय क्रिया के कारण, भाव से रस अर्थात् रस्यमानता निर्माण होती है, एवम् इस रस्यमानता से ही कारणादि को विभावत्व प्राप्त होता है। एक ही आश्रय पर एक ही क्रियाद्वारा इतरेतराश्रयत्व हो तो वह दोष है, किन्तु एक ही आश्रय पर क्रियाभेद से अन्योन्याश्रयत्व हो तो वह दोष नहीं होता। उदाहरण के लिये, पट की अपेक्षा से ततुओं का कारणत्व है और ततुओं की अपेक्षा से पट का कार्यत्व है। इसमें इतरेतराश्रयत्व दोष नहीं है, ऐसा ही रसभावों का भी है। रस की अपेक्षा से लौकिक कारणों का विभावत्व है, तथा विभावादि की अपेक्षा से रस की निष्पत्ति है।

यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि, यदि भाव से रस निष्पन्न होता हो, तब 'नहि रसादृते कश्चिदप्यर्थं प्रवर्तते' बिना रस के कोई भी नाट्यगत अर्थ प्रवर्तित नहीं होता — यह भरत ने क्यों कर कहा है? इसका समाधान इस प्रकार है —

यथा बीजाद्भवेत् वृक्षो वृक्षात् पुष्प फल ततः ।

एव मूल रसा सर्वे तेभ्यो भावा प्रवर्तिताः ॥

बीज जैसे वृक्ष का मूल होता है, वैसे ही कविगत साधारणीभूत संवेदन ही काव्यव्यापार का तथा नटव्यापार का मूल है। कविगत साधारणीभूत संवेदना ही परमार्थतः रस है। इस कविगत रस के कारण ही सम्पूर्ण काव्यव्यापार प्रवर्तित होता है। कविगत रस ही की नाट्य अथवा काव्यद्वारा रसिक को हृदयसवादबल से प्रतीति होती है, इस प्रतीति में वह विश्रान्त होता है — यह अनुभव करने के उपरान्त, अपने अनुभव को जब वह अपोद्धारबुद्धि से (विश्लेषण करने के हेतु) देखता है तब उसे विभावादि का बोध होता है एवम् कवि के प्रयोजन में, काव्य-नाट्य में, तथा सामाजिक की प्रतीति में विभावादि की ही सत्ता उसे दिखायी देती है। (कविगतसाधारणीभूतसविन्मूलश्च काव्यपुर.सर. नटव्यापारः। सर्वा सवित्

परमार्थतो रस । सामाजिकस्य च तत्प्रतीत्या वशीकृतस्य पश्चात् अपोद्धारबुद्ध्या तत्प्रतीतिः इति प्रयोजने, नाट्ये, काव्ये, सामाजिकविधि च त एव । —अ. भा.) । साराश, काव्यगत संपूर्ण व्यापार का उद्गम कविगत साधारणीभूत संबिद् में ही होता है ।

कविरसिकसवाद

अभिनवगुप्त ने यहाँ हमें काव्यप्रतीति के उद्गम के पास ही लाया है । काव्य के सबन्ध में उन्होंने हमें यहाँ दो महत्त्व की बातें कथन की हैं । काव्य में कविगत साधारणीभूत सवित् व्याप्त रहती है । यह कविगत सवित् ही परमार्थत रस है । काव्यनाट्य में जो व्यक्ति हम देखते हैं वह इस सवित् को रसिक तक पहुँचाने का कविका साधन है, और इसी हेतु कवि इसे उत्पन्न करता है । यह व्यक्ति माधव के समान कविकल्पित हो सकती है, अथवा कवि द्वारा रामादि के समान इतिहास से भी ली जा सकती है । कुछ भी हो, अपना साधारणीभूतप्रत्यय रसिक तक सक्रान्त करने का एक माध्यम इसी रूप में कवि इसका उपयोग करता है । अतएव इसे 'पात्र' की संज्ञा है । (अतएव पात्रमिति उच्यते) । कवि का यह प्रत्यय उसका व्यक्तिगत मनोविकार नहीं है अथवा यह उसका व्यक्तिगत सुखदुःख भी नहीं है । साधारण्य की भूमिका पर प्रतीत यह उसकी अनुभूति है । अपने लौकिक जीवन में कवि जो कुछ देखता है अथवा अनुभव करता है उसे वह उसी रूप में रसिक के समक्ष प्रस्तुत नहीं करता । उसे उसी रूप में प्रस्तुत करना काव्य ही न होगा । वह तो केवल 'काव्यानुकार' होगा । यह अनुकार तो 'आलेख्यप्रख्य' अथवा 'रसजीव-रहित प्रतिष्ठित' है । वह सजीव काव्य नहीं है । कवि का लौकिक अनुभव उसकी प्रतिभा के प्रभाव से निखर उठता है । कवि के व्यक्तिबन्ध अथवा उसकी "परिमित प्रमातृता" में यह प्रतीति फँसती नहीं । कवि अपने प्रतिभावल से अपने अनुभव को व्यक्तिगत स्तर से ऊपर उठाता है, एवम् उसे साधारण्य की भूमिपर लाता है । यह साधारण्य भी परिमित नहीं रहता । कवि का साधारणीभूत अर्थ इतना व्यापक बनता है कि सारे विश्व में वह व्याप्त हो सके । अभिनवगुप्त ने इस सबन्ध में कहा है — "स्वात्मद्वारेण विश्व तथा पश्यन् ।" यह प्रतीति रसिक तक सक्रान्त करने के लिये जिस चीज को वह उठाता है वह भी साधारणीभूत ही रहती है । इन साधारणीभूत उपायों की चर्चणा से आस्वाद्य बना हुआ उसका अनुभव, लौकिक अनुभव ही नहीं रहता । वह उसकी आत्मा में ही व्याप्त हो जाता है, उसका भावजीवन इस अनुभव से सराबोर हो जाता है तथा इसी अवस्था में अकृतकता से अर्थात् सहज रूप में (कृत्रिमता का स्पर्श भी न होते हुए) यह

अनुभव उसके शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त होता है। कवि का भावजीवन जबतक इस अनुभव से पूर्णतया व्याप्त नहीं होता तबतक यह शब्द द्वारा बाहर भी नहीं आता। (यावत्पूर्णां न चैतेन तावन्नैव वमत्यमुम्-भट्टनायक)। कवि के शब्दार्थ लौकिक ही रहते हैं, किन्तु वे उसके अनुभव से इस प्रकार सन जाते हैं कि, जैसे किसी के अकृत्रिम विलाप से अथवा प्रशंसावचनों से शोकवृत्ति अथवा आदरवृत्ति प्रतीत होती है वैसे ही कवि की इस अकृत्रिम वार्त्ता से उसकी विश्वव्यापक प्रतीति अभिव्यक्त होती है।

कवि के काव्य का निर्माण कैसे होता है इसकी कुछ कल्पना इस से की जा सकती है। ध्वन्यालोक के 'शोक' श्लोकत्वमागत.' इस वचन के व्याख्यान में यह अभिनवगुप्त ने स्पष्ट किया है। पाठक इसे मूल से ही समझ ले। मूल भाग यहाँ उद्धृत करने के मोह का विस्तार भय से सँवरण करना आवश्यक है।

दूसरी महत्त्व की बात यह है कि रसिकगत प्रतीति भी कविगत प्रतीति ही रहती है। कविका साधारणीभूत प्रत्यय तथा रसिक को काव्यपठन से प्राप्त साधारणी-भूत प्रत्यय एक ही अर्थात् एक जातीय ही होते हैं। यही हृदयमवाद अथवा वासना-सवाद है। सवाद का स्वरूप है, "एकत्र दृष्टस्य अन्यत्र तथा दर्शनं सवाद।" नाटकगत नायक इस वासनासवाद का माध्यम है। कवि का अनुभव नायकद्वारा रसिकतक सन्नान्त होता है। कवि, नायक तथा रसिक के अनुभव की जाति, दर्जा और स्तर एक ही होता है। भट्टतौत कहते हैं। — "नायकस्य कवे श्रोतुः समानोऽनुभवस्ततः।" रसिक का हृदयसवाद कवि से होता है। "कविसवित् ही परमार्थत रस है एवं रसिक को इसकी प्रतीति होती है।" इन शब्दों में अभिनवगुप्त ने हृदयसवाद का स्वरूप कथन किया है।


रसविश्व

भट्टतौत कहते हैं, "कवि तथा श्रोता दोनों का समान अनुभव रहता है," अभिनवगुप्त अभिनवभारती में कहते हैं, "कविर्हि सामाजिकतुल्य एव," तथा लोचन के आरम्भ में उन्होंने कहा है कि सरस्वती का तत्त्व "कवि सहृदयात्मक" होता है। कवि से लेकर सहृदयतक एक ही विश्व है तथा यह इन दोनों में व्याप्त है। यही रसविश्व है। भरत के बीजवृक्ष दृष्टान्त को विशद करते हुए अभिनवगुप्त इस रसविश्व की कल्पना स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं —

"एव मूलबीजस्थानीय कविगतो रस, ततो वृक्षस्थानीय काव्यम्, तत्रपुष्प-स्थानीय अभिनयादिनटव्यापारः, तत्र फलस्थानीयः सामाजिकरसास्वादः। तेन रसमयमेव विश्वम्।"

इस अलौकिक रसविश्व का विवेचन लौकिक विश्व के व्यक्तिगत स्तर से करना तथा रसास्वाद को व्यक्तिगत मनोविकार समझते हुए इस विकार की उत्कटता के द्वारा रसस्वरूप विशद करना कहाँतक ठीक होगा, पाठक स्वयं निर्णय करे। अभिनवगुप्त भी जानते थे कि रसविवेचन में इस प्रकार भ्रान्ति हो सकती है, किन्तु उन्हें अपेक्षित है कि ऐसी भ्रान्ति न हो। रसविश्व की साधारणीभूत प्रतीति के स्तर से लौकिक नियतनिष्ठता के स्तर पर पाठक किसी भी कारण से आ सकता है। विभावो के स्थान में कारणत्व का गन्ध मात्र इस भ्रान्ति के लिये पर्याप्त है। अतएव अभिनवगुप्त बारबार कहते हैं कि, 'रसिक जन, विभावादि अलौकिक है, इन्होंने कारणत्वादि की लौकिकभूमि अतिक्रान्त की है; विभावन-अनुभावन-समुपरजन ही इनका काव्यगत प्रयोजन है। यह प्रयोजन भी अलौकिक है तथा इनकी विभावादि सज्ञाएँ भी अलौकिक हैं। रसिक के पूर्वकालीन कारणादि सस्कारों पर ही विभावादि का उपजीवन है, तथापि विभावनादि प्रयोजन ही इनका काव्य में भेदक लक्षण (आख्यापन) है; अतएव यह भेदकावस्था रसावस्था में कभी आँखों से ओझल न ही इसीलिये साहित्यशास्त्र में इन्हे विभावादि की ही सज्ञाएँ दी गयी हैं।'—
 "लौकिकी कारणत्वादिभुवमतिक्रान्तै, विभावन—अनुभावन—समुपरजकत्व-मात्रप्राणै, अलौकिकविभावादिव्यपदेशभाग्भि, प्राच्यकारणादिसस्कारोपजीवना ख्यापनाय विभावादिनामधेयव्यपदेश्यै " —

• • •



ध्वनि के विरोधक

तात्पर्यशक्तिरभिधा लक्षणानुमिती द्विधा ।
अर्थापत्ति क्वचित्तन्त्र समासोक्त्याद्यलकृति ॥
रसस्य कार्यता भोगः व्यापारान्तरबाधनम् ।
द्वादशेत्थ ध्वनेरस्य स्थिता विप्रतिपत्तयः ॥

— जयरथ

पूर्वगत दो अध्यायो में रसविवेचन का स्वरूप बताया गया है ।

रसविवेचन नाट्यशास्त्रातर्गत रसविवेचन का आनुपगिक है तथापि वह केवल नाट्य तक ही सीमित नहीं है । वह काव्य के सबन्ध में पूर्णतया लागू हो सकता है । भरत के नाट्यरस काव्यरस भी है; तथा काव्यगत अर्थ भी 'नाट्यायमान' होकर रसिक के अन्तश्चक्षु के सामने काव्यगत भाव 'प्रत्यक्षवत् स्फुट' रूप में साक्षात्कृत होते हैं ।

शब्दार्थमय काव्य में भी रसप्रतीति होती है । इस, रसिक के अनुभव से सिद्ध भूमिका का स्वीकार करने पर, काव्यगत शब्दार्थों का रस से सबन्ध स्पष्ट हो जाता है । काव्यगत सभी अर्थ रसोन्मुख बनते हैं; वक्रोक्ति भी रसनिरपेक्ष नहीं रह सकती; अलंकार भी रसपरतत्र बनना आवश्यक होता है, काव्यगत प्रत्येक छोटी मोटी बात, तद्वत् वर्ण, छन्द, नाद, रस को उपकारक होने चाहिये; इन सभी का रसोचित्य की दृष्टि से सनिवेश किया जाना चाहिये; और साहित्यमीमांसक को भी रसप्रतीति की दृष्टि से ही इन सबका विवेचन करना पड़ता है । महाकवियों के काव्य में प्रतीत होनेवाले इस रसोचित शब्दार्थसनिवेश का स्वरूप विशद करने में,

होता है। किन्तु इनके विचार के दोष मम्मट ने काव्यप्रकाश के पंचम उल्लास में तथा 'शब्दव्यापारविचार' में भी दर्शाये हैं। यहाँ एक अडचन पाठको के विचार के लिये प्रस्तुत करना उचित होगा। जयरथ ने कारिका में 'द्विधा अनुमिति' अर्थात् 'दो प्रकार के अनुमान' का निर्देश किया है। ये दो अनुमान प्रकार कौनसे हैं इस बात का निर्णय प्रकृत लेखक नहीं कर सका। डॉ. राघवन् ने अपने शृंगार-प्रकाश पर लिखे प्रबन्ध में अनुमान के दो प्रकार—स्वार्थानुमान तथा परार्थानुमान सूचित किये हैं। किन्तु, कई कारण हैं कि जिन से लगता है कि ये दोनों भेद यहाँ अपेक्षित नहीं हैं। श्री आनन्दप्रकाश दीक्षित ने अपने 'रस की व्याख्याओं के दार्शनिक आधार' इस लेख में (आलोचना, त्रैमासिक, अक्तूबर १९५३), शकुन के मत के विवेचन में 'पूर्ववत्' तथा 'शेषवत्' इन अनुमानों का प्रयोग सिद्ध किया है। संभव है कि ये दोनों अनुमान अपेक्षित थे, किन्तु इस विषय में निर्णय करना कठिन है। आठवे मत के अनुसार ध्वनि का अर्थापत्ति में अन्तर्भाव होता है। यह मत किस का है बताया नहीं जा सकता। अर्थापत्ति अनुमान ही का प्रकार विशेष है, और 'अर्थापत्ति से ध्वनि भिन्न क्यों है, यह अभिनवगुप्त ने लोचन में दर्शाया है।

अभाववादी

ध्वनिकार के समय ही दो पक्ष थे—एक पक्ष ध्वनि का अन्तर्भाव अलंकार ही में करते थे और दूसरा पक्ष ध्वनि को अनिर्वचनीय बताता था। इनका निर्देश प्रथम ध्वनिकारिका में किया गया है।

काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्य समाम्नातपूर्वं
तस्याभाव जगदुरपरे, भाक्तमाहुस्तमन्ये ।
केचिद्वाचा स्थितमविषये तत्त्वमूचुस्तदीयम्

यहाँ 'तस्याभाव जगदुरपरे' इस अंश में निर्दिष्ट है अभाववादी अलंकारिक। ध्वनि को भाक्त बनानेवाले हैं लक्षणावादी, तथा तृतीय चरण में अनिर्वचनीय-वादियों का निर्देश है।

अभाववादियों का कथन है—काव्यसौंदर्य का जब विश्लेषण किया गया तब उसमें गुण, अलंकार, रीतियाँ, उपनागरिकादि वृत्तियाँ आदि वस्तुएँ प्राप्त हुईं। इनके अतिरिक्त ध्वनि नामक कोई चीज नहीं देखी गई। अच्छा जितनी सौंदर्य-कारक बातें पायी गयी हैं उन सभी का अन्तर्भाव पर्यायोक्त, समासोक्ति आदि अलंकारों में ही हुआ दिखायी देता है। इन से ध्वनिवादियों ने एक अंश उठा लिया एवम् उसीको ध्वनि नाम देते हुए वे आनन्दवश नाचने लगे हैं कि, "हमने

व्यापार नहीं रहता। अच्छा, इस व्यापार को दीर्घ कहने में यदि 'भटितिप्रत्यय होना' यह अभिप्राय है तब जिस व्यंग्यार्थ के भटिति प्रत्यय के लिये आप अभिधा को दीर्घ मानते हैं, उसमें अभिधा का सकेत नहीं रहता। तब अभिधा से उसका प्रत्यय ही कैसे हो सकता है? इस मत का खण्डन काव्यप्रकाश में भी विस्तार से किया गया है। पाठक अवश्य देखें।

तात्पर्यवाद

ध्वनिकार के, सब से बड़े विरोधक हैं, तात्पर्यवादी भाट्ट मीमांसक। लोचन से प्रतीत होता है कि ये मीमांसक अभिहितान्वयवादी थे और इन्हें प्राभाकर तथा वैयाकरणों की भी सहायता थी। आनन्दवर्धन का इन्होंने विरोध तो किया ही है, किन्तु बाद में भी धनिक तथा धनजय ने इस पक्ष की दशरूप में पुष्टि की। ध्वन्यालोक में किया गया तात्पर्यवादियों का खण्डन (तृतीय उद्योत) तथा दशरूपालोक में किया गया ध्वनिमत का खण्डन—दोनों को साथ साथ पढ़ने से, इनके विरोध का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। यहाँ इसका संपूर्ण विवेचन करने के लिये अवसर नहीं है; किन्तु संक्षेप में इसका स्वरूप हम देख लें।

तात्पर्यवादियों का कथन है—तात्पर्यशक्तिद्वारा ही ध्वनि का ग्रहण होता है, अतएव ध्वनिरूप पृथक् व्यापार मानने की आवश्यकता नहीं है। वाक्यार्थ में वाच्यार्थ से पृथक् रूप में जो अर्थ प्रतीत होता है वह प्रधान होगा अथवा गौण होगा। जब वह प्रधान होता है, तब वाक्यार्थ की अन्तिम विश्रान्ति उसीमें होने से, वह उस वाक्य का तात्पर्य ही तो है। इसलिये उसका ग्रहण तात्पर्यशक्ति से ही होता है। इसके लिये पृथक् व्यापार मानने की आवश्यकता ही क्या? हाँ, यह तो ठीक है कि इस तात्पर्यग्रहण की क्रिया में एक पृथक् अर्थ (वाच्यार्थ) मध्यम अवस्था में पाया जाता है। किन्तु वह तात्पर्यप्रतीति के उपाय के रूप में रहता है। जैसे कि पदार्थप्रतीति वाक्यार्थप्रतीति का उपाय है, वैसे ही ये मध्यगत वाक्य तात्पर्य-प्रतीति के उपाय हैं।

इसपर आनन्दवर्धन कहते हैं, "शब्द का वाच्यार्थ और प्रतीयमान अर्थ एक ही नहीं होते। इन से प्रथम अर्थ शब्द का वाच्यार्थ होता है, किन्तु द्वितीय अर्थ प्रथम अर्थ की अवगमन शक्ति से ज्ञात होता है। इसके अतिरिक्त, वाचकशक्ति तो केवल शब्द ही में हो सकती है, किन्तु अवगमनशक्ति संगीत आदि अवाचक स्वरों में भी रह सकती है। और तो क्या, शरीरचेष्टा से भी अभिप्राय व्यक्त हो सकता है। 'अनया मृगाक्ष्या कटाक्षेणाभिप्रायौ व्यञ्जितः' यह वाक्य दर्शाता है कि कटाक्षद्वारा अभिप्राय व्यक्त हुआ है। तब अवगमनशक्ति और वाचकशक्ति एक ही है इस कथन

मे क्या अर्थ रहा ? और तात्पर्यशक्ति—जो वाच्यार्थ ही से सबद्ध रहती है—अवगमन-व्यापार तथा व्यंजनाव्यापार दोनों को अन्तर्भूत कर लेती है—इस कथन में भी क्या सार रहा ?

तात्पर्यवादी इसपर कहते हैं कि ध्वनिवादी, प्रथम प्रतीत अर्थशक्ति में ही तात्पर्यशक्ति को सीमित क्यों मानते हैं ? यह तो नहीं कि प्रथम अर्थ में ही तात्पर्यशक्ति रुक जाती है। वक्ता का अन्तिम अभिप्राय जब तक ज्ञात होता है—तात्पर्यशक्ति का विस्तार है। जहाँतक आवश्यक है वहाँतक तात्पर्यशक्ति का विस्तार होता है, इसलिये पृथक् 'ध्वनिव्यापार' मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तात्पर्यवादी ध्वनिवादी से पूछते हैं—

‘एतावत्येव विश्रान्ति तात्पर्यस्येति कि कृतम्।

यावत्कार्यप्रसारित्वात् तात्पर्यं न तुलाधृतम्।’

ध्वनिवादि कहते हैं कि वक्ता का अभिप्राय वाक्यद्वारा ध्वनित होता है। किन्तु यह अभिप्राय तात्पर्यार्थ में ही आ जाता है। “गामानय” इस वाक्य का तात्पर्य वाच्यार्थ ही में विश्रान्त हुआ है। किन्तु “दरवाजा दरवाजा” आदि जब कहा जाता है तब ‘दरवाजा खोल दो’ अथवा ‘दरवाजा बंद कर दो’ इस रूप का वक्ता का अभिप्राय हम प्रसंग के अनुसार समझ लेते हैं। यह तो तात्पर्य ही है। इस लिये, व्यञ्जकत्व तात्पर्य से भिन्न नहीं है। अतएक व्यञ्जनाव्यापार मानने की कीर्षी आवश्यकता नहीं है।—‘तात्पर्यनातिरेकाच्च व्यञ्जकत्वस्य न ध्वनिः।’

ध्वनिवादियों का सब से प्रबल आधार है रसास्वाद। इनका कथन है कि रसास्वाद की उपपत्ति के लिये ध्वनिस्वीकार आवश्यक है। किन्तु तात्पर्यवादी कहते हैं कि रसास्वाद भी तात्पर्य ही में आ जाता है। वाक्य का पर्यवसान नित्य क्रिया में होता है। ‘गाम आनय’ इस वाक्य का पर्यवसान बैल को ले आने की क्रिया में होता है। “दरवाजा दरवाजा” इस वाक्य का पर्यवसान वक्ता के अभिप्राय के अनुसार, दरवाजा बन्द करने की अथवा खोलने की क्रिया में होता है। वैसे ही विभावादि का पर्यवसान “आस्वाद क्रिया” में होता है। मीमांसको के मन्तव्य के अनुसार वाक्यार्थ का पर्यवसान क्रिया में ही होता है इसलिये रसास्वाद भी तात्पर्यशक्ति में ही अन्तर्भूत होता है। इस बात को सिद्ध करने के लिये वे भट्टनायक के भोगीकरण का आधार लेते हैं। इसपर ध्वनिवादियों का कहना है कि ऐसा मान लेने से यह भी मानना पड़ेगा कि रस अभिधा तथा तात्पर्य की शक्तियों द्वारा ही प्रतीत होता है, और तब रस की स्वशब्दवाच्यता भी मानना अवश्य होगा। तात्पर्यवादी अपने ही हठ पर डट कर, रस की स्वशब्दवाच्यता भी स्वीकार कर लेता है। उसके ध्यान में नहीं आता कि, स्वशब्दवाच्यता एक रसदोष है।

ध्वनि तथा तात्पर्यवाद के क्षेत्र एक दूसरे से इतने सटे हुए हैं कि ध्वन्यालोक का एक अभिनवगुप्तपूर्व टीकाकार अपनी टीका में ध्वनि का तात्पर्य से समीकरण कर देता है। “यस्तु ध्वनिव्याख्यानयोद्यत् तात्पर्यशक्तिमेव विवक्षासूचकत्वमेव वा ध्वननमवोचत्, स नास्माक हृदयमावर्जयति।” और, “यस्तु अत्रापि तात्पर्यशक्तिमेव ध्वनन मन्यते, न स वस्तुतत्त्ववेदी।” इस प्रकार इस टीकाकार के मत का अभिनवगुप्त ने उल्लेख किया है और इस मत के विषय में प्रतिकूलता दर्शायी है। भोज ने तो, “तात्पर्यमेव वचंसि ध्वननमेव काव्ये” इस प्रकार दोनों में समन्वय करते हुए “चैत्रवैशाख” और “मधुमाधव” के समान इन्हे पर्याय ही निर्धारित किया है। वे कहते हैं—

अदूरविप्रकर्षात्तु द्वयेन द्वयमुच्यते ।

यथा सुरभिवैशाखौ मनुमाधवसज्ञया ॥

यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि ध्वनि और तात्पर्य परस्पर पर्याय हैं, तब आनन्दवर्धन का यह आग्रह क्यों है कि ‘ध्वनि’ एक पृथक् व्यापार मानना चाहिये? यदि भोज का यह कथन कि व्यवहार में जिसे तात्पर्य कहा जाता है उसीको काव्य में ध्वनि कहा जाता है—सत्य है तब यह क्या केवल शब्द ही का भेद है? अथवा तात्पर्य से ध्वनि को भिन्न मानने में ध्वनिवादियों का कुछ दूसरा अभिप्राय है? इन प्रश्नों का उत्तर खोजना चाहिये।

ध्वनिवादी और ध्वनिविरोधको में भूमिका भेद

आनन्दवर्धन का “तात्पर्य” और धनिक का “तात्पर्य” इनमें बहुत बड़ा भेद है। आनन्दवर्धन की तात्पर्य की कल्पना शास्त्रीय है। तात्पर्यशक्ति के प्रयोग के विषय में मीमांसा की जो सीमाएँ हैं उनका आनन्दवर्धन बड़ी सतर्कता से पालन करते हैं। अर्थप्रतीतिके विषय में मीमांसा में अभिधा—तात्पर्य—लक्षणा इस प्रकार क्रम दिया गया है। अभिधा से पदार्थों की सामान्यावगति होती है तथा तात्पर्य से उनकी विशेषावगति होती है। इस विशेषावगति में यदि बाध हुआ तभी लक्षणा प्रवृत्त होती है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार तात्पर्य यदि लक्षणातक ही नहीं जा सकता तब व्यजना को—जो कि लक्षणा से भी आगे है—कैसे स्पर्श कर सकता है। आनन्दवर्धन ने अभिधा—तात्पर्य तथा लक्षणाकी इन शास्त्रीय सीमाओं का ठीक ठीक पालन किया है, और इसीलिये उन्हें काव्यार्थ की उपपत्ति के लिये व्यजनारूप स्वतन्त्र व्यापार मानना पड़ा। (तस्मात् अभिधा—तात्पर्य—लक्षणाव्यतिरिक्तः चतुर्थोऽसौ व्यापारः ध्वननम्—लोचन)। धनिक ने ध्वनि का तात्पर्य में अंतर्भाव करने में तात्पर्यशक्ति

काव्य को अलौकिकता का प्रतिपादन किया। काव्यार्थ जैसे अलौकिक है वैसे ही व्यजनाव्यापार भी अलौकिक है। व्यजनाव्यापार का क्षेत्र काव्य ही है, काव्य से बाहर व्यजनाव्यापार का स्थान नहीं है। तात्पर्यादि को जैसे अलौकिक काव्यार्थ का आकलन नहीं हो सकता वैसेही व्यजना को भी लौकिक व्यवहार में स्थान नहीं दिया जा सकता। ऐसा करना भी दोष ही होगा। अलौकिक काव्यार्थ की प्रतीति करानेवाला व्यजनाव्यापार भी अलौकिक ही है।

व्यजना तथा काव्यार्थ की इस अलौकिकता का क्या कारण है? लौकिक विषय काव्य के क्षेत्र में आते ही अलौकिक किस कारण बनते हैं?—इसका एकमात्र उत्तर है—प्रतिभा। प्रतिभा ही काव्यार्थ को अलौकिक बनाती है और प्रतिभाही ध्वनन का अर्थात् व्यजना का भी प्राण है। अभिनवगुप्त स्पष्ट ही कहते हैं,—‘प्रतिपत्प्रतिभासहकारित्वं हि अस्माभिर्ध्वननस्य प्राणत्वेन उक्तम्।’ कवि के समान रसिक के लिये भी प्रतिभा आवश्यक है। लौकिकपदार्थ कविकी प्रतिभा में से उज्ज्वल हो कर रसिक के समक्ष प्रस्तुत होते हैं और रसिक भी प्रतिभाबल से उनका ग्रहण करता है तभी रसनिष्पत्ति संभव होती है; इसमें विशेष यह है कि कवि की और रसिक की भी प्रतिभा नवनवोन्मेषमुक्त ही होती है। भेद इतना ही है कि कवि की प्रतिभाकारक (कारयित्री) रहती है और रसिक की प्रतिभा भावक (भावयित्री) रहती है।

आनन्दवर्धन का विशेष यह है कि अपने विवेचन में उन्होंने प्रतिभा के इस अश की ओर किञ्चिन्मात्र भी अनवधान नहीं होने दिया। ध्वनिविरोधको ने काव्य का विवेचन तद्गत प्रतिभा को वर्जित करते हुए किया। अतएव उनका सभी विवेचन—रसविवेचन भी, केवल लौकिक के स्तर पर रहा। ध्वनिवादियों ने काव्यार्थ को प्रतिभा से अविच्छिन्न रूप में देखा। अन्य बिमर्शको ने काव्यार्थ को प्रतिभा से अलग किया और फिर उसका विश्लेषण किया। दोनों के विवेचन में यह महक्वपूर्ण भेद है।

कवि अपनी प्रतिभा से लौकिक अर्थ को अलौकिक के स्तरपर उठाता है एव रसिक भी प्रतिभाबल से ही अलौकिक में प्रवेश करते हुए उसका आस्वाद लेता है। जब तक प्रतिभा के वलय में है तबतक ही काव्यार्थ की अलौकिकता है। अतएव प्रतिभा ही काव्यहेतु है। बिना प्रतिभा के, लौकिक अर्थ में काव्यार्थत्व नहीं आता, और खीचातानी करके लाने की चेष्टा यदि की गरी तो वह उपहास-विषय बन जाता है। (या विना काव्यं न प्रसरेत्, प्रसृतं वा उपहसनीयं स्यात्)। अतएव, ‘कवित्वबीजं प्रतिभानम्’ कहा जाता है। प्रतिभा के तेज से उज्ज्वल बनी हुई प्रत्येक लौकिक वस्तु आस्वाद्य बन जाती है। प्रतिभा के स्पर्श से रति के

श्रु ध्या य अ ठा र ह वाँ



गु णा लं कार

तमर्थमवलम्बन्ते येऽङ्गिन ते गुणा स्मृता ।

अगाश्रितास्त्वलकारा मन्तव्या कटकादिवत् ॥

— ध्वन्या २।६

काव्य का सारभूत अर्थ रस है । रस की संज्ञा यहाँ

सामान्य रस के अर्थ में प्रयुक्त है तथा इसमें विशेष रस, भाव, उनके आभास, भावसधि आदि सभी असलक्ष्यक्रम ध्वनिक्षेपो का अंतर्भाव किया गया है । शब्दार्थों में रसादि अभिव्यक्त होते हैं अतएव रस तथा शब्दार्थ में व्यंग्यव्यजक सबन्ध है । कविद्वारा काव्य में प्रयुक्त शब्द वस्तुतः लौकिक ही रहते हैं, किन्तु कविप्रतिभा से जब वे प्रकाशित होते हैं तब उन पर गुणालकारों के सस्कार होते हैं । इन सस्कारों से ही इनमें व्यजकता का सामर्थ्य आता है । लौकिकगत शब्दार्थों का यदि रस में पर्यवसान होना आवश्यक है तब गुणालकार ही इनका माध्यम है । अतएव वामन कहते हैं — “गुणालकारसंस्कृतयोरेव शब्दार्थयो काव्यशब्दोऽयं प्रवर्तते ।”

किन्तु वामन के मत के अनुसार गुण तथा अलंकार दोनों शब्दार्थों के धर्म हैं । दोनों में भेद केवल यही है कि गुण शब्दार्थों के नित्य धर्म हैं और अलंकार अनित्य धर्म हैं । आनन्दवर्धन ने रस तथा शब्दार्थ में जीवशरीरसबन्ध माना है [१] और बताया है कि गुण रसाश्रित है तथा अलंकार शब्दार्थाश्रित है ।

१. रस और शब्दार्थों में जीवशरीरसबन्ध क्यों मानना चाहिये, गुणगुणिसबन्ध अथवा धर्म-धर्मिसंबन्ध क्यों माना नहीं जा सकता, इसका विवेचन आनन्दवर्धन ने ध्वनिकारिका ३।३३ की वृत्ति में किया है । जिज्ञासु अवश्य देखें । इसका यहाँ विस्तार नहीं किया जा सकता ।

अलंकारों की रसव्यंजकता

अलंकार शब्दार्थश्रित है और उन्हीसे शब्दार्थों में व्यंजकता का सामर्थ्य आ जाता है। रस अभिव्यक्त होने के लिये काव्य को आरम्भ में वाच्यार्थ अथवा वाच्य का आश्रय करना ही पड़ता है। यह वाच्य रसाभिव्यक्ति के लिये समर्थ होना चाहिये। वाच्यार्थ में यह सामर्थ्य अलंकारों से आता है। यही एक अन्य प्रकार से कहा जा सकता है। वाच्य के लौकिक रूप में से रस अभिव्यक्त नहीं होते। रसाभिव्यक्ति के लिये वाच्यार्थ को लौकिक से भिन्न अर्थात् लोकोत्तर रूप धारण करना पड़ता है। यह लोकोत्तर रूप ही वाच्यार्थ का अलंकृत रूप है। रसावेश में प्रतिभावान् कवि जो रचना (शब्दप्रयोग) करता है उस रचना (शब्दयोग) में से निर्माण होनेवाला वाच्यार्थविशेष ही अलंकार है। इसको 'उक्तिविशेष' भी कहा जाता है। रसयुक्त काव्य की रचना करते समय प्रतिभावान् कवि की रचना में अलंकार आप ही प्रकट होते हैं। आनन्दवर्धन कहते हैं कि इस अवस्था में अलंकार कवि के समक्ष 'अहपूर्विकया' उपस्थित होते हैं। इस प्रकार काव्य में आये अलंकारों का रस के साथ अंतरंग संबन्ध रहता है। अतएव रसाभिव्यक्ति की दृष्टि से अलंकारों को केवल बाह्य समझने की आवश्यकता नहीं है। (अलंकारान्तराणि हि निरूप्यमाणदुर्घटनान्यपि रससमाहितचेतस प्रतिभानवतः कवेः अहपूर्विकया परापतन्ति...युक्त चैतत् । यतो रसा वाच्यविशेषैरेवाक्षेप्तव्या । तत्प्रतिपादकैश्च शब्दैः तत्प्रकाशिनो वाच्यविशेषाः एव रूपकादयोऽलंकाराः । तस्मान्न तेषां बहिरगतव रसाभिव्यक्तौ) ।

इसका अर्थ यह है कि काव्यरचना के समय रसाभिव्यक्ति और अलंकारों की सृष्टि—दोनों कवि के एक ही प्रयास से सिद्ध होनी चाहिये। तभी वह अलंकार उस रस से, अंतरंगसंबद्ध होकर व्यंजनक्षम हो सकता है। यदि ऐसा न हुआ और अलंकार के लिये कवि को यदि पृथक् यत्न करना आवश्यक हुआ, तब कवि का अवधान रस में नहीं रह पाता और केवल अलंकारों की ही रचना में लगा रहता है। इस अवस्था में रसाभिव्यक्ति रस से अंतरंगसंबद्ध नहीं रहता। बाह्य हो जाता है। यह अलंकार रसव्यंजक तो रहता ही नहीं, प्रत्युत रस को बाधक होता है। किसी समय वह रस को बाधक न भी हुआ तो रस में गौरवत्व अवश्य लाता है। उदाहरण से यह स्पष्ट होगा—

कपोले पत्राली करतलनिरोधेन मृदिता
निपीतो नि श्वासैरयममृतहृद्योऽधररस ।
मुहुः कण्ठे लग्नस्तरलयति बाष्प स्तनतटी
प्रियो मन्युर्जातस्तव निरनुरोधे न तु वयम् ॥

कोई नायिका ईर्ष्याविश रूठ गयी। हस्ततल पर कपोल रखे रहने से कपोल पर लिखित चदन की रचना (पत्राली) धुल गयी थी; दीर्घ निश्वासो के कारण अघर सूख गये थे, और दुख को हृदय ही में दबाये रखने से वक्ष स्थल में स्पन्दन हो रहा था। उसका अनुनय करता हुआ नायक कहता है—“तुम्हारे कपोल पर लिखित चन्दनरचना हस्ततल ने प्रोच्छित्त की है; अमृततुल्य अघर रस के निश्वासो ने पान कर लिया है; बाष्प भर तुम्हारे गले लगा है; और इससे तुम्हारा वक्षस्थल तरलित हो रहा है। यह क्रोध ही तुम्हे प्रिय हो रहा है, हम नहीं। कमाल का तुम्हारा हठ भी है।”—यह एक चाटूक्ति है। प्रसंग है ईर्ष्याविप्रलम्भ का; नायिका के मिलन के लिये नायक उत्सुक हो उठा है किन्तु अड़गा है क्रोध का। इस क्रोध का वर्णन करने में, श्लेष के आधार से कवि ने इस पर नायक की कृति (कपोल-स्पर्श, चुम्बन, आलिंगन आदि) का आरोप किया है और इसमें, कवि के प्रयाम के बिना ही व्यतिरेक की छाया आ गयी है। यह व्यतिरेक यहाँ रस में विघ्न तो करता ही नहीं, परन्तु ईर्ष्याविप्रलम्भ को और भी आस्वाद्य बनाता है, और हमें बड़ा अचम्भा होता है कि नायिका के मान के वर्णन में कवि श्लेष और व्यतिरेक कैसे सिद्ध कर पाया। यही अलंकारों का वैचित्र्य है। पूर्वार्ध में उद्धृत कालिदास का श्लोक—“चलापागा दृष्टिम्” भी—जिस में अमरस्वभावोक्ति अलंकार है—रसाभिव्यञ्जक अलंकार का अच्छा उदाहरण है। इस श्लोक की प्रत्येक कल्पना दुष्यंत की अभिलाषा को अधिकाधिक अभिव्यक्त कर रही है। ये दोनों उदाहरण अलंकारों की रसव्यञ्जकता दर्शाते हैं। कवि ने रसावेश में शब्दरचना की है उसके द्वारा प्रकट वाच्यार्थ ने यहाँ आप ही अलंकारों का रूप धारण किया है। अलंकार की सृष्टि के लिये कवि को पृथक् यत्न करने की आवश्यकता नहीं रही।

इन श्लोकों की तुलना में निम्न पद्य देखिये—

स्रस्त स्रग्दामशोभा त्यजति विरचितामाकुल' केशपाश.

क्षीबाया नूपुरौ च द्विगुणतरमिमौ ऋन्दत पादलग्नौ ।

व्यस्त कम्पानुबंधादनवरतमुरो हन्ति हारोऽयमस्या.

क्रीडन्त्या पीडयेव स्तनभरविनमन्मध्यभङ्गानपेक्षम् ॥

यह पद्य रत्नावली नाटिका से है। वसन्तोत्सव के समय युवतियों की क्रीडा उदयन देख रहे हैं। तब अपने मित्र से वे कहते हैं—“कष्टपूर्वक रची हुई यह फूलों की माला, केशपाश आकुल होने से गिर रही है, ये दोनों नूपुर इस मद्य से उन्मत्त यवति के पैरों में लगे ऋन्दन कर रहे हैं। और स्तन भार से मध्यभाग भंग होगा इसकी तनिक भी चिन्ता न करती हुई, क्रीडा में निमग्न इस युवति का हार, पीडा से मानो छाती पीट रहा है।” वसन्तोत्सव के शृंगार पूर्ण दृश्यो का वर्णन

करने में, कवि ने उत्प्रेक्षा के अधीन हो कर शोक के विभानुभाव उपस्थित किये हैं। वे मूल रस के निश्चय ही बाधक हुए हैं। यहाँ कवि ने अलंकार तो पाया है किन्तु रस को खो दिया है। ऐसे अलंकार रस से अंतरगसबद्ध नहीं रह सकते। वे बाह्य होते हैं।

अब स्पष्ट होगा कि रस के परिपोष में साधक अलंकार किस सरलता से सिद्ध होते हैं और कोरी कल्पना के अधीन हो कर कवि ने निर्माण किये अलंकार रस के बाधक कैसे होते हैं। यह सब ध्यान में रखते हुए आनन्दवर्धन कहते हैं—

रसाक्षिप्ततया यस्य बन्ध शक्यक्रियो भवेत् ।

अपृथग्यत्ननिर्वर्त्य सोऽलंकारो ध्वनौ मतः ॥ (२।१६)

कभी कभी कविद्वारा निर्मित अलंकार, यद्यपि रसाभिव्यञ्जक नहीं रहता, तथापि रस में बाधक भी नहीं होता। यह अलंकार सर्वथा अनावश्यक होता है। ऐसा अनावश्यक अलंकार भी समय में काव्य में नष्ट नहीं होता। उदाहरण के लिये—

लीलावधूतपद्मा कथयन्ती पक्षपातमधिकं न ।

मानसमुपैति केयं चित्रगता राजहसीव ॥

‘रत्नावली’ में सागरिका का चित्र देख कर उदयन की यह उक्ति है। उदयन कहते हैं, “कमलो को हलका-सा धक्का देती हुई और रह कर पखों को फड़फड़ाती हुई, मानस सरोवर में चित्रगतिसे संचार करनेवाली राजहसी के समान, लीलया कमल से खेलती हुई मुँह से स्नेह दशाकिर मेरे मन को आकृष्ट करनेवाली यह चित्रगत युवति कौन हो सकती है?”— यहाँ, श्लेषपर आधारित उपमा शृंगार में बाध तो नहीं लाती, किन्तु वह उसे पुष्ट भी नहीं करती। कवि के मन में एक कल्पना स्फुरित हुई और उसने निविष्ट कर दिया। ऐसा अलंकार भी रसव्यञ्जक नहीं रह सकता। अतएव रसमय काव्य में यह भी बाह्य है।

सारांश, काव्यरचना के समय रसकवि को अलंकारों के विषय में समीक्षा रखनी ही चाहिये। उचितानुचितविवेक ही इस समीक्षा का स्वरूप है। रस कवि में उचितानुचितविवेक कैसे रहता है इस बात को उदाहरण के साथ विवेचित करते हुए आनन्दवर्धन कहते हैं,— काव्य में रसानुगुण रूप में आये हुए अलंकार ही शब्दार्थों में व्यञ्जकता का सामर्थ्य निर्माण करते हैं। किन्तु इस सीमा का यदि त्याग किया गया और कवि कल्पना तथा अलंकारों के वश में हो गया तब उसका प्रयास निश्चय ही रसभग का कारण होता है।” (स एवमुपनिबध्यमानोऽलंकारो रसाभिव्यक्ति हेतुः कवेर्भवति। उक्त प्रकारातिक्रमे तु नियमेनैव रसभगहेतुः सपद्यते)।

(१) वह काव्य प्रकार-जिस में रसादि ध्वनि का ही प्राधान्य है तथा वाच्य-वाचकों के वैचित्र्य का, रस की दृष्टि से गौणभाव है। काव्य का यह उत्तम प्रकार है। साहित्यशास्त्र में इसे 'ध्वनिकाव्य' कहा जाता है।

(२) जिसमें रसादिव्यंग्य तो है, किन्तु वाच्यवाचक सौंदर्य की अपेक्षा उसकी गौणता है एव वह रसादिव्यंग्य अन्ततः वाच्यवाचक सौंदर्य ही का परिपोष करता है। काव्य का यह मध्यम प्रकार है। इसे 'गुणीभूतव्यंग्य' कहा जाता है।

(३) काव्य का वह भेद जिसमें रसाभिव्यक्ति कवि का प्रयोजन ही नहीं है, और वाच्यवाचक ही के सौंदर्य पर कवि बल देता है यह काव्य का कनिष्ठ प्रकार है और इसे 'चित्रकाव्य' की संज्ञा दी जाती है।

ध्वनिकाव्य

पूर्व ध्वनि का स्वरूप विशद करते हुए, ध्वन्यालोक की कारिका 'यत्रार्थ शब्दो वा'— उद्धृत की गयी है। इस कारिका में कथित लक्षण ही ध्वनिकाव्य का अर्थात् उत्तम काव्य का लक्षण है। पूर्वगत अध्यायो में ध्वनिकाव्यो के अनेक उदाहरण दिये गये हैं। रस, भाव, इनके आभास, भावोदय आदि के उदाहरण, ध्वनिकाव्य ही के उदाहरण हैं। इनमें प्रतीत होनेवाला रसादि ही काव्यात्मा है। जब ध्वनिकार 'काव्यस्यात्मा ध्वनिः' कहते हैं तब उनका इस रसादिध्वनि से ही अभिप्राय है।

गुणीभूतव्यंग्य

गुणीभूतव्यंग्य रूप काव्यभेद में रस अथवा भाव ध्वनित होता है। परन्तु रसिक की हृदयविश्रान्ति इस रसादि में नहीं होती, अपि तु व्यंग्यार्थ से अधिक आस्वाद्य बने हुए वाच्यार्थ के चारुत्व में होती है। गुणीभूत व्यंग्य के उदाहरण-स्वरूप निम्न पद्य दिया जा सकता है—

लावण्यसिन्धुरपरैव हि केयमत्र
यत्रोत्पलानि शशिना सह सप्लवन्ते ।
उन्मज्जति द्विरदकुम्भतटी च यत्र
यत्रापरे कदलिकाण्डमृणालदण्डा ॥

“यह तो लावण्य की एक विलक्षण नदी ही उभर आयी है। आश्चर्य है, क्योंकि इस लावण्य की नदी में चन्द्रमा के साथ कमल अवगाहन कर रहे हैं, और इधर दो गजकुम्भ जलसे बाहर आ रहे हैं; इनके अतिरिक्त, कदलीस्तम्भ और मृणालदण्ड दे भी दिखाई रहे हैं”— इस पद्य में सिन्धु (नदी) शब्द से लावण्य

“आप ठीक कहते हैं। वस्तुतः रसभावविरहित काव्यप्रकार संभव नहीं है। किन्तु यह भी सत्य है कि ऐसा भी देखा जाता है जब कि कवि रसभावो की विवक्षा न रखते हुए काव्यरचना करते हैं, काव्यगत शब्दों का अर्थ विवक्षासापेक्ष रहता है। अतएव, ऐसे काव्य की जहाँ कवि को ही रसाभिव्यक्ति अपेक्षित नहीं है—व्यवस्था के लिए भिन्न काव्यप्रकार मानना पड़ता है। यह तो ठीक है, कि, कवि की विवक्षा न होने पर भी वाच्यसामर्थ्य से रसादि की प्रतीति होगी। किन्तु तब रसिक को जो रसप्रतीति होती है वह इतनी दुर्बल रहती है कि उस काव्य को नीरस ही मानना पड़ता है। इस नीरस काव्य की कल्पना करके ही हम ‘चित्र’ भेद मानते हैं।”

किन्तु, रसविरहित काव्य की कल्पना करने की क्या आवश्यकता है? इस प्रश्न पर आनन्दवर्धन कहते हैं, “ऐसी कल्पना न करने से काम नहीं चलेगा। अपनी वाणी को सयमित रखना जिन्हें ज्ञात ही नहीं है (विश्वखलगिराम), ऐसे अनेक कवियों में रसभावो की अपेक्षा ही न रखते हुए काव्यरचना करने की प्रवृत्ति नित्य देखी जाती है। अतएव, विवक्षा होकर हमें भी इस भेद की कल्पना करनी पड़ी।

हमारे मत के अनुसार ध्वनिव्यतिरिक्त काव्यप्रकार ही संभव नहीं है। जिन की प्रतिभा परिणत हो गयी है ऐसे कवियों का लेखनव्यापार रसभावनिरपेक्ष रहता ही नहीं। महाकवियों ने अपने काव्यों में दर्शाया है कि कोई भी वस्तु रसपर्यवसायी हो सकती है। और हमने भी (आनन्दवर्धन उस युग के ख्यातिप्राप्त कवि थे) अपने काव्य में यथाशक्ति दर्शाया है। इतना ही नहीं, तो चाटुवचन तथा सप्रज्ञक गाथाओं की गोष्ठियों में (कविमंडली की सभाओं में) भी व्यग्य अथवा गुरिभूत व्यग्य के अतिरिक्त काव्यप्रकार नहीं दिखायी देता। अतएव, हमारी दृष्टि में ध्वनिविरहित काव्यप्रकार ही नहीं हो सकता। काव्यरचना का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की—जिनकी कि प्राथमिक अवस्था होती है—रचना को चाहे तो चित्रकाव्य कहा जा सकता है। किन्तु परिणतप्रज्ञ कवियों के सम्बन्ध में, ध्वनिकाव्य रूप एक ही काव्यप्रकार हो सकता है।


आनन्दवर्धन ने चित्रकाव्य पर जो अभिप्राय प्रकट किया है उसे मूल ही में पढ़ना चाहिये। उसमें अधिकांश चित्रकाव्य की आलोचना ही प्रतीत होती है। चित्रकाव्य महाकवियों के काव्य का केवल ‘प्रतिबिम्बकल्प’ अथवा ‘आलेखप्रस्थ’ अनुकरण ही है। वह केवल ‘काव्यानुकार’ अथवा ‘वाग्विकल्प’ है। आनन्दवर्धन के मत में ऐसा काव्य हेय है। रसभगकारक अलकारो का वे तिरस्कार करते हैं। रस का अवधान न रखते हुए काव्यरचना करनेवालो को वे आदर की दृष्टि से नहीं देखते। किन्तु महाकवि भी जब प्रसंगवश, केवल अलकार के मोह के अधीन

प्रयोजनों का निर्देश किया है तथापि उनमें से यश, प्रीति और व्युत्पत्ति ही वास्तव में काव्यप्रयोजन हैं। (हेमचन्द्र) प्रीति का अर्थ है आनन्द। यह तो 'सकल प्रयोजन मौलिभूत' प्रयोजन है। किन्तु व्युत्पत्ति क्या है और यह कैसे सिद्ध होती है यह बताना आवश्यक है। काव्य से प्राप्त होनेवाली व्युत्पत्ति पाण्डित्य नहीं है, अथवा व्यवहार के लिये आवश्यक चातुर्य भी नहीं है। काव्य के परिशीलन से रसिक व्युत्पन्न होता है इसका अर्थ यही है कि रसास्वाद के लिये आवश्यक रसिकप्रतिभा का विकास होता है (रसास्वादोपायस्वप्रतिभाविजृम्भारूपा व्युत्पत्तिम्—लोचन)। काव्य के परिशीलन से आनन्दलाभ तथा प्रतिभाविकास रूप दोनों फल रसिक को समकाल ही प्राप्त होते हैं। ये दोनों फल वास्तव में भिन्न नहीं हैं क्योंकि इनका विषय एकही है। काव्य में रसमुख से पुरुषार्थ का दर्शन होता है। (हृदयानुप्रवेश-मुखेन चतुर्वर्गोपायव्युत्पत्तिराधेया। नैते प्रीतिव्युत्पत्ती भिन्नरूपे एव, द्वयोरप्येक-विषयत्वात्—लोचन)। यही काव्यगत 'कान्तासमिततयोपदेश' है। आनन्द तथा व्युत्पत्ति में यह आन्तरिक सबन्ध समझ लेने से ही, 'कला अथवा जीवन' के भगडे से ये प्राचीन काव्यसमीक्षक दूर रहे।

उपसंहार

आनन्दवर्धन ने विवेचनपूर्वक की हुई काव्यागो की पुनर्व्यवस्था और काव्य-प्रकारों को समक्ष रखते हुए लिखा गया ग्रन्थ ही मम्मटाचार्य का 'काव्यप्रकाश' है। यह तो स्पष्ट ही है कि काव्यप्रकाश की रचना में मम्मट ने आनन्दवर्धन तथा अभिनवगुप्तकृत विवेचन का ध्यान रखा था। मम्मट ने आनन्दवर्धनकृत काव्याग व्यवस्था का अनुसरण तो किया ही, और भी जहाँ तक हो सके इसे ध्वन्यालोक तथा अभिनवगुप्त के ही शब्दों में प्रस्तुत किया। काव्यप्रकाश के अध्ययन में हमें आनन्दवर्धन और अभिनवगुप्त के शब्दों का स्मरण होता है, और ध्वन्यालोक तथा लोचन पढ़ते समय स्थानस्थान पर मम्मट का स्मरण होता है।

काव्यप्रकाश के आजतक कई संस्करण निकल चुके हैं; किन्तु ध्वन्यालोक लोचन तथा अभिनवभारती के साथ इसमें तुलना की गयी है ऐसा एक संस्करण निकलना आवश्यक है। मारिण्यचन्द्रने अपनी सकेत टीका में इस दृष्टि से प्रयास किया है। किन्तु वह अब बहुत पुराना हो गया है। इस प्रकार संस्करण यदि प्रकाशित हुआ तो, ध्वनिमत का संक्षेप मम्मट ने किस प्रकार किया यह स्पष्ट होगा। काव्यप्रकाश का अध्ययन करते समय, तद्गत युक्तियों का स्वरूप जब ध्वन्यालोक आदि ग्रन्थों में किये गये विवेचन से स्पष्ट होता है तभी काव्यप्रकाश का अनन्यसाधारण महत्त्व ध्यान में आता है।



कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

प्रकृत ग्रन्थ में अनेक स्थानों पर 'इस बात की विवेचना

आगे की जायगी' इस प्रकार निर्देश किया गया है। किन्तु प्रमादवश, निर्देश के अनुसार विवेचना नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, मूलतः ग्रन्थ में दोष, गुण तथा अलंकार के पृथक् अध्याय थे, किन्तु अन्ततः, उनका संक्षेप गुणालंकार के एक ही अध्याय में किया गया। इस संक्षेप के कारण भी कई निर्देश न रह सके। उनमें से कुछ एक यहाँ सदर्भ (context) सहित दिये जाते हैं।

अध्याय २ - धर्मा तथा अलंकार—पृष्ठ ३९ पक्ति १९

(सदर्भ—लोकधर्मा का स्वभावोक्ति से एव वक्रोक्ति का नाट्यधर्मा से किस प्रकार संबन्ध है इसकी विवेचना उत्तरार्ध में की जायेगी)।

नाट्य के समान काव्य में भी रसप्रयोग ही होता है। नाट्यगत रस अभिनय के द्वारा संपन्न होता है, और काव्यवस्तु में भी 'स्वभिनीतता' होना आवश्यक होता है। अभिनय की जिस प्रकार इतिकर्तव्यता रहती उसी प्रकार कविव्यापार की भी इतिकर्तव्यता रहती है। अभिनय की इतिकर्तव्यता है लोकधर्मा और नाट्यधर्मा एव कविव्यापार की गुणालंकार। गुणालंकार लोकधर्मा अभिनय साक्षात् भावसमर्पक होता है एव नाट्यधर्मा अभिनय सौंदर्याधायक होता है (अ. भा.)। इसी तरह स्वभावोक्ति में भावों का साक्षात् समर्पण होता है एव वक्रोक्ति के द्वारा उक्तिवैचित्र्य का आधान होता है (व्यक्तिविवेक)। नाट्यगत लोकधर्मा भित्तिस्थानीय है एव नाट्यधर्मा चित्र स्थानीय है तथा उनके द्वारा समूहालम्बन से विभाव आदि संपन्न होते हैं और रसप्रयोग सिद्ध होता है (अ. भा.)। इसी तरह सौंदर्याधायक वक्रोक्ति तथा अर्थव्यक्ति गुणाधायक स्वभावोक्ति के द्वारा विभावादि-

किन्तु काव्यशोभाकरत्व की दृष्टि से सभी काव्यांग एक ही होने पर भी, दण्डी का मन्तव्य है कि कोई धर्म मार्गविशेष के असाधारण धर्म होते हैं और, कोई धर्म सभी मार्गों के साधारण धर्म होते हैं।

पूर्व मार्गविभागार्थमुक्ता काश्चिदलक्रिया ।
साधारणमलकारजातमत्र विविच्यते ॥


इस प्रकार उन्होंने काव्यादर्श के द्वितीय परिच्छेद में कहा है। अर्थात् उनके मत में कोई अलकृतियाँ सभी मार्गों के लिये साधारण होती हैं और कोई अलकृतियाँ मार्ग मार्ग के लिये विशिष्ट होती हैं। यह असाधारण अलकार अर्थात् काव्यशोभाकर धर्म ही गुण हैं। दण्डी ने इस प्रकार काव्यशोभाकर धर्मों में साधारण तथा असाधारण रूप में भेद करते हुए, उस से अलकार तथा गुणों का विवेक सिद्ध किया।

किन्तु केवल इसीसे, गुणों का निश्चित स्वरूप स्पष्ट नहीं हुआ। यह कार्य वामन ने किया। वामन ने देखा कि काव्यबन्ध के कोई नित्य विशेष होते हैं। काव्य-सौन्दर्य का निर्माण ही मूलतः उन विशेषों पर अबलबित रहता है। प्रत्युत कोई धर्म शोभावर्धक होते हैं। वैसे ही पूर्वोक्त धर्म नित्य होते हैं और दूसरे अनित्य हैं। इनमें से नित्य धर्म ही गुण हैं एवं अनित्य धर्म अलकार हैं। वामन के मतानुसार रीति का स्वरूप नित्यगुणात्मक होने से, गुण और रीति अभिन्न हैं।

वामन और उद्भट समसामयिक ग्रन्थकर्ता थे। उनके विचारों में एक महत्त्वपूर्ण भेद है, जिसका कि यहाँ ध्यान रखना आवश्यक है। वामन गुणों को नित्य मानते हुए उन्हें काव्यशोभा के कारक धर्म बताते हैं। अलकारों को वे कारक धर्म नहीं मानते अपितु शोभावर्धक धर्म कहते हैं। प्रत्युत उद्भट गुण तथा अलकार दोनों को नित्य मानते हैं, एवं दोनों को कारकधर्म ही स्वीकार करते हैं।

वामन ने गुणविवेचन एक विशिष्ट क्रम से किया है। ओजस् – प्रसाद – श्लेष – समता – समाधि – माधुर्य – सौकुमार्य – उदारता – अर्थव्यक्ति – कान्ति इस क्रम से उनका विवेचन है। ओज का अर्थ है प्रौढी। वामन कृत विवेचन का आरम्भ कविप्रौढोक्ति से है तथा कान्ति अर्थात् रसवत्ता से उसकी समाप्ति है। कवि की प्रौढोक्ति में अभिप्राय होता है (ओजस्); शब्दों की रचना विवक्षित अर्थ (अभिप्राय) में समुचित होती है (प्रसाद); वर्णित घटना में क्रम, वैदग्ध्य, अनुल्बणता तथा उपपत्ति होती है (श्लेष); उसमें कही भी विषमता अथवा क्रम भेद नहीं रहता (समता); कवि के काव्य में अर्थ नवीन हो सकता है अथवा


अलंकार (काव्यशोभाकर धर्म, सौंदर्य)



ध्वनि के पूर्व हुए इस विकास का पर्यवसान तथा पुनर्व्यवस्था ध्वन्यालोक में किस प्रकार की गयी है इसे देखना आवश्यक है, अन्यथा विकास का यह इतिहास पूर्ण नहीं हो सकता। ध्वन्यालोक के तृतीय उद्योत में गुण, सघटना, तथा रस में अन्योन्यसंबन्ध प्रस्थापित करते हुए यह विषय आया है। वह संक्षेप में इस प्रकार है —

रीति और गुणात्मता में वामन ने अभेद माना है; क्योंकि उनके विचार से गुण रीति का नित्य धर्म है। उद्भट आदि ने गुणों को सघटनापर आश्रित मानते हुए सघटना एव गुणों में भेद की कल्पना की एव माना कि सघटना गुणों का आश्रय है। किन्तु आनन्दवर्धन ने सिद्ध किया कि गुण वस्तुतः रसधर्म है। इस कारण, गुण सघटनापर आश्रित नहीं है, प्रत्युत सघटना ही गुणों पर आश्रित है। यह तीन मत आलेखरूप में इस प्रकार बताये जा सकते हैं —

गुण और रीति (सघटना)



इस का अर्थ है, गुण रस के धर्म है। रस गुणी है, माधुर्य आदि उसके गुण हैं। सघटना अर्थात् रीति इन गुणों के आश्रय से रहती हुई रस को अभिव्यक्त करती है। गुण काव्यशोभा के कारक हेतु नहीं है अपितु वे रस के अभिव्यजक

रुद्रट के विवेचनान्तर्गत दो बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। रुद्रट का कथन है “रसनाद्रसत्वमेषां मधुरादीनामिवोक्तमाचार्यै ।” उनका विचार है कि रति आदि भावों के समान निर्वेद आदि भी रसनाव्यापार के अर्थात् रस्यमानता के विषय होते हैं अतएव वे भी रस हैं। यह विचार हमें अभिनवगुप्त के अत्यन्त निकट पहुँचाता है। अभिनवगुप्त का कथन है कि रस्यमानता अर्थात् चर्व्यमाणाता ही रस का प्राण है। यह भी असंभव नहीं कि अभिनवगुप्त की सामान्यरस-और विशेषरस की उपपत्ति रुद्रट से सबधित हो। संभव है कि अभिनवगुप्त ने रुद्रट से और भी एक बात ली हो। शान्त रस की विवेचना में शान्त का स्थायी क्या है इस विषय में अभिनवगुप्त कहते हैं—‘कस्तर्हि अत्र स्थायी? उच्यते, इह तत्त्वज्ञानमेव तावन्मोक्षसाधनम् इति तस्यैव मोक्षे स्थायिता युक्ता। तत्त्वज्ञानं च आत्मज्ञानमेव ।” रुद्रट का भी शान्त के सबन्ध में यही विचार है। वे कहते हैं—

सम्यग्ज्ञानप्रकृति शान्तो विगतेच्छनायको भवति ।

सम्यग्ज्ञान विषये तमसो रागस्य चापगमात् ॥

इस पर नामिसाधु लिखते हैं—‘समग्ज्ञान स्थायिभावः ।



सू चि



(अ)

अकाव्य - ३७३
 अखण्डता - ११६.
 अखण्डप्रतीति - ३२३, ३७३.
 अखण्डबुद्धि - १६२, १६३.
 अखंडार्थ - १६१, १६२, १६३.
 अखंडार्थवाद - १६१, १६६, १६७.
 अखंडानुभव - ११६.
 अग्निपुराण - २६.
 अग्राम्यता - ८०, ८१, ६६.
 अच्युतोत्तर - ६०.
 अतिशय - ५४.
 अतिशयोक्ति - ४३, ५४, ७१.
 अद्वैतसिद्धि - १३७.
 अध्यात्मशास्त्र - ६१.
 अध्यास - १००, १६६, १७०.
 अनवस्था - १६४, ३६१.
 अनाकुल - ६६.
 अनिबद्ध - ६३.
 अनिर्वाच्य - ३५५.
 अनुकरणा - ३१, २२०, २७३, २७४,
 २७६, २७७, २७८, २७९, २८०,
 २८२, २८३, २८४, ३४८.
 अनुकीर्तन - ३५, २८२.
 अनुकृतिवाद - ३३४.
 अनुप्रवेश - २८२, २८३, २८८, ३१६,
 ३२१, ३२३.

अनुभाव - २७, ४६, २१७, २२१, २२७,
 २२९, २३४, २३८, २४०, २४१,
 २४२, २४३, २४४, २४८, २५२,
 २५४, २५७, २५८, २५९, २६०,
 २६१, २६२, २६४, २६५, २६६,
 २६७, २६८, २६९, २७३, २७४,
 २७६, २८१, २८३, २८६, ३०५,
 ३०७, ३०८, ३१०, ३१६, ३२०,
 ३२१, ३२५, ३३१, ३४३, ३४८.
 अनुमान - ६१, ६२, ६३, ६४, १००,
 १२०, २७३, २७४, २६४, ३५५,
 ३६१.
 अनुमानवाद - १२०, २८८ (अनुमिति-
 वाद).
 अनुमापक - २१७.
 अनुमितिलिग - ३२०.
 अनुवाद - ६३.
 अनुवंशश्लोक - २६०.
 अनुव्यवसाय - ३१, १६५, २८०,
 २८२, २८३.
 अनुसरणा - २८४.
 अनुसंधान - २७८.
 अनुस्वान - २२०.
 अनेकास्यात - १५५.
 अनौचित्य - ११३, ३६६.
 अन्यसारस्वत - ८६.
 अन्वयव्यतिरेक - १६, ७६, २०१.

अन्विताभिधान - १६०, १६१, १६२,
१८६, १८७, २३८, २४८, ३५७.

अन्विताभिधानवादी - १०२, १२०,
३५८, ३६१

अपक्वयोगी - ३०६

अपभ्रंश - ६३

अपरिमितप्रमातृत्व - ३११

अपोद्धार - ५८, ३३६, ३७३.

अप्यय दीक्षित - १३६, १४७

अप्रधानता - ३०३, ३०५.

अभाववादी - ३५६

अभिधा - ५४, ११८, १२४, १३०,
१५२, १५८, १६५, १६६, १६८,
१७५, १७६, १७७, १८१, १८२,
१८२, १८३, १८४, १८७, १८८,
१८९, २०१, २०२, २०३, २०६,
२०८, २२०, २८८, २९१, २९३,
२९५, ३५५, ३५८, ३६०, ३६१.

अभिधान - ५४, ५५, ६५, १०१, १५५,
२६६, २७३.

अभिधानकोष - ४, ५.

अभिधायकत्व - २९१.

अभिधामूलध्वनि - १७६

अभिधामूलव्यञ्जना - १७५, १७६,
१८८, १८९, २००, २०१, २०४,
२०७, २०८, ३५५.

अभिधावादी - ३६१.

अभिधावृत्तिमातृका - ३, १२०, १५८,
१६१, १६६, १७५, १७६, १८६,
३५४.

अभिधाव्यापार - ४६, ५०, ५५, १०१.

अभिधेय - ५४, ५५, ६६, २९८.

अभिनय - २७, ३२, ३३, ३६, ३७,
३९, ७०, ७३, ७६, ९६, ९७, ९८,
२४४, २४६, २४८, २४९, २५१,
२५२, २५४, २५८, २६०, २६४,
२६६, २७४, २८२, २८४, २९२,
३२८, ३४६, ३७६.

अभिनवकाव्यप्रकाश - २३.

अभिनवगुप्त - ३, ६, १०, ११, १८,
२०, २३, २४, ३०, ३२, ३६,
३७, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३,
४७, ४८, ४९, ५०, ५२, ५४,
५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६७,
७१, ७७, ९६, ९७, ९८, १०१,
१०६, ११६, ११७, ११९, १२०,
१२१, १२६, १२७, १३२, १३८,
१३९, १४०, १४५, १८३, १८५,
२०८, २०९, २१४, २१७, २१९,
२२२, २३५, २३६, २३७, २४०,
२४३, २४४, २४५, २४६, २४८,
२५१, २५५, २५६, २५७, २६१,
२६२, २६४, २६६, २६७, २६८,
२७०, २७२, २७३, २७६, २८०,
२८२, २८४, २८८, २८९, २९४,
२९६, २९७, २९८, २९९,
३०३, ३०६, ३०८, ३१०, ३१२,
३१७, ३२६, ३२८, ३२९, ३३०,
३३२, ३३३, ३३४, ३३५, ३३६,
३३७, ३३८, ३३९, ३४०, ३४१,
३४२, ३४४, ३४५, ३४६, ३४७,
३४८, ३४९, ३५०, ३५१, ३५२,
३५५, ३५६, ३५७, ३६०, ३६२,
३७३, ३७४, ३७५, ३७७, ३८१,
३८२.

असलक्ष्यक्रमध्वनि - २१६, २२०, २२१,
२२२, २२७, २३४, २४२, २८४,
३२५, ३४०, ३४२, ३६४.

(आ)

आकांक्षा - १५६, १५७, १५८, १५९,
१६२.

आख्यायिका - ६३, ६५, ७६, १०८

आगिक - २७, ४०.

आचार्य - ६०.

आतानुप्रवेश - २६६.

आथर्वणवेद - ४८.

आदिकवि - २११.

आनंद - ३३३

आनदमंदाकिनी - १३८.

आनदवर्धन - ३, ६, १०, २०, २४,
५०, ६७, ७१, ७३, १०२, १०४.

१०५, ११३, ११५, ११६, ११७,

११९, १२०, १२४, १२५, १२६.

१३२, १३८, १४४, १४५, १४६,

१४८, १५८, २१४, २१६, २२२,

२२६, २३२, २३५, २३७, २६६,

२६७, २६८, २८४, २८६, २८७,

२८८, २८९, २९४, ३२५, ३४०,

३५४, ३५७, ३५८, ३६०, ३६१,

३६२, ३६४, ३६५, ३६६, ३६८,

३६९, ३७१, ३७२, ३७३, ३७४,

३७५, ३७६, ३८०, ३८१.

आनदवाद - २३, ३३७.

आन्वीक्षिकी - २.

आप्तोपदेशसिद्ध - २४६.

आभास - ६३.

आम्रपाक - १११.

आरभटी - २७, ३०, ७८.

आरोपित - १८२.

आर्थी भावना - २६१, ३६२.

आर्थी व्यजना - २०४, २०५, २०८.

आलेखप्रस्थ - ३५०, ३७१, ३७२.

आलोचना - ३५६

आशी - ६१, ७४.

आश्रयाश्रयिभाव - १६०.

आष्ठीकर - ११६.

आस्थाबंध - ३०२.

आस्वाद - ७८, ११४, ११८, २४८,

२५६, २६७, २८१, २८३, २६४,

३६८, ३०७, ३३८, ३५६.

आस्वाद्यता - २६६, २७३, ३३०,

३३१, ३४१, ३४२, ३४३.

आहार्य - २७, ४०, ९८.

आक्षेप - ५३.

(इ)

इतरेतराश्रय - ३४६.

इतिकर्तव्यता - २५१, २५२, २९१,

२९२, ३७२.

इतिहास - ६५.

इन्दुराज - २४१.

(ई)

ईहामृग - २६७.

(उ)

उक्तिविशेष - ३६६.

उक्तिवैचित्र्य - ५०, ८१, १०१, ३७६.

उचितानुचितविवेक - ३६८.

उत्कशिकाप्राय - ६५, १०७.

उत्तररामचरित - १६६, ३०१, ३४४.

उत्पत्तिवाद - २६४.

कामधेनु - ५, १०६
 कामसूत्र - ४, ५, १३, १५, १६, ८२.
 कारकहेतु - ३०६.
 कारयित्री - ३६२
 कालिदास - ६, ५८, ८१, ६६, ६७,
 ६६, १०६, ११०, १२३, १७४,
 २१२, २२१, २२५, २३२, २५७,
 २६१, २८७, ३०१, ३०२, ३१७,
 ३६७.
 काव्यकौतुक - ७८, १२०, २७६, २८०.
 काव्यगोष्ठी - १४, १५, १६, १७,
 ८२, ८३, ८४.
 काव्यदोष - ३६६.
 काव्यन्याय - २, ८७, ६०, ६२, ६३,
 ६४, १०४.
 काव्यपाक - ६०, १२८, ३३१.
 काव्यपुरुष - १२१
 काव्यप्रकाश - २, १८, २५, ६६, ११७,
 १२०, १३१, १३२, १३३, १३५,
 १३६, १४०, १४६, १५८, १५९,
 १७५, १८४, १८६, १६१, १६७,
 २०५, २२५, २२६, ३५४, ३५६,
 ३५८, ३७४, ३७६
 काव्यप्रत्यक्ष - ६२, १२२, १२४
 काव्यप्रस्थान - ११६
 काव्यवध - ४१, ७७, १०६, २६४.
 काव्यमालुका - ३४५
 काव्यमार्ग - ८४, १०३.
 काव्यमीमांसा - २, १२, १६, १७, ६०,
 १०४, १०६, १२०, १२१, १२२,
 १२३, १५३, १५४.
 काव्यरस - ३५३.

काव्यलक्षणा - ३, ४, ५, ६, ८, ४१,
 ४४, ६०, ६५, ७५, १४३, १४४.
 काव्यव्यापार - २६१
 काव्यशब्दसाधुत्व - ८७, ८८
 काव्यशरीर - ५६
 काव्यशोभा - ७, ८, ६, १०, १०६,
 ११७
 काव्यसमस्या - १४, १५, १६
 काव्यादर्श - १, ३, १६, ४१, ६०,
 ६३, ६६, ८०, ८३, २६४, ३७८
 काव्यानुशासन - २, १३५, १८१
 काव्यालकार - १ (भा), २ (ह), ३,
 ४, (भा), ५, ६, ८, ११, १२, ४०,
 ४१, ४४, ५१, ६३, ६५, ७७, ८३,
 (भा), ११२ (ह), ११५, ११६,
 (ह), १४४
 काव्यालकारसारसंग्रह - २, १०१, १०३,
 २६४, २६७
 काव्यालंकार सूत्रवृत्ति - २, २२, १०३,
 १११
 कुमारिल - १२४, १५८, १६०, १८०.
 कुन्तक - ३, ११, २१, ११७, १२०,
 १२१, १२६, १२७, १२८, १२९,
 १४५, १४८, १६८, ३६५.
 कुमारसंभव - ७२, ६२, ६६, ६७,
 १०३, २५७, २६०, ३१७
 कुमारस्वामी - ११.
 कुवलयानन्द - १३६
 केवलानन्दवाद - ३४०
 कैशिकी - २७, २८, ३०, ७८
 क्रिया - ४, ५, ६, १२, ७५.
 क्रियाकल्प - ४, ५, ६, १२, ७५, १४३.

(च)

क्रियाविधि - ५, २७, ८६.

(ख)

खण्डकथा - ६३.

खडकाव्य - ६३.

(ग)

गडकरी - २५६

गम्यगमक भाव - २७३, २७४, २७५

गह्वरणा - ५३.

गाथा कवि - २६१

ग्राम्य (ग्राम्यता) - ८०, ८१, ८२, ११३.

गुणा - १, ७, ९, २३, २७, ३७, ३९, ४१, ५४, ५५, ५६, ५७, ६०, ६६, ८६, १०४, १०५, १०६, १०७, ११०, ११२, ११५, ११७, ११९, १२१, १५१, १५८, ३५६, ३६४, ३६५, ३७८, ३८०

गुणालकार - २८१, २९२, २९५, ३६४, ३७३, ३७६, ३७९.

गुणातिपात - ५३

गुणातिहाय - ७१.

गुणानुवादा - ४३, ५९.

गुणालकारविवेक - १११, ११५, १२८

गुणीभूत व्यग्य - ३७०, ३७२.

गोष्ठी समवाय - ८२

गोपेन्द्र भूपाळ - ५

गौरवृत्ति (गुणवृत्ति) - १००, १०१, १०४, ११७

गौड, गौडी - ७८, ९५, ११२. १५३

(घ)

घटानिबधन - १४, १५, १७

चतुर्वर्ग - ६९, ११३, ११४, २६७

चमत्कार - १३६, १३८, २८३, २९७, ३०१, ३०२, ३०३, ३०९, ३२६.

चम्पू - ५९, ६३.

चर्वणा - ११८, २१७, २३७, २४१,

२६१, २९४, २९६, २९७, ३०७,

३०८, ३१०, ३११, ३१६,

३२२, ३२३, ३२८, ३३०, ३३२,

३३३, ३३४, ३३५, ३३६, ३३८,

३४१, ३४२, ३५०.

चर्वणावाद - ३४१.

चर्व्यमाणता - ३०२.

चद्रालोक - ४१.

चाकलदार - ४.

चारुत्व प्रतीति - ३५४.

चित्र - ३७२.

चित्रकाव्य - ३७०, ३७२.

चित्रमीमांसा - १३९.

चित्रातुरगन्याय - २७५, २८०.

चित्रायोग - १६

चूर्ण - ६५, १०७.

(छ)

छन्द - ४, ५, ९५.

(ज)

जगन्नाथ - ११६, १३१, १३४, १३९,

१४०, १४१, १४४, १४६, १४७.

१७२, १८४, २०१, २१२, २२१,

२२२, ३४०

जयदेव - ४१, १३६

जयमगला - ५, १३, ८२

जयरथ - ११९, ३५३, ३५४, ३५६.

जयापीड - १०३.

जाति - ३१७.

जातिलक्षणप्रायासति - ३१८

जातिवादी - १७१, १७३

जात्यादिवाद - ८६, १७३.

जैमिनि - ४५, १५६, ३४५.

(ऋ)

ऋटिति प्रत्यय - २१६, ३२५, ३२६,
३५८.

(ङ)

ङिम - ३०, २६७.

ङे - २१, २२, ६७, १११, ११६.
१३२.

(त)

तत्त्वदर्शन - ६२.

तत्त्वार्थदर्शिनी - ३२५.

तदितरव्यावृत्ति - १७३.

तन्त्रवार्तिक - ४६.

तरुणावाचस्पति - ५.

तर्क - ६१, ६२, ११८.

तत्र - २६१

तन्मयीभवन - २८३, ३२४, ३२५,
३२८

तार्किक - ८७, ६१, ६२, १००.

ताताचार्य - ५४, ७१.

तादात्म्य - १०१, १२३, १२४, १६६

तापसवत्सराज - ३६, २८६.

तात्पर्य - १५६, २८४, ३६०, ३६१,
३६२

तात्पर्यवाद - ३५८, ३५९, ३६०,

तात्पर्यवादी - १०२, १२०, १६०, १८७.

तात्पर्यवृत्ति - १५८, १५९, १६०, १६४,
२०४, ३५४, ३६१,

तात्पर्यार्थ - १५६, १६०, १६१

तात्पर्यशक्ति - ३५८, ३५९

त्रयी - २.

(द)

दण्डनीति - २

दण्डी - १, २, ३, ५, ६, ७, ८, १६,
२१, २४, ४१, ४३, ५७, ५९, ६०,
६१, ६२, ६३, ६५, ६६, ६७, ६८,
६९, ७३, ७६, ७७, ७९, ८०, ८१,
८२, ८३, ८४, ८६, ९४, ९६,
१००, १०३, १०४, १०६, १०८,
११०, ११४, ११५, ११६, १२६,
१४३, १४४, १४५, २६२, २६३,
२६४, २६५, २६८, २६९, ३४०,
३७७, ३७८

दशरूप - ४१, ६६, ६८, ७४, १०८,
१२०, २८३, ३४६, ३४७, ३५८.

दशरूपाध्याय - २६७.

दीपिका - १७६

दीप्तरस - ११२

दीप्ति - ११८, ११९.

दीर्घअभिधा - ३५७, ३५८.

दीर्घअभिधावादी - १०२.

दीक्षित आनन्द प्रकाश - ३५६.

द्रुति - ११८, ११९, २६३.

द्रुहिण - २४५.

द्रुतकाव्य - ६६.

द्रुतवाक्य - ३६.

देशकालविशेषावेश - ३०३, ३०४.

देशमुख मा. गो. - २१.

दृश्यकाव्य - २६७

घोष - २७, ६०, ६६, ८६, १०६,
११३, १५८.

द्राक्षापाक - १७०.

(न)

(घ)

घनजय - ४१, ११७, १२०, ३५८.

घनिक - ४१, ७४, १२०, ३५८, ३६०,

३६१

घर्ममुख (विवेचन) - १४५.

घर्मी - ३३, २४६, २४९, ३७६

घारणा - १६:

घृवा - २८०

घ्वनन - २९६.

घ्वननव्यापार - ११९.

घ्वनि - २, २४, १०४, ११६, ११७,
११८, ११९, १२०, १६८, १८६,
१८७, १८८, २१०, २११, २१४,
२८९, २९७, ३४०, ३४३, ३५४,
३५५, ३५६, ३५७, ३५८, ३६०,
३८०.

घ्वनिकार - ८७, १११, १२०, १२१,
१८८, २११, २१२, २१९, २३६,
२४०, २८४, २८५, २८८, २९६,
३४०, ३५४, ३५६.

घ्वनिकारिका - ११६, २३७, २९५.

घ्वनिकाव्य - २१४, ३५७, ३७०, ३७२.

घ्वनिभेद - २२२, २२३

घ्वनिमत - ३७४.

घ्वनिवादी - ३५९.

घ्वनिविरोधक - ११९, ३६१, ३६२.

घ्वनिसंप्रदाय - ७३.

घ्वन्यालोक - २, ३, ४, ९, ५०, ९०,
१०४, १११, ११३, ११६, ११९,
१३५, १४५, १४६, १४७, २१४,
२२५, २२७, २३६, ३३१, ३५४,
३५८, ३६०, ३६४, ३७४, ३७५,
३७९, ३८०, ३८१.

नागरक - १३, १४, १५, १६, १७, १८,
८२, ८३, ९४.

नागरक गोष्ठी - ८३.

नागरकाधिकरुणा - ८३.

नागेश - २०८, २१०.

नागेशभट्ट - १५२, १५३, १६८, १६९,
१७४, १८७, १८८.

नाटक - ६३, ७६, ७९, २३४, २६७.

नामिसाधु - ११५, ३७९, ३८२.

नारायण - १३४, १३८, २६१.

नाट्य - २९, ३२, ३३, ६४, ६५, ७०,
७३, ९६, ९८, १०४, १०५, १०८,
२४६, २४७, २४८, २४९, २५०,
२५२, २५९, २६०, २६१, २७९,
२८०, २८१, ३४३, ३४५, ३७५.

नाट्यदर्पणा - १३६, ३०२, ३३७, ३४१.

नाट्यधर्म - २५६

नाट्यधर्मी - ३३, ३४, ३५, ३६, ३७,
३८, ३९, ७२, ७८, ९८, २४८,
२५०, २५१, २५२, ३७६.

नाट्यप्रत्यक्ष - २८१.

नाट्यभाव - २३६, २५४, २५७, २५८,
२७०, २८१.

नाट्यरस - २४६, २५३, २५९,

नाट्यवेदविवृत्ति - २६१.

नाट्यवेद - ३०.

नाट्यशास्त्र - ८, ११, १२, १९, २६,
३४, ३९, ४०, ४१, ४४, ४५, ४६,
४७, ५०, ५१, ५२, ५८, ५९, ६०,
६४, ६५, ६६, ६८, ६९, ७३, ७४,
७५, ७७, १०३, १०६, १२०, १४३,
२३९, २४५, २४६, २५३, २६१,
२६७, २७०, २८०.

नाट्यसन्धि - २७

नाट्यसंकेत - २५१.

नाट्यसिद्धि - १२, १३, ७७.

नाट्याग - २७, ३६

नाट्यार्थ - ६७, ६८

नाट्यालंकार - ८, ३०, ३६, ४०, ६८

निजसुखादि विवशीभाव - ३०३, ३०४

निदर्शन - ५४

निपात - १५३

निबद्ध - ६३, १०७

नियतनिष्ठता - ३५२

नियतप्रमाता - ३१५

नियोग - २६६.

निर्विघ्न प्रतीति - ३०२, ३०३

निर्विघ्न सविद् - ३३२

निर्विघ्न संवेदना - ३४१.

निर्वेश - ३०३

निष्पत्ति - ३१०.

निरुक्त - ४४, ४५, ४७, ४८, ५३

(लक्षणा)

नेता - ६६

नेपथ्यालंकार - ८, ४०.

नेयार्थ - ६६.

नैयायिक - ८४, ८७, १०१, १५८, १५९,

१६५, १६८, १७०, १७१, १७२,

१६६, २८८, ३५४, ३५५

नैरुक्त - ५१

नैषधीयचरित - १४१

न्याय - १५१, १५५, ३५४

न्यायवार्तिक - १८५.

न्यायशास्त्र - २१, ६१, ६२, ६४, १०२.

(प)

पक्वयोगी - ३०६

पञ्चसन्धि - ६४, ६५, ६६.

पट्ट बन्ध - १७

पतञ्जलि - ११६.

पद - १५३, १५५, १५८, ३६१.

पदसघटना - ११८.

पदसदर्भ - १५४.

पदार्थप्रतीति - ३५८.

पदोच्चय - ५४

परमलघुर्मजूषा - १५२, १६८, १७४,

१८८, ३१०.

परिकथा - ६३

परिपुष्टिवाद - २३, २४, २६५, ३४०.

परुषा - ११२.

पक्षधर्मता - ६३

परार्थानुमान - ३५६

परिपुष्टावस्था - २६४

परिपुष्टि - २६४, २८०.

परिपोषवाद - ३३८, ३४१, ३८८.

परिपोष्यपरिपोषकभाव - २७२

परिमित प्रमातृत्व - ३११, ३१५, ३५०.

पाचाली - ११२

पाठधर्म - ११०

पाठ्यालंकार - ८, ७७, १४०

पाठ्यगुणा - १२, ७७

पाणिनि - १०, २६, ४४, ६६, ११६,

१५५

पातजलसूत्र - १६६.

पात्र - ३५०.

पानकरस - ३१०.

पाल्यकीर्ति - १२५

बौद्ध - १७३.

ब्रह्मसभा - १७, १८.

ब्रह्मसूत्र - ४४

ब्रह्मरथयान - १७

ब्रह्मास्वाद - २६३

ब्राह्मण - ४५, ४७

ब्राह्मणश्रमणन्याय - २१८

(भ)

भक्तिध्वनि - २३३

भक्तिरसायन - १३७

भट्टतौत - ४३, ५१, ५४, ७८, ११७,

१२०, २७६, २८०, २८४, ३४०,

३५१

भट्टनायक - १०, ४६, ५०, ११७, १२०,

१२८, १२९, १४५, १६७, २४४,

२६२, २८८, २८९, २९०, २९१,

२९२, २९३, २९४, २९५, २९६,

२९७, ३२८, ३४०, ३५१, ३५५,

३५६.

भट्टि - ६१, ७४, ९०.

भट्टेन्दुराज - ५८.

भरत - १२, २४, २८, ३१, ३३, ३६,

३७, ४३, ४४, ४६, ५०, ५१, ५४,

५७, ५८, ५९, ६०, ६५, ६६, ६७,

६८, ६९, ७३, ७४, ७७, १०६,

१०७, १४१, १४३, १४८, २४५,

२४६, २४९, २५०, २५२, २५४,

२५५, २५७, २५८, २५९, २६०,

२६१, २७१, २८०, २८१, ३०८,

३१०, ३२६, ३३०, ३३१, ३३३,

३३६, ३४४, ३४६, ३४७, ३५३.

भवभूति - ३५, २६१.

भवतिपक्ष - २५६.

भर्तृहरि - १५३, १६३, १७२, १९८.

भर्तृमित्र - १७६.

भाक्त - १०२, ३५६.

भानुदत्त - १३६

भामह - १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८,

२२, २४, ४१, ४२, ४३, ४४, ५०,

५१, ५२, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४,

६५, ६६, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२,

७३, ७४, ७५, ७७, ७८, ७९, ८१,

८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८,

१००, १०२, १०३, १०४, १०५,

११०, ११४, ११५, ११६, १२२,

१२६, १४३, १४४, १४५, १४८,

२६२, २६३, २६४, २६५, २६८,

२८७, ३६५, ३७७, ३८१.

भामहविवरण - १०१, १०३, २६६

भारती - २७, ७८.

भारवि - २६१.

भाव - २०, २६, ३६, ४६, ६५, ७४,

१०४, २२७, २३७, २३८, २३९,

२४०, २४६, २४९, २५२, २५५,

२५७, २५८, २५९, २६३, २६५,

२७२, २८१, ३४१, ३४२, ३४३,

३४८, ३४९, ३६४, ३७०, ३७२.

भावक - २६२

भावकत्व - २८८, २८९, २९१, २९२,

२९६.

भावकाव्य - १०५.

भावजीवन - ३५१

भावध्वनि - २२६, २४०, ३४२, ३४४.

(य)

माधुर्य - ८०, ८१, १०१, ११३, ११८, ३७५.	यशोधर - ४, १४, ८२.
मानसप्रत्यक्ष - ३१८.	यास्क - ४४, ४५, ४८.
मानससाक्षात्कार - ३००	युक्ति - ६५
मानसी काव्यक्रिया - ४	योग - १७६, २७१.
मार्ग - १२७.	योगज प्रत्यक्ष - ३०६.
मालविकाग्निमित्र - ६.	योगदर्शन - ३०२.
माला - ५४	योगरूढ - १७७, २००, २०१.
मिथ्याप्रतीति - २७५, २७८.	योगरूढी - १७६.
मिथ्याध्यवसाय - ५४.	योगसूत्र - २६५, ३०२
मिश्रकाव्य - ७६.	योगिप्रत्यक्ष - २६४.
मीमांसक - ५१, १२०, १५६, १५८, १५९, (भाट्ट) १६०, (प्राभाकर), १६१, १६६, १७०, १७१, १७३, १७४, १८७, १९५, (भाट्ट), १९६, २५६, २८८, २९१, २९२, ३१७, ३१९, ३५४, ३५५, ३५८ (भाट्ट), ३५९, ३६१, ३५४, ३६०, ३६१.	योग्यता - १५६, १५७, १५८, १५९, १६२.
मीमांसा - २१, ४६, ४७, ४८, १०२, १५१, १५२.	यौगिक - १७६, १७७.
मुकुल - १५८, १६१, १७९, १८३, १८४, १८६	यौगिक रूढ - १७६, १७७
मुकुल भट्ट - ३, १०२, १०५, १११, ११७, ११९, १२०.	(र)
मुक्तक - ६३, ७९, २३४, २६१.	रघुवश - १५७
मुख्यवृत्ति - ११७	रचना - ६४.
मुख्यार्थ - ११७, १६७, १६८, १७५, १७८, १७९, १९३, १९८, २११.	रत्नावलि - २६८, २७४, २७६.
मुख्यार्थबाध - १९७.	रस - १, २, ९, २०, २१, २३, २४, २७, ५४, ५५, ६४, ६५, ६६, ६९, ७०, १०४, १०५, १०८, ११२, ११३, ११४, ११५, ११७, ११८, ११९, १२०, १२१, १३२, १५१, १६४, २२७, २३७, २३८, २४०, २४२, २४७, २४८, २४९, २५९, २६०, २६३, २६५, २६७, २६८, २६९, २७१, २७२, २८४, २८६, २८७, २८८, २८९, २९०, २९१, २९२, २९८, ३०२, ३०७, ३०८, ३३०, ३३५, ३४१, ३४२, ३४३, ३४४, ३४५, ३४८, ३४९, ३६४, ३६६, ३७०, ३७२, ३७३, ३७७, ३८०, ३८२
मूलप्रतिष्ठा - २६८	
मेघदूत - ६५	
मेघावी - ७४.	

रसक्रिया - २०.
 रसलगगाधर - १३६, १४२, १५८, १७२,
 २०१
 रसदीप्त - १११.
 रसदोष - ७७, ३५६.
 रसध्वनि - ११६, २१८, २४०, २४२.
 रसना - २४८, २८३, ३०२, ३०३,
 ३१०, ३३३, ३३५, ३४१.
 रसनाव्यापार - ३३२, ३३६, ३४३
 रसनिष्पत्ति - २६१, २६६, २६२.
 रसनीय - २१७.
 रसप्रक्रिया - २४४, २४५, २६२, २६६,
 २८४, २६१, ३१३, ३२६, ३८१
 रसप्रतीति - २१६, २२०, २५६, २८६,
 २६४, २६५, ३०६, ३५३.
 रसप्रदीप - २७६
 रसप्रयोग - ६५, ७७, ७८, २६०,
 २६७, ३७६
 रसभावना - २६१, २६२, २६५, ३२८.
 रसभोग - २६३.
 रसभंग - ३६६, ३७२, ३७३
 रसमीमासा - २६४, २६८
 रसवत् - २६२, २६३, २६४, ३७७.
 रसवस्तु - ६८, ६६, ७२, ७३, ८०,
 १०४
 रसविघ्न - ३१, ३०३, ३०६, ३२५.
 रसविमर्श - २३, २५८, २६८
 रसविश्व - ३३६, ३५१, ३५२
 रससंप्रदाय - ६७, ७३
 रसिकव्यापार - १२६
 रस्यमानता - २०
 रससूत्र - २६०, २६८, २७०, २८८,
 ३१०, ३२६, ३३६.

रसादि - २२६, २३४
 रसादिध्वनि - २१७, २२०, २२४,
 २२७, २३५, २३६, २३७, २६६,
 २७६
 रसाध्याय - २५६
 रसाभास - २०, २४, १०४, २२७,
 २३७, २६५.
 रसाभिव्यक्ति - २३६, २८५, २८६,
 २८७, २६६, ३६६, ३७३
 रसावेश - ३६५
 रसास्वाद - २, ११६, १२१, २२०,
 २६०, २६१, २७०, ३१३, ३१५,
 ३५६
 रसोक्ति - ३७७
 राघवन् - ६, ४७, ७४, १०३, १२६,
 १३०, ३५६
 राजमित्र - २६५
 राजतरंगिणी - १०३
 राजशेखर - २, ३, १२, १६, १७, १८,
 ८१, ८२, ६०, १००, १०५, ११३,
 ११७, १२०, १२१, १२२, १२३,
 १२५, १२८, १३२, १३५, १५३,
 १५४, १५७.
 रामचंद्र गुणाचंद्र - १३४, १३६, ३३७,
 ३४०
 रामशर्मा - ६०.
 रामस्वामी - २४, ६७
 रामायण - ५, १५७, १८६, २१२
 रीति - १, २, २१, २३, ४१, ६७,
 १०३, १०५, १०६, १०६, ११०,
 १११, ११२, ११६, २२७, ३५६,
 ३६५, ३८०, ३८१

रीतिसप्रदाय - ७३.

रुद्रट - २, ६, १६, ६१, १०३, ११०,
११३, ११४, ११५, ११६, ११७,
११९, १४४, १४५, १५२, ३७९,
३८१, ३८२.

रुच्यक - २, ३, १३४, १३५.

रूपक - २६७

रूपबाहुल्य - २६३.

रुढ - १७६, १७७.

रुढलक्षणा - १८१, १८३, १८८, १९०.

रुढि - १७६, १७८, १७९, १८०,
१८३.

रूपगोस्वामी - १३७, १४७.

रेखा - १११

(ल)

लय - २९४, ३०३

ललिता - ११२.

लक्षक - १०

लक्षणा - ८, ९, १९, २७, ३७, ३९,
४३, ४५, ४६, ४८, ४९, ५१,
५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०,
६१, ६६, ७४, १०१, १०२, ११८,
१२०, १२४.

लक्षणकारिका - ६१.

लक्षणभेद - १८४, १८५, १८९.

लक्षणा - १५२, १५८, १६४, १६५,
१६६, १७८, १७९, १८०, १८१,
१८२, १८३, १८४, १८५, १८६,
१८७, १८८, १८९, १९०, १९१,
१९२, १९३, १९४, १९५, १९७,
१९८, १९९, २०१, २०२, २०४,
२०६, २०८, २१०, २८४, २८९,
३५५, ३६०, ३६१, ३७९.

लक्षणामूलध्वनि - २३५, ३७१.

लक्षणामूल व्यंजना - १९७, २०१, २०४,
२०८.

लक्षणावादी - १२०, ३६१.

लक्षणीय - १९५.

लक्ष्य - ११८

लक्ष्य-लक्षक - १६५, १६६

लक्ष्यार्थ - १०२, ११७, १६५, १६८,
१७०, १९०, १९३, २०३, २११,
३५७.

लाटी - ११२

लाहिरी - १२६.

लाक्षणिक - ११८, १६७.

लिग - ३१९.

लिगलिगीभाव - २७५, ३६१, ३७४

लेश - ६१, ७४.

लोकधर्मी - ३३, ३४, ३५, ३६, ३७,
३९, ७८, ९८, २४८, २५०, ३७६

लोचन - ५७, ७१, ११६, ११७,
१२०, १३९, १८३, २१४, २१७,
२१९, २२१, २२२, २५१, २५२,
२५६, २५९, २६१, २७२, २८७,
२८८, २९२, ३०८, ३२१, ३२३,
३२६, ३५४, ३५८, ३६०, ३७४.

लोल्लट - २४, ११७, ११९, १२०,
१२४, २४४, २६४, २६६, २६८,
२६९, २७०, २७१, २७२, २७६,
२८८, २९३, २९४, ३२७, ३२९,
३४०, ३४७, ३५९, ३६१.

लौकिक - ३१३.

लौकिक प्रत्यय - ३२३.

लौकिक प्रत्यक्ष - २८१, ३१७.

लौकिक व्यग्य - २१४, २१७.

लौकिकोपमा - १०७.

(व)

वक्रवा - ६६, १२७.

वक्रोक्ति - १, २३, ३६, ४४, ४८,

५०, ५१, ७०, ७१, ७२, ७३, ७८,

८१, ८२, ८८, ८९, ९१, ९४, ९५,

९६, ९७, ९८, ९९, १००, १०१,

११५, ११८, ११९, १२०, १४२,

१४५, १८८, ३५३, ३७६

वक्रोक्ति जीवित - ११, १२०, १२६,

१२९, ३५४.

वर्णालंकार - ८, ४०, ७७.

वस्तु - ६६.

वस्तुध्वनि - २१७, २१८, २१९, २२४,

२२५.

वाक्य - १५३, १५५, ३६१.

वाक्यदोष - १७४.

वाक्यपदीय - १३०, १६३, १७२, १९८.

वाक्यार्थप्रतीति - ३५८.

वाग्भट - १३४,

वाग्विकल्प - ११८, ३७२

वाचक - २१०, २१३.

वाचकशक्ति - २७४, ३५८

वाचिक अभिनय - ४०, ६३, ६५

वाच्य - २००, २१३, २८४, ३१७.

वाच्यवाचक - १६५, १६७. १७०,

२१२.

वाच्याश - ३७१.

वाच्यार्थ - ६१, १०१, १०२, ११८,

१२४, १६५, १६८, १७०, २०५,

२१२, २१९, २२०, २६१, २६९,

३००, ३५७, ३५८, ३५९, ३६६.

वाटवे - १०८, १३८, २६८.

वात्स्यायन - ४, ५, १३, ८२, ८३

वार्तिककार - १५४, १५५.

वामन - २, ५, ६, ७, १६, २१, २२,

२४, ६४, ६५, ६६, ६८, ६९, ७३,

८१, १०१, १०३, १०५, १०६,

१०७, १०९, ११०, १११, ११२,

११७, ११९, १२२, १२४, १२९,

१३२, १४५, १४६, १५१, १५७,

१८३, ३३८, ३४०, ३६४, ३६५,

३७७, ३७८, ३७९, ३८०.

वार्ता - २, ८८.

वाल्मीकि - ५८, १२३, २१२, २५२.

२५३.

वासनावेश - २७०.

वासनासंवाद - ३०१.

वासनासंस्कार - ३२४, ३२९, ३३०.

३४५

वासनीय - १०४.

वासुकी - २४५, २४६.

विकल्पन - ४१.

विक्रमोर्वशीय - ६.

विकास - २६३.

विचारित सुस्थ - १०४, १०५, १२२,

विचित्रमार्ग - २१.

विदग्धगोष्ठी - १३, १६, १७, ८१,

८२, ८३, ९४.

विद्यानाथ - १३६.

विद्याधर - १३६.

विधि - २६६.

विधिवाक्य - २६१, २६२.

विभाव - २७, ४६, ५५, ७१, २१७,	विश्वेद्वर - १३८.
२२१, २२७, २२९, २३८, २४१,	विषमबारा लीला - १२४.
२४२, २४३, २४४, २४७, २४८,	विषयसामग्री - ३०२.
२४९, २५२, २५४, २५७, २५८,	विस्तार - २६३.
२५९, २६०, २६१, २६२, २६३,	विज्ञानवाद - ३०२.
२६४, २६५, २६६, २६७, २६८,	वृत्तगधि - ६५, १०७.
२६९, २७०, २७२, २७३, २७४,	वृत्ताकपाक - १२१.
२७५, २७७, २७८ २७९, २८०,	वृत्ति - ६, २७, ३६, ४१, ७७, ११४,
२८१, २८४, २८५, २८६, २८९,	११९, २४४, २४६, २४८, २४९,
२९१, २९२, २९४, २९७, ३०६,	२५०, २५१, २५४, ३४४, ३५६,
३०७, ३०८, ३०९, ३१०, ३११,	३८१.
३१५, ३१६, ३१८, ३१९, ३२०,	वृत्तिवार्तिक - १३६.
३२२, ३२३, ३२४, ३२५, ३२७,	वृत्यग - ८. ४१, ६२, ६६,
३२८, ३२९, ३३१, ३३२, ३३४,	वृद्धि - ८६
३३५, ३३६, ३४१, ३४३, ३४८,	वेद - २६१.
३५२, ३७१.	वेदान्तसूत्र - ४७, ११६.
विभावन - ७८, ७७, ७३, ७२, ५१,	वेदान्ती - १६१, १६३, १८७.
५०, ६६, ६८, २४३, २४४, २५२,	वैभक्त - १०४.
३०६, ३०८, ३२१	वैदर्भ - ६६, १५३.
विरस - ११३.	वैदर्भी रीति - ७८, ६६, १००, १११,
विवक्षा - ३१७	११२, ३६५.
विवक्षितान्यपरवाच्य - २२२, २६१,	वैदग्ध्यमभिभिपि - ८१.
२६८.	वैयाकरण - ८४, ८७, ८८, १००,
विवृत्ति - १७४.	१०१, १०२, १५३, १५४, १६२,
विशिष्ट - १६२.	१६८, १७०, १७१, १७३, १७४,
विशिष्टलक्षणा - १६८, १६५, १६६.	२८८, ३५४, ३५८
विशेष - ६१.	वैशेषिक - १५६.
विशेषरस - ३८२.	व्यक्तिविवेक - २, ३, १२०, ३५४,,
विश्रान्ति - २६४	३५५, ३७६
विश्वनाथ - ३, २०, २१, ४१, १३१,	व्यग्य - ६१, ११७, ११८ ११९, १२०,
१३६, १३८, १४६, १५७, १८१,	२००, २१२, २१३, २१४, २२४,
१८२, १८४, १८५, २०३, २२१,	२२५, ३७१, ३७२, ३७६.
३१२, ३४०.	

- शारदातनय - २४६.
शास्त्रप्रत्यक्ष - ६२.
शास्त्रानुमान - ६२.
शाकरभाष्य - ११६.
शिल्पक - ३१
शिवस्वामी - १६६.
शिक्षाग्रथ - १७
शृंगारध्वनि - १३२.
शृंगारप्रकाश - १२०, १२६, १३०,
१३२, १५४, १५५, ३५४, ३७७
शेषवत् - ३५६.
शोभा - ५२.
शोभाकरधर्म - ३७८.
श्रव्य - ६४.
श्रव्यकाव्य - २६७, २६८.
श्रीकण्ठचरित - २.
श्रीशकुन्त - २४४, २६१, २६२, २६६,
२६८, २७०, २७३, २७४, २७५,
२७६, २८०, २८४, २८८, २९३,
२९४, ३०७, ३२७, ३२८, ३४०,
३४८, ३५५, ३५६.
श्रीहर्ष - १४०.
श्रीकण्ठचरित - २.
श्रुतिकटुत्व - ८८.
श्रुतिसंबन्ध - १०१.
श्रुतार्थापत्ति - १०.
श्लेष - १०३.
(स)
संकेत (टीका) - ८६, १६८, १६९,
१७०, १७३, १७४, १७६, १६३,
१६७, २१०, ३१३.
संकेतितार्थ - ८६, १७०, १७१, १७५,
२०४.
सर्गबन्ध - ६३, ६४, ६५, ६६, ७०, ७७,
७६, १०८.
संग्रहकारिका - ६१, २४८, २४९,
२५४, २६०.
सघटना - ५६, १०४, २२७, ३७७,
३८०.
सघात - ६३.
संचारीभाव - २७, ४६, २३४, २४३,
२६४, २६५, २६७, ३०६, ३४३,
३४४
सतृणाम्यवहारि - १०८, १०६.
सन्दर्भ - १०८, १५७, १५६
सत्त्वालकार - ४०.
सन्धि - ६, ८८.
सन्धयङ्ग - ८, ४१, ६२, ६६.
सन्धि - (साम्निध्य) १५७, १६२,
१७५
सन्धिवेश - ११२, ३५३.
सन्देश - ५३, २७५.
सपाठ्य - ४.
संप्रदाय - १४८.
संप्रदायप्रकाशिनी - २०७.
संप्रज्ञक - ३७२.
संभावनाविरह - ३०३.
समवकार - २६७.
समापत्ति - २६४, ३०३.
सम्भवनीयता - १५८.
समवकार - ३०, २६७
समवाय - ११८.
समाधि - १००, १०१, १०८, १४५.
समस्याक्रीडा - १४, १५, १६
सम्राज - १५, १६, १७, १८, ८२.
समाहित - २६४, २६५.

समुच्चय - ५४
 समुद्रबध - १२८, १२९.
 समृद्धि - ६४.
 समुपरजन - ३०६.
 समूहालबन - ३१६, ३२४.
 सम्यक्प्रतीति - २७५, २७८.
 सरस्वती कंठाभरण - १२०, १२९,
 १३२.
 सहदेव - १११.
 संसर्ग - १६२, २६८.
 संशययोग - ३०३, ३०५.
 संयोग - ३०७.
 संलक्ष्यक्रम - २१८, २१९, २२०, २२१,
 २२२.
 सवाद - ३५१.
 संवादीभ्रम - २७४, २७५.
 सविच्चर्वणा - ३४०.
 संवित्ति - १९६.
 सवेदना - ३४९
 संविद्द्विश्राति - ३४५, ३३६.
 सहृदय - १७, १८, ७८, २१०, २११,
 २८८, ३००.
 स्फुटत्वाभाव - ३०३, ३०५.
 स्फोट - १५३, १६२, १६३, २४८.
 स्फोटवाद - १७३.
 स्फोटवादी - १६३, १८७.
 स्थायी - २३७, २४०, २५३, २५९,
 २६१, २६४, २६६, २६९, २७०,
 २७३, २७४, २७५, २७६, २८०,
 २८९, २९८, २९९, ३०२, ३०७,
 ३०८, ३२५, ३२९, ३३०, ३३६,
 ३३८, ३४०, ३४१.

स्थायिविलक्षणा - ३३०, ३३८, ३४१,
 ३४२, ३४३, ३४४.
 स्थायी भाव - २३, २७, ६२, ६८, ४९.
 स्मृति - ३०१, ३०२.
 स्वगत - ३१५
 स्वभावोक्ति - ३९, ७४, ७८, ८१, ८२,
 ३७६.
 स्वरूप निबधन - १२२, १२३.
 स्वशब्दवाच्य - २१६, २४०, २४२,
 २६४, २६५, २६५, २६६, २६७,
 २९८, ३५९.
 स्वार्थानुमान - ३५६.
 साहित्य - १, २, ३, ६, ७५, ११८,
 ११९, १२०, १२६, १२७, १२८,
 १२९, १३०, १३१, १४४, १६८.
 साहित्यकौमुदी - १८२.
 साहित्यचूडामणि - २०९.
 साधारणीकरण - २९०, २९१, २९२,
 २९३, २९६, २९७.
 साधारण्य - ३१४.
 साध्य - २९१.
 सामान्य - २८२, २८३.
 सामान्यरस - ३४२, ३८२.
 सान्तरार्थनिष्ठ - १८२.
 साहित्यदर्पण - ३, १८, २५, १३६,
 १५७, १५८, १५९, १६०.
 साहित्यपद्धति - १४४.
 साहित्यमीमांसा - २, ३.
 साहित्यविद्या - २, १८, १०२, ११५,
 १२१.
 साहित्यविरह - १२७.
 साक्षात्कार - ३०२.

***** भा र ती य सा हि त्य शा स्त्र

सांख्य - १०२, २८८, २८९, ३२८.

साँत्त्वती - २७, ७८.

सात्त्विक - २७, ४०.

साधुत्व - ८९.

सामाजिक - ८२.

सामान्य - ९२.

साख्यवादी - ३४०.

सादृश्य - २७५.

साधन - २९१.

साधारणीभूत - २४७.

साधारणीभाव - २७९, २८१, २८२.

२८३, २९०, ३०१, ३११.

सिद्धि - २४६, २४९.

सिद्धपरमतानुवाद - २१, २२, ६९, १०८.

सिद्धसारस्वत - ६९.

सुप्तिङ्गव्युत्पत्ति - ८८, ९०.

सुकुमारमार्ग - २१, ७८.

सुखदुःखवाद - २३, २४. २८८, ३३७,

३४०.

सूक्ष्म - ५३, ७४.

सोमेश्वर - ६६.

सौन्दर्यव्यापार - ३०.

सौशब्द - ९९, ८६, ९०.

(ह)

हर्ष - २६१.

हेतु - ६१, ७४, ९२, ९३, १८५.

हेमचंद्र - १३४, १३५, १८१, २३५,

३१२, ३४०, ३७४.

हृदयगमा - ५.

हृदयदर्पण - २, १२०, २८९.

हृदयविश्रान्ति - ३३४

हृदयसवाद - ११९, २१७, २५२, २७९,

२८१, २८३, २९४, २९५, ३०३,

३०८, ३१६, ३२८, ३५१, ३६५.

(क्ष)

क्षेमेन्द्र - ३, २४, ८७, ११७, १२०,

१२८, १३८, १४८, ३६९.

(ज्ञ)

ज्ञातता - १९५.

ज्ञानलक्षणप्रत्यासत्ति - ३१८, ३१९.

ज्ञानेन्द्रसारस्वती - १०२.

ज्ञापकहेतु - ३०९.

ज्ञापितसिद्ध - ७५.